[श माला, खंड 9, अंक 15

शुक्रवार, 11 अगस्त, 2000
20 श्रावण, 1922 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

चौथा सत्र
(तेरहवीं लोक सभा)

(खंड 9 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. अशोक कुमार पांडेय
अपर सचिव

हरनाम सिंह
संयुक्त सचिव

प्रकाश चन्द्र भट्ट
प्रधान मुख्य सम्पादक

डा. राम नरेश सिंह
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

उर्वशी वर्मा
सहायक सम्पादक

गोपाल सिंह चौहान
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

लोक सभा वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण)

शुक्रवार, 11 अगस्त, 2000/20 श्रावण, 1922 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
137	26	श्री टी॰एन॰सेलवागनपति	श्री टी॰एम॰सेल्वागनपति
172	नीचे से 4	श्री हरिभाई शंकर महाले	श्री हरीभाऊ शंकर महाले
401	पंक्ति 7 के सामने साइड शीर्षक के रूप में		पढ़िए - संविधान की पहली अनुसूची का संशोधन
401	पंक्ति 12 के सामने साइड शीर्षक के रूप में		पढ़िए- संविधान की चौथी अनुसूची का संशोधन
406	पंक्ति 12 के पश्चात		पढ़िए - खण्ड 12

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 9, चौथा सत्र, 2000/1922 (शक)]

अंक 15, शुक्रवार, 11 अगस्त, 2000/20 श्रावण, 1922 (शक)

विषय	कालम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 281 से 283 और 285	1–31
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 284 और 286 से 300	31–79
अतारांकित प्रश्न संख्या 3092 से 3321	79–348
सभा पटल पर रखे गए पत्र	349–355
बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा कर अपवंचन के बारे में दिनांक 12 मई, 2000 के तारांकित प्रश्न संख्या 671 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण	355–356
सभा का कार्य	357–360
मेडागास्कर के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत	360
10 अगस्त, 2000 को श्रीनगर (जम्मू-कश्मीर) में हुए बम विस्फोटों, जिनमें अनेक लोग मारे गए, के बारे में	361–367
सूचना स्वातंत्र्य विधेयक	381
विचार करने के लिए प्रस्ताव	381
श्री पवन कुमार बंसल	381
श्री प्रमोद महाजन	384
श्री के.पी. सिंहदेव	385
केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) संशोधन विधेयक	387–400, 465–473, 475–482
विचार करने के लिए प्रस्ताव	388
श्री अरुण जेटली	387, 475
श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन	392
श्री रूपचन्द पाल	394
थावर चन्द गेहलोत	467
श्री पवन कुमार बंसल	471

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कालम
श्री कुंवर अखिलेश सिंह	473
खण्ड 2 से 9 और 1	480
पारित करने के लिए प्रस्ताव	480
उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक	400–409
राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन—*स्वीकृत*	400–409
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति के सातवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	409
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक—पुर:स्थापित	409
(एक) संविधान (संशोधन) विधेयक (आठवीं अनुसूची का संशोधन)	
श्री बीर सिंह महतो	409
(दो) राजभाषा (निरसन) विधेयक	
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	410
(तीन) वाणिज्यिक विज्ञापनों में और उपभोक्ता वस्तुओं के पैकेटों पर भारतीय भाषाओं का उपयोग विधेयक	
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	410
(चार) मेधावी छात्र (उच्चतर अध्ययन में सहायता) विधेयक	
श्री हरिभाई चौधरी	411
(पांच) परिसंकटमय नियोजन में बालक श्रम (उत्सादन, पुनर्वास और कल्याण) विधेयक	
श्रीमती कान्ति सिंह	411
(छ:) वन संरक्षण (संशोधन) विधेयक (धारा 2 का संशोधन, आदि)	
श्री सुबोध मोहिते	412
(सात) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 243ग का संशोधन, आदि)	
श्री प्रियरंजन दासमुंशी	412
(आठ) संविधान (संशोधन) विधेयक (नए अनुच्छेद 31 का अन्त:स्थापन)	
श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी	413
(नौ) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 103 का संशोधन, आदि)	
श्री विलास मुत्तेमवार	421
(दस) अन्तर्राज्यीय नदियों का राष्ट्रीयकरण विधेयक–*वापस लिया गया*	413–421, 421–449
श्री ए.सी. जोस	413
श्री पी.एच. पांडियन	417
श्री गिरधारी लाल भार्गव	421
श्री मणिशंकर अय्यर	423

विषय	कालम
श्री हरिभाऊ शंकर महाले	438
श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर	439
श्री अर्जुन सेठी	441
श्री वैको	446
(ग्यारह) पिछड़ा क्षेत्र विकास बोर्ड विधेयक-*विचाराधीन*	
श्री सुबोध मोहिते	450-454
आधे घंटे की चर्चा	
निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाएं	454-465
श्री नरेश पुगलिया	454
प्रो. रासा सिंह रावत	458
श्री प्रवीण राष्ट्रपाल	459
श्री अर्जुन सेठी	461
राज्य सभा से संदेश	473-475
बिहार पुनर्गठन विधेयक	
राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन-*स्वीकृत*	482-490

लोक सभा

शुक्रवार, 11 अगस्त, 2000/20 श्रावण, 1922 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

अश्लील विज्ञापनों पर रोक लगाने के लिए केबल टी.वी. नेटवर्क (अधिनियम) 1995 में संशोधन

*281. **श्री अशोक ना. मोहोल:** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अश्लील विज्ञापनों पर रोक लगाने के लिए केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 को संशोधित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने टी.वी. चैनलों के लिए विज्ञापन प्राप्त करते समय विभिन्न धर्मों के देवताओं और पैगम्बरों के उपयोग पर संयम बरतने हेतु भी टी.वी. चैनलों को निर्देश दिया है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त निर्देशों का उल्लंघन करते पाए गए टी.वी. चैनलों के विरुद्ध क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) केबल टेलीविजन नेटवर्क नियमावली के अंतर्गत विज्ञापन संहिता में यह व्यवस्था है कि केबल आपरेटरों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उनकी केबल सेवा के माध्यम से प्रसारित कार्यक्रमों में महिलाओं का चित्रण सुरुचिपूर्ण तथा सौन्दर्यपरक हो और सुरुचि तथा शालीनता के सुस्थापित मानकों के अंतर्गत हो। तथापि, विद्यमान केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 की धारा 5 तथा 6 के परन्तुक के अनुसार, केबल टेलीविजन नेटवर्क नियमावली के अंतर्गत कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिता स्वतंत्र विदेशी उपग्रह चैनलों पर लागू नहीं होती है जिन्हें किसी विशिष्ट गैजेट या डिकोड के प्रयोग के बिना प्राप्त किया जा सकता है। लोक सभा में 3.8.2000 को प्रस्तुत केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2000 का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ इस विसंगति को दूर करना है।

(ग) जी, हां। विभिन्न उपग्रह चैनलों को उनके चैनलों पर विज्ञापन स्वीकार करते समय सैन्य बलों सहित विभिन्न धर्मों के देवताओं तथा पैगम्बरों के नामों के इस्तेमाल में संयम बरतने की सलाह दी गई थी।

(घ) केबल टेलीविजन नेटवर्क नियमावली के अंतर्गत विज्ञापन संहिता में अन्य बातों के साथ-साथ, यह व्यवस्था है कि केबल सेवा में प्रसारित विज्ञापनों को देश के कानून के अनुसार तैयार किया जाएगा और उनसे नैतिकता, शालीनता और उपभोक्ताओं की धार्मिक भावनाओं का अपमान न हो। विज्ञापन संहिताओं का उल्लंघन करने वाले केबल आपरेटरों के विरुद्ध संबंधित राज्य सरकारों के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा आवश्यक कार्रवाई करनी होती है। भारत से कार्यक्रम अपलिंक करने वाले टेलीविजन चैनलों द्वारा कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिता के उल्लंघन के विशिष्ट मामले सरकार के ध्यान में लाए जाने पर भी उन चैनलों के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। तथापि, भारत के बाहर से अपलिंक किये जा रहे उपग्रह टेलीविजन चैनलों के लिए कानूनी तौर पर इन कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिताओं का पालन करना जरूरी नहीं है। इन उपग्रह चैनलों को केबल नेटवर्क अधिनियम के अंतर्गत बनाए नियमों तथा विनियमों के अंतर्गत लाने के उद्देश्य से सरकार ने हाल ही में अपनी अपलिंकिंग नीति को उदार बनाया है जिसमें सभी उपग्रह चैनलों को भारत से अपलिंक करने की अनुमति दी गई है बशर्ते वे कार्यक्रम और विज्ञापन संहिताओं का पालन करने का वचन दें।

[हिन्दी]

श्री अशोक ना. मोहोल: अध्यक्ष महोदय, सरकार के द्वारा केबल ऑपरेटरों के लिए नियम तो बनाए गए हैं, लेकिन नियम बनाने के बावजूद उनके द्वारा दिखाए जाने वाले चैनलों पर जो कार्यक्रम आते हैं वे इतने अश्लील होते हैं कि हम और आप इकट्ठे, एक परिवार के व्यक्ति भी अपने परिवार के साथ बैठकर नहीं देख सकते हैं। सरकार की तरफ से नियम तो बनाए गए हैं, लेकिन उनका पालन ठीक प्रकार से नहीं हो रहा है। अगर उस

पर ठीक प्रकार से अमल हो जाए, तो ऐसे कार्यक्रम दिखाने की कोई हिम्मत नहीं करेगा।

अध्यक्ष महोदय, सरकार ने जो कानून बनाए हैं उनमें विदेशी चैनलों पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। इसलिए अधिकांश विदेशी चैनलों पर जो कार्यक्रम दिखाए जाते हैं वे अपने देश की संस्कृति और परंपरा के अनुकूल नहीं होते। अत: मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि केबल ऑपरेटरों द्वारा दिखाए जाने वाले चैनलों पर जो अश्लील कार्यक्रम आते हैं, उन्हें दिखाने से रोकने पर सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

श्री अरुण जेटली: अध्यक्ष जी, जो सन् 1995 में केबल का जो कानून बना था, उसके तहत जो नियम बने हैं, उनमें एक कार्यक्रम का कोड है और दूसरे जो विज्ञापन छपते हैं, उसका भी कोड है, यानी प्रोग्राम कोड एंड एडवर्टाइजिंग कोड। उस कानून में यह प्रावधान था कि जो फ्री टू एयर चैनल्स होंगे, जो कोई भी देखने वाला, उन कार्यक्रमों को अपने टेलीविजन पर बिना पैसे दिए हुए देख सकता है, उनके ऊपर ये दोनों कोड लागू नहीं होंगे। इसलिए ये दोनों चैनल इस कानून के नियंत्रण के बाहर जा रहे हैं। सरकार ने इस विषय पर विचार करने के बाद, संसद के सामने इस कानून को परिवर्तित करने के लिए एक संशोधन बिल रखा है जो आज की कार्यसूची में भी शामिल है। उसमें यह है कि जो एग्जम्पशन, फ्री टू एयर चैनल्स को दी गई थी, इसको हटाया जाए। दूसरा कदम इस बिल में यह बताया गया है कि कौन अधिकारी होंगे जो इस दृष्टि से कार्रवाई करेंगे। इस संबंध में प्रांतीय सरकारों को अधिकारियों की नियुक्ति करनी थी। कई राज्य सरकारों ने वह नियुक्ति नहीं की। इसलिए इस संशोधन में हमने यह भी प्रावधान किया है कि जो जिला मजिस्ट्रेट होंगे, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होंगे या कमिश्नर आफ पुलिस होंगे, वे इस एक्ट की एनफोर्समेंट के लिए औथोराइज्ड ऑफीसर होंगे। ऐसा करने से आज तक जो कठिनाई आती रही है वह नहीं आएगी। यह बिल आज भी सदन के सामने है और अगर पारित होता है तो उसके पारित होने के बाद माननीय सदस्य की जो शंका है, वह शायद दूर हो जाएगी।

श्री अशोक ना. मोहोल: अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न यह है कि छोटे और बड़े शहरों में स्थानीय केबल आपरेटरों के जरिए जो नई फिल्में प्रदर्शित होने वाली होती हैं, उनको सिनेमाघरों में प्रदर्शित होने से पहले ही दिखा दिया जाता है। इसके कारण फिल्म थिएटर और फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा भारी नुकसान हो रहा है।

एक जमाना था जब 90 प्रतिशत जनता थियेटर में फिल्म देखती थी और फिल्म सिल्वर जुबली या गोल्डन जुबली होती थी लेकिन अभी एक हफ्ते या दो हफ्ते भी फिल्म नहीं चलती। दूसरी बात यह है कि निजी चैनल वाले जो एटवरटाईज करते हैं, उस पर कोई टैक्स नहीं है जबकि थियेटर वाले जो एडवरटाईज करते हैं, उस पर 30 परसेंट टैक्स है। इसी कारण सरकार की तिजोरी में जितना एंटरटेनमैंट टैक्स जमा होना चाहिए, उतना नहीं होता है। निजी केबल ऑपरेटर्स द्वारा नई फिल्म दिखाने से फिल्म इंडस्ट्री और थियेटर इंडस्ट्री को भारी नुकसान हो रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि इसके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है या क्या कार्रवाई कर रही है?

श्री अरुण जेटली: अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में फिल्म इंडस्ट्री और केबल इंडस्ट्री दोनों के साथ हमारी बातचीत हुई है। जो पाइरेसी है जिसकी वजह से कोई भी सिनेमा जो अनुमति के साथ दिखलाना चाहिए था लेकिन बिना अनुमति के दिखलाया जाता है तो यह किसी दूसरे की इंटलैक्चुअल प्रोपर्टी को चोरी करना है। इस संबंध में मौजूदा कानून कापी राइट के तहत जिस व्यक्ति को इसकी शंका है या शिकायत है, उसको अदालत में जाना पड़ता है। पुलिस के पास भी इन अधिकारों का उपयोग करने का अधिकार है। लेकिन ऐसा अनुभव हुआ है कि अगर देश भर में कई स्थानों पर ऐसा होता है तो जिसकी सम्पत्ति इसमें चुराई जाती है, वह हर स्थान पर अदालत में नहीं जा सकता क्योंकि यह चोरी पहले कुछ दिनों में होती है। इसलिए प्रसारण नियम या कन्वर्जन लॉ के तहत सरकार इस संबंध में नये कानून की कल्पना कर रही है और केबल नेटवर्क के संबंध में इफैक्टिव कार्रवाई हो पाये, यह सरकार के मद्देनजर है। जब कानून बनने के पश्चात् यह संसद के समक्ष आयेगा तब हम इस संबंध में प्रावधान करने की सोच रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री खारबेल स्वाईं: महोदय, समाज को मात्र अश्लीलता से ही नुकसान नहीं हो रहा है। शराब और तम्बाकू का प्रयोग भी समाज का अत्यन्त नुकसान पहुंचा रहा है। किन्तु, इन सब चीजों के विज्ञापन विभिन्न टेलीविजन चैनलों पर खुले आम दिखाए जाते हैं।

महोदय, मेरा माननीय मंत्री जी से यह प्रश्न है कि क्या यह सरकार केबल टी.वी. नेटवर्क नियमों में इस प्रकार के प्रावधान करेगी जिससे कि टी.वी. चैनलों पर शराब और तम्बाकू के विज्ञापन बन्द हो जाए?

श्री अरुण जेटली: महोदय, इस बारे में मेरा उत्तर दो भागों में है। जहाँ तक दूरदर्शन और आकाशवाणी का संबंध है, उनकी अपनी आन्तरिक प्रसारण संहिता 'कोड' है जिसके अंतर्गत तम्बाकू और शराब के विज्ञापन की दूरदर्शन और आकाशवाणी पर अनुमति

नहीं है किन्तु विभिन्न निजी चैनल विशेषकर वह चैनल, जो कि बाहर से 'अपलिन्क' होते हैं और जिनका प्रसारण देश में होता है, उन पर इस तरह के विज्ञापन प्रसारित होते हैं।

महोदय, सरकार को अनेक अभ्यावेदन केबल नेटवर्क अधिनियम के अंतर्गत इस प्रकार के विज्ञापनों के प्रसारण को रोकने के लिए प्राप्त हो रहे हैं। वास्तव में, एक स्तर पर संयुक्त मोर्चा सरकार ने इस बारे में एक नीतिगत निर्णय लेने की दिशा में और उन नियमों में संशोधन का प्रयास किया था। पुनः हमें यह अभ्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं इस पर सरकार सक्रियतापूर्वक विचार कर रही है।

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि कुछ केबल टी.वी. आपरेटर मध्याह्न में एक विशेष समय का, जबकि माता-पिता घर पर नहीं होते, बच्चे ही घर पर होते हैं उस समय का दुरुपयोग करते हैं और रात्रि 12 बजे के पश्चात अत्यन्त आपत्तिजनक फिल्में और कुछ अन्य कार्यक्रम का प्रसारण करते हैं।

महोदय, मैं सरकार से यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार को अहमदाबाद में हुए केबल विवाद की जानकारी है, जिसमें एक राज्य मंत्री और एक विधायक का भाई शामिल थे और इन्होंने लोगों में हंगामा खड़ा कर दिया है। जिसके कारण गुजरात राज्य के गृह मंत्री को त्यागपत्र देना पड़ा था। इस बारे में मैं स्पष्टीकरण चाहूंगा।

श्री अरुण जेटली: महोदय, जहाँ तक दूसरे मुद्दे का संबंध है यह मामला पूर्णतः राज्य से संबंधित है।

अध्यक्ष महोदय: सदस्य मात्र स्पष्टीकरण चाहते हैं।

श्री अरुण जेटली: जहाँ तक प्रथम मामले का संबंध है, हां यह हमारे ध्यान में लाया गया है। हमने इस तथ्य पर ध्यान दिया है क्योंकि हर एक घर में, जहाँ पर कि केबल कनैक्शन है, इसका प्रसारण होता है और समय-समय पर इस प्रकार के कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाता है जिनसे कि कार्यक्रम प्रसारण संहिता 'कोड' का उल्लंघन होता है जिसके अनुसार अश्लीलता पर पूर्णतः प्रतिबंध है। वास्तव में, यही कारण है जिस वजह से हमने यह महसूस किया कि वर्तमान कानून थोड़ा सा अपर्याप्त है। जैसा कि मैंने कहा कि यह अपर्याप्त इसलिए है क्योंकि अश्लीलता के विरुद्ध लगने वाले प्रावधान 'फ्री टू ऐअर' (मुक्त प्रसारण चैनल) पर लागू नहीं होते। अतः, हमने नया संशोधन किया जिसे हम सदन के समक्ष लेकर आये और जो सभी चैनलों पर समान रूप से लागू होता है चाहे वह 'पेड' चैनल हो या 'फ्री टू एयर' चैनल हो। दूसरा, इन कानून को लागू करने के लिए अक्षम मशीनरी थी। एक अपर्याप्त प्रावधान यह भी था यदि कोई लगातार कानून का उल्लंघन करता है तो उस पर रोक लगाने की शक्ति भी अपर्याप्त थी। यह सभी कमियां इस विधेयक से, जिसे कि आज की कार्यसूची में रखा गया है दूर कर दी गई हैं। हमने उनमें से प्रत्येक के लिए इस विधेयक में प्रावधान रखा है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, मुझे मंत्री महोदय से, जो कि विद्यार्थी और युवक आन्दोलन की एक देन हैं, उनसे अनेक आशाएं है। क्योंकि वे काफी प्रयासरत है, मैं उन्हें यह प्रश्न सम्बोधित करना चाहूंगा। उपग्रह चैनल जैसे-एम.टी.वी. (वी.) एन.टी.वी., उदया टी.वी., टी.वी.आई. आदि पर कुछ वर्षों से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम देश के नवयुवकों और भारतीय संस्कृति के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। यह कार्यक्रम समाज को नष्ट कर रहे हैं। ये कम्पनियाँ इस प्रकार के कार्यक्रम प्रसारित कर पैसा कमा रही हैं। शहरी क्षेत्रों में केबल आपरेटर स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय कैन्टीनों के आस-पास पुलिस अथवा कानून के नियंत्रण के बिना कार्यरत है। ऐसा क्यों हो रहा है मुझे नहीं पता। मैं इस प्रश्न को माननीय मंत्री महोदय को सम्बोधित करता हूँ। मंत्री महोदय को इस पर सजगता से विचार करना चाहिए। वे जो चीजें इस देश में कर रहे हैं, वह आने वाली पीढ़ी को बर्बाद करने के लिए पर्याप्त है। भारत में इस प्रकार की चीजें कभी नहीं हुई। हम भी अपने विद्यार्थी जीवन से बड़े हुए हैं।

दूसरे, फिल्म उद्योग को संरक्षण देने के लिए क्या मंत्री महोदय एक पहलू पर विचार कर सकते हैं जिसके बारे में मैं हर एक मंच पर चिल्ला-चिल्ला कर बोलता रहा हूँ। क्या वह समाज के सभी वर्गों के साथ विचार-विमर्श के पश्चात एक ऐसा कानून बना सकते हैं जिससे कि एक फिल्म के पहली स्क्रीनिंग के 15 दिनों तक उसके विडियो प्रोडेक्शन अथवा वीडियो कैलेट को जारी करने पर प्रतिबंध लग सके। यदि ऐसा नहीं किया गया तो फिल्म उद्योग भविष्य में बर्बादी की ओर अग्रसर हो जाएगा। फिल्म निर्माण से जुड़े लोग यह महसूस कर रहे हैं कि उनका कोई भविष्य नहीं हैं क्योंकि अधिकारिक रूप से एक फिल्म के दिखाए जाने के कम से कम एक सप्ताह पूर्व ही उस फिल्म को केबल टी.वी. पर दिखा दिया जाता है। अतः भारत के औद्योगिक हितों को ध्यान में रखकर क्या मंत्री महोदय अन्य सभी विभागों से परामर्श कर, इस बारे में एक सख्त कानून नहीं ला सकते जिससे कि इस चोरी को रोका जा सके और फिल्म निर्माण उद्योग में लगे लोगों के हितों की रक्षा की जा सके और फिल्म उद्योग का संवर्धन सुनिश्चित किया जा सके? मैं यह दो प्रश्न माननीय मंत्री जी के समक्ष रखता हूं जिन्हें कि मैं न केवल एक मंत्री ही समझता हूं वरन इस देश के सकारात्मक युवक आन्दोलन की देन भी मानता हूं।

श्री अरुण जेटली: मैं श्री प्रियरंजन दासमुंशी जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस प्रकार के गम्भीर मामलों के बारे में दो टिप्पणियाँ दीं।

जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जहाँ तक कुछ चैनलों का संबंध है। 'फ्री-टू-एयर' चैनल होने के नाते यह चैनल प्रसारण और विज्ञापन कोड के परिक्षेत्र से परे हैं। इस प्रकार के प्रावधान क्यों रखे गए, मैं इस बारे में नहीं जानता। हो सकता है कि ऐसा इस कारण किया गया है कि उद्योग प्रारम्भिक अवस्था में था और हमें सम्भवतः इस बात का अनुभव नहीं था कि यह किस प्रकार कार्य करेगा। अब जबकि हमें इसे देखते हुए लगभग 10 वर्ष हो चुके हैं, हम यह संशोधन ला रहे हैं और उनके अनुपालन के लिए तन्त्र भी उपलब्ध करवा रहे हैं। यदि मैं कार्यक्रम 'कोड' के प्रथम भाग को पढ़ता हूँ तो इसमें कहा गया है कि "केबल सेवा में कोई भी कार्यक्रम इस प्रकार का नहीं होना चाहिए जिससे सुरुचि और भद्रता का हनन होता हो।" 'कोड' का यह पहला प्रावधान है कि अनेक चैनलों पर लागू नहीं होता। एक बार इस नए ... के पास होने के बाद, आशा है कि यह लागू हो जाएगा और हम प्रयास करेंगे और इसे लागू करेंगे।

जहाँ तक फिल्म उद्योग के आर्थिक हितों को चोरी के कारण हो रहे नुकसान का प्रश्न है, वास्तव में ऐसा होता है। काफी विस्तृत स्तर पर चोरी होती है। वर्तमान कानून के अंतर्गत, जैसा कि मैंने माननीय सदस्य को पहले बताया है। प्रभावित फिल्म निर्माता अथवा वितरक को चोरी के विरुद्ध स्थगन आदेश लेने के लिए न्यायालय जाना पड़ता है। यदि चोरी, देश भर के एक हजार केबल ऑपरेटरों द्वारा की जाती है तो, वह एक हजार स्थानों पर जाने में असमर्थ होता है।

अतः हमें कापीराईट अधिनियम से भी एक अधिक प्रभावी तन्त्र की आवश्यकता है। अतः एक विस्तृत कानून के अंतर्गत जो कि सम्पूर्ण उद्योग से संबंधित है, जिस पर हम विचार कर रहे हैं, हमारे दिमाग में कुछ प्रावधान हैं जिनसे केबल उद्योग में चोरी रोकने और उन पर स्वतः कुछ अनुशासन लागू होने के बाद अंकुश लगेगा।

व्यापक कानून के संबंध में माननीय वित्त मंत्री महोदय की अध्यक्षता में एक समिति इस पर विचार कर रही है। व्यापक कानून को बनाते समय हम वास्तव में इस बात को ध्यान में रख रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री भान सिंह भौरा: अध्यक्ष जी, मैं मिनिस्टर साहब से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह ठीक है कि आज भी टी.वी. चैनलों पर सुपरस्टीसियस सीन्स दिखाई जाते हैं, आज भी गैर-वैज्ञानिक सीन दिखाये जाते हैं? जैसे शक्तिमान सीरियल था, जिसको देखकर बच्चे डरते थे, ऐसे सीन दिखाकर लोगों को गुमराह किया जाये, क्या यह ठीक है? एक तरफ तो हमारी साइंस और टेक्नोलोजी 21वीं सदी में पहुंच गई और दूसरी तरफ चैनलों वाले सुपरस्टीसियस सीन दिखा रहे हैं, आदमी को ऊपर उड़ा देते हैं, क्या ऐसे प्रोग्रामों को आप स्टाप करेंगे?

श्री अरुण जेटली: अध्यक्ष जी, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारे समाज में अपनी बात कहने का, अपने कार्यक्रम बनाने का, सिनेमा बनाने का हमने अपने नागरिकों को पूरा अधिकार दिया है। उस अधिकार पर जो अंकुश हैं, वे वही हैं, जो कानून में लगे हुए हैं। उस कानून में जो प्रोहिबीशन हैं या अंकुश हैं, उसके तहत कोई ऐसा सीरियल आता है तो उसका रोक पाना सम्भव होगा। अगर उसके बाहर होगा तो उसको रोक पाने का अधिकार सरकार के पास नहीं है।

श्री राम नगीना मिश्र: माननीय अध्यक्ष जी, हमारे पूर्व साथियों ने अनेक सवाल किये। आज टी.वी. की यह हालत है कि परिवार के लोग एक साथ बैठकर टी.वी. देखने में संकोच करते हैं, मां-बाप वहां से उठकर चले जाते हैं। जिस देश में नारी की पूजा होती रही है, उस देश में नारी का नंगा चित्र प्रदर्शन कराया जा रहा है और मंत्री जी बेबस हैं। भारतीय गौरव और भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए मैं मंत्री जी से मांग कर रहा हूं कि नारी का जो खुला नंगा चित्र दिखाया जा रहा है, उसको रोकेंगे और भारतीय संस्कृति की हिफाजत करेंगे? पाश्चात्य देशों की सभ्यता को भारतीय संस्कृति में प्रवृत्त किया जा रहा है, नंगा चित्र दिखाया जा रहा है, परिवार के साथ बैठकर उसको देख नहीं सकते हैं। मैं मंत्री जी से निवेदन कर रहा हूं कि आप कब वह नियम बनाएंगे, जिसमें नारी का नंगा चित्र प्रदर्शित न किया जाए?

श्री अरुण जेटली: अध्यक्ष जी, जो प्रोग्राम कोड का प्रावधान है, वह अश्लीलता के विरुद्ध है, इस प्रकार के नारी के प्रदर्शन के विरुद्ध है। केबल कानून के अतिरिक्त संसद ने एक कानून बनाया हुआ है, इनसीडेंट रीप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन्स प्रोहिबीशन एक्ट, उसके तहत किसी भी नारी का प्रदर्शन अश्लील प्रकार से नहीं किया जा सकता। उसी को एन्फोर्स करने के लिए, जिस कानून का आप जिक्र कर रहे थे, काफी मात्रा में जो नया संशोधन हम लाये हैं, जो आज संसद के समक्ष है, उस पर जब चर्चा होगी, उसमें अगर आप किसी सुधार का भी सुझाव देना चाहेंगे तो वह कानून उसी दिशा के अन्दर है।

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष जी, एक तरफ अश्लील प्रदर्शन, जिससे भारत की सभ्यता और संस्कृति पर हमला हो रहा है और

पश्चिमी सभ्यता इस देश पर हावी हो रही है और दूसरी तरफ देसी माल पर विदेशी ट्रेड मार्क लगाकर भारत की अर्थव्यवस्था पर भी किसी न किसी तरह से प्रभाव डाला जा रहा है। जो टी.वी. में दिखाया जा रहा है, खासकर महिलाओं की मेकअप का सामान, जिस पर विदेशी ट्रेड मार्क लगाया जा रहा है, उससे गांव स्तर पर असर पड़ा हुआ है। मैं यह जानना चाहता हूं कि आप कोई ऐसा कानून बनाएंगे कि जिसमें इसकी समीक्षा की कमेटी हो कि देसी माल पर देसी मोहर लगाकर बेचा जाये ताकि देश का पैसा देश में रहे? अश्लीलता के संबंध में ऐसा कोई कानून बनाएंगे, जिससे भारत की सभ्यता और संस्कृति पर हमला नहीं हो सके।

श्री अरुण जेटली: अध्यक्ष जी, जैसा मैं कह चुका हूं कि कुछ ऐसे प्रावधान हैं, जो केबल कानून के तहत नहीं आयेंगे, ट्रेड मार्क कानून के तहत आएंगे। इसलिए ट्रेड मार्क कानून में यह प्रावधान है कि देसी माल के ऊपर देसी नाम ही हो और किसी दूसरे का नाम आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, ऐसा कानून आज भी मौजूद है।

श्री प्रभुनाथ सिंह: लेकिन जो होता है, उसका क्या इंतजाम है?

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: देसी माल पर भगवान का नाम इस्तेमाल करते हैं, हमारे यहाँ राम बीड़ी बिकती है, क्या आपको यह पसन्द है?

[अनुवाद]

श्री पी.एच. पांडियन: अध्यक्ष महोदय, भारत देश का युवा मस्तिष्क श्रव्य-दृश्य शिक्षा के माध्यम से अपराध करने की तकनीक सीखता है। वे इन टी.वी. चैनलों को लगातार देखकर हिंसा सीखते हैं। अर्ध रात्रि के दौरान 'मसाला' नाम की चीज होती है। जबकि अश्लील गाने जिनमें युवा लड़कियाँ होती हैं, टी.वी. के माध्यम से दिखाई जानी है जिससे युवा वर्ग के दिमाग खराब होते हैं। क्या सरकार इस प्रकार के कार्यक्रमों के दिखाये जाने पर कोई रोक लगायेगी। जिन्हें रात्रि के दौरान 'मसाला' में देश भर में युवा लड़कियों को दिखाया जाता है।

अध्यक्ष महोदय: यह आधी रात के कार्यक्रमों के बारे में है।

श्री अरुण जेटली: यह प्रश्न भी जिसका मैंने पहले उत्तर दिया है उससे संबंधित है।

हम दोनों दिशाओं में एक तो लागू करने के तंत्र और दूसरे सभी चैनलों पर कार्यक्रम और विज्ञापन कोड लागू करने के लिए प्रयासरत हैं। अत: उन संशोधनों का प्रभाव, जो कि हम ला रहे हैं, शायद उस दिशा में पड़ेगा जिस बारे में श्री पांडियन ने अपनी चिन्ता व्यक्त की है।

श्रीमती कृष्णा बोस: अध्यक्ष महोदय, अश्लीलता के प्रश्न और हमारे साथियों के द्वारा कही गई कुछ बातों के अतिरिक्त कुछ ऐसे विज्ञापन हैं जो कि बच्चों के लिए अत्यन्त खतरनाक हैं क्योंकि बच्चे उन विज्ञापनों का नकल करने का प्रयास करते हैं। वो एक शीतल पेय पीने के लिए ऊंचाई से कूद जाते हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या आपके पास इस प्रकार के विज्ञापनों को रोकने के लिए कोई तंत्र है?

श्री अरुण जेटली: कानून के अंतर्गत विज्ञापन संहिता 'कोड' अत्यन्त स्पष्ट है। इस प्रकार का कोई भी विज्ञापन, जिससे किसी प्रकार की गड़बड़ी हो, हिंसा हो, अप्राकृतिक विश्वास अथवा किसी भी प्रकार की अश्लीलता को महिमा मंडित किया गया हो, विज्ञापन 'कोड' के अंतर्गत उसकी अनुमति नहीं है *...(व्यवधान)*

प्रो. ए.के. प्रेमाजम: पेप्सी और कोका कोला के विज्ञापनों में व्यक्ति को आकाश से उछलते हुए दिखाया जाता है *...(व्यवधान)* ऐसे विज्ञापन प्रतिदिन दिखाये जाते हैं। ये आज भी दिखाये जाते हैं *...(व्यवधान)*

श्रीमती कृष्णा बोस: कृपया, उन्हें जवाब देने दीजिए।

श्री अरुण जेटली: विज्ञापन संबंधी संहिता में इसके खिलाफ पहले से ही एक प्रावधान है। समस्या यह थी कि 1995 में बने इस कानून के अंतर्गत दिये गये यह विज्ञापन संहिता सभी चैनलों के लिए लागू नहीं थे। हमारे वर्तमान संशोधन का उद्देश्य एक ऐसा कानून लागू करना है जो सभी चैनलों के लिए लागू हो ताकि इस विज्ञापन का पालन न करने वाले चैनलों को इस विशेष कानून के दायरे में लाया जा सके।

श्री पवन कुमार बंसल: सभापति महोदय, कुछ वर्षों पहले दोहरे अर्थ वाले गानों की भरमार थी। इन्हें सख्ती से बंद क़िया गया। आज, मैं देखता हूँ कि माननीय मंत्री जी को (क) तथा (ख) भागों में दिये गये उत्तर में एक ऐसा शब्द आया है जिसका दोहरा अर्थ है। उत्तर में कहा गया है:

> "केबल टेलीविजन नेटवर्क नियमावली के अंतर्गत विज्ञापन संहिता में यह व्यवस्था है कि केबल आपरेटरों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उनकी केबल सेवा के माध्यम से प्रसारित कार्यक्रमों में महिलाओं का चित्रण सुरुचिपूर्ण तथा सौन्दर्यपरक हो।"

मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे शब्द सुरुचिपूर्ण को हटा दे तथा केवल 'सुरुचि और शालीनता' शब्दों को ही रहने दें।

इसके अतिरिक्त मुझे खेद है कि माननीय मंत्री प्रश्न के भाग (घ) का जवाब इस प्रकार देते हैं:

"भारत में बाहर से अपलिंक किये जाने वाले सेटेलाईट टी.वी. चैनल इन कार्यक्रम और विज्ञापन संहिताओं का पालन करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं है।"

माननीय मंत्री जी के पास इस समस्या का समाधान यही है कि ऐसे चैनलों को संहिता के अध्यधीन भारत से अपलिंक करने की अनुमति दे दी जाये। लेकिन यह समस्या वही की वही बनी रहेगी। यदि ये चैनल हमारी संस्कृति के विपरीत कुछ भी दिखाते हैं तथा ऐसा हमेशा दिखाते रहे। हो सकता है तब वे भारत से अपने कार्यक्रमों का अपलिंक न करे। विभिन्न प्रकार के विज्ञापनों के बारे में जिक्र किया गया है। लेकिन केवल आज दिखाये जाने वाले धारावाहिकों के बारे में बात करूंगा। सभी धारावाहिकों में केवल एक ही विषय रहता है और वो है–अवैध संबंध। यहां तक की सीमा पर चौकसी करने वाले लोगों को भी शराब के लिए दूसरे लोगों द्वारा बहलाते हुए दिखाया जाता है।

महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से केवल दो बातें पूछना चाहता ...नका कहना है कि वर्तमान कानून को देखते हुए ये इसका ...न करने के कानूनी रूप से लिए बाध्य नहीं है। यह तो हुई पहली बात। क्या इन लोगों को इस दायरे में लाने के लिए कानून बनाने की कोई संभावना है? दूसरी बात, यदि ऐसा किसी भी अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय अथवा किसी अन्य बात के अंतर्गत वास्तव में संभव नहीं है तो संभवत: वह कौन सा तरीका है जिसके द्वारा हम सरकार द्वारा नियुक्त निगरानी प्राधिकरण की मदद से ऐसे कार्यक्रमों पर अंकुश लगा सकते हैं?

श्री अरुण जेटली: मैं माननीय सदस्य का अत्यंत आभारी हूं कि उन्होंने वर्तमान समस्या की सही रूप रेखा प्रस्तुत की। जहां तक इस समस्या का संबंध है। सरकार का इस ओर एक तरफा दृष्टिकोण नहीं है। ऐसे अनेक चैनल हैं जिन्हें भारत के बाहर से अपलिंक किया जा रहा है। चूंकि ये चैनल बाहर से अपलिंक किया जा रहा है, इनके सेटेलाइट पदचिन्ह देशभर में उपलब्ध है। इन चैनलों को अनुशासित करने में कठिनाइयां है क्योंकि इनकी गतिविधियों का मुख्य केन्द्र भारत से बाहर है। हमें उनके केवल प्रतियां ही प्राप्त हो पाते हैं। इसीलिए सरकार द्वारा अपलिंक नीति का उदारीकरण करने का एक प्रयास किया गया है जिसके अंतर्गत इन चैनलों को भारत से अपलिंक करने की अनुमति दी जायेगी जो पहले नहीं थीं। इन चैनलों को सुरक्षा संबंधी स्वीकृति लेनी होगी तथा भारतीय प्रसारण और विज्ञापन संहिता का पालन करने का जिम्मा लेना होगा। यह एक दृष्टिकोण है।

दूसरा दृष्टिकोण जिसके बारे में माननीय सदस्य जानना चाहते थे वह इस प्रकार है। यदि ये फिर भी चैनल भारत में अपलिंक करने नहीं आते, तो हम इस समस्या का समाधान कैसे करेंगे। क्या कानून में संशोधन करने से ऐसा संभव है? यही वह समस्या है जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूं और यह समस्या आज बनी हुई है। ये चैनल भारत के बाहर से अपलिंक करेंगे तथा ये 'फ्री टू एअर' चैनल होंगे और इनके पदचिन्ह भारत आ जायेंगे *...(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल: उन्हें उत्तर देने दीजिए। वह इसका उत्तर ठीक प्रकार से दे सकते हैं।

श्री अरुण जेटली: 'फ्री टू एअर चैनल' चाहे भारत के बाहर से अथवा अन्दर से अपलिंक किये गये, ये चैनल हमारे कानून, अर्थात प्रसारण और विज्ञापन संहिताओं के अंतर्गत नहीं थे। एक बार यह प्रस्तावित संशोधन स्वीकृत तथा कार्यान्वित हो जाये तो इस समस्या का समाधान हो सकता है। हमारे पास कई संशोधन है जिन्हें हमने आज सुझाया है। हमने न केवल इनको सभी केन्द्रों पर लागू करना है बल्कि हम अधिकारियों की नियुक्ति भी करेंगे। ऐसा अधिनियम के अंतर्गत ही किया जा सकता है। अत: प्रत्येक जिला मजिस्ट्रेट अथवा उप प्रभागीय मजिस्ट्रेट अथवा पुलिस आयुक्त को यह अधिकार होगा कि वह अपने-अपने क्षेत्र में उस केबल ऑपरेटर को पकड़ सकता है जो ऐसा कोई भी कार्यक्रम दिखा रहा है जो संहिता के विरुद्ध हो।

हमने ऐसे कानून तोड़ने वालों के उपकरण को जब्त करने के संबंध में भी प्रावधान किये हैं। वर्तमान एक प्रावधान है जिसे लागू नहीं किया गया क्योंकि इसके लिए प्राधिकृत अधिकारी नहीं थे। ऐसे मामलों के लिए प्रावधान है वे उसका निषेध कर सकते हैं तथा उन चैनलों के खिलाफ आदेश दे सकते हैं।

इस बात के लिए विभिन्न संशोधन सुझाये गये हैं कि भारत में स्वतंत्र अभिव्यक्ति की सीमाओं के भीतर भी तथा अश्लील तथा भद्दे कार्यक्रम भारत में दिखाने का अधिकार नहीं है।

चूंकि माननीय सदस्य ने रात्रि 11 बजे से 6 बजे के बीच वयस्कों के लिए दिखाए जाने वाले कार्यक्रमों के चैनलों को चलाने के संबंध में 1995 से नियमों के बारे में अनुमति के विषय में प्रश्न पूछा है कि इस पहल पर विचार किया जा रहा हैं। मैं यहां यह भी बताना चाहूंगा कि हमें इसके खिलाफ कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इसलिए यह नियमों का एक भाग है। यह एक अन्य प्रावधान है। जिस पर हम गंभीरता से पुनर्विचार कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते: अध्यक्ष जी, साठ प्रतिशत से ज्यादा आबादी हमारे ग्रामीण क्षेत्र में रहती है। अभी शहरों में आबादी बढ़ती जा रही है, इसीलिए साठ प्रतिशत से ज्यादा मैंने कहा है और ग्रामीण क्षेत्र में इलिट्रेसी का प्रतिशत ज्यादा है। हम हमेशा अखबारों में ये खबरें पढ़ते हैं कि जादुई प्रकार के कारण किसी महिला की गांव वालों ने हत्या कर दी क्योंकि वह जादू करती है। इसलिए अघोरी विद्या को हासिल करने के लिए बच्चों की बलि दी जाती है। अन्ध-श्रद्धा आज भी काफी मात्रा में हमारे देश

में है और इसी समय कुछ चैनल्स और केबल ऑपरेटर्स द्वारा इसी अन्ध-श्रद्धा को बढ़ावा देने वाले सीरियल्स दिखाये जाते है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अन्ध-श्रद्धा को बढ़ावा देने वाले जो सीरियल्स प्राइवेट चैनल्स और केबल ऑपरेटर्स द्वारा दिखाये जाते हैं, उन पर पाबंदी लाने के लिए क्या बंदोबस्त किया जा रहा है?

श्री अरुण जेटली: कानून के तहत 1995 में भी जो प्रोग्रामिंग कोड बना था जिसके इम्पलीमेंटेशन में कठिनाइयां आ रही थीं और जिसे लागू करने का हम प्रयास कर रहे हैं, उसके अंदर भी यह प्रावधान है कि ऐसा कोई कार्यक्रम टेलीकास्ट नहीं किया जाएगा।

[अनुवाद]

जो अंधविश्वास को बढ़ावा दे।

[हिन्दी]

इस प्रकार का प्रावधान था। उसको लागू करने में कठिनाई थी क्योंकि यह कानून बहुत बड़े वर्ग पर लागू नहीं होता था। इसलिए उसे लागू करने की मशीनरी और उसकी एप्लीकेबिलिटी भी एक्सपेंड होती है तो उसके बाद हम प्रयास करेंगे कि इस प्रकार के कार्यक्रम न आये। जो टेलीविजन कंपनी हैं, उनके लिए भी यह कानून एप्लीकेबल होगा।

[अनुवाद]

भारतीय समुद्री उत्पादों के बारे में शिकायतें

*282. **श्री ए. ब्रह्मनैया:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनेक देशों ने उन्हें निर्यात किए जा रहे भारतीय समुद्री उत्पादों की खराब पैकेजिंग और स्वच्छता की कमियों के बारे में शिकायत की है;

(ख) यदि हां, तो क्या आयातकों ने इस संबंध में अप्रसन्नता व्यक्त की है;

(ग) स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(घ) सरकार द्वारा निर्यात हेतु समुद्री उत्पादों की गुणवत्ता और पैकेजिंग के सुधार हेतु झींगा निर्यातकों को दी जा रही सहायता का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) से (घ) एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) हालांकि भारत से समुद्री उत्पादों का आयात करने वाले किसी भी देश से घटिया, पैकेजिंग के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, फिर भी कुछ सुझाव आते रहे हैं कि पैकेजिंग की गुणवत्ता में सुधार किया जाए। तथापि, कुछ देशों से स्वास्थ्य संबंधी कमियों के बारे में गुणवत्ता से संबंधित कुछेक शिकायतें आती रही हैं।

(ग) शिकायतें दूर करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

(1) निर्यात निरीक्षण परिषद ने मत्स्य तथा मत्स्य उत्पाद संस्थाओं पर कड़ी निगरानी रखने के लिए एक प्रणाली तैयार की है ताकि वे भारत सरकार द्वारा अधिसूचित विभिन्न उत्पादों के संबंध में गुणवत्ता मानकों का पालन करें।

(2) निर्यात निरीक्षण अभिकरणों (ई.आई.ए.) की प्रयोगशालाओं को भारत सरकार द्वारा समुद्री उत्पादों के निर्यात के लिए जारी दिशानिर्देशों/आवश्यकताओं के अनुसार मत्स्य तथा मत्स्य उत्पादों की जांच के लिए पर्याप्त रूप से सुसज्जित किया गया है।

(3) जब भी कोई विशिष्ट गुणवत्ता संबंधी शिकायत प्राप्त होती है, ई.आई.सी. शिकायत की सच्चाई जानने और उपचारात्मक कार्रवाई करने के लिए कठोर कार्रवाई करती है। संबंधित प्रसंस्करण इकाई द्वारा संतोषजनक उपचारात्मक उपाय किए जाने के पश्चात ही ई.आई.सी., उक्त इकाई पर लगाए गए नियंत्रण उपायों को हटाने की अनुमति देती है।

(4) भारत सरकार ने समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम्पीडा) से कहा है कि भारत में पैकेजिंग की स्थिति के बारे में भारतीय पैकेजिंग संस्थान (आई.आई.पी.) से एक अध्ययन कराया जाए और देश में पैकेजिंग की गुणवत्ता में सुधार की सिफारिशें प्रस्तुत की जाएं। उक्त अध्ययन किया जा रहा है।

(5) जब भी किसी विशेष बाजार (रों) के संबंध में कोई विशिष्ट गुणवत्ता मुद्दा उठाता है, एम्पीडा मामले को हल करने के लिए संबंधित प्राधिकारियों के साथ बातचीत करता है।

(घ) सरकार द्वारा श्रिम्प निर्यातकों सहित समुद्री उत्पादों के निर्यातकों को उपलब्ध कराई जा रही सहायता में अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं - मत्स्य तथा मत्स्य उत्पाद प्रसंस्करण संस्थाओं द्वारा आधुनिकीकरण के लिए कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं आदि के रूप में प्राप्त किए गए ऋणों पर ब्याज की रियायती दरें, विभिन्न सुविधाओं और गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं की स्थापना

के उन्नयन के लिए विभिन्न प्रकार के उपकरण और मशीनरी की खरीद के लिए इमदाद देना। इसके अलावा, एम्पीडा तथा ई.आई.सी. प्रसंस्करण संयंत्रों में कार्यरत तथा गुणवत्ता नियंत्रण के लिए जिम्मेदार प्रौद्योगिकी-विदों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं। प्रसंस्करण-पूर्व खण्डों, प्रसंस्सकरण संयंत्रों में कार्यरत श्रमिकों तथा मछुआरों के लिए उत्पादों की स्वास्थ्यकर हैंडलिंग के संबंध में कुछ गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। एम्पीडा के अनुरोध पर, भारतीय पैकेजिंग संस्थान पहले ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पैकेजिंग की आवश्यकताओं का अध्ययन करने और भारत में समुद्री खाद्य क्षेत्र में पैकेजिंग के मानकों में सुधार करने के लिए उपाय सुझाने में कार्यरत है।

श्री ए. ब्रह्मनैया: अध्यक्ष महोदय, यह सर्वविदित है कि गत दस वर्षों से आंध्र प्रदेश तथा भारत के पूर्वी तटीय क्षेत्र झींगा तथा प्रान जैसे समुद्री उत्पादों के निर्यात के अति महत्वपूर्ण स्रोत बन गये हैं। सामान्य तौर पर आंध्र प्रदेश के किसानों तथा विशेषरूप से विशाखापत्तनम, प्रकासाम तथा नेल्लौर जैसे कृष्णा तथा पूर्व-पश्चिमी गोदावरी जिलों के किसानों ने बहुत धन इसमें निवेश किया हुआ है। लेकिन हम पाते हैं कि समुद्री उत्पाद निर्यात प्राधिकरण ने मछली पकड़ने वाले किसानों को उचित क्षेत्र दान करने में उनकी सहायता देने की तरफ पर्याप्त व्याप्त नहीं दिया है तथा पैकेज तैयार करने वालों तथा निर्यातकों को मानकों को बनाये रखने में कोई सहायता नहीं दी है। कई बार जापान और अमेरिका जैसे देशों ने खराब गुणवत्ता के आधार पर भारतीय झींगा को अस्वीकार कर दिया है। जिसके परिणामस्वरूप किसानों को अधिक हानि उठानी पड़ रही है।

महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने पैकेज तैयार करने वालों तथा निर्यातकों को उचित ढंग से सलाह क्यों नहीं दी है तथा मछली पकड़ने वाले किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार क्या कदम उठायेगी।

श्री मुरासोली मारन: महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस बारे में कोई पक्षपात नहीं होता है। मछली-पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है तथा समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अपने निर्यात को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है तथा मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि निर्यात में सुधार हो रहा है। उदाहरण के लिए, इस वर्ष अप्रैल तथा जून के बीच निर्यात में 33.40 प्रतिशत रुपये की कीमत तथा 29.40 प्रतिशत डॉलर की कीमत के हिसाब से बढ़त हुई है। यदि माननीय सदस्य किसी विशेष शिकायत को सामने लाये तो हम उसके बारे में जरूर जांच करेंगे।

श्री ए. ब्रह्मनैया: महोदय, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण मूल रूप से केरल में स्थित है। लेकिन बहुत से निर्यातक आंध्र प्रदेश राज्य से हैं *...(व्यवधान)*

प्रो. ए.के. प्रेमाजम: नहीं, महोदय *...(व्यवधान)*

श्री ए. ब्रह्मनैया: आंध्र प्रदेश में लगभग 1,30,000 हेक्टेयर भूमि पर प्रॉन पालन होता है।

अध्यक्ष महोदय: क्या आप इसके लिए भी सदन में शोर मचाना चाहते हो?

श्री ए. ब्रह्मनैया: मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार आंध्र प्रदेश में समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के कार्य-निष्पादन में सुधार करने के लिए कोई कदम उठाना चाहती है *...(व्यवधान)* मैं माननीय मंत्री जी से इस बारे में स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री मुरासोली मारन: महोदय, सभी दक्षिण के राज्य इस बारे में अच्छा कार्य कर रहे हैं। विशेष रूप से तटीय राज्य तो बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं एक राज्य की तुलना दूसरे से नहीं करना चाहता हूं। पूर्ववत स्थिति ही ठीक है। अत: परिवर्तन की कोई जरूरत नहीं है।

श्री वी.एम. सुधीरन: हाल ही में अरूर में एक सेमिनार हुआ था जिसमें समुद्री क्षेत्र से जुड़े प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। सेमिनार में प्रस्तावित अतिमहत्वपूर्ण सुझावों में से एक सुझाव यह था कि केन्द्र और राज्य सरकारों के सभी संबंधित विभागों, संबंधित क्षेत्र के निर्वाचित जन प्रतिनिधियों, तथा समुद्री क्षेत्र के निर्यातकों, रोड छीलने वालों के मालिकों तथा श्रमिकों को मिलाकर एक परिषद बनाई जाये। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस सुझाव पर विचार करेगी। यदि हां, तो इससे पहले क्या सरकार इस क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को साथ प्रणाली तथा क्षेत्र के बारे में बेहतर समझ कायम करने के लिए विचार-विमर्श करेगी।

श्री मुरासोली मारन: मैं सभा तथा माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं कि समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के नाम से पहले से ही एक प्राधिकरण है जो यह काम कर रही है। इतना ही नहीं, निर्यात निरीक्षण परिषद तथा निर्यात निरीक्षण एजेन्सियों की भरमार है। इसलिए मेरे विचार से किसी और एजेन्सी की आवश्यकता नहीं है। यदि माननीय सदस्य कोई शिकायत सामने लाते हैं तथा यदि कोई त्रुटि है तो हम अवश्य इसकी जांच करेंगे। वर्तमान में, मेरे विचार से अन्य एजेन्सी की आवश्यकता नहीं है।

श्री वी.एम. सुधीरन: क्या आप सभी संबंधित व्यक्तियों की एक बैठक बुलायेंगे?

श्री मुरासोली मारन: हम समय-समय पर ऐसा कर रहे हैं।

श्री तरित बरण तोपदार: महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में अनेक कार्य करने की बात कही है। उनका जवाब बड़ी विस्मयकारी तस्वीर पेश करता है। क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि क्या वे एम.पी.डी.ए. की गतिविधियों की कड़ी

निगरानी करने और उन्हें और बढ़ाने का विचार कर रहे हैं? दूसरे, अनेक आयात करने वाले देशों ने गुणवत्ता पर प्रश्नचिन्ह लगाया है। अतएव, सरकार ने विशेष वस्तुओं विशेषरूप से निर्यात वस्तुओं के बारे में गुणवत्ताबोध विकसित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

श्री मुरासोली मारन: महोदय, मेरी जानकारी के अनुसार एमपीईडीए अच्छा कार्य कर रहा है। यदि माननीय सदस्य किन्हीं कमियों के बारे इंगित करते हैं तो उन पर ध्यान दिया जाएगा।

महोदय, दूसरे, निर्यात की दृष्टि से गुणवत्ता बहुत आवश्यक है। सभी देश चाहे वह यूरोपीय संघ, अमरीका और जापान कोई भी क्यों न हो। गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। यदि गुणवत्ता खराब है तो यह स्वास्थ्य और मानव जीवन के लिए खतरनाक साबित हो सकता है।

श्री तरित बरण तोपदार: आपने स्वीकार किया है कि अनेक शिकायतें हैं।

श्री मुरासोली मारन: इसलिए, हम लोग गुणवत्ता बनाए रखने पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। यदि खराब गुणवत्ता वाले उत्पाद निर्यात किये जाते हैं तो यह भारत के नाम पर ही धब्बा नहीं लगाएगा बल्कि यह मानव जीवन के लिए खतरा बनेगा। अत: हम लोग इस कार्य में लगे लोगों को गहन प्रशिक्षण दे रहे हैं और यह कार्य जारी रहेगा।

पर्यटन का विकास

*283. **श्री होलखोमांग हौकिप:** क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत अपनी पर्यटन क्षमताओं का पूरी तरह उपयोग नहीं कर पा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान देश में पर्यटन के विकास हेतु राज्यवार आबंटित धनराशि और वास्तविक रूप से उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा शुरू की गई निर्माणाधीन पर्यटन परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त परियोजनाओं के विशेषकर मणिपुर में कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) से (ङ) एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) भारत की पर्यटन संभावनाओं का आंकलन निर्धारित नहीं किया जा सकता है। देश में अधिकाधिक विदेशी पर्यटकों को आकृष्ट करने की दिशा में काफी प्रगति हुई है तथा स्वदेशी पर्यटन को भी बढ़ावा दिया गया है। सरकारी नीतियों, कार्यक्रमों, तथा योजनाओं को भारत की पर्यटक संभावनाओं के पूर्ण उपयोग करने के अनुकूल बनाया गया है।

(ग) से (ङ) वर्ष 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान स्वीकृत परियोजनाएं तथा उनके लिए स्वीकृत धनराशि के राज्यवार ब्यौरे अनुलग्नक I पर हैं। परियोजनाओं का कार्यान्वयन राज्य सरकारों तथा इसके अभिकरणों द्वारा किया जाता है। किसी परियोजना के पूर्ण होने में परियोजनाओं की प्रकृति के अनुसार लगभग 30 माह लगते हैं तथा मणिपुर के लिए भी ऐसा ही है। वर्ष 1999-2000 में मणिपुर के लिए स्वीकृत परियोजनाओं का विस्तृत विवरण अनुलग्नक II पर है।

अनुलग्नक I

वर्ष 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान स्वीकृत परियोजनाओं तथा स्वीकृत धनराशि (परियोजनाओं में मेले और उत्सव शामिल हैं) का ब्यौरा

(रुपये लाखों में)

क्रम सं.	राज्य	1997-98			1998-99			1999-2000		
		स्वीकृत परि-योजनाओं की सं.	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि	स्वीकृत परि-योजनाओं की सं.	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि	स्वीकृत परि-योजनाओं की सं.	स्वीकृत राशि	अवमुक्त
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	12	206.70	69.10	10	244.08	87.85	14	222.22	54.49
2.	असम	14	288.88	94.20	15	457.95	146.14	17	357.35	76.96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	अरुणाचल प्रदेश	9	271.00	82.50	6	216.32	65.55	11	239.28	51.03
4.	बिहार	11	233.07	76.37	11	237.29	86.68	5	89.71	21.00
5.	गोवा	8	114.62	56.76	14	319.98	114.07	11	279.82	66.43
6.	गुजरात	7	111.84	41.90	15	449.57	126.04	19	327.64	75.59
7.	हरियाणा	6	98.62	44.83	12	333.93	128.10	9	238.33	63.07
8.	हिमाचल प्रदेश	5	119.00	57.50	10	318.00	164.50	17	691.29	191.79
9.	जम्मू एवं कश्मीर	10	293.35	173.25	6	192.85	84.50	16	334.58	94.93
10.	कर्नाटक	10	130.78	60.66	12	399.82	117.47	38	856.40	135.73
11.	केरल	11	287.00	115.00	13	653.05	117.95	19	699.28	137.45
12.	मध्य प्रदेश	10	141.85	55.37	18	441.39	169.72	16	431.08	45.70
	महाराष्ट्र	12	169.84	49.14	18	496.27	179.67	30	1003.69	169.02
	मणिपुर	5	186.11	56.35	8	140.49	41.40	10	229.00	70.10
15.	मेघालय	5	97.70	30.55	5	120.48	37.50	5	30.72	6.46
16.	मिजोरम	6	142.45	43.50	8	203.34	62.90	13	292.17	94.41
17.	नागालैण्ड	3	113.90	51.36	11	230.54	69.00	16	291.80	93.75
18.	उड़ीसा	28	552.05	180.00	6	178.60	56.30	19	301.90	78.79
19.	पंजाब	6	52.87	15.72	7	242.14	150.33	8	175.00	42.51
20.	राजस्थान	14	135.33	76.05	22	436.28	146.90	12	131.12	34.34
21.	सिक्किम	11	73.20	36.95	15	136.03	58.92	13	118.98	43.57
22.	तमिलनाडु	7	59.74	22.86	17	316.20	115.85	26	493.85	99.51
23.	त्रिपुरा	8	126.68	44.65	9	169.21	53.00	7	340.76	99.12
24.	उत्तर प्रदेश	13	221.10	78.17	41	869.85	350.14	36	755.45	176.11
25.	पश्चिम बंगाल	7	125.76	35.00	12	211.13	65.37	6	194.01	12.73
26.	अण्डमान और निकोबार	–	–	–	4	162.50	49.50	1	32.37	16.18
27.	चण्डीगढ़	–	–	–	3	55.18	17.95	4	69.59	13.91
28.	दादर नगर हवेली	1	5.20	2.60	2	20.00	6.00	1	30.00	9.00
29.	दिल्ली	8	233.43	143.34	13	223.89	104.43	5	24.50	12.20
30.	दमन और द्वीव	4	60.17	17.25	–	–	–	–	–	–
31.	लक्षद्वीप	1	5.00	2.50	1	29.00	13.80	–	–	–
32.	पांडिचेरी	4	35.64	12.83	2	15.00	4.50	10	163.89	52.04
	जोड़	256	4722.88	1826.26	346	8520.36	2992.03	414	9445.78	2137.92

अनुलग्नक II

वर्ष 1999-2000 के लिए मणिपुर को परियोजनावार स्वीकृत और अवमुक्त की गई राशि की सूची

(लाख रुपयों में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि	परियोजना का स्तर
1.	सेन्ड्रा में टूरिस्ट होम में पार्किंग का निर्माण	10.00	3.00	
2.	इम्फाल-चूराचान्दपुर-तिपाईमुख आईजोल रोड के साथ-साथ थानलोन में टूरिस्ट होम का निर्माण	36.00	10.80	
3.	नागालैण्ड बार्डर के पास जेसामी में टूरिस्ट होम का निर्माण	25.00	7.50	
4.	टूरिस्ट होम चन्देल डिस्ट्रीक हैडक्वार्टर का निर्माण	36.00	10.80	
5.	सेनापति में मार्गस्थ सुविधाओं का निर्माण	15.00	4.50	
6.	कोबरा लिकाई में बेस कैम्प का निर्माण	35.00	10.50	
7.	मौरिंग थेजिंग में पर्यटक मनोरंजन सुविधाओं, गैलरी तथा प्लेटफार्म का निर्माण	40.00	12.00	
8.	मेले और उत्सव (दो परियोजनाएं)	7.00	3.50	
9.	चिंगोई बरूनी में टूरिस्ट होम	25.00	7.50	
	जोड़:	229.00	70.10	

श्री होलखोमाँग हौकिप: महोदय, यह विचित्र प्रबंध है क्योंकि मुझे उत्तर ही नहीं मिलते हैं? प्रश्नकर्ता को प्रश्न का उत्तर एक दिन पूर्व मिल जाना चाहिए लेकिन, मुझे उत्तर नहीं मिलता है। मैं यह प्रश्न पूछना चाहता हूँ। विदेशियों को पूर्वोत्तर जाने की अनुमति नहीं दी जाती है। उन्हें तीन अथवा चार के समूह में आना पड़ता है। गृह मंत्रालय द्वारा लगाए गए अनेक प्रतिबंधों के कारण वहां पर पर्यटन का विकास नहीं हुआ है। मैं जानना चाहता हूँ कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए इतने कड़े नियम क्यों बनाए गए हैं। पूर्वोत्तर भी भारत में है। यह कोई दूसरा देश नहीं है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्यों कोई प्रबंध नहीं किये गये हैं।

श्री अनन्त कुमार: महोदय, पूर्वोत्तर भारत का अभिन्न अंग है। लेकिन विद्रोही आन्दोलन और खराब कानून व्यवस्था के चलते वहाँ पर तीन परमिट प्रचलन में हैं। ये हैं-प्रतिबंधित सेवा परमिट, संरक्षित क्षेत्र परमिट और आन्तरिक रेखा परमिट। राष्ट्र की सुरक्षा और अखण्डता को ध्यान में रखते हुए, ये परमिट केन्द्रीय गृह मंत्रालय और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा लागू किये जाते हैं। इसके बावजूद, हम अनेक प्रकार की ढांचागत सुविधाएं और अन्य चीजें प्रदान कर रहे हैं ताकि पूर्वोत्तर में पर्यटन का विकास हो सके।

श्री होलखोमाँग हौकिप: कश्मीर की तरह, पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक भी विदेशी पर्यटक के अपहरण की घटना नहीं हुई है। सरकार कश्मीर में पर्यटकों को बेरोक-टोक आने दे रही है लेकिन उन्हें पूर्वोत्तर क्षेत्र जाने से रोका जाता है। यह किस तरह का इन्तजाम है। माननीय मंत्री महोदय को इस संबंध में केन्द्रीय गृह मंत्री से बात करनी चाहिए ताकि पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्यटन का विकास हो सके।

श्री अनन्त कुमार: महोदय, हम इस संबंध में गृह मंत्री महोदय से सक्रिय रूप से बातचीत करेंगे। हम गृह मंत्री महोदय से आग्रह करेंगे कि उपद्रवों और बगावती गतिविधियों से मुक्त क्षेत्रों में इन परमिटों में थोड़ी ढील दी जाए।

श्री अनादि साहू: महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में इंगित किया है कि उड़ीसा को विभिन्न परियोजनाओं के लिए निम्नवत् धनराशि स्वीकृत की गई थी। वर्ष 1997-98 में 552 लाख, 1998-99 में 178 लाख और 1999-2000 में 1 लाख रुपए। लेकिन जारी की गई धनराशि अभिकल्प थी। यह 1997-98 में 180 लाख 1998-99 में 56 लाख और 1999-2000 में मात्र 78 लाख रुपये थी। मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में यह भी इंगित किया है कि एक परियोजना को पूरा होने में लगभग 30 महीने लगते हैं। जैसाकि गत दो वर्षों में धनराशि जारी नहीं की गई है अतएव, परियोजनाओं को पूरा करना कठिन होगा। मैं, आपके माध्यम से, मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूँ कि धनराशि जारी नहीं करने के कारणों पर भी प्रकाश डालें।

श्री अनंत कुमार: महोदय, केन्द्रीय सरकार विभिन्न विरासत स्थलों और पर्यटक स्थलों में विभिन्न बुनियादी सुविधाओं के लिए बुनियादी ढांचे के विकास के लिए संसाधन प्रदान करती है। यह योजना इस प्रकार है। जैसे ही अनुमोदन दिया जाता है, धनराशि मंजूर कर दी जाती है और 30 प्रतिशत राशि जारी कर दी जाती है। तदुपरान्त, उपयोगिता प्रमाण-पत्र मिलने पर अन्य 50 प्रतिशत राशि दे दी जाती है। 50 प्रतिशत धनराशि के लिए उपयोगिता प्रमाण-पत्र मिलने पर शेष 20 प्रतिशत राशि दे दी जाती है। उड़ीसा सहित विभिन्न राज्यों की समस्याएं यह हैं कि हमें प्रस्ताव समय से नहीं मिलते हैं। दूसरे, राज्य सरकारें भूमि का अधिग्रहण नहीं करती है और संबंधित भूमि-रिकार्ड को केन्द्रीय सरकार को प्रेषित नहीं करती हैं। और तीसरे, उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता है। यदि राज्य सरकारों द्वारा ये तीन बातें सक्रियतापूर्वक पूरी कर दी जाती है तो हम उस ढांचागत परियोजना के लिए पूरी धनराशि दे देते हैं। यद्यपि हमने कहा है कि इसमें 30 महीने लगते हैं लेकिन कहीं कहीं पर राज्य सरकारों द्वारा इन परियोजनाओं को मात्र 18 महीने में ही पूरा कर लिया गया है।

[हिन्दी]

श्री अनंत गुढ़े: माननीय अध्यक्ष जी, हर साल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नयी परियोजनाएं बनायी जाती हैं, मैं बहुत ही सिम्पल प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जो परियोजनाएं बनाते हैं उनमें से आज तक कितनी पूरी कर सकें। जितना टाइम दिया, उतने टाइम में कितनी परियोजनाएं पूरी कीं और अगर वे पूरी नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई। मंत्री जी इसका जवाब दें? मैं यह जानना चाहता हूँ कि कितनी परियोजनाएं मंजूर की थीं और उनमें से कितनी पूरी हो गई हैं।

[अनुवाद]

श्री अनंत कुमार: महोदय, वर्ष 1997 से 2000 के बीच विभिन्न बुनियादी ढ़ांचागत परियोजनाओं के लिए 226 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं। ढांचागत परियोजनाओं की संख्या लगभग 1016 है और अब तक 70 करोड़ रुपये जारी किये गये हैं। मैं माननीय सदस्य को इसका ब्यौरा भेज दूंगा और इस माननीय सभा को अवलोकन के लिए भी इस ब्यौरे को रखूंगा।

[हिन्दी]

श्री अनंत गुढ़े: मेरा प्रश्न है कि जो 1016 परियोजनाएं हैं उनमें से कितनी पड़ी हुई हैं और उनका प्रतिशत क्या है।

[अनुवाद]

श्री अनन्त कुमार: महोदय, आपके माध्यम से, मैं माननीय सदस्य को ब्यौरा दे दूँगा।

[हिन्दी]

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने एक चार्ट प्रस्तुत किया है। जिसमें स्वीकृत राशि और अवमुक्त राशि का ब्यौरा दिया हुआ है कि पिछले वर्ष कितना स्वीकृत किया गया और इस वर्ष कितना किया गया। पिछले वर्ष कितना अवमुक्त किया गया और इस वर्ष कितना किया गया। उत्तर प्रदेश के लिए पिछले वर्ष 869 लाख रुपए स्वीकृत किए गए, जिसमें से 350 लाख रुपए अवमुक्त हुए।

इस वर्ष 755 लाख रुपया स्वीकार किया गया और 176 लाख रुपया अवमुक्त हुआ। अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश अपने आप में पर्यटन की संभावनाओं से परिपूर्ण है। इस प्रदेश के एक ओर हिमालय है और अगर हिमालय को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाये तो इस देश के सारे पर्यटन स्थलों से ज्यादा आय हिमालय के पर्यटन स्थलों से हो सकती है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, बनारस, प्रयाग, मथुरा-वृंदावन जैसे तीर्थ-स्थल इस प्रदेश में हैं। लुम्बिनी, सारनाथ, बौद्ध धर्म के तीर्थ आदि भी हैं तथा आगरा, ताजमहल और फतेहपुर सीकरी जैसे ऐतिहासिक स्थल भी इस प्रदेश में हैं। जिस प्रदेश में पर्यटन को इतनी अपार संभावनाएं हों,

उस प्रदेश को केवल 86 लाख रुपया एलोकेट करके और 35 लाख रुपया अवमुक्त करके पर्यटन की संभावनाएं कैसे विकसित कर सकते हैं, कैसे उत्तर प्रदेश में पर्यटकों को आकर्षित कर सकते हैं? सरकार अगर चाहे तो अकेले उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पर्यटन की संभावनाएं विकसित हो सकती हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी उत्तर प्रदेश को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए अधिक बजट की व्यवस्था करें। माननीय मंत्री जी समय-समय पर कहते हैं कि इसको विकसित किया जा रहा है, और ज्यादा बजट दिया जा रहा है। तो क्या और ज्यादा धन उत्तर प्रदेश के पर्यटक स्थलों को विकसित करने के लिए आप देंगे?

दूसरा, उत्तर प्रदेश में ब्रह्मवृत्त क्षेत्र के लिए उत्तर प्रदेश शासन ने केन्द्र सरकार को लिखकर दिया है कि इसको पर्यटक-स्थल के रूप में विकसित किया जा सकता है क्योंकि वह एक ऐतिहासिक स्थल है और नाना राव पेशवा की जन्मभूमि है तथा धार्मिक स्थल भी है। वहां पर ब्रह्माजी की कुटिया है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या आप उत्तर प्रदेश के पर्यटक-स्थलों को विकसित करने के लिए और धन देंगे और बिठुर यानि ब्रह्मवृत्त को क्या केन्द्र सरकार पर्यटक-स्थल के रूप में विकसित करेगी?

श्री अनन्त कुमार: अध्यक्ष जी, सारे देश के लिए बजट में हमारा एलोकेशन 135 करोड़ रुपये का है। हमने आंकलन किया है कि सारे पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए हमें 48 हजार करोड़ रुपया चाहिए। यह आंकलन 10 साल के लिए टूरिज्म-इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए किया गया है। अब 135 करोड़ रुपये में जो प्रस्ताव उत्तर प्रदेश शासन ने हमको भेजा है उसका पूर्व अनुमान करके ही हमने पैसा उत्तर प्रदेश सरकार को भेजा है। दूसरा, जहां तक ब्रह्मवृत्त की बात है, वह मैं एग्जामिन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री पी.सी. थामस: केरल में साबरीमलाई एक महत्वपूर्ण तीर्थस्थल है जहां लाखों-करोड़ों लोग आते हैं। मुझे हर्ष है कि इस संबंध में कुछ पहल हुई है और यहाँ तक माननीय अध्यक्ष महोदय ने भी इस मामले में पहल की है। लेकिन अभी भी समस्या यह है कि केन्द्र सरकार कुछ भूमि के वनभूमि होने के नाम पर इस प्रयोजनार्थ भूमि नहीं दे रही है। लेकिन वे ऐसी आवश्यकताएं है जहां छूट दी जानी चाहिए। मेरा कहना है कि भारत सरकार के पर्यटन और संस्कृति विभाग को इस संबंध में तुरन्त पहल करनी चाहिए। मेरा यह भी अनुरोध है कि पर्यावरण मंत्रालय सहित अन्य संबंधित मंत्रालयों को इस मामले में तालमेल करना चाहिए। यहां पर लाखों लोग आते हैं और मौजूदा बुनियादी ढाँचा की संख्या में आने वाले लोगों के लिए नाकाफी है।

मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि इस .....

अध्यक्ष महोदय: आप केवल एक अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। कुछ नया नहीं कह सकते और सुझाव भी नहीं दे सकते हैं।

श्री पी.सी. थामस: इरुमलाई सावरीमलाई का द्वार है और यह मेरे चुनाव क्षेत्र में पड़ता है। मुझे एक छोटा सा प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय: आप सीधे-सीधे अपना अनुपूरक प्रश्न पूछे और अन्य कुछ नहीं।

श्री पी.सी. थामस: जो हिन्दू तीर्थयात्री इरुमलाई आते हैं, वे बापी मस्जिद भी जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय: श्री थामस, कृपया अनुपूरक प्रश्न पूछें अन्यथा मैं इसे अस्वीकार कर दूंगा।

श्री पी.सी. थामस: मेरा आग्रह है कि क्या आप सावरमलाई और इरुमलाई को वाजिब महत्व दिये जाने की दिशा में तुरंत कदम उठाएंगे और इन दोनों तीर्थस्थलों को राष्ट्रीय तीर्थस्थल घोषित किया जाएगा।

श्री अनन्त कुमार: मैं माननीय सदस्य से आग्रह करूंगा कि वे इन दोनों तीर्थस्थलों के लिए एक विस्तृत योजना का प्रारूप प्रस्तुत करें। हम इसकी जांच-पड़ताल करने और विचार करने के लिए तैयार हैं।

अध्यक्ष महोदय: अगला प्रश्न, कृपया।

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेश्वरलु: महोदय, पर्यटन से संबंधित प्रश्न से जुड़े अनेक अनुपूरक प्रश्न है। कृपया आधा घंटे की चर्चा की अनुमति दें।

अध्यक्ष महोदय: पिछली बार भी प्रश्न काल के दौरान ही पर्यटन से जुड़े मामलों पर अच्छी चर्चा हुई थी।

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: पर्यटन महत्व के अन्य राज्य भी हैं। अतएव, कृपया इस विषय पर आधे घण्टे की चर्चा की अनुमति दें।

प्रो. ए.के. प्रेमाजम: हम लोग आपका ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास कर रहे थे लेकिन, हमें इसके लिए अवसर प्राप्त नहीं हुआ।

अध्यक्ष महोदय: कृपया अभी नहीं। प्रश्न संख्या 284, श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी। मैं समझता हूँ वे उपस्थित नहीं है। श्री सुन्दरलाल तिवारी भी मौजूद नहीं हैं।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदय, प्रश्न 284 के प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित हैं लेकिन लोकसभा के नियम और प्रक्रिया के नियम 48(3) में दिया गया है कि यदि सदस्य मौजूद नहीं है तो दूसरे सदस्य की प्रार्थना पर उत्तर दिलवा सकते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि उत्तर दिलवाया जाये।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया नहीं, इस संबंध में प्रक्रिया सुस्पष्ट है। प्रश्न सं. 285, प्रो. दुखा भगत।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा प्रधान मंत्री रोजगार योजना का क्रियान्वयन

*285. **प्रो. दुखा भगत:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंक प्रधान मंत्री रोजगार योजना के क्रियान्वयन में रुचि नहीं ले रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) उक्त योजना की सफलता को सुनिश्चित करने हेतु राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ सख्ती से निपटने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा): (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंक प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) के क्रियान्वयन में सक्रिय रूप से रुचि ले रहे हैं। बैंकों ने औसतन प्रत्येक वर्ष के लक्ष्य का 80% प्राप्त कर लिया गया है और 76 प्रतिशत मंजूर मामलों के लिए ऋण संवितरित किया है। तथापि, पीएमआरवाई योजना के क्रियान्वयन में सुधार की पर्याप्त संभावना है और इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

(ग) सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने इस योजना के अंतर्गत बैंकों के कार्यनिष्पादन को सुधारने के लिए निम्नलिखित उपाय शुरू किए हैं:

(1) जिला उद्योग केन्द्रों (डीआईसी)/बैंकों दोनों के लिए तिमाही लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं जिन्हें प्राप्त किया जाना है ताकि कार्यक्रम वर्ष की अंतिम तिमाही में दबाव से बचा जा सके और संवीक्षा की गुणवत्ता प्रभावित न हो।

(2) एजेंसियों और बैंकों से कहा गया है कि वे मिल-जुलकर कार्य करें और बेहतर वसूली सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त वसूली कैम्प आयोजित करें।

(3) राज्यों से कहा गया है कि वे पीएमआरवाई की देय राशियों को भी राजस्व वसूली अधिनियम में शामिल करें ताकि इस योजना के अंतर्गत की जाने वाली वसूली में सुधार हो सके। अब तक 9 राज्यों ने राजस्व वसूली अधिनियम में आवश्यक संशोधन किए हैं। ये राज्य हैं–आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और दादरा एवं नागर हवेली।

(4) राज्यों से कहा गया है कि वे राज्य स्तर पर नई गतिविधियों की पहचान करें, परियोजना प्रोफाइल तैयार करें तथा उन्हें भावी उधारकर्त्ताओं को उपलब्ध कराएं।

(5) अधिक व्यक्तियों को कवर करने के लिए 1.4.99 से प्रभावी योजना के मानदण्डों में संशोधन किए गए हैं।

(6) मंजूरियों और संवितरणों में देरी से बचने के लिए समयसीमा निर्धारित कर दी गई है।

(7) बैंकों से कहा गया है कि वे अर्थक्षम गतिविधियों के लिए पात्र उधारकर्ताओं से आवेदन पत्र सीधे प्राप्त करें जिससे कि अस्वीकृतियों में कमी आएगी तथा वसूली दर में भी सुधार होगा।

(8) बैंकों, भारतीय रिजर्व बैंक तथा सरकार के स्तर पर समय-समय पर समीक्षा बैठकें की जाती हैं।

(9) हिताधिकारियों के चयन तथा ब्लाक स्तर पर अर्थक्षम गतिविधियों की पहचान के लिए बैंकों के प्रतिनिधियों तथा राज्य सरकार के प्राधिकारियों वाले कृतिक बल का गठन किया जाना।

(10) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि वे अन्य बैंकों के उधारकर्त्ताओं के बारे में "बेबाकी प्रमाण-

पत्र'' के लिए एक महीने से अधिक की अवधि के लिए प्रतीक्षा न करें।

(11) बैंकों से यह भी कहा गया है कि वे आवेदन पत्र के जमा किये जाने के समय शपथ-पत्र पर जोर न दें और केवल मंजूरी के समय ही उसकी मांग करें।

इसके अलावा लघु उद्योग मंत्रालय ने पीएमआरवाई योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा करने तथा उसमें सुधार के लिए संशोधन सुझाने हेतु वित्त मंत्रालय (बैंकिंग प्रभाग) के संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में एक कृतिक बल समिति गठित की है जिसमें लघु उद्योग मंत्रालय तथा भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि शामिल हैं।

[हिन्दी]

प्रो. दुखा भगत: अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत राष्ट्रीय बैंकों से जो लोन मिल रहा है, उसका क्रियान्वयन बहुत ही धीमी गति से हो रहा है। 2.10.1993 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार योजना का शुभारम्भ किया गया था। पहले यह शहरी क्षेत्र तक सीमित था और ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना को लागू नहीं किया गया था। इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने में कई आवश्यकताएं पूरी करनी पड़ती हैं जिससे युवा वर्ग के बीच में यह योजना अलोकप्रिय होती जा रही है। नौजवानों को लगता है कि इस योजना के पूरे होने पर उनके सपने पूरे होने लगेंगे लेकिन बैंकों द्वारा अंतिम चरण में लोन देने का नियम होता है, उसमें काफी भ्रष्टाचार है। यह कार्य दलालों के माध्यम से बैंकों को करना पड़ता है अन्यथा यह कार्य नहीं होता है।

अध्यक्ष महोदय: मि. भगत आप पढ़ नहीं सकते, अपना सप्लीमेंटरी पूछिए।

प्रो. दुखा भगत: अध्यक्ष महोदय, मैं वही पूछ रहा हूं। मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या वित्त मंत्रालय ने प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत बैंकों की भूमिका की समीक्षा की है, अगर हां तो उसका ब्यौरा क्या है?

श्री यशवंत सिन्हा: अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं यह कहना चाहूंगा कि जैसा मैंने प्रश्न के उत्तर में बताया कि बैंकों के माध्यम से जो लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं, उसकी 80 प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त कर ली गई है। इसलिए यह कहना उचित नहीं होगा कि इसमें कोई कमी है या योजना अलोकप्रिय हो रही है।

जहां तक समीक्षा का प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर की अध्यक्षता में एक समिति है, जो समय-समय पर इस योजना की समीक्षा करती है। इसमें अगर आप देखें कि जो अर्हताएं हैं, जो इसके लिए योग्यताएं हैं, उनमें हम निरन्तर सुधार करते रहे हैं। क्योंकि सरकार का उद्देश्य यह है कि अधिक से अधिक युवा वर्ग के लोगों को हम इस योजना के अंतर्गत कवर कर सके, उन्हें सहायता दे सकें। जहां तक इसमें बैंकों के कार्य-कलापों में कहीं किसी त्रुटि का प्रश्न है, उसके लिए हम स्टेट लैवल बैंकर्स कमेटी के माध्यम से, जिले की कमेटी के माध्यम से उसकी समीक्षा करते हैं और हमारा यही प्रयास होता है कि इसमें जितने लोगों को कवर करना चाहिए, उतने लोगों को हम कवर करें और हमारा यह प्रयास निरन्तर चलता रहेगा। *...(व्यवधान)*

प्रो. दुखा भगत: क्या वित्त मंत्रालय ने पिछले दो वर्ष में प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत दिये गये लोन्स में कुछ व्यक्तियों को भ्रष्टाचार का दोषी पाया है। यदि हां तो इसमें पिछले दो वर्ष का ब्यौरा क्या है?

श्री यशवन्त सिन्हा: इसमें पिछले दो वर्ष में लगभग साढ़े तीन लाख के हिसाब से सात लाख का हमारा टारगेट था, उस सात लाख के टारगेट के विरुद्ध जिन केसिज में बैंकों ने ऋण उपलब्ध कराया, ऋण सैक्शन किया, वह करीब पांच लाख के ऊपर है। जहां तक इसमें भ्रष्टाचार के केसिज का प्रश्न है, यह अभी तक हमारे ध्यान में नहीं लाया गया है। मैं माननीय सदस्य से आग्रह करूंगा कि अगर उनके ध्यान में कोई इस प्रकार का केस है तो वह हमारे ध्यान में लाये, उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी।

[अनुवाद]

श्रीमती रेणुका चौधरी: भारतीय रिजर्व बैंक में लाइसेंस जारी करने के लिए केवल एक व्यक्ति को अधिकृत किया गया है। यह वह व्यक्ति होता है जो निरीक्षण करता है और छः महीने बाद बैंक बन्द हो जाते हैं। वह इस सबके लिए एकमात्र प्राधिकारी है। मैं जानना चाहती हूं कि क्या जवाबदेही तय की गई है। समय की कमी के चलते, मैं अपने प्रश्न की विस्तार से व्याख्या नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन, मैं बाद में इस मुद्दे को वित्त मंत्री महोदय के साथ व्यक्तिगत स्तर पर उठाऊंगी।

श्री यशवन्त सिन्हा: जैसाकि मैंने कहा है कि इस योजना को लघु उद्योग विभाग द्वारा चलाया जाता है। इस विभाग ने कुछ दिशा-निर्देश तय किये हैं जिन्हें एक प्रमुख पुस्तिका-''प्राइम मिनिस्टरस रोजगार योजना' में दिया गया है। इसकी समीक्षा के लिए जिला स्तर उपजिले के प्रतिष्ठित नागरिकों की एक समिति गठित की जाती है। लेकिन इसकी समीक्षा करते हुए मैंने स्वयं ने देखा है कि निचले स्तर पर इस योजना के कार्यान्वयन में अनेक खामियां हैं। अतः मैंने निर्णय लिया है और मैं सभा को विश्वास में लेना

चाहूंगा कि सभी प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में ऋण सुविधा देने के लिए कृषि, लघु उद्योग और सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं के लिए सांसदों, विधायकों और जिले स्तर के निर्वाचित प्रतिनिधियों को जोड़ा जाए ताकि इस योजनाओं से जुड़े मामलों को जिला स्तर पर ही देखा जा सके।

श्री के. येरननायडु: महोदय, मैं मंत्री महोदय को यहाँ व्यक्त किए गए उनके विचारों के लिए धन्यवाद देता हूँ। लेकिन, इसे अनिवार्य किया जाना चाहिए। अनेक राज्य और जिला स्तर की समितियाँ हैं, जिनमें सांसद भी सदस्य होते हैं लेकिन इन समितियों के बैठकें सालों से नहीं हुई हैं। अत: आपको इन्हें अनिवार्य बनाना चाहिए और इनकी बैठकों का आयोजन हर तिमाही या छमाही आधार पर किया जाए ताकि सांसद, विधायक और प्रतिष्ठित नागरिकगण मिल बैठकर समस्याओं पर चर्चा कर सकें और उनका समाधान निकाल सकें। इस प्रकार के निवेश निचले स्तर के अधिकारियों को दिये जाने चाहिएं।

श्री यशवन्त सिन्हा: जैसाकि मैंने कहा कुछ समितियाँ हैं जो कार्यरत भी हैं। अनेक समितियों में निर्वाचित प्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। कुछ समितियों में जैसे कि 20-सूत्रीय समिति, जिसमें उनका प्रतिनिधित्व होता है। मैंने निर्णय लिया है कि समूचे प्राथमिकता वाले ऋणसुविधा क्षेत्र से, संबंधित एक समिति होगी जिसमें जिला स्तर पर निर्वाचित प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे। इस समिति की हर तीसरे महीने जिला स्तर पर प्राथमिकता वाले ऋण सुविधा सेवा की समीक्षा करने के लिए एक बैठक होगी तथा यह बैठक करना जरूरी और अनिवार्य होगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समीक्षा

***284. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी:**
श्री सुन्दर लाल तिवारी:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समीक्षा की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और समीक्षा का क्या निष्कर्ष निकला;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा अपने लक्ष्य की प्राप्ति की पूर्ण सफलता सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शांता कुमार): (क) से (ग) सरकार अन्य सभी योजनाओं की तरह सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण की राज्य सरकारों सहित सभी ओर से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर निरन्तर मानीटरिंग और समीक्षा करती है।

(घ) देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सफल कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा कई उपाय किये गये हैं।

(1) लक्षित आबादी अर्थात गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए राजसहायता को बेहतर रूप से लक्षित और सरणीबद्ध करने के लिए 1.4.2000 से उनके लिए आवंटित खाद्यान्नों को 10 किलोग्राम प्रति परिवार प्रतिमाह से बढ़ाकर 20 किलोग्राम प्रति परिवार प्रतिमाह कर दिया गया है जिसके लिए मूल्य आर्थिक लागत का 50% रखा गया है।

(2) गरीबी रेखा से ऊपर जीवन-यापन करने वाले परिवारों का आवंटन आर्थिक लागत पर उसी स्तर पर बनाए रखा गया है जो लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू करने के समय था।

(3) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन चीनी का आवंटन आयकर निर्धारितियों के लिए 1.7.2000 से बन्द कर दिया गया है।

(4) राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे उचित दर दुकानों पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं की सुपुर्दगी अधिक पारदर्शी तथा जवाबदेह तरीके से इनके वितरण की पुख्ता व्यवस्था तैयार और क्रियान्वित करें।

(5) इस विश्वास के साथ कि राज्यों की नौकरशाही की बजाए वास्तविक लोकतांत्रिक संस्थाएं सभी की खाद्य सुरक्षा संबंधी चिंताओं की बेहतर सुरक्षा कर सकती हैं, राज्य सरकारों को परामर्श दिया गया है कि वे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के पर्यवेक्षण और मानीटरिंग, विशेष रूप से उचित दर दुकान स्तर पर सामाजिक लेखा परीक्षा के उपाय के रूप में पर्यवेक्षण और मानीटरिंग में ग्राम पंचायतों को अधिकाधिक अंतर्ग्रस्त करें।

(6) माडल सिटीजन चार्टर राज्य सरकारों को परिचालित किया गया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उपभोक्ताओं के हित की मूल सूचना और सेवाओं के लिए समय अनुसूची दी गई है, ताकि वे इसे अपना सकें।

(7) खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी समय-समय पर उचित दर दुकानों का निरीक्षण करते हैं ताकि उचित दर दुकानों पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जिन्सों की आपूर्ति और उपलब्धता की जांच की जा सके।

(8) राज्यों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि स्थानीय प्राथमिकता के आधार पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वितरण करने हेतु दैनिक उपभोग की अतिरिक्त वस्तुएं उचित दर दुकानों की जिन्सों में शामिल करें ताकि उचित दर दुकानों की व्यवहार्यता में सुधार हो सके और उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर अच्छी गुणवत्ता के सामान उपलब्ध हो सकें।

[अनुवाद]

तम्बाकू उत्पादकों द्वारा तम्बाकू की एक फसल की बुआई न करना

***286. श्री चन्द्रकांत खैरे:**
श्रीमती रेणूका चौधरी:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 2000-2001 के दौरान संपूर्ण देश में तम्बाकू उत्पादकों/किसानों के लिए तम्बाकू की फसल की बुआई न करने की मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या तम्बाकू उत्पादकों के प्रतिनिधियों ने देश के तम्बाकू उत्पादकों/किसानों के लिए विभिन्न कल्याण योजनाओं संबंधी सुझाव भी दिए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्रवाई की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) आंध्र प्रदेश में यह मांग की जाती रही है कि फसल-वर्ष 2000-2001 के लिए सम्पूर्ण भारत में एक फसल अवकाश की घोषणा की जाए। आंध्र प्रदेश सरकार ने इसका समर्थन किया जबकि कर्नाटक और उड़ीसा सरकार ने अपने किसानों की यह इच्छा व्यक्त की कि वे फ्लू क्योर्ड वर्जिनिया (एफ सी वी) तम्बाकू का उत्पादन करना चाहते हैं।

(ख) तम्बाकू फसल का आकार और इससे संबंधित मामलों का निर्णय तम्बाकू बोर्ड द्वारा किया जाता है। तम्बाकू बोर्ड ने 27.3.2000 को हुई अपनी बैठक में आंध्र प्रदेश में तम्बाकू किसानों का पंजीकरण स्थगित करने और वर्ष 2000-2001 के लिए आंध्र प्रदेश में एफ सी वी तम्बाकू के लिए फसल आकार निश्चित नहीं करने का निर्णय लिया। कर्नाटक की फसल के लिए 25 मिलियन किलोग्राम का एक फसल आकार तय किया गया। 28.7.2000 को बोर्ड ने उड़ीसा राज्य सरकार के इस अनुरोध को स्वीकार करने का निश्चय किया कि उस राज्य में तम्बाकू उगाने के लिए किसानों का पंजीकरण किया जाए।

(ग) और (घ) तम्बाकू उपजकर्त्ताओं के कल्याण के लिए तम्बाकू उत्पादकों के प्रतिनिधियों के सुझावों में शामिल हैं:

(1) उत्पादकों द्वारा तम्बाकू के प्रसंस्करण के लिए ऋण उपलब्ध कराना;

(2) ऋण की वसूली, तीसरी खेप और उसके पश्चात बेची गई खेपों से की जाए;

(3) कीमतों में स्थिरता लाने में मदद करने के लिए एक स्थिरीकरण निधि की स्थापना करना;

राज्य स्तर की बैंकर समिति ने किसानों को फसल ऋण प्राप्त करने, बैंकों से अपनी फसल के प्रसंस्करण के लिए ऋण प्राप्त करने और साथ ही नीलामियों में बिक्री के लिए डाली गई प्रथम दो खेपों की बिक्री से तम्बाकू किसानों के पिछले फसल ऋण अग्रिम की वसूली बंद करने में सहायता देने का निश्चय किया है। एक स्थिरीकरण निधि की अवधारणा विचाराधीन है।

सकल घरेलू उत्पाद में राजकोषीय घाटे की प्रतिशतता

***287. श्री ए. नरेन्द्र:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान 1 जुलाई और 1 जनवरी की स्थिति के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में कितना राजकोषीय घाटा हुआ है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इसे नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और कितनी सफलता हासिल की गई है;

(ग) क्या हाल ही में उद्योग विकास दर और राजस्व उगाही में ह्रास की प्रवृत्ति देखी गई है; और

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा): (क) सकल घरेलू उत्पाद के समानुपात के रूप में राजकोषीय घाटा पूरे वित्तीय वर्ष के आधार पर उपलब्ध होता है।

पिछले तीन वर्षों के लिए अप्रैल-जून और अप्रैल-दिसम्बर अवधि के लिए केन्द्र सरकार का राजकोषीय घाटा निम्न प्रकार है:

वर्ष	करोड़ रुपये	
	अप्रैल-जून	अप्रैल-दिसम्बर
-	23796	41463
1998	33757	73434
1999	33512	67082

टिप्पणी: 1. राजकोषीय घाटे के आंकड़े अनंतिम और अनांकेक्षित हैं।

2. लेखांकन प्रक्रिया में परिवर्तन के कारण, वर्ष 1999 के लिए राजकोषीय घाटे में अल्प बचत संग्रहणों में "राज्यों का अंतरण" हिस्सा शामिल नहीं है।

(ख) राजस्व बढ़ाने और आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय की वृद्धि को सीमित करने के लिए गत कुछ वर्षों में शुरू किए गए विभिन्न उपायों ने सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में केन्द्र के सकल राजकोषीय घाटे को 1997-98 में 4.8 प्रतिशत, 1998-99 में 5.1 प्रतिशत और 1999-2000 (सं.अ.) में 5.6 प्रतिशत पर सीमित किया है।

(ग) और (घ) औद्योगिक वृद्धि (औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक-आधार 1993-94 के अनुसार) 1997-98 में 6.5 प्रतिशत, 1998-99 में 3.8 प्रतिशत और 1999-2000 में 8.1 प्रतिशत है। चालू वर्ष (अप्रैल-मई, 2000-2001) में समग्र औद्योगिक उत्पादन में 5.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई। केन्द्र सरकार की राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि 1997-98 में 6.0 प्रतिशत, 1998-99 में 11.7 प्रतिशत और 1999-2000 (सं.अ.) में 20.1 प्रतिशत है। चालू वर्ष (अप्रैल-जून 2000-2001) में केन्द्र सरकार की राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि 26.6 प्रतिशत है।

बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा सीमेंट उद्योगों की खरीद

***288. श्री मोहम्मद शहाबुद्दीन:** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उदारीकरण अवधि के दौरान लेंफार्जे, ब्लू सर्किल, इटालसीमेंटी और सीमेक्स सहित बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों में से प्रत्येक कम्पनी द्वारा भारतीय सीमेंट उद्योग के कितने प्रतिशत शेयर खरीदे गये हैं;

(ख) इन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा भारतीय सीमेंट उद्योगों का प्रबंधन अपने हाथ में लेने के पश्चात् कुल कितनी धनराशि निवेश की गई;

(ग) क्या इन बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों ने इस प्रयोजनार्थ भारतीय बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से वित्तीय सहायता ली है;

(घ) यदि हां, तो विदेशी मुद्रा के बजाय भारतीय वित्तीय संस्थाओं से वित्तीय सहायता लेने के लिए बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों को अनुमति देने के क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों, विशेषकर ऐसे मामलों में जहां इन बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों ने भारतीय कम्पनियों का प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया है, की ऐसी गतिविधियों पर नियंत्रण लगाने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) और (ख) सरकार द्वारा मौजूदा भारतीय कंपनियों में विदेशी कंपनियों द्वारा निवेश किये जाने हेतु 1991 से प्रदान किये गये अनुमोदनों का एक विवरण संलग्न है।

(ग) से (ङ) किसी मौजूदा भारतीय कंपनी में शेयरों के अधिग्रहण की अनुमति केवल तभी प्रदान की जाती है जब इसे कंपनी के बोर्ड के संकल्प द्वारा समर्थन प्रदान किया जाता है और ऐसी कार्रवाई 'सेवी'/भारतीय रिजर्व बैंक के संगत दिशा-निर्देशों के अनुसार ही की जाती है। किंतु, कंपनियों को ऋण प्रदान करके किसी विशेष आर्थिक कार्यकलाप के वित्तपोषण से संबंधित निर्णय बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा लिये जाते हैं, जो कि उनकी वाणिज्यिक समझ और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट विवेकपूर्ण विनियमों तथा प्रदर्शित मानदंडों के अधीन उनके संबंधित बोर्डों द्वारा तय की गयी ऋण नीतियों पर आधारित होते हैं।

विवरण

ऐसी विदेशी कम्पनियां, जिन्होंने सीमेंट क्षेत्र की भारतीय कंपनियों के शेयरों का अधिग्रहण किया है

क्रम संख्या	विदेशी कंपनी का नाम	भारतीय कंपनी का नाम	कार्यकलाप (विदेशी सहयोग के अनुमोदन की तारीख)	अनुमत विदेशी इक्विटी का प्रतिशत	स्थान	क्या अधिग्रहण/ विस्तार/समाहित किए जाने के माध्यम से अधिग्रहण किया गया
1.	मैं लैंफार्जे सुरमा सीमेंट लि., फ्रांस	मै. लुम मौशन मिनरल्स प्रा.लि.	चूना पत्थर का खनन और निर्यात (13.9.96)	74 प्रतिशत (रुपए 31,82,000) 74,000 अमेरिकी डालर 1 अमेरिकी डालर =43 रुपये	मेघालय	समाहित
2.	मै. एफ.एल. स्मिडथ एंड कं. ए/एस, डेनमार्क	मै. सौराष्ट्र सीमेंट लि.	सीमेंट संयंत्र स्थापित करना (18.9.96)	54.53 प्रतिशत (रुपए 16.36 करोड़)	पोरबंदर, गुजरात के निकट	विस्तार
3.	(1) मै. एटरूट्रेमर सोसिएटी एनोनिमी बेल्जियम (2) मै. नेफिबाऊ बी.वी., दि नीदरलैंड्स (दोनों ऐटेकस सूह की डब्ल्यु ओ एस हैं)	मै. एटरनिट् एवरेस्ट लि.	एस्बेस्टोस और गैर-एस्बेस्टोस तथा अन्य संबद्ध भवन निर्माण सामग्री (सीमेंट उत्पाद) का विनिर्माण (5.4.2000)	49.46 प्रतिशत से 50 प्रतिशत (रु. 8,00,100/- सममूल्य पर)	नई दिल्ली	विस्तार
4.	मै. फाइनेंसियरी लेंफार्जे, फ्रांस	-	एक होल्डिंग कम्पनी की स्थापना करना और फिर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के सीमेंट प्रभाग का अधिग्रहण करने हेतु एक प्रचालन कंपनी के रूप में। (19.2.99)	100 प्रतिशत (रु. 200 करोड़ से रु. 600 करोड़ तक राशि में वृद्धि होना)	सिंहभूम, बिहार	आरंभ में होल्डिंग कंपनी स्थापित करना और फिर डाउनस्ट्रीम कंपनी के माध्यम से अधिग्रहण किया जाना।
5.	मै. ब्लू. सर्कल इंडपी एल सी, यू.के.	मै. स्ट्रा प्रोडक्ट्स लि.	सीमेंट संयंत्र का विस्तार	कोई इक्विटी नहीं	-	(तकनीकी सहयोग)
6.	मै. इटालसीमेंटी	-	-	-	-	-
7.	मै. सीमेक्स	-	-	-	-	-

[हिन्दी]

ताजमहल

*289. **श्री रामदास आठवले:** क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ताजमहल के संगमरमर में दरारें आ जाने से इसके अस्तित्व को ही खतरा पैदा हो रहा है;

(ख) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 17 जून, 2000 के "दैनिक जागरण" में इस विषय पर प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) सरकार द्वारा ताजमहल की सुरक्षा और संरक्षण हेतु क्या नीति बनाए जाने का विचार है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) ताजमहल के संगमरमर में कोई दरारें नहीं हैं।

(ख) और (ग) जी, हां। समाचार में प्रकाशित रखरखाव के पहलू रोजमर्रा स्वरूप के हैं और रखरखाव तथा संरक्षण की सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत किये जाते हैं।

(घ) सरकार इस विश्वदाय स्मारक के उचित संरक्षण के लिए वचनबद्ध है।

[अनुवाद]

आयातित खाद्य-तेल की गुणवत्ता

*290. **श्री एन. जनार्दन रेड्डी:***
श्रीमती श्यामा सिंह:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 7 जुलाई, 2000 के "दि हिन्दू" में 'कन्सर्न ओवर स्पर्ट इन इडिबल ऑयल इम्पोर्ट्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या आयातित खाद्य-तेल की गुणवत्ता की जांच की गई थी;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(घ) क्या सरकार ने खाद्य-तेलों का आयात, घरेलू बाजार में खाद्य-तेलों की उपलब्धता को ध्यान में रखे बिना किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शांता कुमार): (क) जी हां।

(ख) और (ग) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के उपबंधों तथा स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के भी अनुसार, आयातित खाद्य तेल की यह पता लगाने के लिए जाँच करनी अपेक्षित होती है कि वह तेल खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में यथानिर्धारित गुणवत्ता के मानकों के अनुरूप है। खाद्य तेल को गुणवत्ता के मानकों के अनुरूप पाए जाने के बाद ही उसे देश के अन्दर आने की अनुमति दी जाती है।

(घ) और (ङ) जी नहीं। जहां तक सरकारी खाते पर खाद्य तेलों के आयात का संबंध है, ऐसे आयात सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से कार्डधारियों को उचित मूल्य पर तेल की आपूर्ति करने की आवश्यकता को ध्यान में रखकर किए गए हैं। देश में उचित मूल्य और उपलब्धता की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने ऐसे आयातों को केवल राज्य सरकारों द्वारा सूचित की गई वचनबद्ध आवश्यकता को पूरा करने हेतु सीमित कर दिया है।

कृषि ऋण

*291. **श्री शीशराम सिंह रवि:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पिछले एक वर्ष के दौरान बैंक अधिकारियों द्वारा कृषि संबंधी ऋणों के वितरण में की गई अनियमितताओं संबंधी मामलों की जानकारी मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी बैंक-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस हेतु जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या वसूल नहीं किए गए ऋणों को अशोध्य ऋणों के अंतर्गत रखा गया है;

(ङ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान इस शीर्ष के अंतर्गत बैंक-वार कितनी धनराशि रखी गई है; और

(च) अशोध्य ऋण के अंतर्गत धनराशि को रखे जाने के क्या मानदण्ड हैं?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा): (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया है कि पूछी गई अवधि के दौरान, बैंक अधिकारियों द्वारा कृषि से संबंधित ऋणों के संवितरित करने में अनियमितताओं का कोई मामला उनकी जानकारी में नहीं आया है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) और (ङ) 31 मार्च, 2000 की स्थिति के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के बैंकों का कृषि ऋणों में अनुप्रयोज्य आस्तियों के बैंक-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(च) भारतीय रिजर्व बैंक के विद्यमान मार्गनिर्देशों के अनुसार, कृषि प्रयोजन के लिए मंजूर किये गये अग्रिमों को अनुप्रयोज्य आस्तियां (एन पी ए) के रूप में माना जा सकता है, यदि ब्याज/ अथवा मूलधन की किश्तें पिछले दो फसल मौसमों से देय हैं, परन्तु दो छमाहियों से अनधिक अवधि से अदत्त हैं।

विवरण

31 मार्च, 2000 की स्थिति के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कृषि ऋणों में अनुप्रयोज्य आस्तियों को बैंकवार ब्यौरे

(रुपए करोड़ में)

क्र.सं.	बैंक का नाम	राशि
1	2	3
1.	भारतीय स्टेट बैंक	1598.00
2.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर-जयपुर	119.00
3.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	121.00
4.	स्टेट बैंक आफ इन्दौर	56.00
5.	स्टेट बैंक आफ मैसूर	91.00
6.	स्टेट बैंक आफ पटियाला	79.00
7.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	56.00
8.	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	76.00
9.	इलाहाबाद बैंक	194.87
10.	आंध्रा बैंक	47.50
11.	बैंक आफ बड़ौदा	619.00
12.	बैंक आफ इंडिया	427.00
13.	बैंक आफ महाराष्ट्र	113.81
14.	केनरा बैंक	345.00
15.	सैन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	313.66
16.	कार्पोरेशन बैंक	71.89
17.	देना बैंक	180.20
18.	इंडियन बैंक	271.00
19.	इंडियन ओवरसीज बैंक	179.00
20.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	56.84
21.	पंजाब नेशनल बैंक	282.38
22.	पंजाब एंड सिंध बैंक	63.14
23.	सिंडिकेट बैंक	133.00
24.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	277.54
25.	यूको बैंक	221.00
26.	युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	134.24
27.	विजया बैंक	88.62
	कुल	6215.69

चाय, कॉफी और दूरसंचार क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

***292. श्री दिलीप संघाणी:**
श्री मोइनुल हसन:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रियों के ग्रुप ने दूरसंचार, चाय, कॉफी और रबर बागान क्षेत्र में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने के प्रस्ताव को मंजूरी दिये जाने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन क्षेत्रों में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या बहुराष्ट्रीय कम्पनियों पर लाभांश का अपने देश में प्रत्यावर्तन आदि जैसी सभी पूर्व शर्तें हटा ली गई हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या ऐसा निर्णय लेते समय देश का हित ध्यान में रखा गया था; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) से (ग) मौजूदा क्षेत्रीय नीतियों तथा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश संबधी इक्विटी की सीमाओं की समीक्षा के लिए गठित मंत्रियों के समूह (जी.ओ.एम.) की इस विषय के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने के लिए नियतकालिक रूप से बैठक आयोजित होती हैं। सरकार द्वारा इसकी सिफारिशों पर विचार किया जाता है और निर्णय लेने के बाद नीतिगत परिवर्तनों की घोषणा की जाती है। मंत्रियों के समूह (जी.ओ.एन.) ने अन्य बातों के साथ-साथ इस शर्त पर चाय और कॉफी रोपण में 100% तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश पर विचार करने की सिफारिश की है कि पांच वर्षों में 26% इक्विटी का भारतीय भागीदारों/जनता के पक्ष में विनिवेश किया जायेगा। दूरसंचार क्षेत्र में कतिपय मूल्यवर्धित कार्यकलापों के लिए भी 100% तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सिफारिश की गयी है। सरकार द्वारा इन सिफारिशों के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(घ) से (छ) उपभोक्ता वस्तुओं के विनिर्माण में कार्यरत 22 वर्गों की कंपनियों द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन के प्रथम सात वर्षों के दौरान लाभांश के कारण बाहर भेजी जाने वाली राशि को निर्यात आय से संतुलित करने की आवश्यकता को 14.7.2000 से भावी प्रभाव से हटा दिया गया है। चूंकि लाभांश संतुलन की शर्त देश में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के अन्त:प्रवाह में एक बाधा के रूप में समझी जा रही थी, इसलिए यह निर्णय लिया गया था।

दूरदर्शन के कार्यक्रमों की पहुंच

***293. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु:** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की देश के सभी भागों और विदेशों में दूरदर्शन चैनलों की व्यापक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कोई योजनाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दूरदर्शन का समाचार संकलन देश के कुछ भागों में अत्यंत निराशाजनक है;

(घ) यदि हां, तो दूरदर्शन द्वारा समाचारों को बेहतर समावेश को बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(ङ) क्या सुदूर क्षेत्रों में और अधिक कार्यालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) और (ख) देश के अन्दर तथा विदेश में दूरदर्शन की पहुंच का विस्तार करना एक सतत प्रक्रिया है, इसकी प्रगति, संसाधनों की उपलब्धता तथा तकनीकी व्यवहार्यता पर निर्भर करती है। वर्तमान में दूरदर्शन के सभी 21 चैनल पूरे देश में उपग्रह के माध्यम से उपलब्ध है। इन्हें उपयुक्त डिश एन्टीना पद्धति या केबल नेटवर्क के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। दूरदर्शन का अन्तर्राष्ट्रीय चैनल डीडी-इंडिया बहुत से देशों में उपलब्ध है। एशिया, आस्ट्रेलिया, यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका के लगभग सभी देश डीडी-इंडिया के द्वारा कवर किए गए हैं।

देश की 88.2 प्रतिशत जनसंख्या को दूरदर्शन का स्थानीय नेटवर्क उपलब्ध है। दूरदर्शन के स्थानीय नेटवर्क के कवरेज में और आगे विस्तार करने के लिए वर्तमान में 255 ट्रांसमीटर परियोजनाओं पर काम चल रहा है। ऐसी आशा है कि जब ये सभी परियोजनाएं पूरी हो जाएंगी, देश की लगभग 93 प्रतिशत जनसंख्या को दूरदर्शन सेवाएं उपलब्ध होने लगेंगी।

(ग) और (घ) दूरदर्शन को देश के दूर-दराज तथा दुर्गम भागों में समाचार कवर करने में कठिनाई हो रही है दूरदर्शन पर बढ़िया समाचार कवरेज को सुनिश्चित करने के लिए, प्रसार भारती का आकाशवाणी संवाददाताओं के राष्ट्रव्यापी नेटवर्क की सेवाओं का उपयोग करने का प्रस्ताव है। देश के विशेषकर दूरदराज तथा दुर्गम क्षेत्रों में महत्वपूर्ण आयोजनों/घटनाओं को कवर करने के लिए और अधिक फुटकर संवाददाताओं तथा प्रत्यायित एजेंसियों को लगाने के भी प्रयास किये जा रहे हैं। विभिन्न दूरदर्शन केन्द्रों पर अन्य केन्द्रों को तत्काल समाचार तथा कार्यक्रम भेजने के लिए 23 भू-केन्द्र हैं। सभी दूरदर्शन केन्द्रों के पास अपने संबंधित कार्य क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों से समाचार (सचित्र) संग्रहण के लिए इलेक्ट्रानिक समाचार संग्रहण इकाइयां है। इसके अलावा समाचार कवरेज के तत्काल सम्प्रेषण के लिए दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई तथा

हैदराबाद स्थित दूरदर्शन केन्द्रों के पास उपलब्ध डिजिटल समाचार संग्रहण इकाइयों को विभिन्न क्षेत्रों में जहां भी महत्वपूर्ण आयोजनों का कवर किया जाना अपेक्षित होता है, लगाया जाता है।

(ङ) और (च) उपरोक्त 255 ट्रांसमीटर परियोजनाओं के अलावा 16 स्टूडियो तथा 42 अनुरक्षण केन्द्र, जिनमें से कुछ देश के दूरदराज के क्षेत्रों में हैं, वर्तमान में क्रियान्वयनाधीन हैं।

सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कार्य-आदेश

***294. श्री रघुनाथ झा:**
श्री ब्रजमोहन राम:

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे, दूरसंचार विभाग आदि से कार्य आदेश न मिलने के कारण बुनियादी क्षेत्र की अधिकांश इंजीनियरिंग इकाइयां और सरकारी क्षेत्र की उद्यम घाटे में चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान कार्य-आदेशों की कमी की वजह से उद्यम-वार सरकारी क्षेत्र के कितने उद्यमों की क्षमता अप्रयुक्त रही है;

(ग) क्या सरकार द्वारा विदेशों में और भारत में स्थित निजी कंपनियों को कार्य-आदेश दिये जा रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा अपनी आवश्यकता का कम-से-कम 30 प्रतिशत कार्य-आदेश इन सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को देना सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है जिससे उक्त उद्यम बंद न होने पाएं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री मनोहर जोशी): (क) और (ख) घाटे के विभिन्न कारणों में क्रय आदेशों की कमी होने के साथ-साथ कार्यशील पूंजी की कमी, कामगारों का फालतू होना, संयंत्र और मशीन का पुराना होना निवेश की लागत में वृद्धि होना शामिल है। भारी उद्योग विभाग के तहत सरकारी क्षेत्र के प्रमुख 7 उपक्रम हैं अर्थात् ब्रेथवेट एंड कम्पनी (ब्रेथवेट), जेसप एंड कम्पनी (जेसप), भारत वैगन इंजीनियरिंग कंपनी लि. (बीडब्ल्यूइएल), बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लि. (बीएससीएल), हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन (एचइसी), भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि. (बीएचईएल) और रिचर्डसन एंड क्रुडास लि. (आरएंडसी) रेलवे को वैगन, लोकोस, डिब्बे (कोचें) और मशीन टूल्स जैसे उपकरणों की आपूर्ति कर रहे हैं और सरकारी क्षेत्र के तीन प्रमुख उपक्रम अर्थात् बीएचईएल, हिन्दुस्तान केबल्स लि. (एचसीएल) और इंस्ट्रूमेंटेशन लि. (आईएलके) दूरसंचार के लिए उपकरणों की आपूर्ति कर रहे हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान स्थापित क्षमता और प्राप्त आदेशों का विवरण नीचे दिया गया है:

सरकारी क्षेत्र का उपक्रम/उत्पाद	स्थापित क्षमता	प्राप्त आदेश		
		1997-98	1998-99	1999-2000
1	2	3	4	5
रेलवे				
ब्रेथवेट, जेसप, बीडब्ल्यूइएल, बीएससीएल (वैगन)	14961 एफडब्ल्यू*	3167.5 एफडब्ल्यू*	8242.5 एफडब्ल्यू*	5585 एफडब्ल्यू*
जेसप (कोचेज)	संख्या 72	संख्या 56	शून्य	शून्य
एचइसी (मशीन टूल्स)	25 करोड़ रुपये	9.82 करोड़ रुपये	2.80 करोड़ रुपये	16.86 करोड़ रुपये
बीएचइएल (एसी/ डीसी लोकोस)	संख्या 30	शून्य	संख्या 12	शून्य
आर एंड सी (प्वाइंट्स एंड क्रासिंग्स)	15 करोड़ रुपये	5.5 करोड़ रुपये	शून्य	शून्य

1	2	3	4	5
दूरसंचार				
एचसीएल (जेली फिल्ड केबिल)	82 एलसीकेएम@	32.96 एलसीकेएम@	10 एलसीकेएम@	87.12 एलसीकेएम@
एचसीएल (ऑप्टिक फाइबर केबिल)	35500 एफकेएम**	शून्य	शून्य	46362 एफकेएम**
आईएलके (स्वीचिंग उपकरण)	200 करोड़ रुपये	43.17 करोड़ रुपये	28.40 करोड़ रुपये	54.54 करोड़ रुपये
बीएचइएल (स्वीचिंग उपकरण)	2,00,000 लाईन	48,200 लाईन	1,05,480 लाईन	2,53,048 लाईन

*एफडब्ल्यूपी-चौपहिया वैगन इकाइयां
@एलसीकेएम-लाख केबिल किलोमीटर
**एफकेएम-फाइबर किलोमीटर

(ग) और (घ) जी, हां। क्रयादेश विशेषताओं, सुपुर्दगी और मूल्यों को ध्यान में रखते हुए दिये जा रहे हैं।

(ङ) एचसीएल के एक विशेष मामले में, सरकार ने में. डॉट/एमटीएनएल को उनकी अपेक्षाओं का 1999-2000 के लिए 30% तक और 2000-2001 में 25% तक का आरक्षण करने का अनुमोदन कर दिया है। वैगन के मामले में, रेलवे ने वैगन का निर्माण कर रहे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को 2000-2001 के लिए अपनी जरूरत का लगभग 44% अर्थात् 8917.5 चौपहिया के लिए क्रयादेश प्रस्तुत किये हैं। क्रयादेश सबसे कम बोली के आधार पर प्रस्तुत किये जा रहे हैं।

[हिन्दी]

सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कार्य-योजना

***295. श्री राजो सिंह:** क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कोई कार्य-योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) जी, हां।

(ख) सांस्कृतिक पर्यटन का संवर्धन राष्ट्रीय पर्यटन नीति का हिस्सा है। संवर्धन हेतु नीति में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

(1) तीर्थ पर्यटन, हैरिटेज स्थल तथा स्मारक, पारम्परिक चिन्तन योग, कला तथा शिल्प कला, मेले तथा उत्सव, व्यंजन, संगीत एवं नृत्य रूप आदि सांस्कृतिक पर्यटन के विभिन्न पहलू।

(2) सरकार यात्रा एजेंटों, टूअर आपरेटरों, यात्रा लेखकों, निर्णयकर्त्ताओं आदि के लिए फेमिलियराइजेशन टूअरों का आयोजन भी करती है।

(3) पर्यटन के संवर्धन के लिए मुख्यतया राज्य सरकार की जिम्मेदारी होने के नाते केन्द्रीय वित्तीय सहायता सांस्कृतिक उत्पादों के रख-रखाव तथा सौंदर्यीकरण, मेलों तथा उत्सवों के आयोजन आदि के लिए प्रदान की जाती है।

(4) सांस्कृतिक पर्यटन के विभिन्न पहलुओं पर ब्रोशरों/सूचना पुस्तिकाओं का निर्माण।

(5) सांस्कृतिक हैरिटेज के संवर्धन एवं विकास हेतु भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण तथा राज्य सरकारों के साथ सहयोग।

(ग) इस संबंध में किए गए विभिन्न उपायों के ब्यौरे संलग्न विवरण-I से IV में दिए गए हैं।

विवरण I

वर्ष 1999-2000 के दौरान मीडिया टीम, यात्रा एजेंटों/टूअर आपरेटरों, टी.वी. टीमों तथा रायकर्त्ताओं के फेमिलियराइजेशन ट्रिप

पर्यटन मंत्रालय ने देश के पर्यटक आकर्षणों को अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में व्यापक प्रचार देने के प्रयोजन के लिए विदेशों से ट्रेवल एजेंटों/टूअर आपरेटरों, टी.वी. टीमों, मीडिया व्यक्तियों तथा रायकर्त्ताओं को फेमिलियराइजेसन ट्रिपों पर आमंत्रित किया। आगन्तुकों ने ऐतिहासिक स्मारक तथा हैरिटेज स्थल, मेले तथा उत्सव, कला एवं शिल्पकला केन्द्र, संग्रहालय तथा आर्ट गैलरियां, योग तथा आयुर्वेद केन्द्र आदि क्षेत्रों का दौरा किया।

वर्ष 1999-2000 के दौरान 266 व्यक्तियों तथा समूहों को भारत की यात्रा पर आमंत्रित किया गया।

विवरण II

वर्ष 1999-2000 के लिए पर्यटक अवसंरचना के विकास हेतु प्राथमिकता प्रदत्त परियोजनाएं

परियोजना/मद — मेले तथा उत्सव
अनुभाग का नाम — विदेशी विपणन (दिनांक 31.3.2000 को)

(लाख रुपयों में)

क्र.सं.	राज्य	प्राथमिकता प्रदत्त परियोजनाओं की संख्या	प्राथमिकता प्रदत्त राशि	प्राप्त परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या तथा राशि	नई परियोजनाओं के लिए रिलीज की गई राशि	पुरानी परियोजनाओं की संख्या तथा रिलीज की गई राशि	आंतरिक वित्त के फंस परियोजनाओं की संख्या तथा प्रस्तावित राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	5	20.00	4	3 6.72	4.04	–	–
2.	असम	3	18.00	2	2 6.50	3.25	4.00	–
3.	अरुणाचल प्रदेश	1	5.00	–	–	–	–	–
4.	बिहार	4	33.00	2	1 10.00	5.00	25.78	–
5.	गोवा	3	15.00	3	3 9.35	–	–	–
6.	गुजरात	7	40.00	7	7 19.00	9.50	9.46	–
7.	हरियाणा	3	40.00	3	3 38.00	25.15	14.22	–
8.	हिमाचल प्रदेश	–	–	–	–	–	–	
9.	जम्मू एवं कश्मीर	–	–	–	–	–	–	–
10.	कर्नाटक	5	25.00	1	1 2.50	1.25	1.00	–
11.	केरल	5	5.00	5	5 5.00	2.50	6.50	–
12.	मध्य प्रदेश	5	30.00	2	1 2.73	7.50	3.00	–
13.	महाराष्ट्र	5	25.00	5	– –	12.99	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.	मणिपुर	4	8.50	2	2 7.00	3.50	–	–
15.	मेघालय	1	2.00	1	1 0.75	0.37	–	–
16.	मिजोरम	1	5.00	–	– –	–	–	–
17.	नागालैण्ड	1	6.00	2	2 4.00	2.00	–	–
18.	उड़ीसा	6	21.00	4	3 4.95	5.00	2.50	–
19.	पंजाब	5	25.00	5	5 25.00	12.50	–	–
20.	राजस्थान	1	5.00	–	– –	–	–	–
	सिक्किम	2	10.00	1	1 5.00	2.50	–	–
22.	तमिलनाडु	6	12.00	6	–	1.325	–	– ***
23.	त्रिपुरा	1	5.00	–	–	–	0.60	–
24.	उत्तर प्रदेश	10	48.00	7	7 33.18	17.07	8.44	–
25.	पश्चिम बंगाल	3	14.00	1	1 3.38	1.69	–	–
26.	अंडमान और निकोबार	2	53.00	–	–	–	–	–
27.	चण्डीगढ़	2	1.00	–	–	–	–	–
28.	दादर नगर हवेली	1	5.00	–	–	–	–	–
29.	दिल्ली	4	20.00	4	4 20.00	10.70	0.70	–
30.	दमन और द्वीव	–	–	–	–	–	–	–
31.	लक्षद्वीप	–	–	–	–	–	–	–
32.	पांडिचेरी	2	3.00	1	1 1.24	0.62	–	–
	स्वदेशी विज्ञान मेला					20.00	–	–
	जोड़					148.45	75.50	–

(1) नई परियोजनाओं के लिए अवमुक्त राशि 148.45 रुपये

(2) पुरानी परियोजनाओं के लिए अवमुक्त राशि 75.50 रुपये

जोड़ 223.95 रुपये

*** अवमुक्त की गयी राशि किन्तु राज्य सरकार द्वारा खर्च नहीं की गयी इसलिए इस राशि का समायोजन वर्ष 2000-2001 के दौरान किया जाना है। 1.28 रुपये

विवरण III

वर्ष 1999-2000 के दौरान तैयार की गई प्रचार सामग्री

क. गन्तव्य स्थल ब्रोशर

1. इंडिया डैस्टीनेशन आफ दि न्यू मिलेनियम
2. अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह
3. दिल्ली
4. बैंगलोर-मैसूर
5. गोआ
6. वाराणसी
7. उदयपुर-चित्तौड़गढ़-माउंटआबू
8. आगरा-मथुरा-भरतपुर
9. जयपुर-अजमेर-रणथम्भौर
10. दार्जिलिंग-कालिम्पोंग-गंगटोक
11. शिमला-कुल्लू-धर्मशाला
12. गढ़वाल-कुमायूं हिल्स
13. चैन्नई-मामल्लापुरम-कांचीपुरम

ख. थीमैटिक ब्रोशर

1. स्कूबा डाइविंग
2. एडवेंटर स्पोर्टस डायरेक्टरी
3. हिल स्टेशन आफ इंडिया
4. म्यूजियम्स आफ इंडिया
5. ट्रेवल एजेंट्स डायरेक्टरी

ग. मानचित्र

1. मुम्बई मानचित्र

घ. फिल्में

1. ट्रेकिंग ट्रेल्स आफ इंडिया
2. फेयर्स एणअड फैस्टीवल्स आफ इंडिया

विवरण IV

क्र.सं.	प्रदर्शनियों/मेलों का नाम	विदेशी कार्यालयों/भारत सरकार पर्यटक कार्यालयों द्वारा भागीदारी
1	2	3
1.	फेरिया मुंडयाल डी टूरिज़्मों	अर्जेंटीना
2.	फेरिया इंटरनेशनल डी टूरिज्मों	अर्जेंटीना
3.	ट्रेवल वैकेशन शो, ओटावा	टोरंटो
4.	ट्रेवल एंड लेजर शो, टोरंटो	टोरंटो
5.	एडिशन ट्रेवल शो, वैंकुवर	टोरंटो
6.	लास एंजिलिस टाइम ट्रैवल शो	लास एंजिलिस
7.	नेशनल ट्रेवल एक्सचेंज	लास एंजिलिस
8.	टूअर द ग्लोब शो	लास एंजिलिस
9.	ए एस टी ए एरीजोना चेप्टर	लास एंजिलिस
10.	ए एस टी ए ''ज क्रूजफेस्ट एंड ट्रेवल शोकेस	न्यूयार्क

1	2	3
11.	ए डब्ल्यू टी ए ट्रेवल ट्रेड शो	न्यूयार्क
12.	नेशनल ट्रेवल एक्सचेंज ट्रेड शो	न्यूयार्क
13.	एन टी ई ट्रेवल ट्रेड शो	न्यूयार्क
14.	टूर/क्रूज एक्सपो' 98	न्यूयार्क
15.	1 एनुअल ए.ए.एस.टी.ए. ट्रेड शो	न्यूयार्क
16.	ट्रेवल ट्रेड/सी एल आई ए क्रूज-ए-थॉन	न्यूयार्क
17.	मैसर्स डी कल्चर्स ड्यू मांडे-मि. शेरिफ खजनदार	पैरिस
18.	थियेटर डी ला विल्ले-मि. थामस एरडास-काउंसलर आर्टिस्टिक	पैरिस
	सैंटर डी रिलेशन्स कल्चरल्स फ्रैंकों-इंडियन एम. महेश घटराडायल	पैरिस
20.	टूर ब्रेसयालिया 5-8 अक्तूबर ब्रेसयालिया, नेशनल	अर्जेंटीना
21.	जनवरी 12 न्यू कैसल ट्रेवल एंड हालिडे एंड ट्रेवल शो	जोहन्सबर्ग
22.	29-30 हॉबर्ट ए एफ टी ए ट्रेवल शो	जोहन्सबर्ग
23.	11-14 पाटा, सिंगापुर	जोहन्सबर्ग
24.	इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, दार-ए-सलम	जोहन्सबर्ग
25.	गेटवे ट्रेवल शो, जोहन्सबर्ग (दक्षिण अफ्रीका)	जोहन्सबर्ग
26.	गेटवे ट्रेवल शो, डरबन (दक्षिण अफ्रीका)	जोहन्सबर्ग
27.	आस्टा ट्रेवल एक्सपो, 2000 वींकीफीबटयुबम (दक्षिण अफ्रीका)	जोहन्सबर्ग
28.	मेडिटेरेनियम ट्रेवल एक्सपो "2000" काहिरा मिश्र	जोहन्सबर्ग
29.	गेटवे ट्रेवल शो, केप्टाउन (दक्षिण अफ्रीका)	जोहन्सबर्ग
30.	द फर्स्ट फेयर (रेसीलीव 2001) ओसलो, नार्वे	स्टाकहोम
31.	इंडिया ट्रेड एक्जीबिशन	तेल अवीव
32.	फरवरी 2001 में इंटरनेशनल मेडिटेरेनियन टूरिज्म मार्केट	तेल अवीव
33.	अरब वर्ल्ड ट्रेवल एंड टूरिज्म एक्सचेंज (एडब्ल्यूटीटीई) बेरूत, लेबनान 30 मार्च-2 अप्रैल 2000	दुबई

1	2	3
34.	अरेबियन ट्रेवल मार्केट, दुबई यू.ए.ई.-5 मई, 2000	दुबई
35.	कुवैत इंटरनेशनल फेयर, कुवैत 15-19 मई	दुबई
36.	69वां इजमीर इंटरनेशनल फेयर, इजमीर, तुर्की	दुबई
37.	गल्फ-2000, जेद्दाह, सऊदी अरब 26-28 सितम्बर	दुबई
38.	तेहरान इंटरनेशनल फेयर, तेहरान, ईरान	दुबई
39.	मस्कट इंटरनेशनल फेयर, मस्कट, ओमान	दुबई
40.	दमस्कस इंटरनेशनल फेयर, दमस्कस, सीरिया	दुबई
41.	इंटरनेशनल आटम फेयर, दुबई, यूएई	दुबई
42.	वीकर्स वर्ल्ड शो (कंज्यूमर शो)	लंदन
43.	वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट (ट्रेड शो)	लंदन
44.	हालिडे वर्ल्ड डबलिन (ट्रेड एंड कंज्यूमर शो)	लंदन
45.	हालिडे शो 2001 (कंज्यूमर शो)	लंदन
46.	इंटरनेशनल कान्फेक्स 2001 (ट्रेड शो)	लंदन
47.	वेकेंटी इनफो ब्यूरस, मासट्रिस्चट, हॉलैंड	एमस्टरडम
48.	वेकेंटी ब्यूर, यूटेच्ट, हॉलैंड	एमस्टरडम
49.	एफ आई टी यू आर	मैड्रीड
50.	बी आई टी	मिलान
51.	आई टी बी, बर्लिन/जर्मनी	फ्रैंकफर्ट

[अनुवाद]

फलों/सब्जियों का निर्यात

*296. **श्री रतन लाल कटारिया:** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशों में भारतीय फलों और सब्जियों की मांग तेजी से बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या फल/सब्जियों की कुछ मदों के निर्यात पर कोई प्रतिबंध/पाबन्दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार इन मदों पर से प्रतिबंध/पाबन्दी हटाने पर विचार कर रही है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) फलों और सब्जियों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) और (ख) अंतर्राष्ट्रीय बाजार में फलों एवं सब्जियों की काफी मांग है और भारतीय फल एवं सब्जियां प्रति वर्ष 0.5 मिलियन टन के औसत से इन बाजारों में प्रवेश पा रही हैं।

(ग) से (च) प्याज के निर्यात के मामले को छोड़कर, जिसका सरणीयन किया गया है, भारत से फलों एवं सब्जियों के निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं है। प्याज का निर्यात सरणीकृत है और जिसे फसल/बाजार आवक और तेजी तथा मंदी के मौसम में उपलब्धता के आधार पर निर्यात के लिए समय-समय पर जारी मात्रा के द्वारा विनियमित किया जाता है। सरकार ने हाल में प्याज के निर्यात के लिए एक दीर्घावधि नीति अनुमोदित की है। दीर्घावधि नीति के तहत, अगले फसल वर्ष के लिए प्याज के निर्यात के लिए कोटा की घोषणा अग्रिम रूप में कर दी जाएगी। सरकार ने 26 अप्रैल, 2000 से बंगलौर रोज और कृष्णापुरम प्याज के निर्यात पर से प्रतिबंधों को हटा लिया है।

(छ) नौवीं योजना के दौरान बागवानी उत्पादों जैसेकि फलों एवं सब्जियों का उत्पादन और निर्यात बढ़ाने के लिए उठाए गए/उठाए जाने वाले कदमों में शामिल हैं:

(1) उष्णकटिबंधीय शीतोष्ण और शुष्क क्षेत्र के फलों के समेकित विकास के संबंध में केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अधीन अच्छी क्वालिटी की रोपण सामग्री के उत्पादन के लिए छोटी और बड़ी पौधशालाएं लगाने के लिए सहायता प्रदान करने, प्रदर्शनों, प्रशिक्षणों और प्रचार के माध्यम से किसानों की तकनीकी जानकारी का उन्नयन, पुराने फलोद्यानों का नवीकरण, क्षेत्र विस्तार, सब्जियों के लिए छोटे टोकरों (मिनीकिट्स) की आपूर्ति और उत्पादकता में सुधार लाना तथा किसानों को प्रशिक्षण प्रदान करना;

(2) निर्यात एककों में आधुनिक आई एस ओ 9000/एचएसीसीपी प्रणालियों की स्थापना सहित उन्नत पैकेजिंग और गुणवत्ता नियंत्रण के सुदृढ़ीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना;

(3) चुनिन्दा ताजी सब्जियों और ताजे फलों के निर्यात के लिए हवाई भाड़ा इमदाद की मंजूरी;

(4) विदेशी बाजारों में उत्पादों, विशेषकर आमों की ग्राह्यता में सुधार लाने के लिए वाष्प ताप अभिक्रिया सुविधाओं की संस्थापना;

(5) क्रेता विक्रेता बैठकों और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मेलों और प्रदर्शनियों में सह-भागिता जैसे संवर्धनात्मक अभियानों की व्यवस्था करना;

(6) ताजे फलों और ताजी सब्जियों जैसे जल्दी खराब होने वाली मदों के निर्यात के संचालन के लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों पर एकीकृत कार्गो संचालन और शीत भंडारण की सुविधाओं की स्थापना करना;

(7) निर्यात उत्पादन, गुणवत्ता नियंत्रण, पैकेजिंग परिवहन इत्यादि के लिए किसानों को प्रशिक्षण प्रदान करने सहित व्यापार और उद्योग जगत को तकनीकी परामर्शी सेवा और दूसरी सहायता सेवाएं मुहैया कराना।

भंडारण सुविधाओं का आधुनिकीकरण

***297. श्री प्रभात सामन्तराय:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खाद्यान्न भंडारण सुविधाओं का आधुनिकीकरण तथा विस्तार कैनेडियन कोष्ठागार के नमूने के आधार पर किये जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार के प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शांता कुमार): (क) से (ग) सरकार द्वारा हाल ही में घोषित खाद्यान्नों की हैंडलिंग, भण्डारण और ढुलाई संबंधी राष्ट्रीय नीति के अनुसार निजी क्षेत्र के माध्यम से खाद्यान्नों के लिए समन्वित बल्क हैंडलिंग, भंडारण और ढुलाई सुविधाएं शुरू की जानी हैं। इस संबंध में किसी विशेष प्रौद्योगिकी के संबंध में कोई निश्चित निर्णय नहीं लिया गया है। प्रस्तावित पैटर्न में प्रतिस्पर्द्धी बोलियों (बिडिंग) की प्रक्रिया के माध्यम से चुने जाने वाले 'डवलपर-कम-आपरेटर" तकनीकी विनिर्दिष्टियां प्रस्तुत करेंगे जिसका भारतीय परिस्थितियों में उपयुक्तता संबंधी मूल्यांकन किया जाएगा। इस नीति संबंधी संकल्प की प्रति संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

भारत के राजपत्र के भाग 1 खण्ड 1 में प्रकाशनार्थ

टी.एफ.सी.-14/99-वाल्यूम-3

भारत सरकार

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

सार्वजनिक वितरण विभाग

कृषि भवन, नई दिल्ली, दिनांक 4 जुलाई, 2000

संकल्प

फार्म और वाणिज्यिक स्तर पर खाद्यान्नों की भंडारण और मार्गस्थ हानियों को कम करने, भारतीय खाद्य निगम द्वारा वसूल

किए गए खाद्यान्नों की हैंडलिंग, भंडारण और ढुलाई की प्रणाली को आधुनिक बनाने और निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से अतिरिक्त संसाधन लाने के लिए सरकार ने खाद्यान्नों की हैंडलिंग, संग्रह और ढुलाई के लिए एक राष्ट्रीय नीति का अनुमोदन किया है जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:

1. *नीति के उद्देश्य*

इस नीति के मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार है:

(1) फार्म स्तर पर खाद्यान्न के कुल उत्पादन का लगभग 70 प्रतिशत भाग रखा जाता है और इसका उपभोग किया जाता है। इसी फार्म स्तर पर भंडारण और मार्गस्थ हानियों में कमी करना और किसानों को वैज्ञानिक भंडारण विधियाँ अपनाने के लिए प्रोत्साहित भी करना।

(2) भारतीय खाद्य निगम द्वारा वसूल किए गए खाद्यान्नों की हैंडलिंग, भंडारण और ढुलाई की प्रणाली को आधुनिक बनाना।

(3) देश में खाद्यान्नों की बल्क हैंडलिंग, भंडारण और ढुलाई शुरू करने के लिए बुनियादी सुविधाओं को उपलब्ध करवाना और इसके प्रचालन के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में घरेलू और विदेशी स्तर पर प्रयासों में तेजी लाना और संसाधनों का इस्तेमाल करना।

2. *घरेलू भंडारण के लिए नीति*

2.1 चूंकि घरों में कुल उत्पादन का लगभग 70 प्रतिशत भाग रखा जाता है और अनुपयुक्त भंडारण के कारण फार्म स्तर पर खाद्यान्नों की काफी मात्रा बर्बाद हो जाती है इसलिए फार्म स्तर पर भंडारण मानकों में सुधार करने का प्रमुख ध्यान देना होगा। वर्तमान में, इस जरूरत को लक्षित करने वाली एकमात्र योजना अन्न सुरक्षा अभियान है जो धात्विक और गैर-धात्विक भंडारण ढांचों के प्रयोग को लोकप्रिय बनाता है और भंडारण की वैज्ञानिक विधियों को अपनाने के लिए किसानों को शिक्षित करता है। योजना का उद्देश्य गैर-धात्विक परम्परागत भंडारण ढांचों का विकास करना/इनमें सुधार करना भी है।

2.2 इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण सफलता हासिल करने के लिए निम्नलिखित प्रोत्साहनों की आवश्यकता है:

(1) वैज्ञानिक फार्म स्तर पर धात्विक और गैर-धात्विक भंडारण ढांचों को बढ़ावा देना और उपयुक्त वित्तीय प्रोत्साहनों के साथ सामुदायिक स्तर पर आर.सी.सी. बिनों के निर्माण के लिए योजना शुरू करना।

(2) खाद्यान्नों के वैज्ञानिक भंडारण और परिरक्षण तथा किसानों के बीच उनके प्रचार के लिए अन्न सुरक्षा अभियान के मौजूदा अनुसंधान और प्रशिक्षण घटकों को सुदृढ़ बनाना।

3. *अनाज की बल्क हैंडलिंग ढांचे का आधुनिकीकरण और उच्च श्रेणीकरण*

3.1 भंडारण हानियों को कम करने के लिए भारत में समन्वित बल्क हैंडलिंग, भंडारण और ढुलाई के ढांचे का विकास करना और इसका आधुनिकीकरण करना आवश्यक है। नीति निम्नलिखित पर केन्द्रित होनी चाहिए:-

(1) फार्म और मंडी स्तर पर यंत्रीकृत कटाई, सफाई और शुष्कन को बढ़ावा देना।

(2) विशेष रूप से डिजाइन किए गए ट्रकों द्वारा फार्म से साइलो तक अनाज की ढुलाई करना।

(3) वसूली और वितरण केन्द्रों पर साइलों की शृंखला का निर्माण करना।

(4) विशेष रूप से डिजाइन किए गए ट्रकों/रेल वैगनों (टॉप फिलिंग और बॉटम डिस्चार्ज सुविधा सहित)/ "डेडीकेटिड" रेल गाड़ियों द्वारा साइलो से रेल शीर्षों तक और उसके बाद पूर्व निर्धारित गंतव्य तक अनाज की ढुलाई।

(5) खाद्यान्न भंडारण की अवसंरचना के रूप में घोषणा करना।

3.2 भारतीय खाद्य निगम द्वारा वसूल खाद्यान्नों के भंडारण के लिए गेहूं के लिए विशाल क्षमता के साइलो सहित समन्वित बल्क हैंडलिंग सुविधाएं, जिनमें गुणवत्ता नियंत्रण के लिए परीक्षण सुविधाएं होंगी, उत्पादक और उपभोक्ता क्षेत्रों तथा कुछेक पत्तन शहरों में पहचान किए गए लगभग 20 केन्द्रीय स्थलों पर सृजित की जाएगी। इन केन्द्रों तक बल्क ढुलाई के ढांचे सहित इन सुविधाओं का सृजन भारतीय खाद्य निगम के समग्र सहयोग के तहत निजी क्षेत्र में किया जाएगा और इसका रख-रखाव भी निजी क्षेत्र द्वारा किया जाएगा। "टाप फिलिंग" और "बॉटम डिस्चार्ज" विशेष डिब्बों की डिजाइन के बारे में निर्णय रेल मंत्रालय से परामर्श करते हुए लिया जाएगा। इन स्थलों और सर्किटों, जहां इन डिब्बों का इस्तेमाल किया जाएगा, का निर्णय लेते समय रेल मंत्रालय से भी परामर्श किया जाएगा। भारतीय खाद्य निगम पहले दस वर्षों के लिए इन सुविधाओं की 100 प्रतिशत तक उपयोग और अगले 10 वर्षों के लिए 75 प्रतिशत तक उपयोग की गारंटी देगा। इन बिन्दुओं से खाद्यान्नों की अनुषंगी ढुलाई विभिन्न राज्यों में महत्वपूर्ण केन्द्रीय स्थलों में भारतीय खाद्य निगम द्वारा स्वामित्व में रखे और

रख-रखाव किये जाने वाले लगभग 500 गोदामों को बोरियों के रूप में की जाएगी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खुदरा वितरण के लिए उपभोक्ता केन्द्रों तक आगे ढुलाई राज्य सरकारों द्वारा की जाएगी।

3.3 निजी क्षेत्र को भंडारण क्षमताओं का विकास करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा जिनमें वे सरकारी एजेंसियों द्वारा वसूल खाद्यान्नों का भंडारण और इनका रख-रखाव करेंगे जिनके लिए वे भंडारण प्रभारों के लिए पात्र होंगे।

3.4 निम्नलिखित के माध्यम से समन्वित बल्क हैंडलिंग, भंडारण और ढुलाई के लिए डांचे के विकास के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी मांगी जाएगी और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा।

(1) ''बिल्ड-ऑन-आपरेट-ट्रांसफर'', ''बिल्ड-ऑन-लीज-ट्रांसफर'', ''बिल्ड-ऑन-आपरेट'', ''लीज-डेवलप-आपरेट'', ''ज्वाइंट वेंचर'' आदि जैसे उपाय।

(2) निजी उद्यमियों द्वारा सार्वजनिक निर्गमों के माध्यम से निधियों का सृजन।

(3) 100 प्रतिशत तक सीधे बाह्य निवेश के लिए स्वत: मंजूरी।

(4) वित्तीय संस्थाओं, नाबार्ड, बाहरी वाणिज्यिक उधारियों से ऋण।

(5) राजकोषीय प्रोत्साहन जैसाकि नीचे दिए गए हैं:

(क) पहले पांच वर्षों के लिए आयकर के प्रयोजन के लिए लाभ 100 प्रतिशत कटौती और अगले पांच वर्षों के लिए लाभ में 30 प्रतिशत कटौती।

(ख) ऐसी परियोजनाओं को वित्त पोषित करने वाले वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्राप्त लाभों में 40 प्रतिशत लाभ की कटौती करना जैसा कि अन्य बातों के साथ-साथ कृषिगत विकास के लिए दीर्घकालीन वित्त पोषण करने के कार्य में लगे वित्तीय निगमों के लिए व्यवस्था की गई है।

(ग) भारत में न बनाई गई वस्तुओं के लिए मामला-दर-मामला आधार सीमा-शुल्क से छूट प्रदान करना बशर्ते ऐसे उपकरणों की सूची अग्रिम रूप से प्रस्तुत की जाए।

4. पत्तनों पर अवसंरचनात्मक ढांचे संबंधी सुविधाओं का विकास

परंपरागत रूप से भारत खाद्यान्नों का आयात करता रहा है। अत: पत्तन संबंधी अवसंरचनात्मक सुविधाएं केवल अनाज के उतरान प्रचार के लिए ही है, निर्यात के लिए नहीं। उतरान प्रचालन के लिए सामान्य रूप से जहाज के गियर का उपयोग किया जाता है। जवाहर लाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट पर उपलब्ध अद्यतन आंतरिक सुविधाएं केवल आयात के प्रयोजन के लिए ही सृजित की गई हैं। बड़े पत्तनों पर सामान्य माल उतारने के लिए बर्थ की कमी है और पत्तन पर खाद्यान्नों के भंडारण के लिए भांडागारण सुविधाएं बहुत कम उपलब्ध है। निर्यात के प्रयोजनार्थ खाद्यान्नों हेतु यथासमय उचित पत्तन की सुविधाएं सृजित करने के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाएं विकसित करनी होंगी, जिसके लिए निम्नलिखित कार्रवाई अपेक्षित है:

(1) खाद्यान्नों निर्यात हेतु ऐसे पत्तनों की पहचान की जाए जिन्हें विकसित किया जा सके। खाद्यान्नों के वितरण हेतु खाद्यान्नों के यातायात का वितरण ऐसे अपरंपरागत पत्तनों पर किया जाए जहां पर अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध है जैसे नया मैंगलोर एवं कोचीन पत्तन पर है।

(2) पत्तनों पर पत्तनों द्वारा स्वयं अथवा निजी भागीदारी से और अधिक सामान्य माल चढ़ाने-उतारने के लिए सुविधाओं का विकास करना।

(3) विकास/जल सीमाएं तथा बर्थ उन उपयोगकर्त्ताओं को लीज पर दी जाएं जो अपने लिए सुविधाएं विकसित करने के लिए प्रोत्साहित हो सकें; और

(4) चुनिंदा पत्तनों पर केवल अनाज के हैंडलिंग के लिए आधुनिक सुविधाएं विकसित करना।

5. केन्द्रीय सरकार की भूमिका

केन्द्रीय सरकार को चाहिए कि

(क) एक अनुमोदन बोर्ड की स्थापना करे जो अनाज के बल्क हैंडलिंग, ढुलाई और भंडारण की परियोजनाओं को शीघ्र अनुमोदित करने हेतु सक्षम हो।

(ख) तकनीकी/वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए दूसरे देशों और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ द्विपक्षीय समझौता करें।

(ग) विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए ट्रक नियंत्रण आदेश/संचलन नियंत्रण आदेशों को समाप्त करने के लिए आवश्यक वैधानिक एवं प्रशासनिक कदम उठाएं।

(घ) सफाई, सुखाने हेतु, भंडारण एवं संचलन आदि की दरें निश्चित करने/विनियमित करने मौजूदा स्वतंत्र विनियामक कार्यप्रणाली की सेवाओं का उपयोग करें।

(ङ) अनाज के बल्क ढुलाई के लिए रेलवे की सुविधाएं उपलब्ध कराना।

(च) विनिमय भांडागारण रसीद प्रणाली को इस प्रकार प्रोन्नत करना जिससे किसान इन रसीदों के बदले बैंक से अपनी आवश्यकतानुसार कार्यकारी पूंजी/अल्पावधि आवश्यकताओं हेतु राशि उधार ले सकें एवं किसान को अपना अनाज तुरंत बाजार में न बेचना पड़े; और

(छ) निर्यात अनाज भंडारण प्रौद्योगिकी जैसी वैकल्पिक भंडारण तकनीकियों के विकास के लिए अनुसंधान प्रोन्नत करना जिससे अनाज के भंडारण की समय सीमा बढ़ाई जा सके तथा निर्यात पैकों में अनाज का निर्यात किया जा सके।

5. *राज्य सरकार की भूमिका:*

राज्य सरकारों का चाहिए कि:

(क) जनहित के प्रयोजन जैसी विभिन्न परियोजनाओं के लिए जमीन का अधिग्रहण करना, और

(ख) पानी, विद्युत मार्ग आदि जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराना।

ह./-
(बी.के. बल)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, योजना आयोग, सभी राज्य सरकारों और संघ शासित प्रशासनों के मुख्य सचिव, भारतीय खाद्य निगम और केन्द्रीय भंडारण निगम के अध्यक्ष और महाप्रबंधक को भेजी जाए। यह भी आदेश दिया जाता है कि आम सूचना के लिए इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

ह./-
(बी.के. बल)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सेवा में

प्रबंधक,
भारत सरकार प्रेस,
फरीदाबाद

विश्व व्यापार संगठन के तहत सहस्त्राब्दि वार्ताएं

***298. कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली:**
श्री कालवा श्रीनिवासुलु:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत विश्व व्यापार संगठन के तत्वावधान में की जा रही सहस्त्राब्दि वार्ताओं में भाग ले रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उरुग्वे और गैट में हुई वार्ताओं के पिछले अनुभव को ध्यान में रखते हुए विश्व व्यापार संगठन के समक्ष भारत के विचार रखने के लिए वार्ताकार दल गठित किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) विश्व व्यापार संगठन की वार्ताओं का सामना करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) विश्व व्यापार संगठन के तहत कोई नई सहस्त्राब्दि वार्ताएं नहीं हो रही हैं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

किसान क्रेडिट कार्ड

***299. डा. जसवंत सिंह यादव:**
श्री अनिल बसु:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं और ऐसे कार्डों पर किसानों को कितनी राशि का ऋण दिया जाता है;

(ख) वर्ष 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए बैंकवार और राज्यवार क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान आज तक, राज्यवार और बैंकवार कितने किसानों को क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं और इस योजना के अंतर्गत कितना ऋण मंजूर किया गया है; और

(घ) सरकार द्वारा इस योजना के उचित कार्यान्वयन की निगरानी के लिए और किसानों में इसे लोकप्रिय बनाने हेतु क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा): (क) से (ग) किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत फसल ऋण की स्वीकृति के योग्य सभी किसान कार्ड जारी करने के लिए पात्र हैं। इस योजना के अंतर्गत दिया जाने वाला ऋण परिक्रामी नकदी ऋण सीमा के रूप में होता है जिसे पूरे वर्ष के लिए किसानों की समस्त फसल ऋण आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ऐच्छिक पोत, फसल के स्वरूप एवं वित्त की मात्रा के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

बैंकों के लिए वर्ष 1998-99 के दौरान किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे। वर्ष 1999-2000 के लिए किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंक-वार लक्ष्य संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। वर्ष 2000-2001 के दौरान बैंकिंग क्षेत्र (वाणिज्यिक बैंक+क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक+सहकारी बैंक) द्वारा 75 लाख किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने का लक्ष्य है। वर्ष 2000-2001 के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए बैंक-वार लक्ष्य संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं। वर्ष 1998-99, 1999-2000 एवं 2000-01 के दौरान जारी किसान क्रेडिट कार्ड की बैंक-वार स्थिति एवं इनकी स्वीकृत राशि विवरण-III में दी गई है।

सहकारी बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा इस योजना के प्रारम्भ के बाद जारी किए गए किसान क्रेडिट कार्डों की संख्या तथा स्वीकृत ऋण राशि का ब्यौरा देते हुए 31 मार्च, 2000 की स्थिति के अनुसार राज्य-वार एवं बैंक-वार प्रगति विवरण-IV में दर्शाई गई है। इसी प्रकार वर्ष 2000-01 के लिए किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए निर्धारित लक्ष्य के साथ-साथ राज्य-वार तथा बैंक-वार (सहकारी बैंक एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक) प्रगति विवरण-V में दर्शाई गई है।

(घ) किसान क्रेडिट कार्ड योजना को लोकप्रिय बनाने के लिए राज्य स्तरीय बैंकर समिति के संयोजकों तथा प्रमुख बैंकों को सलाह दी गई है कि किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने में हुई प्रगति की राज्य स्तर एवं जिला स्तर पर समीक्षा की जाए। भारतीय रिजर्व बैंक तथा सरकार द्वारा भी नियमित रूप से योजना की प्रगति की समीक्षा की जाती है तथा उपलब्धियों की निगरानी मासिक आधार पर की जाती है। बैंकों को प्रिन्ट एवं इलैक्ट्रानिक प्रचार-प्रसार के माध्यम द्वारा इस योजना के पर्याप्त प्रचार की सलाह दी गई है जिसमें यह बताया गया है कि इस योजना से किसानों को पर्याप्त एवं सामयिक ऋण प्रवाह सुनिश्चित किया जाएगा तथा वे प्रत्येक वर्ष बैंकों द्वारा अपनी ऋण आवश्यकता का निर्धारण करवाने की समस्या से भी मुक्त रहेंगे।

विवरण I

किसान क्रेडिट कार्ड योजना-वर्ष 1999-2000 के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों को आबंटित लक्ष्य

क्र.सं.	बैंक का नाम	लक्ष्य
1	2	3
1.	भारतीय स्टेट बैंक	625000
2.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	20000
3.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	75000
4.	स्टेट बैंक आफ इन्दौर	20000
5.	स्टेट बैंक आफ मैसूर	30000
6.	स्टेट बैंक आफ पटियाला	45000
7.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	74000
8.	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	22000
9.	इलाहाबाद बैंक	20000
10.	आंध्रा बैंक	100000
11.	बैंक आफ बड़ौदा	56000
12.	बैंक आफ इंडिया	72000
13.	बैंक आफ महाराष्ट्र	33000
14.	केनरा बैंक	254000
15.	सैन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	28000
16.	कार्पोरेशन बैंक	30000
17.	देना बैंक	20000
18.	इंडियन बैंक	70000
19.	इंडियन ओवरसीज बैंक	92000
20.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	20000
21.	पंजाब नैशनल बैंक	52000
22.	पंजाब एंड सिंध बैंक	21000
23.	सिंडिकेट बैंक	64000
24.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	64000

1	2	3
25.	युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	42000
26.	यूको बैंक	20000
27.	विजया बैंक	31000
	कुल	2000000

विवरण II

किसान क्रेडिट कार्ड योजना–वर्ष 2000-2001 के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों को आबंटित लक्ष्य

क्र.सं.	बैंक का नाम	लक्ष्य
1	2	3
1.	भारतीय स्टेट बैंक	577000
2.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	12000
3.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	91000
4.	स्टेट बैंक आफ इन्दौर	10000
5.	स्टेट बैंक आफ मैसूर	38000
6.	स्टेट बैंक आफ पटियाला	77000
7.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	62000
8.	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	37000
9.	इलाहाबाद बैंक	20000
10.	आंध्रा बैंक	131000
11.	बैंक आफ बड़ौदा	81000
12.	बैंक आफ इंडिया	106000
13.	बैंक आफ महाराष्ट्र	63000
14.	केनरा बैंक	369000
15.	सैन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	42000
16.	कार्पोरेशन बैंक	36000
17.	देना बैंक	22000
18.	इंडियन बैंक	105000
19.	इंडियन ओवरसीज बैंक	160000
20.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	26000
21.	पंजाब नेशनल बैंक	86000
22.	पंजाब एंड सिंध बैंक	34000
23.	सिंडिकेट बैंक	91000
24.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	110000
25.	युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	48000
26.	यूको बैंक	22000
27.	विजया बैंक	44000
	कुल	2500000

विवरण III

सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा वर्ष 1998-99, 1999-2000 एवं 2000-2001 (अप्रैल, 2000 तक) के दौरान जारी किसान क्रेडिट कार्ड तथा स्वीकृत राशि की बैंक-वार स्थिति

क्र.सं.	बैंक का नाम	1998-99		1999-2000		2000-2001	
		जारी कि.क्रे.का.	स्वीकृत राशि	जारी कि.क्रे.का.	स्वीकृत राशि	जारी कि.क्रे.का.	स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	भारतीय स्टेट बैंक	19510	3125.00	325811	64655.19	3534	1407097

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	स्टेट बैंक आफ बीका. एंड जय.	–	–	17595	5954.27	414	148.82
3.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	649	120.78	62773	10252.42	371	96.49
4.	स्टेट बैंक आफ इंदौर	250	118.00	19287	6192.20	484	150.55
5.	स्टेट बैंक आफ मैसूर	–	–	17454	9245.00	650	299.00
6.	स्टेट बैंक आफ पटियाला	–	–	48418	14480.83	1138	317.25
7.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	1125	157.50	44461	11163.00	1072	270.00
8.	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	22	13.58	13323	3847.49	147	56.94
9.	इलाहाबाद बैंक	7794	2312.29	32047	13457.22	266	114.32
10	आंध्रा बैंक	5032	1163.18	91250	13346.37	1841	272.84
	बैंक आफ बड़ौदा	1637	612.26	51101	14327.99	648	247.23
12.	बैंक आफ इंडिया	5304	–	73467	24022.88	1769	905.80
13.	बैंक आफ महाराष्ट्र	–	–	25549	8700.42	1199	327.02
14.	केनरा बैंक	377725	106139.51	138414	28490.86	5317	1668.12
15.	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	500	–	24291	7267.95	309	78.04
16.	कारपोरेशन बैंक	20236	6124.08	29866	15958.00	979	4.11
17.	देना बैंक	4076	1042.97	20198	5919.12	754	465.57
18.	इंडियन बैंक	6475	1405.69	35965	4402.88	478	119.02
19.	इंडियन ओवरसीज बैंक	33	8.57	25221	5474.80	675	157.38
20.	ओरि. बैंक आफ कामर्स	–	–	21235	2160.75	357	237.96
21.	पंजाब नेशनल बैंक	2637	597.32	52002	25461.46	1666	9.07
22.	पंजाब एंड सिंध बैंक	–	–	21538	11474.97	1050	736.99
23.	सिंडिकेट बैंक	164645	22913.00	119336	27382.48	6854	1926.86
24.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	–	244.19	16994	3228.78	1151	250.30
25.	यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	329	39.27	9694	1270.82	200	20.34
26.	युको बैंक	418	168.53	8772	2735.90	444	1.08
27.	विजया बैंक	3694	839.65	19849	6825.14	404	151.89
	कुल	622391	147331.17	1365911	353708.19	34171	11855.70

विवरण IV

किसान क्रेडिट कार्ड योजना—31 मार्च, 2000 (आंकड़े अनंतिम) की स्थिति के अनुसार प्रगति
(बैंकों द्वारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के प्रादेशिक कार्यालयों को यथासूचित)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक			सहकारी बैंक			कुल	
		संख्या	जारी कार्ड	स्वीकृत राशि	संख्या	जारी कार्ड	स्वीकृत राशि	जारी कार्ड	स्वीकृत राशि
1.	आंध्रा बैंक	16	10349	1601.20	22	1664673	139625.90	1675022	141227.10
2.	असमँ	3	181	34.12	–	–	–	181	34.12
3.	बिहार	21	2274	371.10	13	1629	264.47	3903	635.57
4.	गुजरात	8	5226	1208.40	3	6042	1798.68	11268	3007.08
5.	हरियाणा	4	5788	2993.21	–	–	–	5788	2993.21
6.	हिमाचल प्रदेश	2	140	56.92	3	468	90.02	608	146.94
7.	जम्मू एवं कश्मीर*	2	269	36.85	4	1042	166.49	1311	203.34
8.	कर्नाटक	13	39896	9260.58	15	13138	3097.79	53034	12358.37
9.	केरल	2	53688	9930.55	9	33469	2714.67	87157	12645.22
10.	मध्य प्रदेश	20	5468	1461.68	43	75788	14650.79	81256	16112.47
11.	महाराष्ट्र	6	3500	875.00	28	339624	39103.30	343124	39978.30
12.	उड़ीसा	9	17225	1947.19	17	602029	106332.58	619254	108279.77
13.	पंजाब	5	3436	1704.76	–	–	–	3436	1704.76
14.	राजस्थान	12	6720	3295.09	26	989543	130900.00	996263	134195.09
15.	तमिलनाडु	3	1762	347.97	13	19587	3849.52	21349	4197.49
16.	उत्तर प्रदेश	33	23164	6395.89	–	–	–	23164	6395.89
17.	पश्चिम बंगाल	9	633	88.25	9	2732	491.34	3365	579.59
18.	त्रिपुरा	1	33	0.31	1	66	2.62	69	2.93
19.	गोवा	–	–	–	1	157	62.00	157	62.00
20.	अंडमान एवं निको. द्वीप*	–	–	–	1	235	23.50	235	23.50
	कुल*	169	179722	41609.07	208	3750222	443173.67	3929944	484782.74

विशेष टिप्पणी: इसमें बैंकों द्वारा ऐसी विद्यमान योजनाओं के अंतर्गत जारी कार्डों को शामिल किया गया है।

*राज्य सहकारी बैंक सीएफए के रूप में कार्य करते हैं।

**कुछ राज्यों में फसल ऋण के लिए सामान्य ऋण सीमा स्वीकृतियां शामिल हैं।

विवरण V

किसान क्रेडिट कार्ड योजना—31 जुलाई, 2000 (1 अप्रैल, 2000 तक) की स्थिति के अनुसार प्रगति
(नाबार्ड के प्रादेशिक कार्यालयों को बैंकों द्वारा यथासूचित)

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक				सहकारी बैंक				कुल		
		सं.	कार्ड लक्ष्य	जारी जारी	स्वीकृत राशि	सं.	कार्ड लक्ष्य	जारी	स्वीकृत राशि	कार्ड लक्ष्य	जारी	स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आंध्र प्रदेश	16	124000	1153	274.60	22	700000	255919	5151.60	824000	257072	5426.20
2.	असम*	3	700	एन.ए.	एन.ए.	-	500	-	-	1200	-	-
3.	बिहार	21	4200	3169	1129.15	13	25000	1080	161.63	29200	4249	1290.78
	गुजरात	8	21200	7082	2945.76	3	412900	186709	53611.43	434100	193791	56557.19
5.	हरियाणा	4	10200	290	140.58	-	200000	45084	4754.61	210200	45374	4895.19
6.	हिमाचल प्रदेश	2	200	64	16.68	3	25000	1650	3977.04	25200	1714	3993.72
7.	जम्मू एवं कश्मीर	2	200	66	13.66	4	2000	17	6.36	2200	83	20.02
8.	कर्नाटक	13	60000	12965	8079.81	15	150000	4685	3718.35	210000	17650	11798.16
9.	केरल	2	108200	7253	1581.75	9	500000	37112	3017.63	608200	44365	4599.38
10.	मध्य प्रदेश	20	7600	393	96.18	43	425000	2492	1898.86	432600	2885	1995.04
11.	महाराष्ट्र	6	16800	4752	1012.39	28	1021600	272106	44544.19	1038400	276858	45556.58
12.	उड़ीसा	9	22000	3398	2.00	17	374000	204172	12790.84	396000	207570	12792.84
13.	पंजाब	5	12300	889	415.24	-	175000	-	-	187300	889	415.24
14.	राजस्थान	12	8300	2048	1188.17	26	213000	15044	22717.63	221300	17092	23905.80
15.	तमिलनाडु	3	36500	5341	732.65	13	500000	42513	9067.04	536500	47854	9799.69
16.	पश्चिम बंगाल	33	57700	7163	1843.51	15	450000	33133	1468.40	507700	40296	3311.911
17.	उत्तर प्रदेश	9	9400	-	-	9	525000	205	40.76	534400	205	40.76
18.	त्रिपुरा	1	25	20	1.95	1	1000	-	-	1025	20	1.95
19.	गोवा	-	-	-	-	1	1000	-	-	1000	-	-
20.	मेघालय	-	400	115	10.90	1	500	36	1.72	900	151	12.62
21.	अंडमान एवं निको. द्वीप*	-	-	-	-	1	500	-	-	500	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22.	मणिपुर	-	-	-	-	-	500	-	-	-	-	-
23.	मिजोरम	-	-	-	-	-	500	-	-	-	-	-
24.	नागालैंड	-	-	-	-	-	5000	-	-	-	-	-
25.	अरुणाचल प्रदेश	-	100	-	-	-	500	-	-	-	-	-
	कुल**	170	500025	56161	19484.98	274	5708500	1101957	166928.09	ईआरआर	1158118	186413.07

विशेष टिप्पणी: इसमें बैंकों द्वारा इस प्रकार की विद्यमान योजनाओं के अंतर्गत जारी कार्ड शामिल हैं।

**कुछ राज्यों में फसल ऋण के लिए सामान्य ऋण सीमा स्वीकृतियां शामिल हैं।

*राज्य सहकारी बैंक सीएफए के रूप में कार्य करते हैं। आंकड़े अनंतिम हैं।

संख्या में योजना के प्रारम्भ के बाद इसे कार्यान्वित करने वाले बैंकों की संख्या बताई गई है।

उदारीकरण के पश्चात् आयात/निर्यात में वृद्धि

*300. **डा. सुशील कुमार इन्दौरा:**
श्री रामजीलाल सुमन:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भूमण्डलीकरण और उदारीकरण की नीति की घोषणा के पश्चात् विदेश व्यापार में कोई वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त नीति को अपनाने से पहले और अपनाने के बाद देश का आयात और निर्यात कितने प्रतिशत रहा है;

(ग) 90 के दशक के अंत तक विश्व के कुल आयात और निर्यात में से भारत द्वारा आयात और निर्यात का क्या प्रतिशत रहा;

(घ) क्या सरकार ने उक्त प्रतिशत में वृद्धि के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) और (ख) वर्ष 1991-92 में उदारीकरण के समय निर्यात 17865 मिलियन डालर के थे जो कि 1999-2000 में बढ़कर 37538 मिलियन डालर के (अनंतिम) हो गए हैं। निर्यात की मात्रा प्रतिस्पर्धी लाभ, विश्व व्यापार की सामान्य स्थिति आदि जैसे कारकों पर निर्भर करती है। वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय, कलकत्ता से उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, निर्यात एवं आयात में अमरीकी डालर के रूप में प्रतिशत वृद्धि निम्नानसार है:

वर्ष	निर्यातों में प्रतिशत वृद्धि	आयातों में प्रतिशत वृद्धि
1985-86	-9.9	11.5
1986-87	9.4	-2.1
1987-88	24.1	9.1
1988-89	15.6	13.6
1989-90	18.9	8.8
1990-91	9.2	13.5
1991-92	-1.5	-19.4
1992-93	3.8	12.7
1993-94	20.0	6.5
1994-95	18.4	22.9
1995-96	20.8	28.0
1996-97	5.3	6.7
1997-98	4.6	6.0
1998-99	-5.1	2.2
1999-2000*	11.6	10.2

*अनंतिम

स्रोत: डीजीसीआईएंडएस, कलकत्ता

(ग) से (ङ) डब्ल्यू टी ओ द्वारा उपलब्ध कराए गए नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 1998 में विश्व निर्यात में भारत का हिस्सा लगभग 0.6% रहा जबकि कुल विश्व आयात में भारत का हिस्सा 0.8% रहा। वर्ष 1998-99 में निर्यातों में नकारात्मक वृद्धि दर के पश्चात् 1999-2000 में 11.3% की निर्यात वृद्धि दर के लक्ष्य को पार करते हुए निर्यात वृद्धि दर 11.6% पर सकारात्मक हो गई है। अप्रैल-जून, 2000-2001 के दौरान निर्यात में वृद्धि पिछले वर्ष की संगत अवधि की तुलना में 27.65% की रही है। यह वृद्धि समूचे वर्ष के लिए निर्धारित 18% के लक्ष्य की तुलना में है।

[अनुवाद]

तिलहन पेराई उद्योग

3092. **श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय तिलहन पेराई उद्योगों की राज्यवार संख्या क्या है;

(ख) क्या तिलहनों के उत्पादन का पूर्ण रूप से उपयोग करने के लिए इन उद्योगों की पेराई क्षमता पर्याप्त है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) जुलाई, 1991 में वनस्पति तेल उद्योग से लाइसेंस हटाने के पश्चात् तिलहन पेराई उद्योगों के संबंध में सटीक राज्य-वार जानकारी उपलब्ध नहीं हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, अखिल भारत स्तर पर संगठित और लघु उद्योग दोनों क्षेत्रों की लगभग 1,50,000 तिलहन पेराई की इकाइयां हैं. जिनकी तिलहनों के संबंध में कुल वार्षिक क्षमता 425 लाख टन है।

(ख) जी हां। वास्तव में तिलहन पेराई इकाइयों का क्षमता उपयोग लघु उद्योग क्षेत्र में 10 प्रतिशत और संगठित क्षेत्र में 30 प्रतिशत तक की होती है जिसका आशय यह है कि उद्योग की संस्थापित क्षमता तिलहन उत्पादन की तुलना में काफी अधिक है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

एफीड्रीन और स्यूडो एफीड्रीन का दुरुपयोग

3093. **श्री जय प्रकाश:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एफीड्रीन और स्यूडो एफीड्रीन के दुरुपयोग के मामले बढ़ रहे हैं और इन्हें सिंथेटिक ड्रग-एम्पीटेमाइन टाइप स्टीमुलेन्ट्स (ए टी एस) बनाने में प्रयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विश्व औषध समस्या के बारे में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ए टी एस को स्वीकारते हुए इस क्षेत्र पर समयबद्ध कार्यवाही करते हुए इस ओर ध्यान केन्द्रित किया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस दिशा में की जा रही कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) और (ख) महोदय, एफीड्रीन और स्यूडोएफीड्रीन को पथान्तरित करके भारत में सिंथेटिक ड्रग्स, एम्पीटेमाइन टाइप स्टमुलैन्ट्स (ए टी एस) बनाने का कोई मामला ध्यान में नहीं आया है।

(ग) जी, हां।

(घ) एफीड्रीन और स्यूडो एफीड्रीन के निर्यात पर प्रतिबंध है। भारत के नार्कोटिक्स आयुक्त से "अनापत्ति प्रमाण-पत्र" प्राप्त करने के बाद ही इन दो रसायनों के निर्यात की अनुमति दी जाती है। इन्हें दिसम्बर, 1999 में स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 2 के अंतर्गत "नियंत्रित पदार्थों" के रूप में घोषित किया गया है। इन रसायनों के सभी विनिर्माताओं, आयातकों, निर्यातकों, विक्रेताओं और उपभोक्ताओं के लिए अब रिकार्ड रखना और स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के जोनल निदेशकों के पास विवरणी फाइल करना अनिवार्य है।

इस्पात उद्योग

3094. **श्री एस.डी.एम.आर. वाडियार:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कनाडा सरकार ने भारतीय कंपनियों से स्टेनलेस स्टील की गोल छड़ों के आयात के संबंध में राजसहायता को कम करने संबंधी प्रक्रिया शुरू की है;

(ख) क्या अमरीका तथा यूरोपीय इकाइयों द्वारा भी पाटन रोधी शुल्क लगाया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसका देश के इस्पात उद्योग पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस्पात उद्योग को इस संकट से बचाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) जी, हां।

(ख) जी, हां। संयुक्त राज्य ने भारत से स्टेनलैस स्टील छड़ों के आयात पर 11.26% से 21.02% तक के बीच पाटनरोधी शुल्क लगाया था। यूरोपीय संघ ने भी भारत से स्टैनलेस स्टील की चमकीली छड़ों के आयात पर 14.4% से 25.5% तक प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाया था।

(ग) यूएसए, ईयू तथा कनाडा द्वारा भारतीय स्टेनलैस स्टील छड़ों के आयातों पर ऐसे पाटनरोधी एवं प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाने से उन बाजारों में भारत से इन मदों के होने वाले निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

(घ) भारतीय उद्योग तथा भारत सरकार स्टेनलैस स्टील छड़ों के आयात के विरुद्ध शुरू किए गए पाटनरोधी तथा प्रतिसंतुलनकारी मामलों का बचाव करते रहे हैं। सरकार ने इस मामले को इन देशों के साथ विभिन्न मंचों पर भी उठाया है।

आदर्श औद्योगिक नगर

3095. श्री सुल्तान सल्लाउद्दीन ओवेसी: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जेपनीज इंटरनेशनल कोआपरेशन एजेंसी को भारत में आदर्श औद्योगिक नगर स्थापित करने के संबंध में एक विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने का कार्य सौंपा गया था;

(ख) यदि हां, तो इस एजेंसी द्वारा जिन-जिन नगरों की पहचान की गई है उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को अन्य बहुराष्ट्रीय कंपनियों और अनिवासी भारतीयों से देश में आदर्श औद्योगिक नगर स्थापित करने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसे कितने नगर किन-किन स्थानों पर स्थापित किये जाने का विचार है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) और (ख) जी, हां। जेपनीज इंटरनेशनल कोआपरेशन एजेंसी द्वारा एक आदर्श नगर के विकास के लिए गुड़गांव (मानेसर), हरियाणा की पहचान की गयी थी। तथापि, इस परियोजना को जापानी सहयोग से आरंभ नहीं किया जा सका था और बाद में इसे स्वयं हरियाणा सरकार/एच एस आई डी सी द्वारा हाथ में लिया गया था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

औद्योगिक लाइसेंस हेतु आवेदन

3096. श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पु यादव: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने के लिए कितने आवेदन प्राप्त किए गए;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कितने आवेदनों को स्वीकृति प्रदान की गई तथा आज की तिथि के अनुसार सरकार के पास कितने और आवेदन लम्बित पड़े हैं; और

(ग) उनके निपटान में विलम्ब के क्या कारण हैं तथा उनका निपटान कब तक कर दिए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) और (ख) जनवरी, 1997 से जुलाई, 2000 तक की अवधि के दौरान औद्योगिक लाइसेंस जारी करने के लिए कुल 913 आवेदन प्राप्त किये गये हैं, जिनमें से 802 आवेदन 1.8.2000 तक निपटाये जा चुके हैं।

(ग) आवेदनों का शीघ्र निपटान करने संबंधी सभी उपाय किये जाते हैं। आवेदनों का वास्तविक निपटान संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा अपनाई गई क्षेत्रीय नीति, विशिष्ट मामलों में उनकी सिफारिशों और आवेदक द्वारा अपेक्षित सूचना प्रस्तुत करने पर भी निर्भर करता है।

[अनुवाद]

डिजिटल ट्रेरिस्ट्रियल ट्रांसमीटर्स

3097. श्री सी. कुप्पुसामी: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चार महानगरों अर्थात् दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई और कलकत्ता में "डिजिटल टैरिस्ट्रियल ट्रांसमीटर्स" स्थापित करने में क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या इन डिजिटल ट्रांसमीटरों की स्थापना से प्रसारण क्षेत्र और प्रसारण गुणवत्ता में सुधार होगा;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन ट्रांसमीटरों की स्थापना शहर-वार कब तक कर ली जाएगी?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) ट्रांसमीटरों के संचालन संबंधी आवर्तिताओं को तैयार कर लिया गया है, ट्रांसमीटर उपस्कर के विनिर्देशन तैयार कर लिए गए हैं और उपस्कर अधिग्रहीत करने के लिए आगे कार्रवाई कर दी गई है।

(ख) और (ग) डिजीटल ट्रान्समिशन से कवरेज क्षेत्र तथा प्रसारण की गुणवत्ता में काफी सुधार होने की सम्भावना है। पोर्टेबल एन्टिना से भी छायारहित अभिग्रहण सचल अभिग्रहण और बहु-चैनल संचालन कुछ अन्य लाभ हैं।

(घ) वर्ष 2001 के दौरान सभी चार ट्रान्समीटरों को स्थापित किए जाने की सम्भावना है।

चीनी मिलें

3098. श्री अवतार सिंह भड़ाना: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में चीनी मिलों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) उक्त मिलों में विशेषकर उत्तर प्रदेश में प्रति वर्ष कुल कितनी चीनी का उत्पादन होता है;

(ग) क्या सरकार ने देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश में नई चीनी मिलें खोलने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) देश में 493 चीनी मिलें हैं। एक विवरण संलग्न है जिसमें राज्यवार चीनी मिलों की संख्या का ब्यौरा दिया गया है।

(ख) वर्तमान मौसम 1999-2000 के दौरान देश में चीनी का कुल उत्पादन 180 लाख टन से अधिक होने की आशा है जिसमें से लगभग 47 लाख टन चीनी का उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य में होगा।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

देश में चीनी फैक्ट्रियों की राज्य-वार संख्या दर्शाने वाला विवरण (30.6.2000 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य	चीनी फैक्ट्रियों की कुल संख्या
1.	पंजाब	22
2.	हरियाणा	13
3.	राजस्थान	3
4.	उत्तर प्रदेश	128
5.	मध्य प्रदेश	9
6.	गुजरात	22
7.	महाराष्ट्र	134
8.	बिहार	28
9.	असम	3
10.	उड़ीसा	8
11.	पश्चिम बंगाल	2
12.	नागालैंड	1
13.	आंध्र प्रदेश	41
14.	कर्नाटक	37
15.	तमिलनाडु	37
16.	पांडिचेरी	2
17.	केरल	2
18.	गोवा	1
19.	दादर तथा नगर हवेली	–
20.	मणिपुर	–
21.	हिमाचल प्रदेश	–
22.	जम्मू और कश्मीर	–
	जोड़	493

औद्योगिक इकाइयों की स्थापना

3099. **श्री दलपत सिंह परस्ते:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार के पास राज्य सरकारों से अपने-अपने राज्यों में नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए मंजूरी हेतु प्राप्त लंबित प्रस्तावों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) ये प्रस्ताव कब से लंबित पड़े हैं;

(ग) इन प्रस्तावों को कब तक मंजूर कर लिए जाने की संभावना है; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा इन प्रस्तावों को मंजूरी देने हेतु क्या कार्यवाही की गई है तथा इन्हें मंजूर किए जाने में विलंब के क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) औद्योगिक (विकास तथा विनियमन) **अधिनियम**, 1951 के तहत औद्योगिक लाइसेंस जारी करने के लिए किसी भी राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया कोई भी प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास लम्बित नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क की छूट

3100. **श्री टी. गोविन्दन:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को केरल सरकार से आयात किये जाने वाले उपकरणों पर सीमा शुल्क और राज्य सरकार के अंतर्गत प्रस्तावित मालावार कैंसर केन्द्र सोसायटी के लिए भवन निर्माण सामग्री पर उत्पाद शुल्क की छूट का निवेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) और (ख) मालाबार कैंसर सेन्टर सोसाइटी द्वारा एक अस्पताल के निर्माण के लिए इमारती सामान एवं स्थानीय रूप से विनिर्मित उपस्करों आदि पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क छूट के लिए केरल सरकार के बिजली (बी) विभाग से अनुरोध प्राप्त हुआ था। छूट के अनुरोध पर विचार किया गया था किन्तु उसे स्वीकार्य नहीं पाया गया।

चाय/कॉफी का आयात

3101. **श्री प्रियरंजन दासमुंशी:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बड़ी मात्रा में चाय/कॉफी के आयात ने घरेलू चाय और कॉफी उद्योग के लिए समस्यायें खड़ी कर दी हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान, प्रतिवर्ष कितनी मात्रा में चाय और कॉफी का आयात किया गया;

(ग) चाय/कॉफी उद्योग उत्पादकों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन समस्याओं को हल करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस आयात से चाय/कॉफी उद्योग उत्पादकों के हितों पर कोई प्रभाव न पड़े, क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) से (घ) भारत में चाय/कॉफी का आयात हमारे उत्पादन की तुलना में नगण्य हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान चाय/कॉफी का आयात निम्नानुसार रहा है:

(मिलियन किग्रा. में)

वर्ष	1997-98	1998-99	1999-2000
चाय	2.60	8.93	9.78
कॉफी	0.96	2.00	2.40

तथापि, घरेलू चाय और कॉफी उद्योगों को आयातों से संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार ने हाल ही में और चाय और कॉफी पर मूल सीमा शुल्क को 15% से बढ़ाकर 35% कर दिया है। निर्यातोन्मुखी इकाइयों और निर्यात प्रसंस्करण जोनों में स्थित इकाइयों द्वारा घरेलू टैरिफ क्षेत्र में चाय की बिक्री किये जाने पर दिनांक 20.7.2000 से रोक लगा दी गई है।

विशेष आर्थिक जोन और निर्यात प्रसंस्करण जोन

3102. **श्री जी.एम. बनातवाला:**
श्री माधवराव सिंधिया:
श्री सुशील कुमार शिंदे:
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:
श्री सुन्दर लाल तिवारी:
श्री कोडीकुनील सुरेश:
श्रीमती रेणूका चौधरी:
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी:
श्री जयभद्र सिंह:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2000 और 2001 के लिए विशेष आर्थिक जोनों (एस.ई.जेड.) और निर्यात प्रसंस्करण जोनों (ई.पी.जेड.) को अधिक सफल बनाने हेतु नई नीति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्तमान में देश में कार्य कर रहे विशेष आर्थिक जोनों और निर्यात प्रसंस्करण जोनों के कार्यकरण का राज्य-वार और स्थान-वार ब्यौरा क्या है और निर्यात क्षमता तथा उनके कार्य निष्पादन का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने विशेष आर्थिक क्षेत्र में लघु उद्योगों के लिए आरक्षित वस्तुओं के निर्माण में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का निर्णय लिया है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इन निवेशकों को दी जाने वाली प्रस्तावित विशेष रियायत का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार ने घरेलू लघु उद्योग क्षेत्र पर इसके प्रभावों की समीक्षा की है;

(छ) क्या लघु उद्योग क्षेत्र से इस निर्णयों के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(झ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) और (ख) निर्यात एवं आयात नीति (1997-2002), जिसमें 31 मार्च, 2000 तक किए गए संशोधन शामिल है, में सरकार ने देश में विशेष आर्थिक जोन (एसईजैड) गठित करने के बारे में एक नीति की घोषणा की है। एसईजैड में स्थित एकक निवल विदेशी मुद्रा कमाने वाले होंगे, किन्तु वे किसी पूर्व-निर्धारित मूल्यवर्द्धन या न्यूनतम निर्यात निष्पादन के अधीन नहीं होंगे। एसईजैड में स्थित एककों की हकदारी में शामिल है; पूँजीगत सामानों, कच्चे मालों इत्यादि पर सीमाशुल्क/उत्पाद शुल्क से छूट, राज्य से बाहर की गई खरीदों पर भुगतान किये गये केन्द्रीय बिक्री कर की पुन:पूर्ति और एक उन्नत बुनियादी सुविधा।

(ग) सरकार द्वारा देश में स्थापित किये गये सात ईपीजैड के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

निर्यात (करोड़ रुपये में)

ईपीजेड का नाम और स्थान	1998-99	1999-2000
कांडला मुक्त व्यापार जोन, कांडला (गुजरात)	391.81	543.66
सांताक्रुज इलेक्ट्रानिक्स निर्यात संसाधन जोन, मुम्बई (महाराष्ट्र)	3281.84	4112.62
नोएडा निर्यात संसाधन जोन, नोएडा (उत्तर प्रदेश)	752.07	845.63
मद्रास निर्यात संसाधन जोन, चेन्नई (तमिलनाडु)	535.94	545.42
कोचीन निर्यात संसाधन जोन, कोचीन (केरल)	200.05	241.00
फाल्टा निर्यात संसाधन, फाल्टा (पं. बंगाल)	72.77	266.60
विशाखापट्टनम निर्यात संसाधन जोन, विशाखापट्टनम (आंध्र प्रदेश)	18.00	119.04
योग	5252.48	6673.97

एसईजेड का कार्यसंचालन अभी शुरू होना है।

(घ) से (च) एसईजेड एककों के मामले में 100% तक की विदेशी इक्विटी अनुमत्य है। एसईजेड एक निर्यात संवर्द्धन योजना है और एसईजेड एककों के मामले में लघु उद्योग क्षेत्र और गैर-लघु उद्योग क्षेत्र के बीच कोई अंतर नहीं किया गया है। एसईजेड एककों द्वारा घरेलू टैरिफ़ क्षेत्र में की गई किसी प्रभावी आयात नीति के अधीन और पूर्ण सीमाशुल्क के भुगतान पर की

जाएगी। इसलिए, एसईजैड का घरेलू लघु उद्योग पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(छ) जी, नहीं।

(ज) और (झ) प्रश्न नहीं उठते।

आंध्र प्रदेश की वित्तीय स्थिति

3103. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर ने इस विचार को माना कि आंध्र प्रदेश अपनी वित्तीय स्थिति के मामले में गंभीर स्थिति से गुजर रहा है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर ने यह सिफारिश की है कि वित्तीय संकट से उबारने के लिए आंध्र प्रदेश को पर्याप्त धन दिया जाना चाहिए;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार वित्तीय दबाव से उबारने के लिए राज्य को सहायता प्रदान करने के लिए सहमत हो गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

गैर-पंजीकृत प्रकाशनों के लिए सहायता

3104. श्री अमर राय प्रधान: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दृश्य-श्रव्य प्रचार निदेशालय में पंजीकृत न किये गये कई प्रकाशन भी विभिन्न राज्य सरकारों से विज्ञापन प्राप्त कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं; और

(ग) गैर-पंजीकृत प्रकाशनों को विज्ञापन जारी करने पर रोक लगाने के लिए उठाये जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) राज्य सरकारों से विज्ञापन प्राप्त करने के लिए विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय के साथ पंजीकरण कराना/सूची में शामिल होना आवश्यक नहीं है। राज्य सरकारें अपनी अपेक्षा और नीति के आधार पर अपनी पसंद के किसी भी समाचार पत्र/पत्रिका को विज्ञापन जारी करती है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

केन्द्रीय बिक्री कर

3105. श्री त्रिलोचन कानूनगो: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सभी राज्य केन्द्रीय बिक्री कर के लेखा परीक्षित लेखे अलग-अलग बना रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष प्रत्येक राज्य का केन्द्रीय बिक्री कर संग्रहण कितना रहा है;

(ग) क्या केन्द्रीय बिक्री कर देश के सभी राज्यों पर लगने वाला अंतरराज्यीय कर होने के कारण सरकार इसे केन्द्रीय विभाज्य पूल में रखने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) और (ख) केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 9 के अनुसार केन्द्रीय बिक्री कर के तहत वसूल किया गया राजस्व वैयक्तिक राज्य द्वारा रखा जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय बिक्री कर से राजस्व वसूली का राज्य-वार विवरण, जैसा भारतीय रिजर्व बैंक से उपलब्ध हुआ है, संलग्न है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

पिछले तीन वर्षों में केन्द्रीय बिक्री कर से राजस्व वसूली का राज्य-वार विवरण

(लाख रु.)

	1997-98 (वास्तविक)	1998-99 (संशोधित अनुमान)	1999-2000 (बजट अनुमान)
	1	2	3
आंध्र प्रदेश	62324	67620	75734

	1	2	3
अरुणाचल प्रदेश	–	–	–
असम	–	10500	15006
बिहार	35366	46742	42166
गोवा	2020	2020	2336
गुजरात	67793	77800	88000
हरियाणा	49165	67670	76817
हिमाचल प्रदेश	2185	1938	2238
जे एण्ड के	–	–	–
कर्नाटक	21317	69437	74080
केरल	16313	19488	20770
मध्य प्रदेश	43242	45933	59747
महाराष्ट्र	127828	136000	152000
मणिपुर	–	–	–
मेघालय	1679	2121	2265
मिजोरम	–	–	–
नागालैण्ड	–	–	–
उड़ीसा	–	30319	31000
पंजाब	27631	32438	37303
राजस्थान	11517	13000	15000
सिक्किम	–	–	–
तमिलनाडु	103458	73007	93412
त्रिपुरा	–	–	–
उत्तर प्रदेश	23706	29000	42500
वेस्ट बंगाल	33209	53142	58595
सभी राज्य	628753	778175	889209

[हिन्दी]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को बैंक ऋण

3106. श्री निखिल कुमार चौधरी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों को ऋण प्रदान करने के बारे में राष्ट्रीयकृत बैंकों को दिशानिर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान विशेषकर बिहार में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों को इन बैंकों द्वारा संवितरित ऋणों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) और (ख) गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन के लिए प्रधानमंत्री की रोजगार योजना (पीएमआरवाई), स्वर्णजयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना (एसजीएसवाई), स्वर्णजयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई), मैला ढोने वालों की उन्मुक्ति और पुनर्वास योजना (एसएलआरएस) जैसी विभिन्न योजनाएं हैं, जो केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा संचालित हैं जिनके अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्ति बैंकों से ऋण सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। जबकि ये मंत्रालय उन विभिन्न निविष्टियों को उपलब्ध कराकर योजनाओं के संचालन के लिए जिम्मेवार हैं जिनमें प्रशिक्षण और सब्सिडी सम्मिलित हैं, बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे ऋण घटक उपलब्ध कराएं। इनमें से अधिकांश योजनाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध है। इसके अलावा, प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत घरेलू बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने निवल बैंक ऋण (एनबीसी) का 10 प्रतिशत गरीब वर्गों को उधार दें जिसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग शामिल हैं।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान, बिहार राज्य सहित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का राज्य-वार बकाया अग्रिम संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

अ.जा./अ.ज.जा. और कमजोर वर्गों को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को राज्यवार बकाया ऋण

(लाख रुपए)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मार्च 1996		मार्च 1997		मार्च 1998	
		अजा/अजजा हिताधिकारी	कमजोर वर्ग	अजा/अजजा हिताधिकारी	कमजोर वर्ग	अजा/अजा हिताधिकारी	कमजोर वर्ग
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	70247	176555	100421	217158	69750	249782
2.	अरुणाचल प्रदेश	1566	1787	965	1075	366	1103
3.	असम	12761	23411	12161	23977	7331	23234
4.	बिहार	38880	92976	41240	105025	44591	103666
5.	गोवा	206	2044	184	1447	179	1299
6.	गुजरात	24326	57383	21987	69217	25110	67618
7.	हरियाणा	13329	40865	11600	42829	11549	36382
8.	हिमाचल प्रदेश	4298	10459	5034	12449	5077	12099
9.	जम्मू व कश्मीर	842	3851	1345	4401	1456	6982
10.	कर्नाटक	25415	102467	29773	114014	43416	170551
11.	केरल	19559	107639	20398	119333	13979	104043
12.	मध्य प्रदेश	39492	115744	48948	125579	48445	121899
13.	महाराष्ट्र	42864	114537	55086	126118	55434	130462
14.	मणिपुर	2518	5783	2098	3521	1793	5525
15.	मेघालय	3225	3268	3044	3117	1103	4919
16.	मिजोरम	686	698	1341	1344	388	1554
17.	नागालैंड	4828	5192	3059	3290	1211	5098
18.	रा.रा. क्षेत्र दिल्ली	8690	20316	9704	22306	7312	20771
19.	उड़ीसा	27777	48895	31224	61809	29860	52107
20.	पंजाब	21917	65636	22317	68724	24711	77241
21.	राजस्थान	36101	67625	38317	73421	41931	81624
22.	सिक्किम	428	573	433	784	564	1315
23.	तमिलनाडु	52915	209340	66196	236362	65249	239202
24.	त्रिपुरा	1239	2636	3002	6890	2141	5825

1	2	3	4	5	6	7	8
25.	उत्तर प्रदेश	85006	195249	98808	204624	91229	225460
26.	पश्चिम बंगाल	32445	82534	31852	87536	36685	93229
27.	अंडमान व नि.द्वी.	83	337	160	375	175	705
28.	चंडीगढ़	522	5120	532	6359	492	6482
29.	दादरा व न. हवेली	125	150	80	80	260	260
30.	दमन व द्वीव	120	305	15	60	15	58
31.	लक्षद्वीप	165	165	175	176	214	214
32.	पांडिचेरी	962	2887	1322	3341	1093	3548
	अखिल भारत	573537	1566427	662821	1746741	633109	1855257

अजमेर जिले में विजयनगर टी.वी. रिले केन्द्र

3107. प्रो. रासासिंह रावत: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अजमेर जिले के विजयनगर टी.वी. रिले केन्द्र को चालू करने संबंधी कोई अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो कार्यवाही कब तक किए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि विजय नगर में अल्प शक्ति ट्रांसमीटर की स्थापना का कार्य पूरा हो गया है और पर्याप्त स्टाफ के तैनात होते ही इसे यथाशीघ्र चालू कर दिया जाएगा।

[अनुवाद]

विदेशी कम्पनियों द्वारा पांच सितारा होटलों की स्थापना

3108. श्री जयभद्र सिंह: क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में पांच सितारा होटल स्थापित करने के लिए विदेशी कम्पनियों को अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन होटलों को कहां-कहां स्थापित किए जाने की संभावना है;

(घ) भारत में अपने होटल स्थापित करने में रुचि दिखाने वाले देशों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में इस समय विदेशी सहयोग से चल रहे इन पांच सितारा होटलों के नाम क्या हैं और वे कहां-कहां स्थित हैं।

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) कुछ विदेशी होटल शृंखलाओं/कम्पनियों को, उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड/परियोजना अनुमोदन बोर्ड के अनुमोदन से भारतीय होटलों के साथ तकनीकी सहयोग में प्रवेश की अनुमति दे दी गई है। विदेशी तकनीकी सहयोग से ऐसे बहुत से होटल देश के महानगरों तथा अन्य महत्वपूर्ण पर्यटक केन्द्रों में कार्य कर रहे हैं।

[हिन्दी]

हीरा-जवाहरात संवर्धन उद्योग

3109. श्री तूफानी सरोज: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए आकर्षक और लाभकारी हीरा-जवाहरात संवर्धन उद्योग की पहचान की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत ने हीरा-जवाहरात को संवर्धन देने के लिए रूस में संयुक्त उपक्रम स्थापित करने का भी प्रस्ताव किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में रूस सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) से (घ) जी, नहीं। तथापि, व्यापार और आर्थिक सहयोग पर भारत-रूस कार्यदल की जनवरी, 2000 में आयोजित छठे सत्र के दौरान दोनों पक्षों ने दोनों देशों के बीच हीरों के क्षेत्र में और अधिक सहयोग के लिए उपलब्ध सम्भाव्यता का पता लगाया और रूसी परिसंघ, जो हीरों का एक प्रमुक उत्पादक है तथा भारत, जो हीरों का सबसे बड़ा परिष्कर्ता है, के बीच सहयोग से लाभ उठाने के लिए आगे आवश्यक कदम उठाने पर सहमति हुई।

[अनुवाद]

मादक द्रव्यों की तस्करी

3110. श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जनवरी, 2000 के बाद से अब तक मुम्बई और दिल्ली में सीमा शुल्क विभाग द्वारा मादक द्रव्यों और अन्य नशीले पदार्थों की तस्करी की कितनी घटनाओं का पता लगाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो जब्त की गई सामग्री का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) और (ख) सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा मुम्बई और दिल्ली अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तनों पर जनवरी, 2000 से लेकर अब तक हेरोइन और अन्य स्वापक औषधियों की तस्करी के 23 मामलों में माल का अभिग्रहण किया गया है, इन अभिग्रहणों के ब्यौरे इस प्रकार हैं:

	अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन	अभिग्रहण के मामलों की संख्या	अभिगृहीत स्वापक औषधियों का स्वरूप	अभिगृहीत स्वापक औषधियों की मात्रा
1.	छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन, मुम्बई	(क) 4 (ख) 1	हेरोइन मैण्डैक्स गोलियां	4.276 कि.ग्रा. 96.200 कि.ग्रा.
2.	इंदिरा गांधी अंतर-राष्ट्रीय विमानपत्तन, दिल्ली	(क) 16 (ख) 2	हेरोइन डाइजेपाम (5 मि.ग्रा. गोलियां)	11.323 कि.ग्रा. 3,46,090 गोलियां

पांच रुपए का जाली सिक्का

3111. श्री जितेन्द्र प्रसाद: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को दिल्ली में 5 रुपए के जाली सिक्के के प्रचलन की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई जांच करायी गयी है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, दिल्ली सहित देश में नकली सिक्कों के परिचालन के कुछेक मामले ही सामने आए हैं। दिल्ली में दिल्ली पुलिस द्वारा 1998 से पांच मामलों का पता लगाया गया। एक मामले में, अपराधी को दोषी सिद्ध किया जा चुका है। शेष चार मामलों में से तीन पर अभी मुकदमा चल रहा है और एक मामले की जांच की जा रही है। जहां तक ऐसे अपराधों के राज्यों में घटित होने का संबंध है, अपराधी के विरुद्ध उचित कार्रवाई राज्य पुलिस द्वारा की जाती है।

लिस्टिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया

3112. श्री किरीट सोमैया: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास विभिन्न स्टाक एक्सचेंजों में कंपनियों को सूचीबद्ध करने हेतु अलग लिस्टिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वह कब से काम करना शुरू कर देगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) से (घ) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 में मान्यता प्राप्त स्टाक एक्सचेंजों में कंपनियों को सूचीबद्ध करने के लिए प्रावधान है तथा कंपनियों द्वारा संबंधित स्टाक एक्सचेंजों के साथ कंपनी द्वारा सूचीकरण करार किए जाने की शर्तों का अनुपालन किया जाना अपेक्षित है। वर्तमान में, पृथक भारतीय सूचीकरण निगम स्थापित करने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

लेवी-चीनी

3113. **श्री चन्द्रेश पटेल:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात में इस समय कितनी मात्रा में लेवी-चीनी की आवश्यकता है और राज्य में वर्तमान में कितनी मात्रा में चीनी की आपूर्ति की गई है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार राज्य में कितनी मात्रा में लेवी-चीनी की आपूर्ति की गई और कितनी मात्रा की आवश्यकता थी;

(ग) क्या सरकार को उक्त राज्य में लेवी-चीनी की कमी की जानकारी है;

(घ) यदि हां, तो इस राज्य को पूरी मात्रा में चीनी की आपूर्ति हेतु क्या ठोस कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्र सरकार को इस संबंध में लिखा है तथा चीनी की पूरी मात्रा की आपूर्ति की मांग की हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गुजरात राज्य की मांग को पूरा करने के संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद): (क) और (ख) गुजरात राज्य सहित अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को लेवी चीनी का मासिक आबंटन 1.3.2000 से 1.3.1999 की प्रक्षिप्त जनसंख्या के आधार पर 425 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह उपलब्धता सुनिश्चित करने के मानदंड पर किया जा रहा है। लेवी खाते में प्रोद्भूत चीनी को ध्यान में रखते हुए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी आवश्यकता के आधार पर लेवी चीनी आबंटित करना संभव नहीं है। 1.3.2000 से 30.6.2000 तक गुजरात राज्य के लिए चीनी का मासिक लेवी कोटा 20,212 मी. टन था। आयकर निर्धारितियों एवं उनके परिवार के सदस्यों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली की चीनी से वंचित कर देने के कारण 1.7.2000 से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का लेवी चीनी की मासिक कोटा कम कर दिया गया है। तदनुसार, 1.7.2000 से गुजरात का लेवी चीनी का मौसिक कोटा 18,035 मी. टन है।

गत 3 वर्षों के दौरान गुजरात राज्य का लेवी चीनी का कोटा निम्नवत् है:

(मी. टन में)

मासिक लेवी चीनी कोटा		वार्षिक त्योहार कोटा	
1.1.97 से 29.2.2000 तक	1.3.2000 से जून, 2000 तक	जुलाई, 2000 और इससे आगे	1.1.97 से
17557.0	20212.0	18035.0	4878.0

इसके अलावा, अधिक उत्पादन होने के कारण जनवरी, 1997 से मई, 1997 तक की अवधि के लिए गुजरात सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मासिक कोटे के अतिरिक्त लेवी कोटे में 10% की तदर्थ वृद्धि की अनुमति दी गई थी।

(ग) से (च) चीनी के उत्पादन तथा उस पर प्रोद्भूत लेवी चीनी, आदि को ध्यान में रखते हुए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए लेवी चीनी का कोटा एक मानक मानदंड के अनुसार निर्धारित किया जाता है। अत: किसी विशेष राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की लेवी चीनी की अतिरिक्त आवश्यकता/मांग को पूरा करना संभव नहीं होता है। लेवी चीनी के कोटे के समय-समय पर संशोधित किया गया है। जैसाकि गुजरात के मामले में गत तीन वर्षों के दौरान ऊपर दर्शाए गए लेवी चीनी के आबंटनों से पता चलता है।

[अनुवाद]

बीमा क्षेत्र में निजी क्षेत्र के प्रवेश हेतु मार्गनिर्देश

3114. **श्री अजय सिंह चौटाला:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आई.आर.डी.ए.) ने बीमा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को अनुमति प्रदान करने के लिए पारदर्शी मार्गनिर्देश तैयार और अधिसूचित किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) और (ख) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने 19 जुलाई, 2000 को बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (भारतीय बीमा कम्पनियों का पंजीयन) विनियम, 2000 को अधिसूचित कर दिया है जिसमें नई बीमा कम्पनियों के पंजीयन की प्रक्रिया को विस्तार में बताया गया है।

आयकर अधिकारियों को नकद पुरस्कार देने की योजना

3115. मोहम्मद अनवारूल हक:

श्री रामसागर रावत:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) छिपाई गई आय का आयकर अधिकारियों द्वारा पता लगाने के मामले में उनको नकद पुरस्कार देने की प्रणाली की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान सैंट्रल सर्किल दिल्ली में कितने मामलों में तलाशी और बरामदगी की गई थी;

(ग) ऐसे कितने मामले हैं जहां अधिकारियों को अभी तक नकद पुरस्कार का संवितरण नहीं किया गया है;

(घ) पुरस्कार राशि के वितरण में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ङ) पुरस्कार राशि के संवितरण के बकाया मामलों का कब तक निपटान कर दिया जाएगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) आयकर प्राधिकारियों को पुरस्कार देने की प्रणाली अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए पुरस्कार दिशा-निर्देश, 1985 में शामिल है यदि वे तलाशी और जब्ती के माध्यम से छिपाई गई आय का पता लगाते हैं।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान तलाशी लिए कुल मामलों में से 272 मामले सेन्ट्रल सर्किल, दिल्ली को सौंपे गये थे।

(ग) सेन्ट्रल सर्किल, दिल्ली जहां अभी तक अधिकारियों को पुरस्कार राशि का संवितरण नहीं किया गया है, में ऐसा कोई मामला नहीं है।

(घ) और (ङ) प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी लिमिटेड को बंद किया जाना

3116. श्रीमती जयश्री बैनर्जी: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार जबलपुर और कटनी (निवाड़) में बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी लिमिटेड को बंद करने पर विचार कर रही है;

(ख) क्या यह एकक घाटे में चल रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने इस तरह का निर्णय लेने से पहले इन एककों को पुन: शुरू करने की किसी प्रभावी योजना पर विचार किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या इन एककों के कर्मचारियों को बिना काम के भुगतान किया जा रहा है; और

(छ) यदि हां, तो उक्त एककों को सम्पत्ति, भविष्य लागत इत्यादि के संबंध में क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. वल्लभभाई कथीरिया): (क) बीआईएफआर संस्वीकृत पुनरुद्धार स्कीम में बीएससीएल कम्पनी की जबलपुर और कटनी (निवार) दोनों इकाइयों के पुनरुद्धार की सिफारिशें नहीं की गई। स्कीम के अनुसार, इन इकाइयों के सभी कर्मचारियों को सद्भावना-स्वरूप छंटनी-क्षतिपूर्ति की बजाय स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम के लाभ दिये जाने थे। इन इकाइयों के लिए सरकार द्वारा दिये गये ऋण, परिसंपत्तियों की बिक्री में से भुगतान किये जाने थे।

(ख) जी, हां। दिनांक 31.3.1999 की स्थिति के अनुसार, जबलपुर और कटनी (निवार) इकाइयों की संचित हानियां क्रमश: 4186 लाख रुपये और 2142 लाख रुपये थी।

(ग) जबलपुर और कटनी इकाइयों में उत्पादित रिफ्रैक्टरी उत्पाद पुराने और अलाभकारी हो गये थे।

(घ) और (ङ) बीआईएफआर द्वारा नियुक्त की गई ऑपरेटिंग एजेंसी स्वतंत्र आधार पर इन इकाइयों की जैव्यता को स्थापित नहीं कर सकी। इसके अलावा, बीआईएफआर ने इनके पुनरुद्धार की सिफारिश नहीं की है।

(च) सरकार ने इन इकाइयों के कर्मचारियों को मजदूरी व वेतन का भुगतान करने के लिए 1.4.98 से दो वर्षों के लिए गैर-योजना ऋण मुहैया कराया है।

(छ) बीआईएफआर की पुनरुद्धार योजना के प्रावधानों के अनुसार, इसकी संपत्तियों को बेचने के लिए कार्रवाई आरंभ कर दी गई है।

कलाकृतियों की चोरी

3117. **श्रीमती शीला गौतम:** क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पुरातन कलाकृतियों की चोरी/तस्करी से निपटने के लिए बने हुए वर्तमान कानून अपर्याप्त और निष्प्रभावी सिद्ध हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इन वर्तमान कानूनों को संशोधित करने का विचार है ताकि प्राचीन स्मारकों से बहुमूल्य धरोहरों की चोरी/तस्करी को रोका जा सके; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) से (ग) पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 का पुनरीक्षण, उन उपबंधों के अभिनिर्धारण के लिए किया जा रहा है जिनका संशोधन किए जाने की आवश्यकता है ताकि उन्हें और अधिक कारगर बनाया जा सके।

[अनुवाद]

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा खुदाई/खोज कार्य संबंधी रिपोर्ट का प्रकाशन

3118. **श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर:**
श्री शंकर प्रसाद जायसवाल:
श्री नरेश पुगलिया:

क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा आजादी के बाद से कितने स्थलों की खोज की गई है अथवा खुदाई की गई;

(ख ... पूरा होने पर अब तक कितनी रिपोर्टें

(ग) क्या इन रिपोर्टों में विस्तार से कुछ नहीं कहा गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) कितनी रिपोर्टें प्रकाशन हेतु लंबित हैं;

(च) इन रिपोर्टों को प्रकाशित न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(छ) इन रिपोर्टों को कब तक प्रकाशित कर दिए जाने की संभावना है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) से (छ) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद 257 स्थलों पर खुदाई कार्य किया है और इन पर आवश्यक रिपोर्टें, "इंडियन आर्कलॉजी: ए रिव्यु" (आई.ए.आर.), नामक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की वार्षिक रिपोर्टों में विधिवत् प्रकाशित की गई हैं जो 1994-95 तक प्रकाशित की गई हैं। शेष रिपोर्टें छपाई, संपादन या संकलन के विभिन्न स्तरों पर हैं। तथापि, 34 व्यापक रिपोर्टें और उत्खनित सामग्रियों की विशिष्ट श्रेणियों पर 12 रिपोर्टें प्रकाशित की जा चुकी हैं। कई उत्खननकर्त्ताओं द्वारा विस्तृत व्यापक अनुसंधान पेपर या पुस्तकें भी प्रकाशित की गई हैं।

रिपोर्ट का तकनीकी स्वरूप, प्रकाशनों में विलम्ब के कारण हैं, जिनमें कई विशेषज्ञों/एजेंसियों द्वारा उत्खनित सामग्री के वैज्ञानिक विश्लेषण, विस्तृत प्रलेखन और चित्रों को तैयार करना शामिल है। इसलिए, लम्बित रिपोर्टों के पूरा होने की विशेष समय-सीमा बता पाना सम्भव नहीं होगा।

सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता

3119. **श्री जी.जे. जावीया:** क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात के सांस्कृतिक संगठनों से प्राप्त वित्तीय सहायता संबंधी प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) अब तक कितने प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई है और इनमें से अब तक लंबित पड़े प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार से मांगी गई सहायता राशि निर्गत कर दी गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इन अनुदानों के कब तक निर्गत किये जाने की संभावना है

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

पुस्तकालयों हेतु इमारतें

3120. श्री कोलूर बसवनागौड: क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 1999-2000 के दौरान कर्नाटक में पुस्तकालयों के लिए इमारतों का निर्माण करने और वहां बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु कोई धनराशि जारी की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) और (ख) पुस्तकालयों के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाएं मुहैया कराने और भवन-निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के संबंध में संस्कृति विभाग के अंतर्गत कोई स्कीम नहीं है। तथापि, संस्कृति विभाग के अधीन राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान, कलकत्ता नामक स्वायत्त संगठन ने अपनी स्कीमों के अंतर्गत वर्ष 1999-2000 के दौरान कर्नाटक राज्य में अवस्थित पुस्तकालय-भवनों के निर्माण के लिए "सार्वजनिक पुस्तकालय सेवाएं प्रदान करने वाले स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता" नामक स्कीम के अंतर्गत एक संगठन को, 1,50,000 रु. की तथा "जिले से नीचे स्तर के सार्वजनिक पुस्तकालयों को स्थान-संवर्धन के लिए सहायता" नामक स्कीम के अंतर्गत ग्यारह (11) संगठनों को 12,10,000 रु. की वित्तीय सहायता जारी की, जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण में प्रस्तुत है।

विवरण

क. स्कीम का नाम: सार्वजनिक पुस्तकालय सेवाएं प्रदान करने वाले स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की स्कीम

क्रम संख्या	संगठन का नाम और पता	पुस्तकालय का नाम	संस्वीकृत राशि और तारीख	वर्ष 1999-2000 के दौरान निर्मुक्त राशि
1	2	3	4	5
1.	कर्नाटक स्वास्थ्य संस्थान, घटप्रभा जिला बेलगाम 591310	हरिदीकर मेमोरियल एजूकेशनल लाइब्रेरी हॉल	3,00,000 (1.2.1999)	1,50,000

(ख) स्कीम का नाम: जिले से नीचे स्तर के सार्वजनिक पुस्तकालयों को स्थान-संवर्धन के लिए सहायता प्रदान करने की स्कीम

क्रम संख्या	संगठन का नाम और पता	पुस्तकालय का नाम	संस्वीकृत राशि और तारीख	वर्ष 1999-2000 के दौरान निर्मुक्त राशि
1	2	3	4	5
1.	मुख्य पुस्तकाध्यक्ष, जिला केन्द्रीय पुस्तकालय मैसूर, कर्नाटक	शाखा पुस्तकालय, व्यादराहल्ली, तालुक: के आर नगर	2,20,000 31.3.2000	1,10,000
2.	मुख्य पुस्तकाध्यक्ष, जिला केन्द्रीय पुस्तकालय मैसूर, कर्नाटक	शाखा पुस्तकालय, कोयम्बटूर कालोनी तालुक: हंसूर	2,20,000 31.3.2000	1,10,000
3.	मुख्य पुस्तकाध्यक्ष जिला केन्द्रीय पुस्तकालय शिमोगा, कर्नाटक	शाखा पुस्तकालय, होलालुक तालुक: शिमोगा	2,20,000 31.3.2000	1,10,000
4.	मुख्य पुस्तकाध्यक्ष जिला केन्द्रीय पुस्तकालय शिमोगा, कर्नाटक	शाखा पुस्तकालय, होलेहोनूर, तालुक: शिमोगा	2,20,000 31.3.2000	1,10,000

1	2	3	4	5
5.	मुख्य पुस्तकाध्यक्ष जिला केन्द्रीय पुस्तकालय शिमोगा, कर्नाटक	शाखा पुस्तकालय, अम्बालेबीलू तालुक: शिमोगा	2,20,000 31.3.2000	1,10,000
6.	मुख्य पुस्तकाध्यक्ष जिला केन्द्रीय पुस्तकालय मैसूर, कर्नाटक	शाखा पुस्तकालय पेरियापट्टन	2,20,000 31.3.2000	1,10,000
7.	मुख्य पुस्तकाध्यक्ष जिला केन्द्रीय पुस्तकालय चिकमंगलूर, कर्नाटक	शाखा पुस्तकालय, सीथूर ग्राम, तालुक: नरसिम्हाराजापुरा	2,20,000 31.3.2000	1,10,000
8.	मुख्य पुस्तकाध्यक्ष, जिला केन्द्रीय पुस्तकालय चिकमंगलूर, कर्नाटक	शाखा पुस्तकालय, उच्चतर प्राथमिक विद्यालय परिसर, कादूर	2,20,000 31.3.2000	1,10,000
	मुख्य पुस्तकाध्यक्ष जिला केन्द्रीय पुस्तकालय बेल्लारी, कर्नाटक	शाखा पुस्तकालय, काम्पली ताल्लुक: होस्पेट	2,20,000 31.3.2000	1,10,000
10.	मुख्य पुस्तकाध्यक्ष जिला केन्द्रीय पुस्तकालय बेल्लारी, कर्नाटक	शाखा पुस्तकालय, हूविंग हदागली	2,20,000 31.3.2000	1,10,000
11.	मुख्य पुस्तकाध्यक्ष, जिला केन्द्रीय पुस्तकालय बेल्लारी, कर्नाटक	शाखा पुस्तकालय, कोट्टूर तालुक: कुदलिगी	2,20,000 31.3.2000	1,10,000

ध्यान दें: संस्वीकृति आदेश की शर्तों के अनुसार अनुदान निर्मुक्त किया गया।

मंत्रियों का विदेश दौरा

3121. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी:
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी:
श्री सुन्दर लाल तिवारी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मंत्रियों के साथ विदेश दौरे पर जाने वाले पत्रकारों पर प्रतिबंध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय मंत्रियों के साथ कितने पत्रकार विदेश दौरों पर गए और उन पर कितना व्यय हुआ; और

(घ) केन्द्रीय मंत्रियों के साथ विदेश दौरों पर जाने के लिए कौन व्यक्ति पात्र हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) और (ख) जी, हां। सभी मंत्रालयों/विभागों का ध्यानाकर्षित करते हुए यह अनुदेश जारी किए गए हैं कि मंत्रियों के विदेशी दौरों पर उनके साथ पत्रकारों को ले जाने वाले प्रस्ताव यहां न भेजें। ऐसा सार्वजनिक व्यय में मितव्ययिता और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए किया गया है कि मंत्रियों के विदेशी दौरों को विदेश स्थित दूतावासों/मिशनों द्वारा प्रसारित किया जा सकता है।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सदन के पटल पर प्रस्तुत की जाएगी।

(घ) अधिकारियों के अलावा मंत्री अपने विदेशी दौरों पर अपने व्यक्तिगत स्टाफ से एक आदमी ले जा सकते हैं।

[हिन्दी]

आर्थिक सुधार

3122. **डा. बलिराम:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वित्त सलाहकारों की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य को भी आर्थिक सुधारों के दायरे में शामिल किया जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

आमों का निर्यात

3123. **श्री सवशीभाई मकवाना:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश से कौन कौन सी किस्मों के आम निर्यात किये जा रहे हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान आम का किस्म-वार कितना निर्यात किया गया; और

(ग) इससे कितना राजस्व अर्जित किया गया?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) देश से निर्यात की गई आम की किस्मों में शामिल हैं: अल्फांसों, केशर, बंगनपल्ली, दशहरी, चौसा, नीलम, तोतापुरी, रसपुरी, सुवर्णरेखा इत्यादि।

(ख) और (ग) किस्मवार निर्यात के आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। वर्ष 1996-97 से 1998-99 के दौरान सभी किस्म के आमों की निर्यात की गई कुल मात्रा और उससे अर्जित विदेशी मुद्रा के प्राप्त ब्यौरे निम्नानुसार है:

वर्ष	मात्रा (मी. टन)	मूल्य (करोड़ रु.)
1996-97	24773.5	44.88
1997-98	42894.9	73.60
1998-99	45407.6	79.14

स्रोत: एपीडा, नई दिल्ली/डीजीसीआइएण्डएस, कलकत्ता।

सकल घरेलू उत्पाद

3124. **श्री एन.एन. कृष्णदास:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1970-71, 1980-81, 1990-91, 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 में सकल घरेलू उत्पाद और रोजगार सृजन में प्राथमिक (कृषि और सम्बद्ध सेवाएं), द्वितीय (उद्योग) और तृतीय (सेवा क्षेत्र) क्षेत्रों का क्षेत्रवार योगदान क्या रहा; और

(ख) उक्त अवधि में सेवा क्षेत्र में सकल घरेलू उत्पाद और रोजगार हेतु व्यापार, होटल, परिवहन, संचार, सामाजिक और कार्मिक सेवाओं का अंशदान क्या रहा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) वर्ष 1970-71, 1980-81, 1990-91, 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों का अंशदान और रोजगार सृजन में इन क्षेत्रों के अंशदान को दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(ख) सकल घरेलू उत्पाद और रोजगार में व्यापार, होटल, परिवहन और संचार व वैयक्तिक सेवाओं का अंशदान विवरण-II में दर्शाया गया है।

विवरण I

चालू कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद (प्रतिशत में) में विभिन्न क्षेत्रों का क्षेत्रवार हिस्सा

(प्रतिशत में)

क्षेत्र	1970-71	1980-81	1990-91	1997-98	1998-99	1999-2000
1	2	3	4	5	6	7
प्राथमिक (कृषि व सम्बद्ध क्षेत्र)	45.80	38.70	31.30	28.00	29.10	27.90

1	2	3	4	5	6	7
द्वितीयक (उद्योग)	20.90	24.90	27.70	27.10	25.80	26.00
तृतीयक (सेवा क्षेत्र)	33.30	36.40	41.10	44.90	45.10	46.10
जोड़	100.00	100.00	100.0	100.00	100.00	100.00

टिप्पणी:

1. प्राथमिक क्षेत्र–कृषि, वानिकी और लकड़ी के लट्ठे बनाना (लागिंग) व मछली पकड़ना।
2. द्वितीयक क्षेत्र–खनन और उत्खनन, विनिर्माण, बिजली, गैस और जल आपूर्ति और निर्माण।
3. तृतीयक क्षेत्र–व्यापार, होटल और रेस्टोरेंट, परिवहन, संचार और भंडारण, वित्तीय सेवाएं, सामुदायिक, वैयक्तिक और सामाजिक सेवाएं।

स्रोत: केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन।

सामान्य आधारभूत प्रास्थिति (यू.पी.एस.) के अनुसार श्रमिकों का क्षेत्रवार वितरण प्रतिशत में।

	जनसंख्या	एनएसएस 32वां दौर 1977–78	जनगणना 1981	एनएसएस 38वां दौर 1983	एनएसएस 43वां दौर 1987–88	जनगणना 1991	एनएसएस 50वां दौर 1993–94
प्राथमिक (कृषि व सम्बद्ध क्षेत्र)	83.00	80.10	81.60	78.50	75.20	81.10	75.30
द्वितीयक (उद्योग)	7.70	9.90	9.80	10.80	13.90	8.10	12.00
तृतीयक (सेवा क्षेत्र)	9.40	10.00	9.40	10.20	11.00	10.80	12.70

एन.एस.एस.–राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण।

टिप्पणी–रोजगार के अद्यतन उपलब्ध अनुमान एनएसएस के अनुसार वर्ष 1993-94 से संबंधित हैं।

विवरण II

चालू कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों का क्षेत्रवार हिस्सा

(प्रतिशत में)

क्षेत्र	1970–71	1980–81	1990–91	1997–98	1998–99	1999–2000
व्यापार, होटल, रेस्टोरेंट	8.40	11.50	12.40	13.80	13.20	13.30
परिवहन भंडारण और संचार	4.20	4.50	6.00	7.10	7.00	7.10
सामुदायिक सामाजिक और वैयक्तिक सेवाएं	10.50	11.40	12.30	12.70	13.70	14.10

स्रोत: केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन

यू.पी.एस. के अनुसार रोजगार का औद्योगिक संवितरण

(प्रतिशत में)

क्षेत्र	एनएसएस 32वां दौर 1977-78	एनएसएस 38वां दौर 1983	एनएसएस 43वां दौर 1987-88	एनएसएस 50वां दौर 1993-94
व्यापार	6.30	6.80	7.30	7.92
परिवहन एवं संचार	2.10	2.70	2.78	3.07
सामुदायिक एवं वित्तीय सेवाएं	8.30	9.40	9.63	11.06

टिप्पणी-रोजगार के अद्यतन उपलब्ध अनुमान एनएसएस के अनुसार वर्ष 1993-94 से संबंधित हैं।

सरकारी क्षेत्र का वेतन संशोधन

3125. श्री अजय चक्रवर्ती: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के वेतन संशोधन पर विचार करने के लिए योजना आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय मंत्रीदल का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त दल ने अपनी सिफारिशें सौंप दी हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या निर्णय लिया गया है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. वल्लभभाई कथीरिया): (क) से (घ) सरकार ने मंत्रियों के दल का पुनर्गठन किया है, जिसके अध्यक्ष श्री के. सी. पन्त, उपाध्यक्ष, योजना आयोग हैं और यह दल अन्य बातों के साथ-साथ सरकारी उपक्रमों में मंजूरी संशोधन की अवधि पर विचार करेगा। मंत्रियों के दल ने यह अनुशंसा की है कि औद्योगिक महंगाई भत्ता पैटर्न द्वारा शासित होने वाले सरकारी उपक्रमों के संबद्ध कर्मचारियों के मामले में निम्नलिखित दो में से किसी एक विकल्प के चयन की स्वीकृति दी जाए:

(1) मंजूरी संशोधन की आवधिकता 10 वर्ष तथा उसके साथ महंगाई भत्ते का 100% निष्प्रभावन; अथवा

(2) ग्रेडबद्ध निष्प्रभावन के आधार पर मंजूरी संशोधन की आवधिकता 5 वर्ष, जैसा कि पहले था।

सरकार ने मंत्रियों के दल की इस अनुशंसा को स्वीकार कर लिया है और इस आशय का एक आदेश जारी किया जा चुका है।

विश्व व्यापार संगठन के प्रभाव पर विचार करने हेतु कृतिक बल

3126. श्री श्रीपाद येसो नाईक: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कृषि क्षेत्र और अन्य क्षेत्र पर विश्व व्यापार संगठन द्वारा लगाई गई बाध्यता के प्रभाव पर विचार करने और इससे निपटने की रणनीति पर सुझाव देने हेतु कोई कृतिक बल का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) से (ग) फिलहाल सरकार के पास कृषि क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्रों से संबंधित सभी डब्ल्यू टी ओ करारों के प्रभाव पर विचार करने के लिए कोई कार्य दल गठित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, मात्रात्मक प्रतिबंध हटाए जाने के प्रभाव का मूल्यांकन करने और सुधारात्मक उपायों का सुझाव देने के लिए एक अंतरमंत्रालयी दल का गठन किया गया है। साथ ही विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर, जो कि अपने-अपने क्षेत्रों के निष्पादन की नियमित निगरानी कर रहे हैं, सरकार द्वारा उनके हितों की रक्षा के लिए समय-समय पर विभिन्न डब्ल्यू.टी.ओ. अनुकूल उपाय किये जाते हैं।

मुंबई का एशियाटिक सोसायटी पुस्तकालय

3127. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी: क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुंबई एशियाटिक सोसायटी का प्रसिद्ध पुस्तकालय क्षतिग्रस्त हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) पुस्तकालय के संरक्षण के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/उठाए जा रहे हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) से (ग) भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य-सूची के अंतर्गत "पुस्तकालय" राज्य का विषय है। बंबई एशियाटिक सोसायटी, मुंबई महाराष्ट्र सरकार के क्षेत्राधिकार में आती है।

[हिन्दी]

सलाहकार समिति का पुनर्गठन

3128. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मंत्रालय और संबंधित विभागों के लिए हिन्दी सलाहकार समिति के पुनर्गठन की प्रक्रिया किस तरह पूरी की गई है और समिति के कौन-कौन से सदस्य हैं;

(ख) उक्त समिति की बैठक किस तिथि को बुलाए जाने की संभावना है और विचारार्थ विषय सूची क्या है; और

(ग) इसके सुचारू कार्यकरण हेतु समिति की नियमित बैठक बुलाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार 16 जून, 2000 को मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति का गठन किया गया था। समिति की संरचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) समिति की बैठक 6.9.2000 को आयोजित करने का प्रस्ताव है और मंत्रालय तथा इसके सम्बद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों, निगमों आदि में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित मदें कार्य-सूची में शामिल की गई है। इसके अतिरिक्त, सदस्यों द्वारा बैठक में उठाये गये मुद्दों को चर्चा करने के लिए पर्याप्त महत्व दिया जाता है।

(ग) हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक का नियमित आधार पर आयोजन सुनिश्चित करने के लिए उपाय किये जाते हैं।

विवरण

(भारत के राजपत्र के भाग-1, खण्ड-1 में प्रकाशन के लिए)

भारत सरकार

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 16 जून, 2000

संकल्प

संख्या ई-11015/9/95-हिन्दी: खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय के संकल्प संख्या ई-11015/9/95-हिन्दी, दिनांक 8 अप्रैल, 1999 का अधिक्रमण करते हुए, भारत सरकार ने उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के लिए हिन्दी सलाहकार समिति का पुनर्गठन करने का निर्णय किया है। इस समिति के सदस्य और कार्य इस प्रकार होंगे:

1.	उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री	अध्यक्ष
2.	उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री (खाद्य और सार्वजनिक वितरण)	उपाध्यक्ष
3.	उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री (उपभोक्ता मामले)	उपाध्यक्ष
	लोक सभा के सदस्य	
4.	श्री राम नरेश त्रिपाठी	सदस्य
5.	श्री ए. वेंकटेश नाईक	सदस्य
	राज्य सभा के सदस्य	
6.	श्री संघ प्रिय गौतम	सदस्य
7.	श्री बालकवि बैरागी	सदस्य
	संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिनिधि	
8.	श्री पवन सिंह घाटोवार, संसद सदस्य (लोक सभा)	सदस्य
9.	श्रीमती कृष्णा बोस, संसद सदस्य (लोक सभा)	सदस्य
	गैर-सरकारी सदस्य	
10.	डॉ. इन्दु बाली, 1541, सेक्टर 18-डी, चण्डीगढ़	सदस्य

11. डॉ. गौतम व्यथित, सदस्य
गांव नेरटी, शाहपुर, कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश)

12. डॉ. राम दल पाण्डेय, सदस्य
अध्यक्ष, स्नातकोत्तर हिन्दी विभाग,
शिवहर्ष किसान पी.जी. कालेज, बस्ती, उत्तर प्रदेश

13. श्री बी.आर. नारायण सदस्य
1691, अंजैया टैम्पल स्ट्रीट, केंगरी सैटलाइट टाउन,
बंगलौर-560060

14. श्री ए. शर्मा, "पंडित जी", 8, फस्ट क्रास स्ट्रीट, सदस्य
कस्तूरी बा नगर, अडयार, चेन्नई-600020

15. डॉ. बाल किशन शर्मा, आर-718, कोटला सदस्य
(बस स्टैंड के पीछे) पानीपत, हरियाणा

16. श्री राधा कांत भारती, एन-525, सेक्टर 9, सदस्य
आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110022

स्वैच्छिक संस्थाओं आदि के प्रतिनिधि

17. अध्यक्ष, नागरी प्रचारिणी सभा सदस्य
1-ए, सुनहरी बाग रोड, नई दिल्ली-110001

18. केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद का प्रतिनिधि सदस्य

सरकारी सदस्य

19. सचिव, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली सदस्य

20. संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली सदस्य

21. सचिव, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग सदस्य

22. सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग, नई दिल्ली सदस्य

23. अपर सचिव तथा वित्तीय सलाहकार, सदस्य
उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

24. अपर सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग सदस्य

25. आर्थिक सलाहकार, उपभोक्ता मामले विभाग सदस्य

26. उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण सदस्य
मंत्रालय के सभी संयुक्त सचिव

27. प्रबंध निदेशक, भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली सदस्य

28. प्रबंध निदेशक, केन्द्रीय भंडारण निगम, नई दिल्ली सदस्य

29. मुख्य निदेशक, शर्करा निदेशालय, नई दिल्ली सदस्य

30. मुख्य निदेशक, वनस्पति, वनस्पति तेल और सदस्य
वसा निदेशालय, नई दिल्ली

31. मुख्य निदेशक, राष्ट्रीय गन्ना और चीनी सदस्य
प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली/मऊ

32. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, हिन्दुस्तान वेजिटेबल आयल्स सदस्य
कारपोरेशन, नई दिल्ली

33. महानिदेशक, भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली सदस्य

34. प्रबंध निदेशक, सुपर बाजार, नई दिल्ली सदस्य

35. प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ, सदस्य
नई दिल्ली

36. संयुक्त सचिव (हिन्दी के प्रभारी), सदस्य-सचिव
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

2. समिति के कार्य

इस समिति के कार्य उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय और उसके सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों को सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित विषयों तथा गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग) द्वारा निर्धारित नीति संबंधी ढांचे के अंतर्गत आने वाले मामलों पर सलाह देना होगा।

3. कार्यकाल

इस समिति का कार्यकाल इसके पुनर्गठन की तारीख से तीन वर्ष तक होगा, परन्तु

(क) जो संसद सदस्य समिति के सदस्य हैं, वे संसद सदस्य न रहने पर इस समिति के सदस्य भी नहीं रहेंगे।

(ख) समिति के पदेन सदस्य उस समय तक सदस्य बने रहेंगे जब तक कि वे अपने-अपने उन पदों पर हैं जिनके कारण वे समिति के सदस्य हैं।

(ग) यदि किसी सदस्य के त्याग-पत्र देने, मृत्यु आदि के कारण समिति में कोई स्थान रिक्त होता है तो उसके स्थान पर नियुक्त किया गया सदस्य तीन वर्ष के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए सदस्य रहेगा।

4. सामान्य

समिति का प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में होगा, किन्तु समिति अपनी बैठकें किसी अन्य स्थान पर भी कर सकती है।

5. यात्रा भत्ता और अन्य भत्ते

समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए गैर-सरकारी सदस्यों को राजभाषा विभाग के दिनांक 22 जनवरी, 1987 के का.ज्ञा. संख्या 11/20034/4/86-रा.भा. (क-2) में निहित दिशा-निदेशों के अनुरूप और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित निर्धारित दरों एवं नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता दिया जाएगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों, प्रधान मंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, राष्ट्रपति सचिवालय, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, लेखा नियंत्रक, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को जन-साधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित कराया जाए।

ह./-
(बी.के. बल)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,
भारत सरकार प्रेस,
फरीदाबाद (हरियाणा)

संख्या ई-11015/9/95-हिन्दी नई दिल्ली, दिनांक जून, 2000

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. समिति के सभी सदस्य
2. भारत सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग
3. सभी राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों के प्रशासन
4. राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली
5. प्रधान मंत्री कार्यालय, नई दिल्ली
6. मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली
7. संसदीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली
8. लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली
9. राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली
10. भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली
11. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली
12. भारत का निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली
13. लेखा नियंत्रक, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, नई दिल्ली
14. राजभाषा विभाग, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली (4 प्रतियां)
15. संसदीय राजभाषा समिति, 11, तीन मूर्ति मार्ग, नई दिल्ली
16. संसद पुस्तकालय, नई दिल्ली (4 प्रतियां)
17. सूचना अधिकारी, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, नई दिल्ली
18. उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री के निजी सचिव/उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री (खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण) के निजी सचिव/ उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री (उपभोक्ता मामले) के निजी सचिव
19. खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के सभी अधिकारी/ अनुभाग/डेस्क
20. खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के सभी सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालय
21. भारतीय खाद्य निगम/केन्द्रीय भंडारण निगम, नई दिल्ली
22. हिन्दुस्तान वेजिटेबल आयल्स कारपोरेशन, नई दिल्ली
23. हिन्दी अनुभाग, उपभोक्ता मामले विभाग (50 प्रतियां)- इन प्रतियों को अपने विभाग के अधिकारियों/अनुभागों/ डेस्कों तथा अधीनवर्ती कार्यालयों के बीच वितरित करने के लिए।

24. उपभोक्ता मामले विभाग के सभी सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालय।

ह/-
(डॉ. पुष्पलता सिंह)
उप निदेशक (राजभाषा)

[अनुवाद]

पिलग्रिमेज सिटीज पैकेज

3129. श्री तिरुनावकरसू:
डा. ए.डी.के. जयशीलन:

क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राज्य में अत्यधिक मंदिरों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2000-2001 के दौरान "पिलग्रिमेज सिटीज पैकेज" के तहत तमिलनाडु को धनराशि आबंटित करनी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) से (ग) तीर्थ केन्द्रों सहित पर्यटक महत्व के स्थलों का विकास करना संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य प्रशासन की जिम्मेदारी है। तथापि, राज्य सरकार/संघ राज्य प्रशासन के साथ विचार-विमर्श करके प्राथमिकता प्रदत्त विशिष्ट प्रस्तावों के आधार पर, केन्द्रीय पर्यटन विभाग प्रत्येक वर्ष, देश में चुनिंदा तीर्थ केन्द्रों पर अवसंरचनात्मक/मूलभूत सुविधाओं के प्रावधान के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

तमिलनाडु पर्यटन विकास निगम के माध्यम से तमिलनाडु राज्य सरकार मदुरै, तंजावुर, वेलनकन्नी, पलानी, नागौर, तिरुपति, मंत्रालयम् आदि जैसे विभिन्न तीर्थ केन्द्रों के लिए "तीर्थस्थल पैकेज टूअर्स" चलाती है।

तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 में संशोधन

3130. डा. मन्दा जगन्नाथ: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार तम्बाकू उत्पादन के विनियमन के लिए बोर्ड को अधिकार देने हेतु तम्बाकू बोर्ड अधिनियम 1975 में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके कब तक पुर:स्थापित किये जाने की संभावना है; और

(ग) तम्बाकू किसानों की सहायतार्थ अन्य क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) जी हाँ।

(ख) विधेयक को अन्तर-मंत्रालयी परामर्श और अनुमोदन के बाद प्रस्तावित संशोधनों को अंतिम रूप दिये जाने पर ही पेश किया जाएगा।

(ग) तम्बाकू किसानों की सहायता के लिए प्रस्तावित कदमों में शामिल हैं:

(क) किसानों को बैंक से फसल ऋणों और अल्पावधि ऋण प्राप्त करने में सहायता करना।

(ख) बैंकों को यह परामर्श देना कि तम्बाकू किसानों द्वारा नीलामियों में बिक्री के लिए डाली गई पहली दो खेपों की बिक्री से उनके पिछले फसल ऋण अग्रिमों की वसूली न की जाए।

(ग) तम्बाकू क्षेत्रों में कार्य कर रही बीमा कंपनियों के पास तम्बाकू, क्योरिंग खत्तों का बीमा कराने में मदद देना।

(घ) तम्बाकू किसानों के लिए असली और अनुमोदित बीज, उर्वरक, सिंचाई उपकरण, कीटनाशक, सकरीसाइड्स, कोयला, ब्रिकेट्स, तिरपाल और छिड़काव उपकरण जैसी निविष्टियों की आपूर्ति की व्यवस्था करना।

[हिन्दी]

भारतीय बॉयलर अधिनियम, 1923

3131. श्री उत्तमराव ढिकले: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय बॉयलर अधिनियम, 1923 में कतिपय संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्ष 1995 में इस संबंध में एक विधेयक पर चर्चा भी गई थी परन्तु यह विधेयक पुर:स्थापित नहीं किया जा सका;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में विधेयक कब तक पुर:स्थापित किये जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) भारतीय बॉयलर अधिनियम, 1923 में संशोधन करने के लिए राज्य सभा में 13 मई, 1994 को भारतीय बॉयलर (संशोधन) विधेयक, 1994 नामक एक विधेयक प्रस्तुत किया गया था। इस विधेयक में मुख्यत: निम्नलिखित की व्यवस्था की गयी थी:

(1) विश्व भर में वर्तमान प्रौद्योगिकीय विकास के अनुरूप बॉयलरों के विनिर्माण, उनकी स्थापना और उपयोग के दौरान उनका निरीक्षण किया जाना;

(2) स्वतंत्र निरीक्षण एजेंसियों को अतिरिक्त रूप से अनुमति प्रदान करके बॉयलरों के विनिर्माण, स्थापना और उपयोग के दौरान उनके निरीक्षण का विकेन्द्रीकरण करना;

(3) 1987 में यथा संशोधित फैक्टरी अधिनियम, 1948 में निहित उपबंधों की तर्ज पर अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के लिए शास्तियों (पैनल्टीज) में वृद्धि करना;

(4) अधिनियम के तहत किये गये आदेशों के विरुद्ध दायर की जाने वाली अपीलों की प्रक्रिया में परिवर्तन करना;

(5) बॉयलरों के उपयोग में उच्चतर दक्षता प्राप्त करने हेतु ऊर्जा लेखापरीक्षा;

(6) अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन की निगरानी तथा उन्हें लागू करने हेतु केन्द्रीय बॉयलर बोर्ड के गठन और उनकी शक्तियों में परिवर्तन करना।

राज्य सभा ने इस विधेयक को उद्योग पर विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति को भेजा। स्थायी समिति ने विधेयक की जांच करने, सभी संबंधित पक्षों की टिप्पणियां प्राप्त करने तथा आमंत्रित की गयी पार्टियों के मौखिक साक्ष्यों के उपरांत अपनी रिपोर्ट में संशोधनों के साथ कुछ सुझाव दिये, जिसे मार्च, 1995 में राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया था। इन सिफारिशों की, केन्द्रीय बॉयलर बोर्ड, राज्य सरकारों और अन्य संबंधित पक्षों के परामर्श से विस्तृत जांच की गयी है और सरकार ने इस विधेयक में और संशोधन करने का निर्णय लिया है। शासकीय संशोधनों सहित इस संशोधन विधेयक पर संसद के वर्तमान सत्र में विचार किये जाने की संभावना है।

आटो उद्योग नीति

3132. श्री पी.आर. खूंटे:
डा. जसवंत सिंह यादव:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय आटो उद्योग नीति बनाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे मोटर उद्योग को किस हद तक लाभ पहुंचेगा?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. वल्लभभाई कथीरिया): (क) और (ख) जी, हां। ऑटो नीति का मसौदा तैयार करने के लिए, सचिव, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय की अध्यक्षता में दिनांक 10.7.2000 को भारतीय ऑटोमोटिव निर्माता ऑटोमोटिव कम्पोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसियेशन, विदेश व्यापार महानिदेशालय, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भूतल परिवहन मंत्रालय, कृषि मंत्रालय और ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, पुणे के प्रतिनिधियों की एक समिति बनाई गई है।

(ग) ऑटो उद्योग को किस सीमा तक लाभ पहुंचेगा, यह केवल नीति को अंतिम रूप दिये जाने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।

[अनुवाद]

सुविधा और सहायता

3133. डा. अशोक पटेल:
श्री सुरेश पासी:
श्री सुरेश रामराव जाधव:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार करदाताओं की कठिनाइयों को दूर करने के लिए ''सुविधा'' और ''सहायता'' नामक दो योजनाएं तत्काल शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) जी हां, करदाताओं की "सुविधा" और "सहायता" नामक दो योजनाएं उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए 1 अगस्त, 2000 से प्रारंभ की गई हैं।

(ख) और (ग) करदाताओं की "सुविधा" के लिए छः में से एक योजना द्वारा शामिल किये जा रहे 133 नगरों और शहरों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की सभी कम्प्यूटरीकृत शाखाओं को 1 अगस्त, 2000 से प्रत्यक्ष कर का भुगतान प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। इसके साथ ही साथ, उनकी "सहायता" के लिए "हैल्पलाइन-आयकर" ने व्यष्टियों और निगम करदाताओं की तात्कालिक और गंभीर समस्याओं को विभाग के ध्यान में लाए जाने और उस पर त्वरित कार्रवाई करने के लिए एक मुख्य केन्द्र के रूप में दिल्ली में कार्य करना प्रारंभ किया है। यह स्कीम आयकर आयुक्त के स्तर के अधिकारी के पर्यवेक्षण में चलाई जा रही है। "हेल्पलाइन-आयकर" को यथासमय अन्य केन्द्रों पर भी चलाया जाएगा। ये स्कीमें कर प्रशासन को करदाताओं के प्रति और अधिक अनुकूल बनाने हेतु सरकार के प्रयास का एक भाग हैं।

[हिन्दी]

प्रकाशन उद्योग में खामियां

3134. **श्री नवल किशोर राय:**
डा. सुशील कुमार इन्दौरा:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान देश के समाचारपत्रों से जुड़े संस्थानों ने सरकार का ध्यान प्रकाशन उद्योग की खामियों की ओर आकृष्ट किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन खामियों को दूर करने के लिए अब तक कोई कार्यवाही की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) प्रकाशन उद्योग की खामियों के बारे में देश में समाचार-पत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले संस्थानों से मंत्रालय को कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

प्रसार भारती

3135. **श्री सुकदेव पासवान:**
श्री जे.एस. बराड़:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रेस परिषद के अध्यक्ष ने मौजूदा प्रसार भारती में व्यापक बदलाव लाने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उनके वक्तव्य की जांच करने के बाद सरकार ने इस संबंध में कोई निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) प्रसार भारती को लोकतांत्रिक ढांचे में ढालने के संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) और (ख) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि अध्यक्ष, भारतीय प्रेस परिषद ने प्रसार भारती बोर्ड के एक सदस्य को इलेक्ट्रौनिक मीडिया नीति पर एक संक्षिप्त नोट भेजा था जिसमें इलेक्ट्रानिक मीडिया में निम्नलिखित द्वारा प्रचालित किये जाने वाले तीन चैनलों के क्षेत्रों/सैटों की वकालत की गई थी-(1) सार्वजनिक क्षेत्र जिसमें केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें, स्थानीय निकाय, सार्वजनिक उपक्रम आदि शामिल हैं, (2) निजी क्षेत्र जिसमें निजी व्यक्ति तथा संगठन निहित हैं, तथा (3) जनता क्षेत्र जो निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों से स्वतंत्र होगा।

(ग) सरकार को इस बारे में प्रसार भारती से कोई सिफारिश या सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) सरकार का यह विचार है कि प्रसार भारती अधिनियम 1990 में परिकल्पित स्वायत्तशासी प्रसार भारती से हमारे देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सुदृढ़ करने संबंधी आधारभूत उद्देश्य की पूर्ति होती है। तथापि, सार्वजनिक सेवा प्रसारक के रूप में प्रसार भारती के दायित्व को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इसके कार्यकरण का अध्ययन करने और संगठन में गुणवत्ता, विश्वसनीयता और व्यवसायिकता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इसके संगठनात्मक स्वरूप, कानूनी ढांचे, प्रणालियों तथा अन्य संबंधित क्षेत्रों के संबंध

में उपयुक्त सिफारिशें करने के लिए श्री एन.आर. नारायण मूर्ति, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, इनफोसिस, श्री किरण कार्तिक, प्रबंध निदेशक, डिस्कवरी कम्युनिकेशंस इंडिया तथा श्री शुन्नू सेन, प्रतिष्ठित विपणन परामर्शदाता को शामिल करके एक समिति गठित की थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट 20 मई, 2000 को प्रस्तुत कर दी है। रिपोर्ट की एक प्रति मंत्रालय की वेबसाइट अर्थात एम आई बी, एन आई सी इन पर उपलब्ध है। समिति की कुछ सिफारिशों पर प्रसार भारती द्वारा और कुछ के संबंध में सरकार द्वारा निर्णय लिया जाना है। सरकार द्वारा इस विषय में अंतिम निर्णय लेने से पहले प्रसार भारती बोर्ड के सदस्यों, स्टाफ तथा कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों से परामर्श किया जा रहा है। इस रिपोर्ट को परामर्शदात्री समिति के सदस्यों के विचार जानने के लिए उन्हें भी परिचालित किया गया है।

[अनुवाद]

लघु उद्योगों के लिए ऋण अग्रिम

3136. **श्री आर.एल. जालप्पा:**
श्री बृज लाल खाबरी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में लघु उद्योगों को वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या मानदण्ड अपनाए जाते हैं; और

(ख) सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार विशेषकर कर्नाटक में लघु उद्योग क्षेत्र को कितना ऋण दिया गया?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी समग्र नीतिगत मार्गनिर्देशों के भीतर प्रत्येक बैंक के निदेशक मण्डल द्वारा तैयार और अनुमोदित ऋण नीतियों और प्रक्रियाओं के आधार पर वाणिज्यिक बैंकों द्वारा लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि लघु उद्योग क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए वाणिज्यिक बैंकों हेतु कुछ प्रमुख नीतिगत मार्गनिर्देश निम्नानुसार हैं:

* 25,000 रुपए तक के ऋण पर कोई मार्जिन निर्धारित नहीं तथा 25,000 रुपए से अधिक के ऋण के लिए ऋण के उद्देश्य और उसकी प्रमात्रा पर निर्भर करते हुए बैंकों द्वारा 15% से 25% की मार्जिन राशि की मांग की जा सकती है।

* अत्यन्त लघु एककों के लिए 5 लाख रुपए तक के ऋण के लिए प्रतिभूति के संबंध में ऋणों से सृजित आस्तियों का गिरवी/दृष्टिबंधक/बंधक रखा जाना ही प्रतिभूति का कार्य करेगा और कोई सम्पार्श्विक नहीं ली जाएगी।

* 2 लाख रुपए तक के ऋणों पर ब्याज बैंक के प्राथमिक उधार दर से अधिक नहीं होना चाहिए।

* लघु उद्योग एककों को 5 करोड़ रुपए तक की कुल निधि आधारित कार्यशील पूंजी सीमाओं की अनुमानित वार्षिक कुल बिक्री के न्यूनतम 20% के आधार पर संगणना की जाती है।

* लघु उद्योग एककों के लिए समिश्र ऋण सीमा को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथासूचित पिछले तीन वर्ष 1996-1998 (अद्यतन उपलब्ध) के दौरान लघु उद्योग क्षेत्र को सरकारी क्षेत्र के बैंकों का राज्यवार अग्रिम का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। कर्नाटक में मार्च 1996, 1997 और 1998 के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार लघु उद्योग क्षेत्र को सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अग्रिम क्रमश: 1714 करोड़ रुपये, 1908 करोड़ रुपये और 2227 करोड़ रुपये थे।

विवरण

मार्च 1996, 1997, 1998 के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार लघु उद्योगों को सरकारी क्षेत्र के बैंकों का अग्रिम

(राशि हजार में)

क्षेत्र राज्य	बकाया राशि		
	1996	1997	1998
1	2	3	4
हरियाणा	10336601	11017963	13235218

1	2	3	4
हिमाचल प्रदेश	1623753	1496906	1841855
जम्मू और कश्मीर	996837	1097441	1317758
पंजाब	19188920	21264337	26064423
राजस्थान	7924136	9392952	14047365
चंडीगढ़	1971695	2340966	2530198
दिल्ली	23908342	25265357	31637841
उत्तरी क्षेत्र	69950284	71875922	90674658
असम	2347556	2487905	2629335
मणिपुर	324712	401574	407974
मेघालय	84468	96261	133929
नागालैण्ड	181069	213802	202925
त्रिपुरा	189145	206868	212745
अरुणाचल प्रदेश	29011	37731	41447
मिजोरम	59456	64678	68385
सिक्किम	42258	45553	53643
पूर्वोत्तर क्षेत्र	3257675	3554372	3750383
बिहार	8042059	8705597	9132639
उड़ीसा	4293192	4498043	5199051
पश्चिम बंगाल	19919979	20572464	23307405
अंडमान-निकोबार	24586	32638	40036
पूर्वी क्षेत्र	32279816	33808742	37679931
मध्य प्रदेश	11051577	11864312	14508265
उत्तर प्रदेश	26158620	27886569	32286535
मध्यवर्ती क्षेत्र	37210197	39750881	46794800
गुजरात	22377348	22175981	28145832
महाराष्ट्र	50291797	53239874	67909798
दमन और दीव	142062	37080	41957
गोवा	884351	1160259	1613281

1	2	3	4
दादरा-नगर हवेली	31281	29809	90200
पश्चिमी क्षेत्र	73726839	76643003	97801068
आंध्र प्रदेश	18471037	20340106	23870130
कर्नाटक	17140364	19088545	22277770
केरल	10434405	10323759	11538736
तमिलनाडु	36923125	39562081	43982509
पांडिचेरी	343471	321462	342408
लक्षद्वीप	857	846	600
दक्षिणी क्षेत्र	83313259	89636799	102012153
अखिल भारत	295738070	315267719	378712993

विदेशी संस्थागत निवेशकों का बीमा क्षेत्र में प्रवेश

3137. **श्री इन्द्रजीत गुप्त:**
श्री रविप्रकाश वर्मा:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण (आई.आर.डी.ए.) ने विदेशी संस्थागत निवेशको को संयुक्त बीमा उद्यमों में 26 प्रतिशत की निर्धारित सीमा से अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह निर्णय विदेशी इक्विटी को 26 प्रतिशत तक सीमित करने की प्रारम्भिक नीति के विरुद्ध है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में स्वीकृत नीति को बदलने के क्या कारण है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को स्वायत्तता का दर्जा देना

3138. **श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:**
श्री अजय सिंह चौटाला:
श्री राम मोहन गाइडे:

क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनेक इतिहासकारों ने हाल में मांग की है कि पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को स्वायत्तशासी संगठन बनाया जाये;

(ख) यदि हां, तो इतिहासकारों द्वारा अपनी मांग के क्या आधार बताए गए हैं; और

(ग) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) सरकार को इस संबंध में कोई भी मांग प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

नई औद्योगिक नीति

3139. **श्री पी.एस. गढ़वी:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नई औद्योगिक नीति सफल रही है;

(ख) यदि हां, तो पूर्ववर्ती तथा वर्तमान दिनों में औद्योगिक निवेश की तुलना के आंकड़े क्या है;

(ग) प्रत्याशित औद्योगिक विकास कितना है;

(घ) वर्ष 1998-99, 1999-2000 के दौरान कितना प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया गया; और

(ङ) सरकार द्वारा और अधिक औद्योगिक विकास करने तथा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ाने के लिए कौन से सुधारात्मक उपाय करने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) से (घ) नई औद्योगिक नीति, 1991 का लक्ष्य पहले से हो रहे लाभों को बनाये रखना, उत्पादन में निरंतर विकास की गति और लाभप्रद रोजगार बनाये रखना है। सरकार ने औद्योगिक लाइसेंसीकरण, विदेशी निवेश, विदेशी प्रौद्योगिकी करार इत्यादि से संबंधित नीतियों के बारे में किये गये अनेकानेक पहलों के फलस्वरूप, अगस्त, 1991 और जून, 2000 के बीच दर्ज किये गये औद्योगिक निवेश संबंधी आशयों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है जो तैंतालीस हजार तक हो गई है जिसमें लगभग 928 हजार करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है।

वर्ष 1998-99 और 1999-2000 के दौरान अनुमोदित की गई विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की राशि क्रमशः लगभग 34 हजार करोड़ रुपये और 22 हजार करोड़ रुपये थी।

(ङ) औद्योगिक नीति और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति, पद्धतियों व उनके क्रियान्वयन की समीक्षा करना एक सतत् प्रक्रिया है। सरकार आवश्यकतानुसार औद्योगिक विकास को बढ़ाने और अधिकाधिक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को आकर्षित करने के लिए सुधारात्मक उपाय करेगी।

कुछ करेंसी (मुद्रा) नोटों के रंग और डिजाइन में परिवर्तन

3140. **श्री रामशेठ ठाकुर:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कुछ करेंसी नोटों के डिजाइन और रंग में परिवर्तन करने का है;

(ख) यदि हां, तो ये करेंसी नोट कितने-कितने मूल्य वाले हैं;

(ग) यह कार्य कब तक किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार का विचार इन नोटों को बाजार में जानकारी करने से पहले आम जनता को उनके बारे में जानकारी देने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) से (ग) सरकार ने अतिरिक्त सुरक्षा विशेषताओं सहित मौजूदा डिजायन में संशोधन रंग योजना में 500 रुपये मूल्यवर्ग का नोट शुरू करने का निर्णय किया है। यह नोट शीघ्र ही चलन में लाया जाएगा।

(घ) जी, हां।

(ङ) 500 रुपए मूल्यवर्ग के एक नोट को चलन में लाने से पूर्व, भारतीय रिजर्व बैंक आम जनता की जानकारी के लिए सभी क्षेत्रीय भाषाओं में एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करेगा।

[हिन्दी]

विदेशी मुद्रा भंडार

3141. **डा. वी. सरोजा:**
श्री आर.एल. भाटिया:
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 23 जून को समाप्त होने वाले सप्ताह के दौरान देश का विदेशी मुद्रा भंडार 25 करोड़ 40 लाख डालर से घट जाने के बाद 36 मिलियन 47 करोड़ हो गया है;

(ख) क्या भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार यह धनराशि एक सप्ताह पहले 36 मिलियन 72 करोड़ 40 लाख डालर और एक वर्ष पहले 33 मिलियन 17 करोड़ 60 लाख डालर थी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) विदेशी मुद्रा भंडारों की नवीनतम स्थिति क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश के विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) से (ग) 23 जून, 2000 की स्थिति के अनुसार विदेशी मुद्रा आस्तियों, स्वर्ण एवं एसडीआर सहित विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडारों की राशि 36,470 मिलियन अमरीकी डालर है जो इससे पूर्ववर्ती सप्ताह (16 जून, 2000) के 36,724 मिलियन अमरीकी डालर के स्तर की तुलना में 254 मिलियन अमरीकी डालर की कमी को दर्शाता है। एक वर्ष पूर्व (25 जून, 1999 की स्थिति के अनुसार 33,176 मिलियन अमरीकी डालर के विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडारों के स्तर की तुलना में 23 जून, 2000 की स्थिति के अनुसार प्रारक्षित भंडारों का स्तर 3294 मिलियन अमरीकी डालर की निवल वृद्धि को दर्शाता है।

(घ) 28 जुलाई, 2000 की स्थिति के अनुसार विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडारों की नवीनतम स्थिति 36,196 मिलियन अमरीकी डालर है।

(ङ) विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडारों में घट-बढ़ विदेशी मुद्रा बाजार में भुगतान संतुलन के चालू और पूंजीगत खाते, दोनों में भारत के अंतर्राष्ट्रीय लेन-देनों से उत्पन्न मांग व पूर्ति के बीच अन्तरों को परिलक्षित करता है। सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक भुगतान संतुलन और देश एवं विदेश के वित्तीय बाजारों के घटनाक्रम को बारीकी से मानीटर करते हैं और प्रेषणों सहित निर्यातों तथा अदृश्य प्राप्तियों में वृद्धि करने, पूंजी प्रवाहों विशेष रूप से प्रत्यक्ष विदेशी निवेशों को बढ़ाने तथा विदेशी मुद्रा बाजार में स्थिति को सुव्यवस्थित बनाए रखने के लिए समय-समय पर यथा आवश्यक उपाय करते हैं।

[अनुवाद]

सिंचाई परियोजनाओं के लिए नाबार्ड से ऋण

3142. **श्री भर्तृहरि महताब:**
श्री अनन्त गुड़े:
श्री विष्णुदेव साय:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान आर.आई.डी.एफ. के अंतर्गत सिंचाई योजनाओं के लिए नाबार्ड द्वारा राज्यों, विशेषकर उड़ीसा और मध्य प्रदेश को कोई राशि उपलब्ध कराई गई है:

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन पर धनराशि खर्च की गई;

(घ) क्या सरकार का विचार वर्ष 2000-2001 के दौरान सिंचाई परियोजनाओं के लिए राज्यों को और अधिक राशि उपलब्ध कराने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) से (ग) जी, हां। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा ग्रामीण आधारिक विकास निधि (आरआईडीएफ) के तहत पिछले तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा और मध्य प्रदेश में सिंचाई परियोजनाओं के लिए दी गई वित्तीय सहायता के ब्यौरे निम्नलिखित हैं:

(करोड़ रुपये)

राज्य	आरआईडीएफ-III (1997-98)		आरआईडीएफ-IV (1998-99)		आरआईडीएफ-V (1999-2000)	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
उड़ीसा	22	96.49	15	89.41	31	71.01
मध्य प्रदेश	98	128.44	100	141.79	20	112.11

स्वीकृत धनराशि का लघु एवं प्रमुख सिंचाई हेतु उड़ीसा और मध्य प्रदेश में क्रमश: 68 परियोजनाओं एवं 218 परियोजनाओं के लिए प्रयोग किया गया है।

(घ) और (ङ) संभवत: यह प्रश्न आरआईडीएफ की मंजूरियों से संबंधित है। नाबार्ड ने सूचित किया है कि उसने वर्ष 2000-2001 के दौरान आरआईडीएफ-VI के तहत सिंचाई क्षेत्र के लिए अब तक मध्य प्रदेश और उड़ीसा सहित नौ राज्यों के लिए 385.60 करोड़ रुपये की ऋण राशि स्वीकृत की है। मध्य प्रदेश और उड़ीसा को मंजूरियां क्रमश: 87.38 करोड़ रुपये और 0.57 करोड़ रुपये है।

चोरबाजारी निवारण

3143. **श्री प्रवीण राष्ट्रपाल:**
श्री राम टहल चौधरी:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में चोरबाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 के तहत राज्य-वार कितने मामले दर्ज किए गए हैं;

(ख) सरकार के पास कितने मामले लंबित पड़े हैं; और

(ग) सरकार ने ऐसे मामलों के शीघ्र निपटान के लिए क्या कदम उठाए हैं?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) केन्द्रीय सरकार के पास विभिन्न राज्य सरकारों से उपलब्ध सूचना के अनुसार जनवरी, 2000 से 4.8.2000 तक चालू पंचांग वर्ष के दौरान चोरबाजारी निवारण तथा आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 के तहत नजरबंद किए गए व्यक्तियों की राज्यवार संख्या नीचे दी गई है:

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	नजरबंद व्यक्तियों की संख्या
1.	गुजरात	139
2.	मध्य प्रदेश	12
3.	तमिलनाडु	13
	योग	164

शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने कोई मामला सूचित नहीं किया है।

(ख) 4.8.2000 की स्थिति के अनुसार जिन आठ व्यक्तियों के विरुद्ध अधिनियम के तहत नजरबंदी के आदेश जारी किए गए हैं, उनसे प्राप्त अभ्यावेदन केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन हैं। इन सभी मामलों में राज्य सरकारों से अभ्यावेदन पर टिप्पणियां अथवा उनका अंग्रेजी अनुवाद अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) प्राप्त अभ्यावेदनों को केन्द्रीय सरकार द्वारा तेजी से निपटा दिया जाता है।

राज्य सहकारी बैंकों और जिला सहकारी बैंकों की गैर-निष्पादनकारी आस्तियां

3144. श्री टी.एन. सेलवागनपति: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 मार्च, 1999 और 31 मार्च, 2000 की स्थिति के अनुसार देश में राज्य सहकारी बैंकों और जिला सहकारी बैंकों में संचित कुल अनुप्रयोज्य आस्तियां कितनी हैं;

(ख) क्या सरकार ने अनुप्रयोज्य आस्तियों की वसूली हेतु इन सहकारी बैंकों को मार्ग-निर्देश जारी किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, वर्ष 1997-98 और 1998-99 के लिए देश में राज्य सहकारी बैंकों (एससीबी) तथा जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) की अनुप्रयोज्य आस्तियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(रुपए लाख में)

वर्ष	एससीबी	डीसीसीबी
1997-98	230399	568737
1998-99	274793	657293

वर्ष 1999-2000 से संबंधित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) और (ग) नाबार्ड ने सूचित किया है कि वह सहकारी बैंकों में अनुप्रयोज्य आस्तियों की समस्या की व्यापकता तथा समस्या के कारणों का बैंकवार मूल्यांकन करता रहा है और किए जाने वाले उपाय सुझाता रहा है। इन बैंकों से विशेष रूप से कहा गया है कि वे मंजूरी पूर्व मूल्यांकन, कार्य प्रणालियों, संवितरणोंपरांत अनुवर्ती उपायों आदि को युक्ति-युक्त बनाने के लिए कार्रवाई करें। ऋण वसूली अधिकरणों/सहकारी विधि न्यायालयों में मुकदमा दायर कर पुरानी अतिदेय राशियों की वसूली के उपायों को मजबूत बनाने के अतिरिक्त, जहां कहीं आवश्यक हो, वहां बैंकों से यह भी कहा जाता है कि पारदर्शी नीतियां/प्रक्रियाएं निर्धारित कर समझौता और एक बारगी निपटान जैसे उपाय अपनाएं। बैंकों के निरीक्षण के दौरान, किए गए बैंक विशिष्ट प्रेक्षण पर आधारित विश्लेषण को एक निश्चित समय सीमा के भीतर अनुपालन के लिए बैंकों को जारी किए जाने वाले निरीक्षण रिपोर्टों में शामिल किया जाता है।

[हिन्दी]

दूरदर्शन और आकाशवाणी की नई विज्ञापन नीति

3145. श्री माणिकराव होडल्या गावीत:
श्री जी.जे. जावीया:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान दूरदर्शन और आकाशवाणी द्वारा वर्ष-वार कितना राजस्व अर्जित किया गया और नौवीं पंचवर्षीय योजनावधि के लिए इस संबंध में क्या अनुमान लगाया गया है;

(ख) क्या सरकार ने हाल में नौवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान राजस्व बढ़ाने के लिए कोई नई विज्ञापन नीति तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) सूचना और प्रसारण मंत्रालय के मुख्य लेखा कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले तीन वर्षों के लिए आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के बजट अनुमान सहित वास्तविक प्राप्तियां निम्न प्रकार से हैं:

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	आकाशवाणी		दूरदर्शन	
	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियां	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियां
1997-98	129.50	100.98	631.00	467.51
1998-99	124.50	95.67	681.00	419.99
1999-2000	129.00	78.55	581.00	496.23

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर राज्यों में विदेशी पर्यटकों की यात्रा

3146. श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी:
श्री डी.वी.जी. शंकर राव:

क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विदेशी पर्यटकों को पूर्वोत्तर राज्यों की यात्रा करने की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस कार्य के लिए कौन प्राधिकारी अनुमति देगा; और

(ग) पर्यटक वहां कितने दिन तक रह सकते हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) विदेशी पर्यटकों को असम, मेघालय और त्रिपुरा की यात्रा करने के लिए अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैण्ड और मिजोरम की यात्रा करने के लिए विवाहित जोड़ों सहित विदेशी पर्यटकों के समूह के लिए कुछ स्थल/मार्ग भी खोल दिए गए हैं।

(ख) और (ग) परमिट 10 दिनों की अधिकतम अवधि के लिए जारी किये जाते हैं और परमिटों को जारी करने के लिए निम्नलिखित प्राधिकरण सक्षम हैं:

(1) गृह मंत्रालय

(2) विदेश स्थित सभी भारतीय मिशन

(3) एफ.आर.आर.ओ., दिल्ली, मुम्बई, कलकत्ता

(4) मुख्य आप्रवासन अधिकारी, चैन्नई

(5) संबंधित राज्य के गृह आयुक्त।

केरल की ऋण माफी

3147. श्री ए.पी. अब्दुल्लाकुट्टी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल राज्य ने 5648 करोड़ रुपये के ऋण को माफ करने की मांग उठाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

नोटों की छपाई और सिक्कों की ढलाई

3148. श्री थावर चन्द गेहलोत: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार ने किन-किन देशों से नोटों की छपाई और सिक्कों की ढलाई करवाई;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितने मूल्य के नोटों की छपाई और सिक्कों की ढलाई की गई;

(ग) क्या सरकार का विचार विदेशों से नोटों की छपाई और सिक्कों की ढलाई बंद करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) से (ङ) मांग और पूर्ति के बीच अन्तर को कम करने के लिए एक बारगी उपाय के तौर पर जर्मनी, फ्रांस, कनाडा और यू.के. से छपे हुए नोटों का आयात किया गया। नोटों का कुल अंकित मूल्य 1,00,000 करोड़ रुपये है। ये नोट 1997-98 और 1998-99 की अवधि के दौरान प्राप्त किए गए थे। मैक्सिको, स्लोवाकिया, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका, यू.के. और रूस से निम्नानुसार सिक्कों का आयात किया गया है:

वर्ष	मूल्य
1997-98	130 करोड़ रुपये
1998-99	130 करोड़ रुपये
1999-2000	290 करोड़ रुपये

बौद्ध स्थलों का विकास

3149. योगी आदित्यनाथ: क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को बौद्ध स्थलों के विकास के लिए जापान सरकार से सहायता प्राप्त हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने महाराष्ट्र राज्य में अजन्ता और एलौरा के संरक्षण तथा विकास के लिए जनवरी, 1992 में जापान के विदेशी आर्थिक सहयोग कोष (ओ ई सी एफ) के साथ एक ऋण समझौता किया था। इस कोष से सहायता की राशि 3745 मिलियन जापानी येन है। परियोजना के मुख्य घटक हैं-वृक्षारोपण, औरंगाबाद के विमानपत्तन पर उपलब्ध सुविधाओं का उन्नयन, सड़कों का सुधार एवं सुदृढ़ीकरण, जलापूर्ति तथा सीवेज में सुधार, विद्युत आपूर्ति में सुधार, स्मारकों का संरक्षण तथा पर्यटक प्रबंध सुविधाएं।

सरकार ने उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य में विनिर्दिष्ट बौद्ध परिपथों सहित अवसंरचनात्मक सुविधाओं को विकसित करने के लिए जापान के विदेशी आर्थिक सहयोग कोष (ओ ई सी एफ) के साथ दिसम्बर, 1988 में भी एक ऋण समझौता किया था। समझौते के तहत कोष द्वारा 7.7 बिलियन जापानी येन की वित्तीय सहायता दी जानी थी। इस परियोजना के मुख्य घटकों में शामिल थे-राष्ट्रीय राजमार्गों का सुदृढ़ीकरण, भू सुन्दरीकरण, जल एवं विद्युत आपूर्ति में सुधार, मार्गस्थ सुविधाओं का प्रावधान आदि। इस परियोजना के तहत शामिल स्थल हैं:-उत्तर प्रदेश में सारनाथ, कुशीनगर, पिपरहवा और श्रावस्ती तथा बिहार में बोधगया, नालन्दा, राजगीर और वैशाली। परियोजना पूर्ण हो गयी है।

[अनुवाद]

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जर्मनी के साथ उद्यम

3150. श्री माधवराव सिंधिया:
श्रीमती रेणूका चौधरी:
श्री सुशील कुमार शिंदे:

क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने जर्मन सेन्टर ऑफ क्राफ्ट्स एण्ड हिस्टोरिकल मान्यूमेन्ट्स के साथ ऐतिहासिक स्थल हम्पी में विट्ठल परिसर में स्थित विष्णु मन्दिर के संरक्षण हेतु किसी संयुक्त उद्यम पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो संयुक्त उद्यम की शर्तें क्या हैं;

(ग) क्या देश के ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण के लिए इसी तरह का कोई अन्य संयुक्त उद्यम शुरू किया गया है अथवा शुरू किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

मादक पदार्थों की तस्करी

3151. श्री कोडीकुनील सुरेश: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में मादक पदार्थों व अन्य प्रतिबंधित पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या केरल के रास्ते से मादक पदार्थों की तस्करी की गतिविधियों में वृद्धि हो रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और नार्कोटिक्स कन्ट्रोल ब्यूरो द्वारा इस पर अंकुश लगाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान केरल से जब्त किए गए नशीली दवाओं का ब्यौरा क्या है और दोषी लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) महोदय, सरकार ने एक बहुआयामी नीति अपनाई है, जिसमें लगातार निगरानी रखना, प्रवर्तन प्रयासों में तेजी लाना, आसूचना तंत्र को चुस्त बनाना, पुलिस बल का आधुनिकीकरण करना और उनके स्तर में सुधार लाना, सीमा पर बाड़ लगाना, सीमा पर गश्त बढ़ाना, सीमाओं पर स्वापक औषधियों की रोकथाम करने के लिए सीमा शुल्क अधिनियम के अंतर्गत सीमा सुरक्षा बल और तटरक्षकों को शक्तियां प्रत्यायोजित करना आदि शामिल है।

(ख) प्राप्त आसूचना और किए गए अभिग्रहणों से ऐसी किसी प्रवृत्ति का पता नहीं चलता है।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता है।

(घ) विभिन्न स्वापक औषधि कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार गत तीन वर्षों के दौरान केरल में स्वापक औषधियों के अभिग्रहण ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

वर्ष	स्वापक औषधि का नाम	पकड़ी गई मात्रा कि.ग्रा. में
1997	गांजा	80.737
1998	गांजा	60.628
1999	गांजा	229.863
	हेरोइन	1.488
	हशीश	3.600

दोषी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जाता है और एन.डी.पी.एस. अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाती है।

सीमाशुल्क अधिकारियों के विरुद्ध सी.बी.आई. का मामला

3152. श्री चन्द्रनाथ सिंह: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने 7.5 करोड़ रुपये के राजस्व का सरकार को चूना लगाने के संबंध में सात सीमाशुल्क अधिकारियों और एक प्राइवेट आदमी के विरुद्ध मामला दर्ज किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राजस्व विभाग में ऐसे मामलों में वृद्धि हो रही है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसी धांधलियों को रोकने हेतु क्या कार्रवाई की गई है और स्थानांतरण नीति का पालन न किये जाने के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने 21.6.2000 को मुम्बई में सात सीमाशुल्क अधिकारियों एवं कतिपय प्राइवेट व्यक्तियों के विरुद्ध निर्यात किए गए माल का वर्णन न कर मूल्य की गलत घोषणा करके धोखा-धड़ी से प्रतिअदायगी का लाभ उठा कर सरकार को हानि पहुंचाने संबंधी साजिश का एक मामला दर्ज किया है।

(ग) उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर यह कह पाना संभव नहीं है कि राजस्व विभाग में ऐसे मामलों की संख्या में वृद्धि हो रही है।

(घ) जब कभी भी ऐसी धांधलियों का पता चलता है जिनमें अधिकारी लिप्त होते हैं, उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाती है। जहां तक स्थानांतरण नीति का संबंध है, सामान्यतया इसका पालन किया जाता है। तथापि, जनहित की आवश्यकता एवं अनुकम्पा के आधारों पर इसके कुछेक अपवाद हो सकते हैं।

आवश्यक वस्तुओं संबंधी एक अध्ययन दल की स्थापना

3153. **मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आवश्यक वस्तुओं की कमी और उनकी मूल्य वृद्धि से विभिन्न राज्यों में लोग प्रभावित हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास विशेषकर उत्तर प्रदेश क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता और समान वितरण की जांच करने के लिए एक अध्ययन दल गठित करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें कितने सदस्य हैं?

(ङ) क्या उक्त दल में प्रत्येक राज्य का प्रतिनिधि सम्मिलित किया गया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) और (ख) हाल में देश के किसी भी भाग से किसी भी आवश्यक वस्तु के मूल्यों में वृद्धि होने अथवा उसकी कमी होने की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ग) और (घ) देश में उचित मूल्यों पर आवश्यक वस्तुओं की आसानी से उपलभ्यता को देखते हुए देश के किसी भी भाग में आवश्यक वस्तुओं की उपलभ्यता और वितरण के पहलुओं की जांच करने के लिए किसी अध्ययन दल के गठन का प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) से (छ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

ईरान के साथ व्यापार समझौता

3154. **श्री बृजलाल खाबरी: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत सरकार ने ईरान के साथ कोई व्यापार समझौता किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त समझौते के नियम और शर्तें क्या हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) जी हाँ।

(ख) और (ग) भारत सरकार और ईरान सरकार के बीच एक व्यापार करार पर 31.8.1974 को हस्ताक्षर किए गए थे जो सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद 17.12.74 को लागू हो गया था। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ दोनों सरकारों के लिए यह भी प्रावधान है कि वे निम्नलिखित बातों के लिए वचनबद्ध हैं-दोनों देशों के बीच परस्पर लाभ के आधार पर व्यापार के विस्तार, संवर्धन तथा विविधीकरण के लिए सभी संभव उपाय करना, दोनों देशों के बीच वस्तुओं के आयात/निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए आयात-निर्यात लाइसेंस प्रदान करना; इस करार के तहत मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्राओं में भुगतान; प्रत्येक छः महीने में भारत और ईरान में बारी-बारी से इस व्यापार करार के कार्यान्वयन की समीक्षा करना, अपने-अपने कानूनों के अधीन व्यापार मेले तथा प्रदर्शनियाँ आयोजित करने के लिए दोनों पक्षों को सुविधाएं प्रदान करना।

[अनुवाद]

नमक का उत्पादन/खपत/निर्यात

3155. **श्री पोन राधाकृष्णन: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा देश से नमक और नमक के उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय किये गये हैं; और

(ख) देश में नमक का उत्पादन और खपत कितनी है और गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों विशेषकर तमिलनाडु से इसका कितना निर्यात किया गया?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) सरकार ने नमक के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित उपाय किये हैं:

* नमक के निर्यात को उपकर की उगाही से मुक्त कर दिया गया है।
* रेलवे साधारण तथा आयोडीनयुक्त नमक के निर्यात के लिए नमक की ढुलाई की "ख" प्राथमिकता दे रही है।
* शत प्रतिशत नमक निर्यातोन्मुख एककों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जा रहा है।
* कारखानागत (कैप्टिव) एककों को अपना अतिरिक्त उत्पादन घरेलू बाजार में बेचने की अपेक्षा निर्यात करने के लिए कहा गया है।
* निर्यात के लिए नमक की गुणवत्ता बेहतर बनाने हेतु नमक विनिर्माताओं को शोधनालय/धोवनशालाएं स्थापित करने की सलाह दी गयी है।
* नमक कारखानों के वैज्ञानिक आधार पर रूपांकन, गुणवत्ता में सुधार आदि के लिए नमक विनिर्माताओं/नये उद्यमियों को निशुल्क प्रशिक्षण व तकनीकी मार्गदर्शन दिया जाता है।
* नमक की ढुलाई को सुविधाजनक बनाने के लिए नमक कारखानों से जैटी/पत्तन तक संपर्क सड़कों के निर्माण हेतु उपकर प्राप्तियों में से सहायता उपलब्ध करायी जाती है।
* लदान की दर बनाने और मुख्य पत्तन-कांडला में नमक संभालने की यांत्रिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए एक अध्ययन शुरू किया गया है।
* साधारण नमक की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कार्यशालाएं/संगोष्ठियां आयोजित की जाती है।
* निर्यात के लिए नमक की गुणवत्ता का नमक विभाग की प्रयोगशालाओं में निशुल्क परीक्षण किया जाता है।
* निर्यात योग्य प्रमाणपत्र (ई.डब्ल्यू.सी.) नि:शुल्क जारी किये जाते हैं।

(ख) वर्ष 1997-1999 के दौरान देश में साधारण नमक का उत्पादन और इसकी आन्तरिक खपत निम्न प्रकार थी:-

(आंकड़े '000 टन में)

वर्ष	उत्पादन	निम्नलिखित के लिए साधारण नमक की खपत		
		खाद्य प्रयोग	औद्योगिक प्रयोग	जोड़
1997	14251.1	4652.4	5551.1	10203.5
1998	11964.4	4694.7	5873.3	10568.0
1999	14452.7	4943.7	6064.3	11008.0

उपर्युक्त अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों से नमक का निर्यात निम्न प्रकार हुआ था:

(आंकड़े '000 टन में)

राज्य	निम्नलिखित वर्ष में साधारण नमक का निर्यात		
	1997	1998	1999
गुजरात	389.78	328.04	426.60
तमिलनाडु	141.32	78.81	402.20
जोड़	531.10	406.85	828.80

खाद्य अर्थव्यवस्था पर खाद्यान्नों के आयात का प्रभाव

3156. श्री आर.एल. भाटिया: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खाद्यान्नों के आयात ने देश की खाद्य अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर डाला है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) से (ग) ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है कि खाद्यान्नों के आयात से देश की खाद्य अर्थव्यवस्था गंभीर रूप से प्रभावित हो रही है। तथापि, गेहूँ तथा चावल जैसे कुछ खाद्यान्नों के आयात पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध करते हुए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। गेहूँ तथा चावल का आयात प्रतिबंधित है और यह भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से सरणीकृत है। तथापि, वास्तविक उपभोक्ता आधार पर रोलर फ्लोर मिलों को गेहूँ के आयात की अनुमति दी गई है और चावल की सामान्य/अपरिष्कृत किस्मों तथा 50% तथा अधिक टूटे हुए चावल का आयात मुक्त है।

प्राप्त अभ्यावेदनों को देखते हुए गेहूँ पर आयात शुल्क बढ़ाकर 50% कर दिया गया है और टूटे हुए चावल पर आयात शुल्क बढ़ाकर 80% कर दिया गया है। इससे घरेलू किसानों को पर्याप्त सुरक्षा मिलनी चाहिए।

पशुधन बीमा

3157. श्री अनंत गंगाराम गीते:
श्री अनन्त गुढ़े:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश भर में मवेशियों को जिनमें भेड़, बकरियां भी शामिल हैं को बीमा सुरक्षा मुहैया कराने के लिए योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान जिन स्कीमों का क्रियान्वयन किया जा रहा है उनकी विशेषताओं के बारे में ब्यौरा क्या है और बीमा संबंधी कितने दावे किये गये और उनका निपटान किया गया और कितना प्रीमियम इकट्ठा किया गया;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि संबंधित अधिकारियों की मिलीभगत से कई गलत कारण देकर बीमा राशि के दावे किये गये और उनका भुगतान किया गया; और

(घ) यदि हां, तो वांछनीय तत्वों द्वारा बीमा राशि के भुगतान के दावे संबंधी प्रक्रिया की खामियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये गये अथवा उठाये जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

मांस के आयात पर प्रतिबंध

3158. श्री मणिभाई रामजी भाई चौधरी: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मांस के आयात पर प्रतिबंध लगाए जाने की मांग की जा रही है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इस मांग पर विचार करके अब तक कोई कार्यवाही की है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) से (ग) निर्यात एवं आयात मदों के आई टी सी (एच एस) वर्गीकरण, 1997-2002 के अध्याय-2 के अनुसार सूअर, मेमना, घोड़ा, गधा और खच्चर को छोड़कर अन्य मांस के आयात पर प्रतिबंध है। घरेलू उत्पादकों को संरक्षण प्रदान करने के लिए मांस के आयात पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। अभ्यावेदनों को देखते हुए वर्ष 2000-2001 के बजट में मांस के आयात पर मूल्य सीमाशुल्क को 15% से बढ़ाकर 35% कर दिया गया है। कुक्कुट मांस पर आयात शुल्क को 15% से बढ़ाकर 100% कर दिया गया है। इससे घरेलू मांस उत्पादकों को पर्याप्त संरक्षण मिलेगा।

[अनुवाद]

तम्बाकू की बिक्री पर प्रतिबंध

3159. श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में कैंसर-पीड़ितों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर तम्बाकू उत्पादों और विभिन्न किस्म के पान-मसालों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार अन्य देशों को तम्बाकू उत्पादों और विभिन्न किस्म के पान-मसालों का निर्यात कर रही है;

(घ) यदि हाँ, तो दूसरे देशों को इस प्रकार की सामग्री का निर्यात करने का क्या औचित्य है; और

(ङ) क्या ये उत्पाद लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकर नहीं हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) और (ख) तम्बाकू और इसके उत्पादों के प्रयोग को हतोत्साहित करने के लिए एक व्यापक विधेयक लाए जाने का प्रस्ताव है।

(ग) सरकार किसी तम्बाकू उत्पाद या पान मसाला ब्राडों का निर्यात नहीं करती है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) तम्बाकू और इसके उत्पादों का प्रयोग मानव जाति के लिए हानिकारक है।

'सेबी'' पर ऋण

3160. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ''सेबी'' ने सरकार को 105 करोड़ रुपये के ऋण की भुगतान राशि की वापिसी में चूक की है;

(ख) यदि हां, तो क्या ''सेबी'' से ऋण राशि का उपयोग तत्संबंधी प्रयोजन से परे अन्य कार्यों के लिए किया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) भारत सरकार वर्ष 1992-93 से 1996-97 तक प्रत्येक वर्ष भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के पूंजी व्यय के लिए ब्याज मुक्त ऋणों के रूप में बजटीय प्रावधान करती रही है जिनकी कुल राशि 115 करोड़ रुपये है। ये ऋण सेबी द्वारा भारत सरकार को जो वर्षों के आरंभिक अधिस्थगन के बाद 10 बराबर किस्तों में प्रतिदेय हैं। 115 करोड़ रुपए के ऋण में से 10 करोड़ रुपये की राशि वर्ष 1995, 1996 तथा 1997 के दौरान केन्द्रीय सरकार को वापस की जा चुकी है।

(ख) और (ग) जैसा कि आशयित था धन का उपयोग सेबी द्वारा अपने पूंजीगत व्यय को पूरा करने के लिए किया गया है।

(घ) उपरोक्त (ख) तथा (ग) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता।

वाहनों की चोर बाजारी

3161. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में कुछ वाहन लम्बी प्रतीक्षा के बाद मिलते हैं जब कि चोर बाजारी से वही वाहन तुरन्त उपलब्ध हो जाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने ऑटो उद्योगों में व्याप्त उक्त कुकृत्य को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. वल्लभभाई कथीरिया): (क) जी, नहीं। सरकार को इस संबंध में ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा के स्मारकों का संरक्षण

3162. श्री विक्रम केशरी देव:
श्री दह्याभाई वल्लभभाई पटेल:

क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न राज्यों में धरोहर भवनों और स्मारकों के संरक्षण के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों को राज्य-वार और वर्ष-वार कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई गई;

(ग) गत दो वर्ष के दौरान आज तक पुरी जगन्नाथ और पश्चिमी उड़ीसा, विशेषत: कालाहान्डी, कोरापुट और बोलंगीर जिलों

में पुरातत्वीय महत्व के स्थलों पर स्थित मंदिरों के संरक्षण हेतु कितनी राशि नियत/उपलब्ध कराई गई; और

(घ) इन स्मारकों का उचित संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) और (ख) जी, हाँ। इस योजना के तहत एक सौ वर्षों से कम पुराने असंरक्षित स्मारकों के परिरक्षण के लिए वित्तीय सहायता की व्यवस्था की जाती है।

इस योजना के अंतर्गत, पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) भारतीय परातत्व सर्वेक्षण द्वारा, केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों के लिए किए गए आबंटन का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) स्मारकों के नियमित रखरखाव और अनुरक्षण के साथ-साथ स्मारकों की अपेक्षानुसार संरचनात्मक संरक्षण, रासायनिक परिरक्षण भी किया जाता है जो पुरातात्विक मानदंडों और संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

विवरण I

पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा

वर्ष	क्र.सं.	संगठन का नाम	राशि
1997-1998	1	जगन्नाथपुर मंदिर पुन: निर्माण समिति धुरवा, रांची, बिहार	रु. 4,99,950.00
	2.	महाराजा नरसिंह स्मृति समिति, नरजितसाना की एस्टेट, इम्फाल (मणिपुर)	रु. 1,97,700.00
1998-1999	1.	राम कृष्ण मंदिर, किशनकोट, तहसील बटाला, जिला गुरदासपुर (पंजाब)	रु. 4,81,500.00
	2.	राम कृष्ण शारदा मिशन, सिस्टर निवेदिता स्मृति स्कूल भवन, विकास भवन, बूंदी नगर, कलकत्ता (पं. बंगाल)	रु. 4,94,200.00
1999-2000	1.	उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद, हैदराबाद में रोनल्ड बिल्डिंग के लिए	रु. 6,56,000.00

पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रदान की गई राज्यवार वित्तीय सहायता का ब्यौरा इस प्रकार है:

1997-98	बिहार में स्मारक	रु. 4,99,950
	मणिपुर में स्मारक	रु. 1,97,700
1998-99	पंजाब में स्मारक	रु. 4,81,500
	पश्चिम बंगाल में स्मारक	रु. 4,94,200
1999-2000	आंध्र प्रदेश में स्मारक	रु. 6,56,000

विवरण II

पिछले दो वर्षों के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किया गया आबंटन

क्र.सं.	स्मारक का नाम	व्यय		आबंटन
		1998-1999	1999-2000	2000-2001
जिला पुरी				
1.	जगन्नाथ मंदिर, पुरी	4,31,413 रु.	8,71,967 रु.	9,60,000 रु.
जिला कालाहांडी				
2.	असुरगढ़ किला, असुरगढ़	18,538 रु.	47,081 रु.	10,000 रु.
जिला बोलंगीर				
3.	चौसठ योगिनी मंदिर	60,422 रु.	41,412 रु.	10,000 रु.

कोरापुट जिले में कोई भी केन्द्रीय संरक्षित स्मारक नहीं है।

[हिन्दी]

आकाशवाणी/दूरदर्शन केन्द्रों में अपर्याप्त कर्मचारी

3163. **श्री रामटहल चौधरी:**
श्री विक्रम केशरी देव:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्मचारियों की कमी के कारण आज तक कई टी.वी. ट्रांसमीटरों/आकाशवाणी केन्द्रों ने काम करना शुरू नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो टी.वी. ट्रांसमीटरवार, आकाशवाणी केन्द्र राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन टी.वी. ट्रांसमीटर केन्द्रों/आकाशवाणी केन्द्रों को चा करने के लिए सरकार द्वारा अब तक क्या उपाय किये गये है

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) और (ख) जी, हां। ब्यौरा संलग्न विवरण में दि गया है।

(ग) तकनीकी रूप से तैयार परियोजनाओं को आकाशवाणी दूरदर्शन के अन्य स्टेशनों से कर्मचारियों को पुनर्तैनात करके चा करने के लिए प्रसार भारती ने एक पुनर्तैनाती स्कीम तैयार की है

विवरण

क्र.सं.	राज्य	परियोजना और स्थान	
		दूरदर्शन	आकाशवाणी
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	अ.श.ट्रा पेड्डापल्ली अ.श.ट्रा मछलीपट्टनम अ.श.ट्रा जहीराबाद अ.श.ट्रा पुलमनेर	–

1	2	3		4
2.	कर्नाटक	उ.श.ट्रा.	हासन	–
3.	केरल	अ.श.ट्रा.	कोट्टरकारा	–
4.	मिजोरम	अ.श.ट्रा	लावंगतलाई	–
5.	उड़ीसा	अ.श.ट्रा	चिकिती	–
6.	राजस्थान	अ.श.ट्रा अ.श.ट्रा	भिनमाल विजयनगर	–
7.	त्रिपुरा	अ.श.ट्रा अ.श.ट्रा	अमरपुर जोलाईपाड़ी	–
8	तमिलनाडु	अ.श.ट्रा अ.श.ट्रा	अमबनासुन्दरम अम्बेर	कोयम्बटूर में 10 कि.वा.एफ.एम.ट्रा. वी बी चैनल
9.	उत्तर प्रदेश	अ.श.ट्रा	नरौरा	–
10.	पं. बंगाल		–	सिलीगुड़ी में 10 कि.वा.एफ.एम.ट्रा. वी बी चैनल
11.	बिहार		–	जमशेदपुर में 6 कि.वा.एफ.एम.ट्रा. वी बी चैनल
12.	अरुणाचल प्रदेश		–	तुवांग में 10 कि.वा.मी.वे.ट्रा.
13.	महाराष्ट्र		–	मुम्बई में क्षेत्रीय कार्यशाला
14.	दिल्ली		–	क्षेत्रीय कार्यशाला

राजस्थानी भाषा में कार्यक्रम

3164. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई:
डा. जसवंत सिंह यादव:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार नियमित रूप से राजस्थानी भाषा में कार्यक्रम प्रसारित करने का है;

(ख) यदि हां, तो कब से;

(ग) पिछले एक वर्ष के दौरान राजस्थानी भाषा में कार्यक्रमों के प्रसारण के संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं;

(घ) क्या सरकार ने स्थानीय कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(च) क्या दूरदर्शन I पर प्रतिदिन पर्यावरण पर कार्यक्रम दिखाने का कोई प्रस्ताव है; और

(छ) यदि हां, तो कब से?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) से (ङ) राजस्थान के सभी आकाशवाणी केन्द्र नियमित रूप से राजस्थानी बोली में कार्यक्रम प्रसारित करते हैं। दूरदर्शन ने दिनांक 1.4.2000 से दूरदर्शन केन्द्र, जयपुर से एक उपग्रह चैनल भी शुरू किया है जो राजस्थानी और हिन्दी में कार्यक्रम प्रसारित करता है। इसके अतिरिक्त, जयपुर के डीडी-1 पर प्रत्येक सप्ताह सोमवार से शुक्रवार तक सायं 5.02 बजे से

सायं 7.30 बजे तक राजस्थानी/हिन्दी के कार्यक्रम प्रसारित किये जाते हैं।

(च) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

मध्य प्रदेश में प्राचीन स्मारकों का विकास

3165. **डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:** क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश की सरकार ने अत्यंत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक अवशेषों (क श्रेणी) के प्रलेखन हेतु वित्तीय अनुदान प्राप्त करने के लिए कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास भेजा है;

(ख) क्या राज्य सरकार ने प्राचीन स्मारकों विशेषकर खजुराहो के समग्र विकास से संबंधित मंजूरी हेतु कोई परियोजना केन्द्र सरकार के पास भेजी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) जी, हाँ। मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त एक अपूर्ण प्रस्ताव निर्धारित प्रोफार्मा में पुन: भेजने के वास्ते वापस कर दिया गया है।

(ख) और (ग) जी, हाँ। मध्य प्रदेश सरकार ने द्विपक्षीय स्रोतों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के वास्ते खजुराहो दाय क्षेत्र के समग्र विकास हेतु वित्त मंत्रालय को एक व्यापक परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। वर्तमान सूचना के मुताबिक कोई ऐसी वित्तीय सहायता नहीं दी गई है।

[अनुवाद]

बैंकों के बीमा संबंधी दावे

3166. **डा. एस. वेणुगोपाल:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि विभिन्न बैंकों के बीमा संबंधी अनेक दावे अन्य देशों के भुगतान हेतु वर्ष 1984 से लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो इन दावों में कुल कितनी धनराशि की विदेशी मुद्रा अंतर्निहित है तथा इन दावों की मुकदमेबाजी पर कितनी धनराशि की विदेशी मुद्रा व्यय की गई है;

(ग) दावे की धनराशि को यथाशीघ्र वसूल करने के संबंध में सरकार की नीति का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त दावे को वसूल करने हेतु कोई लक्ष्य-तिथि निर्धारित की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

वित्तीय घाटा

3167. **श्री अनन्त गुड़े:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत वर्ष अर्थात् 1999-2000 के बजट में वित्तीय घाटे की दर कितनी निर्धारित की गई थी;

(ख) क्या सरकार निर्धारित लक्ष्य पर वित्तीय घाटे को बनाए रखने में सफल रही है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) वित्तीय घाटे को नियंत्रण में लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटिल): (क) से (ग) बजट अनुमान वर्ष 1999-2000 के अधीन अनुमानित 79955 करोड़ रु. के राजकोषीय घाटे के विरुद्ध संशोधित अनुमान के अधीन राजकोषीय घाटा 108898 करोड़ रु. तक बढ़ा। यह वृद्धि मुख्यत: निवेश प्राप्तियों में कमी (7400 करोड़ रु.) और कर संग्रहणों में की (5896 करोड़ रु.) तथा आयोजना भिन्न व्यय में वृद्धि (17461 करोड़ रु.) और आयोजना व्यय में वृद्धि (2395 करोड़ रु.) के कारण हुई है।

(घ) बजट-भाषण वर्ष 2000-01 का पैरा 10 सरकार द्वारा प्रस्तावित कार्रवाई से संबंधित है।

खाद्यान्नों की खरीद के लिए राज्यों को भुआवजा

3168. **श्री चिंतामन वनगा:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संबंधित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की संबंधित खरीद एजेंसियों द्वारा केन्द्रीय पूल के लिए खाद्यान्न खरीदते समय कुछ राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को भारी घाटा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का संबंधित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को हुए इस घाटे की प्रतिपूर्ति करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) से (घ) 1993-94 और 1995-96 के दौरान पंजाब सरकार ने सूचित किया था कि उनके और राज्य एजेंसियों द्वारा वसूल की गई क्रमश: 11675 टन और 18704 टन गेहूं की मात्रा बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हो गई थी। इन हानियों के लिए पंजाब सरकार ने क्रमश: 8.19 करोड़ रुपये और 10.48 करोड़ रुपये का दावा किया था। चूंकि भारतीय खाद्य निगम द्वारा स्टाक लेने से पूर्व वसूल किये गये स्टाक के भंडारण और परिरक्षण का दायित्व राज्य सरकार/इसकी वसूली एजेंसियों का होता है जिसके लिए उन्हें भंडारण प्रभार अदा किये जाते हैं इसलिए इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया था। राज्य सरकार को परामर्श दिया गया था कि प्राकृतिक आपदाओं के अधीन राहत प्राप्त करने के लिए वे अपने दावे कृषि मंत्रालय को प्रस्तुत करें ताकि मंडी प्रभार, क्रय कर आदि के माध्यम से एकत्रित की गई निधियों से इन एजेंसियों को प्रतिपूर्ति की जा सके। इसी प्रकार जुलाई, 1993 और 1995 में हुई भारी वर्षा के कारण हरियाणा सरकार द्वारा वहन की गई हानियों के लिए इसे 7.51 करोड़ रुपये और 2.50 करोड़ रुपये के दावे प्राप्त हुये थे। हरियाणा सरकार के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया था।

1994-95 के दौरान वसूल की गई धान की खुली बिक्री की प्रक्रिया में पंजाब सरकार को हुई हानियों के लिए पंजाब सरकार ने भी 273.86 करोड़ रुपये का दावा किया था। इसकी गहन जांच की गई थी और 19.1.2000 को पंजाब सरकार को 120 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था।

द्विपक्षीय निवेश संधि

3169. **श्री सुबोध मोहिते:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने यू.एन.सी.टी.ए.डी. के तत्वावधान में हाल ही में द्विपक्षीय निवेश संधियों पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इससे पूर्व द्विपक्षीय निवेश संधियों पर कोई हस्ताक्षर किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किये जाने पर इन संधियों का क्या प्रभाव पड़ेगा?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) और (ख) जी, नहीं। द्विपक्षीय निवेश संवर्धन और संरक्षण करारों को क्रोएशिया, लाओस और घाना के साथ अंतिम रूप दे दिया गया है और अभी तक उन पर हस्ताक्षर नहीं हुए हैं।

(ग) और (घ) सरकार ने 37 देशों के द्विपक्षीय निवेश संरक्षण करारों पर हस्ताक्षर किये हैं; जिनके नाम यू.के., रूस संघ राज्य, जर्मनी, मलेशिया, डेनमार्क, तुर्कमेनिस्तान, नीदरलैंड, इटली, ताजिकिस्तान, इजराइल, दक्षिण कोरिया, पोलैंड, चेक गणराज्य, कजाकिस्तान, श्रीलंका, वियतनाम, ओमान, स्विटजरलैंड, मिस्र, किरजीजगणराज्य, फ्रांस, स्पेन, बेल्जियम, रुमानिया, ओ.पी.आई.सी., मारिशस, तुर्की, बुल्गारिया, मोरक्को, इण्डोनेशिया, जिम्बाब्वे, आस्ट्रेलिया, कतर, उजबेकिस्तान, अर्जेंटिना, आस्ट्रिया और फिलीपिन्स हैं।

(ङ) इन करारों से निवेश अनुकूल वातावरण बनाने और निवेशकों का विश्वास बढ़ाने में मदद मिली है।

चीनी मिलों का पुनरुद्धार

3170. **श्री चन्द्र विजय सिंह:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के राजा-का-सहसपुर में स्थित अजुध्या चीनी मिल रुग्ण है और तत्संबंधी मामला बी.आई.एफ.आर. को भेजा गया है;

(ख) यदि हां, तो मिल द्वारा इस पर किसानों और मिल कर्मचारियों को देय राशि कितनी है; और

(ग) इस मिल के पुनरुद्धार के लिए बी.आई.एफ.आर. द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) और (ख) औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बाइफर) ने सूचित किया है कि अजुधिया शुगर मिल को अलग से बाइफर के पास रुग्ण औद्योगिक एकक के रूप में पंजीकृत नहीं किया गया है। तथापि, यह मिल मैसर्स लक्ष्मीजी शुगर मिल्स लि. को

एक अनुषंगी इकाई है जिसे रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के उपबन्धों के अंतर्गत बाइफर के पास पंजीकृत किया गया है।

बाइफर ने आगे बताया है कि कृषकों को देय राशियों और अन्य सांविधिक देयताओं के बारे में उसके पास सूचना नहीं है।

(ग) कम्पनी मैसर्स लक्ष्मी जी शुगर मिल्स लि. के पुनरुज्जीवन हेतु बाइफर द्वारा वर्ष 1994 में पुनर्वास योजना मंजूर की गई थी। पुनर्वास योजना के कार्यान्वयन का मूल्यांकन करने के बाद, बाइफर ने दिनांक 31.3.2000 को हुई अपनी सुनवाई में 1994 में मंजूर की गई योजना को असफल घोषित किया। विद्यमान प्रवर्तकों को अंतिम अवसर दिया गया है कि वे साधनसम्पन्न सह-प्रवर्तक ढूंढे और उसे शामिल करें तथा सभी जमानती और अन्य ऋण दाताओं के साथ एक बारगी समझौता करें।

[हिन्दी]

प्याज उत्पादक/व्यापारी

3171. श्री अखिलेश यादव: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की नई निर्यात नीति से प्याज का उत्पादन करने वाले किसान तथा व्यापारी लाभान्वित हुए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा नई निर्यात नीति के क्रियान्वयन से प्याज का उत्पादन करने वाले किसानों को हुए लाभ का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्तमान निर्यात नीति के कारण अगली फसल के मौसम में प्याज के उत्पादकों द्वारा गंभीर संकट का सामना करने की संभावना है; और

(घ) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इस संकट से निपटने हेतु क्या तात्कालिक कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) जी हाँ।

(ख) देशी उत्पादन के निर्यात को सुकर बनाने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2000-2001 में कुल 1,00,000 मी. टन प्याज (बंगलौर रोड प्याज तथा कृष्णापुरम प्याज को छोड़कर अन्य सभी किस्में) की मात्रा के निर्यात की अनुमति प्रदान की गई है। इससे किसानों को अच्छी कीमतें सुनिश्चित होंगी। प्याज (बंगलौर रोज प्याज तथा कृष्णापुरम प्याज) की किस्मों के निर्यात को क्रमश: कर्नाटक राज्य कृषि उत्पाद प्रसंस्करण एवं निर्यात निगम लि., बंगलौर तथा ए.पी. मार्कफेड के माध्यम से सरणीकृत किया गया है। सरणीयन एजेंसियों के माध्यम से इन दोनों किस्मों के निर्यात के लिए मात्रा संबंधी कोई प्रतिबंध नहीं है।

(ग) और (घ) प्याज के निर्यात संबंधी नीति की लगातार समीक्षा की जाती है और किसानों एवं उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए देश में प्याज के उत्पादन को देखते हुए इसमें समय-समय पर परिवर्तन किये जाते हैं।

[अनुवाद]

चूककर्त्ता कम्पनियां

3172. श्री ए. वेंकटेश नायक: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रतिवर्ष अपने तुलन पत्र, लाभ और हानि के खाते तथा वार्षिक विवरणियां न दाखिल करने वाली करीब 2.25 लाख गैर बैंककारी चूककर्त्ता कम्पनियों की पहचान कर ली है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन कंपनियों को नोटिस जारी किए हैं;

(ग) यदि हां, तो उन 10 प्रमुख कंपनियों के नाम क्या हैं, जिन्हें नोटिस जारी किए गए हैं;

(घ) क्या इन कंपनियों के खिलाफ कोई अर्थदण्ड लगाए गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) चेतावनी के बावजूद अपने दस्तावेज प्रस्तुत न करने वाली कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई किये जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) और (ख) संभवत: यह सन्दर्भ "कम्पनी विधि निपटान योजना, 2000 ("दि कम्पनी लॉ सेटलमेंट स्कीम, 2000") के बारे में है जिसे कम्पनी कार्य विभाग द्वारा घोषित किया गया है ताकि कम्पनियों के लिए प्रत्येक वर्ष कम्पनी रजिस्ट्रार के पास अपने तुलन-पत्र और लाभ-हानि लेखे तथा वार्षिक विवरणियों और अन्य कागजात फाइल कराने की सांविधिक अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। जहां तक गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) द्वारा तुलन-पत्र जमा न किये जाने का संबंध है, 3760 गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियां/अवशिष्ट गैर बैंककारी कंपनियां

(आरएनबीसी) भारतीय रिजर्व बैंक के पास 31 मार्च/30 जून, 1999 की स्थिति के अनुसार अपना तुलन-पत्र जमा कर पाने में असफल रहे। 3024 गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियां/अवशिष्ट गैर-बैंककारी कंपनियां 31 मार्च, 1999 की स्थिति के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के पास वार्षिक विवरणियां जमा कर पाने में असफल रहीं। चूक करने वाली अधिकांश गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियां वे हैं-जिनके रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र के लिए आवेदनों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रद्द कर दिया गया है। अब तक 2932 गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों/अवशिष्ट गैर-बैंककारी कंपनियों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वर्ष 1999 के लिए तुलन पत्रों/वार्षिक विवरणियों के जमा न कराने के लिए नोटिसें जारी किये गये हैं।

(ग) शीर्ष 10 एनबीएफसी की सूची (आस्तियों की मात्रा के आधार पर) जिन्हें वर्ष 1999 के लिए तुलन पत्र/वार्षिक विवरणियों के प्रस्तुत न किये जाने के कारण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नोटिस जारी किये गये थे, निम्नलिखित हैं:

1. एमसीसी फाइनेंस लि., चेन्नई
2. कुबेर म्यूचुअल बेनीफिट लि., लखनऊ
3. इंटेग्रेटिड इंटरप्राइजेज (आई) लि., चेन्नई
4. शापर्म इंवेस्टमेंट एंड फाइनेंस कं. लि., चेन्नई
5. कृषि एक्सपोर्ट कमर्शियल कार्पोरेशन लि., लखनऊ
6. मनमैक मोटर फाइनेंस लि., चेन्नई
7. लक्ष्मी ट्रेड क्रेडिट्स लि., चेन्नई
8. एल्गी फाइनेंस लि., चेन्नई
9. कोयम्बटूर लक्ष्मी इंवेस्टमेंट एंड फाइनेंस कम्पनी लि., चेन्नई
10. रापती ग्रोथ फण्ड लि., लखनऊ

(घ) से (च) कई मामलों में भारतीय रिजर्व बैंक ने पंजीकरण के प्रमाण पत्र के लिए आवेदन रद्द करने, आपराधिक शिकायतें दर्ज करने तथा समापन याचिका दायर करने जैसे कदम उठाए हैं।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में आकाशवाणी केन्द्रों/दूरदर्शन ट्रांसमीटरों की स्थापना

3173. **श्री जयभान सिंह पवैया:** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश में आकाशवाणी और दूरदर्शन के नए ट्रांसमीटर स्थापित करने और वर्तमान ट्रांसमीटरों की क्षमता बढ़ाने के लिए किन योजनाओं का प्रस्ताव है;

(ख) 31 जुलाई, 2000 की स्थिति के अनुसार उक्त योजनाओं की योजनावार स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार ग्वालियर में भी उच्च शक्ति का ट्रांसमीटर स्थापित करने का है;

(घ) यदि हां, तो इसके लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(ङ) इन योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) और (ख) मध्य प्रदेश में कार्यान्वयनाधीन आकाशवाणी और दूरदर्शन परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। ग्वालियर में डीडी-1 सेवा के लिए 20 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर वाला एक आकाशवाणी केन्द्र और एक 10 कि.वा. का उच्च शक्ति ट्रांसमीटर पहले से ही कार्य कर रहे हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

आकाशवाणी

क्र.सं.	स्कीम	स्थिति
1	2	3
1.	मण्डला-स्थानीय आकाशवाणी केन्द्र	1. तकनीकी क्षेत्र में संस्थापन कार्य प्रगति पर है।

1	2	3
	1 कि.वा.एफ.एम.ट्रा. और बहुउद्देशीय स्टूडियो	2. 1 कि.वा.एफ.एम.ट्रा. और स्टूडियो उपकरण हेतु आदेश दिए गए है। 3. मुख्य अभियंता (प.क्षे.) द्वारा टावर प्राप्ति आदेश दिए गए है।
2.	राजगढ़-3 कि.वा. एफ.एम.ट्रा स्टूडियो और स्टाफ क्वार्टर सहित स्था. रेडियो केन्द्र	1. सिविल निर्माण कार्य पूरा हो गया है। 2. 3 कि.वा.एफ.एम.ट्रा. संस्थापित 3. स्टूडियो उपकरण की संस्थापन कार्य प्रगति पर है।
3.	सरायपल्ली 1 कि.वा. एफ.एम.ट्रा, स्टूडियो और स्टाफ क्वार्टर सहित स्थानीय आकाशवाणी केन्द्र	3. विद्युत आपूर्ति हेतु आवेदन आवेदन-पत्र भरा गया।
4.	अम्बिकापुर-20 कि.वा.मी. वे ट्रा. (20 कि.वा.मी. वे ट्रा. का प्रतिस्थापन)	1. अधिकांश सिविल परिष्करण निर्माण कार्य पूरा 2. ट्रांसमीटर के लिए आदेश दे दिए गए हैं। 3. मास्टर फीडर और अर्थ रेडियल कार्य पूरा हो गया है
5.	इन्दौर-200 कि.वा. मी.वे.ट्रा. (100 कि.वा. मी.वे.ट्रा. का प्रतिस्थापन)	1. दिनांक 7.6.2000 को निर्माण कार्य सौंप दिया गया है। 2. विद्युत आपूर्ति के लिए आवेदन पत्र जमा करा दिया है। 3. ट्रांसमीटर के लिए आदेश दिए गए हैं।

दूरदर्शन

क्र.सं.	स्कीम	स्थिति
1	2	3
1.	उ.श.ट्रा. अम्बिकापुर (अ.श.ट्रा. का प्रतिस्थापन)	भवन निर्माण कार्य लगभग पूरा होने की स्थिति में है। आर. एण्ड सी. द्वारा 150 मी के टावर की नींव का कार्य प्रगति पर है।
2.	उ.श.ट्रा. भोपाल (डीडी-2) (अ.श.ट्रा. का प्रतिस्थापन)	तैयार
3.	उ.श.ट्रा. गुना (अ.श.ट्रा. का प्रतिस्थापन)	ठेकेदार द्वारा भवन निर्माण का कार्य शुरू नहीं किया।
4.	उ.श.ट्रा. इन्दौर (डीडी-2)	तैयार
5.	उ.श.ट्रा. जबलपुर (डीडी-2)	संस्थापन कार्य प्रगति पर है।
6.	उ.श.ट्रा. शहडोल (अ.श.ट्रा. का प्रतिस्थापन)	भवन निर्माण कार्य लगभग पूरा होने वाला है आकाशवाणी टावर का उपयोग किया जाता है

1	2		3
7.	अ.श.ट्रा.	आगर	स्थल उपलब्ध है। उपकरण की आपूर्ति प्रतीक्षित।
8.	अ.श.ट्रा.	बरेली	संस्थापन कार्य शुरू किया जा रहा है।
9.	अ.श.ट्रा.	चम्पा	संस्थापन कार्य लगभग पूरा होने वाला है।
10.	अ.श.ट्रा.	खरोड़	स्थल उपलब्ध नहीं है।
11.	अ.श.ट्रा.	कोन्टा	संस्थापन कार्य प्रगति पर है।
12.	अ.श.ट्रा.	लखनडान	संस्थापन कार्य प्रगति पर है।
13.	अ.श.ट्रा.	पन्डेरिया	स्थल उपलब्ध नहीं है।
14.	अ.श.ट्रा.	सिन्धवा	स्थल उपलब्ध नहीं है।
15.	अ.श.ट्रा.	नागदा (100 वा. का 500 वा. में उन्नयन)	मौजूदा अ.श.ट्रा. स्थल उपकरण की आपूर्ति प्रतीक्षित।
16.	अ.श.ट्रा.	पिपरिया (100 वा. का 500 वा. में उन्नयन)	मौजूदा अ.श.ट्रा. स्थल उपकरण की आपूर्ति प्रतीक्षित।
17.	अ.अ.श.ट्रा.	आलोट	स्थल का चयन किया गया। उपकरण के आदेश दिये जाने हैं।
18.	अ.अ.श.ट्रा.	पाथलगांव	संस्थापन कार्य शुरू किया जा रहा है।

[अनुवाद]

उत्तरी अमरीका में दूरदर्शन चैनल

3174. श्री के. येरननायडु: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरदर्शन निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उत्तरी अमरीका में अपना चैनल शुरू करने में विफल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में दूरदर्शन को कितना नुकसान हुआ है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) से (ग) दूरदर्शन ने, संयुक्त राज्य अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, कनाडा तथा कैरेवियन आइसलैण्ड में अपने अन्तर्राष्ट्रीय चैनल के प्रसारण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की एक कम्पनी से अनुबंध किया था। तथापि, कम्पनी अपने संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने में असमर्थ रही और अनुबंध को रद्द कर दिया गया है। दूरदर्शन इंटरनेशनल पहले की तरह मुक्त प्रसारण पद्धति में निरंतर उपलब्ध होता रहा है। अत: दूरदर्शन को नाममात्र का नुकसान हुआ है।

स्मारकों का रख-रखाव

3175. श्री चाडा सुरेश रेड्डी:
श्रीमती डी.एम. विजयाकुमारी:

क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध हम्पी का उचित रूप से संरक्षण नहीं किया जा रहा है;

(ख) क्या गोरान्तला, लेपाक्षी और तदपात्री में मंदिरों को उचित रूप से संरक्षण किये जाने की आवश्यकता है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(घ) आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के सहयोग से स्थल का उचित रूप से संरक्षण किये जाने के लिए क्या कार्रवाई किये जाने का प्रस्ताव है क्योंकि यह तेलुगु और कन्नडियों के इतिहास को प्रतिबिंबित करता है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) से (ग) हम्पी, कर्नाटक स्थित केन्द्रीय संरक्षित स्मारक और आंध्र प्रदेश में गोरान्तला का श्री माशवार्या स्वामी मन्दिर, लेपाक्षी स्थित वीर भद्र स्वामी मंदिर तथा ताडीपत्री के मंदिर अच्छी हालत में परिरक्षित हैं।

पिछले चार वर्षों में संरक्षित मन्दिरों के अलावा, लेपाक्षी श्री वीर भद्र स्वामी मन्दिर तथा ताडीपत्री के श्री सी.वी.आर. स्वामी मंदिर का व्यापक संरक्षण कार्य किया गया है।

(घ) जब भी आवश्यक होता है संबंधित सरकार से सहयोग मांगा जाता है।

गुजरात में एम.एम.टी.सी. की परियोजनाएं

3176. **श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात में खनिज तथा धातु व्यापार निगम (एम.एम.टी.सी.) की चल रही परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त राज्य में एम.एम.टी.सी. द्वारा कोई नई परियोजना शुरू करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर कितनी लागत आएगी तथा रोजगार सृजन की कितनी संभावनाएं हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) और (ख) एम एम टी सी गुजरात राज्य में न तो कोई परियोजना चला रही है और न ही कोई नई परियोजना स्थापित कर रही है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

गुजरात में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की भूमिका

3177. **श्री माल सिंह पटेल:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात में लघु उद्योग क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की भूमिका क्या रही है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा राज्य में ऋण प्रदान करके कितनी इकाइयों की स्थापना/पुनरुद्धार किया गया;

(ग) क्या भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का विचार राज्य में अपने क्रियाकलापों को बढ़ाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) और (ख) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, बैंक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष वित्त पोषण योजनाओं के माध्यम से लघु उद्योग क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। सिडबी गुजरात में अपने अहमदाबाद और बड़ौदा स्थित दो कार्यालयों के माध्यम से परिचालन कर रहा है। पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात में सिडबी द्वारा दी गई ऋण सहायता निम्नानुसार है:

गुजरात में सिडबी की सहायता

(करोड़ रुपए)

वर्ष	सहायता प्राप्त एककों की संख्या	मंजूर राशि	संवितरित राशि
1997-98	3646	673.89	475.74
1998-99	2272	525.37	298.22
1999-2000	3907	480.73	247.89

(ग) और (घ) लघु उद्योग क्षेत्र के स्वस्थ विकास को सुकर बनाने के लिए सिडबी निरन्तर नई कार्य नीति अपनाता रहा है और अपनी कारोबार नीति को पुनर्परिभाषित करने की प्रक्रिया में है। गुजरात में लघु उद्योग क्षेत्र को ऋण का प्रवाह बढ़ाने के उद्देश्य से सिडबी ऋण अभिनियोजन के नए क्षेत्रों की पहचान कर रहा है।

राज्य वित्त निगम

3178. **श्री हरिभाई शंकर महाले:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राज्य वित्त निगम के कर्मचारियों को अन्य वाणिज्यिक बैंकों के कर्मचारियों के बराबर करने का है

क्योंकि दोनों संस्थाओं के कर्मचारी एक जैसी ड्यूटियां करते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) जी, नहीं। राज्य वित्तीय निगमों की स्थापना राज्य सरकारों द्वारा की जाती है और उनके कर्मचारी राज्य सरकारों से सम्बद्ध होते हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

फिल्म उद्योग को सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के अनुरूप समानता प्रदान करना

3179. श्री कृष्णमराजू: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार फिल्म उद्योग को सूचना प्रौद्योगिकी के अनुरूप समानता प्रदान करने का है क्योंकि फिल्मों को देखने हेतु इंटरनेट के माध्यम से 'डाउन लोड' किया जाता है जिससे कतिपय पारंपरिक राजस्व की हानि होती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को दी गई कर रियायत फिल्म उद्योग को भी दी जाएगी;

(ङ) क्या फिल्म उद्योग के लिए 'जम्बो रोल' में रंगीन पाजिटीव फिल्मों तथा रंगीन निगेटिव फिल्मों पर सीमा शुल्क समाप्त करने/इसमें कमी करने हेतु कोई सिफारिश की गई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं; तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) और (ख) सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार तथा मनोरंजन प्रौद्योगिकियों के बढ़ते अभिसरण को ध्यान में रखते हुए और मनोरंजन उद्योग के विकास को इष्टतम करने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय का यह विचार था कि सरकार द्वारा विदेशी मुद्रा अर्जक के रूप में तथा रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए फिल्म क्षेत्र की पूरी क्षमता का उपयोग करने के उद्देश्य से सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को उपलब्ध कराए गए लाभों को फिल्म क्षेत्र को भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए। तदनुसार मंत्रालय ने फिल्म क्षेत्र से संबंधित कई प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत किए हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) से (च) संसद में 2000-2001 के लिए प्रस्तुत किये गये बजट प्रस्तावों में फिल्म उद्योग को निम्नलिखित महत्वपूर्ण वित्तीय लाभ प्रदान किए गए हैं:

1. मनोरंजन साफ्टवेयर के निर्यात में लगे व्यक्तियों/स्वामियों को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 एच.एच.एफ. का लाभ दिया गया है।
2. चलचित्र की कैमरा तथा अन्य संबंधित उपकरणों पर मूल सीमा शुल्क को 40% से घटा कर 25% कर दिया गया है।
3. जम्बो रोल्स में कलर 'पॉजिटिव फिल्मों तथा कतिपय प्रकार के रोलों में कलर नेगेटिव फिल्मों पर मूल सीमा शुल्क 15 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है इन मदों पर प्रतिकारी शुल्क भी समाप्त कर दिया गया है।
4. आयकर अधिनियम की धारा 285 बी के अधीन निर्माताओं द्वारा ब्यौरा प्रस्तुत करने की सीमा को 25000 रु. से बढ़ाकर 50,000 रु. कर दिया गया है।

(छ) उपरोक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

अर्न्धेयार्जीना समिति का प्रतिवेदन

3180. श्री जय प्रकाश: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को बैंकिंग कानून में संशोधनों का सुझाव देने हेतु गठित टी.आर. अर्न्धेयार्जीना समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने समिति के सुझावों की जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) जी, हां।

(ख) रिपोर्ट में बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 में संशोधन, भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 28 में संशोधन, ऋणों के प्रतिभूतिकरण के लिए एक कानूनी ढांचा बनाने तथा बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को न्यायालयों के हस्तक्षेप के बिना प्रतिभूतियों का आश्रय लेने के लिए शक्तियां देने हेतु एक उचित ढांचा बनाने के लिए प्रस्ताव शामिल है।

(ग) और (घ) समिति की सिफारिशों में सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय क्षेत्र में सुधार करने के लिए चल रही प्रक्रिया में एक बहुमूल्य योगदान किया है।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा पादपों का पेटेंट करना

3181. श्री हन्नान मोल्लाह: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि संयुक्त राज्य अमरीका की तथा अन्य अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियां बासमती चावल और औषधीय पादपों सहित अनेक भारतीय पादपों और अन्य परम्परागत उत्पादों का पेटेंट करने की भरपूर कोशिश कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसी सूचना एकत्र करने के लिए सरकार के पास कोई वित्तीय आसूचना तंत्र है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा हमारे परम्परागत पादपों और उत्पादों का पेटेंट अधिकार प्राप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) पेटेंट विभिन्न देशों के राजकीय विशेषाधिकार के अधीन उनके संबंधित पेटेंट कानूनों के अनुसार आवेदन करने पर प्रदान किये जाते हैं और इनका क्षेत्रीय प्रभाव होता है, अर्थात ये केवल प्रदानकर्ता देश में ही लागू होते हैं।

(ख) से (घ) जी, नहीं। तथापि, जब भी ऐसी कतिपय मदों के लिए पेटेंट प्राप्त करने के बारे में सूचना प्राप्त होती है, जिन्हें पेटेंट योग्य नहीं माना जाता है तथा जो भारतीय हितों को प्रभावित करती हों, तब यह निर्धारित करने के लिए उपाय किये जाते हैं कि क्या इस प्रकार के पेटेंट की मंजूरी को संबंधित देश के पेटेंट कानून के तहत चुनौती दी जा सकती है।

जख्म ठीक करने में हल्दी के प्रयोग के लिए संयुक्त राज्य अमरीका में मंजूर किये गए एक पेटेंट को पहले चुनौती दी गयी थी। उक्त पेटेंट रद्द कर दिया गया था।

बासमती चावल की किस्मों तथा अनाजों पर संयुक्त राज्य अमरीका में मंजूर किए गए पेटेंट के सीमित दावों को भी चुनौती दी गयी है।

जैव-संसाधनों को संरक्षण देने के उद्देश्य से भारत में पेटेंट के लिए आवेदन करते समय आविष्कार में प्रयुक्त जैव सामग्री के स्रोत तथा भौगोलिक उद्भव को अनिवार्यत: प्रकट करने के लिए पेटेंट (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1999 में उपबंध निहित हैं। इसके अप्रकटीकरण अथवा गलत प्रकटीकरण को पेटेंट का विरोध करने अथवा यदि यह मंजूर कर दिया गया हो तो इसे निरस्त करने के आधार के रूप में शामिल करने के लिए उपबंध समाविष्ट किए गए हैं। इसके बारे में उपबंध उक्त विधेयक के खंड 8, 17 और 28 में निहित हैं।

परंपरागत ज्ञान को पेटेंटीकरण से संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से, मौखिक ज्ञान सहित उपलब्ध स्थानीय ज्ञान द्वारा आविष्कार की पूर्वानुभूति को पेटेंट के विरोध और इसके निरस्त्रीकरण के भी लिए एक आधार के रूप में शामिल करने हेतु पेटेंट (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1999 में उपबंध समाविष्ट किए गए हैं। इस संबंध में उपबंध उक्त विधेयक के खंड 17 और 28 में निहित हैं।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने औषधीय पौधों के क्षेत्र से संबंधित परंपरागत ज्ञान का एक डिजिटल डाटाबेस विकसित करने का कार्य भी आरंभ कर दिया है, ताकि इस प्रकार के ज्ञान को पेटेंटीकरण से बचाया जा सके।

उद्यम पूंजी कम्पनियों के मार्गनिर्देश

3182. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उद्यम पूंजी कम्पनियों के मार्गनिर्देशों को और उदार बनाया है और इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए इन कम्पनियों की निवेश सीमा को बढ़ाया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उद्यम पूंजी निधि की इक्विटी पूंजी से 40 प्रतिशत की सीमा को हटाकर और अधिक पूंजी उद्यम हिस्सेदारी की अनुमति देने का भी निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) पूंजी कम्पनियों के सुधार हेतु और क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) सरकार ने निर्णय किया है कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) घरेलू तथा विदेशी उद्यम पूंजी निधियों-दोनों के पंजीकरण तथा नियमन के लिए एकल बिन्दु नोडल अभिकरण होगा। उद्यम पूंजी उपक्रम (वी.सी.यू.) में निवेश के लिए निधियां जुटाने के लिए गठित वी.सी.सी. तथा वी.सी.एफ. की आय को आयकर में छूट प्रदान करने की व्यवस्था करने हेतु आयकर अधिनियम में संशोधन किया गया है। वी.सी.सी. अथवा वी.सी.एफ. में से किए गए निवेश से किसी व्यक्ति को प्राप्त आय उसी प्रकार आयकर के लिए प्रभार्य होगी मानो वह उस व्यक्ति द्वारा प्राप्त वह आय हो यदि निवेश सीधा वी.सी.यू. में किया जाता।

(ख) से (घ) वित्त अधिनियम, 2000 के अनुसार वी.सी.एफ. द्वारा वी.सी.यू. में निवेश पर कोई सीमा नहीं है। तथापि, सेबी का एक वी.सी.यू. में निवेश को वी.सी.एफ./वी.सी.सी. की संचित निधि के 25 प्रतिशत तक सीमित करने का प्रस्ताव है।

नशीली दवाओं का जखीरा

3183. **श्री डी.वी.जी. शंकर राव:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत एक वर्ष के दौरान देश में नशीली दवाओं के कितने जखीरे पकड़े गए;

(ख) क्या इन जखीरों में आई एस आई या ऐसी किसी एजेन्सी की संलिप्तता का पता चला;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन गतिविधियों को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित विभिन्न स्थानों पर सतर्कता बढ़ाने हेतु क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) महोदय, वर्ष 1999 के दौरान नशीली दवाओं के 30 बड़े जखीरे पकड़े गए हैं। इनमें हेरोइन (5 किग्रा. और उससे अधिक) हशीश (20 कि.ग्रा. और उससे अधिक), मेथाक्वालोन (100 कि.ग्रा. से अधिक) और अफीम (40 कि.ग्रा से अधिक) का अभिग्रहण शामिल है।

(ख) और (ग) यद्यपि कुछेक मामलों में अभिगृहीत नशीली दवाओं का संदिग्ध स्रोत पाकिस्तान/अफगानिस्तान था, तथापि आई एस आई अथवा ऐसी एजेन्सी के इसमें प्रत्यक्ष रूप से शामिल होने की बात सिद्ध नहीं हो सकी है।

(घ) सरकार ने एक बहुआयामी रणनीति अपनाई है, जिसमें सतत रूप से निगरानी रखना, प्रवर्तन प्रयासों में तेजी लाना, आसूचना तंत्र को चुस्त बनाना, पुलिस बल का आधुनिकीकरण और उसके स्तर में सुधार लाना, सीमा पर बाड़ लगाना, सीमा पार गश्त बढ़ाना, सीमा शुल्क अधिनियम के तहत सीमा सुरक्षा बल और तटरक्षकों को सीमाओं पर नशीली औषधियों की रोकथाम करने के लिए शक्तियां प्रदान करना आदि शामिल है।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में अवरोधक व्यापार व्यवहार

3184. **श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में अवरोधक व्यापार व्यवहार का वर्तमान क्षेत्र बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार व्यापार व्यवहार की परिभाषा को विस्तृत बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) से (घ) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में संशोधन के लिए विचाराधीन प्रस्तावों में ''निवारक/अनुचित व्यापार व्यवहार'' की परिभाषा का विस्तार करना शामिल है ताकि इस परिभाषा में उन व्यापारिक व्यवहारों को लाया जा सके जिनसे मूल्यों अथवा डिलीवरी की शर्तों में हेरा-फेरी होने या वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो और परिणामस्वरूप अनुचित लागत या प्रतिबंध लागू किये जाएं।

[हिन्दी]

आई.टी.डी.सी. को घाटा

3185. **डा. संजय पासवान:** क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा भारत पर्यटन विकास निगम (आई.टी.डी.सी.) को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(ख) क्या सरकार ने निगम के अचानक घाटे में चले जाने के कारणों का पता लगाने हेतु कोई प्रयास किये हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार ने इसे लाभकारी बनाने हेतु क्या कदम उठाए हैं; और

(ङ) इसके शेयरों का विनिवेश करने के क्या कारण हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) भारत पर्यटन विकास निगम को पिछले 3 वर्षों के दौरान सरकार से कोई बजटीय सहायता प्राप्त नहीं हुई।

(ख) और (ग) अन्य बातों के साथ-साथ जिन कारणों से हानि हुई है, वे हैं:

(1) पारिश्रमिक अधिक होना,

(2) अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक यात्रियों द्वारा किये जाने वाले व्यवसाय में कमी।

(3) दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में मुद्रा संकट जिस कारण से ये देश अपेक्षाकृत सस्ते गंतव्य स्थल रहे।

(4) निजी क्षेत्र के होटलों द्वारा किरायों में कमी।

(घ) भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों के कार्य-निष्पादन में सुधार लाने हेतु निगम द्वारा किए गए उपायों/किये जा रहे उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ शामिल है:

(1) सक्रिय विपणन प्रयास।

(2) उत्पादों को समकालीन एवं स्पर्धात्मक बनाने के लिए उनकी गुणवत्ता में सुधार लाने पर बल दिया जाना।

(3) बाजार संचालित मूल्य प्रस्तुत करने के लिए लचीले नीति का अंगीकरण।

(4) मितव्ययिता।

(5) शेष देनदारियों की वसूली।

(6) स्वदेशी विमानपत्तनों पर नए शुल्क मुक्त दुकानें खोला जाना।

(7) अशोक होटल, नई दिल्ली में शुल्कयुक्त दुकानें खोला जाना।

(8) कोचों को वैट-लीजिंग के माध्यम से और अधिक टूअर्स पैकेज की शुरुआत।

(ङ) भारत पर्यटन विकास निगम में विनिवेश सरकार द्वारा घोषित नीति के अनुसार है।

[अनुवाद]

निर्यात का लक्ष्य

3186. श्री सी.पी. राधाकृष्णन:
श्री जय प्रकाश:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1998-99 और 1999-2000 के दौरान निर्यात हेतु कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) क्या लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया था;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने आर्थिक लक्ष्यों में संशोधन करने के बाद चालू वर्ष हेतु निर्यात लक्ष्य को घटा दिया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(च) चालू वर्ष के दौरान अब तक निर्यात के संबंध में अपेक्षाओं को पूरा करने वाले क्षेत्रों अथवा चालू वर्ष के अंत तक अपेक्षाओं को पूरा करने की संभावना वाले क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) से (ग) वर्ष 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 के लिए निर्यात लक्ष्य वृद्धि की दरें तथा वास्तविक वृद्धि दरें अमरीकी डालर के रूप में निम्नानुसार रही हैं:

वर्ष	लक्ष्य वृद्धि दर%	पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में वास्तविक वृद्धि दर%
1998-99	12.66	-5.1
1999-2000	11.3	11.6*
2000-2001	18	27.65* (अप्रैल-जून)

*वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 के लिए वृद्धि दर डीजीसीआई एण्ड एस के अनंतिम आंकड़ों पर आधारित हैं।

वर्ष 1998-99 में आंशिक रूप से गिरावट, विश्व बाजार में मन्दी, दक्षिण-पूर्व एशियाई संकट के साथ-साथ रूसी तथा कुछ लैटिन अमरीकी देशों में संकट जैसे अन्तर्राष्ट्रीय कारकों के कारण आई।.अन्य कारणों में बुनियादी सुविधा संबंधी दिक्कतें और निर्यात योग्य मदों की सीमित संख्या तथा कम इकाई मूल्य वसूली जैसी कठिनाइयां शामिल थीं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में बदलाव और सरकार द्वारा किए गए उपायों से वर्ष 1999-2000 में निर्यात लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया था। चालू वर्ष में अप्रैल-जून (2000-2001) के लिए निर्यात वृद्धि दर पूरे वर्ष के लिए 18% के लक्ष्य की तुलना में 27.65% रही। इस अवधि के दौरान जिन प्रमुख क्षेत्रों ने उच्चतर वृद्धि दर हासिल की उनमें रत्न एवं आभूषण, वस्त्र एवं इंजीनियरी मदें शामिल हैं।

दूरदर्शन/आकाशवाणी नेटवर्क

3187. **श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे:** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल में महाराष्ट्र में दूरदर्शन/आकाशवाणी की चालू परियोजनाओं और अन्य आधारभूत नेटवर्क स्थापित करने के लिए निर्धारित वास्तविक और वित्तीय लक्ष्यों तथा मिली सफलता की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों का तत्संबंधी वर्षवार ब्यौरा क्या है और धीमी प्रगति के क्या कारण हैं;

(ग) राज्य सरकारों से प्राप्त नये प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इन पर क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) प्रसार भारती द्वारा यह सूचित किया गया है कि महाराष्ट्र सहित देश के विभिन्न भागों में आकाशवाणी और दूरदर्शन की चालू परियोजनाओं के कार्यान्वयन संबंधी प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा की जा रही है।

(ख) नौवीं योजना में पिछले तीन वर्ष के दौरान महाराष्ट्र में आकाशवाणी और दूरदर्शन के कार्यान्वयन की प्रगति सामान्यतया संतोषजनक रही है। दूरदर्शन ने नौवीं योजना अवधि के दौरान 3 स्टूडियो और 28 ट्रांसमीटर परियोजनाएं चालू की हैं। तथापि, पिछले तीन वर्ष के दौरान आकाशवाणी का केवल मुम्बई द्वितीय एफ.एम. चैनल चालू करने का लक्ष्य था। यह परियोजना अब चालू किये जाने के लिए तैयार है। आकाशवाणी और दूरदर्शन की चालू परियोजनाओं की प्रगति का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र सरकार के अन्य मंत्रियों सहित विभिन्न मंचों से नए रेडियो केन्द्र और टी.वी. ट्रांसमीटर स्थापित करने के लिए समय-समय पर अनुरोध प्राप्त होते रहते हैं। पिछले एक वर्ष के दौरान, सिन्ध दुर्ग, कंकोली, चंवाद, ममग्रुलपीर, महीपतगढ़ और लातूर में टी.वी. ट्रांसमीटर स्थापित करने और लातूर में एक एफ.एम. रेडियो केन्द्र स्थापित करने के लिए ऐसे अनुरोध प्राप्त हुए हैं। इन अनुरोधों को पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकताओं के अधीन आकाशवाणी और दूरदर्शन की बाद की विस्तार योजनाओं में विचारार्थ नोट कर लिया गया है।

विवरण

आकाशवाणी

क्र.सं.	परियोजना	चालू करने की लक्ष्य तारीख
1	2	3
1.	मुम्बई में दूसरा एफ.एम. चैनल	चालू किया जा रहा है।
2.	नागपुर-300 कि.वा.मी.वे.ट्रा. (100 कि.वा.मी.वे.ट्रा. के स्थान पर)	2001-2002
3.	ओरोस-1 कि.वा.मी.वे.ट्रा. सहित स्थानीय रेडियो केन्द्र, स्टूडियो एवं स्टाफ क्वार्टर	2001-2002

क्र.सं.	परियोजना	चालू करने की लक्ष्य तारीख
4.	अमरावती-10 कि.वा.एफ.एम.ट्रा. सहित स्थानीय रेडियो केन्द्र	2001-2002
5.	रत्नागिरि-20 कि.वा.मी.वे. (मौजूदा 20 कि.वा.मी.वे. के स्थान पर	2000-2001
दूरदर्शन		
1.	चंद्रपुर (उ.श.ट्रा.)	2001-2002
2.	जलगांव (उ.श.ट्रा.)	2001-2002
3.	नागपुर (डीडी 2) (उ.श.ट्रा.)	2000
4.	रत्नागिरि (उ.श.ट्रा.)	2001-2002
5.	भामरगढ़ (अ.श.ट्रा.)	2000-2001
6.	दरियापुर (अ.श.ट्रा.)	2000-2001
7.	धाड़गांव (अ.श.ट्रा.)	2000-2001
8.	रावेर (अ.श.ट्रा.)	2000-2001
9.	नासिक (डीडी 2) (अ.श.ट्रा.)	2001
10.	शोलापुर (डीडी 2) (अ.श.ट्रा.)	2001
11.	अम्बेट (अ.अ.श.ट्रा.)	2000-2001
12.	सकोली (अ.अ.श.ट्रा.)	2000-2001

संकेत:

उ.श.ट्रा.-उच्च शक्ति ट्रान्समीटर।
अ.श.ट्रा.-अल्प शक्ति ट्रान्समीटर।
अ.अ.श.ट्रा.-अति अल्प शक्ति ट्रान्समीटर।

विटामिन "सी" पर पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना

3188. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विटामिन "सी" के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पाटनरोधी निदेशालय की सिफारिशों को क्रियान्वित किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) से (घ) जी, हां। 13 जून, 2000 को पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा चीन तथा जापान से विटामिन "सी" के पाटन के मामले में मध्यावधि समीक्षा के बाद जारी किए गए अंतिम निष्कर्षों के आधार पर केन्द्र सरकार ने दिनांक 21 जुलाई, 2000 को पाटनरोधी शुल्क लगाए हैं।

रूस और ई यू से विटामिन सी के पाटन के मामले में शुल्क लगाने की सिफारिश करते हुए दिनांक 8.8.2000, को अंतिम निष्कर्ष जारी किये गये हैं।

चाय के उत्पादकों हेतु पैकेज

3189. श्री विजय हान्दिक: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के दक्षिणी क्षेत्र के कुछ राज्यों में छोटे-मोटे चाय उत्पादकों को चाय के बाजार में उतार-चढ़ाव और अन्य मौसमी कठिनाइयों से बचाव के लिए कोई पैकेज तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो पैकेज का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार अन्य राज्यों में विशेषकर पूर्वोत्तर राज्यों में छोटे-मोटे चाय के उत्पादकों तक पैकेज का लाभ देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) और (ख) नीलामियों में कम कीमत वसूली की समस्या का निदान करने के उद्देश्य से सरकार ने चाय के छोटे उत्पादकों (10.12 हैक्टेयर तक के चाय बागान धारकों) के लिए दिनांक 1.5.2000 से चाय बोर्ड के जरिए एक कीमत इमदाद योजना लागू की है, जिसके तहत नीलामी कीमत और 55 रुपए/कि.ग्रा. के बीच की कमी के बराबर की राशि इमदाद के रूप में मुहैया करायी जाती है। इस योजना के तहत शुरू में अधिकतम इमदाद 5 रुपए/कि.ग्रा. थी और जिसे 24.7.2000 से बढ़ाकर 8 रुपए/कि.ग्रा. कर दिया गया है।

(ग) और (घ) यह कीमत इमदाद योजना उल्लिखित शर्तों के अधीन पूर्वोत्तर सहित समूचे देश में लागू है।

राजसहायता प्राप्त खाद्यान्नों की कालाबाजारी

3190. **श्री अनन्त नायक:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को कुछ राज्यों में राज-सहायता प्राप्त खाद्यान्न की बढ़ती काला-बाजारी की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य-वार कितने लोग पकड़े गए और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई; और

(घ) ऐसी काला-बाजारी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) से (ग) केन्द्र और राज्य सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के अधीन सार्वजनिक वितरण प्रणाली एक वृहद आकार का प्रचालन है जिसके कार्य में कई एजेंसियां लगी हुई हैं। इस प्रकार काले धन के लालच में कुछ व्यक्तियों द्वारा ऐसे अपराध करने के संबंध में इंकार नहीं किया जा सकता। तथापि, यह नहीं कहा जा सकता कि देश में कालाबाजारी का संकट है। राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार 1.1.2000 से 30.6.2000 तक की अवधि के दौरान खाद्यान्नों सहित आवश्यक वस्तुओं के संबध में कालाबाजारी और अन्य अपराधों के लिए 2380 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। राजसहायता प्राप्त खाद्यान्नों की कालाबाजारी करने के कारण गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों के राज्यवार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्रियान्वयन के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से कहा गया है कि कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट से लेकर आपूर्ति निरीक्षक के पद तक के जिले, तालुक स्तर के अधिकारियों की निरीक्षण अनुसूची तैयार करें, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण में अधिक पारदर्शिता लाने के उपाय लागू करें, विभिन्न स्तरों पर सतर्कता समितियों का गठन करें और नियमित रूप से इनकी बैठकें आयोजित करें। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए एक माडल सिटीजन चार्टर तैयार किया गया है और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित किया गया है ताकि वे इसे अपना सकें।

राज्य सरकारों से यह अनुरोध भी किया गया है कि वे इस प्रणाली में कदाचार को रोकने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा (3) का प्रभावी रूप से उपयोग करें।

ऋण वसूली अधिकरण

3191. **श्री पी.एच. पांडियन:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ऋण वसूली अधिकरण के सभी कर्मचारियों के लिए भर्ती नियम अधिसूचित किए जा चुके हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सभी पात्र और इच्छुक कर्मचारियों को सम्बद्ध ऋण वसूली अधिकरणों में स्थायी रूप से नियुक्त कर दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहेब विखे पाटील): (क) और (ख) 10 ऋण वसूली अधिकरणों (डीआरटी) और एक ऋण वसूल अपीलीय अधिकरण (डीआरएटी) के समूह "ग"

और ''घ'' कर्मचारियों के संबंध में भर्ती नियम (आरआर) बनाए गए हैं और उन्हें 29 दिसम्बर, 1998 के सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किया गया है। ऋण वसूली अधिकरणों और ऋण वसूली अपीलीय अधिकरणों के समूह ''क'', समूह ''ख'' (राजपत्रित) और समूह ''ख'' (अराजपत्रित) अधिकारियों/कर्मचारियों के संबंध में भर्ती नियम कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, विधि मंत्रालय और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से प्रक्रियाधीन हैं।

(ग) और (घ) ऋण वसूली अधिकरणों और ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण के समूह ''ग'' और ''घ'' कर्मचारियों के संबंध में भर्ती नियमों के नियम 7 के अंतर्गत, इन नियमों के लागू होने की तारीख से ऋण वसूली अधिकरणों/ऋण वसूली अपीलीय अधिकरणों में पदधारित व्यक्ति, जो इन नियमों के लागू होने की तारीख को डीआरटी/डीआरटी में स्थानान्तरण पर या प्रतिनियुक्ति आधार पर है और जो इन नियमों में निर्धारित अर्हता और अनुभव पूरा करते हों और जिन्हें संबंधित अधिकरण की विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा उपयुक्त पाया गया है, इस शर्त के साथ कि उन्होंने समावेशन के लिए विकल्प दिया है और उनके मूल विभागों को उन्हें अधिकरण में समावेश किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है, वे संबंधित ग्रेड में नियमित होने/समावेशन के लिए पात्र होंगे।

[हिन्दी]

महावीर जयन्ती

3192. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार इस वर्ष 2600वीं महावीर जयन्ती मनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) और (ख) भगवान महावीर की 2600वीं जयन्ती अप्रैल, 2001 से मनाई जाएगी। इस उद्देश्य के लिए गठित की जाने वाली राष्ट्रीय समिति कार्यक्रम को तैयार करेगी।

बिहार में दूरदर्शन केन्द्रों/आकाशवाणी केन्द्रों की स्थापना

3193. श्री अरुण कुमार: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार, विशेषकर जहानाबाद में दूरदर्शन केन्द्र और आकाशवाणी केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इस उद्देश्य के लिए उक्त कार्य को कब तक आरम्भ कर दिए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) से (ग) पूरी की जा चुकी और शीघ्र ही चालू की जा रही आकाशवाणी की जमशेदपुर में विविध भारती सेवा के लिए 1 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर की 6 कि.वा.एफ.एम. ट्रांसमीटर द्वारा प्रतिस्थापित करने की स्कीम के अलावा बिहार में दूरदर्शन की निम्नलिखित परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न स्तर पर हैं:

	उ.श.ट्रा		अ.श.ट्रा.		अ.अ.श.ट्रा.
1.	जमशेदपुर	5.	चैरा	10.	रामगढ़ हिल
2.	पटना (डीडी 2)	6.	रामनगर		
3.	रांची (डीडी 2)	7.	किशनगंज		
4.	मुजफ्फरपुर (डीडी 2)	8.	जमशेदपुर (डीडी 2)		
		9.	धनबाद (डीडी 2)		

वर्तमान में जहानाबाद में रेडियो स्टेशन या दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि इसे पटना तथा रांची स्थित रेडियो स्टेशनों और पटना स्थित उच्च शक्ति टी.वी. ट्रांसमीटर से क्रमश: आकाशवाणी तथा दूरदर्शन का कवरेज पर्याप्त रूप से प्राप्त हो रहा है।

[अनुवाद]

खुले सामान्य लाइसेंस के तहत मछली का आयात

3194. श्री चन्द्रभूषण सिंह: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि सरकार द्वारा खुले सामान्य लाइसेंस के तहत मछली के आयात की अनुमति दे देने से देश में दस मिलियन मछुआरों की रोजी-रोटी पर असर पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को मछली के इस प्रकार के आयात के विरोध में मछुआरों के विभिन्न संगठनों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा उन मछुआरों के हितों का संरक्षण करने के लिए जिनकी आजीविका पर प्रतिकूल असर पड़ने का खतरा है, क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) से (घ) मत्स्य, निर्यात एवं आयात मदों के आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण, 1997-2002 के अध्याय 3 के अंतर्गत वर्गीकृत है। दिनांक 31.3.2000 से पहले मत्स्य आयात की अनुमति विशेष आयात लाइसेंस (एसआईएल) की सुपुर्दगी पर दी जाती थी। भारत की अंतर्राष्ट्रीय वचनबद्धताओं को देखते हुए 31.3.2000 को इन पर से आयात प्रतिबंध हटा लिए गए थे।

मत्स्य एवं मत्स्य उत्पादों पर से आयात प्रतिबंध हटा लिये जाने से घरेलू मछुवारों पर पड़ने वाले संभावित प्रतिकूल प्रभाव के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए है। तथापि, देश में सभी आयात सीमा शुल्क की लागू दरों के अधीन हैं। इसके अतिरिक्त, आयातों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और सरकार टैरिफ तंत्र के समुचित इस्तेमाल के माध्यम से यह सुनिश्चित करने के लिए कृतसंकल्प है कि आयातों से घरेलू उत्पादकों को कोई गंभीर क्षति अथवा नुकसान नहीं पहुंचता है।

घरेलू मछुवारों को पर्याप्त संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से, वर्ष 2000-2001 के बजट में मत्स्य पर आयात शुल्क 15% से बढ़ाकर 35% कर दिया गया है।

दूरदर्शन और आकाशवाणी को घाटा

3195. श्री रामजी मांझी:
श्री अमर राय प्रधान:

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान दूरदर्शन और आकाशवाणी को घाटा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान दूरदर्शन और आकाशवाणी को वर्षवार पृथकत: कितना घाटा हुआ;

(ग) यह घाटा किन परिस्थितियों में हुआ; और

(घ) इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) से (घ) आकाशवाणी और दूरदर्शन लोक सेवा प्रसारक हैं न कि वाणिज्यिक संस्थान। इसलिए, उनको किसी प्रकार का लाभ होने अथवा हानि होने का प्रश्न नहीं उठता।

औद्योगिक मशीनरी की आपूर्ति

3196. श्री पी.डी. एलानगोवन: क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडोनेशिया को रेल संबंधी उपकरणों सहित भारी मशीनरी की आपूर्ति करने तथा वहां औद्योगिक मशीनरी हेतु संयुक्त उद्यम लगाने पर विचार करने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारत में इंडोनेशिया और अन्य दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों, जर्मनी, इटली, हालैंड, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमरीका जैसे पश्चिमी देशों के सहयोग से आपसी लाभकारी व्यापार संबंधी सहयोग में निवेश के वर्तमान अवसरों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में राज्यवार शुरू किये जाने वाले नए प्रस्तावों तथा प्रत्येक प्रस्ताव में अंतर्निहित धनराशि का ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. वल्लभभाई कथीरिया): (क) और (ख) इंडोनेशिया सहित जहां कहीं भी अवसर मिलता है, भारी मशीनरी और रेल संबंधी उपकरणों के निर्यात को बढ़ावा देने का प्रयास रहता है। सरकार, औद्योगिक

मशीनरी सहित विभिन्न मदों के उत्पादन हेतु विदेश में संयुक्त उद्यम के गठन को भी बढ़ावा देती है। सरकार ने विभिन्न उत्पादों के लिए इंडनेशिया में स्थापित किए जाने वाले संयुक्त उद्यमों को अनुमोदित कर दिया है।

वर्ष 1994-95 से 1999-2000 के दौरान इंडोनेशिया में औद्योगिक मशीनरी सहित भारतीय संयुक्त उद्यम और पूर्ण रूप से स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों की स्थापना हेतु जारी अनुमोदन की राशि 20.376 मिलियन अमरीकी डालर है।

(ग) उदारीकृत एफडीआई नीति संगत (उपयुक्त) जो कुछेक विनिर्दिष्ट कार्यकलापों को छोड़कर कुल मिलाकर एफडीआई/एनआरआई और विदेशी कारपोरेट निकायों के लिए ऑटोमेटिक (अविवेचित) पद्धति के तहत निवेश को अनुमति देती है। इस नीति के अनुसार, औद्योगिक मशीनरी के क्षेत्र में 100% विदेशी इक्विटी की भागीदारी स्वीकार्य है।

(घ) अप्रैल, 1999 से मार्च 2000 की अवधि के दौरान (राज्यवार) विदेशी अनुमोदित सहयोग और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रस्ताव संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

अप्रैल, 1999 से मार्च, 2000 के दौरान अनुमोदित विदेशी सहयोग एवं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रस्तावों का राज्य-वार विवरण

राज्य	अनुमोदनों की संख्या			अनुमोदित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की राशि (करोड़ रुपये में)	कुल %
	कुल	तकनीकी	वित्तीय		
1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश	120	19	101	1043.03	4.82
असम	7	7	0	0.00	0.00
बिहार	13	7	6	24.20	0.11
गुजरात	107	52	55	857.84	3.96
हरियाणा	81	27	54	245.53	1.13
हिमाचल प्रदेश	6	0	6	0.92	0.00
जम्मू और कश्मीर	2	1	1	0.40	0.00
कर्नाटक	244	30	214	2058.83	9.51
केरल	32	6	26	207.77	0.96
मध्य प्रदेश	22	6	16	272.76	1.26
महाराष्ट्र	510	127	383	6858.75	31.67
उड़ीसा	22	12	10	217.64	1.01
पंजाब	19	3	16	28.60	0.13
राजस्थान	30	10	20	174.08	0.80
तमिलनाडु	274	72	202	2205.58	10.19
उत्तर प्रदेश	86	20	66	616.59	2.85

1	2	3	4	5	6
पं. बंगाल	75	27	48	479.03	2.21
अंडमान और निकोबार	1	0	1	0.00	0.00
चंडीगढ़	7	1	6	3.03	0.01
दादर और नगर हवेली	5	3	2	35.92	0.17
दिल्ली	285	19	266	2294.62	10.60
गोवा	18	2	16	33.48	0.15
पांडिचेरी	10	2	8	27.59	0.13
दमन और दीयू	6	2	4	15.56	0.07
ऐसे राज्य जो दर्शाये नहीं गये हैं	305	29	276	3952.57	18.25
कुल	2287	484	1803	21654.32	

खाद्य तेल के क्षेत्र में आयात संबंधी रुख

3197. श्री जी.एस. बसवराज: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1998-99 के दौरान भारत के आयात में थोक श्रेणी के अंतर्गत पर्याप्त बढ़ोत्तरी का रुख रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन आयातित वस्तुओं में चावल और खाद्य तेल शामिल हैं तथा दोनों वस्तुओं पर बढ़ोत्तरी का प्रतिशत कितना है;

(ग) क्या सरकार का खाद्य तेलों के आयात को सीमित दर पर देने का प्रस्ताव है क्योंकि घरेलू उत्पादक देश की उपभोग आवश्यकताओं को काफी हद तक पूरा करने में सक्षम हैं;

(घ) क्या खाद्य तेलों का अंधाधुंध आयात घरेलू खाद्य तेल उद्योग, जो स्थानीय बाजार में अपने उत्पाद के लिए उचित मूल्य प्राप्त करने में असमर्थता अनुभव कर रहा है, के लिए हानिकारक सिद्ध हो रहा है;

(ङ) क्या सरकार यह अच्छे मानसून और तिलहनों सहित भरपूर उपज की प्रत्याशा के मद्देनजर भारतीय किसान के हितों के संरक्षणार्थ चावल और खाद्य तेल के आयात पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाने पर विचार करेगी; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) जी, हाँ।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान आयातित चावल एवम् खाद्य तेलों की कुल मात्रा तथा मूल्य और पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि निम्नानुसार है:

मात्रा: मी. टन, मूल्य: करोड़ रुपये में

वर्ष	चावल				खाद्य तेल			
	मात्रा	मूल्य	पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि		मात्रा	मूल्य	पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि	
			मात्रावार	मूल्यवार			मात्रावार	मूल्यवार
1997-98	54	0.06	–	–	1265753	2764.67	–	–
1998-99	6654	5.41	12222	8916	2621851	7588.93	107	174
1999-2000(अ)	27602	24.59	315	355	4196000	7983.87	60	0.3

(अ)-अनंतिम

(स्रोत: डीजीसीआई एंड एस, कलकत्ता)

(ग) और (घ) दिनांक 12.6.2000 से कच्चे तेल पर आयात शुल्क 15% (मूल) से बढ़ाकर 25% (मूल) कर दिया गया है, परिष्कृत तेलों पर से इसे 25% (मूल) से बढ़ाकर 35% (मूल) तथा अन्य तेलों पर 25% (मूल) तक कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, दिनांक 12.6.2000 से वनस्पति के विनिर्माण में मिश्रित तेल के न्यूनतम 25% तक स्वदेशी तेलों का इस्तेमाल भी आवश्यक कर दिया गया है। इसका उद्देश्य किसानों को उनके उत्पाद के लिए बेहतर आय के जरिए प्रोत्साहन देना तथा बेहतर क्षमता उपयोग एवं उच्च मूल्यवर्धन के रूप में घरेलू प्रसंस्करण उद्योग को समर्थन देना है।

(ङ) और (च) एक्जिम नीति की समीक्षा एक सतत प्रक्रिया है और घरेलू उपभोक्ताओं, किसानों तथा घरेलू उद्योग के हितों की रक्षा करने के लिए जब भी आवश्यक समझा जाता है नीतिगत हस्तक्षेप किये जाते हैं।

सिनेमा को उद्योग का दर्जा

3198. श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में फिल्मों/सिनेमा को सूचना प्रौद्योगिकी का दर्जा देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) फिल्म/सिनेमा उद्योग में फिल्मों की चोरी और अन्य प्रमुख समस्याओं को रोकने के लिए उठाए गए/प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) और (ख) सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार तथा मनोरंजन प्रौद्योगिकियों के बढ़ते अभिसरण को ध्यान में रखते हुए और मनोरंजन उद्योग के विकास को इष्टतम करने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय का यह विचार था कि सरकार द्वारा विदेशी मुद्रा अर्जक के रूप में तथा रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए फिल्म क्षेत्र की पूरी क्षमता का उपयोग करने के उद्देश्य से सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को उपलब्ध कराए गए लाभों को फिल्म क्षेत्र को भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए। तदनुसार मंत्रालय ने फिल्म क्षेत्र से संबंधित कई प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत किये हैं।

इन प्रयासों के फलस्वरूप, संसद में 2000-2001 के लिए प्रस्तुत किए गए बजट प्रस्तावों में फिल्म उद्योग को निम्नलिखित महत्वपूर्ण वित्तीय लाभ प्रदान किए गए हैं:

1. मनोरंजन साफ्टवेयर के निर्यात में लगे व्यक्तियों/स्वामियों को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 एच.एच.एफ. का लाभ दिया गया है।

2. चलचित्रिकी कैमरा तथा अन्य संबंधित उपकरणों पर मूल सीमा शुल्क को 40 प्रतिशत से घटा कर 25 प्रतिशत कर दिया गया है।

3. जम्बो रोल्स में कलर पॉजिटिव फिल्मों तथा कतिपय प्रकार के रोलों में कलर नेगेटिव फिल्मों पर मूल सीमा शुल्क 15 प्रतिशत से घटा कर 5 प्रतिशत कर दिया गया है इन मदों पर प्रतिकारी शुल्क भी समाप्त कर दिया गया है।

4. आयकर अधिनियम की धारा 285 बी के अधीन निर्माताओं द्वारा ब्यौरा प्रस्तुत करने की सीमा को 1.4.2000 से 25000 रु. से बढ़ाकर 50,000 रु. कर दिया गया है।

(ग) फिल्म उद्योग वीडियो/केबल चोरी से होने वाले नुकसान के बारे में समय-समय पर शिकायत करता रहा है। प्रतिलिप्यान्तरण अधिनियम 1957 को लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों के अधीन पुलिस अधिकारियों की है। प्रतिलिप्यान्तरण अधिनियम को आधुनिक प्रौद्योगिकी में प्रगति के अनुरूप बनाने तथा दण्डात्मक प्रावधानों को और अधिक कठोर बनाने के लिए इसमें संशोधन किया गया है।

सरकार ने पिछले कुछ वर्षों के दौरान अधिनियम के प्रवर्तन में सुधार के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। इन उपायों में अधिनियम के प्रवर्तन की प्रगति की समय-समय पर समीक्षा तथा अधिनियम के प्रवर्तन में सुधार के लिए उपायों के बारे में सरकार को सलाह देने के लिए लिप्यान्तरण सलाहकार परिषद का गठन करना, पुलिस अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण/गोष्ठियाँ आयोजित करना और राज्य सरकारों को लिप्यान्तरण अधिनियम के अपराधों से निपटने के लिए विशेष कक्ष बनाने, नोडल केन्द्र, जिनसे व्यवसायी या औद्योगिक संगठन सम्पर्क कर सकें, के बनाने के लिए दबाव डालना शामिल है। अधिकांश राज्य सरकारों ने विशेष कक्ष स्थापित कर दिए हैं।

लिप्यान्तरण (संशोधन) अधिनियम, 1994 में अन्य बातों के साथ-साथ भारतीय फिल्म तथा टेलीविजन निर्माताओं के लिप्यान्तरण विनियमन के लिए अलग सोसायटी (एस.सी.आर.आई.पी.टी.) के गठन का प्रावधान है। इस सोसायटी ने चोरी से निपटने तथा पुलिस के साथ मिल कर कार्य करने के लिए एक विशेष विंग का गठन किया है।

[हिन्दी]

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को प्रोत्साहन

3199. **श्री सुरेश चन्देल:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निर्यात को प्रोत्साहन देने हेतु खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न प्रोत्साहन दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1997-98 और 1998-99 के दौरान खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र द्वारा किए गए निर्यात की कुल धनराशि कितनी है; और

(घ) खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में उपरोक्त अवधि के दौरान प्रतिवर्ष किए गए निवेश का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) और (ख) निर्यात एवं आयात नीति 1997-2002 के अधीन विभिन्न निर्यात सुविधाजनक योजनाएं चल रही है जिनका उपयोग खाद्य प्रसंस्करण उद्योग सहित सभी क्षेत्रों के उद्योगों द्वारा किया जा सकता है। प्रमुख योजनाएँ हैं निर्यात संवर्द्धन पूंजीगत माल योजना, शुल्क छूट रियायत योजना जिसके अधीन निर्यात उत्पाद में शामिल किए जाने वाले पूंजीगत माल और निविष्टियों का आयात, रियायती शून्य शुल्क कर किया जा सकता है। इसके अलावा, सरकार खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र जिसमें निर्यात उत्पादन से जुड़े एकक भी शामिल हैं, के विकास के लिए योजना स्कीमों के अधीन सहायता प्रदान करती है। इस प्रयोजन से उपलब्ध कराई गई सहायता में शामिल है फसल पश्चात बुनियादी सुविधा की स्थापना के लिए एक अनुदान ऋण प्रदान करना, खाद्य प्रसंस्करण के लिए प्रशीतन सुविधा की स्थापना करना, अनुसंधान एवं विकास करना, मानव संसाधन विकास करना, मांस प्रसंस्करण का आधुनिकीकरण और उसका विकास करना, परंपरागत मत्स्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों और विपणन को मजबूत करने के लिए सहायता प्रदान करना, उन्नत पैकेजिंग के लिए वित्तीय सहायता की मंजूरी देना और गुणवत्ता प्रणाली जैसे आईएसओ 9000/एचएसीसीपी को अपनाने सहित गुणवत्ता नियंत्रण को मजबूत बनाना, क्रेता-विक्रेता बैठकों महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मेलों एवं प्रदर्शनियों में भागीदारी करना तथा विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर एकीकृत कार्गो हैंडलिंग एवं शीत भंडागार सुविधाओं की स्थापना करने जैसी संवर्द्धनात्मक अभियान चलाना।

(ग) वर्ष 1997-98 और 1998-99 के दौरान प्रसंस्कृत फलों एवं सब्जियों और अन्य प्रसंस्कृत खाद्य मदों जैसेकि गुड एवं मिठाइयाँ, कोको उत्पाद, अनाज से तैयार सामान, मदिरायुक्त पेयजल, मशीन से तैयार उत्पाद, ग्वार गम और मूँगफली को मिलाकर प्रसंस्कृत खाद्य मदों के निर्यात का मूल्य निम्नानुसार रहा है:

वर्ष	मूल्य (करोड़ रुपए में)
1997-98	2256.37
1998-99	1824.21

(घ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में वर्ष 1997-98 और 1998-99 के दौरान अनुमोदित विदेशी प्रत्यक्ष निवेशों और घरेलू निवेशों की आवक निम्नानुसार रही है:

वर्ष	विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की आवक की मात्रा (करोड़ रुपये में)	घरेलू निवेश (करोड़ रुपये में)
1997-98	342.09	1988
1998-99	94.75	2038

[अनुवाद]

क्षेत्र विशेष के लिए निर्यात पैकेज

3200. **श्री सुशील कुमार शिन्दे:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न श्रेणियों की वस्तुओं के निर्यात के लिए क्षेत्र विशेष पैकेज तैयार किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो इन पैकेजों का ब्यौरा क्या है और किन श्रेणी की वस्तुओं के लिए ये बनाये गये हैं; और

(ग) इन वस्तुओं की पहचान करने और उनके चयन हेतु क्या मानदंड बनाये गये हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) से (ग) निर्यात संवर्धन एक सतत प्रक्रिया है। विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं के आधार पर निर्यातों को बढ़ाने के लिए समय-समय पर क्षेत्र विशिष्ट पैकेज तैयार किये जाते रहे हैं। अन्य उपायों के अलावा, एक्जिम नीति 2000-2001 में जो महत्वपूर्ण क्षेत्र विशिष्ट उपाय किये गए हैं, उनका ब्यौरा नीचे दिया गया है।

रत्न तथा आभूषण: डायमंड डालर एकाउंट योजना की शुरुआत; ईपीजैड और एसईजैड एककों को मरम्मत पुनर्निर्माण और पुन: निर्यात के लिए जड़ाऊ आभूषणों का आयात करने की अनुमति; रत्न तथा आभूषण के आयात पार्सल व्यक्तिगत रूप से लाने की अनुमति; रत्न तथा आभूषण मदों के लिए आवश्यक उपभोज्य

वस्तुओं के शुल्क मुक्त आयात के लिए प्रतिपूर्ति लाइसेंस की शुरुआत।

रेशम: निविष्टि-उत्पादन मानदण्डों को युक्तिसंगत बनाया गया, केन्द्रीय सिल्क बोर्ड निरीक्षण को बन्द कर दिया गया; विशेष आयात लाइसैंस के तहत रेशम के आयात की अनुमति।

चमड़ा, हस्तशिल्प तथा वस्त्र: सजावट, अलंकरण के सामान तथा अन्य मदों के शुल्क मुक्त आयात की पात्रता को निर्यातों के एफओबी मूल्य का 2% से बढ़ाकर 3% कर दिया गया।

औषध तथा भेषजीय पदार्थ, कृषि रसायन तथा जैव-प्रौद्योगिकी निर्यात: विनिर्माण फर्मों को आर एंड डी उद्देश्यों के लिए निर्यातों के एफओबी मूल्य का 1% तक प्रयोगशाला उपकरण, रसायन तथा री-एजेंट्स के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी गई; अप्रतिबंधित तथा गैर-साइट्स भारतीय जड़ी-बूटियों तथा नुस्खे के निर्यात के लिए प्रक्रिया को सरल बनाया गया।

मेंगलोर में एफ.एम. ट्रांसमीटर

3201. **श्री विनय कुमार सोराके:** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान मेंगलौर (कर्नाटक) में 10 किलोवाट क्षमता की एक एफ.एम. ट्रांसमीटर लगाने की परियोजना शुरू की जानी है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना के कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या यह परियोजना समय पर कार्य करना प्रारम्भ कर देगी; और

(घ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और इस परियोजना के शीघ्र कार्य शुरू कर देना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) जी, हां। आकाशवाणी मंगलौर में मौजूदा 1 कि.वा. मी.वे. ट्रांसमीटर के प्रतिस्थापन के रूप में एक 10 कि.वा.एफ.एम. ट्रांसमीटर स्थापित किया जाना है और इसे वर्ष 2000-2001 में चालू किया जाना निर्धारित है।

(ख) स्थापना कार्य प्रगति पर है और ट्रांसमीटर के लिए आदेश दिये जा रहे हैं।

(ग) परियोजना को निर्धारित समय में पूरा करने के लिए सभी प्रयास किये जा रहे हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

मिट्टी के तेल में मिलावट

3202. **श्री जय प्रकाश:** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार मिट्टी के तेल में मिलावट की बढ़ रही घटनाओं से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो मिलावट को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(ग) क्या सरकार को वर्ष 1994 में तैयार की गई मिट्टी के तेल की "डिलीवर्ड सप्लाई स्कीम" को क्रियान्वित करने में राज्य सरकारों द्वारा बरती जा रही ढिलाई से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) से (घ) मिट्टी के तेल में किसी चीज को मिलाकर अपमिश्रण करने की कोई सूचना नहीं है। तथापि, मिट्टी के तेल और पेट्रोल/डीजल के मूल्यों में अन्तर होने के कारण इस बात की संभावना है कि कुछ व्यक्ति आटो मोबाइल ईंधन तेलों में मिट्टी के तेल का अपमिश्रण कर सकते हैं। तेल का विपणन करने वाली कम्पनियां खुदरा दुकानों की नियमित/अचानक जांच करती हैं ताकि अपमिश्रण सहित विभिन्न कदाचारों को रोका जा सके। इसके अलावा तेल कम्पनियां कदाचारों को रोकने के लिए समय-समय पर स्वयं तथा सरकार के निदेश पर विशेष अभियान चलाती हैं। अपमिश्रण को रोकने के लिए तेल कम्पनियों द्वारा मिट्टी के तेल का रंग नीला करना (सार्वजनिक वितरण प्रणाली), फरफूरल मिलाना, फिल्टर पेपर परीक्षण करना, सचल प्रयोगशालाओं द्वारा खुदरा दुकानों की जांच किया जाना आदि जैसे विभिन्न उपाय किये जा रहे हैं। राज्यों का यह विचार है कि मिट्टी के तेल की "डिलीवर्ड सप्लाई स्कीम" सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मिट्टी के तेल का विपथन रोकने की ओर एक कदम है। इससे यह भी सुनिश्चित होगा कि मिट्टी का तेल गंतव्य स्थान तक पहुंचे। यह योजना कुछ राज्यों में लागू की गई है।

अनुवाद]

निर्यात प्रक्रिया को सरल बनाना

3203. **श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी:** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न विभागों में निर्यातकों के निर्यात संबंधी मामलों के संसाधन में विलम्ब होने के कारण निर्यात में गिरावट आ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने निर्यात प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु कोई योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार निर्यात को बढ़ावा देने हेतु एकल खिड़की मंजूर प्रणाली शुरू करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) और (ख) जी, नहीं। उपलब्ध रुझानों के मुताबिक देश के निर्यातों में गिरावट नहीं आ रही है। दूसरी और, डीजीसीआई एण्ड एस, कलकत्ता से उपलब्ध नवीनतम अनंतिम आंकड़ों के अनुसार निर्यातों में अप्रैल-जून, 2000-2001 के दौरान डालर के रूप में 27.7% की दर से वृद्धि हुई है। यह वृद्धि वार्षिक वृद्धि के लक्ष्य से काफी अधिक है।

(ग) और (घ) अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के साथ ही, सरकार निर्यात एवं आयात प्रणाली पर से नियंत्रण समाप्त कर उसका विकेन्द्रीकरण करने, क्रियाविधियों का सरलीकरण, निर्यातकों और विभिन्न सरकारी एजेंसियों के बीच परिहार्य सम्पर्कों को कम करने की दिशा में सक्रिय रूप से अग्रसर हुई है। इन में शामिल हैं आवेदनों को इलैक्ट्रानिक के जरिए दायर करने की व्यवस्था, लाइसेंस के आवेदनों पर विचार करने की समय-सीमा, पर्याप्त रूप से शक्तियों का प्रत्यायोजन और निर्यात संवर्धन योजनाओं को तर्कसंगत बनाना। इन कदमों के फलस्वरूप विभिन्न वस्तुओं के निर्यात की प्रक्रिया में निर्यातकों को हुए विलम्ब और उत्पीड़न, यदि कोई हो, में कमी आई है।

(ङ) और (च) चूंकि केन्द्र और राज्यों की विभिन्न एजेंसियाँ विभिन्न सेवाएं प्रदान करती हैं, इसलिए सभी निर्यात मदों के लिए एकल खिड़की प्रणाली शुरू करना व्यावहारिक नहीं पाया गया है।

"नाबार्ड" ऋण

3204. **श्री ए. नरेन्द्र:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा विभिन्न राज्यों में कृषि आधारित उद्योगों को लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) "नाबार्ड" द्वारा उन इकाइयों हेतु कितनी राशि जुटाए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहेब विखे पाटील): (क) से (ग) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि उसने महाराष्ट्र के पश्चिमी क्षेत्र में उन क्षेत्रों की ऋण आवश्यकताओं का निर्धारण करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण (बागवानी उत्पाद एवं पशुधन उत्पाद) के लिए दो अध्यन किये हैं। बागवानी उत्पादों के लिए ऋण आवश्यकताओं का अध्ययन महाराष्ट्र के पुणे, नासिक, जलगांव तथा सांगली जिलों में किया गया था जिससे कि क्षेत्र में संभाव्यता का पता चले, परियोजना प्रोफाइल लागू किया जा सके तथा कृषि उत्पादों के संस्करण के लिए ऋण आवश्यकताओं का अनुभव लगाया जा सके। महाराष्ट्र के पश्चिमी क्षेत्र में नासिक, पुणे, सांगली, सोलापुर जिलों में होने वाली बाधाओं का पता लगाने, संभाव्यता का निर्धारण करने, परियोजना प्रोफाइल लागू करने तथा क्षेत्र में ऋण आवश्यकताओं का आकलन करने के लिए पशुधन उत्पादों पर अध्ययन किया गया था। बैंक ऋण समेत वर्ष 2001-2002 तक के लिए इन दो उद्योगों की कुल ऋण आवश्यकता क्रमानुसार लगभग 68.71 करोड़ रुपये तथा 18.93 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

सांस्कृतिक समझौते

3205. **श्री टी. गोविन्दन:** क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारत और अन्य देशों के बीच हुए सांस्कृतिक समझौतों का देश-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन समझौतों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं।

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) जनवरी, 1997 से निम्नांकित देशों के साथ सांस्कृतिक करार किये गये हैं:

वर्ष 1997: लेबनान, बोत्सवाना, मेडागास्कर और बोलीविया

वर्ष 1998: कोई करार नहीं हुआ

वर्ष 1999 : क्रोएशिया और यमन

(ख) इन करारों में शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कला एवं संस्कृति, संग्रहालय विज्ञान एवं पुरातत्व, अभिलेख, साहित्य, भाषाओं, जन प्रचार माध्यम, युवा कार्य एवं खेलकूद तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्रों में द्विपक्षीय आदान-प्रदान की व्यवस्था है।

[हिन्दी]

गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के लिए खाद्यान्न आवंटन में असमानता

3206. कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पुनर्गठित) के अंतर्गत खाद्यान्नों के आवंटन में अनियमितताएं बरती गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जिन राज्यों में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों की संख्या कम है उन्हें उन राज्यों के मुकाबले अधिक खाद्यान्न मिल रहा है जिनमें गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों की संख्या अधिक है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस असमानता को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) और (ख) जून, 1997 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू करने के साथ सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली समाप्त हो गई थी।

(ग) से (ङ) फिलहाल, जून, 1997 में लागू की गई लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्यान्नों का आबंटन राजसहायता प्राप्त मूल्यों पर किया जाता है। यह आबंटन राज्य में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की संख्या के अनुपात के लिए 20 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह किया जाता है। गरीबी रेखा से ऊपर रहने वाले परिवारों को खाद्यान्नों का आवंटन विगत में हुए औसत वार्षिक उठान के आधार पर किया जाता है। केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों की उपलब्धता और खाद्य राजसहायता की बाधाओं की शर्त के अध्यधीन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अतिरिक्त आबंटन भी किये जा रहे हैं। जून, 1997 में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू करने से पूर्व पहले की संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली सहित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्नों का आबंटन मांग, उठान प्रवृत्ति, केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों की उपलब्धता, खुले बाजार में चल रहे मूल्यों और अन्य संगत घटकों पर आधारित था।

[अनुवाद]

इज़राइल के साथ व्यापार

3207. श्री जी.एम. बनातवाला: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इजराइल के साथ कोई द्विपक्षीय व्यापार होता है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इज़राइल के साथ कुल कितना आयात-निर्यात हुआ;

(ग) आयात और निर्यात की प्रमुख मदें कौन-कौन सी हैं;

(घ) क्या इजराइल के साथ व्यापार को बढ़ावा देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) और (ख) जी, हाँ। गत तीन वर्षों के दौरान भारत इजराइल के बीच द्विपक्षीय व्यापार निम्नानुसार रहा है:

(मिलियन अमरीकी डालर में)

	1997-98	1998-99	1999-2000
भारत से निर्यात	332.21	354.70	506.16
भारत द्वारा आयात	329.00	337.40	560.65

(ग) इजराइल को किए गए निर्यात की मुख्य मदों में शामिल हैं रत्न एवं आभूषण, कॉटन यार्न, फैब्रिक मेड अप्स, काजू। इजराइल से आयात की जाने वाली मुख्य मदों में शामिल हैं मोती कीमती, अर्द्ध कीमती पत्थर, उर्वरक विनिर्मित, उर्वरक, अपरिष्कृत, कार्बनिक रसायन, परियोजना सामान।

(घ) और (ङ) द्विपक्षीय व्यापार की मात्रा को बढ़ाने के लिए दोनो पक्षों ने व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में भागीदारी करने, उद्योग और व्यापार मे जुड़े व्यक्तियों के साथ बातचीत बढ़ाने, सरकारी शिष्टमण्डलों तथा व्यापारिक शिष्टमण्डलों के दौरे आयोजित करने, इजराइली मीडिया में भारत के बारे में विज्ञापन देने और द्विपक्षीय सहयोग के लिए क्षेत्रों को अभिज्ञात करने तथा भारत-इजराइल संयुक्त समिति की बैठकों में विचार-विमर्श के जरिए व्यापार करने में आ रही समस्याओं को हल करने जैसे उपायों का प्रस्ताव किया है।

संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा देना

3208. **श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार:** क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में पर्वतीय क्षेत्रों में संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा देने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में कौन से कार्यक्रम तैयार किये गये हैं;

(ग) कैलाश मानसरोवर यात्रा को और आरामदेह बनाने और तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, और

(घ) अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) जी, हां।

(ख) लेह-लद्दाख में हेमिस, कुल्लू घाटी में दशहरा, ऋषिकेश गढ़वाल में योग उत्सव जैसे त्यौहारों का संवर्धन तथा ट्रेकिंग, पर्वतारोहण, रीवर राफ्टिंग आदि का संवर्धन।

(ग) पिथौरागढ़ में लिपुलेख होते हुए पारम्परिक मार्ग से कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान विभिन्न केन्द्रीय एवं राज्य अभिकरणों के सहयोग से विदेश मंत्रालय द्वारा समर्थन दिया जाता है। तीर्थयात्रियों की सुविधा और सुरक्षा कार्य पर कुमायूं मंडल विकास निगम और राज्य सरकार द्वारा ध्यान दिया जाता है।

(घ) इस संदर्भ में जो उपाय किए गए हैं, वे हैं-मेले एवं उत्सवों के आयोजन के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता, मीडिया और यात्रा अभिकर्ताओं के लिए पहाड़ी क्षेत्रों की यात्रा का संचालन ताकि ये क्षेत्र भी पर्यटकों में लोकप्रिय बन सकें, साहसिक पर्यटन का संवर्धन आदि।

तम्बाकू उत्पादकों को सहायता

3209. **श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदश के 21 नीलामी स्थलों से तम्बाकू खरीद की समीक्षा करते वक्त उन्होंने जुलाई, 2000 में एक उच्चस्तरीय बैठक बुलाई थी;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उन्होंने तम्बाकू बोर्ड को वर्तमान एक पाली के स्थान पर दो पालियों के लिए निर्देश दिया था ताकि तम्बाकू की खरीद 2 मिलियन कि.ग्रा. से अधिक हो सके;

(घ) यदि हाँ, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तम्बाकू उठाने के लिए सरकार ने राज्य सरकार को कितनी सहायता की;

(ङ) विनिर्माताओं को कुल कितनी मात्रा में तम्बाकू उपलब्ध कराया गया और राज्य व्यापार निगम (एस टी सी) ने कितनी मात्रा में खरीद की तथा विदेशी खरीददारों की कितनी मांग पूरी की गई; और

(च) तम्बाकू उत्पादकों की समस्याओं के समाधान हेतु उन्हें कितनी सहायता दी गई?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) आंध्र प्रदेश में जुलाई, 2000 के महीने में तम्बाकू की खरीद की समीक्षा करने के लिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के साथ कोई बैठक नहीं की गई थी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) तंबाकू बो.ई ने निम्न ग्रेड तंबाकू के लिए न्यूनतम समर्थन कीमत (एम एस पी) पर खरीद का काम तब शुरू करने का निश्चय किया जब संगत ग्रेडों की कीमतें न्यूनतम समर्थन कीमत से कम हो गई थी और उसने 7.8.2000 तक 12.08 रुपए प्रति किग्रा. की औसत दर से 27.432 किलोग्राम की खरीद की है।

(ङ) दिनांक 7.8.2000 की स्थिति के अनुसार, विनिर्माताओं, निर्यातकों, एस टी सी इत्यादि द्वारा 79.30 मिलियन किग्रा. कुल मात्रा की खरीद की गई है।

(च) किसानों की सहायता के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(1) भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमि. (एस टी सी) को निर्देश दिया गया था कि वह अधिक आपूर्ति की स्थिति में तम्बाकू की कीमतों में तेजी लाने के लिए आंध्र प्रदेश तम्बाकू नीलामी में हस्तक्षेप करे;

(2) विनिर्माताओं और निर्यातकों को नीलामियों में सक्रिय भाग लेने और अपनी इंगित मात्रा की खरीद करने का आग्रह किया गया था;

(3) तम्बाकू बोर्ड ने निम्न ग्रेडों की तम्बाकू की कीमतें न्यूनतम समर्थन कीमत से कम हो जाने की स्थिति में न्यूनतम समर्थन कीमत (एम एस पी) पर इन ग्रेडों की तम्बाकू की खरीद करने के लिए बाजार में प्रवेश किया;

(4) आंध्र प्रदेश तम्बाकू उपजकर्त्ता सहकारी संघ ने भी आंध्र प्रदेश सरकार के निर्देश पर बाजार में प्रतिस्पर्द्धा का सृजन करने के लिए मध्यम और निम्न ग्रेड तम्बाकू की खरीद करने के लिए 31.7.2000 से बाजार में प्रवेश कर लिया है;

(5) किसानों को अपने एफसीवी तम्बाकू को प्रसंस्कृत करने की अनुमति देना ताकि उन्हें लाभकारी कीमत प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके;

(6) ऋणों का पुनर्भुगतान माफ करना और एफ सी वी तम्बाकू के प्रसंस्करण के लिए ऋण प्रदान करना।

[हिन्दी]

बिहार में विकास परियोजनाओं के लिए विदेशी सहायता

3210. श्री राजो सिंह: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत पांच वर्षों के दौरान बिहार को विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस सहायता राशि के उपयोग का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) और (ख) विवरण संलग्न है।

विवरण

दाता करेंसी आंकड़े मिलियन तथा करोड़ रुपये में

क्र.सं.	परियोजना का नाम	अनुमोदन/ अंतिम तारीख	दाता	करेंसी	ऋण/ अनुदान की राशि (डीसी)	उपयोग (डीसी/रुपए) 1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-00	जोड़
1.	बिहार पठार विकास	17.12.1992	आईडीए	अमरीकी डालर	117.00	6.78	5.85	13.60	23.69	20.56	70.48
		30.6.2000		रुपया	-	23.05	20.92	50.08	100.35	88.87	283.27
2.	सहकारिता ग्रामीण भंडारण केन्द्र	24.2.1988	ईसी	यूरो	21.20	4.01	0.04	0.02	0.00	0.00	4.07
		31.3.2000		रुपया	-	17.98	0.16	0.07	0.00	0.00	18.21
3.	डीपीईपी-III	23.2.1998	आईडीए	अमरीकी डालर	152.00	0.00	0.00	4.50	7.89	8.56	20.95
		30.9.2003		रुपया	-	0.00	0.00	17.75	33.45	37.14	88.34
4.	पूर्वी गंधक नहर पन-बिजली परियोजना	26.12.1984	जापान	जापानी येन	1628.00	0.00	9.10	0.00	0.00	0.00	9.10
		30.6.1996		रुपया	-	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30
5.	बिहार विद्युत क्षेत्र पुनर्संरचना (पीपीएफ)	14.3.1994	आईबी आरडी	अमरीकी डालर	1.50	0.00	0.40	0.00	0.23	0.00	0.62
		31.3.1998		रुपया	-	0.00	1.41	0.00	0.90	0.00	2.31
	जोड़ (करोड़ रुपए)					41.03	22.79	67.90	134.70	126.01	392.13

भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों के यहां आयकर छापे

3211. **श्री अमर राय प्रधान:**
श्री चन्द्रकांत खैरे:
श्री मोहन रावले:
श्री श्रीप्रकाश जायसवाल:
श्री जी.जे. जावीया:
श्री आर.एस. पाटिल:
श्री शीशराम सिंह रवि:
श्री रघुनाथ झा:
श्री ए. कृष्णास्वामी:
श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी:
श्री विलास मुत्तेमवार:
श्री चन्द्रनाथ सिंह:
श्री जी.एस. बसवराज:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आयकर विभाग ने हाल ही में प्रमुख क्रिकेट खिलाड़ियों/भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अधिकारियों/सट्टेबाजों आदि के घरों पर छापे मारे थे;

(ख) यदि हां, तो स्थान-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन छापों का क्या परिणाम रहा;

(घ) इन छापों के दौरान प्रत्येक आवास से कितने मूल्य की सम्पत्ति या आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए; और

(ङ) इन छापों के बाद सरकार का क्या कार्रवाई करने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) आयकर अधिनियम की धारा 132 के अंतर्गत कुछ क्रिकेट खिलाड़ियों और उनसे जुड़े व्यक्तियों के घरों की तलाशियां ली गई हैं।

(ख) से (ङ) ये तलाशियां संलग्न विवरण में उल्लिखित व्यक्तियों पर दिल्ली, मुम्बई, कलकत्ता, बंगलौर, अहमदाबाद, हैदराबाद, पटियाला, चण्डीगढ़ में ली गई हैं। लगभग चार करोड़ रु. मूल्य की परिसम्पत्तियां, जब्त की गई हैं। जब्त किए गए कागजात और दस्तावेजों की जांच की जा रही है। विधि के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई आरंभ कर दी गई है।

विवरण

क्रिकेट खिलाड़ी

1. मोहम्मद अजहरुद्दीन
2. अजय जडेजा
3. कपिल देव
4. निखिल चौपड़ा
5. मनोज प्रभाकर
6. अजय शर्मा
7. नवजोत सिंह सिद्धू

क्रिकेट प्रशासक

1. जगमोहन डालमिया
2. किशोर रूंगटा

सहयोगी

1. मार्क मसकरेनहास
2. वी. चामुण्डेश्वर नाथ
3. धर्मपाल सिंह मल्होत्रा एवं सुरिन्दर कौर मल्होत्रा
4. हीरेन-डी-हाथी
5. शोभन मेहता
6. रतन मेहता और मोना मेहता
7. दीपक कुमार, युधिष्ठिर कुमार और ज्योति कुमार
8. हंस कुमार जैन और राजेश कुमार जैन
9. मुकेश गुप्ता
10. करून दुबे
11. सुश्री ताप्ती अहूजा
12. आनन्द सक्सेना
13. मनमोहन खट्टर
14. प्रशांत कुमार दाश
15. प्रवीन कुमार गुप्ता और अतुल गुप्ता
16. मैसर्स कमला रेडियो, दीपक कुमार

रिश्तेदार

1. पी.एम. रूंगटा
2. सुश्री संगीता बिजलानी
3. मोती लाल बिजलानी
4. दीपक एम रिनदानी
5. सुश्री शान सी.पी. (श्री दौलत सिंह जडेजा की पत्नी)
6. सुश्री शारदा भाटिया
7. सुश्री शाश्वती आनन्द

भारतीय प्रैस परिषद् को न्यायिक शक्तियां

3212. **श्री जितेन्द्र प्रसाद:** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय प्रैस परिषद् ने सरकार से यह सिफारिश की है कि उसे न्यायिक शक्तियां प्रदान की जायें ताकि परिषद् के निर्णय की अवहेलना करने वाले समाचार संगठनों पर मुकदमा चलाया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) जी, हां।

(ख) भारतीय प्रेस परिषद ने प्रेस परिषद अधिनियम में संशोधन के माध्यम से अवमानना के विरुद्ध दण्डात्मक अधिकार प्रदान करने का अनुरोध किया है। प्रेस परिषद ने प्रस्ताव किया है कि प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा-14 या 15 के अंतर्गत इसके निर्देशों के अनुपालन न करने या अपूर्ण अथवा अपर्याप्त अनुपालन करने को परिषद की अवमानना माना जायेगा। ऐसी अवमानना के मामले में प्रेस परिषद को वही न्यायाधिकार शक्तियां तथा प्राधिकार प्राप्त होगें और वह उनका उपयोग कर सकेगी जो एक उच्च न्यायालय को उसकी अवमानना के मामले में प्राप्त हैं तथा जिनका उसके द्वारा उपयोग किया जा सकता है। इस प्रयोजनार्थ न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 (91 का 70) के प्रावधानों को इस संशोधन के साथ लागू किया जाएगा कि उसमें उच्च न्यायालय के लिए उल्लेखों को भारतीय प्रेस परिषद के लिए उल्लेखों सहित के रूप में माना जाएगा।

यह प्रस्ताव विधायी संशोधन के लिए है जिसके लिए अन्त: मंत्रालयीय परामर्श आवश्यक है।

सीमेंट का उत्पादन

3213. **प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलू:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अप्रैल से जून, 2000 के बीच छ: महत्वपूर्ण क्षेत्र के उद्योगों में 8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई;

(ख) क्या सीमेंट उद्योग में इस अवधि के दौरान उत्पादन में भारी गिरावट आई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या कोई सुधारात्मक उपाय किये जा रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) जी, हां। अप्रैल-जून, 2000 के दौरान छ: अवसंरचना उद्योगों में 8 प्रतिशत वृद्धि हुई है।

(ख) जी, नहीं। सीमेंट उद्योग ने अप्रैल-जून, 2000 के दौरान 27.03 मिलियन टन का उत्पादन प्राप्त किया है जो पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 26.02 मिलियन टन था।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

पर्यटन संबंधी मानचित्र

3214. **श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयप्पन:** क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सभी महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों सहित पर्यटन संबंधी मानचित्रों को पुन: तैयार कर रही है ताकि पर्यटक इन मानचित्रों का बेहतर उपयोग कर सकें;

(ख) यदि हां, तो क्या इसमें सैरगाहों, स्मारकों, मंदिरों तथा पुरातत्व और ऐतिहासिक महत्व के सभी महत्वपूर्ण स्थलों को मानचित्रों में शामिल किये जाने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) से (ग) जी, हां। पर्यटन विभाग समय-समय पर आवश्यकतानुसार महत्वपूर्ण पर्यटक गंतव्य स्थलों के पर्यटक मानचित्र तैयार करवाता है। इन मानचित्रों के माध्यम से पर्यटकों को उपयोगी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और अन्य सूचनाएं उपलब्ध होती हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बिहार में प्राचीन सभ्यता के अवशेषों की खोज

3215. श्री निखिल कुमार चौधरी: क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और सोनाघाटी पुरातत्व परिषद् के सदस्यों से बनी संयुक्त टीम ने बिहार के औरंगाबाद जिले के बारे में और पलामू जिले में कबरा-कालन में प्राचीन सभ्यता के अवशेषों की खोज की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उपरोक्त सभ्यता की अवधि क्या है; और

(ग) वर्तमान सरकार द्वारा पुरातात्विक महत्व के उपरोक्त स्थलों के संरक्षण और सुरक्षा हेतु क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) और (ख) जी, हाँ। खोज से बिहार के औरंगाबाद जिला में नौर तथा पलामू जिला में कबरा-कालन में प्राचीन स्थल प्रकाश में आए हैं, इन दोनों बहु-सांस्कृतिक टीलों से क्रमश: पहले में ताम्रपाषाणकालीन मृदभांड और बाद वाले में घिसे तथा पालिश किए हुए पत्थर के औजारों के अलावा पूर्व-ऐतिहासिक, गुप्त तथा मध्य काल की सामग्री भी मिली है।

(ग) उपर्युक्त स्थलों के संरक्षण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

सूखाग्रस्त/बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों के लिए विशेष कोटा

3216. श्री एन. जनार्दन रेड्डी:
मोहम्मद शहाबुद्दीन:
श्री विलास मुत्तेमवार:
श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी:
श्री अजय चक्रवर्ती:
श्री ए. वेंकटेश नायक:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल में सूखाग्रस्त/बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों विशेषरूप से गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में राहत सहायता के रूप में खाद्यान्नों का वितरण करने के लिए राज्य सरकारों को खाद्यान्नों का विशेष कोटा आवंटित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे कितने लोगों को लाभ पहुंचा है;

(ग) क्या सूखे से प्रभावित कुछ राज्यों ने केन्द्र सरकार द्वारा उन्हें आवंटित खाद्यान्न उठाने से इंकार कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार के ध्यान में इन राज्यों में खाद्य पदार्थों/खाद्यान्नों के वितरण में अनियमितताएं बरतने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है अथवा किये जाने का विचार है?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार ने केवल गुजरात, आंध्र प्रदेश और राजस्थान की राज्य सरकारों को तीन महीने (मई-जून और जुलाई, 2000) के लिए 20 किलोग्राम प्रति परिवार, प्रति माह की दर से सूखा प्रभावित परिवारों में वितरण के लिए सूखा राहत के लिए गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए लागू दर से खाद्यान्नों (चावल और गेहूं) का विशेष अतिरिक्त आबंटन किया है। सूखा प्रभावित परिवारों की संख्या और आबंटित चावल और गेहूं की मात्राएं निम्नानुसार हैं:

क्रम संख्या	राज्य	प्रभावित परिवारों की संख्या (लाख में)	चावल (टन में)	गेहूं (टन में)
1.	गुजरात	53.20	1,27,682	1,91,523
2.	आंध्र प्रदेश	66.60	3,99,600	-
3.	राजस्थान	58.58	17,573	3,33,889

कर्नाटक को सूखा राहत के लिए खाद्यान्नों का कोई विशेष आबंटन नहीं किया गया है। 31.10.2000 तक उठान करने की वैधता अवधि के साथ गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए लागू दर पर असम को बाढ़ राहत के लिए चावल की 20000 टन की मात्रा आबंटित की गई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, नहीं।

(च) और (छ) प्रश्न नहीं उठते।

तम्बाकू भंडार

3217. श्रीमती रेणूका चौधरी:
श्री कालवा श्रीनिवासुलु:
श्री माधवराव सिंधिया:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में किसानों के पास तम्बाकू का बड़ा भंडार पड़ा हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या तम्बाकू निर्माता इस भंडार को प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य पर किसानों से नहीं खरीद रहे हैं;

(घ) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार इस मामले में हस्तक्षेप करने और तम्बाकू उत्पादकों की सहायता करने हेतु इस भंडार के निर्यात की सुविधा प्रदान करने के लिए प्रभावी कदम उठाने का है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) और (ख) आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र के एफ सीवी तम्बाकू के किसानों ने 101.61 मिलियन किग्रा. प्राधिकृत फसल की तुलना में 136.68 मिलियन किग्रा. फसल का उत्पादन किया है। दिनांक 7.8.2000 की स्थिति के अनुसार इस उत्पादन में से 79.30 मिलियन किग्रा. की बिक्री 21 नीलामी मंचों पर की गई है। कर्नाटक के एफ सी वी तम्बाकू के किसानों द्वारा चालू वर्ष की अपने फसल की अभी कटाई की जानी है।

(ग) तम्बाकू विनिर्माताओं ने अब तक बेची गई एफ सी वी तम्बाकू का 42 मिलियन किग्रा. की खरीद कर ली है। यह बेची गई फसल का लगभग 52% है।

(घ) और (ङ) सरकार ने बाजार में हस्तक्षेप करने और निर्यात को आसान बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

(1) बाजार में तेजी लाने के लिए एस टी सी को बाजार में प्रवेश करने का निर्देश दिया गया था. एस टी सी ने 21 अप्रैल, 2000 से खरीद का काम शुरू किया था।

(2) तम्बाकू बोर्ड ने निम्न ग्रेडों की खरीद न्यूनतम समर्थन कीमत पर करने के लिए बाजार में प्रवेश किया है;

(3) आंध्र प्रदेश तम्बाकू उपजकर्त्ता सहकारी संघ 31.7.2000 से बाजार में प्रवेश कर चुका है;

(4) एस टी सी के प्रतिनिधियों सहित एक भारतीय तम्बाकू व्यापार शिष्टमंडल ने तम्बाकू के निर्यात के अवसरों का पता लगाने के लिए रूस का दौरा किया था। इसके अलावा, मई 2000 में एक शिष्टमंडल ने तम्बाकू के निर्यात के लिए नए बाजारों का पता लगाने के लिए वियतनाम, दक्षिण कोरिया और ताइवान का दौरा किया था। इस महीने के अंत तक एक वियतनामी शिष्टमंडल द्वारा भारत का ऐसा ही दौरा किए जाने की संभावना है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को महत्वपूर्ण दर्जा दिया जाना

3218. श्री ए. ब्रह्मनैया:
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:
श्री शिवाजी माने:
श्री राम मोहन गाड्डे:

क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विनिवेश संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति ने हाल ही में यह निर्णय लिया है कि सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का विनिवेश किये जाने का निर्णय प्रत्येक मामले की अलग-अलग जांच के आधार पर लिया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने विनिवेश के लिए निर्धारित सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के लिए "महत्वपूर्ण दर्जे" की अभिकल्पना पर विचार किया है;

(घ) यदि हां, तो "महत्वपूर्ण दर्जे" की क्या परिभाषा है;

(ङ) क्या सरकार ने प्रतिभागियों के इस दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं किया है कि तेल और भारी अभियांत्रिकी कम्पनियों को महत्वपूर्ण दर्जा दिया जाना चाहिए; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री, विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी): (क) और (ख) सरकार की विनिवेश नीति में यह स्पष्टत: कहा गया है कि जबकि सरकार सामरिक विचारणाओं वाले सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में अधिकांश धारिता बनाए रखना जारी रखेगी, सामान्यत: मामलों में सरकार की शेयरधारिता को घटाकर 26 प्रतिशत या उससे कम पर लाया जाएगा। यह निर्णय किया गया है कि सरकारी हिस्से को घटाकर 26 प्रतिशत या उससे कम करना स्वत: नहीं होगा तथा ऐसा किए जाने की पद्धति तथा गति के संबंध में उस विशिष्ट केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रम पर विनिवेश के लिए प्रस्ताव किये जाने के समय निर्णय लिया जाएगा। विनिवेश की प्रतिशतता अर्थात् सरकार के हिस्से को 51 प्रतिशत से कम अथवा 26 प्रतिशत करने के संबंध में निर्णय निम्नलिखित विचारधाराओं पर लिया जाएगा।

(1) क्या औद्योगिक क्षेत्र को निजी हाथों में सत्ता के संकेन्द्रण को रोकने के लिए एक प्रतिकारी बल के रूप में सरकारी क्षेत्र की उपस्थिति की आवश्यकता है; तथा

(2) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का निजीकरण किये जाने के पूर्व उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए औद्योगिक क्षेत्र को एक उचित विनियामक प्रविधि की आवश्यकता है।

(ग) और (घ) यह निर्णय किया गया है कि सामरिक सरकारी क्षेत्र के उद्यम निम्नलिखित क्षेत्रों में होंगे:

(1) शस्त्र तथा गोलाबारूद तथा रक्षा उपकरणों की संबद्ध मदें, रक्षा विमान तथा युद्धपोत।

(2) परमाणु ऊर्जा (नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन तथा विकिरण तथा रेडियो आइसो टोप का कृषि चिकित्सा तथा सामरिक भिन्न उद्योगों में अनुप्रयोग से संबधित क्षेत्रों को छोड़कर)

(3) रेल परिवहन।

(ङ) और (च) तेल तथा भारी इंजीनियरिंग क्षेत्रों में प्रचालन करने वाली कम्पनियां भी विनिवेश नीति के अंतर्गत शामिल हैं, जैसाकि ऊपर कहा गया है।

एल.आई.सी. द्वारा मणिपुर को वित्तीय सहायता दिया जाना

3219. श्री होलखोमांग हौकिप: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और आज तक जीवन बीमा निगम द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के लिए मणिपुर को परियोजना-वार कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है; और

(ख) जीवन बीमा निगम का मणिपुर को निकट भविष्य में किन परियोजनाओं के लिए सहायता दिए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) गत तीन वर्षों के दौरान जीवन बीमा निगम द्वारा मणिपुर में किए गए निवेश का विवरण निम्नलिखित है:

(करोड़ रुपए)

	श्रेणी	1997-98	1998-99	1999-2000
1.	राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	3.00	12.50	11.00
2.	निम्नलिखित को ऋण:			
	सामाजिक आवास योजनाओं के लिए राज्य सरकार को			

(ख) चालू वर्ष में, योजना आयोग द्वारा किया गया आबंटन जीवन बीमा निगम को प्राप्त नहीं हुआ है। आबंटन की प्राप्ति के बाद ही जीवन बीमा निगम सहायता के संबंध में निर्णय लेगा।

[हिन्दी]

खाद्यान्नों का भंडारण

3220. **श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी:**
श्री सुन्दरलाल तिवारी:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** दिनांक 24 फरवरी, 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 31 के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत वर्ष के दौरान केन्द्रीय भण्डारण निगम को खाद्यान्नों के भंडारण हेतु प्रतिमाह कुल कितना भुगतान किया जा रहा है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान खराब हुए खाद्यान्नों के लिए केन्द्रीय भण्डारण निगम से कितनी क्षतिपूर्ति राशि वसूल की गई;

(ग) खाद्यान्नों के भण्डारण में प्रति बोरी कितनी हानि होती है और इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार खाद्यान्नों के भण्डारण में निजी क्षेत्र की सहायता लेने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) वर्ष 1999-2000 में केन्द्रीय भण्डारण निगम ने खाद्यान्न स्टाक के भंडारण के लिए भारतीय खाद्य निगम से 5320.06 लाख रुपये की राशि वसूल की थी। वसूल किए गए भंडारण प्रभारों के माह-वार ब्यौरे निम्नानुसार है:

वर्ष 1999-2000 के दौरान भारतीय खाद्य निगम से वसूल की गई राशि

माह	राशि (लाख रुपये में)
1	2
4/99	272.55
5/99	263.34
6/99	287.38
7/99	408.39
8/99	430.49
9/99	312.07
10/99	357.62
11/99	248.63
12/99	400.69
1/2000	406.62
2/2000	695.33
3/2000	1236.95
जोड़	5320.06

(ख) शून्य।

(ग) प्रति बोरी भंडारण हानि का हिसाब नहीं लगाया जाता है लेकिन इनकी प्रति माह चट्टे-वार गणना की जाती है और प्रत्येक मामले के गुण-दोष के आधार पर भारतीय खाद्य निगम द्वारा विनियमित की जाती है। भंडारण के दौरान हानि को नियंत्रित करने के लिए केन्द्रीय भंडारण निगम निम्नलिखित उपाय करता है:

1. अनुमोदित चट्टा प्लान के अनुसार उपयुक्त डनेज का इस्तेमाल करते हुए स्टाक को वैज्ञानिक और भंडारण-योग्य गोदामों में रखा जाता है।
2. प्रत्येक .पखवाड़े में स्टाक का निरीक्षण किया जाता है और कीट जन्तुबाधा के नियंत्रण के लिए आवश्यक आतंचन रोधी और रोगहर उपाय किये जाते हैं।
3. पक्षियों और कृतंकों के कारण होने वाली हानि के नियंत्रण के लिए आवश्यक उपाय किये जाते हैं।

(घ) और (ङ) हाल ही में, सरकार ने हैंडलिंग, भंडारण और बुलाई संबंधी राष्ट्रीय नीति की घोषणा की है जिसमें भंडारण क्षमताओं के सृजन में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने की परिकल्पना की गई है। इस संबंध में 4 जुलाई, 2000 को जारी किये गये संकल्प की प्रति विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

भारत के राजपत्र के भाग 1 खण्ड 1 में प्रकाशनार्थ
टी.एफ.सी.-14/99-वाल्यूम-3
भारत सरकार
उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
सार्वजनिक वितरण विभाग

कृषि भवन, नई दिल्ली दिनांक 4 जुलाई, 2000

संकल्प

फार्म और वाणिज्यिक स्तर पर खाद्यान्नों की भंडारण और मार्गस्थ हानियों को कम करने, भारतीय खाद्य निगम द्वारा वसूल किए गए खाद्यान्नों की हैंडलिंग, भंडारण और ढुलाई की प्रणाली को आधुनिक बनाने और निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से अतिरिक्त संसाधन लाने के लिए सरकार ने खाद्यान्नों की हैंडलिंग, संग्रह और ढुलाई के लिए एक राष्ट्रीय नीति का अनुमोदन किया है जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:

1. *नीति के उद्देश्य*

इस नीति के मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार है:

(1) फार्म स्तर पर खाद्यान्न के कुल उत्पादन का लगभग 70 प्रतिशत भाग रखा जाता है और इसका उपभोग किया जाता है। इसी फार्म स्तर पर भंडारण और मार्गस्थ हानियों में कमी करना और किसानों को वैज्ञानिक भंडारण विधियाँ अपनाने के लिए प्रोत्साहित भी करना।

(2) भारतीय खाद्य निगम द्वारा वसूल किए गए खाद्यान्नों की हैंडलिंग, भंडारण और ढुलाई की प्रणाली को आधुनिक बनाना।

(3) देश में खाद्यान्नों की बल्क हैंडलिंग, भंडारण और ढुलाई शुरू करने के लिए बुनियादी सुविधाओं को उपलब्ध करवाना और इसके प्रचालन के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में घरेलू और विदेशी स्तर पर प्रयासों में तेजी लाना और संसाधनों का इस्तेमाल करना।

2. *घरेलू भंडारण के लिए नीति*

2.1 चूंकि घरों में कुल उत्पादन का लगभग 70 प्रतिशत भाग रखा जाता है और अनुपयुक्त भंडारण के कारण फार्म स्तर पर खाद्यान्नों की काफी मात्रा बर्बाद हो जाती है इसलिए फार्म स्तर पर भंडारण मानकों में सुधार करने पर प्रमुख ध्यान देना होगा। वर्तमान में, इस जरूरत को लक्षित करने वाली एकमात्र योजना अन्न सुरक्षा अभियान है जो धात्विक और गैर-धात्विक भंडारण ढांचों के प्रयोग को लोकप्रिय बनाता है और भंडारण की वैज्ञानिक विधियों को अपनाने के लिए किसानों को शिक्षित करता है। योजना का उद्देश्य गैर-धात्विक परम्परागत भंडारण ढांचों का विकास करना/इनमें सुधार करना भी है।

2.2 इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण सफलता हासिल करने के लिए निम्नलिखित प्रोत्साहनों की आवश्यकता है:

(1) वैज्ञानिक फार्म स्तर पर धात्विक और गैर-धात्विक भंडारण ढांचों को बढ़ावा देना और उपयुक्त वित्तीय प्रोत्साहनों के साथ सामुदायिक स्तर पर आर.सी.सी. बिनों के निर्माण के लिए योजना शुरू करना।

(2) खाद्यान्नों के वैज्ञानिक भंडारण और परिरक्षण तथा किसानों के बीच उनके प्रचार के लिए अन्न सुरक्षा अभियान के मौजूदा अनुसंधान और प्रशिक्षण घटकों को सुदृढ़ बनाना।

3. *अनाज की बल्क हैंडलिंग ढांचे का आधुनिकीकरण और उच्च श्रेणीकरण*

3.1 भंडारण हानियों को कम करने के लिए भारत में समन्वित बल्क हैंडलिंग, भंडारण और ढुलाई के ढांचे का विकास करना और इसका आधुनिकीकरण करना आवश्यक है। नीति निम्नलिखित पर केन्द्रित होनी चाहिए:-

(1) फार्म और मंडी स्तर पर यंत्रीकृत कटाई, सफाई और शुष्कन को बढ़ावा देना।

(2) विशेष रूप से डिजाइन किए गए ट्रकों द्वारा फार्म से साइलो तक अनाज की ढुलाई करना।

(3) वसूली और वितरण केन्द्रों पर साइलो की श्रृंखला का निर्माण करना।

(4) विशेष रूप से डिजाइन किए गए ट्रकों/रेल वैगनों (टाप फिलिंग और बॉटम डिस्चार्ज सुविधा सहित)/ "डेडीकेटिड" रेल गाड़ियों द्वारा साइलो से रेल शीर्षों तक और उसके बाद पूर्व निर्धारित गंतव्य तक अनाज की ढुलाई।

(5) खाद्यान्न भंडारण की अवसंरचना के रूप में घोषणा करना।

3.2 भारतीय खाद्य निगम द्वारा वसूल खाद्यान्नों के भंडारण के लिए गेहूं के लिए विशाल क्षमता के साइलो सहित समन्वित बल्क हैंडलिंग सुविधाएं, जिनमें गुणवत्ता नियंत्रण के लिए परीक्षण सुविधाएं होंगी, उत्पादक और उपभोक्ता क्षेत्रों तथा कुछेक पत्तन शहरों में

पहचान किए गए लगभग 20 केन्द्रीय स्थलों पर सृजित की जाएगी। इन केन्द्रों तक बल्क ढुलाई के ढांचे सहित इन सुविधाओं का सृजन भारतीय खाद्य निगम के समग्र सहयोग के तहत निजी क्षेत्र में किया जाएगा और इसका रख-रखाव भी निजी क्षेत्र द्वारा किया जाएगा। ''टाप फिलिंग'' और ''बॉटम डिस्चार्ज'' विशेष डिब्बों की डिजाइन के बारे में निर्णय रेल मंत्रालय से परामर्श करते हुए लिया जाएगा। इन स्थलों और सर्किटों, जहां इन डिब्बों का इस्तेमाल किया जाएगा, का निर्णय लेते समय रेल मंत्रालय से भी परामर्श किया जाएगा। भारतीय खाद्य निगम पहले दस वर्षों के लिए इन सुविधाओं की 100 प्रतिशत तक उपयोग और अगले 10 वर्षों के लिए 75 प्रतिशत तक उपयोग की गारंटी देगा। इन बिन्दुओं से खाद्यान्नों की अनुषंगी ढुलाई विभिन्न राज्यों में महत्वपूर्ण केन्द्रीय स्थलों में भारतीय खाद्य निगम द्वारा स्वामित्व में रखे और रख-रखाव किए जाने वाले लगभग 500 गोदामों को बोरियों के रूप में की जाएगी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खुदरा वितरण के लिए उपभोक्ता केन्द्रों तक आगे ढुलाई राज्य सरकारों द्वारा की जाएगी।

3.3 निजी क्षेत्र को भंडारण क्षमताओं का विकास करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा जिनमें वे सरकारी एजेंसियों द्वारा वसूल खाद्यान्नों का भंडारण और इनका रख-रखाव करेंगे जिनके लिए वे भंडारण प्रभारों के लिए पात्र होंगे।

3.4 निम्नलिखित के माध्यम से समन्वित बल्क हैंडलिंग, भंडारण और ढुलाई के लिए ढांचे के विकास के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी मांगी जाएगी और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा।

(1) ''बिल्ड-ऑन-आपरेट-ट्रांसफर'', ''बिल्ड-ऑन-लीज-ट्रांसफर'', ''बिल्ड-ऑन-आपरेट'', ''लीज-डेवलप-आपरेट'', ''ज्वाइंट वेंचर'' आदि जैसे उपाय।

(2) निजी उद्यमियों द्वारा सार्वजनिक निर्गमों के माध्यम से निधियों का सृजन।

(3) 100 प्रतिशत तक सीधे बाह्य निवेश के लिए स्वत: मंजूरी।

(4) वित्तीय संस्थाओं, नाबार्ड, बाहरी वाणिज्यिक उधारियों से ऋण।

(5) राजकोषीय प्रोत्साहन जैसाकि नीचे दिए गए हैं:

(क) पहले पांच वर्षों के लिए आयकर के प्रयोजन के लिए लाभ 100 प्रतिशत कटौती और अगले पांच वर्षों के लिए लाभ में 30 प्रतिशत कटौती।

(ख) ऐसी परियोजनाओं को वित्त पोषित करने वाले वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्राप्त लाभों में 40 प्रतिशत लाभ की कटौती करना जैसा कि अन्य बातों के साथ-साथ कृषिगत विकास के लिए दीर्घकालीन वित्त पोषण करने के कार्य में लगे वित्तीय निगमों के लिए व्यवस्था की गई है।

(ग) भारत में न बनाई गई वस्तुओं के लिए मामला-दर-मामला आधार सीमा-शुल्क से छूट प्रदान करना बशर्ते ऐसे उपकरणों की सूची अग्रिम रूप से प्रस्तुत की जाए।

4. पत्तनों पर अवसंरचनात्मक ढांचे संबंधी सुविधाओं का विकास

परंपरागत रूप से भारत खाद्यान्नों का आयात करता रहा है। अत: पत्तन संबंधी अवसंरचनात्मक सुविधाएं केवल अनाज के उतरान प्रचार के लिए ही है, निर्यात के लिए नहीं। उतरान प्रचालन के लिए सामान्य रूप से जहाज के गियर का उपयोग किया जाता है। जवाहर लाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट पर उपलब्ध अद्यतन आंतरिक सुविधाएं केवल आयात के प्रयोजन के लिए ही सृजित की गई हैं। बड़े पत्तनों पर सामान्य माल उतारने के लिए बर्थ की कमी है और पत्तन पर खाद्यान्नों के भंडारण के लिए भांडागारण सुविधाएं बहुत कम उपलब्ध है। निर्यात के प्रयोजनार्थ खाद्यान्नों हेतु यथा समय उचित पत्तन की सुविधाएं सृजित करने के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाएं विकसित करनी होंगी, जिसके लिए निम्नलिखित कार्रवाई अपेक्षित है:

(1) खाद्यान्नों निर्यात हेतु ऐसे पत्तनों की पहचान की जाए जिन्हें विकसित किया जा सके। खाद्यान्नों के वितरण हेतु खाद्यान्नों के यातायात का वितरण ऐसे अपरंपरागत पत्तनों पर किया जाए जहां पर अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध है जैसे नया मैंगलोर एवं कोचीन पत्तन पर है।

(2) पत्तनों पर पत्तनों द्वारा स्वयं अथवा निजी भागीदारी से और अधिक सामान्य माल चढ़ाने-उतारने के लिए सुविधाओं का विकास करना।

(3) विकास/जल सीमाएं तथा बर्थ उन उपयोगकर्त्ताओं को लीज पर दी जाएं जो अपने लिए सुविधाएं विकसित करने के लिए प्रोत्साहित हो सकें; और

(4) चुनिंदा पत्तनों पर केवल अनाज के हैंडलिंग के लिए आधुनिक सुविधाएं विकसित करना।

केन्द्रीय सरकार की भूमिका

केन्द्रीय सरकार को चाहिए कि

(एक) एक अनुमोदन बोर्ड की स्थापना करे जो अनाज के बल्क हैंडलिंग, ढुलाई और भंडारण की परियोजनाओं को शीघ्र अनुमोदित करने हेतु सक्षम हो।

(ख) तकनीकी/वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए दूसरे देशों और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ द्विपक्षीय समझौता करें।

(ग) विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए स्टाक नियंत्रण आदेश/संचलन नियंत्रण आदेशों को समाप्त करने के लिए आवश्यक वैधानिक एवं प्रशासनिक कदम उठाएं।

(घ) सफाई, सुखाने हेतु, भंडारण एवं संचलन आदि की दरें निश्चित करने/विनियमित करने मौजूदा स्वतंत्र विनियामक कार्यप्रणाली की सेवाओं का उपयोग करें।

(ङ) अनाज के बल्क ढुलाई के लिए रेलवे की सुविधाएं उपलब्ध कराना।

(च) विनिमय भांडागारण रसीद प्रणाली को इस प्रकार प्रोन्नत करना जिससे किसान इन रसीदों के बदले बैंक से अपनी आवश्यकतानुसार कार्यकारी पूंजी/अल्पावधि आवश्यकताओं हेतु राशि उधार ले सकें एवं किसान को अपना अनाज तुरंत बाजार में न बेचना पड़े; और

(छ) निर्वात अनाज भंडारण प्रौद्योगिकी जैसी वैकल्पिक भंडारण तकनीकियों के विकास के लिए अनुसंधान प्रोन्नत करना जिससे अनाज के भंडारण की समय सीमा बढ़ाई जा सके तथा निर्वात पैकों में अनाज का निर्यात किया जा सके।

राज्य सरकार की भूमिका:

राज्य सरकारों को चाहिए कि

(क) जनहित के प्रयोजन जैसी विभिन्न परियोजनाओं के लिए जमीन का अधिग्रहण कराना, और

(ख) पानी, विद्युत मार्ग आदि जैसी अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराना।

ह./-
(बी.के. बल)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, योजना आयोग, सभी राज्य सरकारों और संघ शासित प्रशासनों के मुख्य सचिव, भारतीय खाद्य निगम और केन्द्रीय भंडारण निगम के अध्यक्ष और महाप्रबंधक को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि आम सूचना के लिए इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

ह./-
(बी.के. बल)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सेवा में

प्रबंधक,
भारत सरकार प्रेस,
फरीदाबाद

[अनुवाद]

महत्वपूर्ण अवसंरचनात्मक संतुलन योजना

3221. श्री चन्द्रकांत खैरे: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वित्त वर्षों के दौरान महत्वपूर्ण अवसंरचनात्मक संतुलन योजना के तहत निर्यात केन्द्रों में अवसंरचनात्मक कठिनाईयां दूर करने के लिए महाराष्ट्र को वर्ष-वार प्रदान की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार चालू और अगले वित्त वर्ष के दौरान निर्यात क्षेत्र में राज्य सरकार की संभावनाओं में सुधार करने के लिए कुछ अन्य कदम उठाने का है;

(ग) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय स्तर पर भी इन निर्यात केन्द्रों की निगरानी करने का है; और

(घ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान आकस्मिक बुनियादी संतुलनकारी योजना के तहत महाराष्ट्र को उपलब्ध कराई गई निधि के ब्यौरे

निम्नानुसार है:

वर्ष	परियोजना का नाम	राशि (लाख रुपए)
1997-98	उड़न-पनवेल स्टेट हाईवे का सुदृढ़ीकरण (1996-97 में जारी 250.00 लाख रुपए के अतिरिक्त)	50.00
1998-99	एक व्यापार सूचना केन्द्र की स्थापना, पुणे	5.16
1999-2000	सांताक्रुज ई पी जेड का कम्प्यूटरीकरण	16.42
	कुल	71.58

(ख) से (घ) केन्द्र सरकार भारत के सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से निर्यातों को बढ़ाने के लिए सतत आधार पर अपनी नीति और योजना तैयार करती है। सभी राज्य सरकारों को शामिल करते हुए निर्यात को एक राष्ट्रीय प्रयास बनाने के उद्देश्य से अन्य बातों के साथ-साथ राज्यों के निर्यात निष्पादन के आधार पर उन्हें सहायता प्रदान करने हेतु एक योजना तैयार की जा रही है। इस योजना के ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं।

ब्याज दरें

3222. मोहम्मद शहाबुद्दीन: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक की ब्याज दरों को न्यूनतम करने की योजना के बावजूद ब्याज दरों के बढ़ते जाने पर बैंकरों ने अपनी चिंता जाहिर की है;

(ख) यदि हां, तो मुद्रास्फीति दर और सरकार पर ऋण बढ़ते जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सत्य है कि गत छः माह के दौरान "यू.एस.फेड. रेट", "लिब्बर" और "रैपो" की दरों में वृद्धि हो रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) चालू वित्त वर्ष के दौरान मुख्य बैंक समूहों की उच्चतर ब्याज दर (पीएलआर) नीचे दर्शाए अनुसार थी:

(प्रतिशत)

पीएसआर की सीमा	जून, 2000*	मार्च, 2000
सरकारी क्षेत्र के बैंक	11.25-12.50	12.00-13.50
गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंक	10.25-15.50	10.25-16.00
विदेशी बैंक	9.75-17.50	10.50-17.50

(*जून 2, 2000 तक के आंकड़े)

तथापि, कुछ बैंकों ने जुलाई में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर एवं आरक्षित नकदी निधि अनुपात की आवश्यकता में वृद्धि करने पर अपनी उच्चतर ब्याज दरों में वृद्धि की घोषणा की है।

(ख) चालू वित्त वर्ष के दौरान, मुद्रास्फीति ने बढ़ती प्रवृत्ति नहीं दर्शायी है तथा भारत सरकार की कुल उधार की आवश्यकताओं में कोई संशोधन नहीं हुआ है।

(ग) पिछले 6 महीनों के दौरान यूएस ऐड फंड रेट, लिब्बर एवं रेपो रेट की प्रवृत्तियां नीचे दी गई हैं:

तारीख	फेड फंड दर अंतित	लिब्बर (साप्ताहिक) औसत	रेपो दर*
जनवरी, 2000	5.50	5.86	6.00
फरवरी, 2000	5.75	5.83	6.00
मार्च, 2000	6.80	6.13	6.00
अप्रैल, 2000	6.00	6.12	5.00
मई, 2000	6.50	6.62	5.00
जून, 2000	6.50	6.64	5.00**

टिप्पणी: *माह की समाप्ति पर रेपो दर से अभिप्राय रेपो नीलामी की नियत दर से है।

**जून 4, 2000 तक रेपो दर 5 प्रतिशत नियत की गई थी। जून 5, 2000 से परिवर्ती दर नीलामी आधार पर चल निधि समायोजन सुविधा शुरू की गई थी।

(घ) बैंक ऋण पर ब्याज दर से संबंधित निर्णय बैंक स्वयं अपनी निधियों की लागत, संचालन लागत एवं गैर बैंकिंग क्षेत्र में प्रभावी ब्याज दरों को ध्यान में रखकर करते हैं जिससे पूरी तरह से उनके अपने क्षेत्राधिकार में आ जाता है और सरकार की इसमें कोई अन्तर्ग्रस्तता नहीं रहती है।

[हिन्दी]

जर्मन कम्पनी को व्यापार मेले की अनुमति

3223. श्री रामदास आठवले:
श्री रामशेठ ठाकुर:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन ने नियमों और विनियमों का उल्लंघन करते हुए एक जर्मनी कम्पनी को नई दिल्ली में व्यापार मेला आयोजित करने की अनुमति दी है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या आई टी पी ओ की इस कार्यवाही से विदेशी बाजारों में हस्तशिल्प उद्योग को बढ़ावा देने के भारतीय निर्यात संवर्धन परिषद् के प्रयासों को धक्का पहुँचा है; और

(ग) यदि हाँ, तो उक्त व्यापार मेले के आयोजन की अनुमति देने में नियमों का उल्लंघन करने के लिए आई टी पी ओ के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) से (ग) जी, नहीं। इंडिया ट्रेड प्रोमोशन आर्गेनाइजेशन (आई टी पी ओ) ने प्रगति मैदान में 5-8 अक्तूबर, 2000 से मैस्से फ्रेंकफर्ट ट्रेड फेयर्स इंडिया प्रा. लि. के साथ मिलकर हीमटैक्सटिल टेक्स-स्टाइल्स इंडिया फेयर के साथ-साथ एम्बीन्टे इंडिया फेयर के आयोजन के लिए 1999 में योजना बनाई थी। बाद में हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद् (ई पी सी एच) ने भारतीय हस्तशिल्प और गिफ्टवेयर मेले (आटम फेयर) के आयोजन के लिए आवेदन किया। वस्तुत: दिशानिर्देशों में यह शर्त है कि एक समान उत्पाद समूहों के लिए मेलों का आयोजन बहुत समीप नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन ई पी सी एच के इस मेले के आयोजन की अनुमति हस्तशिल्प क्षेत्र के हित में विशेष मामले के रूप में दी गई थी।

[अनुवाद]

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों द्वारा सामान का मूल्यांकन

3224. श्री रघुनाथ झा: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने मार्च, 1999 को समाप्त हुए वर्ष की अपनी रिपोर्ट के पृष्ठ संख्या 44-46 में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों द्वारा सहायक इकाइयों को भेजे गये माल का गलत मूल्यांकन करने की बात की ओर ध्यान दिलाया है जिसके कारण करोड़ों रुपये शुल्क के रूप में कम अदा किए गए;

(ख) क्या उनके मंत्रालय ने इस संबंध में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियों का उत्तर नहीं दिया है;

(ग) यदि हाँ, तो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 के प्रावधानों को क्रियान्वित न करने के क्या कारण हैं जिससे देश को प्रतिवर्ष करोड़ों रुपयों का नुकसान उठाना पड़ रहा है;

(घ) क्या इस संबंध में किसी अधिकारी की जिम्मेदारी निर्धारित नहीं की गई है और न ही किसी के साथ सख्ती बरती गइ है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) जी, हां।

(ख) मंत्रालय द्वारा इस संबंध में नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा की गई सभी टिप्पणियों का उत्तर पहले ही से दे दिया गया है।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) ऐसी सभी मामलों में सरकार के अधिकारियों की जिम्मेदारी निश्चित की जाती है जहां राजस्व हानि सिद्ध हो जाती है तथा जहां यह अधिकारियों की त्रुटियों के कारण हो।

भारतीय पर्यटन वित्त निगम

3225. श्री रतन लाल कटारिया: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय पर्यटन वित्त निगम ने निधियों के संवितरण हेतु क्या मानदंड अपनाए हैं और इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश क्या हैं;

(ख) भारतीय पर्यटन वित्त निगम ने हरियाणा की कौन-कौन सी पर्यटन संबंधी परियोजनाओं के लिए धनराशि प्रदान की है;

(ग) क्या सरकार को भारतीय पर्यटन वित्त निगम द्वारा धनराशि के संवितरण/स्वीकृति में अनियमितताओं संबंधी कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) जैसाकि भारतीय पर्यटन वित्त निगम लि. (टीएफसीआई लि.) ने सूचित किया है कि टीएफसीआई द्वारा निधियों के संवितरण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विशेष रूप से कोई मार्गनिर्देश जारी नहीं किए गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित सामान्य विवेकपूर्ण विनियम और एक्सपोजर मानदंडों के अनुसार ऋण कागजातों के निष्पादन और बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार संवितरण पूर्व शर्तों का अनुपालन होने पर सहायता प्राप्त प्रतिष्ठानों को टीएफसीआई द्वारा संवितरण किया जाता है।

(ख) टीएफसीआई ने हरियाणा राज्य में छः परियोजनाओं को कुल 4953 लाख रु. की वित्तीय सहायता मंजूर की है।

(ग) और (घ) सरकार को यह शिकायत प्राप्त हुई है। उसकी जांच की जा रही है।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों को नए दिशानिर्देश

3226. डा. जसवंत सिंह यादव: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए मानदंडों को सरल बनाने संबंधी नए दिशानिर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप लोगों के किस हद तक लाभान्वित होने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जनवरी, 1998 में एक नए नियामक ढांचे की घोषणा की गई थी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल वित्तीय रूप से सुदृढ़ और बेहतर कार्यनिष्पादन वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को ही जनता को जमाराशियों तक पहुंच की अनुमति दी जाए। उद्योग प्रतिनिधियों के साथ किए गए विचार-विमर्श के परिणामों के आधार पर दिसम्बर, 1998 में कुछ संशोधन किए गए थे। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर लागू मानदंडों को युक्तिसंगत बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 30 जून, 2000 को और संशोधन किए गए हैं, ताकि उनके उचित कार्यकरण को सहज बनाया जा सके और इस प्रकार जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा की जा सके। जमाकर्ताओं के हितों की और अधिक सुरक्षा करने तथा वित्तीय प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए एक नया और व्यापक विधान लागू करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

[हिन्दी]

पाटनरोधी शुल्क

3227. श्री उत्तमराव ढिकले:
श्री जी. पुट्टास्वामी गौडा:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन वस्तुओं का ब्यौरा क्या है, जिन पर आरंभिक पाटनरोधी शुल्क लगाया गया है;

(ख) किन वस्तुओं पर अंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाया गया है;

(ग) क्या कुछ क्षेत्रों से आयात की जाने वाली कतिपय वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के संबंध में सरकार को अभ्यावेदन मिले हैं;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) जिन मदों पर आरंभिक पाटनरोधी शुल्क लगाया गया है उनके नाम नीचे दिये गये हैं:

(1) एनिलिन

(2) विटामीन सी

(3) थैलिक एनहाइड्राइड

(4) सोडियम नाइट्राइट

(5) बिसफिनोल-ए

(6) काला एवं सफेद फोटोग्राफिक कागज

(7) इथिलीन प्रोपिलीन डाइन मोनोमर रबड़

(8) मेट्रोनाइडेजोल

(9) ऑक्सो-अल्कोहल*

*अनंतिम पाटनरोधी शुल्क 26.7.2000 तक लागू था। केन्द्र सरकार ने छः किस्म की ओक्सो अल्कोहल पर अंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश स्वीकार कर ली है। अधिसूचना के शीघ्र जारी किए जाने की संभावना है।

(ख) जिन मदों पर अंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाया गया है उनके नाम नीचे दिये गये हैं:

(1) पी बी सी रेजिन*

(2) थियोफाइलीन एंड कैफीन

(3) 3, 4, 5 ट्राइमिथोक्सी बेन्जेलडीहाड (टी एम बी ए)

(4) आईसो व्यूटाइल बेजीन**

(5) पोटासियम परमैंगनेट

(6) एक्रिलोनाइट्राइल ब्युटाडाइन रबड़ (एन बी आर)

(7) बिसफिनॉल ए

(8) लो कार्बन फेरो क्रोम (एल सी एफ सी)

(9) सोडियम फेरोसाइनाइड

(10) 8-हाइड्रोक्सी क्विनोलिन

(11) डेड बर्न्ट मैगनेसाइट

(12) एक्रीलिक फाइबर

(13) विशिष्ट उत्प्रेरक

(14) ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड

(15) प्यूरिफाइड टेरिथैलिक एसिड (पीटीए)

(16) विटामीन सी

(17) मैगनेसियम

(18) धातुकर्मीय कोक

(19) पॉलिस्टीरीन

(20) कैल्सियम कार्बाइड

(21) लोवास्टेटिन

(22) साइट्रिक एसिड

(23) ऑर्थोक्लोरो बेन्जेलडीहाइड

(24) एच आर क्वायलस/शीट्स/स्ट्रिपस एंड प्लेट्स

(25) औद्योगिक सिलाई मशीन की सुईयां

(26) पी-टर्ट ब्युटाइल कैटाकोल

(27) फ्यूज्ड मैगनेशिया

(28) इतिलीन प्रोपिलीन डाइन मोनोमर

(29) स्टीवरीन बुटाडीन रबड़ (एस बी आर)

(30) हार्ड फेराइट रिंग मैगनेट्स

(31) पी टी एफ ई

(32) थर्मल सेन्सिटिव पेपर

(33) नायलॉन टायर कोर्ड फैब्रिक (एन टी सी एफ)

(34) बेरियम साइनाइड

(35) सोडियम साइनाइड

(36) ऑप्टिकल फाइबर

(37) सीमलेस ट्यूब्स/पाइप्स

(38) डाइसोडियम कार्बोनेट (शोडा ऐश)

*पांच वर्ष पूरे होने पर शुल्क समाप्त हो गया है।
**निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा निष्कर्षात्मक समीक्षा के आधार पर शुल्क समाप्त कर दिया गया है।

(ग) से (ङ) जी, हाँ। पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय ने निम्नलिखित मदों पर 9 मामलों में जांच की शुरू की है:

(1) सीमलैस ग्रेड अलॉयड इत्यादि

(2) पॉलिस्टर फिल्म

(3) ट्राइमेथोप्रिम

(4) कास्टिक सोडा

(5) एनीलिन

(6) फेरो सिलिकन

(7) आइसोप्रोपाइल अल्कोहल

(8) सोडियम फेरोसाइनाइड

(9) थियोफिलिन एंड कैफिन

[अनुवाद]

उद्योगों में पूंजी निवेश

3228. श्री नवल किशोर राय:
श्री जे.एस. बराड़:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विदेशी पूंजी निवेश से चलाए जा रहे उद्योगों हेतु अनुमोदित पूंजी निवेश और वास्तविक पूंजी निवेश में भारी अन्तर पाया गया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान कितना औसत अन्तर पाया गया;

(ग) क्या सरकार ने इस अन्तर के कारणों का पता लगाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इनके समाधान के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) जी, हां। वर्ष 1991 से मार्च, 2000 तक विदेशी निवेश अनुमोदनों की कुल राशि की तुलना में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ.डी.आई.) के वास्तविक अंतर्प्रवाह में अन्तर रहा है।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के फलन की प्रतिशतता नीचे दी गई है:

वर्ष	एफ.डी.आई. अंतर्प्रवाह/एफ.डी.आई. अनुमोदन (फलन की प्रतिशतता)
1998	43.29%
1999	59.46%
2000 (मई तक)	86.91%

(ग) और (घ) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर्प्रवाह मध्यावधिक तथा दीर्घावधिक विचारणाओं पर आधारित होते हैं तथा ये अर्थव्यवस्था की वर्तमान एवं भावी दशा के बारे में निवेशकों की अवधारणा द्वारा आकर्षित होते हैं। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को शामिल करने वाली किसी भी परियोजना का क्रियान्वयन अवसंरचना की उपलब्धता, जन शक्ति, घरेलू बाजार तथा राज्य सरकारों द्वारा प्रदान किए जाने वाले वित्तीय एवं अन्य प्रोत्साहनों समाहित विभिन्न कारकों द्वारा भी निर्धारित होता है। इन कारणों से अनुमोदित विदेशी निवेश का इष्टतम फलन नहीं हो पाता है।

(ङ) भारतीय अर्थव्यवस्था में अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के विश्वास में वृद्धि करने के लिए सरकार सभी उपाय कर रही है। निवेशकों को उनके निवेश स्थापित करने में सहायता करने के लिए सरकार ने पिछले वर्ष विदेशी निवेश क्रियान्वयन प्राधिकरण

(एफ.आई.आई.ए.) का गठन किया जिसका उद्देश्य विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफ.आई.पी.बी.) द्वारा अनुमोदित वृहत् परियोजनाओं के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना है। इसे सुकर बनाने के लिए राज्य सरकारों को भी विदेशी निवेश क्रियान्वयन प्राधिकरण (एफ.आई.आई.ए.) का सदस्य बनाया जाता है।

[हिन्दी]

लघु समाचार पत्रों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन

3229. **श्री सुकदेव पासवान:**
श्री सुशील कुमार इंदौरा:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा लघु समाचार पत्रों को प्रोत्साहन और प्रसार के लिए हाल के वर्षों में कोई प्रोत्साहन आधारित कार्य-योजना तैयार की गई;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्ष 1997-98, 1998-99 तथा 1999-2000 के दौरान इसके कार्यान्वयन के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई तथा इसमें से वस्तुत: कितनी राशि का उपयोग हो पाया; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ 2000-2001 के दौरान अब तक कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

सुपारी का आयात

3230. **श्री आर.एल. जालप्पा:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक के सुपारी उत्पादकों ने सरकार से मलेशिया और श्रीलंका सहित अन्य देशों से सुपारी के आयात पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो यदि सरकार द्वारा कर्नाटक के सुपारी उत्पादकों के हितों की रक्षा करने के लिए कोई कदम उठाए गए हों तो वे क्या हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) और (ख) कर्नाटक के सुपारी किसानों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें सुपारी पर आयात प्रतिबंध फिर से लगाने का अनुरोध किया गया है। जुलाई, 2000 में सुपारी पर मूल सीमाशुल्क 35% से बढ़ाकर 100% कर दिया गया है। इससे कर्नाटक के सुपारी के किसानों को पर्याप्त सुरक्षा मिलनी चाहिए और इससे आयात प्रतिबंध पुन: लगाने की आवश्यकता नहीं रहेगी।

राष्ट्रीय विरासत कोष

3231. **श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी:** क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अलग से कोई राष्ट्रीय विरासत कोष (नेशनल हेरीटेज फंड) बनाये जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) से (ग) राष्ट्रीय विरासत कोष स्थापित करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि राष्ट्रीय संस्कृति निधि 28.11.1996 से पहले ही अस्तित्व में है। व्यक्ति और निगमित संस्थाओं सहित संगठन दाय स्थलों का संरक्षण करने और इन स्थलों पर अवसंरचना में सुधार करने के लिए परियोजनाओं की कल्पना करने, उन्हें तैयार करने और कार्यान्वित करने में राष्ट्रीय संस्कृति निधि के साथ सहयोग कर सकते हैं। राष्ट्रीय संस्कृति निधि में किये जाने वाले अंशदान आयकर अधिनियम की धारा 80 (जी) (2) के अंतर्गत कर में शत प्रतिशत छूट के लिए पात्र हैं। सामान्य प्रथा यह है कि राष्ट्रीय संस्कृति निधि सहयोग करने की इच्छा रखने वाले साझेदार के साथ एक समझौता ज्ञापन सम्पन्न करती है। समझौता ज्ञापन द्वारा परियोजना के क्षेत्र, इसकी अवधि और सहयोग के शर्त एवं नियम विनिर्दिष्ट किये जाते हैं। किसी परियोजना के लिए सभी अंशदान एक पृथक बैंक खाते में जमा किये जाते हैं और निधियों का प्रचालन परियोजना कार्यान्वयन समिति के निर्णयों के आधार पर राष्ट्रीय संस्कृति निधि के प्रतिनिधि और साझेदार के प्रतिनिधि द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। परियोजना कार्यान्वयन समिति में राष्ट्रीय संस्कृति निधि और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जैसी विशिष्ट एजेंसियों तथा निगमित साझेदार का प्रतिनिधित्व है।

कागज का मूल्य

3232. **श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:**
श्री शिवाजी माने:
श्री राम मोहन गाड्डे:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कागज मिलों द्वारा कागज के निर्यात के फलस्वरूप घरेलू बाजार में कागज की कमी हो गई है और आपूर्ति तथा मांग में असंतुलन पैदा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय प्रकाशक संघ ने कागज का मूल्य बढ़ाने और भारतीय प्रकाशन उद्योगों को बचाने के संबंध में सरकार को ज्ञापन दिया है;

(ग) यदि हां, तो ज्ञापन का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई किए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) यद्यपि भारतीय प्रकाशक संघ से कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है, तथापि कागज की कीमतों में वृद्धि के बारे में चिन्ता जताने वाला एक अभ्यावेदन, भारत में शैक्षिक प्रकाशन संघ से जुलाई, 2000 में प्राप्त हुआ था। कागज की कीमतों पर कोई सांविधिक नियंत्रण नहीं है और कीमतों का संचालन बाजार तन्त्रों द्वारा किया जा रहा है।

सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर

3233. श्री पी.एस. गढ़वी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1998-99 और 1999-2000 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर क्या रही;

(ख) क्या यह पहले से कम होती रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इसे बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) और (ख) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन के पास उपलब्ध अद्यतन आंकड़ों के अनुसार, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) में वृद्धि 1998-99 (त्वरित अनुमान) में 6.8 प्रतिशत और 1999-2000 (संशोधन अनुमान) में 6.4 प्रतिशत थी।

(ग) 1999-2000 में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में कमी मुख्यतया कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन में सकल घरेलू उत्पाद में 1998-99 में 7.2 प्रतिशत से 1999-2000 में 1.3 प्रतिशत तक और व्यापार, होटल, परिवहन और संचार में 1998-99 में 8.1 प्रतिशत से 1999-2000 में 6.7 प्रतिशत तक की गिरावट के कारण थी।

(घ) वर्ष 2000-2001 के बजट में अर्थव्यवस्था को 7 से 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष की एक सतत, साम्यपरक और रोजगार सृजक वृद्धि के रास्ते पर ले जाने की विस्तृत रणनीति की रूपरेखा तय की गई है। शुरू किए गए विभिन्न आर्थिक सुधारों का भी अर्थव्यवस्था के विकास पर अनुकूल प्रभाव होने की आशा है।

उर्वरक संयंत्रों का पुनरुद्धार

3234. श्री रामशेठ ठाकुर: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बीआईएफआर ने नामरूप उर्वरक संयंत्र के पुनरुद्धार की संभावना की जांच करने हेतु आईसीआईसीआई को नियुक्ति आपरेटिंग एजेंसी के रूप में की है;

(ख) यदि हां, तो क्या आईसीआईसीआई ने संयंत्र को एचएफसी से अलग करने की सिफारिश की है और अपनी सिफारिशें आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति के पास भेज दी है;

(ग) यदि हां, तो मुद्दे को दबा कर रखने के क्या कारण हैं; और

(घ) आईसीआईसीआई की सिफारिशों पर निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) ने सूचित किया है कि मै. नामरूप फर्टिलाइजर्स, मैसर्स हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कार्पोरेशन के यूनिटों में से एक है, जो बीआईएफआर के पास रुग्ण औद्योगिक कंपनी के रूप में पंजीकृत है। बीआईएफआर ने यह भी सूचित किया है कि आईसीआईसीआई को मै. हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कार्पोरेशन के लिए परिचालन एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है।

(ख) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) के गोदामों को पट्टे पर देना

3235. श्री टी.एम. सेल्वागनपति:
श्री रामशेठ ठाकुर:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) के गोदामों को पट्टे पर देने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को खाद्यान्नों के भण्डारण के प्रबंधन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या भारतीय खाद्य निगम से अपने अधिकांश डिपुओं को केन्द्रीय भंडारण निगम को सौंप देने को कहा गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

नए टीवी चैनल शुरू करने का राज्य सरकारों द्वारा अनुरोध

3236. श्री माणिक राव होडल्या गावीत:
श्री टी. गोविन्दन:

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान देश में कुछ नए टीवी/आकाशवाणी चैनल/स्टेशन शुरू करने के लिए राज्य सरकारो से कोई अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनमें से क्षेत्रीय भाषाओं के लिए कितने चैनल आरक्षित किये जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) राज्य-वार इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) और (ख) जी, हां। नए आकाशवाणी/दूरदर्शन स्टेशन/केन्द्र स्थापित करने के लिए समय-समय पर विभिन्न राज्य सरकारों से अनुरोध प्राप्त होते रहते हैं। यद्यपि, क्षेत्रीय भाषाओं में अतिरिक्त दूरदर्शन चैनल शुरू करने के लिए कोई विशेष अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है तथापि वर्तमान में दूरदर्शन, विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में 10 नए क्षेत्रीय भाषा उपग्रह चैनलों का प्रचालन कर रहा है। इनमें से हाल ही में मलयालम, तमिल, बंगला, तेलुगु, कन्नड़, मराठी गुजराती और पंजाबी के बारे में प्रसारण की अवधि को बढ़ाकर 24 घंटे कर दिया गया है। जहां तक आकाशवाणी का संबंध है, क्षेत्रीय भाषाओं के लिए अनन्य चैनल की कोई नीति नहीं है, तथापि, सभी आकाशवाणी केन्द्रों से रिले किये जाने वाले कार्यक्रमों में पर्याप्त स्थानीय/क्षेत्रीय विषय होते हैं।

(ग) सरकार संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर रहते हुए देश के कवर न किए गए सभी भागों/क्षेत्रों को आकाशवाणी/टीवी कवरेज चरणबद्ध रूप से उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत हैं। नए आकाशवाणी/दूरदर्शन केन्द्रों के स्थानों का निर्णय लेते समय लोगों से प्राप्त अनुरोधों को ध्यान में रखा जाता है।

कमजोर बैंकों के लिए वित्तीय पुनर्गठन प्राधिकरण

3237. प्रो. रासा सिंह रावत:
श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति:
श्रीमती श्यामा सिंह:
श्री मोहम्मद शहाबुद्दीन:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के कमजोर बैंकों के लिए वित्तीय पुनर्गठन प्राधिकरण स्थापित किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस प्राधिकरण के लिए दिशानिर्देश को भी अंतिम रूप दे दिया है;

(ग) यदि हां, तो इस प्राधिकरण के दिशानिर्देशों और उद्देश्यों का ब्यौरा क्या है;

(घ) कमजोर बैंकों का ब्यौरा क्या है जिनके लिए इस प्राधिकरण को स्थापित किया जा रहा है; और

(ङ) उक्त प्राधिकरण द्वारा इन कमजोर बैंकों की स्थिति में सुधार की प्रक्रिया कब तक पूरी कर लिए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

नोट छापने के कागज का आयात

3238. **श्री थावरचन्द गेहलोत:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में करेंसी नोट छापने के कागज बनाने वाले कारखानों के नाम क्या-क्या हैं और इनकी स्थान-वार अधिष्ठापित क्षमता क्या है;

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान इन कारखानों ने कागज का उत्पादन अपनी अधिष्ठापित क्षमता के अनुसार किया है;

(ग) क्या सरकार भारतीय करेंसी नोट छापने के लिए विदेशों से कागज आयात कर रही है;

(घ) यदि हां, तो इसकी मात्रा क्या है; और

(ङ) सरकार ने इस कागज की आवश्यकता को देश में ही पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) करेंसी नोटों के मुद्रण हेतु कागज केवल प्रतिभूति कागज कारखाना, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में तैयार किया जाता है। कारखाने की वर्तमान संस्थापित क्षमता 4500 मी. टन है।

(ख) कई कारणों जैसे कि पुरानी मशीनों और कागज में समाविष्ट सुरक्षा संबंधी अतिरिक्त विशेषताओं के कारण उत्पादन क्षमता संस्थापित क्षमता से कम है।

(ग) जी, हां।

(घ) करेंसी नोट प्रेस नासिक/बैंक नोट प्रेस, देवास द्वारा करेंसी कागज के आयात हेतु वर्तमान संविदा 10,450 मी. टन है, और भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रण लि. (बी.आर.बी.एन.एम.एल.) के लिए 18.150 मी. टन है।

(ङ) चूंकि कागज कारखाने की स्थापना करने के लिए भा मात्रा में निवेश की जरूरत होती है, अत: सरकार ने निर्णय लि है कि निजी क्षेत्र में कागज कारखाने की स्थापना को प्रोत्साहि किया जाए।

[अनुवाद]

भारतीय कम्पनियों द्वारा विदेशों में निवेश

3239. **डा. बलिराम:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृ करेंगे कि:

(क) उन भारतीय कम्पनियों के नाम क्या हैं जिन्होंने विदे में पूंजी निवेश किया है;

(ख) इन कम्पनियों द्वारा प्रत्येक मामले में कितनी रा निवेश की गई है;

(ग) इसके परिणामस्वरूप देश को लाभ स्वरूप कितनी आ हुई है;

(घ) क्या सरकार इन कम्पनियों के कार्य-निष्पादन पर निगरा रखे हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार: (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपलब्ध कराई गई सूच के अनुसार 50 प्रतिशत से अधिक इक्विटी भागीदारी सहित 6 विदेशी संस्थाओं में अधिग्रहण करने वाली भारतीय कम्पनियों नाम तथा ऐसे निवेशों की सीमा संलग्न विवरण-I में दी गई है 10 संयुक्त उद्यमों/पूर्णत: स्वामित्वाधीन कम्पनियों (जे.वी. डब्ल्यू.ओ.एस.) के संबंध में लाभांश, रायल्टी, परामर्शी शुल्कों रूप में ऐसे निवेशों से प्राप्त आयों के संबंध में भारतीय रिज़ बैंक में उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(घ) और (ङ) जे.वी./डब्ल्यू.ओ.एस. के कार्यनिष्पादन वार्षिक लेखा-विवरणों को अंतिम रूप दिये जाने के बाद भारती कम्पनियों द्वारा प्रस्तुत वार्षिक निष्पादन रिपोर्टों (ए.पी.आर.) के जरिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मॉनीटर किया जाता है। ए.पी.आर में कुल बिक्री, निवल लाभ, हकदारी की तुलना में प्रत्यावर्तन वास्तव में किए गए गैर-इक्विटी निर्यात आदि समाहित होते हैं

विवरण I

1 जनवरी, 1960 से 31 जुलाई, 2000 तक भारतीय कम्पनियों द्वारा विदेशी अधिग्रहणों (अधिसंख्यक भागीदारी) के लिए अनुमोदनों की सूची

(मिलियन राशि/अमरीकी डालर)

भारतीय प्रोमोटर्स	अनुमोदन का तारीख	देश	इक्विटी	ऋण/गारंटी इक्विटी का % (एल (जी)	
1	2	3	4	5	6
एप्लीटेक सोल्यूशन लि.	14/6/1999	सिंगापुर	0.14		100
एप्लीटेक सोल्यूशन लि.	14/6/1999	आस्ट्रेलिया	000*		100
एप्लीटेक सौल्यशन लि.	14/6/1999	यू.एस.ए.	0.02		100
अपशसन इंटरनेशनल	6.5.2000	यू.एस.ए.	0.27		100
अतुल लिमिटेड	2.1.1997	यू.के.	1.66	(जी) 0.83	100
एवन साईकल्स लि.	6.1.1997	तंजानिया	1.95	(एल) 0.29	100
बरजर पेंट इंडिया लि.	2.5.2000	नेपाल	0.69		100
बी.एफ.एल. साफ्टवेयर लि.	8.6.2000	यू.एस.ए.	168.03		100
व्हाइस ट्रेडिंग कार.	23.6.1992	यू.एस.ए.	0.01		100
सी.एम.सी. लि.	28.4.1997	यू.एस.ए.	1.50		100
सी.एम.सी. लि.	29.9.1991	यू.एस.ए.	0.10		100
डाटालाइन ट्रांसक्रिप्शन	26.7.2000	यू.एस.ए.	0.11		100
ईस्ट इंडिया होटल लि.	12.7.1999	ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स	8.10		100
ईस्टर्न साफ्टवेयर सिस्टम	21.10.1999	इंडोनेशिया	0.36		100
यूरोविस्ता ट्रेडिंग कं.	13.2.1999	सिंगापुर	0.08		65
दी.ई. इंडियन सर्विसेज हो.	22.3.2000	मारीशस	000*		100
जैनेसिस टैक्नालाजी लि.	4.1.2000	यू.एस.ए.	0.10		100
ग्लोबल टेलीसिस्टम लि.	24.3.1995	मारीशस	3.00		100
गोवा कापर्स लि.	31.1.2000	मारीशस	0.03		100
गुजरात ग्लास लि.	22.7.1999	श्रीलंका	9.05		100
एच.जी.एस. ऐपारेल प्रा.	5.7.1993	यू.एस.ए.	0.15		75
आई.एफ.बी. इंडस्ट्रीज लि.	22.9.1997	मारीशस	2.18	एल. 1.70	

1	2	3	4	5	6
इंडियन कार्ड क्लोदिंग	6.11.1997	यू.के.	0.35		60
इंडियन आर्गेनिक कंमी.	20.5.1999	मारीशस	000*		100
इंड. टेलीसाफ्ट प्रा.लि.	18.1.2000	यू.एस.ए.	0.07		100
इंड. टेलीसाफ्ट प्रा.लि.	18.1.2000	यू.एस.ए.	0.01		100
इंफोटेक इंटरप्राइजेज	26.7.1999	यू.के.	3.52		100
जे.के. इंर्फारमैटिक्स लि.	29.10.1999	यू.एस.ए.	0.03		100
किसान प्रोडक्ट लि.	8.11.1994	नेपाल	0.09		53
के.एल.जी. सिस्टल लि.	10.4.2000	यू.एस.ए.	5.65		100
के.एल.जी. सिस्टल लि.	3.1.2000	यू.एस.ए.	5.87		51
लिडिंग एज सिस्टम	31.3.2000	बरमूडा	139.40		100
मर्स इंडिया लि.	10.4.2000	नेपाल	0.01		95
मफतलाल इंड. लि.	9.1.1996	चैनल आइसलैड्स			
मफतलाल इंड. लि.	13.6.1996	चेनल आइसलैंडस	8.47	(जी) 5.98	85
आई.सी.आई.सी.आई. सिक्यूरिटी	25.4.1996	चैनल आइसलैंड्स			
मेस्कॉन टेक्नीकल सर्विस	19.7.1996	यू.एस.ए.	1.58		100
मोरी एंटरऐमेंट ने.	10.4.2000	मारीशस	0.10		100
नल्ली विश्वनाथ	21.9.1992	सिंगापुर	0.06		100
एन.आई.आई.टी. लि.	21.9.1995	यू.के.	5.00		100
ओशिल्वी एंड मैदर लि.	19.3.1999	श्रीलंका	0.45		75
पैन म्यूजिक एंड मैगजीन	5.3.1999	फ्रांस	0.10	(एल) 2.30	100
रमेश फ्लावर लि.	1.10.1999	यू.एस.ए.	0.07		70
रेव टेकनालाजीस (इं.)	14.6.2000	यू.के.	1.59		100
रियल टाइम होल्डिंग्स (प्रा.)	20.5.2000	यू.एस.ए.	0.50		51.95
सेजल जेम्स प्रा.लि.	5.3.1999	यू.एस.ए.	0.05		90
श्रीराम ग्लोबल टेक्नो.	6.7.2000	बी.बी.आई.	0.50		100
सिलीकॉन सॉफ्टवेयर डेंसी	29.7.1998	यू.के.	0.04		100
सिलीकॉन आटोमेशन सिस.	17.3.1998	जापान	0.08		100

1	2	3	4	5	6
सिल्वर लाइन इंडस्ट्रीज	27.12.1999	यू.एस.ए.	46.25		100
एस.एन.आर. साफ्टटेक प्रा.लि.	18.10.1999	यू.एस.ए.	0.01		51
एस.एन.आई. लि.	3.11.1999	यू.एस.ए.	2.76		100
स्टर्लिंग इंफोटेक लि.	23.12.1999	सिंगापुर	0.68		87.5
स्टीडस एक्रोलेब लि.	5.1.2000	यू.एस.ए.	8.01	(जी)4.02	100
सुब्रेक्स सिस्टम लि.	6.1.2000	यू.एस.ए.	6.71		100
सुबी इंफारमेशन लि.	31.5.1999	यू.एस.ए.	0.00*		100
एस.वी.जी. साफ्टवेयर प्रा.	19.3.1999	यू.एस.ए.	0.05		66.67
साइनरजी लॉग-इन सि.	20.5.2000	सिंगापुर	0.44		100
सिस्टम अमेरिका इंडिया	4.5.2000	कनाडा	0.18		100
टाटा टी लि.	6.3.2000	यू.के.	101.69		86.11
टीम एशिया सेमीकन्डक्टो	8.5.2000	मारीशस	6.48		100
टेक्मेटिक्स (इंडिया) प्रा.लि.	16.8.1999	यू.के.	000*		100

1 जनवरी, 1960 से 31 जुलाई, 2000 तक भारतीय कम्पनियों द्वारा विदेशी अधिग्रहणों (अधिसंख्यक भागीदारी) के लिए अनुमोदनों की सूची

भारतीय प्रमोटर्स	अनुमोदन की तारीख	देश	इक्विटी	ऋण/गारंटी	प्रतिशत इक्विटी
टेलीविजन एटीन इंडिया	5/11/1996	मॉरीशस	1.00		100
उषा बेल्ट्रान लि.	17/9/1998	यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमरीका	0.13		100
ऊषा बेल्ट्रान लि.	27/7/1999	युनाइटेड किंगडम	7.75	(जी) 3.00	100
वोकहेड लि.	8/5/2000	युनाइटेड स्टेट ऑफ अमरीका	50.00	(एल) 20.00	100
जी टेलीफिल्म्स लि.	23/9/1999	ब्रिटिश वर्जि. आइलैंड्स	470.59		100
जेनिथ इंफोटेक लि.	10/9/1999	सिंगापुर	0.03		100

टिप्पणी: पहले अधिग्रहित किए गए चालू संख्या में तदवर्ती अतिरिक्त निवेश को पृथक अधिग्रहण नहीं माना जाएगा।
*10,000 अमरीकी डॉलर से कम राशि के निवेश।

विवरण II

विदेशी कम्पनियों से अंतर्प्रवाह

भारतीय प्रोमोटरों का नाम	भारतीय रुपए में अंतर्प्रवाह (000 छोडा हुआ)
एवन साइकिल्स लि.	58066.029
सी.एम.सी. लिमिटेड	3607.9456
ग्लोबल टेलीसिस्टम लि.	13096
ग्लोबल टेलीसिस्टम लि.	2335.608
इंडियन कार्ड क्लोदिग कं.	1258.623
इंडियन कार्ड क्लोदिग कं.	1100.2464
इंडिया होटल्स कं. लि.	16713
इंडियन आर्गेनिक केमिकल्स	1947.825
जथपथ इंवेस्टमेंट एंड एच.	588087
मोनाटा साफ्टवेयर	45900
श्रीराम ग्लोबल टेक्नो. लि.	4328.5
श्रीराम ग्लोबल टेक्नो. लि.	4251.02
उषा बेल्ट्रान लि.	7945
उषा बेल्ट्रान लि.	5386.192
उषा बेल्ट्रान लि.	2356.459

[हिन्दी]

तम्बाकू बोर्ड द्वारा सहायता

3240. श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार में तम्बाकू उत्पादकों को तम्बाकू बोर्ड किस प्रकार सहायता उपलब्ध करा रहा है;

(ख) क्या तम्बाकू बोर्ड को विघटित करने और निजी क्षेत्र को तम्बाकू का कारोबार शुरू करने की अनुमति देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) एफ सी वी बिहार में उत्पादित नहीं किया जाता है।

(ख) और (ग) आयोग द्वारा तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 को रद्द करने हेतु प्रशासनिक कानूनों की समीक्षा करने का एक सुझाव दिया गया है। तम्बाकू व्यापार निजी उद्यम द्वारा चलाया जाता है। एफ सी वी तम्बाकू की खरीद में तम्बाकू बोर्ड का हस्तक्षेप तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 में दिए गए प्रावधानों द्वारा शासित होता है।

[अनुवाद]

जैसलमेर (राजस्थान) के सुनहरी किले का रख-रखाव

3241. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी: क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उपेक्षा और उचित रख-रखाव के अभाव में वास्तुकला के विश्वविख्यात स्मारक जैसलमेर के किले का अस्तित्व खतरे में है;

(ख) क्या उचित रख-रखाव के अभाव के कारण कुछ समय पहले इसकी एक दीवार के गिरने से छ: श्रमिकों की मौत हो गई थी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस धरोहर स्मारक की उचित मरम्मत और रख-रखाव के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान इस स्मारक की मरम्मत और रख-रखाव के लिए कितनी निधियां नियत की गई और खर्च की गई और कितने प्रतिशत प्रगति हासिल की गई?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) वर्ष 1997 में किले की दीवार के एक भाग के ढह जाने के परिणामस्वरूप छ: व्यक्तियों की मृत्यु हुई जिसमें अनधिकृत दुकानदार और स्थानीय व्यक्ति शामिल थे। जिला कलेक्टर, जैसलमेर द्वारा दिए गए प्रशासनिक जांच आदेशों के अनुसार, दीवार कई कारणों से गिरी जिसमें किले की दीवार पर समय और प्रकृति का प्रभाव भी शामिल है।

(घ) और (ङ) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किले के उन भागों की मरम्मत के उपाय शुरू किए हैं जिनमें दरारें पड़ गई हैं।

पिछले तीन वर्षों के दौरान जैसलमेर किले के रखरखाव तथा संरक्षण पर किया गया व्यय इस प्रकार है:

1997-98	–	रु. 7,26,450.00
1998-99	–	रु. 14,94,389.00
1999-2000	–	रु. 18,00,827.00

नए सैटेलाइट चैनल

3242. **श्री सी. कुप्पुसामी:** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तीन नए सैटेलाइट चैनलों-दूरदर्शन स्पोर्ट्स, दूरदर्शन न्यूज और ज्ञान दर्शन के प्रसारण में दर्शकों की अभिरुचि और उनकी संख्या का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो सरकार दर्शकों की संख्या की प्रतिशतता व उनकी अभिरुचि, सर्वाधिक उपयुक्त समय आदि का पता किस प्रकार लगाएगी तथा सरकार इन सेवाओं के प्रभाव का विश्लेषण किस प्रकार करेगी;

(घ) गत छ: महीनों के दौरान इन तीनों चैनलों में से प्रत्येक से विज्ञापन के जरिए कितना राजस्व अर्जित किया गया है; और

(ङ) इन चैनलों को लोकप्रिय बनाने और अधिक से अधिक दर्शकों को आकर्षित करने के लिए क्या प्रयास किये गये हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) से (ग) डीडी न्यूज, डीडी स्पोर्टस तथा ज्ञान दर्शन चैनलों के दर्शकों की संख्या का मूल्यांकन करने के लिए कोई अलग से अध्ययन नहीं किया गया है। तथापि, दूरदर्शन, नियमित अंतराल पर इन चैनलों की पहुंच/दर्शकों की संख्या की जानकारी देने वाले टेलीविजन आडियन्स मेजरमेन्ट (टी.ए.एम.) वेटिंग्स के लिए शुल्क देता है।

(घ) दूरदर्शन द्वारा पिछले छह माह (फरवरी, 2000 से जुलाई, 2000) के दौरान विज्ञापनों के माध्यम से अर्जित आय निम्न प्रकार से है:

दूरदर्शन स्पोर्टस	–	45.71 करोड़ रुपये
दूरदर्शन न्यूज	–	शून्य
ज्ञान दर्शन	–	शून्य

(ङ) इन चैनलों को बढ़ावा देने तथा लोकप्रिय बनाने के प्रयासों में कार्यक्रम तथा प्रसारण में सुधार करना इन चैनलों के बारे में गैर इलैक्ट्रानिक मीडिया में विज्ञापन देना तथा दूरदर्शन के अन्य चैनलों पर इसके विज्ञापन प्रसारित करना शामिल है।

विश्वस्तरीय निवेशक

3243. **श्री माधवराव सिंधिया:**
श्री सुशील कुमार शिंदे:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बंगलौर में 6 जून, 2000 को हुए विश्वस्तरीय निवेशकों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने आर्थिक सुधारों के दूसरे चरण को आगे बढ़ाने हेतु राज्यों से विश्वस्तरीय निवेशकों को आमंत्रित करने का आह्वान किया था;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों विशेषकर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार और असम के संबंध में विश्व भर से कितना निवेश किया गया है अथवा निवेश करने का आश्वासन दिया गया है तथा इसके इच्छुक निवेशकों के नाम क्या-क्या हैं और निवेश किन-किन क्षेत्रों में कितने मूल्य का किया जायेगा; और

(ग) बुनियादी ढांचागत क्षेत्र के संबंध में यह निवेश किस हद तक किए जाने की सम्भावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) कर्नाटक सरकार द्वारा दिनांक 5 जून, 2000 को बंगलौर में आयोजित भूण्डलीय निवेशक बैठक में वित्त मंत्री ने अपने उद्घाटन भाषण में इस बात पर बल दिया कि आर्थिक सुधारों की चालू प्रक्रिया से पीछे नहीं हटा जा सकता है। उन्होंने कहा कि प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में विशेष रूप से आधारढांचा विकास हेतु, विदेशी निवेश सहित निजी भागीदारी को और प्रोत्साहन देने के लिए भविष्य में अर्थव्यवस्था को उदार बनाया जायेगा। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि आर्थिक सुधारों का दूसरा चरण आधार-ढांचे के विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए राज्य स्तर पर सुधारों पर केन्द्रित होगा।

केरल में रबड़ उद्योग

3244. **श्री कोडीकुनील सुरेश:** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल के रबड़ उद्योगों द्वारा मांगे गये प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तथा मंजूर किए गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा विशेषकर केरल में रबड़ और रबड़ उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा दिए जाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) राज्य के विभिन्न रबड़ उद्योगों का वार्षिक कारोबार कितना है तथा गत तीन वर्षों के दौरान इनके उत्पादन, बिक्री और लाभ का ब्यौरा क्या है; और

(घ) केरल में निर्यात संवर्धन परिषद के कितने क्षेत्रीय केन्द्र हैं तथा इनका ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) उदारीकरण के बाद की अवधि अर्थात् 1.8.1991 से 30 जून, 2000 की अवधि के दौरान केरल में रबड़ उद्योगों के बारे में कुल 8 प्रस्ताव (6 वित्तीय+2 तकनीकी) प्राप्त हुए तथा अनुमोदित किये गये हैं, जिनमें 56.04 करोड़ रुपये का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अन्तर्ग्रस्त था।

(ख) से (घ) वर्तमान निर्यात-आयात नीति के तहत प्राकृतिक रबड़ का निर्यात नियंत्रण मुक्त है। भारत सरकार नोडल एजेन्सी, नामत:, रसायन तथा संबद्ध उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद (सी.ए.पी.ई.एक्स.आई.एल.), के माध्यम से रबड़ की वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु सभी संभव उपाय कर रही है और इस दिशा में निरन्तर प्रयास जारी रखे हुए हैं। रबड़ उत्पादों के उत्पादन, बिक्री और लाभ से संबंधित राज्यवार, उद्योगवार आंकड़े केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं।

ऑटो पार्ट्स की बिक्री

3245. श्री जितेन्द्र प्रसाद: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ऑटोमोटिव कम्पोनेन्ट मैनुफैक्चर्स एसोसियेशन ने इस बात का खुलासा किया है कि केन्द्र सरकार नकली ऑटोमोबाइल पार्ट्स की बिक्री से 300 करोड़ रुपयों के राजस्व का वार्षिक घाटा उठा रही थी,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) नकली पुर्जों के कारण प्रस्तुत चुनौती का सामना करने के लिए तैयार की गई कार्ययोजना का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार का इसे किस तरह से कार्यान्वित करने का विचार है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. वल्लभभाई कथीरिया): (क) और (ख) ऑटोमोटिव कम्पोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (एसीएमए) ने राष्ट्रीय स्तर (नेशनल बेसिस) पर नकली ऑटो पार्ट्स के बारे में अध्ययन करने के लिए राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एनसीएईआर) को नियुक्त किया था। जांच के आधार पर, एनसीएईआर ने अनुमान लगाया है कि वर्ष 1997-98 में बारह विशेष प्रकार के ऑटोमोबाइल कम्पोनेंट्स के संबंध में अप्रामाणिक (नकली) कम्पोनेंट्स (कलपुर्जों) के उत्पादन का मूल्य 1459 करोड़ रुपये था। इस आधार पर और कतिपय पूर्वानुमान पर, एनसीएईआर ने अनुमान लगाया है कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और कारपोरेट आयकर के रूप में केन्द्रीय सरकार को 300 करोड़ रुपये की राजस्व हानि हुई थी और राज्य सरकारों को केन्द्रीय/राज्य बिक्री कर और चुंगी/प्रवेश कर के रूप में 165 करोड़ रुपये की हानि हुई थी।

(ग) और (घ) दि ट्रेड एंड मर्चेंडाइज एक्ट, 1958 में जालसाजी करने अथवा धोखे से ट्रेड-मार्क का प्रयोग करने तथा मिथ्या ट्रेड अंकन करने आदि के विरुद्ध प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने ट्रेड मार्क्स अधिनियम, 1999 बनाया है जिसमें नकली सामग्री बनाने के विरुद्ध दंडात्मक उपबंधों को अधिक सख्त बनाया गया है।

[हिन्दी]

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

3246. श्री अजय सिंह चौटाला: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान 30 जून, 2000 तक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने कृषि क्षेत्र हेतु विभिन्न राज्यों को कितना ऋण दिया;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान सरकार को इन बैंकों द्वारा ऋण वितरण में की गई अनियमितताओं संबंधी राज्य-वार कितनी शिकायतें मिली हैं;

(ग) इन शिकायतों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है:

(घ) इन बैंकों द्वारा किसानों को दिए जा रहे ऋण की अधिकतम सीमा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार इस सीमा को बढ़ाने का है; और

(च) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) द्वारा वर्ष 1996-97, 1997-98 तथा 1998-99 (अद्यतन उपलब्ध) के लिए विभिन्न राज्यों में कृषि क्षेत्र के लिए संवितरित किये गए ऋण संलग्न विवरण में दर्शाए गए हैं।

(ख) सरकार को कोई विशेष शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) से (च) भारतीय रिजर्व बैंक/राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा जारी किए गए मार्गनिर्देशों के अनुसार, राज्य कृषि विभाग, बैंकों के पदाधिकारियों तथा प्रगतिशील किसानों आदि की राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (डीएलटीसी) द्वारा फसल ऋण को वित्त प्रदान करने की मात्रा का फसलवार एवं जिला-वार निर्धारण किया जाता है। इसे भी समय-समय पर संशोधित किया जाता है। इस प्रकार बैंकों को उधारकर्त्ताओं को दिए जाने वाले ऋण की प्रमात्रा का निर्धारण करने की स्वतंत्रता होती है जिसके लिए वे इकाई लागत को मार्गनिर्देश मानते है और साथ ही क्षेत्रीय स्तर की परिस्थिति को भी ध्यान में रखा जाता है। इसलिए सरकार के स्तर पर वित्तपोषण की मात्रा की पुनरीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है।

विवरण

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा राज्य-वार संवितरित ऋण

(लाख रुपये)

क्रम सं.	राज्य	1996-97		1997-98		1998-99	
		कुल	जिसमें से कृषि और सम्बद्ध क्रियाकलाप	कुल	जिसमें से कृषि और सम्बद्ध क्रियाकलाप	कुल	जिसमें से कृषि और सम्बद्ध क्रियाकलाप
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	हरियाणा	14240.31	7728.17	15572.49	10671.17	17999.05	11203.68
2.	हिमाचल प्रदेश	2641.61	432.76	3153.03	465.41	4282.91	606.80
3.	जम्मू एवं कश्मीर	1724.37	499.46	2482.99	594.53	2798.28	766.47
4.	पंजाब	6609.99	4859.34	9731.46	6444.20	11272.96	7739.67
5.	राजस्थान	22202.56	4838.00	27461.32	12195.97	33880.20	14748.86
6.	अरुणाचल प्रदेश	481.31	101.30	1112.32	140.42	899.84	179.74
7.	असम	3285.11	413.58	4049.30	527.08	4887.97	734.60
8.	मणिपुर	106.70	9.79	157.85	14.50	101.18	6.21
9.	मेघालय	743.53	147.71	800.80	189.05	892.06	221.22
10.	मिजोरम	315.29	68.56	481.43	51.43	387.46	36.87
11.	नागालैंड	43.09	43.09	21.46	2.00	23.71	0.66
12.	त्रिपुरा	300.64	142.87	1250.32	138.90	1603.87	166.37

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	बिहार	18061.47	5732.66	19367.84	5373.64	22804.21	7341.01
14.	उड़ीसा	17309.16	6598.54	24350.68	7080.52	30041.70	7723.79
15.	पश्चिम बंगाल	14435.55	3020.22	15707.71	2824.36	21264.37	3136.94
16.	मध्य प्रदेश	20205.66	8268.86	27384.75	11659.90	33614.17	15577.87
17.	उत्तर प्रदेश	56439.26	26701.38	62973.27	31419.78	81365.87	40677.61
18.	गुजरात	11803.04	7771.66	15136.76	9349.75	18619.00	11884.59
19.	महाराष्ट्र	11870.46	5056.74	12942.37	5687.90	17582.02	8634.96
20.	आंध्र प्रदेश	64193.42	37266.95	79897.41	40270.03	93595.42	49726.61
21.	कर्नाटक	61955.54	30751.10	69563.07	35734.62	77972.09	37873.78
22.	केरल	42997.00	15782.00	50072.00	20443.00	56899.68	24883.22
23.	तमिलनाडु	20041.96	4987.99	23092.94	8967.40	23291.67	10583.21
	अखिल भारत	392007.03	174822.73	466763.57	210245.56	556080.59	254454.74

पूर्वोत्तर में उचित शक्ति वाले अधिक ट्रांसमीटरों की स्थापना

3247. **श्री पी.आर. किन्डिया:** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान पूर्वोत्तर में उच्च शक्ति वाले, अल्प शक्ति वाले ट्रांसमीटर तथा दूरदर्शन विस्तार सेवाएं/स्टूडियो और अधिक मात्रा में स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस उद्देश्य के लिए राज्यों को अब तक राज्य-वार कितनी केन्द्रीय सहायता प्रदान की जा चुकी है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) और (ख) जी हां। पूर्वोत्तर राज्यों में डीडी-1 सेवा के लिए 12 ट्रांसमीटर तथा डीडी-2 सेवा के लिए 2 ट्रांसमीटर क्रियान्वयनाधीन हैं। इन ट्रांसमीटरों के स्थान संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) सभी परियोजनाएं राज्य सरकार के माध्यम से नहीं बल्कि प्रसार भारती द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। इस प्रकार परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता का प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

पूर्वोत्तर राज्यों में क्रियान्वयनाधीन दूरदर्शन ट्रांसमीटर परियोजनाएं

ट्रांसमीटर टाइप	स्थान	राज्य
1	2	3
1. डीडी-1 ट्रांसमीटर		
(क) उ.श.ट्रा.	चूड़ाचांदपुर	मणिपुर
(ख) अ.श.ट्रा.	लवांगतलाई	मिजोरम
	अमरपुर	त्रिपुरा
	अम्बासा	-वही-
	बोलाइ बाड़ी	-वही-
(ग) अति अ.श.ट्रा.	संग्राम	अरुणाचल प्रदेश
	एतालिन	-वही-
	देवमाली	-वही-
	तूतिंग	-वही-

1	2	3
(घ) ट्रांसपोजर्स	गुवाहाटी	आसाम
	ऐजल	मिजोरम
	बारा बस्ती	नागालैंड
2. डीडी-2 ट्रांसमीटर्स उ.श.ट्रा.	सिलचर	आसाम
	अगरतला	त्रिपुरा

मोबाइल फोनों की तस्करी

3248. श्री आर.एल. भाटिया: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कस्टम्स एअर इंटेलिजेन्स यूनिट ने 28 मई, 2000 को मुम्बई में छत्रपति शिवाजी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 6.3 लाख रुपये के 115 मोबाइल फोनों की तस्करी करते हुए दिल्ली के पांच यात्रियों को गिरफ्तार किया था; और

(ख) यदि हां, तो पूर्ण ब्यौरा सहित तत्संबंधी तथ्य क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) जी, हां।

(ख) छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन, मुम्बई की वायु आसूचना इकाई के अधिकारियों ने दिनांक 27.5.2000 को 5 महिला यात्रियों से दो अलग-अलग मामलों में कुल मिलाकर 6.30 लाख रुपए मूल्य के 115 मोबाइल फोन जब्त किये हैं। ये महिलायें दिल्ली से घरेलू यात्री के रूप में मुम्बई आयी थीं। इन दोनों मामलों में इनके पास से मोबाइल फोन मिले थे, जिन्हें महिला यात्रियों द्वारा धारण की हुई साड़ियों/सलवारों के नीचे पहने विशेष रूप से बने सफेद रंग के "पाजामे" के भीतर छुपाया गया था। बरामद किये गये इन मोबाइल फोनों को सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के उपबंधों के तहत जब्त कर लिया गया है। पांचों महिला यात्रियों को भी गिरफ्तार किया गया था तथा इन्हें न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया था और अब वे जमानत पर छोड़ दी गई हैं।

पेटेंट कानून संबंधी संधि

3249. श्री किरीट सोमैया: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ल्ड इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी आरगेनाइजेशन ने पेटेन्ट कानून संबंधी संधि का कोई नया मसौदा परिचालित किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस नए मसौदे को पुराने मसौदे का निम्नस्तरीय संस्करण माना जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो पूर्व मसौदे और नए मसौदे में क्या अंतर है;

(घ) क्या सरकार ने इस परिवर्तन पर ध्यान दिया है;

(ङ) क्या इन परिवर्तनों को भारत के नए पेटेंट कानून में शामिल किया जायेगा; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) से (च) विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यू.आई.पी.ओ.) ने 11 मई से 2 जून, 2000 तक की अवधि के दौरान जिनेवा पेटेंट कानून संबंधी संधि (पी.एल.टी.) अपनाने के लिए एक राजनयिक सम्मेलन आयोजित किया था। उक्त संधि 1 जून, 2000 को स्वीकार की गई थी। संधि की अभिस्वीकृति, पेटेंट प्राप्त करने व उसके अनुरक्षण की पद्धतियों को सरल व सुप्रवाही बनाने के लिए विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यू.आई.पी.ओ.) द्वारा कई वर्षों से किये जा रहे अभ्यासों की पराकाष्ठा थी। चूंकि इस प्रकार की पद्धतियाँ प्रत्येक देश की अलग-अलग होती हैं, अत: पेटेंट कानून संबंधी संधि के माध्यम से प्राप्त प्रक्रियागत मानकीकरण पेटेंट कार्यालयों तथा आविष्कारकों दोनों को अनेक लाभ मुहैया करायेंगे, जैसे कि:

* मानकीकृत फार्मों व सरल पद्धतियों का प्रयोग जिससे गलतियों की संभावना कम होगी।
* आविष्कारकों, आवेदकों और पेटेंट न्यायविदों के लिए लागत में कमी।
* भारी भरकम तथा जटिल प्रक्रियाओं की समाप्ति।
* पेटेंट कार्यालयों की दक्षता में सुधार तथा परिचालन लागतों में कमी होगी।

उक्त संधि तब से प्रवृत्त होगी जबकि दस देश अपनी अभिस्वीकृति अथवा प्रवेश संबंधी लिखित दस्तावेज विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यू.आई.पी.ओ.) के महानिदेशक के पास जमा करा देंगे। इसके अतिरिक्त, जैसा कि उक्त संधि प्रक्रियात्मक पहलुओं से संबंधित है, नये पेटेंट कानून में संधि के उपबंधों का समावेश करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

भारत-इटली व्यापार समझौता

3250. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और इटली ने दोनों देशों के बीच व्यापारिक कारोबार को बढ़ाने के लिए हाल में किसी व्यापारिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो उक्त समझौते की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

एच.ई.सी. का उत्पादन

3251. श्री राम टहल चौधरी: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड (एचईसी) के उत्पादन में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. वल्लभभाई कथीरिया): (क) पिछले तीन वर्षों में हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लि. (एचईसी) का उत्पादन निम्नानुसार है:

(रुपये करोड़ में)

1997-98	1998-99	1999-2000
260.88	271.61	270.12

(ख) और (ग) एचईसी का उत्पादन मुख्य रूप से ऑर्डरों की कमी के कारण निम्न और मन्द है। अधिक ऑर्डर प्राप्त करने के लिए सरकारी क्षेत्र के प्रयोक्ता उपक्रमों, विभागों/मंत्रालयों के साथ यह मामला उठाया गया है। नियमित व्यवसायी (सर्विस) संबंधी बैठकों के जरिये निष्पादन की भी मॉनीटरिंग की जाती है।

विदेशी परामर्शदात्री फर्में

3252. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत में वर्तमान समय में देशवार कुल कितनी परामर्शदात्री फर्में कार्य कर रही हैं;

(ख) इन फर्मों की कुल आय कितनी है; और

(ग) सरकार द्वारा घरेलू परामर्शदात्री फर्मों पर इन विदेशी फर्मों के प्रतिकूल प्रभाव को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) केन्द्रीय रूप से सूचना नहीं रखी जाती।

(ग) घरेलू परामर्शदात्री फर्मों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव सरकार की जानकारी में नहीं आया है।

विवरण

अगस्त, 1991 से मई, 2000 तक परामर्शदात्री फर्मों के लिए विदेशी तकनीकी/वित्तीय सहयोग के अनुमोदित मामलों की सूची

देश का नाम	परामर्शदात्री फर्मों की कुल संख्या
1	2
1. आस्ट्रेलिया	22
2. आस्ट्रिया	5
3. बहरीन	2
4. बेल्जियम	2
5. बरमुडा	2
6. कनाडा	13
7. चीन	1
8. चैक गणराज्य	2
9. डेनमार्क	6
10. फिनलैण्ड	3

1	2
11. फ्रांस	20
12. जर्मनी	60
13. हॉंग कॉंग	6
14. हंगरी	1
15. आइल ऑफ मैन	1
16. इजराईल	3
17. इटली	10
18. जापान	16
19. कोरिया (दक्षिण)	4
20. मलेशिया	4
21. मॉरीशस	23
22. अनिवासी भारतीय	13
23. नीद्‌लैण्ड	26
24. न्यूजीलैण्ड	1
25. नार्वे	2
26. पोलैण्ड	2
27. रूस	6
28. सिंगापुर	27
29. स्लोवाकिया	1
30. स्पेन	2
31. स्वीडन	7
32. स्विटजरलैंड	18
33. ताईवान	1
34. थाइलैण्ड	2
35. यू.के.	87
36. यू.एस.ए.	137
37. यूक्रेन	3
38. ब्रिटिश विरजीनिया	2
39. वैस्टइंडीज	2
40. अनिर्दिष्ट देश	1
41. इरान	1
42. वियतनाम	1
43. आइसलैण्ड	1
योग	549

[अनुवाद]

एम.एम.टी.सी. में एम.आई.सी.ओ. का विलय

3253. **श्री बसुदेव आचार्य:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एम.आई.टी.सी.ओ. का उसके सभी कर्मचारियों/श्रमिकों के साथ एम.एम.टी.सी. में विलय कर दिया गया है;

(ख) यदि हॉं, तो क्या सभी कर्मचारियों/श्रमिकों को एम.एम.टी.सी. के कर्मचारियों/श्रमिकों को मिल रहे वेतन के समान ही वेतन मिलेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) जी, हॉं।

(ख) और (ग) जी, नहीं। औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्स्थापना बोर्ड द्वारा स्वीकृत योजना में यह व्यवस्था थी कि प्रभावी तारीख को पूर्ववर्ती मिटको के कर्मचारियों पर लागू सेवा शर्तें स्थानान्तरण की तारीख से तुरन्त पूर्व उन पर लागू शर्तों की तुलना में उनके लिए किसी भी प्रकार से कम हितकर नहीं थी। तदनुसार औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्स्थापना बोर्ड के आदेश का एम एम टी सी द्वारा पालन किया जा रहा है।

विदेशी मुद्रा ब्यूरो

3254. **श्री सुबोध मोहिते:**
श्री तूफानी सरोज:
श्री अशोक ना. मोहोल:
श्री नरेश पुगलिया:
श्री सुरेश रामराव जाधव:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रमुख शहरों में एस.टी.डी. बूथों की तर्ज पर विदेशी मुद्रा ब्यूरो और दुकानों को खोलने की अनुमति देने का प्रस्ताव भारतीय रिजर्व बैंक के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है; और

(घ) विदेशी मुद्रा को भुनाने के लिए विनियामक बाधाओं को दूर करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक भारत में विदेशी मुद्रा नकदीकरण सुविधाओं के खुदरा नेटवर्क में विस्तार का इच्छुक है और इसे कार्यरूप देने के लिए वह विदेशी मुद्रा ब्यूरो/मुद्रा अदला-बदली करने वाली दुकानों की स्थापना हेतु और अधिक लाइसेंस जारी करने की तैयारी कर रहा है ताकि भारत की यात्रा पर आने वाले अनिवासी भारतीयों/पर्यटकों/व्यावसायियों के लिए विदेशी मुद्रा अथवा विदेशी यात्रा चैकों को भुनाना अथवा अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्डों के बदले भारतीय रुपया प्राप्त करना सुगम हो सके।

वर्तमान में, बैंक की नामित शाखाएं जो विदेशी मुद्रा तथा मुद्रा की अदला-बदली के प्राधिकृत डीलर हैं, ऐसे परिवर्तन/नकदीकरण की सुविधाएं प्रदान करती हैं। ऐसी सुविधाओं में सुधार लाने के उद्देश्य से, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में बैंकों को लिया है कि वे विभिन्न शाखाओं में स्थित उपलब्ध सुविधाओं में सुधार करें तथा ऐसे स्टॉलों को खोलने पर विचार करें जो इस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराने को तत्पर हैं। भारतीय रिजर्व बैंक और गैर-बैंक संस्थाओं को पूर्ण मुद्रा अदला-बदली तथा प्रतिबंधित मुद्रा अदला-बदली के रूप में लाइसेंस प्रदान करने पर भी विचार करेगा।

कम्पनी अधिनियम के अधीन पंजीकृत कोई संगठन जिसके स्वामित्व में निवल धनराशि 25 लाख रुपये से कम नहीं है वह पूर्ण मुद्रा अदला-बदली के लिए लाइसेंस लेने हेतु आवेदन कर सकता है। प्रतिबंधित मुद्रा अदला-बदली के मामले में स्वामित्व में किसी निवल राशि को निर्धारित नहीं किया गया है। प्रतिबंधित मुद्रा अन्तरण लाइसेंस सभी स्थानों में ऐसी सुविधाओं की मांग को ध्यान में रखते हुए टेलीफोन एसटीडी बूथ की लाइनों पर कई संस्थापनाओं को प्रदान किये जा सकते हैं।

(घ) विदेशी मुद्रा के नकदीकरण संबंधी विनियमों की समीक्षा नियमित आधार पर की जाती है।

[हिन्दी]

आकाशवाणी का निजीकरण

3255. श्री अखिलेश यादव: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आकाशवाणी के निजीकरण हेतु कोई निर्णय ले लिया है या इस पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो आकाशवाणी जैसे संवेदनशील प्रसारण माध्यम के निजीकरण के क्या कारण है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

विदेशी कम्पनियों की इक्विटी

3256. श्री जयभान सिंह पवैया: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सैटेलाइट चैनल के क्षेत्र में कुल इक्विटी का 49 प्रतिशत विदेशी कम्पनियों को देने की अनुमति देने का है;

(ख) क्या सरकार को विदेशी भागीदारी की यह सीमा कुल इक्विटी के केवल 25 प्रतिशत तक सीमित रखने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) सरकार ने 49% स्वीकार्य विदेशी इक्विटी से भारत में निगमित निजी कम्पनियों (दूरसंचार क्षेत्र की तरह एन.आर.आई. ओ.सी.बी./पी.आई.ओ. सहित) को सुरक्षा संबंधी स्वीकृति के अधीन प्रसारकों को किराये पर देने के लिए अपलिंकिंग केन्द्र (हब) (टेलीपोर्ट) स्थापित करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। सरकार ने उन्हें उनके स्वामित्व अथवा इक्विटी हिस्सेदारी या प्रबंध नियंत्रण पर ध्यान दिये बिना उपग्रह टेलीविजन चैनलों की अपलिंकिंग की अनुमति भी देने का निर्णय लिया है जो कि सुरक्षा संबंधी स्वीकृति और कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिता के अनुपालन पर निर्भर करती है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पुनर्गठन हेतु विशेषज्ञ समिति

3257. श्री कोलूर बसवनागौड: क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का पुनर्गठन करने हेतु एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति के सदस्यों के नामों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त समिति के निदेश पद क्या हैं; और

(घ) इस समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक दे दिए जाने की संभावना है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) जी, हाँ। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कार्यकरण को सुप्रवाही बनाने के लिए एक समीक्षा समिति का गठन किया गया है।

(ख) से (घ) समिति का गठन और विचारार्थ विषय संलग्न विवरण में दिए गए हैं। समिति का कार्यकाल 31 मार्च, 2001 तक है।

विवरण

संस्कृति विभाग का सम्बद्ध कार्यालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जिसे इस देश के प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारकों के परिरक्षण और विकास संबंधी व्यापक कार्य सौंपा गया है, ने अपने अस्तित्व के लगभग 140 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कार्यकरण को सुप्रवाही बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने एक समीक्षा समिति गठित करने का निर्णय लिया है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे:

(1)	पद्म भूषण प्रो. बी.बी. लाल, महानिदेशक (सेवानिवृत्त), भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, एफ/7, हौजखास, नई दिल्ली।	अध्यक्ष
(2)	श्री एम.एन. देशपांडे, महानिदेशक (सेवानिवृत्त), भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, डी/25 प्रैस एन्कलेव, साकेत, नई दिल्ली।	सदस्य
(3)	डा. एस.आर. राव, पूर्व उप महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, 1233, 34 क्रॉस, 26-ए. मेन, चतुर्थ ब्लॉक जयानगर, बंगलौर-560041	सदस्य
(4)	डा. एस.पी. गुप्ता, अध्यक्ष, भारतीय पुरातात्विक सोसायटी, बी/17, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली।	सदस्य
(5)	श्री ओ.पी. अग्रवाल, अपर महानिदेशक, रक्षा मंत्रालय (सेवानिवृत्त) और पूर्व निदेशक (प्रशा.), भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, बी-22, एस.एफ.एस. फ्लैट्स, शेख सराय, नई दिल्ली	सदस्य
(6)	डा. एम.बी. अत्रेय अत्रेय मैनेजमेंट सिस्टम, ए-18, चितरंजन पार्क, नई दिल्ली-110019	सदस्य
(7)	डा. ए. सुन्दरा पूर्व प्रोफेसर, धारवाड़ विश्वविद्यालय, कर्नाटक, मार्फत/भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण धारवाड़ सर्किल धारवाड़, कर्नाटक	सदस्य
(8)	श्री रवि भूधलिंगम सदस्य, सी.आई.आई., 7, शामनाथ मार्ग, दिल्ली-54	सदस्य
(9)	श्री आर.सी. अग्रवाल निदेशक (पुरातत्व), भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण	संयोजक और सचिव

समीक्षा समिति के विचारार्थ विषय

(1) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संगठन और अन्य वस्तुओं का पुनर्गठन करना ताकि इसे और अधिक व्यावसायिक और प्रभावशाली बनाया जा सके।

(2) पुरातत्व संस्थान का पुनर्गठन।

(3) सर्वेक्षण के समूह ''क'' अधिकारियों के भर्ती नियमों का पुनरीक्षण करना और उचित सिफारिशें करना।

(4) तकनीकी और शैक्षिक कार्यकलापों के कार्यकरण में सुधार करने के लिए उपायों की सिफारिश करना।

(5) अन्य कोई मद, जिसे समिति सर्वेक्षण के सुधार-कार्य के हित में उचित समझती हो।

समीक्षा समिति का कार्यकाल दिनांक 31.3.2001 को समाप्त हो जाएगा।

अप्रवासी भारतीयों द्वारा निवेश

3258. **श्री सवशीभाई मकवाना:**
डा. मदन प्रसाद जायसवाल:
श्री मानसिंह पटेल:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अप्रवासी भारतीयों ने वर्ष 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान आज तक प्रत्येक राज्य में, विशेषत: गुजरात और बिहार में कितना निवेश किया;

(ख) अप्रवासी भारतीयों से अधिकाधिक निवेश आकर्षित कराने के लिए उन्हें क्या-क्या रियायतें दी जा रही हैं;

(ग) क्या अप्रवासी भारतीयों द्वारा किये गये निवेश से क्षेत्रों का संतुलित विकास करने में मदद नहीं मिल रही है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने पिछड़े/ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकाधिक निवेश आकर्षित करने के लिए क्या प्रयास किये हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) अनिवासी भारतीय निवेश के राज्य-वार अंत:प्रवाह संबंधी आंकड़े केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं। तथापि, गुजरात और बिहार के राज्यों में किये गये निवेश सहित देश में 1998, 1999 और 2000 (आज की तारीख तक) की अवधि में अनिवासी भारतीय निवेश का अंत:प्रवाह निम्नानुसार है:

वर्ष	अनिवासी भारतीय निवेश की राशि (रुपए लाख में)
1998	38914.6
1999	35917.6
2000 (जून तक)	16321.0

(ख) विदेशी निवेशकों/कंपनी को यथा उपलब्ध विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सामान्य नीति व सुविधाएं, अनिवासी भारतीयों पर भी पूर्णत: लागू हैं। इसके अलावा, सरकार ने उन अनिवासी भारतीयों और विदेशी कारपोरेट निकायों के लिए, जिनका अनिवासी भारतीय निवेश सबंधी दावा 60% से अधिक होता है, कुछ विशेष रियायतें दे रखी हैं। इनमें (1) रियल एस्टेट और गृह निर्माण क्षेत्र में 100% तक एन.आर.आई./ओ.सी.बी. निवेश, (2) घरेलू एयरलाइन्स क्षेत्र में 100% तक एन.आर.आई./ओ.सी.बी. निवेश, और (3) बैंकिंग क्षेत्र में 40% तक एन.आर.आई./ओ.सी.बी. निवेश शामिल हैं।

(ग) और (घ) सरकार की नीति के अनुसार, अनिवासी भारतीयों को भारत में किसी भी स्थान पर निवेश करने की अनुमति है और इसी कारण से परियोजना का स्थापना-स्थल निवेशक की पसंद पर निर्भर करता है। पिछड़े/ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकाधिक निवेश आकर्षित करने के लिए सरकार ने कर-प्रोत्साहन व चालू योजनाएं मुहैया कर रखी हैं जैसे कि विकास केन्द्र योजना, परिवहन राजसहायता योजना, केन्द्रीय पूंजीगत निवेश राजसहायता योजना और केन्द्रीय ब्याज राजसहायता योजना।

बकाया ऋण

3259. **श्री कालवा श्रीनिवासुलु:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जून, 2000 की स्थिति के अनुसार प्रत्येक राज्य पर कितनी धनराशि का केन्द्रीय ऋण बकाया है;

(ख) 1999-2000 के दौरान प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि का ऋण जारी किया गया; और

(ग) 1998-99 के दौरान राज्य-वार केन्द्र को प्रत्येक राज्य द्वारा कितने ऋण और ब्याज का भुगतान किया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

जून, 2000 को यथाविद्यमान स्थिति के अनुसार 1999-2000 के दौरान बकाया केन्द्रीय ऋण और 1998-99 के दौरान केन्द्र (वित्त मंत्रालय) को वापस चुकाया गया ऋण तथा ब्याज की राज्यवार राशियों को दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	30.6.2000 को बकाया ऋण की राशि	वर्ष 1999-2000 के दौरान जारी कुल राशि	जारी कुल ऋणों में से वर्ष 1999-2000 के दौरान जारी ऋण की राशि	वर्ष 1998-99 के दौरान ऋण का पुनर्भुगतान	वर्ष 1998-99 के दौरान ब्याज का भुगतान
1.	आंध्र प्रदेश	14541.43	7545.25	2973.97	472.07	1441.04
2.	अरुणाचल प्रदेश	352.98	908.66	75.52	11.49	32.78
3.	असम	3012.91	3269.55	456.97	153.68	301.10
4.	बिहार	13227.62	8810.45	3051.18	488.41	1285.73
5.	गोवा	681.87	252.21	130.68	33.12	75.56
6.	गुजरात	14554.10	6053.63	3645.08	440.22	1477.58
7.	हरियाणा	4935.39	1878.68	1090.45	242.85	520.12
8.	हिमाचल प्रदेश	2587.90	1925.40	172.87	53.54	311.83
9.	जम्मू और कश्मीर	2744.91	4603.67	484.24	175.56	343.47
10.	कर्नाटक	9251.99	4698.54	2014.58	289.40	956.48
11.	केरल	5485.83	2975.97	1066.66	208.99	601.68
12.	मध्य प्रदेश	9187.43	6446.74	2349.64	336.20	896.40
13.	महाराष्ट्र	22610.02	8203.53	4968.6	725.47	2431.16
14.	मणिपुर	333.19	1000.31	94.27	11.28	30.63
15.	मेघालय	300.72	748.29	53.11	12.12	31.56
16.	मिजोरम	228.23	754.78	49.12	7.41	21.47
17.	नागालैंड	303.66	1007.19	57.83	13.81	32.03
18.	उड़ीसा	6743.12	4426.14	1244.64	239.03	659.40
19.	पंजाब	12246.63	2855.73	1997.46	537.62	1480.33
20.	राजस्थान	9411.06	5434.85	2511.11	299.89	997
21.	सिक्किम	195.57	438.95	38.66	7.45	19.10
22.	तमिलनाडु	11081.64	5338.52	2000.53	402.93	1177.13
23.	त्रिपुरा	563.68	1260.50	159.21	18.88	52.44
24.	उत्तर प्रदेश	29572.28	14401.59	5707.47	966.60	3010.01
25.	पश्चिम बंगाल	22181.61	9735.55	5629.20	482.30	2137.07
	कुल	196335.77	104974.68	42023.05	6630.32	20323.10

फुटकर व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

3260. **श्री अजय चक्रवर्ती:**
श्री किरीट सोमैया:
श्री हन्नान मोल्लाह:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार फुटकर व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को अनुमति न देने संबंधी अपने पूर्व निर्णय पर और फुटकर व्यापार के लिए विदेशी कंपनियों को अनुमति देने पर विचार कर रही है जैसाकि दिनांक 26 जून, 2000 के "दि इकॉनामिक टाइम्स" में "न्यू पॉलिसी आन एफ डी आई इन ट्रेडिंग आर्म्स लाइकली" शीर्षक से प्रकाशित समाचार में कहा गया है;

(ख) यदि हां तो क्या माननीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने व्यापार संघ के प्रतिनिधियों और संसद सदस्यों को आश्वासन दिया था कि सरकार फुटकर व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति नहीं देगी;

(ग) यदि हां, तो सरकार के अपने पूर्व निर्णय पर पुन: विचार करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या मुंबई लघु उद्योग संघों की ओर से इस संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की गई है;

(च) विदेशी निवेशकों/बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की ओर से इस संबंध में कितने अनुरोध और प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और ऐसे प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हेतु भुगतान करो और ले जाओ, अर्थ-थोक और फुटकर व्यापार अनुमति देने संबंधी अपने निर्णय पर भी पुनर्विचार कर रही है; और

(ज) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार भारत में 'भुगतान करो और ले जाओ' व्यापार हेतु स्पेन्सर एंड कम्पनी और मॉरीशस आधारित कंपनी को अनुमति देने के प्रस्ताव पर अपने निर्णय की समीक्षा करने का है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) मुम्बई लघु उद्योग एसोसिएशन से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें बहुराष्ट्रीय खिलौना के खुदरा व्यापारियों को भारत में कारोबार शुरु करने के लिए एफ डी आई अनुमोदन पर चिन्ता दर्शाई गई है, विशेषकर मैसर्स अल-फ्यूटेम सन्स एंड कंपनी को 'आर यू एस खिलौनों का आयात, विनिर्माण और बिक्री करने हेतु दी गई स्वीकृति के मामले में और लघु उद्योगों पर पड़ने वाले इसके प्रतिकूल प्रभाव के बारे में इस कंपनी को इस आधार पर अनुमति दी गई थी कि खिलौनें लघु उद्योग के लिए आरक्षित मद थी और इसलिए उक्त आवेदक या तो एस एस आई एककों को इन खिलौनों के विनिर्माण का आगे ठेका दे सकता है या नीति के अनुसार 50% निर्यात दायित्व का पालन करेगा। तथापि, फुटकर व्यापार के लिए कोई अनुमति नहीं दी गई है।

(च) चूंकि नीति सर्वविदित है, इसलिए नए अनुरोध/प्रस्ताव आगे नहीं आ रहे हैं। पूर्ववर्ती अनुमोदनों के ब्यौरे एस आई ए न्यूजलैटर में उपलब्ध हैं, जिसे व्यापक रूप से परिचालित किया गया है।

(छ) जी, नहीं।

(ज) ये अनुमोदन इस विषय में प्रचलित नीति के अनुसार दिए गए थे।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम की परिसंपत्तियों का हस्तांतरण

3261. **श्री हरीभाऊ शंकर महाले:** क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम की कुछ परिसंपत्तियों को भारतीय पर्यटन विकास निगम को हस्तांतरित करने के संबंध में केन्द्र सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

उद्यम पूंजी निधि

3262. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दोहरे कराधान की घटनाओं को समाप्त करने के लिए उद्यम पूंजी निवेश की धन प्राप्त करने के माध्यम के रूप में मान्यता देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने सेबी, आर.बी.आई., सी.बी.डी.टी. और डी.ई.ए. जैसी विभिन्न एजेंसियों द्वारा जारी निगमों में सामंजस्य बिठाने के लिए एक समिति का गठन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त समिति ने उद्यम पूंजी निधियों द्वारा कर रियायत का लाभ उठाने और पंजीकरण की पात्रता पाने के लिए कोई दिशानिर्देश, मानदण्ड और विनियम निर्धारित किए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार ने उन उद्यम पूंजी निधियों की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाए हैं जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23 एफ.ए.) के तहत कर रियायत का लाभ ले रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) से (च) उद्यम पूंजी से संबंधित विभिन्न मुद्दों की जांच के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा एक समिति का गठन किया गया था। सरकार ने समिति की सिफारिशों की जांच की तथा यह निर्णय किया कि सेबी घरेलू तथा विदेशी उद्यम पूंजी निधियों दोनों के पंजीकरण तथा नियमन के लिए एकल बिन्दु नोडल अभिकरण होगा।

वित्त अधिनियम, 2000 ने आय कर अधिनियम की धारा 10 में यह प्रावधान करने के लिए खण्ड (23 च ख) जोड़ा है कि किसी उद्यम पूंजी उपक्रम (वी.सी.यू.) में निवेश के लिए निधि जुटाने हेतु स्थापित किसी उद्यम पूंजी निधि (वी.सी.एफ.) अथवा वी.सी.सी. की आय आय-कर से छूट प्राप्त होगी। धारा 115-प यह व्यवस्था करने के लिए जोड़ा गया है कि किसी वी.सी.सी. अथवा वी.सी.एफ. में किए गए निवेश से किसी व्यक्ति को प्राप्त किसी आय पर उसी तरह आय-कर प्रभारित किया जाएगा, जैसा कि उस व्यक्ति द्वारा उद्यम पूंजी उपक्रम (वी.सी.यू.) में प्रत्यक्ष रूप से किए गए निवेश से प्राप्त आय पर किया जाता।

केन्द्र सरकार के उपक्रमों द्वारा विदेशी ऋण लेना

3263. श्रीमती श्यामा सिंह: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार के उपक्रमों ने विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक और अन्य विदेशी एजेंसियों से करोड़ों रुपए का ऋण लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा ऋण वापस कर दिए जाने के बावजूद सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से देय राशि नहीं वसूली गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(घ) सरकार द्वारा केन्द्र सरकार के उपक्रमों से इस प्रकार की देय राशि की वसूली के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. वल्लभभाई कथीरिया): (क) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमे अपनी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक इत्यादि जैसे विदेश पक्षों सहित विभिन्न स्रोतों से ऋण लेते हैं।

(ख) से (घ) हालांकि विदेशी पक्षों से प्राप्त ऋण सहित ऋण की वापसी ऋण प्रलेख की शर्तों तथा निबंधनों पर निर्भर करती है, परन्तु सरकारी क्षेत्र के संबंधित उपक्रम की वित्तीय व्यवहार्यता तथा भुगतान सामर्थ्य भी एक महत्वपूर्ण कारक है। यदि सरकार ने गारण्टी दी हुई है, तो यह सुनिश्चित करना उसका दायित्व है कि विश्व बैंक तथा एशियाई विकास बैंक जैसे अंतरराष्ट्रीय निकायों से प्राप्त ऋण की सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा समय पर वापसी की जाए।

भारतीय खाद्य निगम के गोदामों पर छापे

3264. श्री सी.पी. राधाकृष्णन: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में भारतीय खाद्य निगम के विभिन्न गोदामों का दुरुपयोग हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या गत दो वर्षों के दौरान सरकार ने भारतीय खाद्य निगम के गोदामों पर कोई छापे मारे हैं;

(ग) यदि हां, तो वर्ष-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन छापों के दौरान मिली जानकारी के आधार पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीराम चौहान): (क) भारतीय खाद्य निगम के गोदामों का दुरुपयोग किये जाने के संबंध में कोई सूचना नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

अदालत में सी.बी.ई.सी. के लंबित मामले

3265. **श्री प्रभुनाथ सिंह:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1 अप्रैल, 1999 तक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड की समीक्षा के अनुसार केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के अधिनिर्णय के मामले में 8000 करोड़ रुपये की धनराशि फंसी हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तब से कितनी धनराशि की वसूली की जा चुकी है तथा कितनी और धनराशि अधिनिर्णय के मामले में जुड़ गई है;

(ग) 1 अप्रैल, 1998, 1 अप्रैल, 1999 और 1 अप्रैल, 2000 तक अधिनिर्णय के कितने मामले लंबित पड़े हुए हैं और कितनी धनराशि फंसी हुई हैं; और

(घ) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और आयकर के अधिनिर्णय के मामले में आंकड़ा सहित फंसी धनराशि की वसूली में तेजी लाने हेतु उनके मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और अन्य विभागों के कार्यकलापों की गति प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) महोदय, दिनांक 1.4.99 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग में न्याय निर्णयन के बकाया मामलों में 7928 करोड़ रुपए की राशि फंसी हुई थी।

(ख) तब से पूर्वोक्त राशि में से 249 करोड़ रुपए की राशि वसूल की जा चुकी है। न्याय निर्णयन के नए मामलों में शामिल 8763 करोड़ रुपये की राशि जुड़ गई है।

(ग) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से संबंधित न्यायनिर्णयन के लिए बकाया मामलों की संख्या और उनमें फंसी राशि निम्नानुसार हैं:-

दिनांक 1.4.1998 की स्थिति के अनुसार		दिनांक 1.4.1999 की स्थिति के अनुसार		दिनांक 1.4.2000 की स्थिति केअनुसार	
मामलों की संख्या	अंतर्ग्रस्त राशि (रुपए करोड़ों में)	मामलों की सं.	अंतर्ग्रस्त राशि (रुपये करोड़ों में)	मामलों की की सं.	अंतर्ग्रस्त राशि (रुपए करोड़ों में)
47812	6584	47334	7928	46741	8687

(घ) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क से संबंधित न्याय-निर्णयन के मामलों में फंसे धन की तेजी से वसूली के लिए किए गए उपायों में पर्याप्त राजस्व वाले आयुक्त स्तर के बहुत से मामले, पूर्णत: न्यायनिर्णयन कार्य के लिए, दिल्ली, मुम्बई और चेन्नई में तैनात केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (न्याय-निर्णयन) आयुक्तों को सौंपना, विभिन्न स्तरों नामत: मुख्य आयुक्तों, महानिदेशक (निरीक्षण) और बोर्ड स्तर पर बकाया मामलों की सक्रिय निगरानी करना और बड़ी मांग वाले मामलों में न्यायनिर्णयन कार्यवाहियों को वरीयता के आधार पर पूरा करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों को अनुदेश देना शामिल हैं। दिनांक 31.3.2000 की स्थिति के अनुसार सीमा शुल्क से संबंधित अदालती मामलों के अतिरिक्त अन्य मामलों में फंसी राशि 718 करोड़ रुपये थी। आयकर अधिनियम के अंतर्गत न्याय-निर्णयन कार्यवाहियों के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश को एशियाई विकास बैंक से ऋण

3266. **श्रीमती जयश्री बैनर्जी:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एशियाई विकास बैंक ने मध्य प्रदेश राज्य सरकार को 25 करोड़ अमरीकी डालर का ऋण मंजूर किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या मार्च, 2000 में 10 करोड़ डालर के ऋण की पहली किस्त जारी की जा चुकी है;

(ग) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किन कार्यों के लिए उक्त ऋण के उपयोग का प्रस्ताव है; और

(घ) इस ऋण की ब्याज दर, नियम और शर्तें तथा भुगतान की अवधि क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) एशियाई विकास बैंक ने मध्य प्रदेश लोक संसाधन प्रबंधन कार्यक्रम ऋण के लिए 250 मिलियन अमरीकी डालर का एक ऋण अनुमोदित किया है।

(ख) 100 मिलियन अमरीकी डालर की पहली किस्त का संवितरण एशियाई विकास बैंक द्वारा दिनांक 17 दिसम्बर, 1999 को कर दिया गया है।

(ग) यह ऋण वहनीय लोक वित्तों के मध्यावधिक ढांचे के अंतर्गत बड़े पैमाने पर संसाधन जुटाकर, संसाधनों के उपयोग की कारगरता को सुधार कर और संकेन्द्रित सामाजिक क्षेत्र के उपयोगार्थ पुन: आबंटन करके राज्य के मानव विकास को सुधारने के लिए किये जा रहे प्रयासों और बुनियादी मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने की सहायतार्थ है।

(घ) अमरीकी डालरों के लिए ब्याज दर बैंक के पुल आधारित परिवर्त्ती उधार दर प्रणाली पर आधारित है। इस पर 0.75 प्रतिशत प्रतिवर्ष का वचनबद्धता प्रभार लगता है और ऋण की वापसी अदायगी 3 वर्ष की रियायती अवधि सहित 15 वर्ष में करनी होती है।

[अनुवाद]

प्रत्यक्ष कर अधिकरण

3267. श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे:
श्री गिरधारी लाल भार्गव:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में स्थानवार कुल कितने प्रत्यक्ष कर अधिकरण हैं और 31 मार्च, 2000 की स्थिति के अनुसार इनमें से प्रत्येक में कितने मामले लम्बित थे और इनमें अनुमानित कितनी धनराशि अंतर्निहित है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्यक्ष कर अधिकरणों द्वारा वसूल की गई बकाया धनराशि का अधिकरण-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा अधिकरणों को दिए गए निर्देशों का ब्यौरा क्या है और चालू वर्ष में वसूली के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(घ) क्या देश में और अधिक अधिकरणों की स्थापना का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) देश में केवल एक आयकर अपीलीय अधिकरण है जो प्रत्यक्ष करों के मामलों को देखता है। आयकर अपीलीय अधिकरण विधि कार्य विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में है। दिनांक 31.3.2000 की स्थिति के अनुसार आयकर अपीलीय अधिकरण के पास लम्बित मामलों की संख्या 2,62,652 है।

(ख) से (घ) आयकर अपीलीय अधिकरणों द्वारा बकाया धनराशि की वसूली नहीं की जाती है। अत: प्रश्न के भाग (ख), (ग) और (घ) के उत्तर का प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राजस्थान में पर्यटक सैरगाहों का विकास

3268. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई: क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पर्यटन स्थल विकास योजना के अंतर्गत राजस्थान में विश्व विख्यात मारू त्रिकोण पर्यटक सैरगाह का विकास करने के लिए कितनी सहायता प्रदान की गई है;

(ख) क्या ओ.ई.सी.एफ., जापान के सहयोग से पर्यटक सैरगाह मारू त्रिकोण का विकास करने के संबंध में कोई योजना सरकार के विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) राजस्थान में जैसलमेर-जोधपुर-बीकानेर-बाड़मेर यात्रा परिपथ पर्यटन अवसंरचना विकास के लिए विनिर्दिष्ट परिपथ है। सरकार ने राज्य सरकार के परामर्श से इस परिपथ में परियोजनाओं को केन्द्रीय वित्तीय सहायता के लिए स्वीकृत किया है। चालू योजना अवधि के दौरान स्वीकृत केन्द्रीय वित्तीय सहायता इस प्रकार है:

वर्ष	परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत राशि (लाख रु. में)
1997-98	2	32.17
1998-99	3	53.20
1999-2000	-	-
2000-2001	1	40.00

(ख) और (ग) मई, 1998 में नाभिकीय परीक्षणों के अनुसरण में किए गए आर्थिक उपायों के अनुसार जापान सरकार द्वारा सभी नई परियोजनाओं के लिए येन ऋण देना बन्द कर दिए जाने के कारण ओ.ई.सी.एफ. भारत में किसी नई योजना को सहायता नहीं दे रहा है।

[अनुवाद]

'भेल' की इकाइयों का विस्तार

3269. **श्री अनन्त नायक:** क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड (भेल) द्वारा नौवीं योजना के दौरान अपनी इकाइयों के विस्तार का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो विस्तार कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. वल्लभभाई कथीरिया): (क) और (ख) जी, नहीं। भेल की इस समय देश के विभिन्न भागों में 14 निर्माणकारी इकाइयां उत्पादन कर रही हैं। नौवीं योजना की अवधि के दौरान इसका अपनी इकाइयों के विस्तार का कोई प्रस्ताव नहीं है। हालांकि, भेल ने अपनी विभिन्न इकाइयों की दक्षता का आधुनिकीकरण तथा उन्नयन करने का एक कार्यक्रम बनाया है।

दूरदर्शन/आकाशवाणी द्वारा कार्यक्रमों का निर्माण

3270. **श्री ब्रजमोहन राम:** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन दूरदर्शन और आकाशवाणी केन्द्रों के स्थान-वार नाम क्या है जो कार्यक्रमों का स्वयं निर्माण करके उनका प्रसारण करते हैं;

(ख) क्या सरकार बिहार के डाल्टनगंज दूरदर्शन केन्द्र को कार्यक्रमों के निर्माण और प्रसारण की अनुमति दे रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस केन्द्र से इन कार्यक्रमों का प्रसारण कब से शुरू होने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि सभी आकाशवाणी केन्द्रों के पास प्लेबैक सुविधाओं सहित स्टूडियो और क्षेत्र विशेष की बोलियों/भाषाओं में कार्यक्रमों की योजना बनाने और निर्माण करने के लिए अपेक्षित व्यावसायिक कार्यक्रम अधिकारियों की टीम हैं। जहां तक दूरदर्शन का संबंध है, दिल्ली, लखनऊ, गोरखपुर, बरेली, मऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, जयपुर, जालंधर, श्री नगर, जम्मू, शिमला, मुम्बई, नागपुर, पुणे, अहमदाबाद, राजकोट, भोपाल रायपुर, पणजी, इन्दौर, ग्वालियर, चैन्नई, हैदराबाद विजयवाड़ा, बेंगलूर गुलबर्ग, तिरुवनन्तपुरम, पांडिचेरी, कलकत्ता, शान्तिनिकेतन, जलपाईगुड़ी, भुवनेश्वर संबलपुर, पटना, रांची, मुजफ्फरपुर, डाल्टनगंज, पोर्ट-ब्लेयर, सिलचर, डिब्रुगढ़, शिलांग, तुरा, इम्फाल, ईटानगर, कोहिमा, ऐजवाल और अगरतला स्थित दूरदर्शन केन्द्र उनके द्वारा स्वयं निर्मित कार्यक्रम प्रसारित करते हैं। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय कार्यक्रम निर्माण केन्द्र, दिल्ली कार्यक्रमों का निर्माण करता है और इन्हें राष्ट्रीय चैनल एवं डीडी मैट्रो पर प्रसारण करता है। कार्यक्रम निर्माण केन्द्र, गुवाहाटी भी कार्यक्रमों का निर्माण करता है और इन्हें दूरदर्शन की उत्तर-पूर्वी सेवा पर प्रसारण करता है।

(ख) और (ग) दूरदर्शन केन्द्र, डाल्टनगंज पहले से ही स्थानीय कार्यक्रमों का निर्माण और प्रसारण कर रहा है।

राज्यों से कर एकत्र करना

3271. **डा. संजय पासवान:**
श्री चन्द्रनाथ सिंह:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों में प्रति वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान केन्द्र द्वारा एकत्र किये गये कुल कर में राज्यों की भागीदारी में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान संयुक्त रूप से आय कर और उत्पाद शुल्क में राज्यों की भागीदारी के संदर्भ में इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इन खंडों में राजस्व की प्राप्ति में कमी को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) से (ग) नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार केन्द्रीय करों/शुल्कों में राज्यों का हिस्सा वर्ष-दर-वर्ष (वर्ष 1997-98 को छोड़कर) बढ़ता रहा है:

2000-2001	54079 करोड़ रुपए
1999-2000	43510 करोड़ रुपए
1998-99	39145 करोड़ रुपए
1997-98	43548 करोड़ रुपए

वर्ष 1997-98 के दौरान स्वैच्छिक आय घोषणा योजना, 1997 के अधीन अत्यधिक अनावर्ती प्राप्तियों के कारण केन्द्रीय करों में राज्यों के हिस्से में असामान्य वृद्धि हुई थी।

[हिन्दी]

बीमा क्षेत्र में बैंकों का प्रवेश

3272. डा. अशोक पटेल: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बीमा क्षेत्र में कार्य करने हेतु चार सबसे बड़े राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा एक विदेशी भागीदार के साथ मिलकर कोई गठबंधन बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रत्येक बैंक द्वारा तथा विदेशी भागीदार द्वारा पृथक-पृथक कितनी शेयर पूंजी के अंशदान करने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहेब विखे पाटील): (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसे बीमा क्षेत्र में कार्य करने हेतु विदेशी भागीदार के साथ गठबंधन बनाने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों से कोई प्रस्ताव नहीं मिला है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

भारतीय अर्थव्यवस्था

3273. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत को विश्व में सर्वाधिक तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में मान्यता मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारत की तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था की क्या-क्या उपलब्धियां हैं; और

(घ) देश में औद्योगिक विकास, गरीबी उन्मूलन और वित्तीय निवेश के संबंध में अद्यतन स्थिति क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) से (घ) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट 2000 दर्शाती है कि वर्ष 1990-98 के दौरान भारत के सकल राष्ट्रीय उत्पाद की वार्षिक वृद्धि दर सभी विकासशील देशों की उसी अवधि के दौरान 5.1 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 5.6 प्रतिशत है। तथापि, कुछ विकासशील देश ऐसे हैं जिन्होंने उसी अवधि में भारत की तुलना में उच्च वृद्धि दर दर्ज की है। केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (सी.एस.ओ.) में उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 1998-99 (त्वरित अनुमान) में 6.8 प्रतिशत की तुलना में 1999-2000 में 6.4 प्रतिशत है; औद्योगिक उत्पादन सूचकांक द्वारा यथा प्रतिबिम्बित औद्योगिक उत्पादन की समग्र वृद्धि 1998-99 के 3.8 प्रतिशत से बढ़कर 1999-2000 में 8.1 प्रतिशत हो गई; और, 1998-99 में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में (बाजार मूल्यों) पर 1993-94 के मूल्यों पर) वास्तविक सकल घरेलू पूंजी निर्माण 25.1 प्रतिशत था। गरीबी की स्थिति से संबंधित नवीनतम सरकारी आंकड़े 1993-94 तक उपलब्ध हैं। इसके अनुसार, अखिल भारतीय गरीबी अनुपात वर्ष 1987-88 के 38.9 प्रतिशत से घटकर 1993-94 में 36 प्रतिशत हो गया।

[अनुवाद]

पाटनरोधी और संबद्ध शुल्क निदेशालय

3274. श्री जी.एस. बसवराज: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार और अधिक वस्तुओं को खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन लाने की कार्रवाई के अनुरूप पाटनरोधी और संबद्ध शुल्क महानिदेशालय के विस्तार पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत एक वर्ष के दौरान निदेशालय ने घरेलू उद्योग/व्यापार की शिकायत पर विशिष्ट वस्तुओं की अंधाधुंध डम्पिंग के कितने मामलों की जांच की;

(घ) एन्टी-डम्पिंग के बारे में नामोदिष्ट प्राधिकारी के कितने आदेशों को सी.ई.जी.ए.टी. के सम्मुख अपील द्वारा चुनौती दी गई और क्या आदेशों पर रोक लगाई गई या इन्हें समाप्त किया गया;

(ङ) क्या एन्टी-डम्पिंग के बारे में नामोदिष्ट प्राधिकारी ने स्वत: प्रेरणा से जांच आरंभ कर दी है और क्या उक्त प्राधिकारी के पास उन स्थितियों की पहचान करने के लिए विशेषज्ञता और श्रमशक्ति है जिनमें बड़ी मात्रा में वस्तुओं की डम्पिंग से घरेलू उद्योग के चलने में खतरा पैदा हो सकता है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्री तथा उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) और (ख) पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय क्षति पहुँचाने वाली वस्तुओं के पाटन के सभी मामलों में कार्रवाई करने के लिए सक्षम है। मामलों की बढ़ती हुई संख्या से निपटने के लिए पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय को आवश्यकतानुसार समुचित रूप से सुदृढ़ किया जाएगा।

(ग) पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय ने 1 अप्रैल, 1999 से 31 मार्च, 2000 तक 19 मामलों में जांच की कार्रवाई शुरू की है। इन मामलों की स्थिति नीचे दी गई है:

(1) अंतिम निष्कर्ष	10
(2) प्रारंभिक निष्कर्ष	07
(3) लंबित प्रारम्भिक निष्कर्षों के मामले	02

(घ) पाटनरोधी मामलों में निर्दिष्ट प्राधिकारी के उन आदेशों की संख्या 20 है जिनमें सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क, स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण (सी ई जी ए टी) में चुनौती दी गई है। इनमें से 7 मामलों में निर्दिष्ट प्राधिकारी के आदेशों को बरकरार रखा गया है, एक मामले में आंशिक रूप से बरकरार रखा गया है, 3 मामले सी ई जी ए टी द्वारा खारिज कर दिए गए हैं; क्योंकि इन्हें नियमानुसार बरकरार नहीं रखा जा सकता। तीन मामलों में निर्दिष्ट प्राधिकारी के आदेशों को रद्द कर दिया गया है। सी ई जी ए टी अभी 6 मामलों पर विचार कर रहा है।

(ङ) और (च) सीमाशुल्क टैरिफ नियम 1995 के नियम 5(4) के अतंर्गत निर्दिष्ट प्राधिकारी स्वत: जांच की शुरुआत कर सकता है, यदि वह सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत नियुक्त सीमाशुल्क समाहर्ता से प्राप्त सूचना अथवा किसी अन्य स्रोत से प्राप्त सूचना से यह संतुष्ट हो जाता है कि विदेशी माल की डंपिंग, घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति और इन दोनों के बीच कारणात्मक संबंध के बारे में पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने वर्ष 1995 में अमरीका के खिलाफ एक मामले में स्वत: जांच शुरू की थी।

प्रिंट मीडिया का विकास

3275. श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आवधिक/समाचार पत्रों के नामों की स्वीकृति हेतु लंबित पड़ी ढेर सारी फाइलों को निपटाए जाने से संबंधित प्रक्रिया को सरल और आसान बनाने के लिए नए सिरे से पहल की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और नामों की स्वीकृति हेतु लंबित पड़े आवधिक/अखबारों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) प्रिंट मीडिया के विकास के लिए हाल ही में उठाए गए कदम और इससे पड़ने वाले प्रभाव का ब्यौरा क्या है; और

(घ) प्रिंट मीडिया में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सहित विज्ञापन नीति आदि में बदलाव हेतु विचाराधीन अन्य मुख्य निर्णयों का ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) और (ख) उन शीर्षकों जिन्हें प्रकाशकों द्वारा बिना उपयोग के रोके रखा गया था, को निर्मुक्त करने का काम वर्ष 1998 से चरणबद्ध रूप से किया जा रहा है। 31.3.2000 की स्थिति के अनुसार, लगभग 1.87 लाख शीर्षक निर्मुक्त किए गए हैं। 31.7.2000 की स्थिति के अनुसार, भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक के पास शीर्षक सत्यापन के लिए कोई भी बकाया आवेदन-पत्र लम्बित नहीं है।

(ग) समाचारपत्रों एवं पत्रिकाओं से संबंधित अधिकतर प्रिंट मीडिया निजी क्षेत्र में हैं। इसलिए, सरकार ने प्रिंट मीडिया के विकास के लिए कोई विशेष कदम नहीं उठाया है।

(घ) मौजूदा क्षेत्रीय नीतियों एवं क्षेत्रीय इक्विटी सीमा की समीक्षा करने और विज्ञापन क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में विदेशी पूंजी-निवेश के संबंध में आवश्यक परिवर्तनों के बारे में निर्णय लेने के लिए मंत्रियों के एक दल का गठन किया गया है। वर्तमान में, स्वत: अनुमोदन विधि के अंतर्गत, विज्ञापन के क्षेत्र में विदेशी पूंजी निवेश, प्रदत्त इक्विटी के 74% तक अनुमेय है। प्रिंट मीडिया क्षेत्र में विदेशी पूंजी निवेश को 1955 के मंत्रिमंडलीय निर्णय के अनुसार नियंत्रित किया जाता है जिसमें विदेशी स्वामित्व वाले समाचारपत्रों/पत्रिकाओं और मुख्य रूप से समाचारों एवं सामयिक विषयों से संबंधित विदेशी समाचारपत्रों/पत्रिकाओं के भारतीय संस्करणों के प्रकाशन का निषेध किया गया है।

विनिवेश प्रस्ताव

3276. श्री चिन्तामन जनमा: क्या विनिवेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1998, 1999 और 30 जून, 2000 तक विनिवेश आयोग को कुछ प्रस्ताव भेजे गए हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आयोग ने इन प्रस्तावों पर अब तक अपनी सिफारिशें भेजी हैं;

(घ) यदि हां, तो प्रस्ताव-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार इन सिफारिशों के क्रियान्वयन के लिए कोई कार्रवाई करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री, विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) और (ख) 1996 में इसके आरंभण से लेकर अब तक विनिवेश आयोग के पास 72 प्रस्ताव भेजे गए हैं। वर्ष 1998 से निम्नलिखित सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को विनिवेश आयोग के विचारार्थ भेजा गया है:-

1998

1. मिनरल्स एवं मैटल ट्रेडिंग कार्पोरेशन
2. स्ट्रेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.।
3. प्रोजेक्ट एंड इक्विपमेंट कार्पोरेशन आफ इंडिया लि.।
4. हिंदुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लि.।
5. मैटल स्क्रैप ट्रेड कार्पोरेशन लि.।
6. मैटालर्जिकल एंड इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स (आई) लि. (एम ई सी ओ एन)
7. नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि.।
8. स्पंज आयरन इंडिया लि.।
9. पारादीप फास्फेट्स लि.।
10. मिनरल एक्सप्लोरेशन कार्पोरेशन लि.।

1999

11. हिंदुस्तान हैवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लि.।
12. हिंदुस्तान ओर्गेनिक कैमिकल्स लि.।
13. हिंदुस्तान इसैक्टिसाइड्स लि.।
14. इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि.।
15. हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लि.।
16. बंगाल इम्यूनिटी लि.।
17. स्मिथ स्टेनिस्ट्रीट एंड फार्मास्यूटिकल्स लि.।
18. बंगाल कैमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि.।
19. भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लि.।
20. सी एम सी लि.।
21. राष्ट्रीय कैमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लि.।
22. राष्ट्रीय इस्पात निगम लि.।

इनमें से सरकारी क्षेत्र के एक उपक्रम नामत: सी एम सी लि. का विनिवेश आयोग की सूची में से वापस ले गया था। सरकारी क्षेत्र के छ: उपक्रम नामत: इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि., हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लि., बंगाल इम्यूनिटी लि., स्मिथ स्टेनिस्ट्रीट एंड फार्मास्यूटिकल्स लि., हैवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लि., तथा बंगाल कैमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि., बी आई एफ आर को भेजे गए हैं) इन 6 सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के मामलों में आयोग ने कोई सिफारिश नहीं दी है।

(ग) जी, हां।

(घ) एक विवरण संलग्न है।

(ङ) जी, हां।

(च) इन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में से सरकार ने सिद्धांतत: निम्न सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश करने का निर्णय लिया है। नामत: मिनरल्स एंड मैटल ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि., स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन, एम एस टी सी लि. मिनरल एक्सप्लोरेशन कार्पोरेशन लि., स्पंज आयरन इंडिया लि., एच ओ सी एल तथा एच आई एल लि.।

विवरण

क्र.सं.	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के नाम	मुख्य सिफारिशें
1	2	3
1.	एम.एम.टी.सी.	उपयुक्त स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के क्रियान्वयन के माध्यम से कर्मचारी संख्या में कमी के साथ अनुकूल क्रेता के माध्यम से 51 प्रतिशत इक्विटी

1	2	3
		की पेशकश। प्रबंध नियंत्रण के हस्तांतरण के पश्चात् सरकार की शेष इक्विटी धारिता का मूल्य बढ़ने के पश्चात् आम जनता को शेयरों को बिक्री की पेशकश।
2.	स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन इंडिया लिमिटेड	स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों को अनुकूल क्रेता से कम मूल्य पर 5 प्रतिशत शेयर आरक्षित रखने के पश्चात् भारत सरकार की संपूर्ण धारिता की अनुकूल क्रेता को पेशकश। विनिवेश निर्णय के साथ ही कर्मचारियों को कम करने के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना।
3.	प्रोजेक्ट्स एंड इक्विपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	वर्तमान में कोई विनिवेश नहीं। यदि पीईसी के कारोबार तथा लाभप्रदत्ता में लघु तथा मध्यम उद्योगों से निर्यात से दो वर्षों के भीतर कोई महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं होती, तो सरकार कंपनी में शत-प्रतिशत इक्विटी की पेशकश किसी अनुकूल क्रेता को करेगी। पीईसी में निवेशक की रुचि न होने पर कंपनी को बंद करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं होगा।
4.	हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड	सरकार को उपक्रम बंद करने का प्रयास करना चाहिए। अगर वह ऐसा करना व्यवहार्य नहीं समझती है, तो 136 करोड़ रुपये की सांविधिक देयताओं को पूरा करने के पश्चात् लगभग 60-70 करोड़ प्रतिवर्ष की वार्षिक आवर्ती नकद हानियों को पूरा करते हुए उद्यम को जारी रखना एक मात्र विकल्प है।
5.	एमएसटीसी लिमिटेड	एफएसएनएल में एमएसटीसी की धारिता के साथ 100 प्रतिशत विनिवेश।
6.	मैटलर्जिकल एंड इंजी. कंसल्ट. (आई.) लिमिटेड	किसी अनुकूल भागीदारी जिसके पास एकमुश्त टर्न की के क्षमता है, को प्रबंधन में उचित भूमिका के साथ कम से कम 51 प्रतिशत की बिक्री।
7.	नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	चयनित संयुक्त उद्यम भागीदार को उनके विदेश स्थित उद्यम (उद्यमों) में एनएनडीसी की हिस्सेदारी के बदले 20-25 प्रतिशत शेयरों की पेशकश। इसके पश्चात् बिक्री की पेशकश के जरिए विनिवेश। अगर चयनित संयुक्त उद्यम भागीदार को 20-25 प्रतिशत तक इक्विटी का विनिवेश व्यवहार्य नहीं है, तो घरेलू अथवा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 49 प्रतिशत तक इक्विटी की चरणों में बिक्री। आयरन अयस्क के पूर्वेक्षण तथा निर्यात को विनियमित करने के लिए एक नियामक प्रविधि के लागू होने तक सरकार 51 प्रतिशत इक्विटी बनाए रखेगी।
8.	स्पंज आयरन इंडिया लिमिटेड	कंपनी के तुलनपत्र के समाशोधन के बाद, 100 प्रतिशत विनिवेश।
9.	पारादीप फास्फेट्स लिमिटेड	अनुकूल बिक्री के माध्यम से कम से कम 51 प्रतिशत धारिता का विनिवेश। वित्तीय पुनर्संरचना के क्रियान्वयन के साथ ही अनुकूल बिक्री प्रारम्भ की जानी चाहिए। बाद में भारत सरकार अपनी शेष धारिता का बेहतर मूल्य प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक निर्गम के माध्यम से शेष धारिता का विनिवेश कर सकती है।

2	3
मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लिमिटेड	भारत सरकार को 3 विकल्पों में से चुनना है। 1. स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना क्रियान्वित करना, एमईसीएल को कार्य करने तथा पीएल के लिए आवेदन करने की अनुमति देना। 2. जैसे-है-जहां-है-आधार पर 100 प्रतिशत इक्विटी को बेचना। 3. बंद करना।
हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लिमिटेड	भारत सरकार के पास 26 प्रतिशत इक्विटी रखते हुए किसी अनुकूल क्रेता को भारत सरकार की 59 प्रतिशत धारिता में से कंपनी की इक्विटी के 33 प्रतिशत एचओसीएल शेयरों का विनिवेश।
हिंदुस्तान इंसैक्टिसाइडस लिमिटेड	सरकार को किसी अनुकूल क्रेता को नई प्रौद्योगिकी तथा अतिरिक्त निवेश के साथ अपनी वर्तमान श्रेणी को विविधीकृत करने में सक्षम बनाने के लिए प्रबंधन नियंत्रण सहित इक्विटी के न्यूनतम 51 प्रतिशत हिस्से की पेशकश करनी चाहिए।
भारत हैवी इलैक्ट्रीकल लिमिटेड	अनुकूल भागीदारों के रूप में वित्तीय संस्थाओं को उनके पक्ष में भेल की 20 प्रतिशत पक्ष में इक्विटी के विनिवेश के जरिए शामिल करना। वित्तीय संस्थाओं को कंपनी में 10 प्रतिशत की इक्विटी हिस्से की तथा विदेशी निजी इक्विटी निधियों/वित्तीय संस्थाओं को और 10 प्रतिशत इक्विटी की पेशकश करते हुए भारतीय तथा विदेशी दोनों पक्षों को प्रबंध में उचित भूमिका दी जाए। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए अनुकूल भागीदारों के साथ पृथक शेयरधारक समझौतों पर हस्ताक्षर कर सकती है कि भेल की शेयरधारिता से उनके हटने के मामले में, सरकार की पूर्व सहमति या प्रथमत: इंकार प्राप्त किया जाए, ताकि भेल को समर्थन के दृष्टिकोण से नया क्रेता भी सरकार को एक अनुकूल भागीदार के रूप में स्वीकृत हो तथा सरकार के साथ उचित शेयरधारक करार करने का इच्छुक हो।
राष्ट्रीय कैमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	किसी अनुकूल क्रेता के पक्ष में प्रबंधन नियंत्रण अंतरण सहित सरकारी इक्विटी के कम से कम 51 प्रतिशत हिस्से का विनिवेश। अनुकूल क्रेता का चयन वैश्विक प्रतियोगी बोली के माध्यम से किया जाना चाहिए।
राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	भारत सरकार को कंपनी को बीआईएफआर के पास भेजे जाने से बचाने तथा इसके तुलनपत्र के समाशोधन के लिए इसकी ''संपूर्ण शेयर मनी पेंडिंग अलॉटमेंट'' तथा ''प्रैफरेंस शेयर कैपिटल'' को प्रति आरआईएनएल की समूची संचित हानियों को बट्टे खाते डाल देना चाहिए। सरकार को किसी अनुकूल भागीदार को इसकी शेष इक्विटी के 51 प्रतिशत से अन्यून हिस्से के विनिवेश की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए।

[हिन्दी]

विदेशी पर्यटकों के लिए विशेष पैकेज

3277. श्री सुरेश चन्देल: क्या पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु कुछ विशेष पैकेजों की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित किये जाने की संभावना है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) जी, हां।

(ख) अनिवासी भारतीयों/भारतीय मूल के व्यक्तियों सहित विदेशी पर्यटकों के लिए विशेष पैकेज निम्न प्रकार हैं:

(1) इंडियन एयरलाइन्स पर डिस्कवर इंडिया पैकेजस

(2) रेलगाड़ियों में असीमित यात्रा के लिए इन्डरेल पास

(3) अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक ब्यूरो के माध्यम से यात्रा करने पर विदेशी पर्यटक कोटा

(ग) अर्जित विदेशी मुद्रा का समेकन राष्ट्रीय आधार पर किया जाता है विशिष्ट पैकेजों पर नहीं।

[अनुवाद]

उड्डपी में निर्माण केन्द्र

3278. श्री विनय कुमार सोराके: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरदर्शन का विचार दक्षिण कन्नड़ क्षेत्र की समृद्ध और अद्वितीय सांस्कृतिक और सामाजिक विरासत के दोहन हेतु कर्नाटक के उड्डपी में ''इन-हाउस प्रोडक्शन स्टुडियो'' खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) से (ग) इस समय कर्नाटक में बंगलौर और गुलबर्ग स्थित दो स्टूडियो केन्द्र कार्य कर रहे हैं। कर्नाटक में अन्य कोई स्टूडियो स्थापित करने की फिलहाल कोई स्कीम नहीं है। राज्य में स्टूडियो सुविधाओं का और विस्तार संसाधनों की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

[हिन्दी]

विदेशी बैंक

3279. कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1997-98 और 1998-99 के दौरान देश में कार्य कर रहे विदेशी बैंकों के घाटे और मुनाफे के लेखे का ब्यौरा क्या हैं;

(ख) क्या जून, 1998 से फरवरी, 1999 तक भारतीय बैंकों की तुलना में विदेशी बैंकों का कारोबार अधिक रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के सूचना अनुसार वर्ष 1997-98 तथा 1998-99 के दौरान भारत में परिचालन कर रहे विदेशी बैंकों का कुल निवल लाभ निम्नलिखित है:

1997-98	1998-99
629.78 करोड़ रु.	891.00 करोड़ रु.

ब्यौरा विवरण I तथा II में दर्शाया गया है।

(ख) और (ग) भारत में परिचालन कर रहे भारतीय तथा विदेशी बैंकों की जमाराशियों तथा अग्रिमों के विवरण निम्नलिखित हैं:

(रु. करोड़ में)

	जमाराशि (रुपया)	%	अग्रिम (रुपया)	%
सरकारी क्षेत्र के बैंक	636860.10	82.79	297350.24	80.46
गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंक	84915.19	11.04	42710.18	11.56
विदेशी बैंक	47453.29	6.17	29506.82	7.98

यह देखा जा सकता है कि वर्ष 1998-99 के दौरान विदेशी बैंकों का कारोबार भारतीय बैंकों के कारोबार की अपेक्षा अधिक नहीं है।

विवरण I

31.3.1998 की स्थिति के अनुसार विदेशी बैंकों के निवल लाभ तथा हानि के लेखे का ब्यौरा

(करोड़ रु. में)

	बैंक का नाम	निवल लाभ/हानि
	1	2
1.	अबूधाबी कमर्शियल बैंक	2.06
2.	एबीएन एमरो बैंक	66.07
3.	अमेरिकन एक्सप्रेस	68.16
4.	एएनजेड ग्रिंडलेज बैंक	229.88
5.	बैंक आफ अमेरिका एन टी एंड एस ए	177.00
6.	बैंक आफ बहरीन एंड कुवैत	-16.24
7.	मशरक बैंक	-9.02
8.	बैंक आफ नोवा स्कोटिया	7.07
9.	बैंक आफ टोकियो	-336.4
10.	क्रेडिट एग्रीकोल इंडोस्यूज	-14.74
11.	बैंके नेशनल डी पेरिस	18.14
12.	बारकलेस बैंक	6.08
13.	ब्रिटिश बैंक आफ मिड ईस्ट	3.09
14.	सिटी बैंक	119.22
15.	क्रेडिट लियोनित	-6.60
16.	डच बैंक	117.31
17.	हांगकांग बैंक	72.74
18.	ओमान इंटरनेशनल	-3.25
19.	सकुरा बैंक	1.57
20.	सुनवा बैंक	3.70
21.	सोसाइटी बैंक	10.35
22.	सोनाली बैंक	1.80
23.	स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक	66.70
24.	टोरोंटो डोमिनियन बैंक	1.24
25.	कामर्ज बैंक	-0.85
26.	बैंक आफ सिलोन	3.07
27.	स्लम कमर्शियल बैंक	6.13
28.	डीओडमेर बैंक	4.44
29.	डेव. बैंक आफ सिंगापुर	1.49
30.	बैंक ईंट इंडोनेशिया	-9.06
31.	अरब बांगला देश बैंक	0.76
32.	सीएचओ हंग बैंक	4.12
33.	चाइना ट्रस्ट काम. बैंक	0
34.	फुजी बैंक	4.69
35.	क्रंग थाई बैंक	2.30
36.	ओवरसीज चाइनीज बैंक	0.39
37.	काम. बैंक आफ कोरिया	0.66
38.	सुमिटोमो बैंक	2.01
39.	हानिल बैंक	1.13
40.	आईएनजी बैंक	10.75
41.	चेस मनहंटन बैंक	3.14
42.	स्टेट बैंक आफ मारीशस	8.70
	कुल	629.78

विवरण II

31.3.1999 की स्थिति के अनुसार विदेशी बैंकों के निवल लाभ तथा हानि के लेखे का ब्यौरा

(करोड़ रु. में)

	बैंक का नाम	निवल लाभ/हानि
	1	2
1.	अबूधाबी कमर्शियल बैंक	2
2.	एबीएन ऐमरो बैंक	87

1		2
3.	अमेरिकन एक्सप्रेस	8
4.	एएनजेड ग्रिंडलेज बैंक	175
5.	बैंक आफ अमेरिका एनटी एंड एसए	144
6.	बैंक आफ बहरीन एंड कुवैत	3
7.	मशरक बैंक	-10
8.	बैंक आफ नोवा स्कोटिया	21
9.	बैंक आफ टोकियो	-53
10.	क्रेडिट एग्रीकोल इंडोस्यूज	-5
11.	बैंके नेशनल डी पेरिस	23
12.	बारकलेस बैंक	1
13.	ब्रिटिश बैंक आफ मिड ईस्ट	-54
14.	सिटी बैंक	117
15.	क्रेडिट लियोनिस	15
16.	डच बैंक	50
17.	हांगकांग बैंक	54
18.	ओमान इंटरनेशनल	-13
19.	सकुरो बैंक	-26
20.	सनवा बैंक	3
21.	सोसाइटी जनरल	-22
22.	सोनाली बैंक	2
23.	स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक	169
24.	आईएनजी बैंक	1
25.	द चेस मनहट्टन बैंक	2
26.	स्टेट बैंक आफ मारिशस	6
27.	डेवलपमंट बैंक आफ सिंगापुर	3
28.	ड्रेसनर बैंक	-6
29.	कामर्ज बैंक	1
30.	बैंक आफ सिलोन	3
31.	द सियाम कमर्शियल बैंक	4
32.	बैंक इंटरनेशनल इंडोनेशिया	-19
33.	अरब बंगला देश बैंक	2
34.	सीएचओ हंग बैंक	5
35.	चाइना ट्रस्ट बैंक	-1
36.	फुजी बैंक	0
37.	कंगथाई बैंक	1
38.	ओवरसीज चाइनिज बैंकिंग कारपोरेशन	2
39.	हानिल बैंक	1
40.	टोरंटो डोमिनियन बैंक	2
41.	मोरगान मोंरती ट्रस्ट कं.	-11
42.	बैंक मस्कट	-1
43.	केबीसी बैंक एनवी	-1
44.	द सुमिटोमो बैंक लि.	6
	कुल	691

[अनुवाद]

निर्यात व्यापार में राज्यों का हिस्सा

3280. श्री जी.एम. बनातवाला: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश के निर्यात व्यापार में विभिन्न राज्यों का राज्य-वार क्या योगदान रहा; और

(ख) इन राज्यों विशेषकर निर्यात के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान करने वाले राज्यों में निर्यात अवसंरचना के सुधार हेतु सरकार क्या उपाय कर रही है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) केन्द्र सरकार द्वारा निर्यात आंकड़े समूचे देश के लिए रखे जाते हैं न कि राज्यवार।

(ख) केन्द्र सरकार भारत में सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से निर्यातों को बढ़ाने के लिए अपनी नीति और योजना बनाती है। सरकार अन्य बातों के साथ आकस्मिक बुनियादी सुविधा सन्तुलनकारी योजना और निर्यात संवर्द्धन औद्योगिक पार्क योजना के द्वारा राज्यों

को सहायता देकर निर्यात अवस्थापना को बढ़ाने का जोरदार प्रयास कर रही है। निर्यात को बढ़ाने के लिए राज्यों में निर्यात संसाधन क्षेत्रों की भी स्थापना की गई है।

महंगाई भत्ते की किस्त

3281. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार के कर्मचारी मूल्य सूचकांक में अत्यधिक वृद्धि होने के कारण 1 जुलाई, 2000 के प्रभाव से महंगाई भत्ते की एक और किस्त पाने के हकदार हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन कर्मचारियों को 1 जुलाई, 2000 के प्रभाव से कितने प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील): (क) से (ग) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते का संशोधन वर्ष में दो बार, पहली जनवरी और पहली जुलाई को किया जाता है तथा जिसका भुगतान क्रमश: मार्च एवं सितम्बर माह के वेतन के साथ किया जाता है। पहली जुलाई से दी जाने वाली किस्त सामान्यत: सितम्बर महीने के वेतन के साथ देय होती है। 1.7.2000 से देय महंगाई भत्ते की दरों में संशोधन संबंधी निर्णय इसके देय होने से पहले-पहले कर दिया जाएगा।

[हिन्दी]

ए.एस.आई. के अंतर्गत स्मारक

3282. श्री राजो सिंह: क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय स्मारकों की सूची में कितने और कौन-कौन से स्थान हैं;

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन स्थलों के रख-रखाव के लिए कितनी धनराशि प्रदान की गयी;

(ग) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय स्मारकों की सूची में पटना, बोधगया और राजगिर के कुछ अन्य स्थानों को शामिल करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा उनकी उचित देखभाल के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन बिहार में 76 स्थल/स्मारक हैं। उनकी सूची लोक सभा के पुस्तकालय में उपलब्ध है।

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) के दौरान इन स्थलों के अनुरक्षण के लिए 1,54,32,721 रुपए की व्यवस्था की गई।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

तमिलनाडु में पर्यटन संभावना

3283. श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन: क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत सरकार के पर्यटन नेटवर्क की सूची में तमिलनाडु के किन-किन पर्यटन स्थलों को स्थान दिया गया है और गत तीन वर्षों के दौरान आज तक इनके लिए कितनी आबंटित धनराशि जारी की जा चुकी है और इसमें कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर तमिलनाडु में पर्यटन की संभावना को प्रकाश में लाने के लिए कौन-कौन सी विशेष योजना तैयार की गई हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) तमिलनाडु राज्य सरकार के साथ परामर्श करके निम्नलिखित परिपथों को जिनमें पर्यटक रुचि के स्थल भी हैं, विकास के लिए अभिनिर्धारित किया गया है:

(1) चेन्नई-मामल्लापुरम-कांचीपुरम-वैलोर-तिरुवन्नामलाई-गिंजी-पांडिचेरी (दक्षिणी हैरिटेज परिपथ)

(2) कोची-थेकाडी-मदुरै-रामेश्वरम

तमिलनाडु को पर्यटन परियोजनाओं के लिए, जिनमें राज्य के पर्यटक रुचि के कुछ स्थलों सहित चैन्नई, मदुरै, रामेश्वरम आदि शामिल हैं, केन्द्रीय वित्तीय सहायता दी गई है। विवरण इस प्रकार है:

(लाख रुपयों में)

क्र.सं.	वर्ष	परियोजनाओं की सं.	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि
1.	1997-98	7	59.74	22.86
2.	1998-99	17	316.29	115.85
3.	1999-2000	26	493.85	104.56

(ख) सरकार अपने विदेश स्थित 18 पर्यटक कार्यालयों के माध्यम से प्रिंट एवं इलैक्ट्रानिक मीडिया में विज्ञापन, यात्रा मेलों में भागीदारी, मीडिया और यात्रा अभिकर्त्ताओं को आमंत्रित करके, पर्यटन संवर्धन में सूचना तकनालाजी के अधिकाधिक उपयोग के द्वारा तमिलनाडु राज्य सहित भारत की छवि को संवर्धित करके विदेशी और स्वदेशी पर्यटकों को आकृष्ट कर रही है।

आकाशवाणी/दूरदर्शन में रिक्तियां

3284. श्री टी. गोविन्दन: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय देश में दूरदर्शन तथा आकाशवाणी में केन्द्रवार, राज्यवार नहीं भरी गई रिक्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि तकनीकी तथा गैर तकनीकी स्टाफ की कमी इन स्टेशनों की एक बड़ी समस्या है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) और (घ) संशोधित स्टाफ संबंधी मानदण्डों के आधार पर कर्मचारियों की पुनर्तैनाती की एक स्कीम तैयार कर ली गई है और किसी केन्द्र विशेष पर कर्मचारियों की कमी को अन्य केन्द्रों के अतिरेक स्टाफ की पुनर्तैनाती करके यथा संभव सीमा तक पूरा किया जा रहा है।

"आगमन पर वीजा" योजना

3285. श्री अशोक कु. मोहोल: क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के लिए "आगमन पर वीजा" (वीजा-ऑन-अराइवल) योजना आरम्भ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने योजना को स्वीकृत कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो योजना कब तक आरम्भ की जाएगी; और

(ङ) इसके परिणामस्वरूप विदेशी पर्यटक की संख्या में कितनी वृद्धि होगी?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) से (ङ) आगमन पर वीजा जारी करने के प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

गुंटूर/विजयवाड़ा में एस.टी.सी. कार्यालय का खोला जाना

3286. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश से कृषि निर्यात के लिए गुंटूर या विजयवाड़ा में अलग से एक एस.टी.सी. कार्यालय स्थापित किये जाने की मांग है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एस.टी.सी. केवल दिल्ली और निकटस्थ स्थलों से ही निर्यात में रुचि लेता है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) विशेषकर आंध्र प्रदेश से निर्यात के मामले में एस.टी.सी. के दृष्टिकोण को अद्यतन बनाने और प्रशस्त करने के लिए प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) और (ख) एस टी सी के आंध्र प्रदेश राज्य में पहले से ही हैदराबाद, गुंटूर और विशाखापट्टनम में तीन कार्यालय हैं और काकीनाड़ा में एक भण्डारगृह भी है। भारत में एस टी सी के सभी शाखा कार्यालय उपलब्ध व्यापारिक अवसरों के अनुसार कृषि उत्पादों सहित निर्यात, आयात या घरेलू व्यापार कर सकते हैं। गुंटूर या विजयावाड़ा में दूसरा कार्यालय स्थापित करने की किसी मांग के बारे में एस टी सी को कोई जानकारी नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) एस टी सी का यह प्रयास रहता है कि आंध्र प्रदेश सहित राज्यों में जहां व्यापार के अवसर विद्यमान होते हैं, वहां ऐसे अवसरों का पता लगाता है।

मोटे अनाज का आयात और निर्यात

3287. **श्री होलखोमांग हौकिप:** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान मोटे अनाज के आयात और निर्यात का ब्यौरा क्या है;

(ख) इसके परिणामस्वरूप कितने विदेशी मुद्रा अर्जित/खर्च की गयी; और

(ग) वर्ष 2000-2001 के लिए इन खाद्यान्नों के निर्यात हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यातित और आयातित मोटे अनाज की कुल मात्रा और मूल्य निम्नानुसार हैं:

मात्रा: मीट्रिक टन में
मूल्य: करोड़ रु. में

वर्ष	निर्यात		आयात	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1997-98	15350	12.59	1124	0.34
1998-99	9527	8.68	2024	1.07
1999-2000 (अनंतिम)	9618	8.14	181159	114.62

(स्रोत: डी जी सी आई एंड एस, कलकत्ता)

(ग) एक्जिम नीति के अनुसार, मोटे अनाज का निर्यात समय-समय पर डी जी एफ टी द्वारा घोषित मात्रात्मक सीमाओं और कृषि प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) द्वारा जारी पंजीकरण-सह-आबंटन प्रमाणों (आर सी ए सी) के अधीन मुक्त रूप से किए जाने की अनुमति है। वर्ष 2000-2001 के लिए मोटे अनाज की 25000 मीट्रिक टन की मात्रात्मक सीमा निर्यात के लिए स्वीकृत की गई है।

अनिवासी भारतीय पर्यटकों को लुभाने के लिए "रोड शो"

3288. **श्री चन्द्रकांत खैरे:**
श्री सुरेश रामराव जाधव:

क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अपने "भारत के बारे में और जानिए" मिशन के अंतर्गत अधिक अनिवासी भारतीयों वाले देशों में "रोड शो" आयोजित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर कितनी राशि व्यय होने की संभावना है;

(घ) प्रत्येक वर्ष इस मिशन से कितनी अनिवासी भारतीय पर्यटकों को आकर्षित किये जाने की संभावना है; और

(ङ) पर्यटकों के आगमन में कितनी अनुमानित वृद्धि हुई है और इस पर कितनी अनुमानित धनराशि व्यय होने की संभावना है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) जी, हां।

(ख) प्रारंभ में कनाडा, यू.के., यू.एस.ए. तथा मारीशस में "नो इंडिया सेमिनार" आयोजित किए जाएंगे, जिनमें निम्नलिखित मदें सम्मिलित होंगी:

(1) कार्यशाला तथा सेमिनार का आयोजन

(2) "बैक टू द रूट्स" पर पैकेज

(3) मेलों तथा उत्सवों का संवर्धन

(4) अनिवासी भारतीयों तथा युवकों के लिए मिलेनियम पैकेज

(ग) से (ङ) अनिवासी भारतीयों/भारतीय मूल के व्यक्तियों का संवर्धन समग्र पर्यटन संवर्धन संबंधी चल रहे कार्यक्रम का हिस्सा है और प्रस्तावित सेमिनारों के लिए विशिष्ट रूप से व्यय का आकलन नहीं किया जा सकता। आशा है कि इन सेमिनारों से पर्यटक आगमनों में व्यापक रूप से वृद्धि होगी।

राष्ट्रीय नवीकरण कोष

3289. **श्री ए. नरेन्द्र:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय नवीकरण कोष अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सका;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इसकी उपलब्धियों का संक्षिप्त ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) से (ग) राष्ट्रीय नवीकरण निधि की स्थापना 3.2.1992 को एक सरकारी संकल्प द्वारा की गयी थी और इसका उद्देश्य आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकी उन्नयन और औद्योगिक पुनर्गठन के फलस्वरूप कर्मचारियों के पुन: प्रशिक्षण/पुन: तैनाती की आवश्यकताओं, तथा ऐसे युक्तियुक्त कर्मचारियों को मुआवजे के भुगतान और रोजगार-सृजन योजनाओं के लिए निधियां उपलब्ध कराना था।

राष्ट्रीय नवीकरण निधि से सहायता दो योजनाओं के लिए उपलब्ध करायी गयी है जो इस प्रकार हैं: (1) केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना, और (2) संगठित क्षेत्र से युक्तियुक्त किये गये कामगारों को परामर्श, पुन: प्रशिक्षण, आदि।

उपलब्ध सूचना के अनुसार गत तीन वर्षों में इन योजनाओं के तहत शामिल किये गये कामगारों की संख्या इस प्रकार रही:

श्रेणी	1997-98	1998-99	1999-2000
केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना	14,815	4,500	7,634
पुन: प्रशिक्षित कामगार	4,918	9,595	12,449
पुन: तैनात किये गये कामगार	1,132	4,648	4,885

12.7.2000 को एक राजपत्र अधिसूचना के द्वारा राष्ट्रीय नवीकरण निधि को समाप्त कर दिया गया है। किंतु, इन योजनाओं के तहत सहायता को सरकारी उद्यम विभाग द्वारा 5.5.2000 को घोषित की गयी संशोधित प्रक्रिया के अनुसार जारी रखा जायेगा।

प्रबंधन प्रशिक्षुओं की भर्ती

3290. **श्री रामदास आठवले:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आईडीबीआई और आईएफसीआई में कितने प्रबंधन प्रशिक्षुओं की भर्ती की गई;

(ख) इनमें से कितने व्यक्ति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हैं;

(ग) क्या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों का कोटा भर लिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो उनके कोटे को भरने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) और (ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई) ने पिछले तीन वर्ष अर्थात वर्ष 1997, 1998 और 1999 के दौरान 55 प्रबंधन प्रशिक्षुओं की भर्ती की सूचना दी है। आईडीबीआई ने आगे सूचित किया है कि उपर्युक्त उम्मीदवारों में से एक अनुसूचित जाति की श्रेणी का है और अनुसूचित जनजाति श्रेणी से कोई भी नहीं है।

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लि. (आईएफसीआई लि.) ने सूचित किया है कि 24 प्रबंधन प्रशिक्षुओं की उसी अवधि के दौरान भर्ती की गई थी और कि उपर्युक्त वर्णित प्रबंधन प्रशिक्षुओं में से कोई भी अ.जा./अ.ज.जा. का नहीं है।

(ग) और (घ) आईडीबीआई ने सूचित किया है कि अ.जा./अ.ज.जा. उम्मीदवारों की भर्ती के लिए आरक्षित कोटे में कमी का प्रत्यक्ष भर्ती के समय पूरा किया जाता है। जून, 2000 में बैंक ने 7 प्रबंधन प्रशिक्षुओं की भर्ती की जिसमें से 3 अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. श्रेणी से हैं।

आईएफसीआई ने सूचित किया है कि प्रत्यक्ष भर्ती के द्वारा अ.जा./अ.ज.जा. कोटे के पिछले बकाए को पूरा करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। अ.जा./अ.ज.जा. उम्मीदवारों की भर्ती के लिए हाल ही में विज्ञापन जारी किए गए हैं।

पर्यटन मास्टर प्लान

3291. श्री एन. जनार्दन रेड्डी:
श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी:

क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने राज्यों में और अधिक पयटकों को आकर्षित करने हेतु परामर्शदाताओं की नियुक्तियां कर पर्यटन मास्टर प्लान तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसी राज्य सरकारों ने इस योजना पर आने वाली लागत में सहभागी बनने के लिए केन्द्र सरकार से आग्रह किया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) और (ख) जी, हां।

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान (1997-98 से 1999-2000 तक) असम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा राज्य सरकारों तथा पांडिचेरी संघ राज्य प्रशासन को पर्यटन संबंधी मुख्य योजनाएं तैयार करने हेतु 22.53 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं।

''एक्जिम बैंक''

3292. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु:
श्री जी.एस. बसवराज:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ''एक्जिम बैंक'' ने सरकारी इक्विटी को 51 प्रतिशत से कम करने के उद्देश्य से सरकार की भागीदारी में कटौती करने का आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बैंक के प्रबंधन ने इस संबंध में कतिपय आपत्तियां/आशंकाएं प्रकट की हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इक्विटी को कम किये जाने के कारण देश के लघु निर्यातकों हेतु समस्याएं उत्पन्न होने की संभावना है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा लघु निर्यातकों के संरक्षण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) से (घ) एक्जिम बैंक ने अपनी इक्विटी पूंजी की पुनर्संरचना के लिए सरकार के पास एक प्रस्ताव भेजा है। प्रस्ताव में सरकार से बजटीय सहायता लिए बिना इक्विटी की पुनर्संरचना तथा सरकार की इक्विटी को 51% से कम किया जाना शामिल है। मामला सरकार के विचाराधीन है। प्रस्ताव को एक्जिम बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद सरकार के पास भेजा गया है।

(ङ) और (च) जी, नहीं। आशा की जाती है कि प्रस्तावित पूंजी पुनर्संरचना से देश में लघु निर्यातकों को होने वाला ऋण प्रवाह प्रभावित नहीं होगा।

हरियाणा में पर्यटन का विकास

3293. श्री रतन लाल कटारिया: क्या **पर्यटन और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हरियाणा की सरकार ने राज्य में पर्यटन के विकास के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत कितनी है; और

(घ) इन परियोजनाओं के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) से (घ) वर्ष 2000-2001 के दौरान राज्य सरकार के परामर्श से हरियाणा की निम्नलिखित पर्यटन परियोजनाओं को केन्द्रीय वित्तीय सहायता हेतु प्राथमिकता प्रदान की गई है:

(रु. लाखों में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	राशि
1	2	3
1.	बडखल झील पर्यटक रिजार्ट में पर्यटक सुविधाओं का उन्नयन	17.50
2.	बडखल झील में ओपन एयर थियेटर तथा थीम पार्क का निर्माण	25.00
3.	सोहना में हैल्थ सैन्टर का उन्नयन/सुदृढ़ीकरण	05.00

1	2	3
4.	तिलयार झील रोहतक में पर्यटक सुविधाओं का उन्नयन	17.50
5.	होटल राजहंस सूरजकुण्ड में पर्यटक सुविधाओं का उन्नयन	25.00
6.	फ्लैमिंगो पर्यटक परिसर, हिसार में पर्यटक सुविधाओं का उन्नयन	8.75
7.	सूरज कुण्ड शिल्प मेला	30.00
8.	कार्तिक सांस्कृतिक उत्सव	12.00
	जोड़	140.75

स्वर्ण-जमा योजना

3294. श्री उत्तमराव ढिकले:
श्री मोहन रावले:
श्री सुशील कुमार शिंदे:
डा. वी. सरोजा:
श्री सुबोध मोहिते:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी क्षेत्र के किन बैंकों को स्वर्ण-जमा योजना आरम्भ करने के लिए अधिनामित किया गया है;

(ख) सरकार द्वारा स्वर्ण-जमा योजना शुरू करने के समय से अब तक कितनी मात्रा और मूल्य का स्वर्ण जमा किया गया है;

(ग) क्या जमाकर्ता इस कारण अपना स्वर्ण जमा करने में अनिच्छा व्यक्त कर रहे हैं क्योंकि स्वीकार करने के पूर्व शुद्धता-परीक्षण में स्वर्ण को गलाया जाता है और इसके परिणामस्वरूप स्वर्ण की कम मात्रा जमा की जाती है;

(घ) यदि हां, तो क्या स्वर्ण की शुद्धता का परीक्षण करने के लिए कोई वैकल्पिक विधि अपनाए जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. अनंतन कुमार): (क) सरकारी क्षेत्र के बैंक जिन्हें स्वर्ण जमा योजना प्रारम्भ करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, निम्न हैं: भारतीय स्टेट बैंक, इलाहाबाद बैंक, कार्पोरेशन बैंक तथा भारतीय ओवरसीज बैंक। केनरा बैंक यद्यपि प्राधिकृत है, फिर भी उसे इस योजना को अभी आरम्भ करना है।

(ख) 30 जून, 2000 तक इस योजना के अंतर्गत संग्रहित स्वर्ण की कुल मात्रा लगभग 4742 कि.ग्रा. है। मुम्बई में वर्तमान घरेलू बाजार दर पर इस स्वर्ण की कीमत लगभग 213.39 करोड़ रु. है।

(ग) से (च) इस योजना के अंतर्गत स्वर्ण जमा करने का निर्णय स्वयं जमाकर्ताओं द्वारा किया जाता है। आभूषणों को पिघलाने की वजह से जमाकर्ताओं की तरफ से हुई अनिच्छा की किसी घटना की कोई सूचना नहीं है। अत: स्वर्ण की शुद्धता निर्धारित करने के लिए वैकल्पिक तरीकों पर विचार नहीं किया जा रहा है।

[हिन्दी]

समाचार-पत्रों का प्रकाशन

3295. श्री नवल किशोर राय:
श्री रामजीलाल सुमन:

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कई एक छोटे और बड़े समाचार-पत्र प्रकाशित होते हैं;

(ख) यदि हां, तो मार्च, 2000 तक कुल कितने समाचार-पत्र प्रकाशित हुए; और

(ग) ये समाचार-पत्र किन-किन राज्यों और भाषाओं में प्रकाशित किये जा चुके हैं साथ ही उनकी अनुमानित प्रसार संख्या कितनी है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) से (ग) भारत के समाचार-पत्रों के पंजीयक के कार्यालय ने सूचित किया है कि 31.12.1998 की स्थिति के अनुसार 43,828 समाचार पत्र पंजीकृत किए गए थे। इनका राज्य-वार और भाषा-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। भारत के समाचारपत्रों के प्रसार आंकड़े उपलब्ध नहीं है क्योंकि कई समाचारपत्र अपना वार्षिक विवरणी जमा नहीं कर रहे हैं।

विवरण

संघ शासित	अंग्रेजी	हिन्दी	असमिया	बंगला	गुजराती	कन्नड़	कोंकणी	कश्मीरी	मलयालम	मणिपुरी	मराठी	नेपाली
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
एवं नि. द्वीप समूह	20	8	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0
ध्र प्रदेश	319	34	1	3	3	3	0	0	4	0	4	0
णाचल प्रदेश	8	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
म	49	11	198	85	0	0	0	0	0	5	0	1
हार	99	1277	1	7	0	0	0	0	0	0	0	0
ीगढ़	149	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
दर एवं नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
मन एवं द्वीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ल्ली	2232	2352	4	17	9	4	0	0	15	0	6	3
वा	21	0	0	0	0	1	0	1	0	0	22	0
जरात	84	46	0	0	1186	0	0	0	0	0	3	0
रियाणा	65	701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
हमाचल प्रदेश	22	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
म्मू एवं कश्मीर	75	20	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
र्नाटक	301	26	0	0	0	1412	0	1	8	0	19	0
रल	164	7	0	1	0	3	0	0	1260	0	0	0
क्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
ध्य प्रदेश	71	3262	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
हाराष्ट्र	1181	420	1	5	196	21	0	4	21	0	1985	1
णिपुर	17	0	0	0	0	0	0	0	0	33	0	0
घालय	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
जोरम	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
गालैण्ड	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ड़ीसा	78	19	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
डिचेरी	18	0	0	1	2	0	0	0	0	0	2	0
जाब	107	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
राजस्थान	59	2776	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0
सिक्किम	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
तमिलनाडु	414	18	1	2	2	10	0	0	13	0	3	0
त्रिपुरा	12	0	0	77	0	0	0	0	0	1	0	0
उत्तर प्रदेश	369	6345	0	9	3	0	0	0	0	0	0	0
पश्चिम बंगाल	538	249	2	2214	7	1	0	0	3	0	0	42
कुल	6517	17836	208	2425	1408	1455	1	6	1329	41	2046	54

राज्य/संघ शासित	उड़िया	पंजाबी	संस्कृत	सिन्धी	तमिल	तेलुगु	उर्दू	द्विभाषी	बहुभाषी	अन्य	कुल
1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
अं. एवं नि. द्वीप समूह	0	0	0	0	9	1	0	1	0	0	42
आंध्र प्रदेश	2	1	0	2	2	958	482	156	21	2	1997
अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
असम	0	0	0	0	0	0	0	24	5	25	403
बिहार	0	1	2	0	0	0	164	23	11	23	1608
चंडीगढ़	0	56	1	0	0	0	2	30	13	0	322
दादरा एवं नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4
दमन एवं द्वीव	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
दिल्ली	10	141	3	5	9	9	454	596	66	32	5967
गोवा	0	0	0	0	0	1	0	13	6	15	80
गुजरात	0	0	0	16	0	0	2	39	23	0	1399
हरियाणा	0	12	0	0	0	0	17	69	11	0	875
हिमाचल प्रदेश	0	2	1	0	0	0	6	20	0	20	151
जम्मू एवं कश्मीर	0	2	0	0	0	0	229	18	1	4	350
कर्नाटक	0	0	2	1	28	5	125	122	19	10	2079
केरल	0	0	2	0	14	0	0	160	24	2	1637
लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
मध्य प्रदेश	1	0	0	2	7	0	0	27	76	5	3453

.	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	~
महाराष्ट्र	0	8	6	46	18	8	200	296	100	3	4520	
मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	35	12	37	134	
मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	12	1	37	71	
मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	8	5	101	118	
नागालैण्ड	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	14	
उड़ीसा	626	0	3	0	0	0	3	49	11	1	791	
पांडिचेरी	3	0	1	0	18	1	0	7	3	3	59	
पंजाब	0	576	1	0	0	0	105	76	39	0	1050	
राजस्थान	0	2	2	18	0	0	22	124	19	12	2987	
सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	16	
तमिलनाडु	1	2	2	0	1669	50	16	118	18	2	2341	
त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	7	2	1	100	
उत्तर प्रदेश	0	7	17	6	0	1	824	278	18	18	7895	
पश्चिम बंगाल	13	7	5	0	2	1	67	143	41	19	3354	
कुल	655	817	50	101	1769	1035	2745	2504	474	352	43828	

[अनुवाद]

"भारत दर्शन थीम पार्क"

3296. श्री आर.एल. जालप्पा: क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय परंपरा और संस्कृति तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी की प्रगति दर्शाने के लिए बंगलौर में "भारत दर्शन थीम पार्क" स्थापित करने का निर्णय किया है;

(ख) क्या सरकार का विचार अन्य राज्यों में भी ऐसे पार्कों को स्थापित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) से (ग) गणतंत्र की स्वर्णजयंती संबंधी समारोहों का एक महत्वपूर्ण पहलू परिसंपत्तियों का सृजन तथा हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रोन्नयन व प्रसार करना होगा। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से, हमारी सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने, विज्ञान शिक्षा को प्रोन्नत करने तथा हमारी वैज्ञानिक उपलब्धियों को प्रस्तुत करने के लिए सरकार ने बंगलौर और दिल्ली में भारत दर्शन विज्ञान/संस्कृति पार्क स्थापित करने का सिद्धांतत: निर्णय लिया है। संकल्पना विस्तार में तैयार की जा रही है।

जम्मू-कश्मीर को विशेष वित्तीय सहायता

3297. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जम्मू कश्मीर राज्य को अन्य राज्यों की अपेक्षा हर वर्ष विशेष वित्तीय सहायता दी गई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी विशेष वित्तीय सहायता प्रदान की गई;

(ग) क्या प्रदान की गई सहायता का उचित रूप से उपयोग किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) जी, हां।

(ख) सामान्य केन्द्रीय सहायता और गाडगिल मुखर्जी फार्मूले के तहत् वितरित अन्य राज्य योजना स्कीम के लिए सहायता के अलावा जम्मू व कश्मीर को उनके गैर-बोजनागत अन्तराल को पूरा करने तथा समुचित योजना आकार के लिए विशेष सहायता प्रदान की गई थी। जिसका विवरण निम्नवत् हैं:

(करोड़ रुपए में)

	1997-98	1998-99	1999-2000
विशेष योजना सहायता	200	250	300
विशेष केन्द्रीय सहायता	850	850	850
अतिरिक्त सहायता	–	–	400

(ग) और (घ) राज्यों को राज्य योजना के लिए योजना आयोग द्वारा आबंटित केन्द्रीय सहायता सकल ऋणों और सकल अनुदानों के रूप में जारी की जाती है और ये किसी स्कीम विशेष से जुड़े नहीं हैं। हालांकि सहायता में से किया गया व्यय नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक (सी. एंड ए.जी.) द्वारा लेखा परीक्षाधीन होता है।

अवैध अतिथिगृह और ट्रैवल आपरेटर

3298. **श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:**
श्री शिवाजी माने:
श्री राममोहन गाड्डे:

क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजधानी में पिछले दिनों जापानी पर्यटकों पर हुए ताजा हमले के बाद सरकार ने अपने अधिकारियों को राजधानी, विशेषकर करोल बाग और पहाड़ गंज क्षेत्र के अवैध अतिथिगृहों और ट्रैवल आपरेटरों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने शासकीय लेबलों और चिह्नों का दुरुपयोग करने वाले होटलों और अतिथिगृहों पर नजर रखने के लिए राज्यों के पर्यटन विभागों को भी निर्देश दिये हैं;

(ग) यदि हां, तो शासकीय लेबलों और चिह्नों का अवैध प्रयोग करने वाले कितने अतिथि गृह/ट्रैवल आपरेटर सरकार की जानकारी में आये हैं; और

(घ) सरकार द्वारा ऐसे अतिथिगृहों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) से (घ) जनता के सदस्य या विदेशी पर्यटक पर शारीरिक हमले के कृत्य, कानून एवं व्यवस्था का विषय हैं, जो राज्य/संघ-राज्य प्रशासनों के क्षेत्राधिकार में आते हैं। तथापि, सरकारी लेबलों या प्रतीकों आदि का दुरुपयोग करने वाले गैर-कानूनी गेस्ट हाउसों तथा अनधिकृत यात्रा प्रचालकों के जोखिम तथा उक्त कृत्यों पर नियंत्रण पाने के उद्देश्य से, पर्यटन मंत्रालय ने उपयुक्त कानून बनाने के लिए सभी राज्य/संघ राज्य प्रशासनों को लिखा है। केरल, गोवा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर आदि राज्यों ने पहले ही ऐसे कानून बनाए हैं।

विदेशी पर्यटकों द्वारा भ्रमण

3299. **श्री पी.एस. गढ़वी:** क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान कितने विदेशी पर्यटकों के आकर्षण स्थलों/धार्मिक स्थानों/वन्यजीव अभ्यारण्यों/समुद्रतटीय सैरगाहों का भ्रमण किया;

(ख) इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गयी; और

(ग) अगले दो वर्षों के दौरान विदेशी पर्यटकों को अधिक आकर्षक पैकेज प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) वर्ष 1998 तथा 1999 के दौरान देश में धार्मिक स्थलों, वन्य जीव अभ्यारण्यों, समुद्रतट रिजार्टों आदि सहित पर्यटक आकर्षणों के विभिन्न स्थानों की यात्रा करने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या क्रमशः 2.36 मिलियन तथा 2.48 मिलियन थी।

(ख) वर्ष 1998 तथा 1999 के दौरान पर्यटन के माध्यम से अर्जित अनुमानित विदेशी मुद्रा क्रमशः 11951 करोड़ रुपए तथा 13042 करोड़ रुपये है।

(ग) सरकार ने भारत का एक सस्ते गंतव्य स्थल के रूप में विपणन हेतु पर्यटन एवं यात्रा व्यवसाय के सहयोग से आकर्षक पैकेजों द्वारा अधिक विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए एक्सप्लोर इंडिया इन द मिलेनियम ईयर अभियान की घोषणा की

है। विभिन्न पर्यटक जनन बाजारों में, भारत सरकार पर्यटक कार्यालयों के माध्यम से, विदेशों में भारत का संवर्धन भी किया जा रहा है।

एल.आई.सी. प्रीमियम का ऑनलाइन भुगतान

3300. **श्री रामशेठ ठाकुर:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चालू वित्त वर्ष के अंत तक एल.आई.सी. बीमा धारकों द्वारा प्रीमियम का ऑनलाइन भुगतान करने के लिए केन्द्रों की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान में कितने केन्द्र कार्य कर रहे हैं और वे कहां-कहां स्थित हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे केन्द्रों की स्थापना अन्य भागों में भी करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जीवन बीमा निगम ने यह सूचित किया है कि पालिसीधारकों द्वारा प्रीमियम का ऑनलाइन भुगतान करने के लिए ऐसे केन्द्रों की स्थापना करने का निर्णय अभी लिया जाना है।

[हिन्दी]

पत्रिकाओं/प्रकाशनों का पंजीकरण

3301. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत:** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय देश में प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत समाचार-पत्रों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) 31 मार्च, 2000 की स्थिति के अनुसार पंजीकरण हेतु राज्य-वार कुल कितने आवेदन लम्बित थे; और

(ग) 31 मार्च, 2000 की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र के नन्दरबार और धूले जिलों में कितनी साप्ताहिक और पाक्षिक पत्रिकाओं के लिए आवेदन लम्बित थे और ऐसी कितनी साप्ताहिक और पाक्षिक पत्रिकाओं की पंजीकरण संख्या उपलब्ध कराई गई है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) 31.7.2000 तक की स्थिति के अनुसार, भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक के कार्यालय में पंजीकृत दैनिकों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) 31.7.2000 की स्थिति के अनुसार, भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक के कार्यालय में पंजीकरण के लिए कुल 685 मामले लम्बित थे जिनका राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) 1.1.1999 से 31.3.2000 तक की अवधि के दौरान नन्दरबार जिले से पंजीकरण के लिए साप्ताहिकों से 5 तथा पाक्षिक से 1 आवेदन पत्र प्राप्त हुआ था। इनमें से पाक्षिक को पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी कर दिया गया है। इसी अवधि में धूले जिले से पंजीकरण के लिए साप्ताहिकों से 17 तथा पाक्षिकों से 4 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे इनमें से 6 साप्ताहिकों को तथा 2 पाक्षिकों को पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी कर दिया गया है।

विवरण I

31.7.2000 तक की स्थिति के अनुसार भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक के कार्यालय में पंजीकृत दैनिकों की संख्या

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	(राज्य-वार) दैनिकों की संख्या
1	2
अंडमान और निकोबार	4
आंध्र प्रदेश	326
अरुणाचल प्रदेश	3
असम	35
बिहार	407
चंडीगढ़	38
दिल्ली	291
गोवा	16
गुजरात	148
हरियाणा	106
हिमाचल प्रदेश	9

1	2
जम्मू और कश्मीर	77
कर्नाटक	436
केरल	214
लक्षद्वीप	00
मध्य प्रदेश	489
महाराष्ट्र	523
मणिपुर	51
मेघालय	4
मिजोरम	41
नागालैण्ड	2
उड़ीसा	101
पांडिचेरी	3
पंजाब	129
राजस्थान	417
तमिलनाडु	375
त्रिपुरा	23
उत्तर प्रदेश	862
पश्चिम बंगाल	159
कुल	5289

विवरण II

31.3.2000 तक की स्थिति के अनुसार पंजीकरण के लिए लम्बित मामले

राज्य	(राज्य-वार) लम्बित की संख्या
1	2
दिल्ली	92
मध्य प्रदेश	14
गुजरात	90
केरल	10
उड़ीसा	7
गोवा	1
आंध्र प्रदेश	75
उत्तर-पूर्व	15
महाराष्ट्र	19
पश्चिम बंगाल	10
तमिलनाडु	3
पांडिचेरी	–
अंडमान और निकोबार	–
लक्षद्वीप	–
चंडीगढ़	6
बिहार	14
हरियाणा	2
पंजाब	13
उत्तर प्रदेश	156
हिमाचल प्रदेश	35
राजस्थान	15
जम्मू और कश्मीर	12
कर्नाटक	96
कुल	685

[अनुवाद]

नेपा लिमिटेड को बेचा जाना

3302. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी:
श्री जी.एस. बसवराज:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार घाटा देने वाली नेपा लिमिटेड को बेचने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या तत्कालीन विनिवेश आयोग ने महत्वपूर्ण भागीदार को 51 प्रतिशत इक्विटी की तत्काल बिक्री की सिफारिश की थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कंपनी का उत्पादन बढ़ता जा रहा है किंतु कंपनी लगातार घाटा उठा रही है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) कंपनी को बेचने के संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. वल्लभभाई कथीरिया): (क) से (घ) सरकार ने न्यूनतम 51% इक्विटी के लिए नेपा की नीतिगत बिक्री हेतु सिद्धांत रूप में निर्णय ले लिया है जिसे तत्कालीन विनिवेश आयोग की सिफारिशों के अनुसार 100% तक बढ़ाया जा सकेगा। उपयुक्त पार्टी का पता लगाने के लिए मर्चेंट बैंकर को नियुक्त किया गया है।

(ङ) जी, हां।

(च) घाटे के कारणों में नकदी की कमी, अप्रचलित प्रौद्योगिकी, पुराने जीर्ण-शीर्ण संयंत्र, उत्पादन की ऊँची लागत और कामगारों का अधिक होना रहा है।

(छ) विनिवेश विभाग, विनिवेश की वास्तविक प्रक्रिया को कार्यान्वित कर रहा है। बोली पूर्व परामर्श अब हो चुका है। कम्पनी को बेचने के संबंध में अंतिम निर्णय प्राप्त प्रतिक्रिया (उत्तर) पर निर्भर है।

राजस्थान की सीमा पर मूल रूप से पाकिस्तान में उत्पादित नशीले पदार्थों की जब्ती

3303. श्री माधवराव सिंधिया: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 29 जून, 2000 के "दि हिन्दू" में प्रकाशित समाचार के अनुसार सरकार द्वारा पाकिस्तान से चलकर राजस्थान के अनारक्षित सीमा क्षेत्रों से होती हुई मुम्बई पहुंचने वाले नशीले पदार्थों की तस्करी का भंडाफोड़ किया गया है;

(ख) यदि हां, तो नशीले पदार्थों के तस्करों द्वारा इसके लिए अपनाई जा रही कार्य विधि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार यह जानती है कि इस अवैध व्यापार के द्वारा अर्जित पैसे से उग्रवादी गतिविधियों को वित्तपोषित किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो औषधियों की तस्करी रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) जी, हां।

(ख) मादक पदार्थों के तस्करों/गैर-कानूनी विक्रेताओं द्वारा अपनाई जा रही कार्यप्रणाली में नकली वेदों वाले लकड़ी के बाक्सों, बोरियों तथा पालिथीन की थैलियों में पैक करके, सूखे मेवों के लकड़ी के डिब्बों में बनाए गए कोटूरों, स्लाइडिंग दरवाजों के पैनल अथवा किसी वाहन के तल में विशेष रूप से निर्मित चैम्बरों में छुपाकर किसी व्यक्ति की कमीज अथवा वस्त्र के नीचे शरीर के चारों और लपेटकर, दो लटकाने वाले थैलों की निचली पट्टियों में अथवा ऊंट की पीठ पर छुपाकर लाने आदि जैसे तरीके से हेरोइन की तस्करी करना शामिल है।

(ग) यद्यपि, गुपचुप तरीकों से उग्रवादी गतिविधियों के वित्तपोषण संबंधी रिपोर्टें मिली हैं, तथापि मादक पदार्थों के अवैध व्यापार से सृजित धन से उग्रवादी गतिविधियों के वित्तपोषण के बारे में सरकार के पास कोई विशेष जानकारी अथवा ठोस सबूत नहीं है।

(घ) सरकार द्वारा स्वापक औषधियों की तस्करी को रोकने तथा इसे नियंत्रित करने के लिए किए गए उपायों में सतत चौकसी रखना, प्रवर्तन प्रयासों में तेजी लाना, आसूचना तंत्र को चुस्त बनाना, सीमा पर स्वापक औषधियों की रोकथाम करने के लिए सीमा शुल्क अधिनियम के अधीन सीमा सुरक्षा बल तथा तटरक्षक बल को शक्ति प्रदान करना, आवधिक आधार पर सीमा के दोनों ओर बैठकें आयोजित करना जिनमें भारतीय तथा पाकिस्तान स्वापक एजेंसियों के प्रतिनिधि मौजूद रहते हैं तथा स्वापक औषधियों के अवैध व्यापार के लिए गिरफ्तार सभी व्यक्तियों के विरुद्ध स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम के तहत कठोर कार्रवाई करना शामिल है।

व्यापार और विकास सम्मेलन

3304. श्रीमती रेणुका चौधरी: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बैंकाक में व्यापार और विकास संबंधी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की बैठक में जिन मुद्दों पर चर्चा हुई, उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या अंतर्राष्ट्रीय विकास की अमरीकी एजेंसी के उप प्रशासक ने कहा कि वाशिंगटन के अनुसार अंकटाड की बैठक चर्चा शुरू करने का उचित स्थल नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो भारत सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) 9 से 19 फरवरी, 2000 को बैंकाक में आयोजित व्यापार एवं विकास संबंधी 10वें संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में निम्न दो दस्तावेज पारित किए गए थे (1) बैंकाक घोषणा-जो वैश्वीकरण, उदारीकरण के अनुभव और अंकटाड की भावी भूमिका के बारे में एक राजनैतिक घोषणा है; और (2) कार्य योजना-जो अगले सम्मेलन तक अगले चार वर्षों के लिए अंकटाड के कार्यक्रमों की एक रूपरेखा है। कार्ययोजना दो अध्यायों में हैं: अध्याय I-वैश्वीकरण के विकासात्मक प्रभाव का मूल्यांकन, विकासशील देशों का विश्व अर्थव्यवस्था में सफल एकीकरण सुनिश्चित करने के लिए विश्व समुदाय द्वारा की गई प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पहल एवं उपायों के लेखे जोखों के बारे में एक विश्लेषणात्मक अध्याय है, और अध्याय II-अंकटाड के कार्यों के बारे में एक पृथक खंड हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार निवेश, उद्यम और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण से संबंधित मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है।

(ख) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए अमरीकी एजेंसी के उप-प्रशासक ने अंकटाड-X में कहा था कि "व्यापार वार्ताओं में अंकटाड की एक प्रचलनात्मक भूमिका से संस्थागत भूमिकाओं में भ्रम पैदा हो जाएगा और सीमित संसाधनों से हटकर इसका प्रयोग ऐसे क्रियाकलापों के लिए किया जाने लगेगा जिसके लिए अंकटाड सर्वोत्तम संगठन नहीं है।"

(ग) अंकटाड-X द्वारा पारित कार्य योजना में अंकटाड में स्पष्ट आदेश निहित हैं और यह आदेश इस संगठन को विकास के परिप्रेक्ष्य में व्यापार संबंधी मुद्दों की जांच जारी रखने की अनुमति प्रदान करता है और ऐसे मुद्दों पर आम सहमति बनाने और उनका विश्लेषण करने के लिए उसे अपने अधिकार-पत्र में किसी प्रकार की कमी नहीं करनी होगी।

दूरदर्शन की पहुंच

3305. **श्री जी.जे. जावीया:** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दूरदर्शन के विस्तार की योजना, जिसे 1994 में क्रियान्वित किया गया था, से कितने शहरों और व्यक्तियों को लाभ पहुंचा;

(ख) गुजरात में इस समय कुल कितने अनुप्रसारण केन्द्र कार्य कर रहे हैं साथ ही इनकी क्षमता कितनी है;

(ग) क्या इन अनुप्रसारण केन्द्रों से राज्य की समस्त जनता तक पहुंच बनाने के लिए पर्याप्त हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा गुजरात में अनुप्रसारण केन्द्रों की संख्या और क्षमता बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) वर्ष 1994-95 के दौरान दूरदर्शन द्वारा 134 शहरों/नगरों में 134 ट्रांसमीटर चालू किए गए थे। इन ट्रांसमीटरों के चालू होने से इन शहरों/नगरों के आस-पास के 58.98 लाख अतिरिक्त लोगों को फायदा होने का अनुमान है।

(ख) गुजरात राज्य में वर्तमान में, नीचे दिए अनुसार विभिन्न क्षमता के 69 दूरदर्शन ट्रांसमीटर कार्य कर रहे हैं:

1. उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (10 कि.वा./1 कि.वा.)-5
2. अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (300 वा./100 वा.)-61
3. अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (10 वा.)-3

(ग) अनुमान है कि दूरदर्शन ट्रांसमीटरों द्वारा वर्तमान में गुजरात की लगभग 86 प्रतिशत जनसंख्या (सीमावर्ती क्षेत्रों में जनसंख्या सहित) को कवर किया जाता है।

(घ) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि गुजरात में इस समय डी.डी.-1 सेवा के लिए 10 कि.वा. शक्ति के 2 उच्च शक्ति ट्रांसमीटर और डी.डी.-2 सेवा के लिए 500 वॉट शक्ति के 3 अल्प शक्ति ट्रांसमीटर कार्यान्वयनाधीन हैं।

आर्थिक सलाहकार परिषद्

3306. **श्री अजय सिंह चौटाला:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वित्त क्षेत्र के लिए एक आर्थिक सलाहकार परिषद् का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और साथ ही इस परिषद् की संरचना क्या है तथा इसके उद्देश्य क्या है; और

(ग) इससे देश की आर्थिक प्रगति तेज करने में कहां तक सहायता मिलेगी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) से (ग) प्रधान मंत्री की पुनर्गठित आर्थिक सलाहकार परिषद् की संरचना निम्न प्रकार है:

अध्यक्ष:	प्रधान मंत्री
सदस्य:	डा. आई.जी. पटेल
	प्रो. पी.एन. धर
	डा. एम.एस. अहलुवालिया
	डा. किरीट पारिख
	डा. अमरीश बागची
	श्री जगदीश शेट्टिगर
	श्री अशोक गुलाटी
	डा. राकेश मोहन
	डा. एम. नरसिम्हम
	प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव
सदस्य-सचिव:	प्रधान मंत्री के सचिव

आर्थिक सलाहकार परिषद् प्रधानमंत्री और परिषद् के सदस्यों के बीच अतिमहत्वपूर्ण आर्थिक मुद्दों पर नीतिगत वार्तालाप के लिए एक अवसर प्रदान करेगी जिससे आर्थिक सुधारों की एक साहसिक रणनीति अंगीकार करने में मदद मिलेगी।

पूर्वोत्तर राज्यों के लिए ''नाबार्ड'' ऋण

3307. **श्री पी.आर. किन्दिया:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान ''नाबार्ड'' द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों को राज्यवार कितनी ऋण राशि का आवंटन और वितरण किया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान आईडीबीआई, आईएफसीआई, आईसीआईसीआई, एलआईसी, जीआईसी और यूटीआई द्वारा उक्त राज्यों को राज्यवार कितनी सहायता राशि दी गई; और

(ग) इन संस्थाओं द्वारा किन-किन परियोजनाओं के लिए ऋण/सहायता उपलब्ध कराई गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) गत तीन वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों की अल्पावधि, मध्यावधि और दीर्घकालिक के अंतर्गत राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा संवितरित राज्य-वार पुनर्वित्त सहायता संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों की मंजूर और संवितरित वित्तीय सहायता की राज्य-वार राशि संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ग) लघु, मुख्य/मध्य सिंचाई, सड़क और पुल, भूमि संरक्षण और अन्य परियोजनाओं सहित विभिन्न परियोजनाओं के लिए नाबार्ड द्वारा ऋण सहायता उपलब्ध कराई गई है। अन्य वित्तीय संस्थानों ने उद्योग, स्टील और खनन, चाय उद्योग, तेल रिफाइनरीज आदि में विभिन्न परियोजनाओं को ऋण सहायता उपलब्ध कराई है।

विवरण I

गत तीन वर्षों के दौरान अल्पावधि, मध्यावधि और दीर्घकालिक के अंतर्गत नाबार्ड द्वारा राज्य-वार पुनर्वित्त संवितरण

(लाख रुपए)

राज्य का नाम	1996-97				1997-98				1998-99			
	अल्पावधि अधिकतम बकाया राशि	मध्यावधि संवितरण	दीर्घकाल संवितरण	कुल	अल्पावधि अधिकतम बकाया राशि	मध्यावधि संवितरण	दीर्घकाल संवितरण	कुल	अल्पावधि अधिकतम बकाया राशि	मध्यावधि संवितरण	दीर्घकाल संवितरण	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
अरुणाचल प्रदेश	0	0	876	876	0	0	509	509	0	0	459	459
असम	205	0	6556	5761	84	0	8142	8226	84	0	10343	10427

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
मणिपुर	609	0	742	1351	614	0	258	872	614	0	325	939
मेघालय	360	0	684	1044	292	0	788	1080	292	0	796	1088
मिजोरम	0	0	289	289	0	0	222	222	0	0	351	351
नागालैंड	120	0	204	324	170	0	203	373	170	0	149	319
त्रिपुरा	130	0	1446	1576	436	0	1625	2061	438	0	1735	2171
सिक्किम	0	0	89	89	0	0	134	134	0	0	167	167

विवरण II

1996-97, 1997-98 और 1998-99 के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों में अखिल भारत वित्तीय संस्थाओं द्वारा मंजूर और संवितरित ऋण राशि को दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य	मंजूरियां			संवितरण		
		1996-97	1997-98	1998-99	1996-97	1997-98	1998-99
1.	अरुणाचल प्रदेश	9.4	35.6	21.0	0.9	3.7	9.6
2.	असम	104.0	85.2	95.5	246.7	84.2	59.7
3.	मणिपुर	62.1	29.2	0.5	2.1	21.5	0.5
4.	मेघालय	8.6	5.0	4.8	4.4	6.6	2.8
5.	मिजोरम	0.9	0.4	1.0	0.9	0.3	0.9
6.	नागालैंड	10.5	0.9	–	9.3	2.4	–
7.	सिक्किम	8.5	14.0	4.6	2.6	3.5	3.5
8.	त्रिपुरा	4.7	4.0	3.9	4.7	3.8	3.8
	कुल (एनईआर)	208.7	174.3	131.3	271.6	126.0	80.8

नेपाल से आयात

3308. श्री आर.एल. भाटिया:
श्री किरीट सोमैया:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न व्यावसायिक संघों, संसद सदस्यों ने सरकार का ध्यान नेपाल से वनस्पति, फोटो रील, वाइंडिंग वायर और अन्य वस्तुओं का भारत में किये जा रहे आयात की ओर आकृष्ट किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रकार की वस्तुओं का यदि अन्य देशों से आयात किया जाए तो इन पर भारत में सबसे ज्यादा अर्थात् 42.5 प्रतिशत सीमा-शुल्क है;

(ग) यदि हां, तो क्या नेपाल और भारत के बीच संधि होने के कारण इस प्रकार की वस्तुओं का आयात यदि नेपाल से भारत में किया जाए तो इन पर कोई सीमा शुल्क नहीं लगता;

(घ) यदि हां, तो क्या भारतीय उद्यमियों के लिए इन वस्तुओं का नेपाल से आयात करने वालों के साथ प्रतियोगिता करना कठिन हो जाता है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार इस संबंध में कौन-कौन सी सावधनियां बरतेगी?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) जी, हाँ।

(ख) वनस्पति, फोटो रील तथा वाइडिंग वायर पर लागू सीमा-शुल्क की मौजूदा दरें निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	विवरण	मूल+अधिभार	सीवीडी	एसएडी	कुल
1.	वनस्पति	38.5%	शून्य	4%	44.04%
2.	वाइंडिंग वायर	38.5%	16%	4%	67.09%
3.	फोटो रील (इन्सटेंट प्रिंट फिल्म के अलावा)	27.5%	16%	4%	53.82%
4.	इन्सटेंट प्रिंट फिल्म	5.5%	16%	45	27.27%

उपर्युक्त सारणी में दर्शाई गई दरें परम मित्र राष्ट्रों की दरें हैं।

(ग) भारत-नेपाल व्यापार सन्धि के अंतर्गत, भारत सरकार नेपाल में उत्पादित वस्तुओं के लिए सीमाशुल्कों से मुक्त भारतीय पहुंच उपलब्ध कराती है।

(घ) कुछ मामलों में नेपाल के शुल्क मुक्त आयात भारत में उत्पादित समान वस्तुओं से सस्ते हैं।

(ङ) भारत-नेपाल व्यापार संधि में यह भी प्रावधान है कि शुल्क मुक्त प्रवेश की इस सुविधा के कारण सामान्यत: आयातों में अथवा नेपाल से किसी विशेष मद के आयात में "तीव्र वृद्धि" की स्थिति में दोनों सरकारों द्वारा सुधारात्मक उपाय किये जा सकते हैं।

मॉरीशस से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रस्ताव

3309. श्री किरीट सोमैया: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत को मॉरीशस से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान कौन-कौन से क्षेत्रों के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए और स्वीकृत किये गये;

(ग) क्या विद्युत क्षेत्र में निवेश के प्रस्ताव सबसे अधिक आए हैं; और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कई विदेशी निवेशक भारत में विद्युत, दूरसंचार और रसायन क्षेत्रों में मॉरीशस स्थित अपनी सहायक कंपनियों के माध्यम से निवेश कर रहे हैं;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) मॉरिशस स्थित कौन-कौन सी कम्पनियां प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के माध्यम से भारत में निवेश करने के लिए आकर्षित की जा रही है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): (क) और (ख) जी हां, विगत तीन वर्षों (जनवरी, 1997 से दिसंबर, 1999) के दौरान मारिशस कंपनियों से 17396.84 करोड़ रुपये की विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की राशि के कुल 389 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ डी आई) प्रस्तावों (वित्तीय एवं तकनीकी) को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड मार्ग से अनुमोदित किया गया है। अनुमोदनों का क्षेत्रवार विवरण संलग्न है।

(ग) जी, हां। विगत तीन वर्षों के दौरान ईंधन क्षेत्र (विद्युत और तेलशोधनशाला) के लिए 5912.54 करोड़ रुपये की राशि का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अनुमोदित किया गया है जो कि सभी क्षेत्रों में अनुमोदित कुल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का 33.99% है।

(घ) और (ङ) विदेशी निवेशकों द्वारा भारत में अपनी मारिशस अनुषंगियों के माध्यम से निवेश करने का आशय उनकी वाणिज्यिक सूझबूझ पर निर्भर करता है जो कि मारिशस की कर प्रणाली से प्रभावित हो सकती है।

(च) विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड द्वारा अनुमोदित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रस्तावों (मारिशस कंपनियों से प्राप्त प्रस्तावों सहित) के ब्यौरे औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग द्वारा प्रकाशित मासिक एस आई ए न्यूजलैटर में उपलब्ध है जिसका सदन के पुस्तकालय सहित व्यापक परिचालन किया जाता है।

विवरण

नीति के बाद की अवधि (1 जनवरी, 1997 से 31 दिसंबर, 1999) के दौरान मॉरीशस के लिए अनुमोदित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश तथा तकनीकी सहयोग का क्षेत्रवार ब्यौरा

राशि (करोड़ में)

क्र.सं.	उद्योग का नाम	कुल	अनुमोदनों की संख्या		अनुमोदित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की राशि	कुल अनुमोदित राशि का प्रतिशत
			तक.	वित्तीय		
1	2	3	4	5	6	7
1.	ईंधन (विद्युत तथा तेल रिफाईनरी)	43	4	39	5912.54	33.99
2.	दूरसंचार	38	1	37	3188.84	18.33
3.	धातुकर्मी उद्योग	10	0	10	1718.74	9.88
4.	रसायन (उर्वरक को छोड़कर)	21	2	19	1579.87	9.08
5.	कागज उत्पाद सहित कागज तथा लुग्दी	4	0	4	832.64	4.79
6.	परिवहन उद्योग	20	1	19	706.92	4.06
7.	होटल तथा पर्यटन	15	2	13	706.54	4.06
8.	सेवा क्षेत्र	32	0	32	617.63	3.55
9.	वस्त्र (रंजित, छपे वस्त्र सहित)	14	0	14	344.54	1.98
10.	विद्युत उपकरण	68	1	67	335.42	1.93
11.	कृषि मशीनरी	1	0	1	215.87	1.24
12.	खाद्य प्रसंस्करण	6	0	6	167.28	0.96
13.	परामर्शी सेवाएं	14	0	14	167.06	0.96
14.	सिरेमिक	9	0	9	158.38	0.91
15.	रबड़ की वस्तुएं	3	0	3	126.00	0.72
16.	वाणिज्यिक, कार्यालय तथा घरेलू उपकरण	4	0	4	119.81	0.69
17.	विविध मैकेनिकल तथा इंजीनियरिंग	8	0	8	112.52	0.65
18.	औद्योगिक मशीनरी	13	3	10	79.05	0.45

1	2	3	4	5	6	7
19.	मशीन टूल्स	4	0	4	68.20	0.39
20.	विविध उद्योग	23	1	22	49.50	0.28
21.	व्यापार	11	1	10	44.26	0.25
22.	कांच	3	0	3	30.50	0.18
23.	औषध तथा भेषज	8	1	7	29.20	0.17
24.	विद्युत के अलावा प्राइम मुवर्स	1	0	1	25.00	0.14
25.	वनस्पति तेल तथा वनस्पति	2	0	2	12.75	0.07
26.	चिकित्सा तथा शल्य चिकित्सा उपकरण	3	1	2	12.40	0.07
27.	साबुन, श्रृंगार तथा सौंदर्य प्रसाधन	1	0	1	10.00	0.06
28.	सीमेंट तथा जिप्सम उत्पाद	1	0	1	7.39	0.04
29.	काष्ठ उत्पाद	2	0	2	6.72	0.04
30.	रंजक सामग्री	1	0	1	4.50	0.03
31.	रक्षा उद्योग	2	1	1	3.47	0.02
32.	चर्म, चर्म वस्तुएं तथा पिकर्स	2	0	2	3.00	0.02
33.	वैज्ञानिक इंस्ट्रूमेंट्स	1	0	1	0.30	0.00
34.	खमीर उद्योग	1	1	0	0.00	0.00
	योग	389	20	369	17396.84	

भारत-रूस व्यापार संबंध

3310. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:
श्री विलास मुत्तेमवार:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार रशियन फैडरेशन के साथ द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग और व्यापार को सुदृढ़ बनाने की इच्छुक है;

(ख) यदि हां, तो क्या वे मई, 2000 के दौरान रूस के व्यापार मंत्री से मिले थे;

(ग) यदि हां, तो किन-किन मुद्दों पर चर्चा की गई;

(घ) क्या दोनों देशों ने किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) आर्थिक सहयोग और व्यापार संबंधों में सुधार लाने के लिए सरकार रूस की किस सीमा तक सहायता करने के लिए सहमत हुई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) रूसी व्यापार मंत्री की अप्रैल, 2000 में दिल्ली दौरे के दौरान उनके साथ एक बैठक की गई थी जिसमें व्यापार और आर्थिक सहयोग संबंधी भारत-रूसी कार्य दल की 6वीं बैठक में लिए गए विभिन्न निर्णयों की प्रगति सहित अनेक व्यापार और आर्थिक मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया था।

(घ) और (ङ) भारत और रूसी परिसंघ के बीच दिनांक 4 मई, 1992 को हस्ताक्षरित व्यापार और आर्थिक सहयोग संबंधी करार में पूर्ववर्ती यूएसएसआर के विघटन के बाद से भारत रूसी व्यापार और आर्थिक सहयोग के लिए मूल ढांचा प्रदान किया गया है। रूसी रुपया ऋण कोष का उपयोग रूसी परिसंघ की सरकार और भारत गणराज्य की सरकार के बीच दिनांक 28-29 जनवरी, 1993 और दिनांक 6 सितम्बर, 1993 को आदान-प्रदान किए गए पत्रों के प्रावधानों को लागू करने के लिए रूसी परिसंघ के विदेशी आर्थिक मामलों के बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच प्रबंधन द्वारा शासित होता है। इस व्यवस्था के अनुसार, रूसी रुपया ऋण के भुगतान से संबंधित कोष का उपयोग भारत से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद द्वारा किया जाना है। रूस को होने वाले हमारे निर्यात मुख्यत: ऋण पुनर्भुगतान प्रणाली और एक अल्प युक्ति के रूप में दुर्लभ मुद्रा में हो रहे हैं।

रूसी परिसंघ के प्रधान मंत्री की दिसम्बर, 1998 में भारत यात्रा के दौरान व्यापार, आर्थिक औद्योगिक, वित्तीय, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय सहयोग के विकास संबंधी एक संयुक्त दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस संयुक्त दस्तावेज में दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में गहन एवं व्यापक सहयोग पर जोर दिया गया है।

(च) विभिन्न क्षेत्रों में अत्यधिक सहयोग हेतु मौजूदा संभाव्यता को मानते हुए और दोनों देशों में आर्थिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं से उभर रहे नए अवसरों को ध्यान में रखते हुए और आर्थिक सहयोग और व्यापार संबंधों को और मजबूत करने और उन्हें विकसित करने की इच्छा रखते हुए भारत सरकार और रूसी परिसंघ की सरकार ने विभिन्न कदम उठाए हैं जिनमें शामिल हैं। उच्चतम स्तर पर वार्ताओं का आयोजन, संयुक्त आयोग/कार्य दल/उप दल तंत्र के माध्यम से लगातार समीक्षा करना, प्रतिनिधिमंडलों, संयुक्त व्यापार परिषदों, का आदान प्रदान करना, प्रदर्शनियों का आयोजन करना, मेलों में सहभागिता इत्यादि के माध्यम से सीधे व्यापार संबंधों का विकास करना।

कृषि और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में ऋण अनुपात

3311. **श्री अशोक ना. मोहोल:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में ऋण अनुपात के बीच भारी अन्तर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सूचित किया है कि बैंकों द्वारा कृषि तथा खाद्य एवं कृषि प्रसंस्करण क्षेत्रों को दिए जाने वाले अग्रिमों को प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम के रूप में माना जाता है। आरबीआई द्वारा जारी किए गए विद्यमान मार्गनिर्देशों के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के बैंकों को अपने निवल बैंक ऋण का 40 प्रतिशत ऋण प्राथमिकता क्षेत्र को देना आवश्यक है जिसके साथ ही 18 प्रतिशत एवं 10 प्रतिशत का उपलब्ध क्रमश: कृषि एवं कमजोर वर्गों को होना चाहिए। तथापि, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के अग्रिमों के लिए ऐसे कोई विशेष लक्ष्य नहीं हैं।

मार्च, 2000 के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार आरबीआई द्वारा दी गई सूचना के आधार पर सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कृषि अग्रिम तथा खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को दिए गए अग्रिम निम्नानुसार थे:

(रुपए करोड़ में)

बकाया कृषि अग्रिम	46190
एसएसआई क्षेत्र के अंतर्गत कृषि उद्योगों को ऋण	1310
खाद्य एवं कृषि प्रसंस्करण क्षेत्र (एसएसआई के अलावा) को ऋण (आंकड़े अनंतिम)	3272

रेडियो श्रीलंका

3312. **श्री पोन राधाकृष्णन:** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि रेडियो श्रीलंका (कोलंबो अंतर्राष्ट्रीय रेडियो) के प्रसारण केन्द्र बहुत शक्तिशाली हैं जिनका प्रसारण क्षेत्र भारत के दक्षिणी भागों तक फैला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कोई विज्ञापनदाता अपने विज्ञापन इस रेडियो स्टेशन को देते हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या इससे स्थानीय आकाशवाणी केन्द्रों को घाटा होता है;

(ङ) यदि हां, तो इस स्थिति से निपटने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(च) आकाशवाणी के संबंधित प्रसारण ट्रांसमीटरों का उन्नयन कब तक किया जाएगा?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) और (ख) जी, हां। भारत के दक्षिणी हिस्से को कवर करने वाले श्रीलंका के उच्च शक्ति प्रसारण केन्द्र श्रीलंका में एकाला (शार्ट वेव बैन्ड पर) तथा पुट्टालाम एवं महो (मीडियम वेव बैन्ड पर) में स्थित हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) इससे इस क्षेत्र में आकाशवाणी केन्द्रों को कुछ राजस्व का घाटा हुआ है।

(ङ) प्रसार भारती द्वारा प्रोत्साहनों एवं रियायतों के माध्यम से सीधे ग्राहकों को प्रसारण समय की बिक्री के द्वारा बाजार से विज्ञापन प्राप्त करने के पूरे प्रयास किये जा रहे हैं।

(च) आकाशवाणी द्वारा पहले से ही तमिलनाडु और केरल में उच्च शक्ति ट्रांसमीटरों का प्रचालन किया जा रहा है। वर्तमान में, 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन राज्यों में उच्च शक्ति ट्रांसमीटरों की क्षमता का और उन्नयन करने की कोई स्कीम नहीं है।

स्टाम्प अधिनियम, 1899 का सरलीकरण

3313. श्री सुल्तान सल्लाउद्दीन ओवेसी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने स्टाम्प अधिनियम, 1899 के सरलीकरण की स्वीकृति दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में भिन्न-भिन्न राज्य सरकारों द्वारा कितनी उपलब्धि हासिल की है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) और (ख) केन्द्र सरकार ने सभी राज्यों के साथ विचार-विमर्श करके भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के स्थान पर एक नए कानून का प्रारूप तैयार किया है। इसका उद्देश्य प्रक्रियाओं को आसान बनाना है जिससे कि जनता को कानून संबंधी जानकारी प्राप्त हो सके।

नाबार्ड ऋण

3314. श्री ए. वेंकटेश नायक: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नाबार्ड ने आरआईडीएफ के अंतर्गत कुछ राज्यों में ग्रामीण आधारभूत संरचना की स्थापना हेतु नए ऋण को संस्वीकृत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इससे किन-किन राज्यों के लाभान्वित होने की संभावना है;

(घ) इससे राज्यों को किस प्रकार लाभ मिलने की संभावना है; और

(ङ) इस नए संस्वीकृत ऋण से कर्नाटक को कितनी धनराशि दिए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालासाहेब विखे पाटील): (क) से (ग) जी, हां। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि ग्रामीण आधारभूत विकास निधि-VI के तहत कुछ राज्यों में ग्रामीण आधारभूत निर्माण के लिए इसने नये ऋणों की मंजूरी दे दी है। मंजूरियों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) नाबार्ड ने सूचित किया है कि दी गई मंजूरी लघु, मध्यम तथा वृहत सिंचाई परियोजनाओं, ग्रामीण सड़कों एवं पुलों, बाढ़ नियंत्रण, बाजार प्रांगण/गोदाम, शीत गृह, वन प्रबंधन, प्राथमिक विद्यालय, बीज/कृषि/उद्यान कृषि, पेय जल तथा भूमि संरक्षण परियोजनाओं से संबंधित परियोजनाओं को कवर करेगा। आशा की जाती है कि सिंचाई परियोजनाओं से 199 करोड़ रुपये उत्पाद मूल्य के लगभग 562314 रोजगार उत्पन्न होंगे। इसके अतिरिक्त इसमें लगभग 8493 कि.मी. लम्बी सड़क तथा 5251 मीटर लम्बे पूल भी कवर होंगे। निरंतर चलने वाली इन परियोजनाओं में लगभग 399 करोड रु. के निवेश होने की आशा भी की जाती है।

(ङ) नाबार्ड ने सूचित किया है कि आरआईडीएफ-VI के तहत कर्नाटक राज्य को अब तक 5070.62 लाख रुपये की राशि मंजूर की गई है।

विवरण

ग्रामीण आधारभूत विकास निधि-VI (जुलाई, 2000 तक) के तहत नाबार्ड द्वारा दी गई मंजूरी की राज्य-वार स्थिति

(लाख रु.)

क्र.सं.	राज्य का नाम	मंजूर की गई राशि
1.	आंध्र प्रदेश	13,112.25
2.	बिहार	2,892.42
3.	गुजरात	14,670.27
4.	हिमाचल प्रदेश	1,856.47
5.	जम्मू एवं कश्मीर	5,257.07
6.	कर्नाटक	5,070.62
7.	केरल	5,967.42
8.	मध्य प्रदेश	10,954.75
9.	मेघालय	262.64
10.	नागालैंड	1,552.58
11.	उड़ीसा	1,13[illegible].56
12.	पंजाब	8,866.02
13.	राजस्थान	25,029.34
14.	तमिलनाडु	2,181.28
15.	त्रिपुरा	889.65
	कुल	99,702.44

दूरदर्शन, बंगलौर पर उर्दू कार्यक्रम

3315. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को आकाशवाणी और दूरदर्शन के बंगलौर केन्द्र पर उर्दू कार्यक्रमों के प्रसारण समय में वृद्धि करने संबंधी कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन पर क्या कार्यवाही की गई है/की जा रही है;

(ग) क्या सरकार का विचार वहां आकाशवाणी और दूरदर्शन पर उर्दू समाचार बुलेटिन शुरू करने का है;

(घ) यदि हां, तो उर्दू समाचार बुलेटिन संभवतः कब तक शुरू हो जाएगा;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या ऐसा उर्दू कलाकारों के लिए पर्याप्त निधियां उपलब्ध न होने के कारण है; और

(छ) यदि हां, तो इस बाधा को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि हालांकि आकाशवाणी को इस संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं लेकिन दूरदर्शन को ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) आकाशवाणी ने सूचित किया है कि उनके द्वारा उर्दू में प्रसारित किये जा रहे उर्दू कार्यक्रमों की मात्रा को पर्याप्त समझा जाता है।

(ग) से (ङ) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि चूंकि उर्दू भाषी लोगों की सूचना संबंधी जरूरतें मौजूदा बुलेटिनों के प्रसारण से पर्याप्त रूप से पूरी हो जाती है अतः उसका आकाशवाणी तथा दूरदर्शन पर उर्दू समाचार बुलेटिन शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(च) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी टी.वी. चैनलों से कर-वसूली

3316. श्री के. येरननायडू:
श्री गंता श्रीनिवास राव:

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विदेशी टेलीविजन चैनलों के कार्यकरण का एक विस्तृत अध्ययन करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे अपने उपार्जन पर वास्तविक कर अदा करें, क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) से (ग) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। वित्त मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, विदेशी प्रसारण कम्पनियां आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार कर-योग्य हैं और उन पर दोहरा कराधान निषेध संधि लागू है।

विदेशी प्रसारण कम्पनियों ने विगत चार मूल्यांकन वर्षों के दौरान आयकर के रूप में 71.21 करोड़ रुपये का भुगतान किया है।

[हिन्दी]

ब्रिटेन के साथ व्यापार संबंध

3317. श्री नागमणि: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ब्रिटेन के साथ व्यापार संबंध बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाए है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन क्षेत्रों के नाम क्या हैं जिनमें भारत-ब्रिटेन व्यापार संबंधों को बढ़ाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) और (ख) सरकार का यह प्रयास रहता है कि यू.के. सहित अपने सभी व्यापारिक साझेदारों के साथ व्यापार संबंधों में सुधार लाया जाये। व्यापार संबंधों में सुधार लाने के उपाय करना सरकार और निजी क्षेत्र की ओर से सतत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। इनमें शामिल हैं-व्यापारिक साझेदारों के साथ बातचीत, सरकारी और व्यापारिक दोनों स्तरों पर, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भागीदारी के लिए सहायता, व्यापार प्रतिनिधिमंडलों का आदान-प्रदान, बाजार सर्वेक्षण करना, वाणिज्यिक सूचना का प्रसार, वाणिज्यिक संगठनों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना इत्यादि।

(ग) व्यापार के विस्तार के लिए उद्योग और व्यापार जगत द्वारा संभाव्यता के आधार पर अनुसरण किया जाता है। तथापि, प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद, इलैक्ट्रानिक मापटवेयर, ऑटो उपस्कर, भेषज, विशिष्ट परिधान, मूल्यवर्धित ग्रेनाइट इत्यादि कुछ ऐसे नए क्षेत्र हैं जिनमें यू.के. सहित ई.यू. देशों के साथ भारत के व्यापार में विस्तार हो सकता है।

[अनुवाद]

महिला उद्यमी

3318. डा. एस. वेणुगोपाल: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विभिन्न बैंकों द्वारा विशेषकर दिल्ली की महिला उद्यमियों को विशेष रियायत वाले ऋण प्रकरणों, में 1984 के दौरान प्रदान किये गये थे, के संबंध में कानूनी मुकदमेबाजी में फंस गए हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने मामले हैं, साथ ही प्रत्येक मामले में ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन प्रकरणों को अदालत के बाहर ही निपटाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विभिन्न योजनाओं की घोषणा

3319. श्री पोन राधाकृष्णन: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लोगों के कल्याण/उत्थान के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं/परियोजनाओं की आकाशवाणी और दूरदर्शन पर उपयुक्त रूप से घोषणा नहीं की जाती है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार/प्रसार भारती बोर्ड द्वारा देश के प्रत्येक व्यक्ति के लाभ के लिए दूरदर्शन/आकाशवाणी पर इन परियोजनाओं/योजनाओं की घोषणा करवाने के संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) और (ख) आकाशवाणी तथा दूरदर्शन पर समाचार बुलेटिनों तथा अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार की विभिन्न स्कीमों/परियोजनाओं का पहले ही समुचित प्रचार किया जा रहा है।

[हिन्दी]

जनजातीय कार्य

3320. श्री पी.आर. खुंटे: क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में विशेषकर मध्य प्रदेश में आदिवासी, संस्कृति को सुरक्षित रखने का है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) और (ख) संस्कृति विभाग का प्रमुख कार्य समग्र भारतीय कला एवं संस्कृति का परिरक्षण, प्रोन्नयन व प्रसार करना है। जनजातीय/लोक कला एवं संस्कृति को विनिर्दिष्ट रूप से परिरक्षित, प्रोन्नत व प्रसारित करने के उद्देश्य से संस्कृति विभाग में एक विनिर्दिष्ट स्कीम है, जिसका ब्यौरा विभाग की वार्षिक रिपोर्ट, 1999-2000 में उपलब्ध है, जिसे संसद में प्रस्तुत कर दिया गया था। स्कीम के उद्देश्य निम्नानुसार हैं:

(1) *जनजातियों के सांस्कृतिक कार्यकलापों को उनके ही* वातावरण में संचालित करने के लिए जनजातियों को अवसर उपलब्ध कराना तथा उनकी कलाओं व शिल्पों को उनके ही परिवेश में संग्रहीत व परिरक्षित करना ताकि जनजातीय कलाओं व शिल्पों की परंपरा की निरंतरता को सुनिश्चित किया जा सके,

(2) प्रलेखन शोध व सर्वेक्षण को प्रोन्नत करना और समर्थन देना,

(3) संबंधित राज्य सरकार के शैक्षिक प्राधिकरियों को ऐसी परियोजनाएं अभिज्ञात करने में सहायता देना जो जनजातीय व ग्रामीण समुदायों की सांस्कृतिक परंपरा के साथ जनजातीय इलाकों में शिक्षा प्रणाली को एकीकृत करने में मददगार साबित हो सकेंगी,

(4) विशेषकर शहरी शिक्षित लोगों में जनजातीय/ग्राम्य संस्कृति की समृद्धता के प्रति जागरूकता पैदा करना; और

(5) जनजातीय कलाओं एवं शिल्पों तथा जनजातीय संस्कृति के अन्य पहलुओं के परिरक्षण व विकास को अन्य सभी साधनों से प्रोन्नत करना।

देश-भर के विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों/व्यक्तियों ने इस स्कीम का लाभ उठाया है।

[अनुवाद]

अर्थ मैटर सीरिज

3321. श्री राशिद अलवी: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डी.डी. न्यूज चैनल द्वारा निर्मित तथा दिखाई जाने वाली अर्थ मैटर सीरिज फिल्में बना ली गयी हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को यह जानकारी है कि माइक पाण्डेय द्वारा व्हेलज पर निर्मित फिल्म को आस्कर अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है;

(घ) क्या इस फिल्म को दूरदर्शन और अन्य सभी चैनलों पर दिखाया जाना है तथा विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में इसको डब किया जाना है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार अर्थ मैटर सीरिज फाउंडेशन की उचित प्रकार से सहायता करने के तरीके ढूंढ रही है;

(छ) क्या सरकार का विचार डब्ल्यू.डब्ल्यू.एफ. और पी.एफ.ए. को प्रोत्साहित करने का है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) जी, नहीं। दूरदर्शन समाचार चैनल लगभग एक वर्ष से पर्यावरण मामलों पर "अर्थ मैटर्स" नामक एक साप्ताहिक धारावाहिक प्रसारित कर रहा है। इस धारावाहिक को माइक पाण्डेय द्वारा निर्मित किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। उपरोक्त फिल्म के अधिकार दूरदर्शन के पास नहीं हैं। दूरदर्शन पर "अर्थ मैटर्स" धारावाहिक (उसी निर्माता द्वारा) को डीडी-1 और डीडी-2 पर भी दिखाया जा रहा है। यदि निर्माता चाहे तो वह दूरदर्शन के दर्शकों के लिए इस फिल्म के इन विन्डो शो मुख्य अंशों का उपयोग कर सकता है।

(च) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(छ) और (ज) दूरदर्शन पर्यावरण विषयों पर लिखे गए स्पॉट्स एवं अन्य कार्यक्रमों को निःशुल्क प्रसारित करता है।

12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[बाद]

पर्यटन मंत्री तथा संस्कृति मंत्री (श्री अनन्त कुमार): मैं लिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:

(एक) सेन्ट्रल इन्स्टीट्यूट आफ हाईयर तिबतन स्टडीज, *सारनाथ* के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेन्ट्रल इन्स्टीट्यूट आफ हाईयर तिबतन स्टडीज, सारनाथ के वर्ष 1998-99 के *वार्षिक लेखाओं* की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सेन्ट्रल इन्स्टीट्यूट आफ हाईयर तिबतन स्टडीज, सारनाथ के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

न्यालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 2197/2000]

(एक) रामपुर रजा लाइब्रेरी, रामपुर के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रामपुर रजा लाइब्रेरी, रामपुर के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

उपुर्यक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

न्यालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 2198/2000]

(एक) दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, दिल्ली के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, दिल्ली के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 2199/2000]

(7) (एक) *विक्टोरिया* मेमोरियल, कलकत्ता के वर्ष 1996-97 के वार्षिक *प्रतिवेदन* की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) विक्टोरिया मेमोरियल, कलकत्ता के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 2200/2000)

(9) (एक) विक्टोरिया मेमोरियल, कलकत्ता के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) विक्टोरिया मेमोरियल, कलकत्ता के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 2201/2000]

(11) (एक) विक्टोरिया मेमोरियल, कलकत्ता के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) विक्टोरिया मेमोरियल, कलकत्ता के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 2202/2000]

(13) (एक) नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एण्ड लाइब्रेरी, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एण्ड लाइब्रेरी, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 2203/2000]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. रमण): मैं, श्री वल्लभभाई कथीरिया, की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ:

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारत यंत्र निगम लिमिटेड, इलाहाबाद और उसकी सहायक कंपनियों के वर्ष 1998-99 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत यंत्र निगम लिमिटेड, इलाहाबाद और उसकी सहायक कंपनियों का वर्ष 1998-99 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 2204/2000]

(3) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड और भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2000-2001 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 2205/2000]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ:

(1) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (म्युचुअल फंड्स) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2000, जो 22 मई, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 484(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उसका एक शुद्धि-पत्र जो 26 जुलाई, 2000 को का.आ. संख्या 694(अ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 2206/2000]

(2) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) 1970 और 1980 की धारा 19 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 2207/2000]

(एक) इंडियन ओवरसीज बैंक सामान्य विनियम, 1999 जो 28 अप्रैल, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एलएसडी/170/4/2000 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) विजया बैंक सामान्य विनियम, 1998 जो 18 दिसम्बर, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 51 में प्रकाशित हुए थे।

(3) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 94 की उपधारा (4) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 643(अ), जो 31 जुलाई, 2000 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय पशु बीमा के संबंध में कराधेय सेवाओं को उन पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण सेवा कर से छूट देना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 2208/2000]

राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 42 के अंतर्गत भारत में आवास की प्रवृत्ति और प्रगति पर जून, 1997 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 2209/2000]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर ुल्ला): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:

(1) कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 34 के अंतर्गत कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (संशोधन) विनियम, 2000 जो 5 मई, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एपीईडीए/एसईसी/जीईएन/30 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 2210/2000]

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा): मैं श्री बालासाहिब विखे ल की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:

(1) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 27 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, वार्षिक प्रतिवेदन विवरणियां, विवरण और अन्य विवरण प्रस्तुत करना नियम, 2000 जो 14 जून, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 570(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) बीमा सलाहकार समिति (बैठकें) विनियम, 2000 जो 19 जुलाई, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. नं. आईआरडीए/आरईजी/7/2000 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (नियुक्ति बीमांकिक) विनियम, 2000 जो 19 जुलाई, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ नं. आईआरडीए/आरईजी/7/2000 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमांकिक प्रतिवेदन और सार) जो 19 जुलाई, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. नं. आईआरडीए/आरईजी/7/2000 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा एजेन्ट लाइसेंसिंग) जो 19 जुलाई, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ नं. आईआरडीए/आरईजी/7/2000 में प्रकाशित हुए थे।

(छह) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा कर्त्ताओं की आस्तियों देयताओं और ऋण शोध क्षमता की सीमा) विनियम, 2000 जो 19 जुलाई, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. नं. आईआरडीए/आरईजी/7/2000 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (सामान्य बीमा-पुनर्बीमा) विनियम, 2000 जो 19 जुलाई, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ नं. आईआरडीए/आरईजी/7/2000 में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (भारतीय बीमा कम्पनियों का पंजीकरण) विनियम, 2000 जो 19 जुलाई, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. नं. आईआरडीए/आरईजी/7/2000 में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा विज्ञापन और प्रकटीकरण) विनियम, 2000 जो 19 जुलाई, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. नं. आईआरडीए/आरईजी/7/2000 में प्रकाशित हुए थे।

(दस) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बैठकें) विनियम, 2000 जो 19 जुलाई, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. नं. आईआरडीए/आरईजी/7/2000 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 2211/2000]

(2) बीमा अधियिनम, 1938 की धारा 114 की उपधारा (3) के अंतर्गत बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमाकर्त्ताओं के ग्रामीण अथवा सामाजिक क्षेत्रों के प्रति

दायित्व) विनियम, 2000 जो 19 जुलाई, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. नं. आईआरडीए/आरईजी/7/2000 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 2212/2000]

अपराह्न 12.02 बजे

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा कर-अपवंचन के बारे में दिनांक 12 मई, 2000 के तारांकित प्रश्न संख्या 671 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. धनंजय कुमार): महोदय मैं, (एक*) बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा कर अपवंचन के बारे में श्री अमर रायप्रधान द्वारा 12 मई, 2000 को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 671 के उत्तर में शुद्धि करने (दो) उत्तर में शुद्धि करने में विलम्ब के कारणों के बारे में एक वक्तव्य प्रस्तुत करता हूँ।

*[ग्रन्थालय में भी रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 2213/2000]

महोदय, उत्तर के साथ संलग्न विवरण के पृष्ठ 2 (सीमा शुल्क के अपवंचन से संबंधित) को संलग्न विवरण के रूप में पढ़ा जाए।

भूल के लिए खेद है।

यह भूल संसद के पिछले सत्र के अन्त में ध्यान में आई। अत: उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण संसद के उक्त सत्र के दौरान सभा पटल पर नहीं रखा जा सका।

विवरण

वर्ष 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान पता लगाए गए बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा सीमा शुल्क अपवंचन के मामले

क्र.म.	बहुराष्ट्रीय कम्पनी का नाम	कर अपवंचन
1	2	3
	मै. सेडको फोरेक्स इंटरनेशनल ड्रिलिंग इंक	131.22
2	मै. हुंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड	44.40
3.	मै. सोनी इंडिया लिमिटेड	42.90
4.	मै. ग्लो. वेलकम इंडिया लिमिटेड	0.0
5.	मै. जॉनसन एंड जॉनसन लिमिटेड	0.1
6.	मै. हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड	5.7
7.	मै. रैनबैक्सी लैब, देवास	0.2
8.	मै. उषा मार्टिन	1.2
9.	मै. स्कलम्बर एशिया सर्विसेज लिमिटेज, मुम्बई	2.1
10.	मै. हलीबर्टन ऑफशोर सर्विसेज इंक, मुम्बई	0.6
11.	मै. फिलिप्स इंडिया लिमिटेड, मुम्बई	1.8
12.	मै. स्कलम्बर एशिया सर्विसेज	0.2
13.	मै. स्कलम्बर एशिया सर्विसेज	0.7
14.	मै. एमिरेट्स ट्रेडिंग एजेन्सी	1.6
15.	मै. सीमेन्स पब्लिक कम्युनिकेशन नेटवर्क लिमिटेड	2.5
16.	मै. सोनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	4.5
17.	मै. एल.जी. इलेक्ट्रानिक्स प्राइवेट लिमिटेड	0.3
18.	मै. सोनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	0.42
19.	मै. सोनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	[illegible]
20.	मै. इलेक्ट्रोनिक्स इंडिया लिमिटेड	0.24
21.	मै. हालैट पैकर्ड	2.64
22.	मै. महाराजा इन्टरनैशनल लिमिटेड	2.59
23.	मै. सलोरा इन्टरनेशनल	0.47
24.	मै. सैमसंग इंडिया लिमिटेड	0.66
25.	मै. ए.एच.पी. मैन्युफैक्चरिंग बी.वी.	0.03
26.	मै. होन्डा सील कार्स (इंडिया) लिमिटेड	3.00
27.	मै. आई सी एफ इंडिया लिमिटेड	0.22
28.	मै. सीमैन्स लिमिटेड	0.10
29.	मै. उषा मार्टिन टेलीकॉम लिमिटेड	1.39
30.	मै. मोटोरोला इंडिया लिमिटेड	0.40
	कुल	254.4

टिप्पण: जिन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के विरुद्ध राजस्व आसूचना निदेशा... **अन्य क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा अलग-अलग मामले दर्ज किए** गए हैं उन... **एक से अधिक बार दर्शाए गए हैं।**

अपराह्न 12.03 बजे

सभा का कार्य

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह सूचित करता हूं कि बुधवार, 16 अगस्त, 2000 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान इस सदन में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जाएगा:

1. आज की कार्यसूची से बकाया सरकारी कार्य की किसी भी मद पर विचार।

2. निम्नलिखित विधेयकों पर विचार और पारित करना:

   (क) मानवाधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2000

   (ख) पंजाब नगर निगम विधि (चंडीगढ़ का विस्तार) संशोधन विधेयक, 2000

3. राज्य सभा द्वारा पारित किए गए रूप में निम्नलिखित विधेयकों पर विचार और पारित करना:

   (क) भारतीय पावर एल्कोहल (निरसन) विधेयक, 2000

   (ख) रासायनिक हथियार अभिसमय विधेयक, 2000

   (ग) अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास डिजाइन विधेयक, 2000

   (घ) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2000

4. राज्य सभा द्वारा पारित किए गए जाने के पश्चात निम्नलिखित विधेयकों पर विचार और पारित करना:

   (क) कर्मकार प्रतिकार (संशोधन) विधेयक, 2000

   (ख) माल बहुविध परिवहन (संशोधन) विधेयक, 2000

श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर): महोदय, निम्नलिखित मदों को भी अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल किया जाए:

1. महाराष्ट्र में उत्पन्न गंभीर स्थिति जहां पाकिस्तान और ब्राजील से चीनी के आयात के कारण कई लाख टन चीनी सड़ रही है। इससे महाराष्ट्र में गन्ना उत्पादकों और चीनी उद्योग में अशांति फैली हुई है।

2. महाराष्ट्र आई.एस.आई. का निशाना बनता जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार को आई एस आई की मुम्बई में बड़े पैमाने पर हिंसा और खूनखराबा करने की योजना के बारे में चेतावनी दी गई है। मेरा केन्द्र से अनुरोध है कि वे महाराष्ट्र सरकार की आई एस आई के खतरे से निपटने और पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए 200 करोड़ रु. की मांग को स्वीकार करें।

[हिन्दी]

श्री बालकृष्ण चौहान (घोसी): महोदय, कृपया आगामी सप्ताह की कार्य-सूची में निम्नलिखित विषयों को सम्मिलित किया जाए:

1. बाल श्रम के संपूर्ण उन्मूलन हेतु सदन में चर्चा कराई जाए।

2. संविधान की मूल भावना के अनुरूप 16 वर्ष के बालक-बालिकाओं की अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था के लिए संसद में चर्चा कराई जाए।

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): महोदय, कृपया निम्नलिखित विषय को लोक सभा के आगामी सप्ताह की कार्य-सूची में शामिल किये जाने का कष्ट करें:

1. भारत की वर्तमान कृषि नीति पर व्यापक चर्चा।

2. देश में बढ़ती बेरोजगारी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): महोदय, कृपया आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषयों को सम्मिलित किया जाए:

1. अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों के लिए दी जाने वाली वजीफे की राशि को त्रैमासिक आधार पर दिये जाने और उस राशि को मूल्य सूचकांक से जोड़े जाने तथा सभी शैक्षणिक और व्यावसायिक संस्थाओं में इस वर्ग के छात्रों को पर्याप्त छात्रावास सुविधा उपलब्ध कराए जाने एवं प्रवेश के मामले में आरक्षण सुनिश्चित किये जाने से संबधित विषय।

2. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों को तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए अलग से जिला स्तर पर नवोदय विद्यालय या तकनीकी विद्यालय स्थापित किये जाने से संबंधित विषय।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): मान्यवर अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से अनुरोध करना चाहता हूं कि आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषयों को सम्मिलित कर कृतार्थ करें:

1. दिल्ली-अहमदाबाद वाया जयपुर अजमेर चलने वाली दिल्ली मेल में प्रथम श्रेणी वातानुकूलित (फस्ट एसी) का डिब्बा लगाए जाने की आवश्यकता।

2. राजस्थान में स्थित ब्यावर, विजयनगर तथा उदयपुर की एन.टी.सी. के अंतर्गत संचालित कपड़ा मिलों को नियमित और निरन्तर चलाए जाने तथा पूरा जॉब वर्क दिए जाने की आवश्यकता।

[अनुवाद]

श्री ए.पी. अब्दुल्लाकुट्टी (कन्नानौर): अध्यक्ष महोदय, निम्नलिखित मदों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल किया जाए:

1. कॉफी के मूल्य में काफी गिरावट आई है। इसलिए कॉफी उत्पादकों के हितों की रक्षा के उपायों पर चर्चा की जानी चाहिए।

2. मेरे निर्वाचन-क्षेत्र, कन्नानौर (केरल) का वाइनाड जिला पिछड़ा जिला है। वाइनाड जिले में पोस्टल सॉर्टिंग सैक्टर खोलने की आवश्यकता पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए।

डा. संजय पासवान (नवादा): महोदय, टीचरों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संशोधित वेतनमान भारत के सभी विश्वविद्यालयों में लागू किए गए हैं लेकिन बिहार में विश्वविद्यालयों के टीयरों को इससे वंचित रखा गया है। बिहार के टीयर 1.8.2000 से हड़ताल पर हैं। केन्द्र सरकार ने इस शीर्ष के अंतर्गत जो 200 करोड़ रु. आवंटित किये गये थे, उनका सही ढंग से इस्तेमाल नहीं किया गया। इसलिए, मेरा अनुरोध है कि बिहार के टीचरों को देय राशि का भुगतान किया जाए।

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व): अध्यक्ष महोदय, निम्नलिखित मदों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल किया जाए:

1. शहरी विकास मंत्रालय और हुडको द्वारा क्रियान्वित मलिन बस्ती सुधार व मलिन बस्ती पुनर्वास स्कीम का मूल्यांकन।

2. छोटे निवेशकों की सुरक्षा और उनकी शिकायतों के समाधान के लिए विनियामक प्रणाली का सरलीकरण, विनियामक निकायों की अधिकता का वर्जन, तथा एक दोषमुक्त तंत्र को अपनाना।

[हिन्दी]

श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय (गिरिडीह): अध्यक्ष महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में, मैं निम्नलिखित विषयों को जोड़ने की अनुमति प्रदान करने का आग्रह करता हूं:

1. उग्रवाद प्रभावित धनबाद, गिरिडीह और बोकारो जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण और मूलभूत सुविधाओं के उन्नयन और विकास के लिए विशेष पैकेज प्रदान करने की अपेक्षा।

2. कोयले की कालाबाजारी रोकने हेतु सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड और बी.सी.सी.एल. के द्वारा जलावन के कोयले को मुक्त बिक्री (फ्री सेल) में बिक्री करने की अपेक्षा।

श्री त्रिलोचन कानूनगो (जगतसिंहपुर): अध्यक्ष महोदय, मेरा अनुरोध है कि ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों और उस पर की गई कार्रवाई पर चर्चा को अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल किया जाए।

अपराह्न 12.08 बजे

मेडागास्कर के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, मुझे एक घोषणा करनी है। मैं अपनी ओर से तथा सभा के माननीय सदस्यगण की ओर से नेशनल एसेम्बली ऑफ मेडागास्कर के वाइस प्रेसीडेंट, महामहिम श्री इमानुऊल राकोतोआफी तथा मेडागास्कर संसदीय शिष्टमंडल के अन्य सदस्यों का स्वागत करता हूं जोकि भारत के दौरे पर हमारे सम्माननीय सदस्य हैं।

शिष्टमंडल 10 अगस्त, 2000 को दिल्ली पहुंचा तथा इस समय वे विशेष प्रकोष्ठ में बैठे हैं। हम कामना करते हैं कि हमारे देश में उनका प्रवास सुखद और लाभप्रद हो। हम आपके माध्यम से मेडागास्कर गणराज्य के राष्ट्रपति, संसद और वहां की मित्र जनता को अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं।

अपराह्न 12.10 बजे

10 अगस्त, 2000 को श्रीनगर (जम्मू-कश्मीर) में हुए बम विस्फोटों, जिनमें अनेक लोग मारे गए, के बारे में

श्री उत्तमराव ढिकले (नासिक): अध्यक्ष महोदय, मैंने सूचना दी हुई है ...*(व्यवधान)*

पिछले तीन दिनों से सूचना दे रहा हूँ, लेकिन मुझे अवसर नहीं मिल रहा है। मैंने आज सुबह 9 बजे सूचना दी है। इसलिए मुझे अवसर मिलना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपको आज बुलाया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री माधवराव सिंधिया (गुना): अध्यक्ष महोदय, कल जम्मू-कश्मीर में जो गंभीर और दुखद घटना घटी, उससे पूरा देश शोक में डूबा हुआ है। दिन प्रतिदिन ये घटनायें घटती जा रही हैं और इसी क्रम में यह एक भयंकर इजाफा है। कल काफी संख्या में निर्दोष और मासूम व्यक्ति मौत के घाट उतर गये।

हमारे लोकतंत्र के प्रमुख आधार स्तम्भ न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका होती है, परन्तु यदि इस लोकतंत्र में पारदर्शिता की बुनियाद मजबूत नहीं होती तो यह लोकतंत्र पूर्ण रूप से असफल होता। इस पारदर्शिता की बुनियाद को मजबूत बनाने के कार्य में सबसे प्रमुख रोल पत्रकारिता का होता है। इसलिए मैं सोचता हूं कि इन तीनों के साथ पत्रकारिता जगत भी हमारे लोकतंत्र के लिए एक बहुत मजबूत आधार स्तम्भ है। आज इस संदर्भ में, इसी परिप्रेक्ष्य में हम एक नौजवान "हिन्दुस्तान टाइम्स' के फोटोग्राफर श्री प्रदीप भाटिया की याद करते हैं। हम मानते हैं कि उन्होंने अपने कार्य के प्रति कटिबद्धता जाहिर करते हुए हमारे लोकतंत्र के लिए उनका जो स्वर्गवास हुआ है, वह एक शहादत मानी जा सकती है। आज हम पूर्ण तरह से, भावनात्मक दृष्टि से उनके परिवार वालों के साथ हैं। उनका आठ महीने का नन्हा मुन्ना बालक कभी भी अपने पिता को न देख पायेगा और न ही पहचान पायेगा। आज हमारी पूर्ण संवेदना उस परिवार के साथ है।

इसके साथ ही साथ हमारे पत्रकारिता जगत के फैयाज काबुली, रॉयटर, श्री बिलाल भट, ए.एन.आई. के कैमरामैन और इरफान अहमद, जी.टी.वी. के कैमरामैन को काफी चोटें आई हैं। हमारी उनके स्वास्थ्य लाभ के प्रति पूर्ण तरह से कामना है। हमारे पुलिसकर्मी जिनका इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में स्वर्गवास हुआ है, उनके परिवार वालों के प्रति भी हमारी पूर्ण तरह से भावनात्मक संवेदना है।

अध्यक्ष महोदय, जम्मू और कश्मीर में जो मामला घट रहा है, उस संबंध में हमने शांति वार्ता का, शांति प्रयास का और शांति प्रक्रिया का स्वागत किया था। इस ओर हम सदा प्रयासरत थे कि इस बीच कभी भी कोई बाधा उत्पन्न न हो। लेकिन हमने यह भी कहा था कि सरकार को बहुत सावधानी से रहना पड़ेगा। भाग्य से ऐसा लगता है कि ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: हम इस पर भी 21 को चर्चा करेंगे।

[हिन्दी]

श्री माधवराव सिंधिया: यह बहुत संवेदनशील मामला है। बहुत भावुक मामला है इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप मुझे दो मिनट और दे दें। जो सावधानी रहनी चाहिए थी, वह सावधानी हम नहीं दे सके। लाहौर के बाद कारगिल काण्ड हुआ। हमारी हिजबुल मुजाहिदीन के साथ जब चर्चा प्रारंभ हुई, तो उसके बाद 100 लोगों का नरसंहार हुआ। अब यह भयंकर हादसा हुआ है। हमको पूरी तरह से एक असमंज, कम्फ्यूजन इस वार्ता में दिखाई देता है। सरकार किसी योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़े, हम पूर्ण तरह से उनका समर्थन करने के लिए तैयार हैं, परन्तु एक लांग टर्म योजनाबद्ध तरीके और कार्यक्रम से हमें आगे बढ़ना होगा। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आज इस बहुत ही भावुक समय में हम सरकार की आलोचना करने के लिए नहीं खड़े हैं। यह आलोचना का समय नहीं है क्योंकि

[अनुवाद]

यह एक भावुक समय है जिसमें हम केवल कुछ विचारों जो हमारे मस्तिष्क में आ रहे हैं उन्हें प्रकट कर रहे हैं जो कि बहुत चिन्ता का विषय है,

[हिन्दी]

उस भावना में हम चाहते हैं कि आप हमारे विचारों को स्वीकार करें।

यह बहुत भावुक समय है। मैं इसका कोई पोलीटिसाईजेशन नहीं करूंगा, यहां तक कि मैं इस इमोशनल समय में कोई भी आलोचना नहीं करना चाहता। एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए हमारे सुझावों पर विचार करें, चिन्तन करें क्योंकि पूरे देश में इस मामले में व्यापक रूप से चिन्ता फैली हुई है।

अन्त में मैं फिर से मृतकों के परिवार के प्रति कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपनी भावुक संवेदना व्यक्त करना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री राशिद अलवी, श्री प्रभुनाथ सिंह, श्री मोहन रावले, श्री रूपचन्द पाल, श्री प्रियरंजन दासमुंशी भी अपने को श्री माधवराव सिंधिया के विचारों से सम्बद्ध कर सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कल, मंत्री जी ने भी वक्तव्य दिया था।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य): अध्यक्ष महोदय, कश्मीर में इतने लोग मारे जा रहे हैं *...(व्यवधान)* हम सरकार से मांग करते हैं कि सरकारी कदम उठाना चाहिए और आर्मी को फ्री हैंड देना चाहिए *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: हम 21 तारीख को भी इस मामले पर चर्चा करेंगे। क्या सरकारी पक्ष की ओर से कुछ आया है?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): अध्यक्ष महोदय, इस पर हमने नोटिस दिया है। हमें दो मिनट का समय दे दीजिए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप स्वयं को उनके साथ सम्बद्ध कर सकते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैंने आपके नाम बुलाये हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: नहीं, नहीं; आप सभी उनके साथ स्वयं को सम्बद्ध कर सकते हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले: इजराइल फिलिस्तीन के सामने नहीं झुक रहा है लेकिन उसको दबा रहे हैं *...(व्यवधान)* हमारी सरकार झुक रही है *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: यह सभा के उपनेता द्वारा उठाया गया एक गंभीर मामला है। आप सभी ने नोटिस दिए हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप स्वयं को उनके साथ सम्बद्ध कर सकते हैं। कृपया इसे समझिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: नहीं, नहीं; मैंने नाम बुलाये हैं। वे सभी सदस्य, जिन्होंने नोटिस दिए हैं, वे अपने आप को श्री सिंधिया के साथ सम्बद्ध कर सकते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यह उसी मामले से संबंधित है। मैं सभी नाम नहीं बुला सकता। अन्य सदस्यों ने भी नोटिस दिए हैं। एक ही विषय पर मैं सभी सदस्यों को नहीं बुला सकता। यह मेरे लिए बहुत मुश्किल है। अब, कृपया सरकार का उत्तर सुनिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं आपसे अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग करने की अपील कर रहा हूँ।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: अब उसमें केवल मंत्री का ही उत्तर होगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी के उत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: अन्य सदस्य भी हैं। कृपया इसे समझें।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: प्रभुनाथ सिंह जी, आप बैठ जाइये प्लीज। मैं अपील कर रहा हूँ।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री रशीद अल्वी, आपका नाम भी उसमें है। मैं पहले ही आपका नाम बुला चुका हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: अन्य मामले हैं। अब केवल मंत्री जी का उत्तर ही कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: आप 21 तारीख को भी इस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। कृपया इसे समझिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: जी नहीं, जी नहीं। मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा। कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाना चाहिए। अन्यथा, मैं दूसरा मुद्दा उठाने की अनुमति दूंगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: यह सब क्या है? मेरे पास 35 नोटिस है। सभी सदस्यों को एक ही विषय उठाने की अनुमति मैं कैसे दे सकता हूँ।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: जी नहीं, जी नहीं, मैं किसी को भी इस विषय पर बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूँ।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री उत्तमराव ढिकले। आप मंत्री जी को भी उत्तर नहीं देने दे रहे हैं। यह क्या है?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप वरिष्ठ सदस्य हैं। मैं आपसे अपील कर रहा हूँ। आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: प्रतिदिन 'शून्य-काल' के दौरान एक ही व्यवस्था का पालन हो रहा है। इसके लिए निर्धारित प्रक्रिया है। कार्यमंत्रणा समिति में हम सभी ने यह निर्णय किया है कि जब कभी भी एक विषय पर एक से अधिक सदस्य वक्ता हों, वो एक वक्ता बोल सकता है और अन्य सदस्य स्वयं को उससे संबद्ध कर सकते हैं। परंतु पुन: यहाँ सभी बोलना चाहते हैं। यह अच्छा नहीं है। अब, कृपया मंत्री जी बोलें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं आप सभी से स्थान ग्रहण करने का अनुरोध कर रहा हूँ। यह कोई मुद्दा उठाने का तरीका नहीं है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री अलवी, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। इसे कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: आप गंभीर मामलों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। यह खेदजनक है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: 'शून्य-काल' वाद-विवाद के लिए नियत नहीं है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

*...(व्यवधान)**

श्री राशिद अलवी (अमरोहा): महोदय, मुझे कृपया एक मिनट बोलने दीजिए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूँ। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

[हिन्दी]

आप बैठ जाइए, प्लीज। आज नहीं।

अध्यक्ष महोदय: आज नहीं। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: यह क्या है? अब, कृपया मंत्री जी बोलें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: इस प्रकार की घटनाओं को सभा को गंभीरता से लेना चाहिए।

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): अध्यक्ष जी, कांग्रेस के उपनेता माधवराव सिंधिया और सभी दलों के विभिन्न सदस्यों ने नोटिस दिये, जिन्होंने शून्य काल में कल की श्रीनगर की घटना के संबंध में विषय उठाया, उनकी भावनाओं से मैं पूर्णतया सहमत हूं। निश्चित रूप से जनतंत्र का चौथा आधार स्तम्भ पत्रकार हैं, जो निर्भयता से पाकिस्तान के छेड़े गए प्रॉक्सी वार को जनता तक पहुंचाने के लिए श्रीनगर में, कश्मीर में काम करते थे। लगता है कि साजिश के अंतर्गत उन्हें भी आहत करने का कल प्रयास हुआ। माधवराव जी ने हिन्दुस्तान टाइम्स के पत्रकार श्री प्रदीप भाटिया जी को शहीद कहकर पुकारा, जिससे मैं पूर्णतया सहमत हूं। केवल लड़ने वाला सैनिक ही शहीद होता है, ऐसा नहीं है. कभी-कभी नागरिक या पत्रकार भी जिस [illegible] से लड़ते हैं, स्वाभाविक रूप से उन्हें भी शहादत प्राप्त होती [illegible]लिए सरकार की ओर से मैं उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं। मैं आप सब की भावनाओं से सहमत हूं। कल दोनों सदनों में सदन उठने के पहले अध्यक्ष जी के आदेश के अनुसार सरकार की ओर से एक छोटा सा वक्तव्य भी इस संबंध में दिया गया था। जैसा माधव राव जी ने अभी कहा कि हर वक्त कोई राजनीति का, स्कोर करने का मुद्दा नहीं होता, उन्होंने रचनात्मक रूप से कहा कि इसमें सरकार को अपनी जिम्मेदारी का अहसास करके इन घटनाओं से देश को बचाना चाहिए।

मैं समझता हूं जिस रचनात्मक रूप में उन्होंने यह कहा, किसी प्रकार का राजनैतिक रंग न देते हुए या केवल हर चीज को आलोचना-प्रत्यालोचना का विषय न बनाते हुए इसे राष्ट्रीय संकट मान कर माधवराव जी ने और अन्य नेताओं ने जो सुझाव दिए हैं, सरकार निश्चित रूप से उन पर पूर्ण विचार करेगी और हम सब मिल कर आतंकवाद का मुकाबला करने का प्रयास करेंगे। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री उत्तमराव ढिकले के भाषण के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री उत्तमराव ढिकले (नासिक): अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान शुगर क्षेत्र की ओर दिलाना चाहता हूं। विलास मुत्तेमवार जी ने भी यह मुद्दा उठाया। महाराष्ट्र में चीनी का उत्पादन बहुत हुआ है। न केवल महाराष्ट्र में, बल्कि देश में चीनी का उत्पादन दिन-प्रतिदिन बढ़ रहा है। विश्व में भी लगातार चीनी का उत्पादन बढ़ कर 45 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा हो गया है। इसलिए चीनी के दाम में दिन-प्रतिदिन गिरावट आ रही है। मुझे पता चला है, मैंने पढ़ा है कि कुछ चीनी ब्राजील और पाकिस्तान से भी आयात हो चुकी है। फ्री मार्केटिंग की वजह से ऐसा हो रहा है। महाराष्ट्र में कई चीनी मिलें हैं, जहां चीनी के बोरे पड़े हुए हैं। मैं सरकार से मांग करूंगा कि उसने जो पहले बफर स्टाक को रद्द किया था, अब बफर स्टाक की अनुमति दी जाए। सहकारी मिलों को निर्यात की अनुमति दी जाये। जब चीनी का अच्छा दाम देना हो तो सीजन के शुरू में ही लेवी के दाम की घोषणा करनी चाहिए। न केवल घोषणा करनी चाहिए, बल्कि लेवी और फ्री सेल को देखते हुए फ्री सेल का कोटा बढ़ाना चाहिए। गन्ने का लागत मूल्य कम करने के लिए केन्द्रीय शासन को संशोधन करना चाहिए। कम से कम लागत मूल्य कैसे हो, यह भी देखना चाहिए। महाराष्ट्र में शुगर का क्षेत्र दिन-ब-दिन बढ़ रहा है। और सहकारी चीनी मिलों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। उन्हें मजदूर मिलना असम्भव हो रहा है। मैं आपके माध्यम सरकार से अनुरोध करूंगा कि फ्री मार्केटिंग होने से जो चीनी आयात होती है, उस पर टैक्स लगाया जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री विलास मुत्तेमवार, आप माननीय सदस्य के भाषण के साथ सम्बद्ध कर सकते हैं।

श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर): महोदय, मेरा अलग विषय है।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर): मान्यवर, जयपुर से दिल्ली तक जो राष्ट्रीय राजमार्ग बन रहा है, वह अधूरा पड़ा है। बारिश के कारण सड़क जगह-जगह से टूटी हुई है। मोहन नगर और कोटपूतली के पास सड़क नहीं बनी है।

अध्यक्ष महोदय: भार्गव जी, आपने इसी विषय को दो बार रेज किया है।

श्री गिरधारी लाल भार्गव: जयपुर से दिल्ली जाने में लोगों को कठिनाई हो रही है। चार घंटे का रूट हो जाना चाहिए।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

जयपुर से चंडीगढ़ तक जाने में गाड़ी में तीन घंटे लगते हैं। मेरा निवेदन करना है कि सड़क की व्यवस्था ठीक हो। जहां फोर लेन बननी है और नहीं बनी है उसको शीघ्र पूरा किया जाए, जिससे जयपुर जाने वाले लोगों को राहत मिल सके और खड्डों के कारण उनकी गाड़ी को नुकसान न हो।

श्री लाल बिहारी तिवारी (पूर्वी दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में प्रदूषण बहुत जोरों से बढ़ रहा है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र पूर्वी दिल्ली में यमुना नदी के पूर्वी किनारे पर बहुत सी कालोनीज बसी हुई हैं। उनके साथ बने हुए मार्ग पर लाखों लोग चलते हैं। यमुना नदी की सफाई न होने के कारण वहां पर बीमारियां फैलने का खतरा बना रहता है। उस जगह बसी हुई झुग्गी बस्तियों को वैकल्पिक स्थान देकर अन्यत्र बसाने का प्रयास हो रहा है।

ऐसी स्थिति में अगर सोनिया विहार से लेकर मधु विहार के इस किनारे को जो 15 कि.मी. लम्बा है, उसमें वृक्षारोपण की योजना बनाकर उद्यान बनाया जाये ताकि लोग वहां पर भ्रमण वगैरह भी कर सकते हैं और प्रदूषण से मुक्ति भी हो सकती है। मेरी जानकारी के अनुसार केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण विभाग ने दस करोड़, रुपये की योजना दिल्ली सरकार के परामर्श से यहां खर्च करने की बनाई थी जो अभी तक नहीं बनी है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस योजना को लागू किया जाये जिससे प्रदूषण से मेरे क्षेत्र को बचाया जा सके।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेश्वरलु, अपने मामले में, आप पहले मेरी बात सुनिए क्योंकि कुछ माननीय सदस्य इसी सप्ताह 9 अगस्त, 2000 को गाड़ी के पटरी से उतर जाने का यह मामला उठा चुके हैं। कोई सदस्य पहले ही यह मुद्दा उठा चुके हैं।

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेश्वरलु (तेनाली): यह किसी विशेष घटना के बारे में नहीं है। पिछले तीन-चार वर्षों में, विशेष तौर पर आंध्र प्रदेश में दक्षिण-मध्य रेलवे के विजयवाड़ा मण्डल में, रेल दुर्घटनाएं और रेल के पटरी से उतरने की अनेक घटनाएं घटित हुई हैं।

हाल ही में, छगालु के निकट 4 अगस्त को, सिम्हाद्री एक्सप्रेस के लगभग पांच डिब्बे पटरी से उतरने की घटना हुई है। रेलवे अधिकारी इसका कारण यह दे रहे हैं कि सूर्य की भीषण गर्मी के कारण पटरी का फैलाव हो गया था। यह घटना सुबह 10 बजकर 45 मिनट पर हुई थी। मेरे विचार में, जो कारण बताया जा रहा है कि सूर्य की अधिक गर्मी से पटरी फैल गई थी, कोई कारण नहीं है।

हाल ही में, सात-आठ महीने पूर्व, एक गाड़ी के पटरी से उतरने की घटना में हमारे एक मंत्री की भी मृत्यु हो गई थी। दक्षिण-मध्य रेलवे की पटरी में अवश्य ही कोई दोष है। जब भी कोई गाड़ी पटरी से उतरती है अथवा कोई दुर्घटना होती है, तो लोग कोई न कोई कारण बताने लगते हैं और वे आसानी से सारी दुर्घटनाओं को भूलते चले जाते हैं।

मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूँगा और उनसे दक्षिण-मध्य रेलवे, विशेष रूप से विजयवाड़ा मण्डल को भेजे जाने वाले डिब्बों और संपूर्ण पटरी पर ध्यान देने तथा वहाँ ऐसी दुर्घटनाएं क्यों होती हैं, उसके कारणों का पता लगाने का अनुरोध करूंगा। वहाँ न तो चक्रवात की स्थिति है और न ही, बाढ़ की। यह सामान्य काल है और गाड़ी के पटरी से उतरने की घटना 4 अगस्त को हुई थी। इस मामले पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: किसी न किसी को इस पर ध्यान देना चाहिए।

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेश्वरलु: कोई-न-कोई तो इस पर विचार करेगा और यह पता लगाएगा कि पिछले चार वर्षों में इस क्षेत्र में रेलगाड़ी के पटरी से उतरने की 25-30 घटनाएं क्यों हुई।

मैं इस गंभीर मुद्दे की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा।

श्री ए.के.एस. विजयन (नागापट्टीनम): मैं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए "प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना" आरंभ करने के लिए माननीय प्रधान मंत्री को बधाई देता हूँ। वित्त मंत्रालय द्वारा आवंटित डीजल उपकर धनराशि को शत-प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त किया जायेगा। राज्यों को धनराशि आवंटित करने का मानदंड ग्रामीण-संबद्धता और जनसंख्या सघनता पर आधारित होगा। यदि यह मानदंड लागू किया जाता है, तो तमिलनाडु, जिसने ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क-अवसंरचना के लिए आवंटित राज्य-धनराशि का उपयोग किया है, इससे प्रभावित होगा।

मैं डीजल उपकर संग्रहण और ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर राज्यों को धनराशि आवंटित करने का अनुरोध करता हूँ। मैं यहाँ यह उल्लेख करना चाहूँगा कि तलिननाडु के माननीय मुख्य मंत्री, डा. कलईग्नार करुणानिधि ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की कालोनियों को पक्की सड़क से जोड़ने की योजना की घोषणा की है। यह, ग्रामीण क्षेत्रों और अनुसूचित जाति के लोगों के विकास हेतु उनकी एक कल्याण योजना है। यदि उन्हें ज्यादा निधियां प्राप्त होती हैं, तो उनकी योजना तेजी से कार्यान्वित होगी।

मुझे पता चला है कि केन्द्र सरकार को निधि आवंटन के मानदण्डों के संबंध में निर्णय अभी लेना है। मैं आपसे जल्द-से-जल्द निर्णय लेने और डीजल उपकर निधि के एकत्रीकरण के अनुसार निधियां आवंटित करने का अनुरोध करता हूं। निधियों के आबंटन में विलम्ब से कार्य में बाधा उत्पन्न होगी क्योंकि दक्षिणी राज्यों को आने वाले महीनों में भारी वर्षा का सामना करना पड़ेगा।

[हिन्दी]

श्री पुन्नू लाल मोहले (बिलासपुर): अध्यक्ष महोदय, बिलासपुर, मांडला में रेलवे लाइन बिछाने के लिए 5 साल पहले सर्वे किया गया था। फिर इसका सर्वे 1992 में होना था, लेकिन इसकी अवधि सन् 2000 तक बढ़ा दी गई और परिस्थितियों को देखते हुए, प्लानिंग कमीशन से इसकी स्वीकृति हो जानी चाहिए थी। मैं केन्द्रीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि बिलासपुर, मांडला रेलवे लाइन बिछाने का कार्यक्रम सन् 2000-2001 में पूरा किया जाए और प्लानिंग कमीशन में स्वीकृति हेतु इस योजना को भेजा जाए।

[अनुवाद]

डा. (श्रीमती) सी. सुगुणा कुमारी (पेद्दापल्ली): महोदय, मैं आपका और इस सम्माननीय सभा का ध्यान रिलायंस ओ एन जी सी ऑयलसील्ड पट्टे में 500 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के महत्वपूर्ण मामले की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

एनरॉन रिलायंस कम्पनी के संयुक्त उपक्रम मुक्ता-पन्ना ऑयलफील्ड पट्टा समझौते से संबंधित केस फाइल के बारे में काफी कुछ सुनने को मिल रहा है। अत्यन्त उदारवादी अनुमानों द्वारा ऑयलसील्ड मुक्ता-पन्ना का मूल्य 5,000 करोड़ रुपये आंका गया है। यह ओ एन जी सी अधिकारियों द्वारा 11 करोड़ रुपये के नगण्य मूल्य पर पट्टे पर दे दिया गया है। उन अधिकारियों ने, जिन्होंने 5000 करोड़ रुपये की ऑयलफील्ड के लिए 11 करोड़ रुपये का मूल्य निर्धारित किया, बाद में रिलायंस में कार्यभार ग्रहण कर लिया।

बाद में, इस घोटाले की जांच हेतु एक समिति नियुक्त की गई। समिति के अध्यक्ष ने इस सौदे में किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार होने से इन्कार किया और बाद में वे भी समय से पहले सेवानिवृत्ति लेकर रिलायंस समूह से जुड़ गये। केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच से संबंधित फाइल मिल नहीं रही अथवा खो गई है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से इस मामले की जांच करने के लिए उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश अथवा सभा की समिति नियुक्त करने हेतु सरकार को निर्देश देने का अनुरोध करता हूं *...(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): महोदय मेरे विचार से यह एक अत्यंत गंभीर आरोप है और इस मामले की जांच किये जाने की आवश्यकता है *...(व्यवधान)*

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा): इस बारे में कुछ किया जाना चाहिए। *...(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल (हुगली): सरकार को गम्भीर मामले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने की आवश्यकता है यह एक अत्यन्त गंभीर आरोप है *...(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): महोदय, शून्य काल के दौरान जो भी बातचीत हुई, उसकी जानकारी संबंधित मंत्रियों को दी जा रही है और संबंधित मंत्री इस पर विचार करेंगे *...(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल: यह बहुत गम्भीर आरोप है *...(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन: आप हमेशा चिल्लाते रहते हैं। आप किसी दूसरे की बात नहीं सुनना चाहते *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, सदस्य ने एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मामला उठाया है।

...(व्यवधान)

श्री प्रमोद महाजन: महोदय, मैं भी यही कह रहा हूं कि शून्य काल में कोई भी संसदीय कार्य मंत्री प्रश्नों का उसी समय उत्तर नहीं दे पायेगा, मझे आशा है कि आप इसकी सराहना करेंगे। यदि माननीय सदस्य ने इस सभा में किसी प्रकार का कोई आरोप लगाया है, तो स्वाभाविक है कि पूर्ण दायित्व के साथ मैंने कहा कि संबंधित बातों पर निर्णय लेने के लिए इन्हें संबंधित मंत्री को भेज दिया जायेगा। इस समय इसके अलावा मैं क्या कह सकता हूँ? *...(व्यवधान)* यदि माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई निर्देश देना चाहते हैं, तो ऐसा करने का उनके पास पूर्ण अधिकार है *...(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल: महोदय, आप ऐसे गम्भीर आरोप का उत्तर देने के लिए मंत्री महोदय को निर्देश दे सकते हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने पहले ही उत्तर दे दिया है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री पाल, मैंने पहले ही संसदीय कार्य मंत्री को मुद्दे की गम्भीरता के बारे में संबंधित मंत्री को बताने को कह दिया है। उन्होंने पहले ही उत्तर दे दिया है।

...(व्यवधान)

श्री रूपचन्द पाल: महोदय, आप मंत्री जी को सभा में आने और स्थिति को स्पष्ट करने का निर्देश दे सकते हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने पहले ही मंत्री जी को संबंधित मंत्री को बताने को कह दिया है।

...*(व्यवधान)*

श्री सिमरनजीत सिंह मान (संगरूर): महोदय, आपके माध्यम से मैं इस सम्माननीय सभा की जानकारी में यह बात लाना चाहता हूं कि अनुच्छेद 19(1) (ङ) और (छ) में सन्निहित मौलिक अधिकारों के अधीन भारत के सभी नागरिकों को अपनी पसंद का कोई पेशा चुनकर भारत में कहीं भी रहने का अधिकार है। चूंकि कृषि एक राज्य विषय है, अत: अनुच्छेद 19(1) (च) के अनुसार, सम्पत्ति अर्जित करने, रखने और बेचने के अधिकार के अंतर्गत उल्लिखित अधिकारों का लाभ उठाने के लिए कृषकों को कानूनी सुरक्षा प्राप्त थी।

चवालीसवें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 19(1) (च) को हटाने का अर्थ है कि कृषक नागरिकों को अपनी पसंद का पेशा अपनाकर भारत में रहने के अधिकार का लाभ उठाने के लिए राज्य विधानमंडलों के विवेक पर छोड़ दिया जाये।

अपराह्न 12.40 बजे

(**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*)

अनुच्छेद 19(1) (च) को हटाने के बाद कोई भी कृषक नागरिक भारत में कहीं भी कैसे रह सकता है? अब या तो वह केवल उन राज्यों में रह सकता है, जो उन्हें भूमि खरीदने की अनुमति दे अथवा उसे अपना पेशा बदलना पड़ेगा। अत:, अनुच्छेद 19(1) को संविधान में समाहित किया जाना चाहिए अन्यथा यह भेदभावपूर्ण है। इसके भुक्तभोगी मुख्य रूप से किसान हैं क्योंकि राजस्थान और हिमाचल प्रदेश राज्यों के विभेदकारी कानूनों के कारण उन्हें इन दो राज्यों में भूमि खरीदने की अनुमति नहीं है। एक ओर तो भाजपा संविधान के अनुच्छेद 370 को समाप्त करना चाहती है और दूसरी ओर वह ऐसे कानूनों को, जो भेदभावपूर्ण हैं, संविधि-पुस्तक में बने रहने की अनुमति देती है।

[हिन्दी]

श्री रघुराज सिंह शाक्य (इटावा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से रेलवे सुरक्षा विशेषबल (आर.पी.एस.एफ.) की भर्ती, जोकि 1.8.2000 से गोरखपुर में चल रही है, उसके बारे में आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। इसमें कुल लगभग दो लाख फार्म प्राप्त हुए थे। कॉल लैटर्स लगभग 21 हजार भेजे गये हैं। ओ.बी.सी. के मात्र छ: या सात हजार कॉल लैटर्स भेजे गए हैं। अधिकांश फार्म मात्र इसलिए रिजेक्ट कर दिए गए हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी प्रारूप प्रमाण-पत्रों पर ओ.बी.सी. के प्रमाण-पत्र जारी किए गए थे, लेकिन दसवीं कक्षा का स्टुडेंट यह नहीं समझ सकता कि प्रमाण-पत्र जारी किये गए थे, लेकिन दसवीं कक्षा का स्टुडेंट यह नहीं समझ सकता कि प्रमाण-पत्र केन्द्र के आधार पर दिए जाएं। उत्तर प्रदेश से जो प्रारूप दिया था, उस आधार पर उसमें प्रारूप ओ.बी.सी. का लगा हुआ था। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि जो गलती हुई है, उसकी जांच कराई जाए और ओ.बी.सी. के अभ्यर्थियों को निष्पक्ष न्याय दिलाया जाए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

डा. वी. सरोजा (रासीपुरम): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अनुमान लगाया गया है कि हमारे देश में छह लाख से अधिक भारतीय चिकित्सा प्रणालियों और होम्योपैथिक के चिकित्सक हैं। उनमें से अनेक दूरस्थ, ग्रामीण और शहरी मलीन बस्तियों में कार्यरत हैं और वे स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और पहुंच में सुधार लाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। मैं भारत सरकार से अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को मुख्य धारा में लाने, नियमन और उपयोग संबधी कार्य योजना के तेज करने की अपील करता हूं ताकि जनसंख्या नियंत्रण और राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखरेख व्यवस्था में सहायता प्रदान करने और सभी योजनाओं के कार्यान्वयन में उन्हें जोड़ने के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में फिर से अकाल की स्थिति उत्पन्न होने लग गई है। वहां वर्षा बहुत कम होने के कारण बोई हुई फसलें सूखने लग गई हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना करना चाहूंगा कि गंगा में जो बाढ़ आई हुई है, उस बाढ़ के पानी का कुछ हिस्सा राजस्थान को दिया जाए। चूंकि राजस्थान में कम वर्षा होने तथा आंतरिक स्रोतों से जल की उपलब्धता सीमित है। अत: स्वाभाविक है कि अन्तर्राज्यीय जल में राज्य के हिस्से के उपयोग को ज्यादा से ज्यादा प्राथमिकता प्रदान की जाए। इस संबंध में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि 4.1.1998 को गंगा बाढ़ नियंत्रण मंडल की 11वीं बैठक में केन्द्रीय जल आयोग ने विस्तृत अध्ययन करके रिपोर्ट दी थी। उस रिपोर्ट के आधार पर तय हुआ था कि जब भी गंगा में बाढ़ की स्थिति पैदा हो तो उस समय बाढ़ अधिकाय का पानी राजस्थान को दिया जाए। ...*(व्यवधान)*

अत: मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करना चाहूंगा कि गंगा और यमुना में बाढ़ ज्यादा आने के कारण जो भी पानी बचता है, वह राजस्थान को दिया जाए।

श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान महाराष्ट्र के एक गंभीर मामले की तरफ दिलाना चाहता हूं। अभी हाल ही में हमारे सदन के उप नेता तथा संसदीय कार्य मंत्री ने भी इस बात के लिए सहमति दर्शाई कि जो जम्मू और कश्मीर में हो रहा है, उसके लिए हम सब लोग कंसर्न हैं और उसके लिए उचित कदम उठाए जाएंगे।

महोदय, मैं आपका और सरकार का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं, आई.एस.आई. का दूसरा लक्ष्य है महाराष्ट्र, मुंबई और इंटेलीजेंस एजेंसीज के मुताबिक राज्य सरकार को चेतावनी दी गई है कि आई.एस.आई. मुम्बई और राज्यों के अन्य जिलों में सक्रिय हो गई है।

गृह मंत्रालय की खुफिया रिपोर्ट के अनुसार भी तमिलनाडु बम कांड में लिप्त अबु बकर सिद्दीकी और नौ अन्य अपराधी महाराष्ट्र के और जिलों में छिपकर बैठे हैं और वे वहां आईएसआई के इशारों पर काम करते हैं। महाराष्ट्र में वे कोई बड़ा हादसा करने की फिराक में हैं। उनका प्रयास होगा कि किसी तरह से साम्प्रदायिक अथवा सामाजिक तनाव पैदा करके लोगों को गुमराह किया जाये। चुनाव के दौरान भी ऐसे ही प्रयास किये गये थे। लेकिन राज्य की पुलिस ने उनकी बात चलने नहीं दी। हाल ही में सैय्यद अहमद, मौहम्मद देसाई और पांच अन्य आतंकवादी साहबजादा, बड़े साहब, शेख उर्फ अब्बु शेख, राजेश और यशवंत भगत आदि पकड़े गये हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी ने केन्द्र सरकार से आईएसआई की गतिविधियों से निपटने के लिए दो करोड़ रुपये की सहायता की मांग की है। मुम्बई, नयी मुम्बई, ठाणे और कई महत्वपूर्ण नगर आईएसआई की गतिविधियों के घेरे में हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि आप जानते हैं कि मुम्बई देश का औद्योगिक केन्द्र है और सन 1991-1992 में भी आईएसआई के लोगों ने वहां पर बहुत बड़े हादसे किये थे और अब भी मुम्बई को उनके द्वारा लक्ष्य बनाया जा रहा है और कोई बहुत बड़ा दुस्साहसिक कदम वे उठा सकते हैं। मुम्बई पुलिस बल को मजबूत बनाने, विशेष रैपिड एक्शन फोर्स का गठन करने, अत्याधुनिक इलैक्ट्रोनिक उपकरण, हथियार व साजोसमान खरीदने और राष्ट्र-विरोधी ताकतों से लोहा लेने के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी ने एक प्लॉन बनाया है। लेकिन उसके लिए केन्द्र सरकार की मदद चाहिए। इसलिए मेरा आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि मुम्बई और महाराष्ट्र के औद्योगिक स्वरूप को बरकरार रखने के लिए वह महाराष्ट्र सरकार की मदद करे। धन्यवाद।

श्री हरिभाऊ शंकर महाले (मालेगांव): उपाध्यक्ष जी, नासिक जिले में मनमाद जंक्शन रेलवे स्टेशन है। इस रेलवे स्टेशन में देश का सबसे बड़ा इंजन और रेल की अन्य सामग्री बनाने का कारखाना है। यहां के कामगारों को अच्छा काम करने के लिए माननीय जार्ज साहब ने सम्मानित भी किया। लेकिन अब यहां कंट्रेक्टरों को काम देना शुरू किया है। इसलिए इन कामगारों के ऊपर बहुत बड़ा संकट आया है। मेरी आपके माध्यम से मंत्री जी से विनती है कि इन कंट्रेक्टरों को काम न दिया जाये और साथ ही साथ कामगारों की संख्या में कटौती न होने पाये।

[अनुवाद]

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा): महोदय, दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एक प्रमुख संस्थान है। किन्तु संस्थान के अन्दर कई मामलों में अत्यधिक भ्रष्टाचार फैला हुआ है। हाल ही में, 50 विद्यार्थियों का एक दल संस्थान से उत्तीर्ण हुआ है। सामान्यत: वे एक वचन-पत्र पर हस्ताक्षर करते हैं कि उनके पाठ्यक्रम की समाप्ति के बाद वे लगभग दो वर्ष वहां कार्य करेंगे। प्रत्येक विद्यार्थी के लिए भारत सरकार द्वारा 500 रुपये प्रतिमाह की छात्रवृत्ति दी जाती है और उसका उपयोग भी किया गया है। अब उन्होंने उनकी सेवाओं का उपयोग न करने का निर्णय लिया है और वे दूसरों को लेने जा रहे हैं। दूसरों को लेने में, अत्यधिक भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जा रहा है। कई विद्यार्थी हममें से कईयों के पास आये और वे कहते हैं कि उन्हें छात्रावास में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है और उनमें से कई, जो देश के विभिन्न भागों से आये हैं, उनको भी छात्रावास में प्रवेश नहीं दिया गया और उन्हें कहा गया कि उनकी सेवाओं की आवश्यकता नहीं है। अत:, तत्काल कोई कार्यवाही करनी पड़ेगी। मैं संसदीय कार्य मंत्री से इसे माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री के ध्यान में लाने का अनुरोध करूंगा ताकि तत्काल कार्यवाही की जा सके। कम से कम वे विद्यार्थी, जो पहले ही छात्रावास में हैं-जिन्हें यह कहकर बाहर निकाला जा रहा है कि उनकी सेवाओं की आवश्यकता नहीं है उनकी सहायता की जाये।

[हिन्दी]

श्री जसवंत सिंह बिश्नोई (जोधपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित होकर आया हूं। जोधपुर, जैसलमेर, पीपाड़, फलौदी की जनता की बहुत पुरानी मांग है कि जोधपुर से एक सीधी ट्रेन हरिद्वार तक, एक चैन्नई तक और एक मुम्बई तक के लिए हो।

जोधपुर पश्चिमी राजस्थान का एक महत्वपूर्ण केन्द्र है। यहां से लोग ज्यादातर दक्षिण भारत में व्यापार करते हैं और आते-जाते

रहते हैं और इसमें मुम्बई एक व्यापारिक केन्द्र होने के कारण मारवाड़ी एक अहम भूमिका निभाता है लेकिन आने जाने के लिए कोई सीधी ट्रेन नहीं हैं और न ही हरिद्वार के लिए सीधी ट्रेन है जिससे गांव के अनपढ़ लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। वे एक ट्रेन से उतरकर दूसरी ट्रेन में नहीं चढ़ पाते हैं। इसलिए मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि एक सीधी ट्रेन जोधपुर से चेन्नई, मुम्बई और हरिद्वार के लिए चलायी जाये।

[अनुवाद]

श्री खारबेल स्वाइं (बालासोर): महोदय, लगभग दो वर्ष पूर्व, उड़ीसा के लिये प्रतिदिन एक सीधी एयरबस सेवा थी किन्तु इसे बंद कर दिया गया और एक बोइंग विमान प्रदान किया गया और भुवनेश्वर मार्ग भी विशाखापट्टनम से जोड़ दिया गया। किन्तु विशाखापट्टनम हवाई अड्डे पर रात में विमान उतारने और एयरबस सर्विसिंग की सुविधा नहीं है। अत:, प्राय: वायुयान बहुत देर से जाते हैं और पहले ये विशाखापट्टनम ले जाये जाते हैं और फिर ये भुवनेश्वर वापिस आते हैं। अत:, मैं संसदीय कार्य मंत्री के माध्यम से माननीय नागर विमानन मंत्री से अपील करता हूं कि वाराणसी से भुवनेश्वर के लिये एक दैनिक एयरबस सेवा प्रदान की जाए, ताकि यह पर्यटक मार्ग बन जाये और विमान में पर्याप्त यात्री हों।

[हिन्दी]

श्री राम प्रसाद सिंह (आरा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आज सदन में एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहा हूं। बिहार के रोहतास, भोजपुर और कैमूर जिले उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा से घिरे हुये हैं। इनके दक्षिण में सोन नदी बहती है। ये पहाड़ी इलाके हैं। आजकल एम.सी.सी. और अन्य असामाजिक तत्व कहीं भी अपराध करके इन पहाड़ियों में अपना अड्डा बना लेते हैं। मैं जब पिछली बार इस सदन का सदस्य बना था तो उस समय भी इस विषय की ओर सरकार का ध्यान खींचा था कि इन पहाड़ियों को आपराधिक तत्वों से मुक्त बनाने के लिए वहां एक सैनिक छावनी बनायी जाये। कैमूर जिला उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा से लगता है। यदि सरकार वहां सैनिक छावनी बना देती है। यह एम सी सी उग्रवादी संगठनों और असामाजिक तत्वों का शरण स्थान बनने से मुक्त हो जायेगा। अपराध रुक जायेंगे। अत: मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि शीघ्र इन पहाड़ियों पर सैनिक छावनी बनाने का कष्ट किया जाए।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): उपाध्यक्ष महोदय, आज अपने देश में जातिवाद बराबर बढ़ता जा रहा है। अगर इस देश को मजबूत बनाना है तो इस देश से जातिवाद को खत्म करना होगा। इसके लिए सरकार कॉस्ट अबोलीशन कमीशन बनाये जो केन्द्र और राज्य स्तर पर हो। इससे देश में जातिवाद को खत्म करने में मदद मिलेगी। मेरा यही निवेदन है।

श्री प्रमोद महाजन: उपाध्यक्ष महोदय, जाति प्रथा पर आधारित समाज में जाति प्रथा निर्मूलित करके जातिविहीन समाज का निर्माण होना चाहिए। माननीय सदस्य ने जो भावना व्यक्त की है, मैं उनकी भावना से सहमत हूं। जाति के आधार पर जो ऊंच-नीच की भावना बढ़ी है, वह नहीं होनी चाहिए। एक समता समाज हो और उन्होंने जो सुझाव दिया है कि एक कमीशन बनना चाहिए, इस बात का अध्ययन करना पड़ेगा।

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय, पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार ने तटीय विनियमन अधिसूचना जारी की है, जो 500 मीटर की परिधि के भीतर किसी भी प्रकार के कार्यकलापों को प्रतिबंधित करती है। मेरे विचार में यह लक्षद्वीप पर भी लागू होता है। यदि ऐसी स्थिति है तो 500 मीटर की परिधि में कुछ नहीं किया जा सकता।

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री महोदय, लक्षद्वीप के संबंध में कुछ कहा जा रहा है।

श्री वरकला राधाकृष्णन: केरल समुद्र तट पर भूमि की एक पट्टी है और इस अधिसूचना के कारण गरीब मछुआरे, जो तटीय क्षेत्र में रहते हैं, भूमि का पंजीकरण नहीं करा सकते।

उन्हें अपने नाम में पट्टा नहीं मिलेगा। हजारों मछुआरे तटीय क्षेत्र में रहते हैं। यदि इस 500 मीटर विनियमन का सख्ती से पालन किया जाये, तो इनमें से किसी को भी अपना अधिकार नहीं मिलेगा और कोई भी विकास संबंधी कार्यकलाप संभव नहीं है। इससे भी अधिक, कुछ पर्यटक केन्द्र, जैसे कोचीन और कोवालम, तटीय क्षेत्रों में स्थित हैं। यदि इस 500-मीटर के विनियम को लागू किया जाता है, तो तटीय क्षेत्र में पर्यटन की गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

बहुत पहले मुख्य मंत्री, यह मामला केन्द्र सरकार के ध्यान में लाये थे। बारंबार अनुरोध किये जाने के बावजूद, इस प्रक्रिया में सुधार के लिए कुछ भी नहीं किया गया है। यदि यह 50 मीटर अथवा 100 मीटर का विनियमीकरण हो, तो बात समझ में आती है परंतु यदि यह 500 मीटर हो, तो यह केरल जैसे राज्य के लिए बहुत अधिक है। उपाध्यक्ष महोदय, आप केरल की स्थिति समझते हैं क्योंकि एक-तिहाई से अधिक भाग पहाड़ी क्षेत्र हैं, दूसरा एक-तिहाई मध्य क्षेत्र है, और तटीय क्षेत्र अत्यंत संकरा है। अत:

यदि आप, सख्ती से इस विनियम को लागू करते हैं, तो केरल राज्य को अत्यधिक कठिनाई होगी। यह एक विशेष प्रकार की समस्या है। सरकार को इस विशेष पहलू पर विचार करना चाहिए और यह देखना चाहिए कि यह भूमि उन्हीं गरीब लोगों के नाम पंजीकृत हो, जो तटीय क्षेत्र में रह रहे हैं और विकास गतिविधियों के बारे में भी विचार करना चाहिए।

हम आपसे यह मामला भारत सरकार के साथ उठाने का और यह देखने का अनुरोध करते हैं कि कम से कम केरल में इस 500 मीटर के विनियम से छूट दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय: लक्षद्वीप के बारे में क्या विचार है?

श्री वरकला राधाकृष्णन: यह विनियम लक्षद्वीप पर भी लागू होता है।

उपाध्यक्ष महोदय: यदि मंत्री महोदय इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं, तो वह ऐसा कर सकते हैं।

श्री प्रमोद महाजन: महोदय, मैं श्री वरकला राधाकृष्णन और आपके द्वारा व्यक्त की गई चिंता की सराहना करता है।

यह केवल केरल और लक्षद्वीप का ही प्रश्न नहीं है। हमारी लगभग 6,000 किलोमीटर लंबी तटीय लाइन है और सी आर जेड विनियम स्वभावत: मछुआरों और पर्यटन उद्योग के लिए समस्यायें उत्पन्न कर रहा है। हालांकि, यह मेरा विषय नहीं है, परंतु मुझे अस्पष्ट सा स्मरण है कि इस विषय पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय भी है। जैसाकि मैंने कहा है, मैं माननीय सदस्य द्वारा अभिव्यक्त चिंता और आप द्वारा दिए गए अप्रत्यक्ष निर्देशों की सराहना करता हूँ। मैं इस मामले को पर्यावरण और वन मंत्री के साथ गंभीरता से उठाऊँगा। चलिए, हम सभी इस मुद्दे को सुलझाने का प्रयास करें। जैसाकि मैंने कहा हैं, इस मुद्दे पर न्यायिक उद्घोषणा है। हम कोई रास्ता निकालना चाहेंगे। मैं पर्यावरण और वन मंत्री से निश्चित रूप से इस पर गंभीरता से विचार करने के लिए कहूँगा।

[हिन्दी]

श्री सुरेश चन्देल (हमीरपुर, हि.प्र.): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्रीय उद्योग मंत्री जी का ध्यान कांगड़ा जिले के संसारपुर क्षेत्र की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। केन्द्र सरकार ने 20 फरवरी, 1997 को वहां पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए मंजूरी दी थी। लेकिन इतने वर्षों के बाद भी अभी तक वहां उद्योगों के विकास के लिए जो आधारभूत ढांचा विकसित होना चाहिए था, वह विकसित नहीं हो सका है। उसी योजना में एक और प्रावधान था कि वहां कर्मियों को प्रशिक्षण देने के लिए तथा उच्च क्वालिटी के उत्पादों की जांच करने के लिए एक मिनी टूल ट्रैनिंग सैंटर भी वहां स्थापित किया जाएगा, जो उस योजना के तहत विचार में था, लेकिन वह भी अभी तक पूरा नहीं हो सका है। मेरा सरकार से निवेदन है कि उसे जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए, ताकि वहां एक अच्छा औद्योगिक ढांचा विकसित हो सके।

श्री सुबोध राय (भागलपुर): उपाध्यक्ष महोदय, आकाशवाणी पटना केन्द्र में 14 उद्घोषक और कम्पीयर पिछले 15 वर्षों से काम कर रहे हैं। उनके स्थायीकरण के बारे में 3.12.1999 को ''कैट'' ने भी फैसला दिया है। लेकिन अभी तक उनके रेगुलराइजेशन के बारे में कोई काम नहीं किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग करता हूं कि उनके स्थायीकरण की दिशा में शीघ्र से शीघ्र कदम उठाया जाए और उन्हें न्याय प्रदान किया जाए। धन्यवाद।

अपराह्न 1.00 बजे

उपाध्यक्ष महोदय: श्रीमती फूलन देवी। आपके विषय पर आज आधे घंटे की चर्चा भी है।

श्रीमती फूलन देवी (मिर्जापुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने संसदीय क्षेत्र मिर्जापुर भदोही की सिंचाई के बारे में निवेदन करना चाहती हूं। मिर्जापुर में इलाहाबाद तक सिंचाई के लिए पानी दिया जाता है जो अधवा बांध है और सरसी बांध है और दोनों बांधों से मिर्जापुर के 90 विधान सभा क्षेत्रों के लिए नहरें निकाली हैं। हर साल उन नहरों में टूट-फूट हो जाती है और उसके सुधारीकरण के लिए करोड़ों रुपया केन्द्र सरकार से दिया जाता है परंतु न तो नहरों की देख-रेख होती है और न ही उनका सुधारीकरण होता है। सारा पैसा घोटाले में चला जाता है। केन्द्रीय सरकार से मैं मांग करती हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार के जो भी सिंचाई मंत्री हैं, उन्हें निर्देश दें कि जो नहरें टूटी पड़ी हैं और पानी फालतू बह जाता है, खेतों को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलता है तो सिंचाई के अभाव में फसलें सूख जाती हैं। अभी धान लगी हुई है, पहाड़ी एरिया है। वैसे भी गरीब आदमी भुखमरी से मरता है और फसलें सूखने से और ज्यादा भुखमरी के कगार पर वे पहुंच जाते हैं। नहर विभाग वाले किसानों से उगाही तो करते हैं पर पानी सिंचाई के लिए नहीं दिया जाता है। वहां जो नहरें टूटी पड़ी हैं, उसके लिए नहरों का सुधार किया जाए, मरम्मत की जाए ताकि खेतों तक पानी अच्छी तरह से पहुंच सके। हम आपके माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि उत्तर प्रदेश के जो सिंचाई मंत्री हैं, उनको निर्देश दिया जाए कि जो नहरें टूटी पड़ी हैं, उनका सुधारीकरण किया जाए और सिंचाई के लिए उपयुक्त व्यवस्था की जाए।

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरीडीह): उपाध्यक्ष महोदय, कोयला खान के राष्ट्रीयकरण को 27 वर्ष बीतने के बाद भी कोल इंडिया लिमिटेड की कुछ कंपनियों में लौंग टर्म प्लानिंग के कारण उत्पादकता में कमी हो रही है और कोयले का उत्पादन खर्च बढ़ रहा है। अत: अभी भी तत्काल प्रभाव से भविष्य की प्रगति को ध्यान में रखते हुए सभी कोयला खदानों में अल्पकालिक योजना का संचालन किया जाना चाहिए और इसके लिए सी.एम.पी.डी.आई. के सुझाव का भी उपयोग करना चाहिए जो कोयला उद्योग के भविष्य के लिए बहुत ही आवश्यक है। अत: मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि इस विषय पर कोयला मंत्रालय से भी विचार-विमर्श किया जाए और कोल कंपनियों को घाटे से बचाने और उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने हेतु आवश्यक कदम उठाया जाये।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब, सभा अपराह्न दो बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.02 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.08 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 2 बजकर 08 मिनट पर पुन: समवेत हुई।

(**श्री पी.एच. पांडियन** *पीठासीन* हुए)

सूचना स्वातंत्र्य विधेयक–*जारी*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब यह सभा विधायी कार्य पर विचार करेगी।

मद संख्या 9–**श्री** पवन कुमार बंसल

श्री बंसल, आप कल पहले ही 15 मिनट ले चुके हैं।

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़): जी नहीं, महोदय। मैंने कल 13 मिनट लिए थे। मैं अपने समय का ध्यान रखता हूँ। कल मैंने 3 बजकर 47 मिनट पर बोलना शुरू किया था।

सभापति महोदय: ठीक है।

श्री पवन कुमार बंसल: सभापति महोदय, जैसाकि मैंने कल कहा था, इस विधेयक का उद्देश्य वास्तव में प्रशंसनीय हैं। यह विधेयक पूर्व प्रचलित कुछेक परंपराओं को, जो आम जनता को अपनी शिकायतों का निवारण करने के तरीकों में आड़े आती थीं, दूर करता है और सरकारी जानकारी तक पहुंच बनाता है।

उदाहरण के लिए, विधेयक के पारित हो जाने के बाद सामान्यत: खुशी मनाई जाती है। यह एक परिहासजनक परंपरा है। और इस विधेयक के पारित होने के पश्चात् यह परंपरा समाप्त हो जाएगी। इसी प्रकार, हम देखते हैं कि हर बार इस पर हमेशा विचार होता है और बिना कोई कारण दिए उसे रद्द कर दिया जाता है। आशा है कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा।

'जनहित में' शब्दों का इस्तेमाल आम जनता को किसी भी प्रकार की सूचना की पहुंच के बाहर रखने के लिए किया जाता है।

मैंने कुछेक सुझाव दिये थे। मैं इस समय उन संशोधनों के विस्तार में नहीं जाना चाहता क्योंकि मुझे आशा है कि माननीय मंत्री यह आश्वासन देंगे कि उनमें से कुछ लिये जायेंगे। परंतु इस विधेयक में कुछ मौलिक कठिनाइयां दिखाई पड़ रही हैं।

मुझे यह अधिकार नहीं है और यहाँ तक कि मुझमें इस विधेयक का मसौदा तैयार करने वाले व्यक्ति की कानूनी दक्षता अथवा विधिक योग्यता पर शंका करने की योग्यता भी नहीं है। परंतु, जहाँ तक कि इस विधेयक के खण्ड 8(2) का संबंध है, मैं इसके विधिक कौशल को समझने में असमर्थ हूँ ...*(व्यवधान)*

मैं नहीं जानता कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री मुझे क्या कहना चाहते हैं।

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): कुछ भी नहीं। आप बोलते रहिए ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: वह आपका समर्थन कर रहे हैं।

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, मैं स्वविवेक से काम लेता हूँ। मेरे विचार से, मुझे इस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।

यहाँ तक कि अगर मुझे इस विधेयक को किसी प्रवर समिति अथवा स्थायी समिति को भेजने की मांग भी करनी पड़ती, तो भी यह बताने के लिए कि मेरी मांग का क्या कारण है, किसी विशेष बात का उल्लेख करना मेरा कर्त्तव्य है। यह माननीय मंत्री के ऊपर निर्भर करता है कि वह इसे माने या न माने। यदि यही रवैया

[श्री पवन कुमार बंसल]

रहता है, तो मैं अपनी बात जारी रखता हूं। मैंने कहा है कि और यह कहने में मुझे कोई हिचक भी नहीं है, मैंने यह विचार रखा है कि इस विधेयक को किसी समिति को भेजा जाना अपेक्षित है। इसके लिए मुझे कारण बताना होगा। यदि मुझसे ऐसी उम्मीद की जाती है कि मैं सिर्फ वही कहूँ और अपना तर्क भी न रखूं, तो मेरे विचार से वास्तव में यह चर्चा को दबाने वाली बात है, जो आप के अलावा और कोई नहीं कर सकता ...*(व्यवधान)*

खण्ड 8(2) में यह कहा गया है:

"(2) ऐसी किसी घटना, बात या विषय से संबधित कोई सूचना, जो उस तारीख से पच्चीस वर्ष पूर्व घटित हुई हो या हुआ हो जिसके लिए धारा 6 के अधीन कोई अनुरोध किया जाता है, उस धारा के अधीन अनुरोध करने वाले किसी व्यक्ति को उपलब्ध कराई जाएगी।"

अपराह्न 2.13 बजे

(श्री बसुदेव आचार्य *पीठासीन* हुए)

मैंने इस खण्ड को बारंबार पढ़ा है और जितना इस पर चर्चा कर सकता था, किसी के साथ, चर्चा भी की है परंतु यह क्या संप्रेषित करता है, वास्तव में यह समझने में मैं असमर्थ रहा हूँ। यहाँ पर 'ऑकरन्स, ईवेन्ट ओर मैटर' शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिसे विधेयक में परिभाषित नहीं किया गया है। अत: क्या आपका यह सुझाव देने का तात्पर्य है कि यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसी घटना के बारे में जानकारी चाहता हो, जो 25 वर्ष से अधिक पुरानी न हो, तो क्या इस खण्ड के अंतर्गत उसे सूचना देने के अधिकार से इंकार किया जायेगा? मांगी गई जानकारी किस प्रकार की हो सकती है? उदाहरण के लिए टेलीकॉम नीति के अंतरण अथवा परिवर्तन के लिए लाइसेंस शुल्क के स्थान पर राजस्व बंटवारा प्रणाली लाने के सरकार के टेलीकॉम नीति के अंतरण अथवा परिवर्तन के लिए लाइसेंस शुल्क के स्थान पर राजस्व बंटवारा प्रणाली लाने के सरकार के निर्णय लेने और उसके कारणों के बारे में हो सकती है। यह स्वयं माननीय मंत्री के विभाग से संबंधित किसी ऐसे न्यायनिर्णय के बारे में हो सकती है, जिसे सरकार द्वारा स्वीकार न किया जा रहा हो। यहाँ तक कि यह हाल ही के विनिवेश संबंधी निर्णयों के बारे में हो सकती है। यदि हम इनके संबंध में और अन्य अनेक मामलों पर कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो क्या यह उपखंड यह संप्रेषित करता है कि वह जानकारी नहीं दी जायेगी? इस विधेयक की प्रभावशीलता के बारे में मुझे अत्यधिक गंभीर शंकायें हैं। इसी कारण कल मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि यह विधेयक जब अधिनियमित होगा, तो यह बिल्कुल प्रभावहीन सिद्ध होगा। यदि ऐसा नहीं है–जैसाकि मुझे लगता है माननीय विधि मंत्री हमसे मनवाना चाहते–तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है। फिर मैं इस विधान को लाने के लिए उनकी प्रशंसा करता हूँ।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): चूँकि यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो उठाया गया है, अत: मैं इसका जवाब देना चाहूँगा। इस खण्ड का तात्पर्य यह है कि खंड 3 और 5 के अंतर्गत प्रत्येक विषय जनता के निरीक्षण, जाँच अथवा प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु उपलब्ध है। इसके अपवाद सिर्फ खण्ड 8(1) में सूचीबद्ध है। खण्ड 8(2) में यह कहा गया है कि यदि आप इन्हें एक साथ पढ़ें तो खण्ड 8(1) में सूचीबद्ध अपवाद भी 25 वर्ष के उपरांत गोपनीय नहीं रहेंगे और 25 वर्ष की अवधि समाप्त होने पर प्रत्येक विषय सार्वजनिक कर दिये जायेंगे।

श्री पवन कुमार बंसल: इस बात को स्पष्ट करने के लिए मैं माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूँ। वस्तुत: इससे मेरा एक भारी संदेह दूर हो गया है। यदि कोई जानकारी, चाहे वह गोपनीय हो या इन मामलों में से किसी से भी जुड़ी हुई हो, 25 वर्षों के बाद नागरिकों को उपलब्ध करवायी जायेगी–यहां तक कि सूची में दर्शाए गए अपवादों के बारे में भी मैं इस पहल का स्वागत करूंगा। वे अपवाद भी काफी जायज हैं और वहां शामिल किए गए इन अपवादों को लाना किसी सरकार के लिए जरूरी है। यदि खण्ड 2 का उद्देश्य 25 वर्ष के बाद भी इन अपवादों को दूर करने का है तो मैं इस पहल का स्वागत करूँगा।

इसके अलावा, अन्य कई बातें हैं। एक खास विषय पर, मैं महसूस करता हूँ कि यह सरकार के लिए खासी मुसीबत खड़ी करेगा। एक खास खण्ड में, यह उद्धृत किया गया है कि सरकार द्वारा विभिन्न निर्णयों पर पहुँचने के लिए बनायी गयी प्रक्रिया या प्रणाली को प्रकाशित करना होगा। विधेयक के पृष्ठ 3 पर खण्ड 4 (ख) (दो) में कहा गया है कि, प्रकाशित .....

"उसके अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्त्तव्य तथा विनिश्चय करने के अनुक्रम में उनके द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रिया।"

यदि सरकार वास्तव में इसे लोगों तक पहुँचाना चाहती है तो मैं इसका स्वागत करूँगा। लेकिन यह सरकार के लिए कठिनाई उत्पन्न कर सकता है। ऐसा मेरा मानना है कि क्योंकि इससे न्यायालयों में रिट याचिकाओं की बाढ़ आ जायेगी। बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं। सरकार को हमेशा विस्तृत प्रक्रिया, इत्यादि बनाने के लिए निर्देश जारी होते रहेंगे। इसे संहिताबद्ध नहीं भी किया जा सकता है अपितु यह संहिताबद्ध कानून के जैसा होगा।

मैं सोचता हूँ, अन्य बिन्दु भी हैं जिन पर संयुक्त प्रवर समिति में विस्तार से चर्चा किए जाने की आवश्यकता है। मैं अपीलीय प्राधिकारी की तरह अपने सभी बिन्दुओं को संक्षेप में रख रहा हूँ। यदि माननीय मंत्री जी इस पर प्रतिक्रिया जताएं तो यहाँ हमें और आगे बहस या चर्चा में जाने की आवश्यकता नहीं होगी, और हम समिति के समक्ष अवश्य इन बिन्दुओं को रखेंगे। मेरे विचार से, इसे करने के लिए सही मंच दोनों सदनों की प्रवर समिति है जहाँ सदस्य बैठ सके और विचार कर सकें।

यदि माननीय सदस्य इस समय प्रतिक्रिया जताएँ तो मुझे अपने बिन्दुओं पर आगे कुछ नहीं कहना होगा।

श्री प्रमोद महाजन: जहाँ तक सूचना का अधिकार विधेयक का सवाल है, पूरा देश लगभग एक दशक से इस विधेयक की प्रतीक्षा कर रहा है। यह कई सरकारों तथा कई प्रक्रियाओं से गुजर चुका है। वास्तव में, श्री वाजपेयी की सरकार देश की जनता को सूचना का अधिकार देने को बहुत उत्सुक है। हम वास्तव में बहुत उत्सुक हैं कि इसे इसी सत्र में पारित करा लें। लेकिन यदि यह सभा की आम राय है कि इसे या तो स्थायी समिति या प्रवर समिति को भेजा जाए-जिस पर हम बाद में निर्णय लेंगे-मेरे विचार से, इसे समिति को भेजने में सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यह सभा की आम सहमति होनी चाहिए। यदि यह सभा की आम राय है तो इस विधेयक को छोड़कर हम दूसरे विधेयक को ले सकते हैं।

श्री पवन कुमार बंसल: यह इस सभा को दो या तीन महीने के भीतर फिर से भेज देगी।

सभापति महोदय: सम्भवत: आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह में।

श्री के.पी. सिंहदेव (ढेकानाल): महोदय, मुझे पहला केबल टेलीविजन (विनियमन) विधेयक प्रस्तुत करने का सम्मान मिला था। यह एक अनपकारी विधेयक था। माननीय मंत्री जी तत्कालीन सभा में एक सदस्य थे। उनके साथ मेरी सम्माननीया उत्तराधिकारिणी श्रीमती सुषमा स्वराज थी। मुझे अध्यक्षपीठ ने निर्देश दिया कि इसे स्थायी समिति को भेजा जाना चाहिए। उस समय, स्थायी समिति की बात थी। केबल टेलीविजन (विनियमन) विधेयक जैसे अनपकारी विधेयक को स्थायी समिति के पास भेजा जाना था और सात दिनों के भीतर उसे लौट कर आना था।

अब इस वर्तमान विधेयक में कई उचित बिन्दु हैं और यह बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है। आज सूचना का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। इसमें कई न्यायिक मत शामिल है। इसलिए मैं महसूस करता हूँ कि इसे संयुक्त प्रवर समिति को भेजा जाना चाहिए।

श्री रूपचंद पाल (हुगली): महोदय, मैं अपने माननीय सहयोगी श्री बंसल की दलील का पूरा समर्थन करता हूँ कि इस विधेयक को संयुक्त प्रवर समिति को भेजा जाना चाहिए। एक समय सीमा के भीतर यह इस विधेयक का निरीक्षण करके हमारे पास वापस भेज सकती है। इस विधेयक में कई गम्भीर प्रावधान हैं जिन्हें परिस्थितियों के अनुरूप बदलने की जरूरत है। इसलिए जो सुझाव दिए गए हैं, मैं उनसे पूर्णत: सहमत हूं और विधेयक को संयुक्त प्रवर समिति को भेजा जाना चाहिए। उसके बाद ही इस सभा में हम इसे ले सकते हैं।

श्री पी.एच. पांडियन (तिरुनेलवेली): सभापति महोदय, मैं श्री बंसल द्वारा व्यक्त विचारों का पूरा समर्थन करता हूँ। यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है। प्रशासन में पारदर्शिता इस विषय का मूल है। इसलिए इस विषय को विलम्बित नहीं करना चाहिए। प्रवर समिति को एक समय सीमा दे दी जाए। हम इस विधेयक को प्रवर समिति को भेजे जाने के पक्ष में हैं।

श्री प्रमोद महाजन: महोदय, मैंने पहले ही कह दिया है कि हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है।

सभापति महोदय: एक प्रस्ताव लाया जाना है।

...(व्यवधान)

श्री प्रमोद महाजन: मैं अन्य दलों के नेताओं से विचार-विमर्श करूँगा। क्योंकि कई बार सम्बद्ध स्थायी समिति के सदस्य महसूस करते हैं कि कुछ खास विधानों को लागू करने में उनकी अनदेखी की जा रही है। *...(व्यवधान)*

श्री पी.एच. पांडियन: गृह मामले संबंधी स्थायी समिति को इसकी जांच करने दें। हम लॉटरी विधेयक और कम्पनी कानून संशोधन विधेयक की जाँच कर रहे हैं। *...(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन: महोदय, इस संदर्भ में मैं सरकारी गोपनीयता अधिनियम का उल्लेख करना चाहूँगा। इस औपनिवेशिक अधिनियम का सूचना का अधिकार विधेयक पर सीधा प्रभाव है। *...(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन: महोदय, मेरी एक आपत्ति है। यदि हम विधेयक को प्रवर समिति या स्थायी समिति को भेज रहे हैं तो इसी विधेयक पर चर्चा करते हुए नहीं रह सकते *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री राधाकृष्णन, आप सिर्फ इतना कहिए कि इसे प्रवर समिति को भेजा जाए या नहीं।

...(व्यवधान)

श्री वरकला राधाकृष्णन: मैं इस विधेयक को प्रवर समिति के पास भेजे जाने के पक्ष में हूँ। और मैं यह कहकर अपने पक्ष को मजबूत करना चाहूँगा कि *...(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन: बहस की कोई आवश्यकता नहीं है *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री राधाकृष्णन, आप सिर्फ इतना कहिए कि इस विधेयक को प्रवर समिति के पास भेजा जाना चाहिए या नहीं।

...(व्यवधान)

श्री वरकला राधाकृष्णन: मैं इस विचार का समर्थन करता हूँ, इस विचार को मजबूत करने के लिए मैं सरकारी गोपनीयता अधिनियम का उल्लेख कर रहा था। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: इस विधेयक पर कोई बहस नहीं होनी चाहिए।

श्री के. मलयसामी (रामनाथपुरम): महोदय, मुझे कुछ और कहना है। समिति का गठन करते समय, मैं सरकार से अनुरोध करूँगा कि समिति में उन सदस्यों को रखा जाए जो नौकरशाह रहे हैं जिससे वे सरकार को सही सलाह दे सकें *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अभी विधेयक पर चर्चा को स्थगित किया जाता है। सभा को सूचित किए जाने के विषय में समय सीमा बाद में तय की जाएगी।

अब, हम केबल टेलीविजन नेटवर्क्स (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2000 को लेंगे।

अपराह्न 2.24 बजे

केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) संशोधन विधेयक

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): महोदय मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

महोदय, श्री के.पी. सिंह देव ने अभी उल्लेख किया था कि केबल टेलीविजन नेटवर्क्स (विनियमन) अधिनियम, 1995 को प्रस्तुत करने का गौरव उन्हें ही मिला था। सैटेलाइट टेलीविजन के आगमन के परिणामस्वरूप कई नए अवसर सामने आए। 1995 में संसद ने 1995, अधिनियम बनाया। तबसे, यह अधिनियम कई वर्षों तक यहाँ लागू रहा। कई क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें इस अधिनियम को सशक्त किए जाने की आवश्यकता है। मैं उन क्षेत्रों की ओर संक्षेप में इशारा करूंगा जिनके विषय में यह विधेयक है। धारा 5 के अधीन एक कार्यक्रम संहिता बनाने का प्रावधान है। इसी प्रकार, धारा 6 के अधीन एक विज्ञापन संहिता बनाने का प्रावधान है। इसके अनुरूप, विनियम तैयार किये गये हैं जिसके हिसाब से एक कार्यक्रम संहिता और एक विज्ञापन संहिता तैयार हुई हैं। लेकिन धारा 5 और 6 में एक शर्त वाली धारा (परन्तुक) है जिसके अनुसार विदेशी सैटेलाइट चैनलों के कार्यक्रम जो बिना किसी विशेष उपकरण या डिकोडर के प्राप्त किये जा रहे हों, पर इस धारा का कोई भाग लागू नहीं होगा।

इसी प्रकार का एक परन्तुक धारा 6 में है। इन दो परन्तुकों का परिणाम यह रहा हैं कि हर बार, एक विदेशी चैनल जो देश के बाहर से अपलिंकिक करता है और भारत में डाउनलिंक हो रहा है और जो बिना किसी विशेष उपकरण या डिकोडर के प्रयोग के आगे दिखाया जा रहा है, उन्हें कार्यक्रम संहिता और विज्ञापन संहिता से पूरी तरह से छूट मिल जाती है। जो पे-चैनल हैं केवल उन्हीं के लिए विशेष उपकरण या डिकोडर की आवश्यकता होती है। कहने का अर्थ है कि केबल आपरेटर प्रत्येक घर से कुछ धन शुल्क के रूप में लेते हैं। फ्री चैनलों को किसी विशेष गैजिट अथवा डीकोडरों के बिना ही प्रसारित किया जाता है इसलिए यदि विदेशी सैटेलाईट चैनल आ भी जाये जैसाकि हम अनेकों विदेशी चैनलों को देखते हैं जिन्हें देश में डाउन-लिंक किया जाता है तथा जो फ्री टू एअर चैनल है और जिनमें किसी भी डीकोडर की जरूरत नहीं होती है, ऐसी स्थिति में केवल आपरेटर के पास पूरी छूट होती है कि वह उस कार्यक्रम को दिखाये तथा इसे बिना किसी परिणाम के आगे प्रसारित करें, चाहे उस कार्यक्रम में हमारी कार्यक्रम संहिता अथवा विज्ञापन संहिता का पालन किया गया अथवा नहीं।

नये संशोधन में ऐसा प्रस्ताव रखा गया है कि इस विशेष प्रावधान तथा परन्तुक को हटा दिया जाये ताकि हटाने का प्रभाव यह पड़े कि हमारी कार्यक्रम संहिता तथा प्रसारण संहिता सभी प्रकार के चैनलों के लिए लागू हो सके चाहे ये पे-चैनल, एनक्रीपटेड चैनल अथवा फ्री टू एअर चैनल हो।

दूसरा प्रस्तावित संशोधन परिभाषा के बारे में है जिसे खण्ड 2(क) में जोड़ दिया गया है तथा जिसमें प्राधिकृत अधिकारी को परिभाषित किया गया है। इस अधिनियम में कई ऐसी धाराएं हैं जिन्हें देश के प्रत्येक जिले में कार्यान्वित किया जाना चाहिए ताकि इस अधिनियम के प्रावधानों का पालन हो सके। इस अधिनियम को कार्यान्वित करने के लिए कई अधिकारियों को अधिसूचित किया जाना जरूरी होता है। गत पांच वर्षों का यह अनुभव रहा है कि चूंकि इसे देश के प्रत्येक जिले के कई राज्यों में कार्यान्वित करने की आवश्यकता है, राज्य सरकार द्वारा इस विशेष उद्देश्य हेतु संबंधित अधिकारियों को अधिसूचित अथवा काम में नहीं लाया गया है। इसलिए इन परिभाषाओं को बदला जा रहा है ताकि एक विशेष अधिकारी कहने की बजाय वाक्यांश की 'प्राधिकृत अधिकारी' के रूप में प्रस्तुत किया गया है। शब्द "प्राधिकृत अधिकारी" में एक नयी परिभाषा जोड़ी जा रही है कि ऐसा अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट, उप प्रभागीय मजिस्ट्रेट अथवा पुलिस आयुक्त होगा जिसकी प्रमुख जिम्मेवारी इस अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को कार्यान्वित करने की होगी। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि इस अधिनियम के कई प्रावधानों को आसानी से कार्यान्वित किया जा सके।

अगले प्रावधान को एक संशोधन के द्वारा लाये जाने का विचार है। मूल अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत एक प्रावधान था कि दूरदर्शन चूंकि एक जन सेवा प्रसारक है इसलिए एक अनिवार्य खण्ड का उपबंध किया गया था कि प्रत्येक केबल आपरेटर के द्वारा इसके कम से कम दो कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाना चाहिए। इसको लागू करने में कई कठिनाईयां सामने आई हैं। इन कठिनाईयों का स्वरूप या तो इन कार्यक्रमों को उचित प्रसारित न करना है या बिल्कुल भी प्रसारित न करना। ये कठिनाई दूरदर्शन के सैटेलाईट तथा टेरेस्ट्रीअल सिगनलों को एक समय में एक ही चैनल पर दिखाने से भी होती है। जिसके परिणामस्वरूप लोगों की शिकायत होती है कि पिक्चर धुंधली आ रही है।

जहां तक दूरदर्शन का संबंध है, प्रसार भारती क्षेत्रीय भाषाओं के कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान देने में सफल रही है। इस कैलेण्डर वर्ष के दौरान उन्होंने कई क्षेत्रीय भाषाओं में 24 घंटे का सैटेलाइट चैनल शुरू किया है। इसीलिए ये क्षेत्रीय भाषाओं वाले सैटेलाइट चैनल क्षेत्रीय भाषाओं, क्षेत्रीय संगीत क्षेत्रीय समाचार, और क्षेत्रीय सामयिक घटनाओं के समाचार तथा उन विशेष प्रांतों के कलाकारों की विभिन्न सांस्कृतिक घटनाओं को सामने लाने में बढ़ावा देते हैं। यह जरूरी है कि ये चैनल लोगों तक पहुंचे। इसलिए धारा 8 को प्रतिस्थापित करने का विचार है तथा धारा 8 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक केबल आपरेटर कम से कम दूरदर्शन के दो टेरेस्ट्रीयल चैनलों का प्रसारण करेगा। दो ही चैनल ऐसे हैं जो टेरिस्ट्रीयल है। ये चैनल डीडी नेशनल डीडी मैट्रो है। एक क्षेत्रीय भाषा का चैनल है जो सैटेलाइट मोड में प्राइम बेन्ड पर टेरिस्ट्रीयल फ्रीक्वेन्सीज से अलग फ्रीक्वेन्सीज पर चलता है। इसलिए दोनों टेरिस्ट्रीयल चैनलों को टेरिरेस्ट्रीयल फ्रीक्वेन्सीज पर चलवाया जायेगा ताकि कोई मिसमेच न हो। जो क्षेत्रीय भाषाओं के चैनल सैटेलाइट मोड में है उन्हें प्राइम बेन्ड में सैटेलाइट फ्रीक्वेन्सी पर ही चलाया जायेगा ताकि प्रत्येक घर तक पहुंचने वाले सिगनल अच्छी गुणवत्ता के हो। कई शिकायतें सामने आयी हैं कि केबल आपरेटर द्वारा इन सिगनलों को उचित ढंग से नहीं भेजा जाता है। उन चैनलों को अधिसूचित करने का प्रावधान है जिन्हें प्रसार भारती द्वारा ही चलाया जाता है। अधिनियम की धारा 20 में संशोधन करने का भी प्रस्ताव है ताकि आपरेटरों द्वारा दिखाये जाने वाले कार्यक्रमों का निर्णय किया जा सके।

श्री ए.सी. जोस (त्रिचूर): यह निर्णय किसको करने का अधिकार प्राप्त है कि किस कार्यक्रम को आपरेटर द्वारा दिखाया जाये?

श्री अरुण जेटली: कार्यक्रम के बारे में कोई स्वनिर्णय वाली बात नहीं है। इसके दो पहलू है। सुझाव यह है कि एक केबल आपरेटर किसी भी चैनल को चलाने के लिए स्वतंत्र है बशर्ते दिखाये जाने वाले कार्यक्रमों पर कार्यक्रम संहिता तथा विज्ञापन संहिता का पालन किया जाए। यदि चैनल इसका उल्लंघन करते हैं तो उन्हें अनुमति नहीं दी जाएगी। उदाहरण के लिए एक विशेष चैनल था जो शालीनता की सीमा पार कर चुका था तथा जो फूहड़ किस्म का था। इसे अनुमति नहीं दी गयी। आपरेटर भी ऐसे चैनल को दिखा सकता है। कार्यक्रम संहिता तथा प्रसारण संहिता के दायरे में थे।

जहां तक दूरदर्शन का संबंध है, धारा (8) (3) में एक प्रस्तावित प्रावधान है कि जिसमें यह कहा गया है कि "प्रसार भारती अधिनियम की धारा 3 के तहत स्थापित प्रसार भारती सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा केबल आपरेटर द्वारा प्रसारित करने के लिए प्रत्येक दूरदर्शन चैनल की संख्या और नाम तथा इन चैनलों को प्राप्त तथा पुनः प्रसारण के तरीके को निर्धारित कर सकती है। ऐसे केवल दो ही टेरीस्ट्रीयल चैनल है। इसलिए ये स्पष्ट ही होंगे। लेकिन जहां तक क्षेत्रीय भाषा के चैनलों की बात है, अधिसूचना यह होगी कि ऐसे क्षेत्रीय भाषा के चैनल उस विशेष क्षेत्र में लोकप्रिय ढंग से स्वीकार तथा समझे जा रहे हो। हम अभी देश के अनेक भागों में क्षेत्रीय भाषा के चैनलों को स्थापित करने की प्रक्रिया में है। वास्तव में, गत कुछ महीनों में अनेक राज्यों को इस कार्य में शामिल कर दिया गया है। इसलिए इन क्षेत्रीय भाषा के प्रसारणों को सही ढंग से बढ़ावा मिलना चाहिए। यही इस विशेष संशोधन का उद्देश्य है.

अंतिम संशोधन यह है कि धारा 20 उपखण्ड 2 को वहां जोड़ा है जहां धारा 19 और धारा 20 को मूलरूप से रखा गया

[श्री अरुण जेटली]

था। इस संशोधन को वर्गीकरण के प्रयोजन से रखा गया है। इस संशोधन का कारण यह है कि धारा 19 के अंतर्गत ऐसे प्रसारण पर रोक लगाने की शक्ति प्रदान की गयी है जो धर्म, जाति, भाषा, समुदाय, अशांति अथवा जातियों के बीच भ्रात्व संबंधी भिन्नताओं को लेकर नफरत को बढ़ावा देता है। इसलिए, धारा 19 हरेक ऐसे कार्यक्रम पर रोक लगाती है जो जातीय अथवा संप्रदायिक अथवा धार्मिक वैमनस्य पैदा करता है। यह एक वैद्य प्रावधान है जिसे होना ही चाहिए। धारा 20 में एक विशेष प्रावधान है कि सरकार लोकहित में एक विशेष चैनल पर रोक लगा सकती है। चूंकि अन्य मामलों को परिभाषित न किया गया हो जैसे कि यदि कोई चैनल मुख्य रूप से अश्लील है तो हम लोक हित धारा 20 के तहत खण्ड को लागू करने के लिए किन नियमों को लागू करे ऐसा धारा 2 के अंतर्गत परिभाषित नहीं किया गया है। इसलिए जब अश्लीलता दिखाने वाले चैनल पर रोक लगाने की बात सामने आई जो स्वरूप में अश्लील था तो एक शंका उत्पन्न हुई। धारा 19 में जाति और धार्मिक वैमनस्य को पैदा करने वाले चैनलों पर रोक लगाने की शक्ति प्रदान की गयी हैं लेकिन अश्लील प्रकृति के चैनलों पर रोक लगाने के बारे में कोई शक्ति प्रदान नहीं की गयी है। इसलिए संविधान के अनुच्छेद 19(2) की भाषा जो स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति पर उचित रोक लगाता इसे धारा 20 उप-धारा (2) में सम्मिलित किया गया है। इसलिए इस शक्ति का संबंध उन प्रतिबंधों पर है जो संवैधानिक रूप से पहले से लागू हैं, जैसेकि ऐसे कार्यक्रमों पर रोक लगायी जानी चाहिए जो भारत की प्रभुसत्ता और इसकी अखंडता, भारत की सुरक्षा किसी भी बाहर के देश के साथ मैत्रीय संबंधों अथवा जन व्यवस्था, शालीनता अथवा नैतिकता के विरुद्ध जाये। अब ये सभी संवैधानिक तौर पर मान्य प्रतिबंध है। महोदय, इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य यह है कि हमने इस अधिनियम पर गत पांच वर्षों से काम किया है। इसके कार्यकरण की प्रक्रिया में अनेक कारक सामने आये हैं। संसदीय स्थायी समिति तथा अनेक दूसरी परामर्शदात्री समितियां इन मुद्दों पर समय-समय पर चर्चा करती रही हैं तथा इन विषयों से जुड़े इन मुद्दों को उठा रहे हैं। कई बार इस सभा में इन मुद्दों को उठाया जा चुका है। यहां तक कि स्थायी समिति ने इसकी सिफारिश भी की है कि विदेशों में कुछ देशों के नक्शे कदम पर इसमें एक आवश्यक खण्ड होना चाहिए। इसीलिए हम इन चैनलों में दो और एक के हिसाब से लेते हैं। स्थायी समिति ने स्वयं इसकी सिफारिश की है। अत: इसे विधेयक में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इसका संबंध अनेकों बार इस सभा में व्यक्त की गयी लोकप्रिय राय से है कि सरकार ने जो यह आवश्यक समझा है कि भारत में केबल कानून को वास्तव में मजबूत बनाने के लिए इस कानून के संशोधन को पेश किया जाये।

इन शब्दों के साथ मैं इस सभा से यह सिफारिश करूंगा कि इस विधेयक पर विचार करने के लिए कार्यवाही की जाए तथा इस पर स्वीकृति प्रदान की जाए।

सभापति महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

> "कि केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"

प्रस्ताव के संशोधन विचार करने के है। मेरे विचार से श्री विलास मुत्तेमवार यहां उपस्थित नहीं है। श्री वरकला राधाकृष्णन अपने संशोधन को पेश करेंगे।

श्री वरकला राधाकृष्णन: मैं प्रस्ताव करता हूँ:

> "कि विधेयक पर 30 नवम्बर 2000, तक सभा की राय जानने के लिए उसे परिचालित किया जाये।"

श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयप्पन (शिवगंगा): सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ क्योंकि यह एक अतिमहत्वपूर्ण विधेयक है।

प्राधिकृत अधिकारी के पास केबल आपरेटर के रोजाना के कामों में हस्तक्षेप करने के बड़े अधिकार हैं। मेरा आग्रह है कि यह पक्षपातपूर्ण और मनमाना नहीं होना चाहिए। विधेयक के खण्ड 2(क) के अंतर्गत नियुक्त किए जाने वाले अधिकारियों द्वारा इस प्रकार का पक्षपातरहित दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए।

खण्ड '5' में सुझाव दिया गया है कि दूरदर्शन में दो चैनल होने चाहिए। यह एक अच्छा संशोधन है क्योंकि दूरदर्शन निजी टी.वी. चैनलों के साथ प्रतिस्पर्धा में खड़े होने की कोशिश कर रहा है। निजी टी.वी. चैनल की पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। यह अच्छी बात है कि दूरदर्शन के कार्यक्रमों में भी धीरे-धीरे सुधार हो रहा है। लेकिन इसे अपनी पहुँच को व्यापक करना पड़ेगा क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में दूरदर्शन लोगों के लिए अकेला माध्यम है। शहरों और नगरों में केबल आपरेटर सेवाएं देते हैं लेकिन दूरदराज के क्षेत्रों में लोगों को सूचना अकेले दूरदर्शन के माध्यम से मिलती है। सूचना के माध्यम के रूप में, शहरों और नगरों में दूरदर्शन की आवश्यकता है। अतएव, यह प्रावधान अति महत्वपूर्ण है केवल संचालन में दूरदर्शन को महत्व मिलना चाहिए।

मैं इस सभा का ध्यान इस तथ्य की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ कि अब केबल आपरेटर एकाधिकारवादी होते जा रहे हैं। मैं जानता हूँ कि चेन्नई में केवल एक केबल आपरेटर का एकाधिकार है। हर चीज की खरीद उनके द्वारा की जाती है। अतएव, लोगों को चैनल का विकल्प प्रदान करने के लिए दूसरा प्रतिस्पर्धी कोई नहीं है।

आजकल टी.वी. चैनलों का भी राजनीतिकरण हो रहा है। हर राजनीतिक दल का अपना चैनल होता है। यदि एक व्यक्ति सत्तापक्ष में है और दूसरा प्रतिपक्ष में है और दोनों व्यक्तियों के अपने-अपने चैनल हैं तो एक चैनल को आसानी से देखे जाने से रोका जा सकता है। अत:, इस एकाधिकारवाद पर रोक लगाई जानी चाहिए। इस उद्देश्य के लिए इस विधेयक में कोई प्रावधान नहीं हैं। हम ऐसा कर सकते हैं क्योंकि जब कारोबार में एकाधिकारवाद पर प्रतिबंध हैं तो यह भी कारोबार भी है। यदि किसी नगर में एकाधिकार संबंधी कोई शिकायत आती है और यदि कोई वैकल्पिक चैनल प्रदान किया जा सकता है, तो इस प्रकार के विकल्प का प्रावधान होना चाहिए। यह एक जनसंचार माध्यम है और इस एकाधिकारवाद के चलते लोगों को कठिनाइयां उठानी पड़ रही हैं।

विशेषरूप से तमिलनाडु में हर नगर में एकाधिकारवाद विद्यमान है।

माननीय सदस्यगण जानते हैं कि बेरोजगार स्नातक, इंजीनियर और अन्य व्यक्ति केबल चैनल का काम कर रहे हैं। वे धन कमा रहे हैं। यदि 100 अथवा 120 उपभोक्ता हैं तो वे यथेवट धन कमा सकते हैं। इससे केबल आपरेटरों को स्वरोजगार के अवसर मिलते हैं। लेकिन इस पर भी टी.वी. निर्माताओं का ही दबदबा रहेगा।

यदि टी.वी. स्टेशन मालिकों का केबल संचालन पर एकाधिकार रहेगा, तो इससे स्वरोजगार के अवसर प्राप्त नहीं होंगे और आने वाले समय में एकाधिकारवाद हो जाएगा यहां तक कि लोगों को कुछ चैनल देखने को उपलब्ध नहीं होंगे। अत: यह एक अतिमहत्वपूर्ण बिन्दु है जिस पर विचार किया जाना चाहिए।

मैं मंत्री महोदय का ध्यान एक और बात की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। विशेषरूप से चेन्नई में, सिने-अभिनेता तक सड़कों पर उतर आए थे। उन्होंने चोरी के कैसट के खिलाफ आंदोलन किया था और इसका सामना समूचे फिल्म उद्योग को करना पड़ेगा। फिल्म उद्योग पिक्चर का निर्माण करने, उसका सार्वजनिक प्रदर्शन करने, पिक्चर को 100 अथवा 200 दिन चलाने और दूसरी पिक्चर के निर्माण का अवसर पाने में असमर्थ है। अब चेन्नई और अन्य क्षेत्रों में ऐसा करना सम्भव नहीं है क्योंकि फिल्म के रिलीज होते ही उसके अरबो कैसेट बाजार में आ जाते हैं। बड़ी सुन्दर पिक्चर हैं। चोरी की पिक्चर भी हैं। फिल्म उद्योग या अभिनेता द्वारा शिकायत किये जाने पर वे लोग जलूस के साथ मुख्यमंत्री से इस बाबत मिलते हैं, ऐसे स्थानों पर छापे मारे जाते हैं लेकिन अगले ही दिन यह धन्धा पुन: शुरू हो जाता है। अत: चोरी के कैसेट की समस्या को नियंत्रित करना पड़ेगा।

चोरी की समस्या केबल टी.वी. में भी है। स्थानीय आपरेटर बाजार में नई प्रदर्शित पिक्चर को दिखाते हैं, अत: दर्शक फिक्चर देखने हाल में नहीं जाता है। वे लोग इस पिक्चर को लोकल केबल चैनल पर देख लेते हैं। स्थानीय केबल आपरेटर स्थानीय पुलिस से मिलकर और स्थानीय पुलिस प्राधिकृत अधिकारी से मिलकर चोरी के फिल्मों का अवैध रूप से दिखाया जाना जारी रहता है। अत:, सतर्क पुलिस की जरूरत है। यदि कोई व्यक्ति शिकायत करता है, तो उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। विशेषरूप से जब फिल्म वाणिज्य मंडल इस प्रकार का अनुरोध करता है, तो इस पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

अंतत:, इस प्रकार का केबल संचालन इस कानून के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आ रहा है। लेकिन उन धनी लोगों का क्या जिनके पास घरों में उच्च शक्ति डिस एन्टीना होता है और ऐसी पिक्चरों का आनन्द लेते हैं जो प्रतिबंधित हैं। वे लोग इन्टरनेट का फायदा भी उठाते हैं। क्लबों में अनेक आपत्तिजनक बातें होती हैं। इन पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए। यदि एक डिश एन्टीना लगता है, तो प्राधिकृत अधिकारी को उसकी जाँच का कुछ अधिकार मिलना चाहिए। यदि कोई शिकायत की जाती है कि कुछ लोगों का समूह आपत्तिजनक ढंग से अपने क्लब में या पैसे देकर किसी पिक्चर इत्यादि का आनन्द उठा रहे हैं तो प्राधिकृत अधिकारी को इस प्रकार की गतिविधियों में हस्तक्षेप करने का अधिकार दिया जाना चाहिए। चाहे दोषी लोग धनी वर्ग के हों जिनके अपने क्लब हैं, लेकिन उनको ऐसी गतिविधियों में संलिप्त होने से रोका जाना चाहिए ताकि मर्यादा का पालन हो सके।

खण्ड 6 में लोक मर्यादा अथवा नैतिकता व्याख्यापित है और उपखण्ड 5 में व्यापक शर्तें हैं। प्राधिकृत अधिकारियों में कोई भी व्यक्ति आसानी से किसी भी स्थान पर आ सकते हैं। वे किसी भी व्यक्ति की निजी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप कर सकता है। इस संबंध में उचित निर्देश दिए जाने चाहिए। जहाँ तक आचार संहिता का प्रश्न है, तो इसका उचित ढंग से प्रारूपित किया जाना चाहिए। प्राधिकृत अधिकारियों की यदा-कदा समीक्षा होनी चाहिए ताकि जनसंचार के आधुनिक तरीकों का सभ्य ढंग से उपयोग हो सके।

श्री रूपचन्द पाल (हुगली): महोदय, केबल नेटवर्क विधेयक के विभिन्न प्रावधानों को लागू करने के संबंध में गत पाँच वर्षों के अनुभव के आधार पर कुछ संशोधनों का प्रस्ताव किया गया है और प्रस्तावित विशेष संशोधन के बारे में कोई दो राय नहीं हो सकती है। लेकिन मैं सभा के विचारार्थ एक भिन्न चीज रखना चाहता हूँ।

प्रथमत:, निजी चैनलों और यहाँ तक कि दूरदर्शन द्वारा भी कार्यक्रम संहिता का कहां तक अनुपालन किया जा रहा है?

[श्री रूपचन्द पाल]

हमारे देश में हमारा संविधान निदेश देता है कि हम किस प्रकार के प्रजातंत्र को अपनाते हैं। भारतीय लोकतंत्र की नींव धर्मनिरपेक्षता है जिसे धारावाहिकों, शोज, विचारों के प्रस्तुतीकरण आदि में परिलक्षित होना चाहिए। अनेक कार्यक्रम हैं। इनमें धर्मनिरपेक्षता पर सबसे पहले आँच आती है। मैं आपको उन लोकप्रिय कार्यक्रमों का उल्लेख नहीं कर रहा हूँ जिनके परिणामस्वरूप धार्मिक समूहों कहें या लोगों के एक विशेष वर्ग ने एक अलग ढंग से प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि अब समय आ गया है कि कार्यक्रम संहिता में राष्ट्र की जरूरतों के अनुरूप बदलाव किए जाने चाहिए। हम एक ऐसे मुकाम पर आ गए हैं। जब हमें शहर के उन महत्वपूर्ण हितों की सुरक्षा करनी है जिनको कल्पना स्वतंत्रता संग्राम के दौरान को गई थी।

जहां तक विज्ञापन संहिता का प्रश्न है, तो इसमें अनुपालन कम उल्लंघन अधिक होता है। मैं एक उदाहरण देता हूँ। विभिन्न चैनलों पर विभिन्न शराब के विज्ञापनों को धीरे-धीरे सीधे तौर पर प्रस्तुत किया जाने लगा है जैसाकि पाश्चात्य देशों में होता है। पहले तम्बाकू के मामले में इस उपयोग के बारे में विज्ञापन संहिता में कुछ सीमाएं होती थी। हम सभा में सेक्स और हिंसा के बारे में अनेक बार चर्चा कर चुके हैं। यह एक गम्भीर खतरा है। यदि आप कुछ चैनल देखें, तो वे केवल नग्न महिलाओं को दिखाते दूरदर्शन पर भी हमने धारावाहिकों, विज्ञापनों और अन्य कार्यक्रमों अनेक प्रकार से ऐसी चीजें देखी हैं जो कार्यक्रम साहित्य और विज्ञापन संहिता का सीधा उल्लंघन है जबकि दूरदर्शन लोक प्रसारण सेवा है। यहां तक कुछ निजी एजेंसियों को भी दूरदर्शन के माध्यम से संचालन करने की अनुमति दी जा रही है। मैं किसी एजेंसी विशेष का उल्लेख नहीं कर रहा हूँ। वे दूरदर्शन का प्राइम टाइम ले रही है और दूरदर्शन अपने अधिकार छोड़ रहा है। ऐसी एजेंसियां दूरदर्शन की कीमत पर धन ही नहीं कमा रही है बल्कि उनका राजनैतिक स्वार्थ है, उन्हें निहित स्वार्थों से अभिभूत लोगों द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा है और वे लोग इन चैनलों का इस्तेमाल कर रहे हैं।

मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान कुछ ऐसे दृष्टांतों की ओर दिलाना चाहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि रूसी क्रांति एक मशहूर नेता के जन्म दिन को, जिन्हें समूची दुनिया में सम्मान दिया जाता है और करोड़ों कमजोर वर्ग के लोगों के लिए प्रेरणास्रोत है, बड़े हास्यास्पद ढंग से दिखाया गया था। इससे लोगों का दुख होता है। हालांकि कुछ प्रभावशाली लोगों ने इस बारे में हस्तक्षेप किया था और उन्होंने क्षमायाचना की थी। लेकिन यह विषय यहीं समाप्त नहीं हुआ। वे लोग कार्यक्रम संहिता का उल्लंघन अनेक प्रकार से कर रहे हैं। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि यदि राष्ट्र की एकता और अखण्डता, सुरक्षा, भारत के किसी अन्य देश के साथ सौहार्दपूर्ण संबंधी, लोक व्यवस्था, गरिमा अथवा नैतिकता पर आँच आती है, तो केन्द्र सरकार एक आदेश के द्वारा ऐसे चैनलों के कार्यक्रमों के प्रसारण, पुनः प्रसारण पर रोक लगा सकती है। लेकिन इन सभी बातों का उल्लंघन हो रहा है।

अतः, मैं माननीय मंत्री महोदय और सरकार का समर्थन करूंगा यदि यह सरकार एक नई कार्यक्रम संहिता, नई विज्ञापन संहिता लेकर आती है और जिसे कड़ाई से लागू करती है।

मुझे एक बात और कहनी है-सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का हिस्सा। जब दूरदर्शन शुरू हुआ था, तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा था कि यह सामाजिक परिवर्तन का औजार बनेगा। इसके शिक्षा और सूचना भाग पर पर्याप्त बल देते हुए इसे सामाजिक परिवर्तन के यंत्र के रूप में प्रयोग करने की बजाय इसे केवल मनोरंजन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और यहां तक कि यह पूर्णतः मनोरंजन भी नहीं है। यहां मनोरंजन केवल सेक्स-संबंधी, हिंसा संबंधी कहानियों और बार-बार फिल्मों के प्रसारण पर आधारित है। हम पाते हैं कि इसमें शिक्षा का नुकसान हो रहा है। निस्सन्देह, हाल ही में सरकार ने एक ज्ञान दर्शन नामक एक संवर्द्धन चैनल की घोषणा की, जो पूरा दिन, 24 घण्टे उपलब्ध रहेगा और इस द्वारा शिक्षा की अनौपचारिक प्रणाली के माध्यम से उन युवा लोगों अथवा प्रौढ़ लोगों को शिक्षा के अवसर मिलेंगे, जो इससे वंचित हैं और यह औपचारिक प्रणाली का सहायक है।

मैं तीसरा मुद्दा उठाना चाहता हूं, जो अत्यन्त महत्वपूर्ण है। आजकल बहुमुखी प्रयोग हो रहा है, जैसाकि पश्चिमी देशों, विकसित देशों में है, केबल दूर-संचार के लिए भी प्रयोग किया जा रहा है। अलग-अलग तरह से प्रयोग करने के लिए भी प्रयोग किया जा रहा है। अलग-अलग तरह से प्रयोग करने में, टेलीकॉम, कम्प्यूटर और प्रसारण एक ही अस्तित्व या हस्ती के कई चेहरे हैं। हमारे देश में, अभी हाल ही में हमने सुना है कि विद्युत नेटवर्क, रेलवे नेटवर्क, भारतीय गैस प्राधिकरण का नेटवर्क और अन्य सभी का प्रयोग ऑप्टीकल फाइबर बिछाने के लिए किये जाने वाला है। निस्सन्देह, इस संबंध में सम्पूर्ण देश को कवर करने के लिए कुछ निजी एजेन्सियां स्थापित करना भी प्रस्तावित है। क्या हो रहा है? यह निजी एजेन्सियां इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से इस नेटवर्क तक पहुंच पाने अथवा ऐसे नेटवर्क बनाने, जिसे वे स्वयं प्रयोग कर सकें के लिए बातचीत कर रही हैं। हमारे देश में विभिन्न वाणिज्यिक, राजनैतिक, सामाजिक और अन्य हितों से संबंधित व्यक्ति और समूह केबल नेटवर्क लेकर आए हैं। किन्तु, कौन आम जनता की परेशानियों के बारे में आवाज उठायेगा? आम जनता विशेष रूप से दक्षिण में हम यह देखते हैं कि बहुत से राजनीतिक नेता किसी विशेष क्षेत्र में प्रभुत्व रखते हैं तथा केबल नेटवर्क को नियंत्रित करते हैं। कुछ नहीं कह पाती। इस तरह की स्थिति में, जानकारी के प्रचार और पहुंच पर नियंत्रण रखा जाता है। ऐसी

स्थिति में सरकार को एक महत्वपूर्ण निर्णय की याद दिलाना चाहूंगा। सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार कहा था कि हवाई मार्ग सार्वजनिक संपत्ति हैं। किन्तु आज तक सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए बहुत कम प्रयास किये हैं कि जनता की सूचना तक पर्याप्त पहुंच है और उनके पास उस सूचना के प्रसार हेतु पर्याप्त अधिकार और शक्तियां भी हैं। हम भारतीय स्थिति में देखते हैं कि यहां एक बहुत बड़ा अंतर है, सूचना-समृह और सूचना-निर्धन के मध्य एक बड़ा अंतर है। अधिक से अधिक अमीर वर्ग का सूचना, सार्वभौमिक सूचना, राष्ट्रीय सूचना पर नियंत्रण है और लोगों को गलत जानकारी देने और जानकारी न देने का काम भी वह करते हैं। निस्सन्देह समिति को सूचना की स्वतंत्रता पर ध्यान देना चाहिए। यथोचित समिति का सुझाव दिया गया था। मेरा सुझाव है कि वह समय आ गया है। सरकार को शिक्षा, सूचना और मनोरंजन का अनुपात सांविधिक रूप से घोषित करना चाहिये। आप कह सकते हैं कि यह संविधान और भावाभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करेगा। ऐसा नहीं है क्योंकि एक विकासशील देश में सरकार का कुछ दायित्व होता है।

महोदय ज्ञान-आधारित समाज में सूचना और शिक्षा न केवल सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए अपितु समाज के वंचित वर्ग, जैसे महिलाओं, निर्धन और कमजोर वर्गों को सामाजिक रूप से अथवा अन्यथा अधिकार सम्पन्न बनाने के लिए आवश्यक है। ऐसी स्थिति में, मैं सुझाव दूंगा कि सरकार को एक व्यापक नीति विवरण बनाना चाहिए कि वह सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार लोगों को कैसे अधिकार सम्पन्न बनाने जा रही है। जहां तक मैं जानता हूं मंत्री महोदय ने प्रसार भारती कार्यदल संबंधी समीक्षा समिति की रिपोर्ट तैयार की है। वे इस पर चर्चा करेंगे और अन्ततः इस सभा की उस सामग्री तक पहुंच होगी।

महोदय, समस्या केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) विधेयक के कार्यान्वयन में है। इस विधेयक के विभिन्न प्रावधानों में जो भी विहित किया जा रहा है, उसे कार्यान्वित करना अत्यन्त कठिन है क्योंकि उन लोगों को, जो इनका उल्लंघन करते हैं, शायद ही कोई सजा दी जाती है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि ऐसे कितने लोगों पर मामला चलाया गया है, जिन्होंने विद्यमान अधिनियम के कई प्रावधानों का उल्लंघन किया है। यदि माननीय मंत्री महोदय इस सभा को जानकारी दें, तो यह अत्यन्त बेहतर होगा।

महोदय, इन दिनों कई बहुराष्ट्रीय कम्पनियां, बड़ी कम्पनियां छोटे केबल संचालकों को खरीद रही हैं और हमारे देश के पूर्वी और पश्चिमी भागों में ऐसा हो रहा है। मुझे हमारे देश के दक्षिणी भाग की स्थिति के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। मंत्री महोदय को इस बारे में जानकारी हो सकती है, क्योंकि उनके मंत्रीमण्डल में, उनके साथी श्री मुरासोली मारन के पुत्र 'सन टीवी चैनल' चला रहे हैं और निस्सन्देह उनके नेता का चैनल भी है ...*(व्यवधान)* ऐसे कई चैनल हैं, जो उनके दोस्तों के द्वारा हड़पे जा रहे हैं ...*(व्यवधान)* हम एक चाहते हैं और आपके सहयोग से हमारा एक नया बंगाली चैनल भी होगा। प्रतिस्पर्द्धा के द्वारा हम यह प्रदर्शित कर सकेंगे कि हम किसी भी चैनल से किसी भी तरह से पीछे नहीं हैं ...*(व्यवधान)*

महोदय, माननीय मंत्री जी के विचार भी जहां तक संभव हो पक्षपातरहित और उद्देश्यपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किये जाने चाहिएं।

सभापति महोदयः अब अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री रूपचन्द पालः महोदय, मैं अगली बार, बात जारी रखना चाहूंगा।

सभापति महोदयः मुझे सभा का मत प्राप्त करने दें। कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें।

यहां चार माननीय सदस्य इस विधेयक पर बोलना चाहते हैं और यदि सभा इस बात पर सहमत हो तो गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य अपराह्न 3.30 बजे लिया जा सकता है, ताकि यह विधेयक पारित किया जा सके।

श्री ए.सी. जोसः नहीं, यह आधे घण्टे की चर्चा के बाद किया जा सकता है।

अपराह्न 3.00 बजे

सभापति महोदयः अपराह्न 5.30 बजे आधे घण्टे की चर्चा है। उसे स्थगित नहीं किया जा सकता।

...(व्यवधान)

सभापति महोदयः यदि सभा सहमत हो, तभी हम इसे ले सकते हैं।

श्री ए.सी. जोसः नहीं महोदय, गैर सरकारी विधायी कार्य के बाद इसे लिया जा सकता है।

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): महोदय, मैं एक अनुरोध करना चाहता हूं। सभा निर्णय ले सकती है। या तो हम इसे अभी बढ़ा सकते हैं अथवा हम इसे आधे घण्टे की चर्चा के बाद जारी रख सकते हैं।

श्री ए.सी. जोसः यह गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के बाद हो सकता है।

श्री प्रमोद महाजन: उसके बाद, हम जारी रख सकते हैं।

श्री रूपचन्द पाल: नहीं, किसी अन्य दिन।

श्री प्रमोद महाजन: लेकिन क्यों? *...(व्यवधान)* आप सोमवार को अवकाश चाहते हैं। आप कुछ भी पूर्ण करना नहीं चाहते *...(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, मैं श्री रूपचन्द पाल जी से भी अनुरोध करना चाहूंगा। यह सत्य है कि गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य को आवंटित समय नहीं लिया जाना चाहिए। अपराह्न 3.00 बजे से 5.00 बजे के बीच कई सदस्य प्रतिक्रिया जाहिर करना चाहेंगे। हम आज कोई भी सरकारी कार्य पूरा नहीं कर सके क्योंकि हमने वह मामला किसी अन्य समिति को भेजा था। आधे घण्टे की चर्चा के बाद, यदि हम 30-40 मिनट बैठते हैं और इस विधेयक को अंतिम रूप दे देते हैं, तो यह उचित होगा। कुछ हद तक यह विपक्ष के लिए भी उचित होगा।

सभापति महोदय: क्या यह सभा का मत है कि हम इस विधेयक को आधे घण्टे की चर्चा के बाद लें?

अनेक माननीय सदस्य: जी हां।

सभापति महोदय: ठीक है, श्री रूपचन्द पॉल अपना भाषण जारी रखेंगे।

[हिन्दी]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति महोदय, कानून में लिखा है कि संसद की कार्यवाही छः बजे तक चलेगी लेकिन संसदीय कार्य मंत्री जी ने रोज ही आठ बजे तक सदन की कार्यवाही चलाने का कानून बना दिया है। *...(व्यवधान)* एक दिन आप छः बजे की जगह आठ, दस बजे तक हाउस बैठा सकते हैं लेकिन अब तो रोज ही आठ, दस या ग्यारह बजे तक हाउस चलता है। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में यह डिसाइड हुआ है कि अगर जरूरत होगी तो हाउस आठ बजे तक चलेगा।

...(व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: छः बजे तक का नियम बना हुआ है। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: नियम तो छः बजे तक का ही है लेकिन बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में यह तय हुआ है कि अगर जरूरत होगी तो हाउस आठ बजे तक चलेगा।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: अभी डिसइन्वेस्टमैंट संबंधी बिल पर बहस हुई है। उस बहस के क्या मायने हैं? कानून बनते हैं लेकिन उसका कितना प्रचार होता है? *...(व्यवधान)* अखबार में भी नहीं छपता कि कानून पास हुआ है। *...(व्यवधान)* जनता कैसे जानगी? लोग यहां बोलते हैं लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। इस परिपाटी के हम सख्त खिलाफ हैं। ऑफिजनली आप छः बजे के बाद आठ बजे, दस बजे या ग्यारह बजे तक बहस करा सकते हैं लेकिन रोजाना दस बजे, ग्यारह बजे तक बहस करायें, यह ठीक नहीं है। *...(व्यवधान)* यह व्यावहारिक नहीं है। यह संसदीय परम्परा के अनुकूल है। *...(व्यवधान)* आज शुक्रवार है और इसके बाद चार दिन की छुट्टी है इसलिए सभी मैम्बर्स अपने क्षेत्र में जायेंगे। यह बोलते हैं कि छः बजे के बाद बिल पास करा लीजिए। आप पास करा लीजिए क्योंकि आपके पास बहुमत है। इसमें बहस की क्या जरूरत है? यह तो ऐसे ही पास हो जायेगा। ऐसी बहस की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी संसदीय कार्य मंत्री की रेल बिना ब्रेक के चल रही है। *...(व्यवधान)* उनसे बातें कर लेंगे, इनसे बातें कर लेंगे। आप कुछ तो परम्परा रखिए। *...(व्यवधान)* यह सब विधायी कार्य महत्वपूर्ण हैं। *...(व्यवधान)* मैं कहना चाहता हूं कि कल रात ग्यारह बजे तक डिसइन्वेस्टमेंट संबंधी बिल पर बहस हुई लेकिन देश का कौन आदमी इसे जानता है। *...(व्यवधान)* यह रात में गुप्त बैठकें चलवाते हैं इसलिए मेरा इस पर तीव्र प्रतिवाद है। इस पर विचार होना चाहिए।

अपराह्न 3.03 बजे

उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक

राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन–स्वीकृत

सभापति महोदय: अब सभा अनुपूरक कार्य-सूची पर चर्चा करेगी।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): इसलिए हमने बार-बार कहा कि इसको पहले कमेटी में भेजें। अब यहां से अमेंडमेंट आ रहे हैं। यह क्या मजाक बना रखा है। *...(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): आपने कुछ अमेंडमेंट पढ़ा है? *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): महोदय, मैं प्रस्तुत करता हूं:

"कि विद्यमान उत्तर प्रदेश राज्य के पुनर्गठन का उपबंध करने वाले विधेयक और उससे संबंधित विषयों में राज्य सभा द्वारा किये गये निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जाए:

खंड 5

1. कि पृष्ठ 2, पंक्ति 32,-

"25" **के स्थान पर** "26" **प्रतिस्थापित किया जाए।**

2. कि पृष्ठ 2, पंक्ति 33,-

"26" **के स्थान पर** "27" **प्रतिस्थापित किया जाए।**

खंड 7

3. कि पृष्ठ 3, पंक्ति 5,-

"16", "27", "17" और "28" **के स्थान पर**

"17", "28", "18" और "29" **प्रतिस्थापित किया जाए।**

4. कि पृष्ठ 3, पंक्ति 7,-

"15" **के स्थान पर** "16" **प्रतिस्थापित किया जाए।**

5. कि पृष्ठ 3, पंक्ति 8,-

"15" **के स्थान पर** "16" **प्रतिस्थापित किया जाए।**

6. कि पृष्ठ 3, पंक्ति 9,-

"16" **के स्थान पर** "17" **प्रतिस्थापित किया जाए।**

खंड 12

7. कि पृष्ठ 3, पंक्ति 30,-

" '24', '25', '25' और '26' **के स्थान पर**

" **'25', '26', '26'** और '27' **प्रतिस्थापित किया जाए।**

8. **कि पृष्ठ 3; पंक्ति 32,-**

"23" **के स्थान पर** "24" प्रतिस्थापित किया जाए।

9. कि पृष्ठ 3,-

पंक्ति 33 **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित किया जाए।**

" .....

1 5

25 उत्तरांचल ....70;"

10. कि पृष्ठ 3, पंक्ति 34,-

"25" **के स्थान पर** "26" **प्रतिस्थापित किया जाए।**

पांचवीं अनुसूची

11. कि पृष्ठ 29,-

पंक्ति 4-5 **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित किया जाए।**

"संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 में,-

(क) पैरा 2 में, "23" अंकों **के स्थान पर** "24" अंक **प्रतिस्थापित किए जाएंगे;**

(ख) अनुसूची में, भाग 23 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-"

12. कि पृष्ठ 29,-

पंक्ति 6 **के स्थान पर** "भाग 24-उत्तरांचल" **प्रतिस्थापित किया जाए।**

छठी अनुसूची

13. कि पृष्ठ 30, अंतिम पंक्ति,-

" '19'" और " '20' " **के स्थान पर** " '20' " और " '21' " **प्रतिस्थापित किया जाए।**

14. कि पृष्ठ 31, पंक्ति 1,-

"19" के स्थान पर "20" प्रतिस्थापित किया जाए।

15. कि पृष्ठ 31,-

पंक्ति 2 **के स्थान पर** "भाग 21-उत्तरांचल" **प्रतिस्थापित किया जाए।**

सभापति महोदय: प्रश्न यह है कि:

"विद्यमान उत्तर प्रदेश राज्य के पुनर्गठन और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जाए।"

[सभापति महोदय]

खंड 5

1. कि पृष्ठ 2, पंक्ति 32,-

"25" के स्थान पर "26" प्रतिस्थापित किया जाए।

2. कि पृष्ठ 2, पंक्ति 33,-

"26" के स्थान पर "27" प्रतिस्थापित किया जाए।

खंड 7

3. कि पृष्ठ 3, पंक्ति 5,-

"16", "27", "17" और "28" के स्थान पर

"17", "28", "18" और "29" प्रतिस्थापित किया जाए।

4. कि पृष्ठ 3, पंक्ति 7,-

"15" के स्थान पर "16" प्रतिस्थापित किया जाए।

5. कि पृष्ठ 3, पंक्ति 8,-

"15" के स्थान पर "16" प्रतिस्थापित किया जाए।

6. कि पृष्ठ 3, पंक्ति 9,-

"16" के स्थान पर "17" प्रतिस्थापित किया जाए।

खंड 12

7 कि पृष्ठ 3, पंक्ति 30,-

"24", '25', '25' और '26' के स्थान पर

'25, '26', '26' और '27'" प्रतिस्थापित किया जाए।

8. कि पृष्ठ 3, पंक्ति 32,-

"23" के स्थान पर "24" प्रतिस्थापित किया जाए।

9. कि पृष्ठ 3,-

पंक्ति 33 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए।

"

1	5
25. उत्तरांचल	70."

10. कि पृष्ठ 3, पंक्ति 34,-

"25" के स्थान पर "26" प्रतिस्थापित किया जाए।

पांचवीं अनुसूची

11. कि पृष्ठ 29,-

पंक्ति 4-5 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए।

"संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 में,-

(क) पैरा 2 में, "23" अंकों **के स्थान पर** "24" अंक **प्रतिस्थापित किए जाएंगे;**

(ख) अनुसूची में, भाग 23 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-"

12. कि पृष्ठ 29,-

पंक्ति 6 के स्थान पर "भाग 24-उत्तरांचल" प्रतिस्थापित किया जाए।

छठी अनुसूची

13. कि पृष्ठ 30, अंतिम पंक्ति,-

" '19' " और " '20' " के स्थान पर " '20' " और " '21' " प्रतिस्थापित किया जाए।

14. कि पृष्ठ 31, पंक्ति 1,-

"19" के स्थान पर "20" प्रतिस्थापित किया जाए

15. कि पृष्ठ 31,-

पंक्ति 2 के स्थान पर "भाग 21-उत्तरांचल" प्रतिस्थापित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): सभापति जी, केन्द्र सरकार ने उत्तर प्रदेश द्वारा हरिद्वार और उद्यम सिंह नगर के मुद्दे पर वायदाखिलाफी की है। आज भी उद्यम सिंह नगर के अंदर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं *...(व्यवधान)* इसलिए मेरी मांग है कि पहले सरकार हरिद्वार और उद्यम सिंह नगर को उत्तर प्रदेश में शामिल कराने का संशोधन प्रस्तुत करे, उसके बाद इस पर विचार किया जाये। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब हम राज्य सभा द्वारा किये गये संशोधनों पर खण्ड-वार विचार आरम्भ करेंगे।

खंड 5

श्री सीएच. विद्यासागर राव: मैं प्रस्ताव करता हूँ:

कि पृष्ठ 2, पंक्ति 32,-

"25" **के स्थान पर** "26" **प्रतिस्थापित किया जाए।** (1)

कि पृष्ठ 2, पंक्ति 33,-

"26" **के स्थान पर** "27" **प्रतिस्थापित किया जाए।** (2)

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

कि पृष्ठ 2, पंक्ति 32,-

"25" **के स्थान पर** "26" **प्रतिस्थापित किया जाए।** (1)

कि पृष्ठ 2, पंक्ति 33,-

"26" **के स्थान पर** "27" **प्रतिस्थापित किया जाए।** (2)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 7

श्री सीएच. विद्यासागर राव: मैं प्रस्ताव करता हूँ:

कि पृष्ठ 3, पंक्ति 5,-

"16" "27" "17" और "28" के स्थान पर

"17", "28", "18" और "29" **प्रतिस्थापित किया जाए।** (3)

कि पृष्ठ 3, पंक्ति 7,-

"15" **के स्थान पर** "16" **प्रतिस्थापित किया जाए।** (4)

कि पृष्ठ 3, पंक्ति 8,-

"15" **के स्थान पर** "16" **प्रतिस्थापित किया जाए।** (5)

कि पृष्ठ 3, पंक्ति 9,-

"16" **के स्थान पर** "17" **प्रतिस्थापित किया जाए।** (6)

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

कि पृष्ठ 3, पंक्ति 5,-

"16", "27", "17" और "28" **के स्थान पर**

"17", "28", "18" और "29" **प्रतिस्थापित किया जाए।** (3)

कि पृष्ठ 3, पंक्ति 7,-

"15" **के स्थान पर** "16" **प्रतिस्थापित किया जाए।** (4)

कि पृष्ठ 3, पंक्ति 8,-

"15" **के स्थान पर** "16" **प्रतिस्थापित किया जाए।** (5)

कि पृष्ठ 3, पंक्ति 9,-

"16" **के स्थान पर** "17" **प्रतिस्थापित किया जाए।** (6)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सीएच. विद्यासागर राव: मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

कि पृष्ठ 3, पंक्ति 30,-

" '24', '25', '25' और '26' " **के स्थान पर**

" '25', '26', '26' और '27' " **प्रतिस्थापित किया जाए।** (7)

कि पृष्ठ 3; पंक्ति 32,-

"23" **के स्थान पर** "24" **प्रतिस्थापित किया जाए।** (8)

कि पृष्ठ 3,-

पंक्ति 33 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए।

" .....

1 5

25. उत्तरांचल .... 70;" (9)

कि पृष्ठ 3, पंक्ति 34,-

"25" **के स्थान पर** "26" **प्रतिस्थापित किया जाए।** (10)

सभापति महोदय: प्रश्न यह है कि:

कि पृष्ठ 3, पंक्ति 30,–

" '24', '25', '25' और '26' " **के स्थान पर**

" '25', '26', '26' और '27' " **प्रतिस्थापित किया जाए।** (7)

कि पृष्ठ 3; पंक्ति 32,–

"23" **के स्थान पर** "24" **प्रतिस्थापित किया जाए।** (8)

कि पृष्ठ 3,–

पंक्ति 33 **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित किया जाए।**

" .....

1 5

25. उत्तरांचल ....70;" (9)

कि पृष्ठ 3, पंक्ति 34,–

"25" के स्थान पर "26" **प्रतिस्थापित किया जाए।** (10)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

पांचवीं अनुसूची

[अनुवाद]

श्री सीएच. विद्यासागर राव: मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

पृष्ठ 29,–

पंक्ति 4-5 **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित किया जाए।**

"संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 में,–

(क) पैरा 2 में, "23" अंकों **के स्थान पर** "24" अंक **प्रतिस्थापित किए जाएंगे;**

(ख) अनुसूची में, भाग 23 के पश्चात निम्नलिखित अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–" (11)

कि पृष्ठ 29,–

पंक्ति 6 के स्थान पर "भाग 24-उत्तरांचल" **प्रतिस्थापित किया जाए।** (12)

सभापति महोदय: प्रश्न यह है कि:

कि पृष्ठ 29,–

पंक्ति 4-5 के स्थान पर निम्नलिखित **प्रतिस्थापित किया जाए।**

"संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 में,–

(क) पैरा 2 में, "23" अंकों के स्थान पर "24" अंक **प्रतिस्थापित किए जाएंगे;**

(ख) अनुसूची में, भाग 23 के पश्चात निम्नलिखित अंत: **स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:** (11)

कि पृष्ठ 29,–

पंक्ति 6 **के स्थान पर** "भाग 24–उत्तरांचल" **प्रतिस्थापित किया जाए।** (12)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

छठी अनुसूची

श्री सीएच. विद्यासागर राव: मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि पृष्ठ 30, अंतिम पंक्ति,–

"19" " और " '20' " के स्थान पर " '20' " और " 21' " **प्रतिस्थापित किया जाए।** (13)

कि पृष्ठ 31, पंक्ति 1,–

'19" **के स्थान पर** "20" **प्रतिस्थापित किया जाए।** (14)

कि पृष्ठ 31,–

पंक्ति 2 **के स्थान पर** "भाग 21–उत्तरांचल" **प्रतिस्थापित किया जाए।** (15)

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

कि पृष्ठ 30, अंतिम पंक्ति,–

" '19' " और " '20' " **के स्थान पर** " '20' " और " '21' " **प्रतिस्थापित किया जाए।** (13)

कि पृष्ठ 31, पंक्ति 1,–

"19" **के स्थान पर** "20" **प्रतिस्थापित किया जाए।** (14)

कि पृष्ठ 31,–

पंक्ति 2 **के स्थान पर** "भाग 21–उत्तरांचल" **प्रतिस्थापित किया जाए।** (15)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सीएच. विद्यासागर राव: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि राज्य सभा द्वारा विधेयक में किए गए संशोधनों से सहमति व्यक्त की जाए"।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि राज्य सभा द्वारा विधेयक में किए गए संशोधनों से सहमति व्यक्त की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.06 बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति के सातवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

सभापति महोदय: अब हम मद संख्या 12 को लेंगे।

श्री अली मोहम्मद नायक (अनंतनाग): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा 9 अगस्त, 2000 को सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति के सातवें प्रतिवेदन से सहमत हैं।"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा 9 अगस्त, 2000 को सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति के सातवें प्रतिवेदन से सहमत हैं"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.07 बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक—*पुर:स्थापित*

(एक) संविधान (संशोधन) विधेयक*
(आठवीं अनुसूची के संशोधन)

श्री वीर सिंह महतो (पुरुलिया): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 2, दिनांक 11.8.2000 में प्रकाशित।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री वीर सिंह महतो: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.07$^{1}/_{2}$ बजे

(दो) राजभाषा (निरसन) विधेयक*

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजभाषा अधिनियम, 1963 का निरसन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि राजभाषा अधिनियम, 1963 का निरसन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय: सभापति महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.08 बजे

(तीन) वाणिज्यिक विज्ञापनों में और उपभोक्ता वस्तुओं के पैकेटों पर भारतीय भाषाओं का उपयोग विधेयक*

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सभी वाणिज्यिक विज्ञापनों में और उपभोक्ता वस्तुओं के पैकेटों पर हिन्दी भाषा और संविधान की आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी एक अन्य भारतीय भाषा का अनिवार्य उपयोग करने तथा तत्संबंधी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 2, दिनांक 11.8.2000 में प्रकाशित।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि सभी वाणिज्यिक विज्ञापनों में और उपभोक्ता वस्तुओं के पैकेटों पर हिन्दी भाषा और संविधान की आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी एक अन्य भारतीय भाषा का अनिवार्य उपयोग करने तथा तत्संबंधी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय: सभापति महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.08$^{1}/_{2}$ बजे

(चार) मेधावी छात्र (उच्चतर अध्ययन में सहायता) विधेयक*

[अनुवाद]

श्री हरिभाई चौधरी (बनासकांठा): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मेधावी छात्रों को उच्चतर अध्ययन जारी रखने के लिए ऋण सुविधाएं तथा तत्संबंधी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि मेधावी छात्रों को उच्चतर अध्ययन जारी रखने के लिए ऋण सुविधाएं तथा तत्संबंधी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री हरिभाई चौधरी: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूँ।

अपराह्न 3.09 बजे

(पांच) परिसंकटमय नियोजन में बालक श्रम (उत्सादन, पुनर्वास और कल्याण) विधेयक*

[हिन्दी]

श्रीमती कान्ति सिंह (बिक्रमगंज): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि परिसंकटमय नियोजन में बालकों, बंधित या अन्यथा, के नियोजन का उत्सादन करने, उनमें नियोजित बालकों के पुनर्वास और उनके लिए कल्याणकारी उपायों और तत्संबंधी या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 2, दिनांक 11.8.2000 में प्रकाशित।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि परिसंकटमय नियोजन में बालको, बंधित या अन्यथा के नियोजन का उत्सादन करने, उनमें नियोजित बालकों के पुनर्वास और उनके लिए कल्याणकारी उपायों और तत्संबंधी या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्रीमती कान्ति सिंह: सभापति महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित** करती हूं·

अपराह्न 3.10 बजे

(छः) वन संरक्षण (संशोधन) विधेयक* (धारा 2 का संशोधन, आदि)

[अनुवाद]

श्री सुबोध मोहिते (रामटेक): मैं प्रस्ताव करता हूं कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री सुबोध मोहिते: मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.10$^{1}/_{2}$ बजे

(सात) संविधान (संशोधन) विधेयक* (अनुच्छेद 243ग का संशोधन, आदि)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 2, दिनांक 11.8.2000 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरस्थापित।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मैं विधेयक पुर:स्थापित** करता हूं।

अपराह्न 3.11 बजे

(आठ) संविधान (संशोधन) विधेयक*
(नए अनुच्छेद 31 का अंत:स्थापन)

श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी (कुडप्पा): मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री वाई. एस. विवेकानन्द रेड्डी: मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.13 बजे

(दस) अंतर्राज्यीय नदियों का राष्ट्रीयकरण विधेयक—*वापस लिया गया*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब हम मद सं. 13 लेंगे। श्री ए.सी. जोस बोलने के लिए खड़े है। उन्हें चर्चा जारी रखनी है।

श्री ए.सी. जोस (त्रिचूर): उस दिन मैं सातवीं अनुसूची अर्थात् संघ सूची में मद सं. 56 का उल्लेख कर रहा था, जिसमें अंतर्राज्यीय नदियों और नदी-घाटियों का विनियमन और विकास उस सीमा तक संघ सरकार के अधीन है, जिस सीमा तक संसद ने तत्संबंधी घोषणा की है और उसे विधि अनुसार जनहित में कालोचित्त होना चाहिए। मेरी शिकायत यह है कि केन्द्र सरकार ने संविधान-प्रदत्त इस अधिकार का अंतर्राज्यीय नदियों के मामले में अभी तक प्रभावी ढंग से प्रयोग नहीं किया है। हम अभी तक एक राष्ट्रीय जलनीति नहीं बना पाए हैं। वर्ष 1986 में, स्वर्गीय श्री राजीव गाँधी ने राष्ट्रीय जल नीति तैयार की थी परंतु इसे सभी राज्य पारित नहीं कर सके थे। उनके पश्चात, श्री पी.वी. नरसिंह राव ने इसे राज्यों के पास उनके विचार जानने हेतु भेजा। मैं जानता हूँ कि इस पर राष्ट्रीय जल परिषद् में चर्चा की गई थी, जो सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाला सरकारी निकाय है। यद्यपि इस पर चर्चा हुई थी, परंतु इसे पारित नहीं किया जा सका। परिणामत:, इस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। माननीय जल संसाधन मंत्री से मेरा इतना ही अनुरोध है। महोदय, वह यहाँ उपस्थित नहीं हैं।

सभापति महोदय: वह यहीं हैं। वह यहीं पर उपस्थित हैं।

श्री ए.सी. जोस: मुझे खेद है। मंत्री जी वहाँ बैठे हैं। मैंने सत्तारूढ़ दल की ओर देखा है, जहाँ वह दिख नहीं रहे हैं।

अपराह्न 3.14 बजे

(डा. रघुवंश प्रसाद सिंह *पीठासीन* हुए)

अत: मेरा अनुरोध यह है कि चाहे राजनीतिक अस्थिरता हो अथवा अन्य कुछ, हमारी कोई राष्ट्रीय जल नीति नहीं है। अब, समय आ गया है कि हमारी एक जल नीति होनी चाहिए। सभी राज्यों की सहमति से एक राष्ट्रीय जल नीति तैयार की जानी चाहिए और सभी राज्यों को अपने विचार अभिव्यक्त करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। प्रविष्टि-56 से आहरण अधिकारी के अनुसार, हमारे पास दो कानून है। एक नदी बोर्ड अधिनियम है और दूसरा अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 है। यह कितना हास्यास्पद है कि 1956 के पश्चात्, यह अधिनियम पुरालेख और पुरातन हो गया है। उसके पश्चात् काफी परिवर्तन आ चुका है। हम व्यापक अधिनियम बनाने के लिए कोई सार्थक प्रयास नहीं कर पाये हैं। या तो कोई नया अधिनियम बनाया जाये या फिर उसमें विभिन्न संशोधन किये जायें। 1956 में इस अधिनियम की धारा 11 उच्चतम न्यायालय को निर्णय लेने से विरत करती हैं। माननीय मंत्री को भली-भांति मालूम है कि उच्चतम न्यायालय के पास जब कोई मामला विचाराधीन होता है, तो उस पर विचार करने हेतु एक सांविधानिक पीठ बनाई जाती है।

हमारी व्यवस्था में, किसी ऐसे अधिनियम के बारे में सोचा नहीं जा सकता अथवा उसका अस्तित्व नहीं हो सकता, जो उच्चतम नययालय के क्षेत्राधिकार से बाहर हो। अत:, इतने परिवर्तन

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 2, दिनांक 11.8.2000 में प्रकाशित।
**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरस्थापित।

[श्री ए.सी. जोस]

आने के पश्चात्, सभी पहलुओं पर विचार करते हुए हमें अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों से संबंधित एक व्यापक विधान लाना पड़ेगा।

यहाँ तक कि वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र संघ नौपरिवहन नदी जल संबंधी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ था। उस सम्मेलन के पश्चात्, वर्ष 1947 में उसमें एक संकल्प पारित किया गया निःसंदेह भारत उससे अलग रहा–और उस संकल्प में स्थिति का सर्वेक्षण करने का निर्णय लिया गया। इसके बावजूद किसी स्वतंत्र निकाय, जिसके द्वारा बातचीत की जा सकती थी, को भी सर्वेक्षण करने की अनुमति नहीं दी गई। अतः, यह नितांत आवश्यक है। विशेष तौर पर तब जबकि दिन प्रतिदिन इस राज्य से उस राज्य में इस प्रकार के विवाद उत्पन्न हो रहे हैं।

मैं केरल से संबंध रखता हूँ। केरल के सभी तीन पड़ोसी राज्यों कर्नाटक, तमिलनाडु और पांडिचेरी के साथ विवाद है। वर्तमान में, चूँकि कई बार प्रकृति हमारे ऊपर मेहरबान होती है, अतः इतनी कठिनाई नहीं होती। अन्यथा वस्तुस्थिति बहुत अलग होती। अतः, इस अधिनियम 1956 में व्यापक संशोधन करने की तत्काल आवश्यकता है।

अनेक संगठन हैं। राष्ट्रीय जल बोर्ड, और राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी इत्यादि संस्थाएं हैं। ढेरों एजेंसियां हैं। लेकिन क्या ये एजेंसियां संसद के प्रति उत्तरदायी हैं। मैंने कोई रिपोर्ट नहीं देखी है। अतः मेरा अनुरोध है कि इसके बजाय या तो उस अधिनियम के अंतर्गत या किसी अन्य संकल्प के द्वारा एक एजेंसी का गठन किया जाना चाहिए।

महोदय, यह क्या हो रहा है? जब कोई विवाद उत्पन्न होता है, सरकार की एक एजेन्सी उसे शीघ्र नहीं निबटा सकती। कोई दूसरी एजेन्सी या एक समिति बनायी जाती है। यह उन पर छोड़ दिया जाता है। इसके बाद उस समिति का क्या हुआ, कोई नहीं जानता। उसके बाद दूसरा विवाद उत्पन्न होता है। जब हरियाणा और पंजाब के बीच विवाद हुआ हमने एक समिति बनाई। इसके स्थान पर, वहां अनेक अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियां काम कर रही हैं।

हमारे प्रमुख वैज्ञानिक डा. के.एल. राव सिंचाई मंत्री थे। उस समय मंत्रालय का नाम सिंचाई मंत्रालय था। अब उसे बदलकर जल संसाधन कर दिया गया है। डा. के.एल. राव ने कई योजनाओं के सपने देखे। उन्होंने कहा था कि गंगा नदी को कावेरी नदी के साथ मिला दिया जाना चाहिए और एक राष्ट्रीय ग्रिड बनाया जाना चाहिए। परन्तु दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं किया गया।

वर्तमान में, हम इस निष्कर्ष पर पहुँच रहे हैं कि इसकी घनघोर उपेक्षा हुई है। सरकार द्वारा एक प्रश्न का यह उत्तर दिया गया और इसके लिए बहुत शक्ति की आवश्यकता है। इसलिए, इस पर विचार नहीं किया गया।

अब भी, आज स्थिति क्या है? आज की तारीख में बिहार में बाढ़ है, तो तमिलनाडु में सूखा। असम में तीस लोग बाढ़ से मरे और गुजरात कठिनाई में है। वह समय आ गया है जब एक मास्टर प्लान बनाया जाना चाहिए जिससे ब्रह्मपुत्र के पानी को नियंत्रित किया जा सके और इसके जल का सदुपयोग हो सके। पिछली बार ही मैंने कहा था कि प्रकृति से प्राप्त बरसाती पानी का मात्र 1 प्रतिशत ही हम इस्तेमाल कर रहे हैं। शेष 99 प्रतिशत जल, जो अमूल्य है वह अप्रयुक्त समुद्र में मिल जाता है।

इसके परिणामस्वरूप देश का एक भाग बाढ़ से पीड़ित है तो दूसरा भाग सूखे से ग्रस्त है। क्या यह हमारे जैसे आधुनिक राष्ट्र के लिए शर्म की बात नहीं है। हमें इन सभी चीजों के लिए योजना बनाकर जल को नियंत्रित करना होगा।

महोदय, गत शताब्दी में या इस शताब्दी के पूर्वार्ध में युद्ध जमीन के लिए लड़े गये, लेकिन मैं सरकार को सावधान कर रहा हूँ कि इस शताब्दी में युद्ध पानी के लिए होगा। कई बातें कही गयी हैं, लेकिन मैं उनके विस्तार में नहीं जाना चाहता। महानदी के जल को काम में लाया जा सकता है। कटक और भुवनेश्वर जैसे बड़े शहर महानदी के जल से बाढ़ग्रस्त हो जाते हैं। इसे दक्षिण से जोड़ा जा सकता है। इसका पानी दक्षिण के लोगों तक पहुँचाया जा सकता है।

महोदय, ब्रह्मपुत्र अनियंत्रित प्रवाह वाली नदी है। हम क्या कर सकते हैं? प्रत्येक वर्ष साल दर साल हम राहत कार्यों के लिए काफी धन खर्च कर रहे हैं। मेरा माननीय मंत्री जी से यह कहना है कि आय जो पैसा राहत कार्य पर खर्च कर रहे हैं ऐसी राहत के लिए एक "पूल" बना लीजिए। जैसे कि हमारे यहाँ "नेशनल रिलिफ रोलिंग फंड' है। कुछ राज्य अभी भी पैसा मिलने की आशा कर रहे हैं। बाढ़ के लिए कुछ पैसा है और कुछ पैसा राहत कार्यों के लिए निर्धारित किया गया है जिसे बाढ़ के पश्चात् राहत कार्यों पर खर्च किया जाएगा। इस पद्धति को बदला जाना चाहिए। अब यदि हम नर्मदा परियोजना के लिए 6000 करोड़ रु. या इससे भी अधिक रख सकते हैं, तो हम ब्रह्मपुत्र के लिए भी ऐसी कोई योजना क्यों नहीं बना सकते हैं जो कि इसकी दोनों प्रशान्त और हिमालयीय नदियों के लिए काम आ सके।

महोदय, मैंने पिछली बार भी उल्लेख किया था कि मैं राजस्थान गया था। जो नहर हमने वहाँ बनवाए हैं, उन्होंने वास्तव में उस सूखे प्रदेश में खुशहाली ला दी है। हमारी खेती को प्रोत्साहन दिया जा सकता है और अधिक कार्य दिया जा सकता है। इसलिए, हमें जल के विषय में सोचना होगा। तथापि, मैं इसकी गहराई में नहीं जा रहा हूँ।

महोदय, अब इस सभा में इस विषय पर चर्चा हो रही है। मैं श्री वैको की वास्तव में प्रशंसा करता हूँ। सभा में इस विषय पर चर्चा हो रही है। अब माननीय मंत्री जी के पास अधिकार और मत भी है। हर दूसरे तीसरे दिन सूखे के समय हम या तो टिक और तमिलनाडु या केरल और तमिलनाडु या हरियाणा पंजाब के बीच विवाद के विषय में सुनते हैं। हम ऐसी ति आने क्यों दें? वस्तुतः, नदियाँ हमारी राष्ट्रीय एकता की हैं। जो जल अनचाहे और अप्रयुक्त अरब सागर में या अन्य हों पर बह जाता है, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। गत जल भी प्रतिदिन कम होता जा रहा है।

इसलिए, मेरा निवेदन यह है कि माननीय मंत्री जी द्वारा एक टर प्लान तैयार किया जाना चाहिए जिसके अंतर्गत पूरा देश या जा सके। राष्ट्रीय जलनीति पर, जिसकी घोषणा होने वाली राष्ट्रीय जल आयोग द्वारा विस्तार से चर्चा हो चुकी है, लेकिन त केवल यह है कि इसे अभी तैयार नहीं किया गया है और पर प्राधिकार की मुहर नहीं लगी है।

तीसरी बात यह है कि वर्तमान अधिनियम को समाप्त या रद्द र देना चाहिए। आप एक नया व्यापक विधान ला सकते हैं सके द्वारा विवादों का निपटारा किया जा सके। इस चर्चा का ही परिणाम होना चाहिए। मुझे माननीय मंत्री जी से यही कहना ।

श्री पी.एच. पांडियन (तिरुनेलवेली): सभापति महोदय, मैं दियों के राष्ट्रीयकरण के विषय पर अपने विचार व्यक्त करने के नए खड़ा हुआ है।

नदी, भाषा, संस्कृति अथवा धर्म का भेदभाव न करते हुए सारी मानवता को एक दूसरे से जोड़ती है। नदियां एक राज्य से दूसरे राज्य में बहती है। कावेरी नदी का पानी कर्नाटक राज्य से तमिलनाडु राज्य तथा पांडिचेरी तक बहती है। कावेरी नदी बेसिन के ऊपरी भाग पर बांधों को निर्माण किया गया था। इसलिए निचले तटीय राज्यों के अधिकारों को हनन हो गया जिसके परिणामस्वरूप हमारे न्यायाधिकरण की नियुक्ति हुई। इस न्यायाधिकरण ने एक अंतरिम फैसला सुनाया है लेकिन इस फैसले का कार्यान्वयन अभी संभव नहीं लगता है। इसमें कई बातें शामिल हैं। यद्यपि हम सब एक है, यद्यपि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है, यद्यपि हम सभी भारत के नागरिक हैं फिर भी एक राज्य दूसरे राज्य द्वारा अधिक पानी प्राप्त करने पर आपत्ति करता है। इस आधुनिक सभ्यता में, इस विघटनकारी प्रवृत्तियों तथा संदेहास्पद दृष्टिकोण को समाप्त किया जाना चाहिए। मेरे जिले में तथा इस विधेयक को प्रस्तुत करने वाले सदस्य श्री वैको के जिले में एक नदी बहती है जिसका नाम है तामब्राबारानी पोरूनाई तथा जो पोडगई की पहाड़ियों से निकलती है और समुद्र में जाकर मिलती है। यह एकमात्र ऐसी नदी है जो हमारे जिले से निकलती है। यह एक नदी है जो आस-पास के जिलों के लोगों की पेयजल की जरूरत को पूरा करती है। लगभग 20 वर्ष पहले से ही हमारे तत्कालीन पूर्वज, प्रशासक, सांसद और विधायक इस बात का समर्थन करते आये हैं कि पश्चिमी की तरफ बहने वाली नदियों का पानी समुद्र में नहीं मिलना चाहिए क्योंकि यह पानी बेकार जा रहा है तथा हमें पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी के ऊपरी भाग की तरफ एक बांध बनाया जाना चाहिए। मैंने सोचा था कि मैं इन शिकायतों का बयान आधे घंटे की चर्चा में कर सकूंगा जिसमें यह कहा गया था कि तमिलनाडु सरकार द्वारा न तो बड़ी परियोजनाओं को बनाया गया न ही इसका समर्थन तथा प्रस्ताव किया गया है। उस समय मंत्री जी द्वारा दिये गये वक्तव्य में यह कहा गया था कि तमिलनाडु सरकार द्वारा किसी भी बड़ी परियोजना का प्रस्ताव नहीं रखा गया है। मैंने सोचा था कि मैं इसका जिक्र इस चर्चा के दौरान कर सकूंगा। कम से कम अब तो मंत्री जी राज्य सरकार से एक बड़ी परियोजना बनाने की बात कर सकते हैं क्योंकि अभी तक कोई भी बड़ी परियोजना नहीं है। इन पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के पानी को रोकने तथा लाखों कृषकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए केवल छोटी परियोजनाएं ही हैं। आप यदि नदी के उस भाग से नीचे की ओर आयें तो आपको कोडूमुक्डीयार, कुदम्बियारू तथा पतचायारू परियोजनाएं देखने को मिलेगी। लेकिन ये सब लघु परियोजनाएं हैं।

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी): लेकिन इन परियोजनाओं को संबंधित राज्य द्वारा कार्यान्वित किया जा सकता है।

श्री पी.एच. पांडियन: लेकिन महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें पर्यावरण संबंधी स्वीकृति चाहिए। हमारे पास संपूर्ण पतचायरू योजना है। अब उन्होंने इसकी संस्थापना कर दी है तथा इस योजना को बाडाक्कू पतचायरू योजना के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है। संपूर्ण उत्तरी पतचायरू योजना का प्रस्ताव नहीं रखा गया है। जहां तक कोडूमूडीयारू योजना का संबंध है, तत्कालीन वन एवं पर्यावरण मंत्री, श्रीमती मेनका गांधी से वर्ष 1990 में ही पर्यावरण संबंधी स्वीकृति प्राप्त की गयी थी।

लेकिन उस स्वीकृति की सूचना नहीं दी गयी थी। अथवा उसकी प्रक्रिया पूरी नहीं की गई थी। कोडूमुक्डीयारू क्षेत्र में शेर की पूंछ जैसे पूंछ वाले बंदर बहुतायत में थे। इन्हें सिंगावल कोरांगू कहा जाता है। जब मैं तमिलनाडु विधान सभा का सदस्य था तो उस जिले के सभी सदस्यों ने एक प्रस्ताव रखा था कि शेर की पूंछ जैसे पूंछ वाले बंदरों की तरह ध्यान न देते हुए इस परियोजना को तैयार करना होगा। लेकिन अब क्या स्थिति है? मैं जानना

[श्री पी.एच. पांडियन]

चाहता हूं कि क्या केन्द्र सरकार ने इस संपूर्ण कोडूमूडीयारू योजना को पर्यावरणीय स्वीकृति दे दी है या नहीं। कोडूमूडीयारू, नाम्बीयारू और पतचायरू क्षेत्रों में लाखों एकड़ भूमि ऐसी है जो इन पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियों पर निर्भर है।

मैंने अन्य माननीय सदस्यों के भाषणों को सुना। प्रस्तावकर्त्ता श्री वैको ने कहा कि मुझे इस चर्चा में भाग लेना चाहिए। ऐसी चर्चा में भाग लेना बड़ी खुशी की बात है तथा यह मेरा कर्त्तव्य भी है। मैं यह कहना चाहता हूं कि मानवता के सम्मान को बरकरार रखने के लिए नदियों का राष्ट्रीयकरण होना जरूरी है। भारत की प्रभुसत्ता और अखण्डता को बनाये रखने के लिए नदियों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। भावनात्मक एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए नदियों का राष्ट्रीयकरण होना ही चाहिए। सदस्यगण इसलिए भावावेश में आ रहे हैं क्योंकि पानी के बंटवारे के बारे में कुछ मतभेद है। सुरज कनाल विवाद को कैसे हल किया गया था? अन्य विवादों को कैसे सुलझाया गया था? यहां जल विवाद को अभी तक किसी समझौते अथवा निर्णय के लिए शांतिपूर्ण ढंग से नहीं सुलझाया गया है। हम फैसले को कार्यान्वित नहीं कर सकते हैं। इस पर समझौता हो सकता है। यह विवाद उच्च स्तर पर संवैधानिक अधिकारियों द्वारा सुलझाया जा सकता है। लेकिन दो मंत्रियों के बीच बैठक बुलाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को यह आदेश देना पड़ता है कि तमिलनाडु और कर्नाटक के मंत्रियों को एक बैठक करनी चाहिए। यह मामला इस हद तक बिगड़ गया है।

सिंचाई परियोजनाएं चाहे छोटी हों अथवा बड़ी। छोटे-बड़े कृषक राज्य सभी जल पर निर्भर रहते हैं। जल मानवता के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। पेयजल जीवन के लिए दूसरी महत्वपूर्ण वस्तु है। अत: यदि सभी नदियों को मिलाकर इनके राष्ट्रीयकरण द्वारा जल संरक्षण किया जाता है तो मानवता के जीवन की गारंटी दी जा सकती है। केन्द्र सरकार को सभी कृषकों को गारंटी प्रदान करनी चाहिए क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 19(छ) के अंतर्गत किसी भी व्यवसाय पेशे अथवा धन्धे को करने की स्वतंत्रता की संवैधानिक संरक्षण प्रदान करती है।

हमारा जल-विवाद पाकिस्तानी सीमा की तरफ भी है। जब हम भारत के शत्रु की सीमा पर मौजूद ऐसे जलविवाद सुलझा सकते है तो हम इन जल समस्याओं तथा राज्यों के बीच विवादों को क्यों नहीं सुलझा सकते हैं? राज्य के बीच जल विवाद को सुलझाने का एकमात्र समाधान नदियों का राष्ट्रीयकरण है। माननीय जल संसाधन मंत्री यहां उपस्थित हैं। अत: मेरी केन्द्र सरकार से अपील है कि वह तमिलनाडु सरकार के सामने बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को बनाते तथा जल समस्या का समाधान करने के लिए एक प्रस्ताव रखे।

कुछ समय पहले प्रश्न काल के दौरान जब आप से पहले मंत्री रह चुके डा. सी.पी. ठाकुर के पास यह पदभार था। अपने निर्वाचन क्षेत्र विशेषकर टूटीकोरीन, जहां पेयजल उपलब्ध नहीं है के लिए धन के आबंटन की मांग बनी थी। यह क्षेत्र समुद्र के किनारे स्थित है। यह एक बंदरगाह नगर है।

उस समय उन्होंने कहा था कि वह इस तरफ ध्यान देंगे। हमें केवल पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 70 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। मैंने सभा में भी तामिराबारानी नदी में से गाद निकालने की मांग की थी। ऐसा मालूम होता है कि केन्द्रीय जल आयोग ने तिरुनेलवेली में अधिकारी भेजे थे तथा उन्होंने लागत का पता लगा लिया है तथा 70 करोड़ रुपये की एक परियोजना बनाई है। केन्द्रीय मंत्री ने भी इस बात की घोषणा की है कि 70 करोड़ रुपये की परियोजना बना ली गयी है। महोदय, कावेरी नदी से गाद निकालने की परियोजना बना ली गई है, लेकिन केन्द्रीय जल आयोग ने तामिराबारानी नदी से गाद निकालने की परियोजना को इसमें शामिल नहीं किया है।

अत: मेरी फिर से विनती है-क्योंकि वह एक नये मंत्री हैं कि तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में तामिराबारानी नदी की गाद को पोडूगई नदी से समुद्र तक निकाला जाए चाहे यह टूटीकोरीन अथवा तिरुनचेन्दूर जिला हो। चाहे इन्हें भारी व्यय उठाना पड़े, लेकिन फिर भी ये 2 करोड़ लोगों की पेयजल की जरूरत को पूरा कर रहे हैं। अत: उन्हें पेयजल उपलब्ध करने के लिए ऐसा करना आवश्यक है। उस जिले में उद्योग भी है। वहां सूखा प्रवण क्षेत्र भी है। इस विधेयक के प्रस्तावकर्त्ता वहीं के हैं ओट्टापीडार और विलाथीकुलम विधान सभा क्षेत्रों में तामिराबारानी नदी का पानी नहीं आता है। अत: हमें उस क्षेत्र के लिए या तो सीवेलाप्पेरी या तिरुनेलवेली से तामिराबारानी नदी का जल लेना पड़ेगा।

इसलिए मेरा स्वयं तथा तिरुनेलवेली जिले तथा वी.ओ. चिदाम्बारानार जिले के लोगों की ओर से मंत्री जी से निवेदन है कि वह इस कार्य को करें। इस विधेयक के प्रस्तावकर्ता की इसमें दिलचस्पी है क्योंकि उन्होंने उस विधान सभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था। वे चाहते हैं कि इन क्षेत्रों की जल समस्या को सुलझाने के लिए सहायता दी जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब हम मद संख्या 12 के बारे में चर्चा करेंगे। श्री विलास मुत्तेमवार।

[हिन्दी]

श्री सुबोध मोहिते (रामटेक): सभापति जी, पिछड़ा क्षेत्र विकास बोर्ड विधेयक, 2000 जो है उस पर तीन दिन से चर्चा

चल रही है। हमारा बिल कंसीडरेशन के लिए लिया जाये। वह बहुत जरूरी है। इसमें 10 राज्यों आंध्र, महाराष्ट्र, बिहार, तेलंगाना, उत्तरी बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश आदि का सवाल है, इसलिए इसको तुरन्त डिस्कशन के लिए लिया जाए। नहीं तो हमारा चांस मिस हो जायेगा। इसलिए इसको प्राथमिकता दी जाये।

अपराह्न 3.37 बजे

(नौ) संविधान संशोधन विधेयक*
(अनुच्छेद 103 का संशोधन आदि)

[अनुवाद]

श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[अनुवाद]

श्री विलास मुत्तेमवार: महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित** करता हूं।

अपराह्न 3.38 बजे

अंतर्राज्यीय नदियों का राष्ट्रीयकरण विधेयक–*जारी*

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर): माननीय सभापति जी, हमारे सहयोगी ने जो बिल प्रस्तुत किया है यह नॉन-ऑफिशियल बिल के नाम पर किया है, लेकिन वास्तव में यह बिल सरकार की ओर से आना चाहिए था और माननीय मंत्री जी इसको प्राइवेट बिल न मानकर सरकारी बिल मानकर प्रस्तुत करने का प्रयास करे। आवंटन के संबंध में सर्वप्रथम पेयजल, सिंचाई, जल-विद्युत आदि को प्रमुखता दी जाती है। राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी का गठन 1981 में हुआ। जिसके अनुसार जल को जल-बहुलता वाले राज्यों से जहां पर जल की कमी हैं, वहां भेजा जाये। इसमें इस प्रकार की व्यवस्था की गयी है। लेकिन खेद का विषय है कि भारत सरकार इस संबंध में कोई प्रयास नहीं कर पाई है। इसी प्रकार से राष्ट्रीय जनतांत्रिक मोर्चा जो बना है इसके घोषणा पत्र में कहा गया है कि नदियों के जल को एक बेसिन से दूसरे तक हस्तांतरित करने को भारत सरकार प्राथमिकता देगी। लेकिन वह काम भी घोषणा-पत्र के अनुसार नहीं हुआ है।

मैं समझता हूं कि हर प्रकार के सिद्धांत के आधार पर, चाहे वह प्राकृतिक सिद्धांत हो, या पूर्व नियोजित सिद्धांत हो परन्तु सामूहिक हित के सिद्धांत के आधार पर नदियों के जल का राष्ट्रीयकरण होना बहुत जरूरी है। नदियां एक प्रकार से राष्ट्र की धरोहर हैं, किसी एक राज्य की बपौती नहीं कि किसी एक राज्य में नदी पहुंच रही है और वह उसका उपयोग कर रहा है। नदियां कई राज्यों के बीच में होकर निकलती हैं। नदियां एक प्रकार से भारतवर्ष या भारत माता के गले में हार के रूप में दिखाई देती हैं। जहां नदी के जल का अभाव है, वहां उस जल को पहुंचाये जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। मेरा सरकार से अनुरोध है कि केन्द्रीय स्तर पर कोई योजना बने। केन्द्र सरकार जो सिद्धांत बनाये, उस पर सभी राज्यों को अनुकरण करना चाहिए। इस संबंध में इराडी ट्रिब्यूनल बनाया गया था जिसने कहा था कि जल नीति बनाना बहुत आवश्यक है। इसके विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। यह सही है कि किसी राज्य में नदी है और किसी में नहीं है। हिन्दुस्तान के पूरे नदी जल का केवल एक प्रतिशत भाग ही राजस्थान को मिलता है। राजस्थान एक मरु प्रदेश है जहां छोटे छोटे पहाड़ हैं और ऊबड़-खाबड़ जमीन है। राजस्थान को पेयजल नहीं मिलने के कारण हालत बहुत खराब हो रही है।

सभापति महोदय, मैं जयपुर शहर के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। वहां रामगढ़ झील है जहां से जयपुर शहर को पानी उपलब्ध हो सकता है लेकिन वह सूख गई है। वहां वर्षा अभी हुई नहीं है और अगर हुई भी है तो मामूली हुई है। इस पानी से रामगढ़ झील भरने वाली नहीं है। कोटपुतली के पास नदी पर लोगों ने 17 एनीकट बना दिये हैं। लोगों ने पानी उसमें रोक दिया तो रामगढ़ झील तक पानी कैसे पहुंचेगा? जयपुर के लोग प्यासे मर जायेंगे। पश्चिम में बांडी नदी है जहां लोगों ने नलकूप बना दिये हैं और कांग्रेस के प्रभावी राजनेता उसका उपयोग कर रहे हैं। काणोंता बांध में जलमहल का मलमूत्र युक्त पानी पहुंचता है। इसी प्रकार बनास योजना बनने जा रही थी ताकि जयपुर शहर के लोगों को पानी मिलेगा लेकिन वह इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अजमेर वाले लोग लट्ठ लेकर खड़े हो जायेंगे और जयपुर शहर

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 2, दिनांक 11.8.2000 में प्रकाशित।
**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरस्थापित।

[श्री गिरधारी लाल भार्गव]

तक पानी जाने नहीं देंगे। मैं समझता हूं कि यदि नदी का पानी इस प्रकार से मिल जाये तो बहुत बड़ा काम होगा।

सभापति महोदय, राजस्थान नहर बनी। इससे राजस्थान की काफी काया-पलट हो गई। मेरी मांग है कि गंगा का पानी भरतपुर और अलवर तक मिलना चाहिए। हवा तथा पानी पर किसी का प्रभुत्व नहीं होता। यह भगवान की देन है। जयपुर के कुओं का जल स्तर नीचे चला गया है, हैंड पम्प खराब हो गये हैं। बावड़ियों में पानी बिल्कुल नहीं बचा। न उनकी मरम्मत हो रही है और न ही उनकी सफाई हो रही है। कई जगह लोगों ने बावड़ियां बना ली हैं जो अपने व्यक्तिगत उपयोग में ला रहे हैं। गूलर बांध की भी मरम्मत नहीं की जा रही है। यही हाल काणोंता बांध का है।

मेरा सरकार से आग्रह है कि वह राष्ट्रीय जल नीति बनाये और राष्ट्रीय आधार पर सभी नदी जल का राष्ट्रीयकरण करे। जिस राज्य में जल उपलब्ध नहीं हो रहा है वहां जल उपलब्ध कराये, तभी देश का भला हो सकता है। नदी पर किसी एक राज्य का अधिकार नहीं होना चाहिए। इस पर केन्द्रीय सरकार का आधिपत्य होना चाहिए। जिस राज्य में नदी नहीं पहुंच सकती उस राज्य में नदी पहुंचाई जाये। माननीय श्री वैको जो बिल लाये हैं, मैं उसका समर्थन करता हूं और आपका आभार मानता हूं कि आपने मुझे बोलने का लिए समय दिया।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब श्री वी. राधाकृष्णन बोलेंगे।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय, मैं पहले ही इस विधेयक पर बोल चुका हूं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: ठीक है, श्री मणिशंकर अय्यर।

श्री मणिशंकर अय्यर (मयिलादुतुरई): सभापति महोदय, मैं श्री वैको के विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं समझता हूं कि सम्भवत: कई मायनों में इस लोक सभा में प्रस्तुत किये गये विधेयकों में यह एक अत्यधिक महत्वपूर्ण विधेयक है।

श्री पी.एच. पांडियन: मैं भी इस विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं उस समय इसका उल्लेख करना भूल गया था जब मैंने इस विषय पर बोला था ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): महोदय, इस वाद-विवाद में भाग लेने वाले तमिलभाषी सदस्यों का एक अदभुत मिश्रण है। ...*(व्यवधान)*

श्री मणिशंकर अय्यर: महोदय, देश की नदियों को राष्ट्र की सम्पत्ति नहीं माना जा रहा है। उन्हें विभिन्न राज्यों जिनमें वे बहती हैं, द्वारा अपनी निजी जागीर माना जाता है, चूंकि परिभाषा के अनुसार, ऊपरी तटवर्ती राज्य पानी पर अपना नियंत्रण रखते हैं जबकि निचले तटवर्ती राज्य ऊपरी तटवर्ती राज्यों की दया पर निर्भर रहते हैं। यही बात विशेषकर कावेरी बेसिन के बारे में बहुत सही है। इस तरह, मैं समझता हूं कि न तो श्री वैको का इरादा इस मामले को कावेरी नदी तक सीमित रखने का है और न ही कावेरी नदी के राष्ट्रीयकरण से संबंधित विधेयक हमारे समक्ष है। अपितु यहां पर कावेरी नदी प्रासंगिक है।

महोदय, मैं समझता हूं कि पिछले 25 वर्षों के दौरान कावेरी विवाद के बारे में जो कुछ हुआ वह इस बात का द्योतक है कि हम वर्तमान में अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम के कारण क्या परेशानियां झेल रहे हैं और क्यों इस विधेयक, श्री वैको द्वारा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक के रूप में इस सभा के समक्ष लाया गया है, की जांच सरकार द्वारा इसी तरह का सरकारी विधान हमारे समक्ष लाने की दृष्टि से बड़ी सावधानी से करनी चाहिए।

महोदय, 1956 में जब अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम संसद द्वारा पारित हुआ था तब तमिलनाडु, जो उस समय कावेरी नदी जल बंटवारे के 1924-1974 के मैसूर-मद्रास समझौते की आधी प्रक्रिया पूरी कर चुका था, को लगा कि हमारे पास एक ऐसा तंत्र था जिसके जरिए शांतिपूर्ण ढंग से और अच्छे पड़ोसी के माहौल में हम अपने पड़ोसी, ऊपरी तटवर्ती राज्य के साथ किसी समझौते पर पहुंच सकते थे और 1974 में इस समझौते के समाप्त होने से पूर्व ही समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि ऐसा नहीं हुआ। ऐसा इस तथ्य के बावजूद सम्भव नहीं हुआ कि हमें 50 साल पहले मालूम था कि यह समझौता 1974 में समाप्त होने जा रहा है। आज भी यह कटु सत्य है कि पिछले समझौते के समाप्त होने के 26 वर्षों बाद भी हमारे पास कोई ऐसा आधार नहीं है जिसके आधार पर दो प्रमुख राज्यों कर्नाटक और तमिलनाडु जो कि इस नदी के लाभार्थी हैं, के बीच कावेरी नदी के जल के बंटवारे के प्रश्न का कोई निश्चित हल निकल पाया है।

महोदय, ऐसा क्यों हुआ है? मेरे विचार से जो यह अब हुआ है वह इस बात को स्पष्ट करता है कि नदी विवाद अधिनियम में क्या क्या खामियां हैं। 1974 और 1990 के बीच 16 वर्षों की अवधि के लिए दोनों राज्यों में बातचीत कराने के लिए अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम का उपयोग किया गया। यह बातचीत उस समय हुई जब दोनों राज्यों में या तो एक ही पार्टी का और पार्टियों के गठजोड़ का शासन था, इसी प्रकार दोनों राज्यों में पार्टियों का शासन था जो केन्द्र में एक दूसरे की विरोधी थी.

कर्नाटक या तमिलनाडु राज्य के राजनीतिक कलेवर को ध्यान में रखे बिना 1974 से 1990 के 16 वर्षों में बातचीत का कोई भी परिणाम नहीं निकला।

इसलिए, वी.पी. सरकार ने जो एक बुद्धिमानी वाली बात की मैं उस सरकार की तारीफ करता हूं-वह यह थी कि उसने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार-उस समय वहां श्री बंगारप्पा की सरकार थी को इस बात के लिए राजी किया था कि वह बातचीत के लिए आग्रह न करके न्यायाधिकरण को फैसला करने दें। हमारे बातचीत के जरिए उस स्तर पर पहुंचने से पहले, तमिलनाडु के गवर्नर जो कि उस समय राज्य के कार्यपालक प्रधान थे, क्योंकि डा. करुणानिधि की पूर्व सरकार को आपातकाल के दौरान बर्खास्त कर दिया गया था और राज्य राष्ट्रपति के शासन के अधीन था, ने तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच एक समझौता कराया। संबंधित गवर्नर श्री मोहनलाल सुखाडिया थे। तमिलनाडु की ओर से बातचीत करते हुए उन्होंने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को समझौता करने के लिए मनाया। समझौते के लागू होने से पहले ही आपातकाल समाप्त हो गया और पूरे देश में चुनाव कराए गए। 1977 में तमिलनाडु में जो सरकार सत्ता में आई उसके राज्य की तरफ से गवर्नर मोहनलाल सुखाडिया द्वारा कराए गए समझौते को स्वीकार और पुनर्जीवित नहीं किया। यदि आप 1924 और 1974 के बीच इन तीनों स्तरों को देखें तो कर्नाटक से मेट्टूर जलाशय में पानी का प्रवाह 600 टी एम सी था। जब श्री मोहनलाल सुखडिया गवर्नर थे, उस समय जो समझौता हुआ था वह उसके अनुसार पानी का प्रवाह लगभग 400 टी एम सी से थोड़ा कम था। इस तरह 1990 में निचला तटवर्ती राज्य तमिलनाडु 16 वर्ष पूर्व जबकि पानी का प्रवाह 600 टी एम सी हुआ करता था की इच्छा करने लगा।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: 3.49 बजे तक इसका समय निर्धारित था। यदि सदस्यों की सहमति हो तो आधे घंटे के लिए चर्चा का समय बढ़ा देते हैं।

[अनुवाद]

श्री वैको (शिवकाशी): सभापति महोदय, मैं अनुरोध करता हूं कि एक घंटा समय और बढ़ा दें ताकि अन्य सदस्य भी 5.30 बजे से पहले इस पर चर्चा शुरू कर सकें।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: एक ही सदस्य बाकी है। आधा घंटा काफी रहेगा।

[अनुवाद]

श्री वैको: तब ठीक है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: सभा की सहमति से इस विधेयक का समय आधे घंटे के लिए बढ़ाया जाता है।

[अनुवाद]

श्री मणिशंकर अय्यर: इसलिए 1990 में जब न्याय-निर्णयन प्रक्रिया शुरु हुई थी तो उससे 16 वर्ष पहले तमिलनाडु को गंटूर जलाशय से 600 टी एम सी पानी मिलता था। 14 वर्ष पहले 1976 के समझौते के अनुसार 400 टी एम सी पानी मिलता था और इसलिए तमिलनाडु राज्य कमोवेश कावेरी न्यायाधिकरण द्वारा गवर्नर मोहनलाल सुखाड़िया के समय के दौरान जो सहमति हुई थी, उसकी पुष्टि करने की आशा करता है। कावेरी न्यायाधिकरण को फैसला करने के लिए 15 माह का समय चाहिए था। *...(व्यवधान)* सभापति महोदय, श्री पांडियन की मंत्री महोदय से जो बातचीत चल रही है उसके परिणामस्वरूप तमिलनाडु को नुकसान हो रहा है।

इसलिए, तमिलनाडु के लिए यह तर्कसंगत होता कि कावेरी न्यायाधिकरण के फैसले का इंतजार करे जो कि कमोवेश श्री मोहनलाल सुखाड़िया ने 1976 में बातचीत से तय किया था उसके समान होता। न्यायाधिकरण इसके गठन के 15 महीने के अंदर ने अपना काम बहुत ही पूर्णत: और जल्दी किया। इसका गठन मार्च, 1990 में हुआ था। इसने अपना अंतरिम फैसला जून, 1991 में दिया। इससे तमिलनाडु को पूरे वर्ष में श्री मोहनलाल सुखाडिया ने समझौते से जो तय किया था उसका आधा और 1974 तक तमिलनाडु को जो मिल रहा था, उसका एक तिहाई पानी ही मिला।

यह जो पानी मिल रहा था उसका एक-तिहाई और समझौते का आधे से कम ही मिला, फिर भी तमिलनाडु ने तुरंत समझौते को स्वीकार कर लिया। इसके लिए कोई तर्क-वितर्क नहीं किया। न केवल ए आई ए डी एम के जो उस समय सत्ता में थी अपितु तमिलनाडु में प्रत्येक पार्टी ने इस फैसले को स्वीकार किया हालांकि इससे तमिलनाडु को जो पानी सतरह वर्ष पहले मिल रहा था उसका केवल एक तिहाई पानी ही मिला। ऐसा क्यों हुआ? इसका केवल एक कारण था। क्योंकि यह माना गया था कि कावेरी में बहने वाला सारा पानी कृषि के लिए प्रासंगिक नहीं है। कृषि के लिए प्रासंगिक वही जल है जो उत्तर भारत में खरीफ की फसल के समय उपलब्ध कराया जाता है जिसे हम तमिलनाडु में कुरुवई

[श्री मणिशंकर अय्यर]

कहते और उत्तरी भारत में जिसे रबी की फसल कहा जाता है तथा तमिलनाडु में साम्बा कहा जाता है, के समय जो पानी उपलब्ध कराया जाता है वही प्रासंगिक है।

पानी की आवश्यकता पूरे वर्ष के लिए नहीं है अपितु पानी की आवश्यकता गर्मी में कुरुवई और सर्दियों में साम्बा की खेती के लिए होती है।

अब अंतरिम फैसले से दो बातें हुईं। पहला इससे वार्षिक पानी का प्रवाह 205 टी एम सी सीमित किया गया। लेकिन इसमें सप्ताह दर सप्ताह का प्रवाह स्पष्ट किया गया है। जब हम सप्ताह दर सप्ताह के प्रवाह को देखते हैं तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि अधिकांश पानी गर्मियों के महीनों में ग्रीष्म की फसल के लिए सप्लाई किया जाना है और इसके अतिरिक्त जो पानी सप्लाई किया जाएगा वह मेटूर जलाशय को भरने और इसे पूरे वर्ष पानी की सप्लाई करने के लिए तैयार रखने के लिए किया जाएगा लेकिन एक दिन 250 टी एम सी और शेष वर्ष में कुछ भी पानी सप्लाई न करने से कोई उद्देश्य प्राप्त नहीं होगा।

एक-तिहाई पानी स्वीकार करने का केवल एक कारण था कि एक-तिहाई पानी हमें तब उपलब्ध कराया जाएगा जब इसकी आवश्यकता होगी।

महोदय जैसा कि मैंने कहा कि जून, जुलाई, अगस्त और सितम्बर के महीने महत्वपूर्ण है। इस अवधि में यह स्पष्ट किया गया था कि जून, जुलाई, अगस्त और सितम्बर के महीनों में हमें 147 टी एम सी पानी मिलेगा। कुल 205 टी एम सी है उसका आधा 102 है। लेकिन आधे वर्ष में आधा पानी सप्लाई करने के लिए कहने के बजाए, इसमें कहा गया है कि "दो तिहाई पानी वर्ष के एक-तिहाई भाग में सप्लाई किया जाएगा।" इस तरह से हमें दो तिहाई पानी वर्ष के एक-तिहाई हिस्से में मिलना था और शेष एक-तिहाई जून, जुलाई, अगस्त और सितम्बर के ग्रीष्म के महीनों में मिलना था। इसी आधार पर तमिलनाडु ने इस फैसले को स्वीकार किया। यदि हमें तब से कोई परेशानी हुई तो यह 205 टी एम सी की संख्या के कारण नहीं हुई बल्कि साप्ताहिक और मासिक प्रवाह के लिए जो प्रवाह अंतरिम निर्णय में निर्धारित किया गया था उसके अनुरूप न होने के कारण हुई। विवाद कुल मात्रा के बारे में तो है ही नहीं।

अपराह्न 3.58 बजे

(श्री पी.एच. पांडियन पीठासीन हुए)

इसलिए यदि कर्नाटक 205 टी एम सी पानी की सप्लाई करता है लेकिन यह सप्लाई गलत समय पर करता है तो इससे काम नहीं चलेगा। उन्हें इसकी बिलकुल आवश्यकता नहीं है। इसका महत्व तब ही है जब तमिलनाडु को इसकी आवश्यकता होती है। जब मैं कहता हूं कि तमिलनाडु को इसकी आवश्यकता है तो मैं संकीर्ण या पक्षपाती नहीं हूं। क्योंकि कावेरी डेल्टा में जो चावल हम पैदा करते हैं वह चावल केवल तमिलों द्वारा ही नहीं खाया जाता है। यह देश के अनाज के स्टाक का भाग है। गन्ना जो तमिलनाडु में उगाया जाता है वह केवल हमारे पोंगल में रखने के लिए नहीं है अपितु यह पूरे देश के उपयोग और निर्यात के लिए भी है। कावेरी डेल्टा में जो किसान काम कर रहा है केवल कावेरी डेल्टा या तमिलनाडु के उपभोक्ता के लिए ही नहीं काम कर रहा है अपितु वह तो पूरे भारत के लोगों के लिए काम कर रहा है।

अपराह्न 4.00 बजे

यदि इसे नुकसान पहुंचाया जाता है, तो केवल तमिलनाडु का नुकसान नहीं होता है, केवल कावेरी नदी के डेल्टा के किसानों का नुकासन नहीं होता है बल्कि भारत का नुकसान होता है क्योंकि कावेरी नदी को एक राष्ट्रीय परिसंपत्ति न मानकर इसे ऊपरी तटवर्ती राज्यों की परिसंपत्ति माना जा रहा है जिसे निचले तटवर्ती राज्यों की संपूर्ण बेसिन की कृषि संबंधी जरूरतों के रूप में नहीं बल्कि ऊपरि तटवर्ती राज्यों को मर्जी और इच्छा पर बांटा जाना है। यही कारण है कि यह विवाद खड़ा हुआ तथा अंत में कावेरी न्यायाधिकरण को अपने अंतरिम आदेश के अतिरिक्त अनेक स्पष्टीकरण संबंधी आदेश जारी करने पड़े।

1995 में, कर्नाटक सरकार ने न्यायाधिकरण के समक्ष एक विशेष निवेदन रखा। उन्होंने कहा कि यदि वे किसी भी कारणवश एक विशेष महीने में निर्धारित मात्रा में जल की आपूर्ति करने में असमर्थ रहते हैं, तो उस कमी को उसी महीने में समाप्त माना जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि उस महीने में यह कमी पूरी नहीं होती है, तो इसे अगले महीने के लिए आगे नहीं ले जाना चाहिए। न्यायाधिकरण ने इस निवेदन पर अपना निर्णय देते हुए निम्नलिखित बात कही थी। मुझे पूरा उद्धरण पढ़ना पड़ेगा। यह उद्धरण न्यायाधिकरण के 19 दिसम्बर, 1995 के एक स्पष्टीकरण आदेश से है जिसका जल संसाधन मंत्रालय ने शतप्रतिशत आधार बनाया है। अत:, इसकी व्याख्या करने की आवश्यकता है। इसमें कहा गया है:

> "हम भी कर्नाटक राज्य की ओर से उठाये गये इस (कृपया इस पर ध्यान दें) तर्क को अस्वीकार करते हैं कि उसके द्वारा प्रत्येक सप्ताह में जल छोड़ने के अपने कर्त्तव्य को पूरा करने में आयी कोई भी कमी उसी महीने तक सीमित रहना चाहिए जिसमें यह कमी रहती है।"

यह पैराग्राफ का पहला वाक्य है। इस स्पष्टीकरण का संबंध कर्नाटक सरकार के इस अनुरोध से है कि ऐसे करार को महीने के अंत में खत्म माना जाना चाहिए। इसमें कहा गया है:

"हमने अपने 25 जून 1991 के अंतरिम फैसले में स्पष्ट रूप से कहा था कि किसी खास सप्ताह में हुई कमी को आने वाले सप्ताह में पूरा किया जायेगा। यह जरूरी नहीं कि उसी महीने में ऐसा हो जिसमें यह कमी होती है।"

कृपया इस संदर्भ पर ध्यान दे। कर्नाटक सरकार कहती है कि यदि एक महीने में जल की आपूर्ति 5 टी एम सी कम हो जाती है, तो सरकार को इसे अगले महीने में देने के लिए नहीं किया जाए। न्यायाधिकरण का कहना है कि यदि वे किसी महीने में जल की आपूर्ति में 5 टी एम सी तक की कमी करते हैं, तो उन्हें इसकी भरपाई अगले महीने करनी पड़ेगी और यदि वे अगले महीने भी इसकी भरपाई नहीं कर पाते हैं, तो यह कमी मौसम के अंत तक जारी रहेगी। यही बात आदेश में कही गयी है।

अब इसकी व्याख्या जल संसाधन मंत्रालय द्वारा इस प्रकार की जा रही है। मैं माननीय मंत्री द्वारा दिनांक 19 अप्रैल, 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3921 के बारे में दिये गये उत्तर को उद्धृत करना चाहता हूं। इसमें कहा गया है:

"राष्ट्रीय जल विवाद न्यायाधिकरण ने यह निर्देश भी दिया है कि कर्नाटक राज्य एक विशेष मासिक तरीके के आधार पर पानी छोड़ा करेगा। एक विशेष महीने के लिए पानी को चार बराबर किस्तों में छोड़ा जायेगा। यदि किसी विशेष सप्ताह में अपेक्षित मात्रा में जल नहीं छोड़ा जा सकेगा तो उस कमी की भरपाई आने वाले सप्ताह में की जायेगी। न्यायाधिकरण ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी विशेष सप्ताह में हुई कमी की भरपूर आने वाले सप्ताह में की जायेगी। यह जरूरी नहीं कि यह कमी उसी विशेष माह में पूरी की जायेगी। जब तक इस कमी की भरपाई नहीं हो जाती यह कमी आगे लगती रहेगी।"

अब, जहां तक उत्तर में से न्यायाधिकरण के फैसले के प्रथम वाक्य को हटाने के परिणाम का संबंध है, जो मुझे दिया गया है कि जिस सन्दर्भ में वह आदेश दिया गया था, उसे जल संसाधन मंत्रालय द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है। कर्नाटक सरकार ने कहा कि यदि वे कमी की भरपाई न कर पाते हैं, यह कमी वहीं समाप्त हो जायेगी, लेकिन न्यायाधिकरण ने कहा कि उन्हें इस कमी की भरपाई मौसम के दौरान करनी होगी। जल संसाधन मंत्रालय प्रथम वाक्य को भूल गया है, वह मुख्य रूप से आगे के वाक्यों पर टिका हुआ है। इसका क्या नतीजा निकला? इसका नतीजा निम्नलिखित रूप में है:

आंकड़े स्पष्ट हैं। मैंने ये आंकड़े जल संसाधन मंत्रालय से प्राप्त किये हैं। फैसले में कहा गया कि जुलाई 1999 के प्रथम सप्ताह में 9.6 टी एम सी पानी छोड़ना होगा, लेकिन केवल 0.9 टी एम सी पानी की आपूर्ति की गई। कृषि के मौसम में हमें निर्धारित पानी में से केवल दस प्रतिशत ही मिल पाया।

फैसले में यह कहा गया है कि दूसरे सप्ताह में हमें 9.6 टी एम सी पानी मिलना चाहिए। हमें क्या मिला? केवल 0.9 टी एम सी पानी ही मिला। पुन: यह 10 प्रतिशत हो गया है। आदेश के अनुसार तीसरे सप्ताह में हमें 9.6 टी एम सी पानी मिलना चाहिए लेकिन हमें केवल 4.2 टी एम सी पानी की आपूर्ति की गई। जुलाई के तीनों सप्ताहों में जब गरीब कृषकों को उपलब्ध पानी से काम चलाना पड़ता है, पानी ...ं आपूर्ति नहीं होती है।

हम इसी बात को दूसरे ढंग से देख सकते हैं। कर्नाटक अक्तूबर, नवम्बर और दिसम्बर के महीने में पानी की आपूर्ति शुरू करता है। विशेष रूप से श्री अनंत कुमार इस बात से भलीभांति परिचित है। अक्तूबर के महीने में पूर्वोत्तर मानसून आरंभ होने लगता है। नवम्बर के महीने में तूफान निरन्तर कावेरी नदी के डेल्टा में आने लगते हैं। 4 दिसम्बर 1993 का, नागापट्टीनम तट पर अत्यधिक भयंकर तूफान आया था। 1997 में, इतनी भारी वर्षा हुई कि इससे अनेकों गांव पूरी तरह बह गये। नवम्बर और दिसम्बर महीने में कोल्लीडम नदी में प्राय: बाढ़ आ जाती है। एक ऐसे समय में जबकि तमिलनाडु कोल्लीदम और कावेरी नदियों में आयी हुई बाढ़ से निपटने का प्रयत्न कर रहा होता है, तो उस समय कर्नाटक क्या करता है। यह कहता है कि एक पहले से ही बाढ़ से प्रभावित राज्य में और बाढ़ लाने का यही ठीक समय है।

अंतरिम फैसले के अनुसार, वर्ष 1999 के दौरान अक्तूबर में उन्हें केवल 30 टी एम सी पानी की आपूर्ति करनी थी। कर्नाटक ने क्या किया?

मुझे खेद है कि मैंने श्री अनंत कुमार की ओर देखते हुए कहा। उनका कोई कसूर नहीं है। मैं कर्नाटक, राज्य सरकार के विषय में बात कर रहा हूं।

कर्नाटक को अक्तूबर 1999 में 30 टी एम सी की आपूर्ति करनी थी। इसने वास्तव में 82 टी एम सी पानी सप्लाई किया। हमने केवल 30 टी एम सी पानी की मांग की थी। हमने इससे अधिक की मांग नहीं की। लेकिन उन्होंने 82 टी एम सी पानी देकर बाढ़ ला दी। इस आदेश में कहा गया है कि नवम्बर में उन्होंने 16 टी एम सी पानी छोड़ना था। यह पानी मेत्तूर जलाशय को भरने के लिए काफी है। लेकिन कर्नाटक ने नवम्बर के महीने में 40 टी एम सी पानी छोड़ दिया, जबकि उस समय हम तूफान और बाढ़ से जूझ रहे थे। जब हमने जून में पानी मांगा, तो उन्होंने

[श्री मणिशंकर अय्यर]

केवल 10 टी एम सी पानी ही दिया। जब हमने जुलाई में पानी मांगा, तो उन्होंने हमें 24 टी एम सी पानी दिया। जब हमें पानी नहीं चाहिए, तो उन्होंने अक्तूबर में 82 टी एम सी, नवम्बर में 40 टी एम सी और दिसम्बर में 20 टी एम सी पानी की आपूर्ति की जबकि आदेश में कहा गया है कि उन्हें हमें केवल 10 टी एम सी पानी की आपूर्ति करनी है। अत:, आप स्वयं देख सकते हैं, यह सब क्या हो रहा है।

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी): उनका तर्क यह है कि मानसून के अंत के दौरान ही उनके यहां वर्षा होती है, और यह कि दक्षिण पश्चिमी मानसून के दौरान वहां बहुत कम वर्षा होती है जिसके परिणामस्वरूप जलाशय पूरी तरह नहीं भर पाते हैं। यही उनका तर्क है। यह उनका तर्क है, मेरा नहीं।

श्री वैको: लेकिन निर्णायक तो आप ही हैं।

श्री अर्जुन सेठी: कृपया मुझे गलत न समझें। यह उनका तर्क है, मेरा नहीं।

श्री मणिशंकर अय्यर: मुझे विश्वास हो गया। सभापति महोदय, मैं दोनों पक्षों के तर्क को समझने के मंत्री जी के प्रयास की प्रशंसा करता हूँ। मेरे विचार से, जब मैंने तमिलनाडु के तर्क रखा, तो उन्होंने कर्नाटक के तर्क की ओर मेरा ध्यान आकृष्ट कर ठीक किया। समस्या यह है कि जहां मंत्री जी अभी नये हैं, वहीं यह समस्या पुरानी है। मंत्री जी को कर्नाटक की ओर से दिये गये तर्क के बारे में बताया गया है। वह पहले ही न्यायाधिकरण के समक्ष जा चुका है।

कर्नाटक द्वारा न्यायाधिकरण के समक्ष जो तर्क दिया गया था वह यह था कि इस साप्ताहिक समय-सारणी का पालन नहीं किया जा सकता है। यह उनका मुख्य तर्क था। न्यायाधिकरण ने निरन्तर अपने स्पष्टीकरण आदेश में कहा कि कर्नाटक को इस साप्ताहिक समय-सारणी का पालन करना चाहिए। उनका पहला कर्त्तव्य साप्ताहिक समय-सारणी को पूरा करना है। जिस विशेष सप्ताह में वे इसे नहीं कर पायेंगे उन्होंने आने वाले सप्ताह वाक्यांश का प्रयोग किया है। वास्तव में, यही बात श्री ठाकुर जी ने कही। उन्होंने बड़ी चालाकी से अपना मंत्रालय बदल डाला है। ठाकुर साहब, आपका जिक्र है। जब वह मंत्री थे। उन्होंने यह उत्तर दिया था। उन्होंने आने वाले सप्ताह वाक्यांश का प्रयोग किया। मैं यह अभी आपके सामने पढ़ता हूँ। आपके मंत्रालय ने कहा कि यदि वे यह कार्य निर्धारित सप्ताह में नहीं कर पाते, तो उन्हें यह कार्य अगले सप्ताह में करना चाहिए। अब मैंने आपको आंकड़े दिखा दिये हैं कि कितनी कमी रह गई है। आप गत वर्ष हुई बात को भूल सकते हैं। यह बात बीत गई है। हमें चालू वर्ष के बारे में बात करनी चाहिए। जून के पहले सप्ताह में, हमें 23 टी एम सी पानी मिलना था लेकिन हमें केवल 1.9 ही मिल पाया। जून के दूसरे सप्ताह में हमें 2.30 टी एम सी पानी मिलना था, लेकिन मिला केवल 0.40 टी एम सी पानी। जून के तीसरे सप्ताह में हमें 2.30 पानी मिलना था, लेकिन हमें केवल 0.1 टी एम सी पानी ही मिल पाया। जून के चौथे सप्ताह में हमें 3 टी एम सी पानी मिलना था, लेकिन हमें केवल 1.30 टी एम सी पानी मिला। जुलाई के पहले सप्ताह में हमें 9.6 टी एम सी पानी मिलना था, किंतु हमें आधे से भी कम अर्थात् 4.3 टी एम सी पानी मिला; दूसरे सप्ताह में हमें 9.60 टी एम सी मिलना था; किन्तु हमें इसका केवल एक-तिहाई अर्थात् 3.70 ही मिला; तीसरे सप्ताह में उन्होंने कुछ बेहतर पूर्ति की, फिर भी वह 2 टी एम सी कम थी; जुलाई के चौथे सप्ताह में, उन्हें 13.80 टी एम सी की आपूर्ति करनी थी और उन्होंने 1.60 टी एम सी की आपूर्ति की। मैं समझता हूं कि आप मुझसे सहमत होंगे कि यह एक खुला उल्लंघन है। इसके लिए अन्य कोई शब्द नहीं हो सकता। हमने कावेरी नदी प्राधिकरण की स्थापना क्यों की? यह एक साधारण सा प्रश्न है। जून 1991 से, 1998 के आरम्भ तक संपूर्ण अवधि में, 6 से 7 वर्षों की अवधि के दौरान कर्नाटक सरकार बार-बार कावेरी न्यायाधिकरण के पास स्पष्टीकरण आदेश प्राप्त करने के लिए जाती रही ताकि स्वयं को बचा सके। फिर, हम उच्चतम न्यायालय के पास गये। तमिलनाडु और कर्नाटक सरकारों द्वारा मुद्दा उठाया गया और भारत सरकार को एक पक्ष बनाया गया। उस समय भारत के अटॉर्नी जनरल मैं जानता हूं कि तब तक वे काफी बदनाम से हो चुके थे मैं श्री सोली सोराबजी को एक व्यक्ति के रूप में निर्दिष्ट नहीं कर रहा हूं अपितु भारत के एक अटार्नी जनरल के रूप में 1998 की पहली तिमाही में भारत के उच्चतम न्यायालय में गये और अकेले उच्चतम न्यायालय के समक्ष बताया कि भारत सरकार कावेरी न्यायाधिकरण के अन्तरिक निर्णय के कार्यान्वयन हेतु अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम की धारा 8(क) के अधीन एक योजना बनाना चाहती है। क्या योजना बनाना चाहती है, इसके बारे में कोई प्रश्न नहीं है। अब, उच्चतम न्यायालय के विचार अटॉर्नी जनरल की सोच से कहीं ज्यादा बेहतर है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने सुनवाई समाप्त नहीं की, अपितु सुनवाई केवल स्थगित कर दी। सुनवाई अभी भी चल रही है। मामला खत्म नहीं हुआ है। किन्तु उन्होंने भारत सरकार के वायदे को स्वीकार किया कि सरकार निर्णय के कार्यान्वयन हेतु अधिनियम की धारा 8 के अधीन एक योजना बनाने के लिए अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम के अंतर्गत अपना निर्णायक दायित्व निभायेगी। दूसरे शब्दों में, यह एक कानूनी अधिनियम है, जो विधिक उपबंधों से निकला है। क्या आपने पंचाट को लागू किया है? क्या 100 सप्ताहों का कोई भी आंकड़ा, जो अगस्त 1998, से गुजर गया है, पंचाट का कार्यान्वयन परिलक्षित करता है और अटॉर्नी जनरल अथवा मुख्य न्यायाधीश नहीं अपितु एक साधारण व्यक्ति इस पंचाट को किस प्रकार लागू किया गया, मानेगा।

महोदय, मैंने गणना की है। इन 100 सप्ताहों में से एक भी सप्ताह आपूर्ति नहीं हुई। किसी एक भी सप्ताह में जल की छोड़ी गई वास्तविक मात्रा निर्धारित मात्रा के बराबर नहीं है। यदि मैं निर्धारित जल छोड़ने के एक टी एम सी के भीतर अनुमानित जल की मात्रा को परिभाषित करूं, जो गत 100 सप्ताहों में से, आप 21 सप्ताहों में सफल हुये हैं। आप मुझे अप्रैल और मई 2000 संबंधी आंकड़ें देने में असफल रहे हैं। आपके कार्यालय में ये आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। अत:, मैं इसकी कसम नहीं खा सकता। अत:, यह 100 सप्ताहों में से लगभग 21 है, जहां कर्नाटक से आपूर्ति लगभग निर्धारित मात्रा में जल छोड़े जाने के समान है। 100 में से 80 सप्ताह छोड़े गये जल की निर्धारित मात्रा और वास्तविक मात्रा के बीच कोई तालमेल नहीं है।

[हिन्दी]

श्री अनन्त गुढ़े (अमरावती): इनको बोलते हुए आधे घंटे से ऊपर हो गया है।

[अनुवाद]

श्री वैको: महोदय, यदि यह चर्चा अपराह्न 5.15 बजे तक अथवा बाद तक भी चलती है, तब भी माननीय सदस्य अपने गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक पर चर्चा प्रारम्भ कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री मणिशंकर अय्यर: मैं अनुरोध करता हूं कि आपको बिल पेश करने का मौका मिलेगा। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री वैको: महोदय मैं माननीय सदस्य की चिंता की सराहना करता हूं। उन्हें चर्चा को प्रारम्भ करने के अवसर से वंचित नहीं करना चाहिए। पी.एम.बी. हेतु समय अपराह्न 5.30 बजे तक है। यदि माननीय सदस्य अपराह्न 5.25 बजे भी आरम्भ करते हैं, तब भी वे अवसर नहीं खोयेंगे।

श्री मणिशंकर अय्यर: महोदय, मुझे अपनी बात पूरा करने के लिए 10 मिनट से ज्यादा समय की आवश्यकता नहीं होगी। मैं अपने अंतिम मुद्दे पर हूं।

महोदय, मैं कह रहा था कि 100 सप्ताहों में से, एक भी सप्ताह में निर्धारित मात्रा में पानी नहीं दिया गया है। 100 सप्ताहों में से 20 सप्ताह लगभग समान पानी दिया गया है। 100 सप्ताहों में से 80 सप्ताह लगभग समान पानी भी नहीं दिया गया है। यदि आप इसे सांख्यिकीय तालिका के रूप में न देखकर कृषकों की आवश्यकता के रूप में देखें, तो स्थिति और भी निराशाजनक हो जाती है क्योंकि यथार्थ रूप में, जब पानी की आवश्यकता है, उस समय वह उपलब्ध नहीं है और जब पानी की आवश्यकता नहीं है! वह उपलब्ध कराया जाता है।

महोदय दक्षिण-पश्चिम मानसून और पूर्वोत्तर मानसून कोई नई बात नहीं है। सम्पूर्ण मौसम विज्ञान संबंधी आंकड़े 1990-91 में कावेरी न्यायाधिकरण के पास उपलब्ध थे। संयोगवश ऐसा हुआ ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: सभा ने एकमत से यह निर्णय लिया है कि इस विधेयक पर आधे घण्टे की चर्चा होगी। चूंकि, यह अभी भी जारी है, तो क्या सभा विधेयक पर चर्चा हेतु समय 5.20 बजे अपराह्न तक बढ़ायेगी?

श्री वैको: मैं अनुरोध करता हूं कि इसे अपराह्न 5.15 बजे तक बढ़ाया जा सकता है, उस समय तक चर्चा समाप्त हो जानी चाहिए ताकि माननीय सदस्य चर्चा प्रारम्भ कर सकें।

श्री मणिशंकर अय्यर: संयोग ऐसा है कि मेरा पैतृक गांव कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ है और जब न्यायाधिकरण ने उस गांव का दौरा किया तो मैं वहीं पर था। मैं उन्हें तट पर ले गया। वह मार्च का महीना था, जो वास्तव में कृषि की दृष्टि से अच्छा माह नहीं था। मैंने न्यायाधिकरण को वहां व्यक्तिगत रूप से बताया कि बचपन में सदैव अपने गांव जाया करता था, मैं कावेरी में नहाता था क्योंकि क्षीण मौसम के दौरान भी नदी में हमारे लिये इतना पानी होता था कि हम वहां नहा सकते थे। किन्तु, अब यदि आप कावेरी बेसिन कावेरी डेल्टा को जाकर देखें, यहां तक कि जून, जुलाई और अगस्त के महीने में, तो दूर-दूर तक आपको पानी की शायद ही कोई बूंद देखने को मिले। इसे प्रत्येक व्यक्ति को समझने की आवश्यकता है। वहां दो मुख्य त्यौहार हैं, जिन्हें तमिल मनाते हैं और जो नदी से संबंधित हैं। एक को अदी पाथीनेट्टू कहा जाता है, जो अदी के माह का 18वां दिन होता है और दूसरा अवानी अविट्टम कहा जाता है और ये दोनों त्यौहार रोमन कैलेंडर के हिसाब से अगस्त के महीने में हमने देखा है कि कावेरी डेल्टा के बड़े भाग में या तो पानी होता ही नहीं अथवा बहुत ही कम होता है। ऐसे समय में जब त्यौहारों को परम्परागत तरीके से नदी के तट पर जाकर और विभिन्न तरीकों से कावेरी देवी की अराधना करके मनाया जाता है। क्या वह केवल कावेरी डेल्टा की कृषि अर्थव्यवस्था पर ही नहीं अपितु यहां तक कि उसके ऐतिहासिक अथवा सांस्कृतिक विरासत पर भी एक प्रहार स्वरूप नहीं है? आप कावेरी न्यायाधिकरण पंचाट को कार्यान्वित न करके सम्पूर्ण जीवन को ही विकृत किया जा रहा है। वह उत्तरदायित्व का मापक है, जो केन्द्र सरकार ने पूरा करने का

[श्री मणिशंकर अय्यर]

उच्चतम न्यायालय के समक्ष वायदा किया था। कार्यान्वयन की यह प्रक्रिया कैसे भूल गये?

तमिलनाडु• के लिए इससे ज्यादा गर्व की बात कुछ नहीं हो सकती कि प्रधान मंत्री स्वयं कह रहे हैं कि वे कावेरी नदी प्राधिकरण के चेयरमैन बनने जा रहे हैं। अन्य सदस्य कौन-कौन हैं? वे चार मुख्य मंत्री हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत प्रधान मंत्री और चार मुख्य मंत्रियों से अधिक उच्च शक्ति प्राप्त निकाय के बारे में सोचना भी असंभव है। इस समिति की कितनी बार बैठक हुई है?

इसकी केवल दो बैठकें हुई हैं। अगस्त 1998 से अगस्त 2000 तक इस उच्च शक्ति प्राप्त समिति को केवल दो बार बैठक करने का अवसर मिला। उस समय के दौरान, निगरानी समिति आपको ये आंकड़े दे रही है। आप मुझे कह सकते हैं कि प्रधान मंत्री अत्यन्त महत्वपूर्ण व्यक्ति है, अत: उनके पास बैठक करने का समय नहीं है। अत: आपने एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति गठित करने, हमें अपनी प्राथमिकताओं में नीचे रख दिया है। यदि आप मंत्री महोदय चेयरमैन होते, तो हो सकता है कि हमारी 20 बैठकें हो चुकी होतीं। हमें स्वयं को सम्मानित करने के लिए कावेरी नदी प्राधिकरण की आवश्यकता क्यों नहीं है? हम चाहते हैं कि कावेरी नदी प्राधिकरण, उच्चतम न्यायालय को वचन दिये अनुसार, कावेरी न्यायाधिकरण के अन्तरिम पंचाट को कार्यान्वित करे। यदि आप प्रधान मंत्री को का.न.प्रा. का चेयरमैन बनाते हैं, तो आप प्रधानमंत्री को इस देश में उच्चतम न्यायालय को दिये वचन को पूरा न करने का भागी बनाते हैं। श्री वाजपेयी, हालांकि वे भाजपा से संबद्ध हैं, एक सम्माननीय व्यक्ति हैं और मैं उनकी ख्याति पर दाग लगा नहीं देख सकता। मैं श्री करुणानिधि अथवा श्री कृष्णा की ख्याति पर दाग लगते नहीं देखना चाहता। किन्तु यदि आपको ऐसी उच्च स्तरीय समिति है, तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि आपने स्वयं जो वचन दिया है, उसे पूरा किया जाये। उस जानकारी का स्रोत आप स्वयं है, क्योंकि आप इस सब आंकड़ों के स्रोत हैं, जो हमारे समक्ष आया है।

अत:, इन परिस्थितियों में, कुछ तकनीकी समस्याओं को सुलझाया जाना है। नवम्बर, 1998 में कावेरी नदी प्राधिकरण की हुई पहली बैठक में, जो समस्याएं थीं, उन्हें उठाया गया। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच सीमा पर बिल्लिनगुडलु पर केन्द्रीय जल आयोग की चौकी के अनुसार, अगस्त 1998 के समझौते के कार्यान्वयन के पहले पूरे माह में कर्नाटक से 16 टी एम सी पानी छोड़ा गया। सितम्बर 1998 के माह में मेट्टुर जलाशय पर तमिलनाडु सरकार के अवलोकन के अनुसार, केवल 8 टी एम सी पानी प्राप्त किया गया है। अब, बिल्लिनगुडलु से मेट्टुर की दूरी 60 किलोमीटर है। वहां एक बड़ा जल प्रपात है। होगेनाक्कल जलप्रपात और उसके बाद पानी मेट्टूर में आता है। किन्तु उस क्षेत्र में वस्तुत: बिलकुल भी कृषि नहीं है। अत: एक महीने में 8 टी एम सी कहां जाता था? यह पूछने योग्य एक अच्छा तकनीकी प्रश्न है। यदि कर्नाटक से 16 टी एम सी छोड़ा जाता है और तमिलनाडु में 8 टी एम सी प्राप्त किया गया है, तो शेष 8 टी एम सी का क्या हुआ? जब मैंने आपके पूर्ववर्ती मंत्री जी से पूछा कि 8 टी एम सी का क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि वे इसकी जांच तक नहीं कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वे इस बारे में कुछ नहीं जानते। हमारे आंकड़े बहुत पिछड़े हुए हैं। यही निगरानी समिति कर रही है। उनके पास केन्द्रीय जल आयोग के सभी विशेषज्ञ हैं। सी डब्ल्यू सी से मेरा तात्पर्य कांग्रेस कार्यकारिणी समिति नहीं है, अपितु मेरा तात्पर्य है केन्द्रीय जल आयोग। उनके पास तमिलनाडु सरकार, कर्नाटक सरकार, पाण्डिचेरी सरकार, केरल सरकार और नि:सन्देह केन्द्रीय सरकार के सबसे अच्छे नौकरशाह है। उनमें कोई भी 8 टी एम सी का पता नहीं लगा पाया, जैसे कि हिजबुल मुजाहिदीन ने ले लिया हो। दो वर्ष बीत चुके हैं और आपको अभी भी नहीं पता चल पाया है।

महोदय, ये तकनीकी समस्याएं तब तक बनी रहेंगी, जब तक कि राजनैतिक इच्छा शक्ति न हों। यदि इस तरह से राजनैतिक इच्छा प्रकट की जाती है कि प्रत्येक दो वर्षों में एक बार हम मिलेंगे और हम लोग न केवल साम्भर लेंगे बल्कि हम उसके साथ वरुठा कोझमबु भी लेंगे, तो आप इस समस्या का समाधान नहीं निकाल पायेंगे। किन्तु यदि आप इसे वास्तव में सुलझाना चाहते हैं, तो मेरे विचार से दो अथवा तीन तरीके हैं। या तो आप वह वचन निभायें, जो आपने स्वयं उच्चतम न्यायालय को दिया था और संसद में वे आंकड़े लेकर आये, जो दर्शाये कि पंचाट में निर्धारित अनुसार कर्नाटक से कम से कम सन्निकट पानी छोड़ा जाये या कृपया उच्चतम न्यायालय के पास वापिस जायें जो अपनी सुनवाई खत्म करने वाले हैं और उन्हें अपना निर्णय देने दें, जो कावेरी न्यायाधिकरण के अंतिम पंचाट के साथ ही लगभग उसी समय आना चाहिए। या एक तीसरा समाधान है कि श्री वैको का प्रस्ताव स्वीकार कर लें और इस नदी का राष्ट्रीयकरण कर दें। हम लोगों को इसे नदी बेसिन की तरह मानना चाहिये।

श्री अर्जुन सेठी: चार राज्यों के साथ कावेरी नदी प्राधिकरण की दूसरी बैठक में, जिसकी अध्यक्षता माननीय प्रधान मंत्री ने की थी, इस समस्या को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया गया था।

श्री मणिशंकर अय्यर: महोदय, उस समय जो समझौता हुआ था, वह वैसा ही था जैसे वीरप्पन राज कुमार को पकड़े हुए हैं, क्योंकि जिस बात पर सहमति हुई थी, वह यह थी कि 14 अगस्त के बाद 30 दिनों तक 6 टी एम सी पानी छोड़ा जायेगा, जो हमें अगस्त में ले आया।

महोदय, हमने जून में सब कुछ खो दिया, हमने जुलाई में सब कुछ को दिया और भगवान, अल्लाह और श्री एस. एम. कृष्णा की मेहरबानी से हमें अगस्त माह के मध्य में 6 टी एम सी पानी मिला जबकि आपने स्वयं जो आंकड़े हमें दिये उसके अनुसार जून में 7 टी एम सी की कमी थी और जुलाई में 25 टी एम सी की कमी थी। अतः, जून और जुलाई के माह हेतु कुल कमी 7 जमा 25, अर्थात् 32 टी एम सी के लिए हमें बताया गया कि भगवान, अल्लाह और श्री एस. एम. कृष्णा की मेहरबानी से हमें 6 टी एम सी पानी मिलने जा रहा है। निःसन्देह हमने सहमति व्यक्त की क्योंकि यदि हमने सहमति व्यक्त न की होती, तो हमें 6 टी एम सी पानी भी न मिला होता। यह 6 टी एम सी हो सकता है, यह 16 टी एम सी हो सकता है।

श्री अर्जुन सेठी: जो कुछ भी कमी थी, उसे छोड़े जाने की सहमति हुई।

श्री मणिशंकर अय्यर: यह समझौता नहीं था। मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि यह एक समझौता नहीं था। यह पुनः बातचीत करने का कोई तरीका नहीं है। यदि हमें बातचीत ही करनी थी तो दस वर्ष पहले किसी अदालती निर्णय की कोई आवश्यकता नहीं थी। हमने 16 वर्षों तक बातचीत की फिर इस नतीजे पर पहुंचें कि इस बारे में अदालती निर्णय होना ही चाहिए तथा यह अदालती निर्णय इस स्थिति में पहुंच गया है कि सर्वोच्च न्यायालय को यह बताया गया कि आपकी योजना इस फैसले को कार्यान्वित करना थी। लेकिन फैसले को कार्यान्वित करने की बजाय योजना में बातचीत की प्रक्रिया आरंभ करने की बात है। मूल रूप से इसी में कमी है। मेरे विचार से इस बारे में आप कुछ नहीं कर सकते हैं। यदि आप कावेरी फैसले को कार्यान्वित नहीं कर सकते हो तो कृपया कावेरी को ऐसी नदी में परिवर्तित न करें जो चार राज्यों में बैठी हुई है बल्कि इसे एक ऐसी नदी माने जो पूरे देश की है; हम अपने मामले में ऐसा ही मानते हैं।

हम कर्नाटक के एक भी किसान को वंचित नहीं रखना चाहते हैं। निश्चित रूप से हम केरल अथवा पांडिचेरी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं। हम तो केवल इतना चाहते हैं कि हमने पानी की आवश्यकता को 600 टी एम सी से घटाकर 200 टी एम सी ही कर दिया है ताकि कम से कम हमें उस समय पानी मिले जब हमें इसकी जरूरत हो।

इसके अतिरिक्त और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करूंगा। यह मेरी अंतिम टिप्पणी है, विश्व बैंक ने कावेरी नदी आधुनिकीकरण योजना के लिए पूरी सहायता देने का वायदा किया है। लेकिन यह मामला गत 25 वर्षों से लंबित है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि एक अम्पायर यह बता नहीं पा रहा है कि बल्लेबाज आउट हो गया है या नहीं। हमें नहीं पता कि यह एक वाइड बाल है या नो बाल। और आप यह कह रहे हो कि हम पैवेलियन को लौट जाये और वहां चाय पियें। फैसले को कार्यान्वित करने का यह कोई तरीका नहीं है। कावेरी डेल्टा में आधुनिकीकरण की कोई बात नहीं हो रही है। जल संसाधन मंत्रालय ने तिरुची स्थित अपने शोध केन्द्र में महत्वपूर्ण योजनाएं तैयार की थी जिनको कार्यान्वित नहीं किया गया है। देश को प्रत्येक वर्ष करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा है क्योंकि अम्पायर मैच को जारी रखने की बजाय निरन्तर स्टाम्पों को उखाड़ना चाहता है। मैं मैच ड्रा होने की घोषणा सुनने से इसे फिक्स कर देना ही बेहतर समझता हूं।

मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस मामले को गंभीरता से लिया जाये तथा नये जल संसाधन मंत्री कावेरी बेसिन से जुड़े सभी सांसदों का साथ लेकर वहां का दौरा करें। मुझे विश्वास है कि आपके पूर्ववर्ती मंत्री इतना कुछ कर पाते तथा मैं आशा करता हूं कि आप यह काम शीघ्र करेंगे।

[हिन्दी]

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव): सभापति महोदय, एक महत्वपूर्ण विषय सदन में आया है। यह महत्वपूर्ण सवाल तो सॉल्व करना चाहिए लेकिन राज्यों-राज्यों में जल के बारे में जो सवाल पैदा हो गये हैं, वे सवाल भी सॉल्व करने चाहिए। राज्यों-राज्यों में जो नदियां बहती हैं, जैसे कावेरी, गोदावरी, कृष्णा इत्यादि हैं, जल के बारे में राज्यों-राज्यों को उनके हिस्सा देना जरूरी है। जल के बारे में कानून बनाना चाहिए। जल तो राष्ट्रीय सम्पत्ति है। महाराष्ट्र में दो भाग होते हैं, पश्चिम भाग में सब समुद्र का पानी जाता है लेकिन बड़े-बड़े बांध बांधने से इस जल का बहुत अच्छी तरह से खेती में इसका उपयोग हो जाएगा और पानी पीने के लिए भी मुहैया हो जाएगा और पानी पीने के लिए भी मुहैया हो जाएगा। मैं एक उदाहरण देता हूं कि गिरिनाह डैम कांग्रेस के राज्य में बांधा गया। यह पानी जलगांव को चला गया। जलगांव पानी-पानी हो गया। जितने केले दिल्ली में आते हैं, वे जलगांव से आते हैं।

नारखेड़े बन्धु बड़े किसान थे। उस समय केले के व्यापार में मन्दी आ गई और केला आस्ट्रेलिया भेज दिया। आस्ट्रेलिया से भारत में गेहूं आता था। नारखेड़े बन्धुओं को खून के केस में फांसी की सजा हो गई। कोर्ट ने उनको फांसी की सजा देना तय किया। आस्ट्रलिया पंथ-प्रधान को जब मालूम पड़ा कि नारखेड़े बन्धु जलगांव के हैं और उनको फांसी की सजा देना तय हो गया है, तो उनकी नेहरू जी से बातचीत हुई और उनकी फांसी की सजा माफ कर दी। पानी का महत्व है, इसलिए भारत सरकार को राज्यों को ज्यादा से ज्यादा पानी बांध बनाकर देना चाहिए।

[श्री हरी भाऊ शंकर महाले]

महोदय, महाराष्ट्र में नासिक जिला है। इस क्षेत्र के पश्चिमी भाग का पानी गुजरात से होकर समुद्र में चला जाता है। यदि बांध की सुविधा हो जाए, तो पश्चिमी क्षेत्र का पानी पूर्वी क्षेत्र में और पूर्वी क्षेत्र का पानी पश्चिमी क्षेत्र में जा सकता है। माननीय सदस्य, जिन्होंने यह गैर सरकारी विधेयक सदन में प्रस्तुत किया है, मैं उनको धन्यवाद देता हूं और जिन्होंने भाग लिया तथा सुझाव दिए, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं। जल राष्ट्र की सम्पत्ति है, उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो, इतना कह कर मैं अपना बात समाप्त करता हूं।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर (भीलवाड़ा): महोदय, मैं अन्तर्राज्यीय नदियों के राष्ट्रीयकरण के संबंध में श्री वैको द्वारा प्रस्तुत विधेयक का स्वागत करता हूँ। स्वतंत्रता के 50 वर्षों बाद भी हम नदी के पानी के बंटवारे के लिए राज्यवार एक दूसरे से लड़ रहे हैं। मेरे विचार से यह शर्मनाक बात है तथा इस समस्या का एक ही समाधान है और वह है नदियों का राष्ट्रीयकरण। आज पानी के बंटवारे से अधिक महत्वपूर्ण एक और बात है, वह है बिजली का उत्पादन। अब भारत में यह साबित किया जा रहा है कि हमारे पास जल विद्युत और ताप विद्युत का सही मिश्रण होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति यह कहता है कि यह मिश्रण 30 प्रतिशत और 70 प्रतिशत का होना चाहिए अथवा इसे घटाकर 40 प्रतिशत जल विद्युत और 60 प्रतिशत ताप विद्युत करना चाहिए। आदर्श अनुपात 50 : 50 होगा। लेकिन जल और ताप विद्युत के बीच में वर्तमान मिश्रण 22 प्रतिशत और 18 प्रतिशत के आसपास है जो ठीक नहीं है। देश की नदियों में जल विद्युत की क्षमता का अनुमान एक लाख मेगावाट आंका गया है। ऐसी क्षमता मौजूद है। इसे अभी तक इसलिए उपयोग में नहीं लाया गया है क्योंकि नदियों का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ है। जल विद्युत क्षमता के बारे में निर्णय लेने के लिए कोई न्यायाधिकरण नहीं है।

पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों और हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू और कश्मीर जैसे राज्यों में भी इतनी सारी क्षमता है जो पूरे देश के लिए पर्याप्त है। अब, हमारे यहां विद्युत ग्रिड निगम है। इसे राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड निगम कहा जाता है। यह साबित हो चुका है कि कोयले को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में लाने ले जाने की बजाय खान की मुंह पर ही एक विद्युत स्टेशन बन सकता है। यदि एक जल विद्युत स्टेशन बन जाये तो यह सहायक सिद्ध होगा। यहाँ बिजली का उत्पादन करता है और सारा क्षेत्र को राख रहित तथा हरा-भरा रखता है। यह प्रदूषण रहित होता है। देश में ऐसी बिजली का उत्पादन होना चाहिए। मैं इस कारण से भी इस विधेयक का स्वागत करता हूं।

नदी जल वितरण मुद्दे के संबंध में मैं केवल दो या तीन बातें ही करूंगा। पंजाब में कुछ समस्यायें हैं जो आई जी एन पी के कारण है। हम पंजाब में मारवरा नदी से पानी प्राप्त करते हैं और आपके राज्य में भी कुछ इसी तरह की समस्या है। इस बारे में एक फैसला भी किया गया है। लेकिन हमें ऐसी समस्या का सामना करना ही पड़ा क्योंकि मदें केन्द्र सरकार के अधीन नहीं है। बल्कि ये 20 राज्यों के अधीन है। हमारा जिन्दा रहना उनकी मर्जी पर निर्भर है। यदि वे हमें पानी देना चाहते हैं, दे देते हैं यदि नहीं, तो नहीं। हम इसकी मांग कर रहे हैं क्योंकि मदें हमारे अधीन नहीं है। यदि वे हमारे अधीन नहीं है वे राज्य के अधीन भी नहीं होने चाहिए।

मैं एक अन्य अतिमहत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। यह पानी जमा हो जाने की है। पंजाब में बहुत संख्या में अनाज भण्डार है। यह मानी हुई बात है कि पंजाब में बहुत गेहूं पैदा होता है। इसकी आपूर्ति पूरे देश में की जाती है। लेकिन अब यहां भी पानी जमा होने की समस्या उठ खड़ी हुई है। राज्य में पानी जमा होने की समस्या है। लेकिन यहां यह महसूस नहीं किया जाता है कि इतना सारा पानी केवल वहीं के उपभोग के लिए नहीं होना चाहिए। यह पानी हरियाणा और राजस्तान जैसे अन्य राज्यों में भेजा जाना चाहिए। लेकिन वास्तव में किसान इतने पढ़े लिखे नहीं हैं कि वे इस बात को महसूस कर सके।

महोदय, तत्कालीन पंजाब प्रांत से भारत को आने वाली पहली नहर गंगा नहर थी। यह 1930 के दशक में शुरु हुई थी। बीकानेर के महाराजा ने पहले से सोच रखा था कि पंजाब से आने वाला यह पानी हमको मिलना ही चाहिए क्योंकि हमारी अधिकतर भूमि रेगिस्तान है। उनकी दूरदर्शिता थी और उनका यह सपना था कि यह भूमि हरी-भरी हो जाये। इसी से गंगानगर, सूरतगढ़ तथा सभी क्षेत्रों को फायदा हुआ। वास्तव में यह एक विशाल क्षेत्र है। यदि ऐसा हो जाये, तो राजस्थान में भी हरियाली आ सकती है। लेकिन समस्या यह है कि हमारे हिस्से का पानी जो हमें मिलना चाहिए हमें नहीं मिल रहा है। दूसरी तरफ उस जगह पानी जमा है जहां से यह पानी आता है। इसलिए एक ही रास्ता बचा है कि यदि अंतर्राज्यीय नदियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाये तो उनके पास पानी के निर्धारण के संबंध में एक नीति होगी। अब उनके पास निर्धारित पानी है जिसकी आवश्यकता नहीं है तथा निर्धारित पानी पर्याप्त है। इसलिए यह एक वास्तविक समस्या है।

मैं यहां एक बात का और जिक्र करना चाहता हूं। यह तटीय रोगों के अधिकारों के बारे में है। कुछ ऐसे भी बांध है जिनसे कभी भी नदियों का पानी बाहर नहीं आता है। बारहमासी नदियां नहीं होती है ऐसी नदियां जब कभी तेजी से न बह रही हो इस समय बांध बनाना ठीक रहता है। नदी के बहाव की ओर बने बांध तथा बेसिन गांवों को इससे फायदा होगा। श्री मशिंकर अय्यर कह रहे थे कि अपने पुराने समय में जब वे एक बच्चे थे तब वे बहते

हुए पानी को देखा करते थे। उस समय पानी नहीं था। यह एक बड़ी समस्या है। सही अर्थों में यह नदी के बहाव की समस्या है। किसी को तटीय क्षेत्रों के अधिकारों की समझ नहीं है। यह पहली बार है जब मैंने तटीय क्षेत्रों के अधिकारों की बात की लेकिन उनका कहना यह था कि उन्होंने इस बारे में विचार ही नहीं किया।

उनका कहना है कि वहां एक बांध है। उन्होंने एक कल्चरल कमांड एरिया (सी सी ए) बनाया है और वे इन नदियों के बेसिनों को पानी नहीं दे रहे हैं। अब इन नदियों के पानी पर किसका अधिकार है? क्या पहले बांध बना अथवा नदी पहले थी अथवा मूल गांव पहले आये? इस हद तक, सैकड़ों वर्षों तक सी सी ए तथा सिंचाई विभाग द्वारा बेसिन में उन गांवों के अधिकारों को अनदेखा किया गया। नदी के पानी को रोक दिया गया है। इसलिए तटीय क्षेत्रों के अधिकारों पर विचार करना आवश्यक हो गया। बाघ से नदी के स्रोत को जाने तथा नदी के बहाव की ओर जाने वाली समस्या को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी): सभापति महोदय, शुरुआत में इस सम्माननीय सभा में माननीय सदस्य श्री वैको द्वारा प्रस्तुत अन्तर्राज्य नदियों का राष्ट्रीयकरण विधेयक, 2000 पर चल रहे वाद-विवाद में माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त विचारों का समर्थन करता हूं। मैं इन सभी का पानी की इतनी महत्वपूर्ण समस्या की ओर ध्यान दिलाने के लिए पहल करने तथा दिलचस्पी रखने के लिए धन्यवाद देता हूं जो सम्माननीय सभा की नहीं बल्कि इस संपूर्ण देश की समस्या है। उन्होंने देश में अन्तर्राज्यीय समस्याओं का समाधान करने के लिए कदम उठाने का सुझाव दिया है। उन्होंने अन्तर्राज्यीय नदियों के राष्ट्रीयकरण की सिफारिश करते हुए इस विशेष अधिनियम अर्थात अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 के कार्यकरण के बारे में भी बताया है।

पानी एक नाजुक विषय है और संविधान की प्रविष्टि-17 के अनुसार यह राज्य सरकार की जिम्मेवारी है कि वह संघ-सूची-I की प्रविष्टि-56 के प्रावधान के अध्यधीन अपने-अपने प्रदेशों में जल संसाधनों का विकास करें। सूची-I अर्थात् संघ सूची) की प्रविष्टि-56 के अंतर्गत, केन्द्र सरकार के पास नदियों और नदी-घाटियों के नियमन और विकास की इतनी शक्ति होती है कि ऐसे विकास को लोक हित में संसद द्वारा पारित कानून के द्वारा केन्द्र के अधीन हुआ माना जाए।

इस प्रविष्टि के अनुसार, अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 बनाया गया था और अभी तक यह कानून लगा है। जैसा कि माननीय सदस्यों को पता है कि हमारे 80 प्रतिशत जल संसाधनों का योगदान अन्तर्राज्यीय नदियों द्वारा किया जाता है। नदी के राष्ट्रीयकरण तथा इन नदियों के विकास का जिम्मा संभालने में देश भर में केन्द्र सरकार की भूमिका की आवश्यकता होगी। पानी अत्यंत बहुमुल्य संसाधन है जो विकास और मानवीय जरूरतों से जुड़ी दिन प्रतिदिन की लगभग सभी गतिविधियों के लिए जरूरी है। इसलिए केन्द्र सरकार के लिए राज्यों के पूर्ण सहयोग और सहायता के बिना सफलतापूर्वक इस संसाधन का प्रबंधन करना असंभव होगा।

इसके अतिरिक्त, संविधान का स्वरूप एकात्मक है और इसकी प्रकृति संघीय है, जहाँ राज्य संविधान की राज्य-सूची एक में उल्लिखित अधिकारों का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं।

इसमें अंतिम उपाय के रूप में ही केन्द्र हस्तक्षेप कर सकता है। जैसाकि मैंने पहले कहा है कि यह राज्य सूची में उल्लिखित है और यदि केवल संबद्ध राज्य सहमत हो और जब तक वे पूर्ण सहयोग नहीं देते तब तक केन्द्र के लिए हस्तक्षेप करना और जो उन्हें पसन्द नहीं है, वह उन पर थोपना संभव नहीं है। अत:, वर्षों से केन्द्र सरकार संविधान बनने के पश्चात् हमारे द्वारा स्वीकृत व्यवस्था की कार्यप्रणाली से उत्पन्न हुए उन सभी विवादास्पद मुद्दों पर सर्वसम्मति बनाने पर अधिक जोर दे रही है।

महोदय, माननीय सदस्य के विधेयक प्रस्तावित करने का मुख्य कारण यह है कि राज्य सरकारें नदी जल के अपने हिस्से के लिए लड़ती हैं और बहुत से अंतर्राज्यीय जल विवाद निपटारे हेतु अधिकरणों में लंबित हैं, जिसमें निर्णय होने में बहुत समय लगता है। अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम संसद द्वारा संविधान के अनुच्छेद 262 के अंतर्गत बनाया गया था। यदि राज्य सरकारों के बीच केन्द्र सरकार के हस्तक्षेप से द्विपक्षीय समझौते के सभी प्रयास विफल हो जाएँ, तो इस अधिनियम में जल-विवाद को न्याय-निर्णयन हेतु किसी न्यायाधिकरण के पास भेजे जाने की व्यवस्था है। अत:, यह परंपरा रही है कि संबद्ध राज्यों में सहमति हो, तो केन्द्र राज्यों के बीच मध्यस्थता कर सकता है ताकि अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद की कोई विशेष समस्या सुलझाई जा सके। हालांकि कुछेक नदी-बेसिनों ये नदी जल के बंटवारे संबंधी समझौतों के अभाव का जल संसाधन विकास पर प्रभाव पड़ा है आपसी चर्चा और समझौता वार्ताएं आमतौर पर सफल रही हैं और संघ के राज्यों की सहमति से लगभग 130 अंतर्राज्यीय समझौते किये जा चुके हैं। अंतर्राज्यीय नदियों संबंधी कुछेक जल संसाधन परियोजनाएँ और पन विद्युत परियोजनाओं का कार्यान्वयन और प्रबंधन अंतर्राज्यीय समझौतों से बने अंतर्राज्यीय बोर्ड जैसे तुंगभद्रा बोर्ड, बेतवा नदी बोर्ड, भाखड़ा-व्यास प्रबंधन बोर्ड और वन सागर नियंत्रण बोर्ड द्वारा किया जा रहा है।

[श्री अर्जुन सेठी]

जैसा कि मेरे माननीय मित्र ने बताया था अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 के कुछेक प्रावधानों की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है। जैसाकि कि सरकारिया आयोग और अंतर्राज्यीय परिषद ने सिफारिश की है, अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 में संशोधन करके इन कमियों को दूर करने का प्रस्ताव है। किसी निर्धारित फार्मूले के अनुसार अंतर्राज्यीय जल का बंटवारा करना अत्यंत कठिन है क्योंकि यह बहुत से कारकों पर निर्भर करता है। जल संसाधन मंत्रालय कुछ समय से राज्यों में जल विभाजन संबंधी दिशा निर्देशों पर राज्यों में आपसी सहमति बनाने का प्रयास कर रहा है। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद् की 7.7.2000 को हुई चौथी बैठक में आवंटन संबंधी दिशानिर्देश रखे गये थे। तथापि, परिषद ने अन्य बातों के साथ-साथ केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री के नेतृत्व में गठित कार्यकारी समूह को थे।

सभी राज्यों के सौहार्दपूर्ण विचारों के लिए मसौदा-दिशानिर्देश सौंपने और परिषद की अगली बैठक में विचारार्थ एक सर्वसम्मत मसौदा लाने का निर्णय किया।

जहाँ तक अंतर्राज्यीय नदियों पर बनी परियोजनाओं से बिजली उत्पन्न करने के संघ सरकार के अधिकारों संबंधी प्रस्ताव का संबंध है, यह बताया गया है कि विद्युत पहले से ही संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत समवर्ती सूची में पहले से ही शामिल है। अवार्ड और अंतर्राज्यीय समझौतों द्वारा सुनिश्चित तटवर्ती राज्यों के अधिकारों में भेद किए बिना यह सुनिश्चित करने हेतु कि उपलब्ध पन विद्युत क्षमता का पूर्ण उपयोग हो, पन विद्युत विकास नीति, 1998 कोई रास्ता निकालने पर जोर देती है।

इन तथ्यों के मद्देनजर यह माना जाता है कि अनुसूची-एक की प्रविष्टि-56 के अंतर्गत जल संबंधी मौजूदा सांविधानिक प्रावधान संघ सरकार को संसद में उपयुक्त कानूनों का निर्माण करके अंतर्राज्यीय जल परियोजनाओं में प्रभावी और निर्णीत भूमिका अदा करने की समर्थ शक्ति प्रदान करता है और जैसाकि इस विधेयक में प्रस्तावित है सभी नदियों का राष्ट्रीयकरण करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

मैं इस बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ और यह सिफारिश करता हूँ कि माननीय सदस्यगणों ने न केवल इस गरिमापूर्ण सभा में इन समस्याओं पर चर्चा की हैं अपितु इस बात पर भी प्रकाश डाला है और यह समझने का प्रयास किया है कि इस प्रकार के विवाद जो वर्षों से चले आ रहे हैं, उनमें कितना अधिक समय और ऊर्जा नष्ट हो रही है।

जैसाकि मैंने पहले भी कहा है, हम स्थिति का सामना करने के लिए, अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 में संशोधन कर रहे हैं। इलेक्ट्रानिक मीडिया में भाषण देते समय माननीय प्रधान मंत्री ने राष्ट्र को संबोधित किया कि सरकार पानी को नहीं जाने देगी और सरकार नदी जल को स्वच्छ करने का प्रयास करेगी। अतः, संपूर्ण रूप से सरकार कर्त्तव्यनिष्ठ है और जल का समुचित उपयोग करने की इच्छुक है।

हम राज्यों के सामने आ रही समस्याओं से भी परिचित है। परतु जैसाकि मैंने कहा है और इलैक्ट्रानिक माध्यम से प्रधान मंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन के मद्देनजर, सरकार यथेच्छ प्रयास कर रही है। जैसाकि मैंने पहले कहा है, हम इस अधिनियम विशेष में भी संशोधन ला रहे हैं ताकि अंतर्राज्यीय नदी विवादों की यह समस्या संपूर्ण राष्ट्र के हितसाधन तत्काल सुलझाये जायें।

अनेक माननीय सदस्यों ने परियोजना विशेष और समस्याओं के बारे में बोला है। परंतु इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मेरे पास समय नहीं है। तथापि, जहाँ तक, मेरे मित्र श्री मणिशंकर अय्यर का संबंध है, कावेरी विवाद के बारे में मैं उनके प्रश्नों का जवाब देना चाहूँगा। मुझे सूचित किया गया है कि दिसम्बर, 1995 के अधिकरण का व्याख्यात्मक आदेश निम्नवत् व्यवस्था करता है:

> "किसी सप्ताह विशेष के दौरान आई कमी को परवर्ती सप्ताह में दूर किया जाना चाहिए। यह आवश्यक नहीं है कि उसे उसी माह विशेष में दूर किया जाये, जिसके दौरान वह उत्पन्न हुई हो। जब तक उस कमी को दूर नहीं किया जाता घाटा बढ़ता जायेगा। किसी वर्ष विशेष में कमी और अतिरेक को उस सत्र विशेष की समाप्ति से पूर्व समुचित रूप से पूरा किया जाना चाहिए।"

श्री मणिशंकर अय्यर: यह उस आदेश का भाग है जो मैंने आपको पढ़कर सुनाया है। मैं आपसे और आपके अधिकारियों से केवल इसके पहले का वाक्य देने के लिए कहता हूँ, मेरा कथन सिर्फ इतना ही है।

श्री वैको: वह उस निर्णय की जीवन रेखा है।

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा: जब तक आपके पास पर्याप्त जल नहीं होगा, तब तक आप कैसे देंगे। ऐसा कहना बिल्कुल ठीक है *...(व्यवधान)* हम तीनों तमिलनाडु से हैं। हमारे हितों की भी रक्षा किए जाने की जरूरत है। *...(व्यवधान)* सभापति निष्पक्ष है। उन्हें रोकिए मत *...(व्यवधान)*

श्री वैको: आपने भाषण नहीं सुना।

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा: दुर्भाग्य से मैं नहीं आ सकी क्योंकि मैं प्रैस-साक्षात्कार के लिए गयी हुई थी। परंतु मैंने संपूर्ण भाषण टेलीविजन पर सुना था।

श्री अर्जुन सेठी: हालांकि, यह एक पुरानी समस्या है ...*(व्यवधान)*

माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कावेरी नदी प्राधिकरण की स्थापना की गई है। समस्या को सुलझाने के लिए प्राधिकरण और निगरानी निकाय की नियमित चर्चा होती रहती है। मुझे विश्वास है कि यह शीर्षस्थ निकाय निकट भविष्य में कोई संतोषजनक समाधान निकालेगी।

इसके अतिरिक्त, मुझे बताया गया है कि यह मामला उच्चतम न्यायालय में भी लंबित है। जब तक न्यायालय इस विशेष विषय पर अंतिम निर्णय नहीं देता, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे लिए इसके विरुद्ध कुछ कहना बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं होगा।

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा: महोदय, उनके लिए वीरप्पन समस्या सुलझा रहा है. उन्हें अपना अच्छा प्रवक्ता मिल गया है।

सभापति महोदय: आपको अंतरिम निर्णय लागू करना है।

श्री मणिशंकर अय्यर: महोदय, कृपया एक स्पष्टीकरण दें। कावेरी न्यायाधिकरण को अभी अपना अंतिम निर्णय देना है। यह मामला उच्चतम न्यायालय में निलंबित है। उच्चतम न्यायालय में मामला अंतरिम निर्णय के बारे में है और यदि प्राधिकरण कार्यान्वयन सुनिश्चित नहीं कर सकता तो मेरे विचार से, हमें वापिस उच्चतम न्यायालय में जाना चाहिए और वहाँ श्रीमती आल्वा और मुझे अपना-अपना मामला लड़ना चाहिए। परंतु, इस समय यह निलंबित है और न्यायाधिकरण, जिसने अंतरिम निर्णय देने में 13 महीने लगाये, उसमें अंतिम निर्णय आने में आठ वर्ष लग गये। मैं माननीय मंत्री से इस सभा के माध्यम से अंतिम निर्णय करवाने के लिए न्यायाधिकरण जाने का अनुरोध करता हूँ। यह जो कुछ भी है, उसे हम स्वीकार करेंगे।

श्री वैको: श्रीमती आल्वा का कोई मामला नहीं है।

सभापति महोदय: तमिलनाडु ने मंत्री महोदय से उच्चतम न्यायालय में जाने और विधिक स्थिति से अवगत कराने का अनुरोध किया है।

...(व्यवधान)

श्री अर्जुन सेठी: जैसाकि मैंने कहा, यह एक पुराना मामला है और जैसाकि मेरे मित्र ने यहाँ बताया, यह न्यायाधिकरण और उच्चतम न्यायालय में अभी भी लंबित है। जब तक अंतिम निर्णय नहीं आ जाता, तब तक हमारे लिए कुछ भी कहना, जो इस निर्णय के विरुद्ध जाता हो, मुश्किल होगा। अत:, हमें कोई पूर्वधारणा नहीं बनानी चाहिए। मैं इस सभा को पहले ही आश्वासन दे चुका हूँ कि हम इसे अधिनियम विशेष को और अधिक कठोर और अर्थपूर्ण बनाने के लिए इसमें संशोधन करने जा रहे हैं। मैं पुन:, एक बार अपने विद्वान मित्र श्री वैको से यह विधेयक वापिस लेने का अनुरोध करते हैं। हमें कुछ अधिक समय दिया जाये ताकि राज्यों के हितार्थ और इस विवाद के अर्थपूर्ण निपटारे के लिए इस विशेष अधिनियम में संशोधन किया जा सके।

श्री वैको: सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं विभिन्न राजनीतिक दलों के संसद सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस विधेयक का समर्थन किया है। मात्र दो सदस्यों और माननीय मंत्री महोदय ने इस विधेयक का समर्थन नहीं किया है।

माननीय मंत्री महोदय ने भी भावनात्मक रूप से अपनी सहमति व्यक्त करते हुए हमारी चिन्ता का ध्यान रखने को कहा है। साथ ही मेरे मित्र श्री मणिशंकर अय्यर ने अपने शानदार भाषण में कावेरी नदी जल विवाद की अति गम्भीर समस्या को प्रखरता से रखा है। माननीय सदस्यों श्री सुदर्शन नाच्चीयपन, डा. नीतिश सेनगुप्ता, श्री खारबेल स्वाइं, प्रो. रासा सिंह रावत, श्री वरकला राधाकृष्णन, श्री सिमरनजीत सिंह मान, डा. सुशील कुमार इन्दौरा, श्री ए.सी. जोस, श्री पी.एच. पांडियन, श्री गिरधारी लाल भार्गव, श्री हरीभाऊ शंकर महाले और श्री विजेन्द्र पाल सिंह ने इस महत्वपूर्ण विधेयक पर सौद्देश्यपूर्ण चर्चा में अपना योगदान दिया है। जिसे इस वर्ष स्वयं मैने 5 मई को अंतर्राज्यीय नदियों के राष्ट्रीयकरण हेतु प्रस्तुत किया था।

श्री वरकला राधाकृष्णन ने इस पर अपना सख्त विरोध व्यक्त किया क्योंकि उन्होंने अपनी चिन्ता व्यक्त करते हुए आग्रह किया कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों को तमिलनाडु की ओर मोड़ा जाए क्योंकि उनमें बड़ी मात्रा में जल बहकर अरब सागर में गिरकर व्यर्थ चला जाता है।

अपराह्न 5.00 बजे

ताकि वे भी बिजली का लाभ उठा सकें। जल के नाम पर हम खाद्यान्न या वे जो कुछ भी चाहते हैं, दे सके। उन्होंने कड़ी आलोचना की। वे भावुक भी हो गए थे। कभी-कभी ऐसे मित्र भी जो सार्वभौमिक दृष्टि रखने का दावा करते हैं, ऐसा संकुचित दृष्टिकोण अपनाते हैं। वे मार्क्सवादी पार्टी के हमारे मित्र हैं। लेकिन, मैं अपने मित्र श्री ए.सी. जोस की प्रशंसा करता हूं। वे भी केरल से हैं लेकिन उन्होंने हमारे तर्क का समर्थन करते हुए माना कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का सदुपयोग किया जा सकता है।

महोदय, सभा में इस विधेयक को पेश करने का मेरा उद्देश्य स्पष्ट है। अन्तर्राज्यीय नदियों पर केन्द्र सरकार का निर्विवाद अधिकार

[श्री वैको]

होना चाहिए और इसे जल आवंटन के पूर्व निर्धारित सूत्र के अनुसार नदियों के जल का बंटवारा करना चाहिए। इससे संबंधित राज्यों के हितों का प्रभावित किए बिना विभिन्न राज्यों के बीच जल का बंटवारा करने में ही नहीं अपितु उपलब्ध संसाधनों का उचित उपयोग करने में भी सहायता मिलेगी।

महोदय, बीते कल मैंने विस्तार से बोला था। जब मेरे मित्र श्री मणिशंकर अय्यर ने मेरे इस विधेयक की प्रशंसा की थी तो उन्होंने सुझाव दिया था कि इस विधेयक का उद्देश्य कावेरी नदी जल विवाद पर प्रकाश डालना है। हालांकि, यह भी एक कारण है लेकिन यह एकमात्र कारण नहीं है। हमने हाल ही में हिमाचल प्रदेश में हुई खराब स्थिति देखी है। बाढ़ में अमूल्य जीवन की आहूति चढ़ती है। भारत में, हम प्रकृति के प्रकोप को देखते हैं जब विनाशकारी बाढ़ समूचे गाँव और फसल को नष्ट कर देती है। साथ ही, देश के कुछ हिस्सों में लोग सूखे की विभीषिका झेल रहे हैं। मुझे एक कवि की एक पंक्ति याद आती है:

''वाटर वाटर एव्री व्हेयर बट नॉट ए ड्रॉप टू ड्रिंक''

यद्यपि आज माननीय मंत्री महोदय सहमत नहीं हैं लेकिन एकदिन सभी अन्तर्राज्यीय नदियों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। मेरे चक्षु देश की भावी परिदृश्य को भली भांति देख रहे हैं। भारत विश्व में एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरेगा। दुनिया के किसी अन्य देश की तुलना में यहां विपुल संसाधन हैं। इन विपुल संसाधनों का राष्ट्र और राष्ट्र के 100 करोड़ लोगों के लिए दोहन किया जाना चाहिए। इस प्रयोजनार्थ, एक दिन आना चाहिए, एक दिन अवश्य आएगा जब स्वयं सरकार, जैसा कि मेरे मित्र ने सुझाव दिया है, एक कानून बनाएगी ताकि सभी अन्तर्राज्यीय नदियों का राष्ट्रीयकरण किया जा सके।

महोदय, हम राष्ट्र की एकता के बारे में बातें कर रहे हैं। तब हम अंग्रेजों से लड़ रहे थे। सभापति महोदय, मैं उस स्थान से संबंध रखता हूँ जहाँ से आप भी संबंधित हैं। यह देश का सबसे दक्षिण का भाग है और प्रखर कवि सुब्रमणियम भारती भी यहीं से संबंध रखते थे। उनकी कविताएं ज्वालामुखी के विस्फोट की तरह थीं। श्री सुब्रमणियम भारती का एक सपना था:

''गनगई नधी पुराथु, कोथूभई पनडम कवेरीन वेन्नीलाइक्कू मारू कीझूवीर''

ताकि कावेरी 'बेसिन' के लोग पान के बदले गंगा के मैदानों से गेहूं का आदान-प्रदान कर सकें।

यह उनका सपना था। अत: इस उद्देश्य के लिए, डा. के. एल. राव जो 1960 की दशक में एक प्रख्यात इंजीनियर मंत्री थे, ने गंगा को कावेरी से जोड़ने के लिए एक तरीका विकसित किया था। लेकिन इसे छोड़ दिया गया था क्योंकि इस परियोजना पर बहुत अधिक व्यय होना था और विंध्य से आगे बिजली ले जाना व्यावहारिक रूप से सम्भव नहीं था।

तदुपरान्त, सरकार ने दो संघटकों में नदी जल के लिए एक राष्ट्रीय संदर्श विकसित किया, जैसाकि पूर्व में बताया गया है, हिमालयी नदी जल कार्यक्रम और प्रायद्वीपीय नदी जल कार्यक्रम। प्रायद्वीपीय नदी जल कार्यक्रम के अनुसार नर्मदा और महानदी के जल को तामरापसी से आगे तक ले जाया जा सकता था।

कावेरी नदी जल विवाद के संबंध में, हम किसी राज्य से कोई विशेषाधिकार की मांग नहीं कर रहे हैं। असल में, हम लोग सदियों से, हजारों वर्षों से अपना हक माँग रहे हैं। दुनिया भर में नदी जल विवादों यथा सूडान और मिस्र में नाइल, यूरोप में राइन और मैक्सिको और कनाडा में नदियों के विवाद के संबंध में चार मुख्य सिद्धांत रहे हैं। विवाद भी रहे हैं और उनका समाधान भी हुआ है और उनके समाधान सौहार्दपूर्ण ढंग से निकाले गए हैं।

चार सिद्धांत रहे हैं। एक हारमोन सिद्धांत है। इसे हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं और दूसरा सिद्धांत प्राकृतिक रूप से जल बहने का सिद्धांत है और इसे भी अनेक लोगों ने स्वीकार नहीं किया। तीसरा सिद्धांत उचित विनियोजन का सिद्धांत है और अंतिम सिद्धांत समुदाय के हित का सिद्धांत है और हैलिन्सकी नियमों के अनुसार दुनिया भर में इस सिद्धांत को स्वीकार किया गया है।

अतएव, अन्तर्राज्यीय नदियों के विवादों का सौहार्दपूर्ण समाधान निकालने के लिए, देश हित में और देश के सभी नागरिकों के हित में इन सभी नदियों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए और यही उद्देश्य है।

जहां तक कावेरी नदी जल विवाद का संबंध है, तो मेरे माननीय मित्र का यह सुझाव एकदम सही है कि तमिलनाडु को 100 टीएमसी फुट पानी मिलना चाहिए। अन्तरिम अवार्ड निर्णय में 205 टी.एम.सी. का सुझाव दिया गया था। जब अंतरिम अवार्ड आया था तो कर्नाटक सरकार ने राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश जारी करवा दिया था। मैं यहां पर किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहता हूँ। लेकिन, इस मसले को उच्चतम न्यायालय में ले जाया गया था तो उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट रूप से यह कहा कि यह अध्यादेश संविधान और अधिनियम की भावना के विरुद्ध हैं।

अत: नदीतटीय राज्य का यह कर्त्तव्य है कि वह इस संबंध में बनाए गए सूत्र के अनुसार सप्ताहवार और माहवार 205 टी.एम.सी. जल छोड़े। यह सिद्धांत है और तूफान के समय, जब इन्द्र देवता कृपालु होता है और भारी वर्षा होती है तो उनके पास स्वयं को

बचाने के लिए पानी छोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है। यही उन्होंने बताया है।

अतएव, चर्चा शुरू करने का उद्देश्य स्पष्ट है। ज्यादातर सदस्यों ने इसका समर्थन किया है।

मेरे मित्र, श्री सिमरनजीत सिंह मान की पंजाब और हरियाणा के बीच नदी जल विवाद के संबंध में अपनी उचित आशंकाएं हैं।

मैं आशान्वित हूं और मुझे विश्वास है कि विभिन्न राजनीतिक दलों के माननीय सदस्यों ने इस विधेयक का समर्थन किया है। सरकार को भी सभी अन्तर्राज्यीय नदियों के राष्ट्रीयकरण के लिए एक विधान लाना चाहिए।

एक बार पुन: मैं सभी सदस्यों को उनके मूल्यवान सुझावों के लिए धन्यवाद देता हूँ।

सभापति महोदय: आप अपने विधान के समर्थन के लिए सरकार से आग्रह करें।

श्री वैको: महोदय, यह प्रथम कदम है। कमोवेश सभी सदस्यों ने इस विधेयक का समर्थन किया है। मैं इस बिन्दु पर सरकार को परेशानी में नहीं डालना चाहता हूँ क्योंकि पंजाब जैसे कुछ राज्यों को इस संबंध में गम्भीर आशंकाएं और चिन्ता है। अत:, मैं कुछ लोगों के मस्तिष्क में कोई सन्देह पैदा नहीं करना चाहता हूँ लेकिन आने वाले वर्षों में एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जब वे लोग भी इसे स्वीकार करेंगे। मुझे आशा-विश्वास है कि एक दिन सरकार और यह संसद इस विधेयक-अन्तर्राज्यीय नदी राष्ट्रीयकरण विधेयक को पारित करेंगी।

अत: मैं इस चर्चा में भाग लेने वाले सभी सदस्यों को पुन: धन्यवाद देते हुए इस विधेयक को वापस लेता हूँ ...*(व्यवधान)*

मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राज्यों के बीच नदियों के जल का न्यायोचित बंटवारा करने और तत्संबंधी मामलों अथवा आनुषांगिक मामलों संबंधी अंतर्राज्यीय नदियां राष्ट्रीयकरण विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि राज्यों के बीच नदियों के जल का न्यायोचित बंटवारा करने और तत्संबंधी अथवा आनुषंगिक मामलों को वापस लेने के उद्देश्य से अन्तर्राज्यीय नदियां राष्ट्रीयकरण विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाएं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री वैको: मैं विधेयक को वापस लेता हूँ।

अपराह्न 5.11 बजे

(ग्यारह) पिछड़ा क्षेत्र विकास बोर्ड विधेयक–*विचाराधीन*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब हम मद संख्या 14 लेंगे।

श्री सुबोध मोहिते, आप अपराह्न 5.30 बजे से चर्चा प्रारंभ कर सकते हैं। इसके बाद आधे घंटे की चर्चा प्रारंभ की जाएगी।

श्री सुबोध मोहिते (रामटेक): मैं प्रस्ताव* करता हूँ:

"कि देश के आर्थिक रूप से पिछड़े सभी क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए स्वायत्त बोर्ड की स्थापना का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

[हिन्दी]

सभापति जी, सबसे पहले मैं माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं और खास तौर पर आपको भी धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

जब रीवर का बिल चल रहा था तो उस वक्त मेरा बिल भी आना चाहिए, इसके लिए मैंने इंटरप्शन किया, उसके लिए मुझे बहुत खेद है लेकिन मेरे दिल में एक शंका थी कि मुझे जस्टिस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आपने इस बिल को कन्सीडर करके डिस्कशन की जो अपोर्चुनिटी दी है, उसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ।

बैकवर्ड एरिया डवलपमेंट बोर्ड बिल के अपने आप में एक मायने हैं। इस बिल का एक विशेष महत्व है। यह बिल पूरे हिन्दुस्तान के लिए एक अलग इम्पोर्टेंस रखता है। जिस हिन्दुस्तान देश में हम रहते हैं, इस देश का नाम पूरे वर्ल्ड में हैं। हिन्दुस्तान की जो परम्परा है, उसको देखते हुए हिन्दुस्तान को पूरे वर्ल्ड में अलग नाम से जाना जाता है। यहां की जो संस्कृति है, यह विभिन्न संस्कृतियों से भरा हुआ देश है और हम देखते हैं कि हर संस्कृति का हजारों साल का इतिहास इस 100 करोड़ की आबादी के देश में है। इसका इतिहास में शार्ट में बताना चाहूंगा। मुझे अपने देश पर गर्व है कि हिन्दुस्तान जैसे देश में मैंने जन्म लिया है। जैसा विलास मुत्तेमवार साहब ने बताया कि इस देश का एक इतिहास है। खास तौर से मैं इस शब्द के ऊपर गौर करना चाहूंगा कि विश्व में हिन्दुस्तान एक ही देश है, जिसके पास बहुत बड़ा इतिहास है। इसी देश में भगवान श्रीकृष्ण ने जन्म लिया, प्रभु रामचन्द्र जी ने इसी देश में जन्म लिया।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरस्थापित।

[श्री सुबोध मोहिते]

अपराह्न 5.15 बजे

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

मुत्तेमवार जी के एक-एक शब्द से मैं सहमत हूं। मुझे इस बात की खुशी है कि मेरा जो संसदीय क्षेत्र है, वह रामटेक है, जो प्रभु राम के नाम से जाना जाता है।

श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर): राम वहां आए थे।

श्री सुबोध मोहिते: मैं स्वयं राम का फालोअर हूं। मुझे राम भक्त के नाम से जाना जाता है। मैं खुद को राम का भक्त समझता हूं तो काम भी वैसा होना चाहिए। इसलिए श्री राम जैसा काम करने के लिए मैं यह बिल खास तौर पर यहां लाया हूं। इसका आप सब समर्थन करेंगे, इस आशा के साथ मैं अपनी बात की शुरुआत करता हूं।

रामराज्य में, प्रभु जब राज करते थे तो राजा से ज्यादा प्रजा श्रेष्ठ थी। राजा का स्थान दूसरा था और प्रजा का उससे ऊपर था। मैंने पहले भी बताया कि हिन्दुस्तान विविध जातियों और धर्मों का देश है। जब-जब देश पर कोई आपत्ति आती है, तो हम सब भाईचारे के नाते अपने-अपने धर्म और जाति भूल जाते हैं और देश पर आए संकट का मुकाबला करने के लिए एक हो जाते हैं। कारगिल का उदाहरण हमारी आंखों के सामने अभी भी है। हम तब देखते थे कि हमारे जवान लड़ रहे हैं, वे यह नहीं सोचते थे कि मैं किस धर्म का हू या जाति का हूं और किसलिए लड़ रहा हूं। हम सब दूरदर्शन पर उनके इंटरव्यू देखते थे, वे कहते थे कि हम देश को बचाने के लिए लड़ रहे हैं।

हिन्दुस्तान को आजाद करने के लिए हमारे पूर्वजों ने अपना खून बहाया है। लाखों-करोड़ों लाशें इस धरती पर गिरीं। कई लोगों ने लाठियां खाईं, कई लोग मौत के मुंह में चले गए इसलिए कि हमारा देश आजाद हो जाए। हमारे पूर्वजों ने अपनी जानें गंवाई। उन्होंने एक सपना देखा था कि हम गुलामी में हैं, लेकिन हम गुलामी से जब आजादी में चले जायेंगे तो हमारे बाल-बच्चे सुखी हो जाएंगे। हमारो जान जाए तो जाए, लेकिन हमारी आने वाली जो पीढ़ी है, वह एक अच्छे सपने के साथ जीएगी। इस आशा में उन लोगों ने अपनी जान गंवाई। उन्होंने सपना देखा, लेकिन जैसा कि कहते हैं सपना ही होता है। आजादी मिली, 10, 20, 40 और अब 53 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन उनका सपना, सपना ही रह गया। उनका दुख, दुख ही रह गया, जो सुख वे चाहते थे, वह नहीं मिला। गरीब गरीब ही रहा और अमीर और अमीर बनता चला गया। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि जब देश आजाद हुआ, तब जो सबसे पहला नेशनल एजेंडा था, मैं 1948 की बात कर रहा हूं, उसमें नेशनल आब्जेक्टिव रखा गया था कि राष्ट्रीय स्तर पर इकोनॉमिक डिसपैरिटी है, उसको खत्म किया जाएगा। इसके लिए एक कमेटी बनाई गई। इस कमेटी के चेयरमैन प्रिंसीपल एडीशन सेक्रेटरी, प्लानिंग, को बनाया गया था। उन्होंने अपनी रिपोर्ट 6 फरवरी, 1977 को दी। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में देश के 100 जिलों को चिन्हित किया कि ये ऐसे जिले हैं, जिनमें सबसे ज्यादा पिछड़ापन है। उन्होंने जो रिकमेंडेशंस दीं, उस पर स्पेशल एक्शन प्लान भी पेपर के ऊपर तैयार किया गया। लेकिन बहुत दुखी कब से मुझे यह कहना पड़ रहा है कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वह कमेटी कहां गई, पता नहीं, उसकी रिपोर्ट कहां गई, पता नहीं, उसकी सिफारिशों का क्या हुआ, यह भी पता नहीं। यह जो बिल पेश किया गया है, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में जो सबसे पिछड़े क्षेत्र हैं, उनके लिए स्पेशल एक्शन प्लान केन्द्र सरकार की तरफ से बनाए जाने की बात है। बाकी सांसद अपने-अपने क्षेत्रों की तरफ से बोलेंगे।

लेकिन मैं जिस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं, वह महाराष्ट्र के विदर्भ एरिया से है और विदर्भ एरिया के भी रामटेक क्षेत्र से है। मैंने जब से होश संभाला है, बीस साल से देख रहा हूं, राजनीति के एक-एक स्टैप को देख रहा हूं। राजनेता सफेद कपड़े पहनकर आते हैं और कहते हैं कि हमें विकास करना है, हम विकास कर देंगे, भाषण देते हैं। मैं इसीलिए सफेद कपड़े नहीं पहनता हूं। सबसे पहले कहते हैं कि विकास कर देंगे, आप चिंता मत करिए। रामटेक क्षेत्र में माननीय नरसिंहराव जी जो बाद में प्रधान मंत्री बन गए थे, वह वहां आए। वह हमारे प्रभुराम के मंदिर भी गये और जनता के सामने बोला कि मैं नरसिंह राव जी आंध्र प्रदेश से भले ही हूं लेकिन आप मुझे चुनकर लाएं, मैं रामटेक क्षेत्र का पूरा विकास कर दूंगा। जिस आदमी ने प्रभु राम की सौगंध खाई, रामटेक के भोले-भाले लोग थे, उन्होंने विश्वास कर लिया। उनको लगा कि प्रभु रामचन्द्र की कसम खाई है, हमें धोखा नहीं हो सकता। वह चुनकर आ गये और चुनकर आने के बाद लोग ढूंढने लगे कि कहां गये। वह तो प्राइम मिनिस्टर बन गये। प्रभु रामचन्द्र की कसम जगह पर रह गई। नरसिंह राव जी प्रधान मंत्री बन गये। विकास का सपना जगह पर ही रह गया। लोग बेचारे आंसू बहाते रह गये। मैं खास तौर पर बोलना चाहता हूं कि बीस साल से विकास के नाम पर राजनीति सिर्फ चर्चा, चर्चा और चर्चा हो गई है। मैं समझता हूं कि सदन में इस चर्चा के विषय को पूर्ण विराम देने की जरूरत है और ठोस कदम उठाने की जरूरत है।

जैसा हिन्दुस्तान का इतिहास है, उसी प्रकार महाराष्ट्र का भी जीबोगरीब इतिहास है। देश जब से स्वतंत्र हुआ, रामदास आठवले वहां के जाने-माने नेता हैं और पहले कांग्रेस के नेता थे और ो एन.सी.पी. में हैं। पहले नेशनेलाइट नेता थे, अब नेशनल ्रेस में हैं। आजादी के बाद 1960 में जब एक सवाल आया महाराष्ट्र क्या है। उस टाइम काफी चर्चाएं हुई हैं और बताया महाराष्ट्र को अलग बना देंगे। उसके बाद झगड़ा चला कि र्भ कहां जाएगा? उस समय सखा पाटिल जी वहां के केन्द्रीय ी जो थे। उन्होंने बोला कि विदर्भ को हम मध्य प्रदेश में डाल और गुजरात और बम्बई को करैक्ट कर देंगे। मोरारजी देसाई यह कांसेप्ट दिया था कि गुजरात और बम्बई को जोड़कर एक राष्ट्र बनाएंगे लेकिन मैं गर्व के साथ कहता हूं कि हम जिन्हें ावान समझते हैं, हमारे बाला साहिब ठाकरे जी के पिताजी ्दत्त ठाकरे जी ने सबसे पहले यह बात रखी कि विदर्भ को य प्रदेश से नहीं जोड़ेंगे बल्कि महाराष्ट्र से जोड़ा जाएगा। उस मय बाला साहेब ठाकरे जी छोटे थे। इस पर हल्ला चालू हो ा, झगड़ा चालू हो गया, रक्तपात, खून-खराबा चालू हो गया, ठीचार्ज चालू हो गया। उसमें 105 लोग मर गये। 105 लोग ने के बाद 1960 में संयुक्त महाराष्ट्र फॉर्म हो गया और संयुक्त हाराष्ट्र जब फॉर्म हुआ तब महाराष्ट्र की जनता के साथ एक दा किया गया। यह वादा यह था कि हम महाराष्ट्र को पूरा जलाम सुफलाम कर देंगे लेकिन जिस वादे के साथ 1960 में युक्त महाराष्ट्र बनाया गया, काश! वह वायदा सच हो जाता और विधेयक लाने की सदन में जरूरत नहीं पड़ती। मैं यहां पर क बात कहना चाहता हूं। जब संयुक्त महाराष्ट्र की मूवमेंट शुरू ई थी, उस समय बालासाहेब ठाकरे छोटे थे, लेकिन वे उसी चार को लेकर, उसी कन्सैप्ट को लेकर आज तक अपनी मिका निभा रहे हैं। उन्होंने बताया, जिस तरह से महाराष्ट्र को ड़ा है, जिस तरह से विदर्भ को जोड़ा है, उसमें 105 लोगों की ानें गई हैं, इसलिए फिर विदर्भ को तोड़कर लोगों की जानें नहीं लेना चाहते हैं, खून-खराबा नहीं करना चाहते हैं। विदर्भ के सवाल पर हमें एनालेसैस करना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। यहां एक बात जरूर कहना चाहता हूं, हमारे दोस्त जो उधर हैं, मैं उनसे माफी मांगता हूं और मैं जो भी बात कहूंगा, वह कहूंगा। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता हूं। पांच ल पीछे के इतिहास को देखें, तो 45 सालों में उस क्षेत्र का ास नहीं हुआ। उस क्षेत्र का विकास न होने में जो सबसे ी बात सामने आई, वह यह थी कि राज्य सरकार को फन्ड्स समानान्तर वितरण नहीं हुआ। मैंने प्रश्न किया-यह डिस्ट्रिब्यूशन सके हाथ में है? जवाब आया-यह राज्य सरकार के हाथ में है। फिर प्रश्न किया-सरकार किसकी था? इसका जवाब रामदास ठवले जी देंगे-कांग्रेस की। 45 साल धनराशि के असमान वितरण वजह से विदर्भ पिछड़ा रहा है। कांग्रेस की सरकार या किसी भी सरकार ने इस विषय को गम्भीरता से नहीं लिया। गम्भीरता से नहीं लेने के कारण ही वह क्षेत्र धीरे-धीरे पिछड़ता गया। 1960 के बाद 1982 में, 22 सालों के बाद, एक नेता को लगा कि इनके साथ अन्याय हुआ है। ज्यादा अन्याय होने पर लोग मर जायेंगे। इसलिए उन्होंने दांडेकर समिति का गठन किया और उसको यह जिम्मेदारी दी कि पता लगाया जाए कि उस क्षेत्र के साथ कितना अन्याय किया गया है, क्योंकि उनको विकास के लिए पैसा नहीं दिया गया। दांडेकर समिति की रिपोर्ट 1984 में आई। उस रिपोर्ट के आने के बाद बम्ब ब्लास्ट हो गया। उस रिपोर्ट में बताया गया कि 37.32 प्रतिशत यानि एक-तिहाई से भी ज्यादा, अन्याय किया गया है। 1984 में रिपोर्ट आने के बाद निर्णय हुआ कि टोटल बजट का 85 फीसदी ऐसे क्षेत्रों को दिया जाएगा, जहां बैकलाग ज्यादा है और 15 प्रतिशत अन्य क्षेत्रों को दिया जाएगा। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने इस का उल्टा कर दिया। 85 प्रतिशत राशि अन्य क्षेत्रों को दी और 15 प्रतिशत राशि बैकलाग क्षेत्रों को दी। इस प्रकार बैकलाग बढ़ता गया और हम विकास की बात करते रहे। फिर महाराष्ट्र के निर्माण के बाद यशवन्तराव चव्हाण जी उस प्रदेश के मुख्य मंत्री बने। उन्होंने कहा-मैं मुख्यमंत्री बन गया हूं और मैं आप लोगों के साथ एक वायदा करना चाहता हूं।

उन्होंने कहा कि मैं एक एग्रीमेंट करता हूं और उन्होंने विदर्भ के लोगों के साथ नागपुर एग्रीमेंट कर लिया। इसें डिसाइड किया गया कि संविधान की धारा 371(2) के अंतर्गत विदर्भ क्षेत्र के लिए वैधानिक विकास मंडल बनाया जायेगा।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदयः श्री सुबोध मोहिते, आप अगली बार जारी रख सकते हैं।

अपराह्न 5.31 बजे

आधे घंटे की चर्चा

निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाएं

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदयः अब हम आधे घंटे की चर्चा प्रारम्भ करेंगे। श्री नरेश पुगलिया बोलें।

[हिन्दी]

श्री नरेश पुगलिया (चन्द्रपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दो अगस्त को एक महत्वपूर्ण प्रश्न 143 आया था। जिसमें कहा गया

[श्री नरेश पुगलिया]

कि पूरे देश में हमारे जो ऑन-गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, जो छठे, सातवें और आठवें प्लॉन में थे वे इनकम्प्लीट रहे। उस प्रश्न पर बहुत सारे सदस्य मंत्री महोदय से प्रश्न पूछना चाहते थे, अपने विचार रखना चाहते थे। इस पर माननीय अध्यक्ष जी ने इसके ऊपर आधे घंटे की चर्चा का ऐलान किया। इस पर आज आपने मुझे बोलने का जो मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं महाराष्ट्र से आता हूं और महाराष्ट्र देश का एक विकसित राज्य है जिसने कृषि, शिक्षा, उद्योग और हर प्रकार के क्षेत्र में काफी प्रगति की है। लेकिन जिस प्रकार से मंत्री जी ने दो अगस्त को अपने उत्तर में कहा था कि बड़े और मध्यम दर्जे के सिंचाई प्रोजेक्ट्स जो देश के 22 राज्यों में अधूरे हैं या ऑन-गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं। उन 162 बड़े सिंचाई प्रोजेक्ट्स में 36 महाराष्ट्र में हैं। देश में जो 240 मीडियम सिंचाई प्रोजेक्ट्स हैं जो ऑन गोइंग हैं या इन्कम्प्लीट हैं या जिनका काम चालू नहीं हुआ है उनमें से महाराष्ट्र के अंदर 66 प्रोजेक्ट्स हैं। इस तरह से अगर अन्याय होता है तो महाराष्ट्र के साथ ही होता है। महाराष्ट्र के बारे में, सिंचाई के संबंध में हमारी जो पॉलिसी है उसके बारे में हमारा यह कहना है कि देश की 70 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और खेती ही उसका आधार है और खेती ही किसान का साथ देती है। पश्चिमी महाराष्ट्र में 70-80 प्रतिशत इरिगेशन है, वहां शुगरकेन, अंगूर, अनार, होर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, और एग्रीकल्चर होता है। लेकिन उसी राज्य में दूसरी तरफ मराठवाड़ा, कोंकण और विदर्भ है, जहां बड़ी मात्रा में फॉरेस्ट और मिनरल्स हैं लेकिन वहां सिंचाई का प्रतिशत केवल 11 है। एक ही राज्य में एक रीजन में सिंचाई का प्रतिशत 10-11 है और दूसरे रीजन में सिंचाई का प्रतिशत 60-70 है। देश में कई राज्यों में ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बलशाली नेता अपने क्षेत्र में बड़ी मात्रा में धन लाए, प्रोजेक्ट लाए। अभी हमारे एक माननीय साथी मोहिते जी विदर्भ विकास के मामले में एक बिल लाए थे। चाहे तेलंगाना रहा, विदर्भ रहा या बोडोलैंड रहा, जो भी पिछड़ा रहा, वहां बंदूक उठाने पर लोग मजबूर हो रहे हैं। लोकतंत्र के अंदर जब लोगों की बात मानी नहीं जाती है तो बंदूक उठाने वाले पैदा हो जाते हैं। हम लोग तो लोकतंत्र को मानते हैं।

कुछ लोग लोकतंत्र को नहीं मानते और मजबूरी में हाथ में बंदूक उठाकर सरकार से न्याय मांगने की कोशिश करते हैं। क्या आप देश में इस प्रकार की प्रणाली विकसित करना चाहते हैं? क्या आप लोगों को बंदूक उठाने के लिए मजबूर करना चाहते हैं? आज महाराष्ट्र में 36 मेजर प्रोजैक्ट्स अपूर्ण हैं। श्री मुत्तेमवार जी यहां बैठे हुये हैं। वे पहले चिमूर से सांसद थे। इन्होंने 1986 में एक बहुत बड़ा प्रोजैक्ट गोसीखुर्द में मंजूर करवाया था। उस समय इस प्रोजैक्ट की कीमत 450 करोड़ रुपये थी। उस प्रोजैक्ट का काम बड़ी तेजी से चल रहा है और उम्मीद है कि आने वाले एक दो सालों में वह डैम पूरा होने वाला है। उसका एक चैनल मेरे जिले चन्द्रपुर में आता है। इस चैनल से मेरे जिले की एक लाख 50 हजार हैक्टेयर जमीन को पानी मिलने वाला है और 8 ताल्लुकों को लाभ मिलेगा। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि जिन लोगों ने जंगलात को बचाया, उन्हें इनाम देने के बजाय फारेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के तहत सजा दी जा रही है। चन्द्रपुर में 40 प्रतिशत से ऊपर जंगलात हैं और साथ लगे जिले गढ़चिरौली में 77 प्रतिशत से ऊपर जंगलात हैं। इस प्रकार नागपुर डिवीजन में 20 लाख हेक्टेयर जमीन में जंगलात हैं। आज नागपुर डिवीजन में 106 मेजर और मिडिल प्रोजैक्ट फारेस्ट क्लीयरेंस के कारण रुके हुये हैं। आप चर्चा के माध्यम से इरीगेशन के प्रोजैक्ट की बात तो करते हैं लेकिन फारेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के तहत कई प्रोजैक्ट रुके हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, आज देश के पांच राज्यों-आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और महाराष्ट्र में नक्सलवादी गतिविधियां बड़े जोरों पर चल रही हैं। इसके पीछे फारेस्ट डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी हैं। जहां 33 प्रतिशत से ज्यादा जमीन पर जंगलात हैं, वहां आपमें और फारेस्ट डिपार्टमेंट में कोई कोआर्डिनेशन नहीं है। यहां ठाकुर साहब बैठे हुये हैं जिनके पास पहले इरीगेशन विभाग था। मैं जानना चाहता हूं कि केवल आदिवासी इलाकों में नक्सलवादी गतिविधियां क्यों चल रही हैं? इसका कारण यह है कि यह अनडेवलप्ड ऐरिया है। यदि आप चन्द्रपुर और गढ़चिरौली जिलों के गांवों में जाकर देखेंगे तो पायेंगे कि लोगों के पास एक-दो किलो चावल, थोड़ा नमक और एक किरोसिन आयल से जलने वाले दीया होगा। इसके अलावा उन लोगों के पास कुछ नहीं। ऐसी हालत में यदि वे बंदूक उठाते हैं तो इसके लिए कौन दोषी है? हम और आप सब लोग दोषी हैं या उस राज्य या केन्द्र की सरकार है, वह दोषी है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि फारेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में जो नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र हैं और जहां आपके प्रोजैक्ट्स रुके हुये हैं, आप डिपार्टमेंट से बात करिये। यह देखा गया है कि जिन जिलों में 33 प्रतिशत से ऊपर जंगलात हैं, वहां 18-18 साल से प्रोजैक्ट्स रुके पड़े हैं। वहां एक डैम का फाउंडेशन स्व. राजीव गांधी ने रखा था और वह डैम पूरा होने वाला है। लेकिन वह रोक दिया गया। हम लोग मजबूरी में उसे स्टैंडिंग कमेटी आन फारेस्ट एंड एनवायरमेंट के अंदर ले गये। उसके बाद कमेटी ने स्पाट डिसीजन लिया और इस प्रोजैक्ट को क्लीयर करवाया। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस प्रोजैक्ट को पूरा करावें।

उपाध्यक्ष महोदय, स्टेट में प्रोजैक्ट का 30 प्रतिशत हिस्सा सैंटर से मिलता है लेकिन नवीं प्लान में यह घटकर 14.5 प्रतिशत मिल रहा है। ग्रामीण जनसंख्या 70 प्रतिशत है जो कृषि पर निर्भर करती है लेकिन बजट कम दिया जा रहा है। इस कारण ग्रामीण

क्षेत्रों की जनता शहरों की ओर भाग रही है और शहरों में कोई होटल में नौकरी कर रहा है, कोई दुकान के अंदर काम कर रहा है, कोई पान ठेला लगा रहा है और वे यह धंधा करना पसंद करते हैं। गांवों में कोई काम नहीं है। वे लोग बैकवर्ड एरिया से आते हैं। मंत्री जी भी बैकवर्ड एरिया से आते हैं और वे जानते हैं कि उड़ीसा में नक्सलवादी गतिविधियों की समस्या है। इसी तरह वहां पर सिंचाई की भी प्राब्लम है। मेरी मंत्री जी से अपील है कि इन सभी चीजों को देखते हुए जिस प्रकार आपने प्राइवेटाइजेशन में इरीगेशन डिपार्टमेंट को मंजूरी दी है,

महाराष्ट्र में भी दो बड़े प्रोजेक्ट्स में कृष्णा वैली प्रोजेक्ट कई लाख हैक्टेयर जमीन को पानी देने वाली प्रोजेक्ट है। यह आपकी कारपोरेशन में चल रहा है। दूसरी सरदार सरोवर गुजरात की प्रोजेक्ट है, नर्मदा निगम बनाकर जिसका काम चल रहा है। तीसरी कर्नाटक की प्रोजेक्ट है, जय भाग्य निगम बनाकर उसका काम चल रहा है और अभी विदर्भ डेवलपमेंट इरीगेशन कारपोरेशन बनाकर विदर्भ में भी बड़े प्रोजेक्ट्स लेने की मुहिम शुरू हुई है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के इरीगेशन सैक्टर का जो महत्व कम हो चुका है, जब तक आप उसे दोबारा इस्टाब्लिश नहीं करेंगे, ग्रामीण जनता और खासकर किसानों को न्याय नहीं देंगे, तब तक आप भले ही रूलिंग पार्टी में रहे और हम अपोजीशन में रहे, आप उस बैंच पर बैठे या यहां बैठे, कुछ नहीं होने वाला है। इस संसद में हमारे 70 प्रतिशत प्रतिनिधि चुनकर आते हैं, उनका रूरल बेस होता है, वे किसान हैं। मैं खुद भी एक किसान हूं। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जब हम कांस्टीटुएंसी में रहते हैं तो एक बात कहते हैं। लेकिन पार्लियामैंट में आकर दूसरी बात करते हैं और मिनिस्ट्री में जाने के बाद सब भूल जाते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: आप एक सवाल पूछिए। आपने इतना सब कुछ कह दिया है, अब आप सवाल पूछ सकते हैं।

श्री नरेश पुगलिया: सवाल पूछने से पहले मंत्री महोदय को पूरी भूमिका समझाना जरूरी था।

उपाध्यक्ष महोदय: आपने पूरे 11 मिनट समझाया है।

श्री नरेश पुगलिया: उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि हम डेवलपमैंट की बात करते हैं, हमारी जो अगली प्लानिंग होगी, उसके लिए प्लानिंग कमीशन से बात करनी चाहिए। देखा गया है कि जिन जिलों में पचास परसेन्ट के ऊपर इरीगेशन हो चुकी है, उन्हीं को आप फंड देते हो। जिन जिलों में पांच-दस परसेन्ट भी इरीगेशन नहीं है, जहां इरीगेशन का परसेन्टेज कम है, उन्हें ज्यादा धन देने के लिए आपका विभाग क्या कोशिश कर रहा है। फॉरेस्ट कन्जर्वेशन एक्ट में जितने हमारे नेक्सेलाइट अफेक्टिड एरियाज हैं, वहां हमारी प्रोजेक्ट्स रुकी हुई हैं, विदर्भ में 201 प्रोजेक्ट्स हैं, अमरावती डिवीजन में 96 और नागपुर में 106 प्रोजेक्ट्स हैं। फॉरेस्ट कन्जर्वेशन एक्ट में जो इरीगेशन के प्रोजेक्ट्स रुके हुए हैं, उन्हें क्लियर करने के लिए फॉरेस्ट एंड एनवॉयरनमैंट मिनिस्ट्री और आपका इरीगेशन विभाग दोनों की ज्वाइंट मुहिम चलाकर इनके लिए क्या कोई रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने की इजाजत दी, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी बताया गया कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहां कृषि के लिए सिंचाई की परियोजनाओं का अत्यधिक महत्व है। क्योंकि हिन्दुस्तान के बजट के बारे में कहा जाता है कि भारतीय बजट मानसून का जुआ है और मानसून में कभी अतिवृष्टि, कभी अनावृष्टि, कभी सूखा एवं बाढ़ इन सब कारणों से अगर वह सारा पानी व्यर्थ में बहकर चला जाए, चाहे जब भी वर्षा हो, जितनी भी वर्षा हो, उसे बांधों के माध्यम से रोककर सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण करना कृषि की दृष्टि से बहुत आवश्यक है और आजादी के बाद से हमारे देश के कर्णधारों का इस ओर ध्यान भी गया है और सिंचाई योजनाओं का निर्माण भी हुआ है। लेकिन यह अत्यन्त खेद का विषय है कि जैसा मंत्री जी ने स्वयं अपने उत्तर में बताया था कि देश के 22 राज्यों में लगभग 162 बड़ी सिंचाई परियोजनाएं हैं और 240 के लगभग लघु सिंचाई परियोजनाएं अभी भी निर्माणाधीन हैं। आप जानते हैं कि अगर उसमें थोड़ा सा भी विलम्ब हो जाता है तो लागत मूल्य बढ़ जाता है, मजदूरी के रेट बढ़ जाते हैं और अन्य कई बाधाएं खड़ी हो जाती हैं। भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए सिंचाई परियोजनाओं को इतना उपेक्षित करना कहां तक युक्तिसंगत कहा जा सकता है। मैं समझता हूं कि यह सरकार के लिए भी विचारणीय है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संबंध में सरकार से प्रश्न पूछना चाहूंगा कि अभी यहां चर्चा हुई कि जल राष्ट्रीय सम्पत्ति है और जल जब राष्ट्रीय सम्पत्ति है तो राष्ट्रीय जल नीति बननी चाहिए और राष्ट्रीय जल आयोग भी होना चाहिए। मैं जानना चाहूंगा कि सरकार जल नीति का निर्धारण करते हुए राष्ट्रीय जल आयोग कब तक गठित करेगी। ताकि एक राज्य से दूसरे राज्य में बहकर जाने वाले नदियों के पानी का सिंचाई के लिए उपयोग किया जा सके। इसी में संबंधित एक सवाल यह है कि राजस्थान में मरुगंगा इंदिरा गांधी कैनाल जिसे पहले राजस्थान नहर से नाम से जाना जाता था।

[प्रो. रासा सिंह रावत]

जिस नहर पर करोड़ों अरबों रुपये खर्च होने के बाद राजस्थान के उत्तरी और पश्चिमी रेगिस्तानी प्रदेश में पाकिस्तानी की सीमा के साथ साथ सारे रेतीले प्रदेश में हरित क्रांति आ गई है, लेकिन अफसोस यह है कि धनाभाव के कारण, वित्तीय संकट के कारण अभी तक वह पूर्णता को प्राप्त नहीं हो पाई है। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार ने इस इंदिरा गांधी नहर को पूरा करने के लिए आपके पास जो प्रस्ताव भेजे हैं धन का और अधिक आवंटन करने के लिए, उसको इस वर्ष तो बिल्कुल ही काट दिया गया और पिछले वर्षों में भी बहुत विलंब से दिया गया। इसके क्या कारण रहे हैं और क्या केन्द्रीय सरकार इंदिरा गांधी नहर परियोजना को राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना मानकर उसके अनुरूप महत्व प्रदान करते हुए पूर्ण सहायता प्रदान करेगी या नहीं? इसी प्रकार से राजस्थान के बाड़मेर और जालौर इलाके में सूखा पड़ा है और पशुधन भी खत्म हो गया। नर्मदा सागर और सरदार सरोवर परियोजना भी गुजरात में पूरा नहीं हुआ, हाइट को लेकर विवाद हो रहा है। अगर वह पूरा हो जाए तो उससे जहां गुजरात और मध्य प्रदेश की आवश्यकताएं पूरी होंगी वहां उसकी योजना है कि राजस्थान के जालौर और बाड़मेर आदि इलाकों में पेयजल के साथ-साथ सिंचाई की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। इसके बारे में माईसागर राजस्थान का जो प्रोजेक्ट है, उसके बारे में और मध्य प्रदेश में जो बाणसागर और राजघाट परियोजनाएं अधूरी पड़ी हैं, ये अधूरी क्यों हैं? मैं यह जानना चाहूंगा कि राजस्थान की जो छोटी और बड़ी सिंचाई परियोजनाएं लंबित पड़ी हैं, उनको पूरा करने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है और इस इंदिरा गांधी कैनाल को राष्ट्रीय नहर परियोजना मानकर इसके लिए अनुदान क्यों रोक दिया गया और उसको कब रिलीज करने जा रही है?

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब, कृपया माननीय मंत्री बोलें।

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल (पाटन): महोदय, मैंने भी बोलने के लिए सूचना दी थी क्योंकि नर्मदा बांध का मामला एक बहुत गंभीर मामला है।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री प्रवीण राष्ट्रपाल, नियमानुसार आधे घंटे की चर्चा में बोलने के लिए सूचना देनी होती है।

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: मैंने सूचना दी थी।

उपाध्यक्ष महोदय: हमें नहीं मिली।

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: लेकिन महोदय, मैंने उसी दिन सूचना दी थी।

उपाध्यक्ष महोदय: यद्यपि हमें सूचना प्राप्त नहीं हुई है, फिर भी, मैं आपको विशेष मामले के रूप में माननीय मंत्री महोदय से स्पष्टीकरण माँगने का अवसर देता हूँ। लेकिन इसे पूर्वोदाहरण नहीं बनाया जा सकता।

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। महोदय, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि संबंधित माननीय मंत्री महोदय के साथ डा. सी.पी. ठाकुर भी यहाँ उपस्थित हैं। यहां, मैं माननीय मंत्री श्री अरुण जेटली का भी ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा क्योंकि वे किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं, अपितु सम्पूर्ण गुजरात का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ...*(व्यवधान)*

श्री जेटली, कृपया ध्यान दें। मुझे आपकी मदद चाहिए क्योंकि आप भी गुजरात से निर्वाचित हुए हैं।

माननीय मंत्री द्वारा दिए गए विवरण के अनुसार, नौवीं योजना में किए गए कुल व्यय का आंकड़ा 64,183 करोड़ रुपये है। जहाँ तक गुजरात का संबंध है, यह आंकड़ा सबसे अधिक है। यह 16,779 करोड़ रुपये है।

महोदय, इस देश में सभी नर्मदा बाँध की गंभीरता से अवगत हैं। प्रतिदिन राज्य 8 करोड़ रुपये की हानि उठा रहा है चाहे वहाँ निर्माण कार्य चल रहा हो अथवा नहीं चल रहा हो। माननीय डॉ. सी.पी. ठाकुर भी मेरे निर्वाचन क्षेत्र में लगभग दो तीन महीने पहले नर्मदा नहर के उद्घाटन के लिए आए थे। गुजरात में सब कुछ तैयार है।

महोदय, माननीय मंत्री द्वारा एक लिखित उत्तर में कहा गया है कि बाँध की ऊंचाई के बारे में विवाद है। महोदय, मेरी जानकारी के अनुसार, उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि 'जहाँ तक ऊँचाई का संबंध है, वे कोई भी तर्क सुनने को तैयार नहीं हैं क्योंकि इस मामले को नर्मदा नदी विवाद न्यायाधिकरण द्वारा सुलझाया गया है।'

यह विवाद मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विस्थापित लोगों अर्थात् परियोजना प्रभावित लोगों के पुनर्वास के संबंध में है। मैं भी उसी के बारे में चिंतित हूँ। किंतु जहाँ तक ऊँचाई का संबंध है, उसके बारे में कोई विवाद नहीं है।

मैं माननीय प्रधान मंत्री के कथन को उद्धृत करना चाहूँगा जिन्होंने 15 दिसम्बर को हुई वाद-विवाद में यह कहा था:

[हिन्दी]

"अध्यक्ष महोदय, देश के कई भागों में जैसे राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश में सूखे के कारण गंभीर परिस्थिति पैदा हो गई

है। फसल का क्या होगा यह भविष्य बताएगा। वर्षा होने की कोई संभावना दिखाई नहीं देती। पेयजल की कमी एक बड़ा संकट बनकर हमारे सामने आया है। इस बारे में प्रदेश सरकारें कदम उठा रही हैं। सरकार चाहती है कि सदन इस पर चर्चा करे, अगर कहीं कमियां हैं तो हम आपस में चर्चा करके तय करें। यह प्रदेश का मामला नहीं है, यह राजनीति का सवाल नहीं है। हमें इस राष्ट्रीय संकट का सामना करना पड़ेगा। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, आप सब नेताओं से विचार-विमर्श करके कोई तिथि निश्चित कर दें।''

''... इस पर एक पृथक चर्चा होनी चाहिए। सरकार भी तैयार होकर आएगी। सारे तथ्य सामने रखेगी और आपके सुझावों का स्वागत करेगी।''

[अनुवाद]

माननीय प्रधान मंत्री ने 15 दिसम्बर को यह कहा था। माननीय प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद में अपने भाषण में यह आश्वासन दिया था कि जब वे सत्ता में आएंगे, तो पंद्रह दिन के भीतर नर्मदा नदी का विवाद सुलझा लिया जाएगा। जैसे सरकार ने कावेरी विवाद से संबंधित राज्य सरकारों की बैठक पिछले एक वर्ष में दो बार बुलाई है, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूँगा कि यह सरकार इस विवाद को सुलझाने के लिए गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्रियों की बैठक कब बुलाएगी। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: केवल एक प्रश्न की ही अनुमति है।

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि बैठक कब बुलाई जाएगी और मामले को कब सुलझाया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: यह एक प्रश्न माना जाता है।

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी): उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इस आधे-घंटे की चर्चा को उठाया है। इस चर्चा के जरिए, वे निर्माणाधीन परियोजनाओं की स्थिति जानना चाहते हैं।

हम सभी जानते हैं जैसा कि सिंचाई राज्य सरकार का विषय है. अत: सिंचाई परियोजनाएं राज्य सरकारों द्वारा ही उनकी अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर उनके अपने संसाधनों में से नियोजित, अन्वेषित, निर्मित, कार्यान्वित एवं वित्त पोषित की जाती हैं। अत:, जो सिंचाई परियोजनाएं उस समय से कार्यान्वित की जा रही हैं जब से देश में योजना प्रक्रिया की शुरुआत हुई, वे राज्यों द्वारा ही नियोजित, अन्वेषित, निर्मित तथा वित्त पोषित की गई हैं। ये योजनाएँ उनकी अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर चलायी जा रही हैं। केन्द्रीय सरकार अथवा जल संसाधन मंत्रालय उन्हें केवल तभी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सहायता प्रदान करता है जब उन्हें इसकी आवश्यकता होती है अथवा इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए वे सहायता राशि की मांग करते हैं।

जैसा कि मेरे माननीय सदस्यों ने यहाँ कहा, वर्ष 1951-52 से लेकर आठवीं योजना के अंत तक, राज्य सरकारों द्वारा 288 बड़ी और 938 मंझोली परियोजनाएँ शुरू की गईं जैसा कि उन्होंने यहाँ भी कहा कि इन परियोजनाओं में से, 162 बड़ी और 240 मंझोली परियोजनाएं नौवीं योजना में चालू परियोजनाओं के रूप में फैली हैं। नौवीं योजना के पूरा होने पर इन चालू परियोजनाओं की कुल लागत 68,044 करोड़ रुपये हो जाएगी जो नौवीं योजना का परिव्यय है। *...(व्यवधान)*

श्री नरेश पुगलिया: आप बार-बार वही बात दोहरा रहे हैं। आप पहले ही कह चुके हैं कि *...(व्यवधान)*

श्री अर्जुन सेठी: बड़ी और मंझोली परियोजनाओं हेतु नौवीं योजना के लिए 42,644 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है। इससे भी हम देख सकते हैं कि उन परियोजनाओं के संबंध में जो नौवीं योजना अवधि तक फैली हुई हैं, उनके लिए धन की कमी होगी।

जैसाकि मैंने यहां कहा कि इन परियोजनाओं के पूर्ण होने में सबसे बड़ी बाधा राज्य सरकारों के पास धन की कमी है। इन परियोजनाओं के पूरा होने में अन्य महत्वपूर्ण विलम्बकारी कारण हैं-भूमि अधिग्रहण समस्याएँ, पुन:स्थापन की समस्याएं, पुनर्वास समस्याएं तथा वन भूमि अधिग्रहण से संबंधित समस्याएं साथ ही, राज्य सरकारों में बहुत सारी परियोजनाएं एक साथ शुरु करने की प्रवृत्ति होती है जिसके परिणामस्वरूप न्यून संसाधन का फैलाव और भी कम हो जाता है। ये सभी कारण हैं। ये परियोजनाएं राज्य सरकारों द्वारा स्वयं प्रारम्भ की गई हैं।

जब भी वे हमारे पास चालू परियोजनाओं को पूर्ण करने हेतु धनराशि अथवा किसी अन्य प्रकार की सहायता के लिए आते हैं, तो भारत सरकार उन्हें विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत धनराशि प्रदान करती है। ये योजनाएं हैं-त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए आई बी पी), ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आर आई डी एफ) जिसे नाबार्ड द्वारा वित्तपोषित किया जा रहा है और जल संसाधन समेकन परियोजना (डब्ल्यू आर सी पी)। इन योजनाओं के द्वारा हम चालू परियोजनाओं के लिए धन प्रदान करते हैं। मेरे माननीय मित्र इस बात पर मुझसे सहमत होंगे। वे यह जानने के इच्छुक होंगे कि विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कितना धन दिया गया है। वर्ष 1996-97 के दौरान आरंभ की गई ए आई बी पी योजना के

[श्री अर्जुन सेठी]

आरंभ काल से वर्ष 1999-2000 तक हमने 112 परियोजनाओं के लिए 22 राज्यों को 4032 करोड़ रुपये प्रदान किए हैं। चालू वित्तीय वर्ष के लिए ए आई बी पी के अंतर्गत बजट प्रावधान 1712 करोड़ रुपये है। आप अच्छी तरह विचार कर सकते हैं और देख सकते हैं कि जब भी राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार से मदद मांगी है, केन्द्रीय सरकार समय-समय पर चली आ रही सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए सहायता प्रदान करती रही है।

इसी प्रकार, आर आई डी एफ के अंतर्गत, सरकार नाबार्ड के माध्यम से ऋण प्रदान करती है। जैसा कि मैंने पहले कहा, इस योजना को वर्ष 1995-96 में प्रारम्भ किया गया था। पिछले पांच वर्षों के दौरान अर्थात् 1995-96 से लेकर 1999-2000 तक सिंचाई परियोजनाओं हेतु नाबार्ड के जरिए 3080 रुपये दिए गए हैं।

यह राशि मुख्यत: केवल चालू परियोजनाओं के शीघ्र पूरा करने के लिए ही दी जाती है। मेरे माननीय मित्र इस बात की सराहना करेंगे कि जब भी राज्य सरकारें केन्द्रीय सरकार के पास सहायता के लिए जाती है, केन्द्रीय सरकार अथवा जल संसाधन मंत्रालय ने उन्हें विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत धनराशि प्रदान की है। किंतु राज्यों को यह सहायता प्राप्त करने हेतु कुछ औपचारिकताएं पूरी करनी होती है।

माननीय सदस्य, श्री नरेश पुगलिया जो महाराष्ट्र से हैं, ने कहा कि धन आबंटन असमान है अथवा सिंचाई की जो भी क्षमता निर्मित की गई है, वह महाराष्ट्र राज्य के विभिन्न भागों में असमान रूप से उपलब्ध है। जैसा कि मैंने पहले कहा, ये सिंचाई परियोजनाएं राज्य सरकार द्वारा उनकी प्राथमिकता के आधार पर बनीं, अन्वेषित, वित्तपोषित एवं कार्यान्वित की गई हैं। केन्द्रीय सरकार का इनसे कोई सरोकार नहीं है और न ही वह उन मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है। जब भी कोई परियोजना जल संसाधन मंत्रालय की तकनीकी सलाहकार समिति के पास आती है, हम उसकी जांच करते हैं; हम केवल तकनीकी बिन्दुओं पर सलाह देते हैं; इसे संबंधित राज्य सरकार द्वारा पूर्णत: वित्तपोषित एवं कार्यान्वित किया जाता है। केन्द्रीय सरकार के पास हस्तक्षेप करने और अपने आप उसे कार्यान्वित करने की कोई गुंजाइश नहीं होती।

अत:, मैं अपने मित्र श्री नरेश पुगलिया से निवेदन करूंगा कि वे अपनी राज्य सरकार को समझाने का प्रयास करें ताकि वे परियोजनाओं को कार्यान्वित एवं पूरा कर सकें। ...*(व्यवधान)* मुझे पूरा करने दें और बाद में आप स्पष्टीकरण मांग सकते हैं।

जहाँ तक विदर्भ, इत्यादि का संबंध है-जिसके बारे में उन्होंने कहा था-मैं वही दोहराऊंगा जो मैंने पहले कहा था। सिंचाई परियोजना को नियोजित, अन्वेषित करने की सम्पूर्ण प्रक्रिया राज्य सरकार द्वारा की जाती है। अत:, राज्य सरकार को पूरे राज्य में सिंचाई योजनाओं की कठिनाइयों एवं क्षीण प्रसार के बारे में कुछ करना चाहिए।

सायं 6.00 बजे

जहाँ तक वन संरक्षण अधिनियम का संबंध है, सदस्य जानते हैं कि यह मेरे मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता। उसके लिए अलग मंत्रालय है। राज्य सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के साथ सम्पर्क कर सकती है जो उनकी आवश्यकता को पूरा करेगा। रासा सिंह रावत ने कहा था कि कोई राष्ट्रीय जल नीति है। वास्तव में, यह सन् 1987 से विद्यमान है और कार्यशील है। हाल ही में, हमने माननीय प्रधान मंत्री द्वारा निर्धारित की गई प्राथमिकता के आधार पर इसका संशोधन करने का प्रयास किया था। हम एक नई नीति बनाने का भी प्रयास कर रहे हैं जिससे कि पुरानी नीति में जो कुछ भी कमी हो, उसे नई नीति के जरिए पूरा किया जा सके। इंदिरा नहर के लिए वर्ष 1996-97 से 1999-2000 तक 160 करोड़ रुपये प्रदान किया गया है ...*(व्यवधान)* इस वर्ष के लिए मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। किंतु मैं माननीय सदस्य को यह जानकारी दे सकता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय: आप सूचना एकत्र कर सकते हैं और इसे माननीय सदस्य को भेज सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, यह प्रश्न काल नहीं है।

...*(व्यवधान)*

श्री अर्जुन सेठी: जहां तक नर्मदा का संबंध है, माननीय सदस्य श्री प्रवीण राष्ट्रपाल जानते हैं यह मामला उच्चतम न्यायालय में लम्बित है। वे बहुत विद्वान सदस्य हैं ...*(व्यवधान)* स्थगन आदेश ...*(व्यवधान)*

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: बैठक बुलाने पर स्थगन आदेश नहीं हो सकता है ...*(व्यवधान)*

श्री अर्जुन सेठी: बैठक बुलाना अलग बात है। यह बांध की ऊंचाई बढ़ाने के बारे में है ...*(व्यवधान)*

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: न तो कोई प्रतिबंध है और न ही स्थगन आदेश है। बांध की ऊंचाई का प्रश्न ही नहीं है। यह पुनर्वास का मामला है ...*(व्यवधान)*

श्री अर्जुन सेठी: महोदय, मैं संबंधित सूचना माननीय सदस्य को भेज दूंगा ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: अब, यह सभा केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2000 पर चर्चा करेगी।

सायं 6.04 बजे

केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) संशोधन विधेयक—*जारी*

[अनुवाद]

श्री रूपचंद पाल (हुगली): उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत संक्षेप में बोलूंगा। कॉमन कॉज को एक जनहित याचिका के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र सरकार को इस अधिनियम के उल्लंघन को रोकने के उपायों के बारे में कतिपय निर्देश दिए हैं। सरकार इस सभा के समक्ष यह स्पष्ट करे कि यहां पर जो कुछ सुझाव दिए गए हैं उनके अलावा वह कौन से उपाय करना चाहती है। सरकार इस संशोधन के माध्यम से निजी उपग्रह चैनलों को दूरदर्शन के दो चैनल और एक क्षेत्रीय भाषा का चैनल प्रसारित करने के लिए कह रही है। मैं इस संबंध में इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि दूरदर्शन के कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार लाया जाये। यदि दूरदर्शन अन्य चैनलों को प्रोत्साहित नहीं कर सकता तो दूरदर्शन के दर्शकों की संख्या में कमी आएगी। इस संदर्भ में, यदि मुझे ठीक से याद है, पी.सी. जोशी समिति ने सुझाव दिया था कि भारतीय टेलीविजन का अपना भारतीय व्यक्तित्व होना चाहिए। इस व्यक्तित्व का मूल घटक यह है कि दूरदर्शन पर जनता की आवाज आनी चाहिए न कि सम्पन्न वर्ग या शहरी व्यक्ति, और यह न तो राजनीतिज्ञ केन्द्रित होना चाहिए न ही नेता केन्द्रित। आज क्या हो रहा है? दूरदर्शन में विश्वसनीयता की कमी या विश्वसनीयता में ह्रास हो रहा है क्योंकि इसका उपयोग पक्षपातपूर्ण उद्देश्यों के लिए हो रहा है।

जब कांग्रेस सत्ता में थी इसे 'इंदिरा दर्शन' के नाम से पुकारा जाता था और अब इसे अलग नाम से पुकारा जाता है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के अनेक घटक इसका उपयोग अपनी छवि बनाने के लिए कर रहे हैं। इससे सबसे पहला नुकसान दूरदर्शन की विश्वसनीयता को हो रहा है। यदि दूरदर्शन अपने कार्यक्रमों की गुणवत्ता को और अधिक आकर्षक नहीं बना सकता है तो उसे उन चैनलों के साथ प्रतिस्पर्द्धा नहीं करनी चाहिए जो केवल अपने विज्ञापन संहिता में खोए हुए हैं जैसा कि चैनल-V के मुम्बई मामले में जाना जाता है। देश को यह देखकर गहरा धक्का लगा कि किस तरह से पूना विश्वविद्यालय की दो लड़कियों को कपड़े उतारने और अर्द्ध-नग्न होने के लिए कहा गया था और इसकी सूटिंग मुम्बई में एक सार्वजनिक स्थल पर हुई थी। इन दोनों लड़कियों को 1500 रु. भी दिए गए। मुम्बई पुलिस ने उनको पकड़ा भी लेकिन उनके विरुद्ध कुछ भी नहीं किया जा सका। यदि आप फैशन शो को देखें जैसा कि मैं उल्लेख कर रहा था, यह कभी-कभी अन्तहीन अश्लीलता ही लगता है। इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती. अश्लीलता की परिभाषा क्या है? इस विधेयक के पारित होने के बाद भी आपकी कार्यक्रम संहिता जारी रहेगी। आप ही इन सबकी सर्वोत्तम व्याख्या कर सकते हैं। आप एक प्रसिद्ध वकील हैं। अश्लीलता की परिभाषा क्या है? यह सभा यह भरोसा चाहती है कि सरकार उन सब बातों के बारे में जानती है जो घटित हो रही है, जम्मू व कश्मीर में, पूर्वोत्तर में आपने बार-बार कहा है कि पाकिस्तान टीवी का ज्यादा कवरेज है। हमारी प्रसारण क्षमता 70 कि.मी. या लगभग इतनी है। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण निजी चैनल का भूमिका अदा कर रहे हैं? इस बात को स्पष्ट किया जाना चाहिए। सरकार को इस सभा में यह स्पष्ट करना होगा कि वे इस बारे में क्या कदम उठा रहे हैं।

मुझे एक और महत्वपूर्ण बात कहनी है। प्रसारण विधेयक लम्बित पड़ा है। सौभाग्यवश या दुर्भाग्यवश, मैं उस समिति का सदस्य था जिसके अध्यक्ष श्री शरद पवार थे। हमने कई सिफारिशें की थी। उनका क्या हुआ। एक अन्य विधेयक लम्बित है। मैं कन्वर्जेंस पार्ट का उल्लेख कर रहा था, केबल आपरेटर को क्या करना चाहिए, ऑप्टीकल फाइवर, पब्लिक अंडरटेकिंग नेटवर्क का इस तरह से उपयोग किया जा रहा है, किस तरह एकाधिकारीकरण हो रहा है और छोटे आपरेटरों को बड़े आपरेटरों द्वारा समाप्त किया जा रहा है और इसी तरह की अन्य बातें हो रही है। जिस विधेयक का मैं उल्लेख कर रहा था वह है सूचना, संचार और मनोरंजन विधेयक जो कि आई सी ई विधेयक के नाम से प्रसिद्ध है। हम इस प्रकार टुकड़ों में विधेयक क्यों लाते हैं। एक व्यापक विधेयक लाया जाए जिसमें ये सब बातें निहित हों।

कार्यक्रम संहिता में संशोधन किया जाये। जैसा कि मैंने कहा कार्यक्रम संहिता में भी उपयुक्त संशोधन किया जाये क्योंकि आज तक इसमें बहुविधता के आचार मौजूद नहीं है। यदि इसका उल्लंघन किया जाता है, देवताओं, देवियों, संस्थानों व नेताओं का धन कमाने के लिए व्यवसायीकरण किया जाता है। यही सब हो रहा है। इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। कार्यक्रम संहिता और विज्ञापन संहिता में समुचित संशोधन किया जाना चाहिए।

अब इस प्रस्तावित संशोधन के प्रति निजी चैनल की प्रतिक्रिया पर आता हूं। मैं इसका अभी उल्लेख करूँगा क्योंकि मैंने इसे कहीं पढ़ा था। कुछ निजी चैनलों का कहना है कि इस संशोधन के पश्चात निजी उपग्रह चैनलों के राजस्व में कमी आएगी। इसका तात्पर्य यह हुआ कि वे विज्ञापनों का प्रयोग इस ढंग से कर रहे

[श्री रूपचंद पाल]

हैं। लेकिन सिगरेट और शराब के बारे में ऐसा नहीं है क्योंकि वे विदेशों से अपलिंक कर रहे हैं और उनके कानून इस तरह के विज्ञापनों की प्रस्तुतीकरण की अनुमति देते हैं। अब आपने निर्णय लिया है कि विदेशी चैनल भारतीय भूमि से ही अपलिंक करेंगे अत: वे भारतीय कानून के अधीन ही होंगे। मैं यह जानने के लिए उत्सुक हूं आप इस बारे में क्या करना चाहते हैं।

अंत में, मैं इसके क्रियान्वयन पर आता हूं। इस देश में अच्छे कानूनों की कोई कमी नहीं है। सेंसरशिप को ही देखें। हमारे यहां सेंसरशिप है। मुझे दो समितियों के साथ सम्बद्ध होने का अवसर मिला जो कि सेंसरशिप के अध्ययन और समीक्षा की कवायद से जुड़ी थी। दो मत प्रचलित है एक यह कि भारतीय स्थिति में सेंसरशिप बिल्कुल असफल रहा है क्योंकि सरकार ने उन्हें सही निर्देश नहीं दिया जैसा कि भारतीय स्थिति में देना चाहिए था। अब यह भी सुझाव दिया जा रहा है कि टी वी के लिए एक और सेंसर बोर्ड होना चाहिए। मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। लेकिन कार्यक्रम संहिता और विज्ञापन संहिता में समुचित संशोधन किया जाना चाहिए।

जहां तक इसके क्रियान्वयन का संबंध है जैसाकि बिल्कुल अभी प्रस्ताव किया गया है। मैं कोई अन्य सुझाव नहीं दे रहा हूँ। यह केवल व्यापक ढंग से होना चाहिए और कन्वर्जेंस जो हो रहा है उसके प्रकाश में भी यह होना चाहिए। उसके बाद ही मैं ठोस सुझाव दे सकता हूं।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का विरोध नहीं करता लेकिन यह जरूर कहूंगा कि यह अपर्याप्त संशोधन है फिर भी मैं इसका स्वागत करता हूं।

[हिन्दी]

श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2000 का समर्थन करता हूं। मंत्री जी को और अटल जी की सरकार को मैं धन्यवाद देता हूं कि देश की जनता की इच्छा और आकांक्षा को पूरा करने के लिए उन्होंने इस विधेयक के माध्यम से केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) विधेयक, 1994-95 जो इस देश में लागू है, उसकी धारा 2, 5, 6, 8, 11, 18, 19, 20 में संशोधन प्रस्तावित किए हैं। उन संशोधनों के माध्यम से देश में टेलीविजन के माध्यम से जो दुष्प्रचार हो रहा है, मारधाड़ के कार्यक्रम प्रसारित किये जा रहे हैं, देवी-देवताओं के बारे में अनर्गल प्रचार करने की दृष्टि से कार्यक्रम रिलीज किये जा रहे हैं और देशद्रोह से संबंधित समाचारों का भी प्रसार-प्रचार किया जा रहा है, इन पर अंकुश लग सकेगा। वैसे यह एक्ट 1995 से लागू है। परंतु देश का वातावरण यह महसूस करता था कि इस एक्ट पर कहीं भी देश में अमल नहीं किया जा रहा है। मैं सोचता हूं कि मंत्री जी अगर पिछली सरकारों ने कोई अमल किया है, जो प्रावधान इस एक्ट में किया गया था, उसके अंतर्गत अभी तक क्या-क्या कार्यवाही हुई है, इसका थोड़ा सा ज्ञानवर्धन कराएं तो अच्छा रहेगा। इस एक्ट में यह प्रावधान है कि कोई भी केबल आपरेटर या कोई भी संस्थान जो टेलीविजन कार्यक्रम प्रसारित करना चाहता है, वह अपना रजिस्ट्रेशन कराएगा। मैं जानना चाहूंगा कि सारे देश में अभी तक कितने ऐसे पंजीकृत आपरेटर्स या संस्थान हैं?

इस एक्ट में कुछ गलतियां करने पर या अपराध करने पर या इस एक्ट में जो प्रावधान है, उसका उल्लंघन करने पर केस दर्ज करने का प्रावधान है। अगर किसी ने प्रथम बार अपराध किया है तो उसको दो हजार रुपए जुर्माना और दो साल की सजा का प्रावधान है। अगर किसी ने दूसरी बार या अनेक बार ऐसा अपराध किया हो जो इस एक्ट की परिधि का उल्लंघन करता है तो उसको पांच हजार रुपए या पांच वर्ष की सजा का प्रावधान है। मध्य प्रदेश का मुझे मालूम है, वहां एक भी इस प्रकार का केस नहीं बनाया गया है। मेरी जानकारी है कि देश में भी इसी प्रकार की स्थिति है। कहीं भी इस एक्ट पर अमल करने का कोई प्रयास नहीं किया गया।

उसका एक बहुत बड़ा कारण भी है जिसमें संशोधन करके आप सुधार कर रहे हैं। यह धारा 2 में आपने प्राधिकृत अधिकारी की परिभाषा स्पष्ट करके और कुछ नाम पहले से तय कर दिए थे और राज्य सरकारों के ऊपर यह छोड़ दिया गया था लेकिन राज्य सरकारों ने इसमें कोई रुचि नहीं ली अब आपने सीधे-सीधे यहां से प्रावधान किया है और मैं सोचता हूं कि इसमें जरूर सुधार होगा। जिस प्रकार से आपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त ये तीन पद श्रेणियां उल्लेखित कर दी हैं, राज्य सरकार को इसके बारे में अब कुछ घोषणा करने की जरूरत नहीं है। कहीं ये पद नहीं हैं, इस प्रकार के अधिकारी नहीं हैं तो इस रैंक के अन्य अधिकारियों को भी प्राधिकृत अधिकारियों के रूप में घोषित कर सकेंगे। अब यह प्रावधान होने के कारण निश्चित रूप से इसमें कुछ सुधार हो सकेगा। आप विद्वान हैं और बहुत अच्छे वकील भी हैं, इसलिए मैं कुछ सुझाव देते हुए संकोच करता हूं। लेकिन पुलिस आयुक्त भी आपने इसमें प्राधिकृत अधिकारी के रूप में एपाइन्ट करने का प्रावधान किया है परंतु देश में पुलिस आयुक्त प्रणाली गिनती के स्थानों पर है। महानगर में यह प्रावधान है या कुछ स्थानों पर है। मध्य प्रदेश में नहीं है, हिन्दुस्तान के आधे से अधिक राज्य ऐसे हैं जहां पुलिस आयुक्त प्रणाली नहीं है। इसके लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि पुलिस आयुक्त या पुलिस अधीक्षक या आई.पी.एस. अधिकारी इस प्रकार का अगर प्रावधान कर देंगे तो शायद अच्छा रहेगा। मैं सुझाव इसलिए दे रहा

हूं क्योंकि आजकल कानून-व्यवस्था को लेकर डी.एम. और उपखंड अधिकारी या उपखंड मजिस्ट्रेट फुर्सत में नहीं रहते। 24 घंटे में 18-20 घंटे उनको कानून-व्यवस्था की समस्या से जूझना होता है। उससे ही वे निपट नहीं पाते हैं। उनकी इस प्रकार के कामों में रुचि नहीं होती और रुचि भी होगी तो समय नहीं निकाल पाएंगे। पुलिस अधिकारी का हर क्षेत्र में आना-जाना लगा रहता है, वे इसमें ठीक से रुचि ले सकेंगे तो ठीक से इम्पलीमेंट कर पाएंगे। इस एक्ट में अगर किसी ने कोई अपराध किया है या गड़बड़ी की है तो उसके ईक्विपमेंट सीज करने का भी प्रावधान है। इस दिशा में भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अगर हुई है तो आपका विभाग जानता है। आपके पास यदि कोई इस प्रकार की जानकारी है और आप सदन को उससे अवगत कराने की कृपा करेंगे तो बहुत अच्छा होगा।

आप और हम देखते हैं कि केबल ऑपरेटर्स जो दूरदर्शन के चैनल्स दिखाते हैं, नियम में दो दूरदर्शन चैनल दिखाना जरूरी है- दिल्ली दूरदर्शन एक और दो। कोई से भी दो दूरदर्शन कार्यक्रम रिले करना चाहिए परंतु वे एक भी नहीं करते और कुछ शहरों में कभी-कभार एकाध दूरदर्शन पर दिखा देते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में तो दूरदर्शन रिले केन्द्र नहीं होने के कारण जो केबल ऑपरेटर्स डिस्क के थ्रू कार्यक्रम प्रसारित करते हैं, वे दूरदर्शन कभी नहीं दिखाते। वे लटके-झटके और मारधाड़ वाले और अश्लील कार्यक्रम दिखाना ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि लोगों की रुचि भी सोधे-सोधे ऐसे कार्यक्रमों के प्रति ज्यादा होती है। जो दो दूरदर्शन कार्यक्रम दिखाने का प्रावधान था, उसका भी उल्लंघन होता था, परंतु उसमें एक और प्रावधान किया है। अभी एक दूरदर्शन रिले केन्द्र और चालू किया जाएगा अर्थात् दो दूरदर्शन के अलावा तीन दूरदर्शन कार्यक्रम दिखाये जायेंगे। एक दूरदर्शन ऐसा होगा जो क्षेत्रीय भाषा में कार्यक्रम दिखाएगा। मैं इसके लिए धन्यवाद भी देता हूं और बधाई भी देता हूं। दूरदर्शन के कारण केवल बुराई-बुराई ही देश में आई हैं, ऐसा मैं मानता हूं परंतु यह भी मानता हूं कि दूरदर्शन कार्यक्रम के माध्यम से सारे देश में कुछ अच्छाइयां भी देखने को मिली हैं, जैसे रामायण, महाभारत, कृष्ण और हजरत मोहम्मद के ऊपर कार्यक्रम बनाये गये हैं जिन्हें सारे देश की जनता ने देखा है और कुछ सीखा भी है। सबसे ज्यादा फायदा यह हुआ है कि हिन्दी का प्रचार प्रसार हुआ है। हमारे पूर्वज महान नेता थे जो देश की आजादी की लड़ाई के लिए तत्पर थे। जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं और जिन्होंने सपना संजोया था कि इस देश की राष्ट्रभाषा हिन्दी होगी।

कागजों में तो प्रावधान कर दिया है कि देश की राष्ट्रभाषा हिन्दी होगी, परन्तु व्यवहार में हम हिन्दी को नहीं अपना रहे हैं। दूरदर्शन के कार्यक्रमों के माध्यम से सारे देश की जनता को और बाहर के देशों को भी हिन्दी को सीखने और समझने का अवसर मिला है। दूरदर्शन के कार्यक्रमों के माध्यम से देश की जनता को लाभ भी मिला है, लेकिन पाश्चात्य संस्कृति के कार्यक्रम भी दिखाये जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों से हानि हो रही है और इस हानि से बचने के लिए हमें अश्लील कार्यक्रमों को नहीं दिखाना चाहिए। ऐसे प्रावधान पूर्व एक्ट में नहीं थे, लेकिन अब मंत्री जी इस विधेयक में प्रावधान कर दिया है और इस विधेयक के पास होने के बाद अश्लील कार्यक्रम या पाश्चात्य संस्कृति से ओत-प्रोत कार्यक्रम नहीं दिखा पायेंगे। इस दिशा में माननीय मंत्री जी सक्रिय हैं और उनकी तत्परता के कारण ही देश में अश्लील कार्यक्रम दिखाने बन्द हो सकेंगे। मैं माननीय मंत्री जी से एक निवेदन करना चाहता हूं, सूचना-प्रसारण कार्यक्रम हेतु आचार-संहिता बनानी चाहिए। आचार-संहिता नहीं होने के कारण ही लोग मनमाने तरीके से कार्यक्रम दिखाते हैं। सैंसर बोर्ड भी इस तरह की परिभाषा करता है कि कोई चित्र अश्लील है या नहीं, निर्णय नहीं हो पाता है। कानून बने हुए हैं, लेकिन उन कानूनों में कोई गलती निकाल कर अश्लील कार्यक्रमों को भी सैंसर बोर्ड की स्वीकृति मिल जाती है। वे कार्यक्रम फिर टीवी या सिनेमा घरों के माध्यम से दिखाये जाते हैं। मेरे विचार से इस दिशा में भी सुधार किया जाना चाहिए। इसी प्रकार कापी राइट एक्ट में सुधार करने की गुंजाइश है। ब्युरो आफ इंडियन स्टैंडर्डस एक्ट, 1986 का भी पालन नहीं हो रहा है। इसमें प्रावधान है कि केबल आपरेटर के इक्विमेंट को भी तीन साल के बाद एक्सपायर माना जाएगा। मैं मंत्री जी से एक और निवेदन करना चाहता हूं कि देश में दूरदर्शन रिले केन्द्रों का विस्तार होना चाहिए। बहुत सी जगहों पर दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित हो गए हैं, लेकिन उनकी रेंज इतनी है कि देश का केवल 33 प्रतिशत हिस्सा ही इन दूरदर्शन रिले केन्द्रों के प्रसारित कार्यक्रमों को देख पाता है। बाकी सब कार्यक्रम डिस्क के द्वारा देखे जा सकते हैं। हिंदुस्तान का समाचार क्या कह रहा है, दूरदर्शन क्या कह रहा है, यह पता भी नहीं लगता है। लेकिन पाकिस्तान में क्या हो रहा है, वह सब समझ में आ जाता है, क्योंकि वह डिस्क के माध्यम से देखा जा सकता है। इसलिए दूरदर्शन के केन्द्रों का विकास करके हम सारे देश की जनता को इसका लाभ पहुंचा सकते हैं।

अंत में, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। प्राधिकारी नियुक्त किये जा रहे हैं, लेकिन कोर्ट में जब तक पत्र लिखकर कोर्ट से आग्रह नहीं किया जाएगा, तब तक कोर्ट इस कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कोग्निजैंस नहीं लेगा। इस दिशा में कहीं-न-कहीं फिर से विचार करने की आवश्यकता है, ताकि अपराध करने वाले जो लोग हैं, उनको सजा मिल सके और हम अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त कर करें। मुझे उम्मीद है, माननीय मंत्री जी के मंत्रित्वकाल में इस दिशा में हम कारगर कदम उठा सकेंगे। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, आप के आधुनिक, परिवर्तनशील व गतिमान समाज में कोई भी कानून स्थिर नहीं हो सकता। अत: यथा आवश्यक संशोधन करने ही पड़ने हैं जैसा कि अनुभव द्वारा जरूरी हो और किसी खास समय पर विद्यमान स्थिति के अनुसार आवश्यक हो। एक दशक पूर्व जब केबल टेलीविजन का इस देश में पदार्पण हुआ, तब इसके संचालन के लिए कोई कानून नहीं था। लेकिन इसके संचालक को विनियमित किए जाने की आवश्यकता 1995 में महसूस की गई और इस तरह 1995 का यह अधिनियम, केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम कानून की किताब में शामिल किया गया।

आज मुझे प्रसन्नता है कि कतिपय संशोधनों को शामिल करने वाला यह संशोधन विधेयक हमारे समक्ष है जिसकी आवश्यकता हम सब पिछले कुछ वर्षों से महसूस कर रहे हैं। मैं इस मामले पर संक्षेप में बोलूंगा और केवल एक या दो मुद्दों का ही उल्लेख करूँगा जिनके उल्लेख किए जाने की आवश्यकता है। वे सरकार के अधिकार क्षेत्र में निश्चित रूप से नहीं आते हैं। लेकिन मैं निश्चय ही माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह इनकी तरफ ध्यान दें।

एक है कार्टेलों का उदय होना या जिसका श्री रूपचंद पाल ने भी उल्लेख किया कि बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है। हम इस बारे में क्या करें? कई स्थानों पर केबल माफिया ने अपनी पैठ जमाई हुई है और हमारी इसमें उतनी अच्छी पैठ नहीं है। मैं इस वक्त माननीय मंत्री से केवल यह अनुरोध करूंगा कि वह इस समय विद्यमान वास्तविक सच्चाई को देखें और हम देश में कैसे केबल नेटवर्क को विनियमित और इसके सुचारू कार्यकरण को सुनिश्चित करें, इस बात को देखें। इसके साथ अन्य प्रश्न विभिन्न केबल आपरेटरों के संचालक के क्षेत्र से संबंधित है।

एक महत्वपूर्ण बात जो मैं यहां बताना चाहता हूं वह यह है। इस विधेयक में प्रस्तावित संशोधनों का मैं स्वागत करता हूं जिसके अंतर्गत केबल आपरेटरों के लिए दूरदर्शन के कम से कम दो चैनल और एक क्षेत्रीय चैनल दिखाना आवश्यक है। इस अधिनियम की धारा 8 में पहले भी प्रावधान था लेकिन वह पर्याप्त नहीं था। मैं यह बताना चाहता हूं कि इस प्रावधान के होने के बावजूद इसमें आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो रही है। दूरदर्शन कार्यक्रमों की गुणवत्ता का संदर्भ दिया जा रहा था। मेरा अनुभव है कि दूरदर्शन के कार्यक्रम किसी भी तरह से अन्य किसी चैनल के कार्यक्रमों से घटिया नहीं है। किन्तु मैंने जो कमी उसमें पाई, वह यह है। मुझे नहीं मालूम वह कमी कैसे आई है या तो कहीं केबल आपरेटरों के किसी मशीनीकरण अथवा अपने आप अथवा किसी अन्य को जिसके कार्यक्रम का वे वास्तव में प्रसारण कर रहे हैं, आदेश के कारण यह हुआ कि दूरदर्शन द्वारा प्रसारित कार्यक्रम एक स्तर के नहीं हैं। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस प्रश्न की गहराई में जायें और दखें कि क्या किया जा सकता है। मेरा विचार है कि उनके द्वारा बनाये जा रहे उपबंध में अब इसका ध्यान रखा जाना चाहिए क्योंकि प्रसार भारती अर्थात् भारतीय प्रसारण निगम को ऐसे चैनलों के प्रसारण के तरीकों को भी निर्धारित करने के लिए प्राधिकृत किया जा रहा है। मेरे विचार में वह इसका ध्यान रखने के लिए बनाया गया है। किन्तु, मैं इसका वास्तविक परिणाम चाहता हूं। दूरदर्शन के कार्यक्रम, उद्देश्य और मुख्य प्रयोजन बिल्कुल अलग हैं। स्पष्ट है कि वे निजी चैनलों से भिन्न होने ही चाहिए। इसे राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखना चाहिए। इससे सम्पूर्ण राष्ट्र में रहने वाले लोग-दूरदर्शन चैनल को देखना चाहेंगे बशर्ते कि उनके टी.वी. सेट अच्छे हों और प्रसारण अच्छा है। इसके लिए आपके उन केबल आपरेटर को दायित्व निर्धारित करना पड़ेगा जो अपना दायित्व नहीं निभा रहे हैं और वे उन्हें दिया गया कार्य नहीं करते हैं।

मैं केवल एक बात कहना चाहूंगा। जैसा कि मैंने पहले कहा कि कानूनों को समय के साथ बदलना पड़ेगा। इसी प्रकार, संहिताओं, जिनके बारे में पहले उल्लेख किया गया है-कार्यक्रम संहिता और विज्ञापन संहिता को भी बदलना पड़ेगा। मैं पिछली समिति का सदस्य था, जहां कुछ साल पहले हमने इस बारे में चर्चा की थी। मेरे विचार से अब समय आ गया है जब इस पर पुन: चर्चा की जानी चाहिए। उस समय यह मुख्यत: अन्य विकसित देशों की संहितायें थीं, जो हमें यह कहकर भेजी गई थी कि ये अन्य देशों द्वारा अनुपालित की जा रही संहितायें हैं। हमारी संहिता हमारे देश के लोकाचार और संस्कृति का आदर करने वाली पूर्णत: स्वदेशी संहिता होनी चाहिए।

जब हम भारत के बाहर से विदेशी चैनलों द्वारा अपलिंक किये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों और उस संबंध में अपनी असमर्थता की बात करते हैं, तो मैं यहां एक उपबंध पाता हूं। मैं नहीं जानता कि यह उस स्थिति को रोकने और वह भारतीय कानून के अन्य प्रावधानों एवं भारतीय संहिता, कार्यक्रम संहिता और विज्ञापन संहिता के अनुरुप बनाने में कहां तक प्रभावी होगा। हमारा अनुभव यह है कि कार्यक्रमों को दूसरे देशों से अपलिंक किया जा सकता है, किन्तु विज्ञापन शराब के भारतीय ब्रांड से संबंधित होते हैं। लक्ष्य भारतीय जनसमुदाय, भारतीय दर्शक है। कार्यक्रम विदेशों में बनाये जाते हैं, लेकिन वे मुख्य रूप से भारतीय दर्शकों के लिए बनाए जाते हैं। उसका भारतीय युवाओं और सामान्य जन के दिमाग पर विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस बात पर गौर करें।

अन्ततः मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हमें स्थिति की मांग के अनुसार कोई कानून बनाने में कोई आपत्ति नहीं है, किन्तु सम्पूर्ण क्षेत्र में घातीय विकास और प्रौद्योगिकी के अभिसरण के कारण, जिसका यहां उल्लेख किया गया था, अब समय आ गया है कि आप पूरे मामले पर एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाएं। उसे ध्यान में रखते हुए कानून बनाना चाहिए, जो सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र संबंधी विभिन्न कार्यकलापों के सभी प्रभावों पर ध्यान दे सके।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक का समर्थन भी करना चाहूंगा।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज-उ.प्र.): उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान गोरखपुर दूरदर्शन केन्द्र की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। गोरखपुर दूरदर्शन केन्द्र वर्षों से किराये के भवन पर चल रहा है। जिलाधिकारी, गोरखपुर ने उक्त भवन को खाली कराए जाने के लिए धमकाया है। गोरखपुर दूरदर्शन के लिए जमीन क्रय कर ली गई है परन्तु अभी तक स्टूडियो के लिए केन्द्र सरकार ने धन का आबंटन नहीं किया है। गोरखपुर दूरदर्शन केन्द्र बहुत महत्व का केन्द्र है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि स्टूडियो के निर्माण के लिए धन का आबंटन करते समय प्राथमिकता प्रदान करें।

सायं 6.32 बजे

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव: महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना सभा को देनी है:

मुझे लोक सभा को यह सूचना देने का निदेश हुआ है कि लोक सभा द्वारा 2 अगस्त, 2000 को हुई अपनी बैठक में पारित बिहार पुनर्गठन विधेयक, 2000, राज्य सभा द्वारा 11 अगस्त, 2000 को हुई अपनी बैठक में निम्नलिखित संशोधनों के साथ पारित कर दिया गया है:

खंड 5

पृष्ठ 3, पंक्ति 1,-

"25" के स्थान पर "27" **प्रतिस्थापित** किया जाए।

संविधान की पहली अनुसूची का संशोधन

पृष्ठ 3, पंक्ति 3,-

"26" **के स्थान पर** "28" **प्रतिस्थापित** किया जाए।

खंड 7

पृष्ठ 3, पंक्ति 12,-

"27" और "28" **के स्थान पर** क्रमशः "29" और "30" **प्रतिस्थापित** किया जाए।

संविधान की चौथी अनुसूची का संशोधन

खंड 12

पृष्ठ 4, पंक्ति 8,-

"10", "25", "11" और "26" **के स्थान पर** क्रमशः "11", "27", "12" और "28" **प्रतिस्थापित** किया जाए।

पृष्ठ 4, पंक्ति 10,-

"9" **के स्थान पर** "10" **प्रतिस्थापित** किया जाए।

पृष्ठ 4, पंक्ति 11,-

"10" **के स्थान पर** "11" **प्रतिस्थापित** किया जाए।

पहली अनुसूची

पृष्ठ 25,-

पंक्ति 3 से 9 **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** किया जाए,-

"(1) सात आसीन सदस्यों, अर्थात् मौलाना ओबैदुल्ला खां आजमी, श्रद्धेय धम्मा वीरियो, श्री नागेन्द्र नाथ ओझा, श्री प्रेम चन्द गुप्त, श्री रंजन प्रसाद यादव, श्री शत्रुध्न सिन्हा और श्री रामदेव भंडारी; जिनकी पदावधि 9 अप्रैल, 2002 को समाप्त होगी, में से मौलाना ओबेदुल्ला खां आजमी और श्रद्धेय धम्मा वीरियो के बारे में यह समझा जाएगा कि वे झारखंड राज्य को आवंटित स्थानों में से दो स्थानों को भरने के लिए निर्वाचित हो गए हैं और पांच अन्य आसीन सदस्यों के बारे में यह समझा जाएगा कि वे बिहार राज्य को आवंटित पांच स्थानों को भरने के लिए निर्वाचित किए गए हैं।"

पृष्ठ 25, पंक्ति 18 से 20,-

"ऐसे दो सदस्य जिन्हें राज्य सभा का सभापति लॉट निकाल कर अवधारित करे, झारखंड राज्य को आवंटित स्थानों में से दो को भरने के लिए निर्वाचित किए गए समझे जायंगे"

के स्थान पर

"श्री एस.एस. अहलूवालिया और श्री रामकुमार आनंद झारखंड राज्य को आवंटित स्थानों में से दो स्थानों को भरने के लिए निर्वाचित किए गए समझे जाएंगे" **प्रतिस्थापित** किया जाए।

छठी अनुसूची

9. पृष्ठ 37, पंक्ति 5,-

"19" और "20" **के स्थान पर क्रमश:**

"21" और "22" **प्रतिस्थापित** किया जाए।

10. पृष्ठ 37, पंक्ति 10,-

"19" **के स्थान पर** "21" **प्रतिस्थापित** किया जाए।

11. पृष्ठ 37, पंक्ति 11 **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** किया जाए,-

"भाग 22-झारखंड"

अत: मैं, राज्य सभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 128 के उपबंधों के अनुसार, यह विधेयक इस अनुरोध के साथ लौटाता हूं कि इन संशोधनों के संबंध में लोक सभा की सहमति से इस सभा को अवगत कराया जाये।

महोदय, मैं, राज्य सभा द्वारा संशोधनों सहित वापिस किये गये बिहार पुनर्गठन विधेयक, 2000 को, जिसे लोक सभा द्वारा 2 अगस्त, 2000 को पारित किया गया था, सभा पटल पर रखता हूं।

सायं 6.33 बजे

केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) संशोधन विधेयक—*जारी*

सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री और विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): महोदय, मैं उन सभी माननीय सदस्यों का बहुत-बहुत आभारी हूं, जिन्होंने इस संशोधन विधेयक का समर्थन किया और कुछ अत्यन्त रचनात्मक सुझाव भी दिये। एक टिप्पणी की गई थी कि यह विधेयक संभवत: केबल, एक आंशिक विधान, के क्षेत्र से संबंधित है। श्री रूपचंद पाल ने यह कहा था। एक और टिप्पणी थी, जिसमें कहा गया था कि हमें केबल कानूनों की प्रणाली में चोरी की जांच करने के लिए एक प्रणाली के बारे में सोचना होगा। एक प्रश्न भी उठाया गया कि प्रसारण विधेयक है, जो इस सभा में पहले प्रस्तुत किया गया था, और 1997 में एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया गया था, की क्या स्थिति है। यहां पर इस कानून की असम्भाव्यता और इस देश में टेलीविजन कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार हेतु भी अनेक सुझाव दिये गये हैं। क्या मैं उठाए गए इस बड़े प्रश्न का उत्तर दूं? संभवत: यह सही है कि यह एक ऐसा विधान है, जो आज सीमित क्षेत्र में कार्य कर रहा है।

श्री पवन कुमार बंसल (चण्डीगढ़): आंशिक का यही अर्थ है।

श्री अरुण जेटली: मैं उसे स्वीकार करता हूं। हम एक ऐसे क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं जहां प्रौद्योगिकी का तेजी से विकास हो रहा है। वास्तव में, श्री रूपचंद पाल ने स्वयं ऐसा सुझाव दिया था। आरम्भ में, हम एक प्रसारण विधेयक पर सोच रहे थे और उन्होंने स्वयं यह सुझाव दिया कि अब अभिसरण कानून का युग है।

अत: हमने विकास के युग में प्रवेश किया है, जोकि प्रसारण, दूर-संचार और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हो रहा है जिससे कि यह एक सामान्य तकनीक बनती जा रही है, जो कि लोगों के लिए आसान और लोगों को सस्ती दर पर संचार उपलब्ध करा रही है। जैसा कि मैंने प्रारम्भ में कहा कि सरकार इस मामले पर निश्चित रूप से पूर्णत: ध्यान दे रही है। माननीय वित्त मंत्री जी के नेतृत्व में एक समूह इस कानून पर कार्य कर रहा है और आज हम जिसकी मांग कर रहे हैं, वह भी सामान्य अवधि के दौरान प्रस्तावित कानून योजना में भविष्य को ध्यान में रखते हुए शामिल कर लिया जायेगा। लेकिन इस समय क्या किया जाये?

हम गत पांच छ: वर्षों से केबल कानून पर कार्य कर रहे हैं तथा हमने इस दौरान केबल कानून में कुछ स्पष्ट कमियां पाई है। उदाहरण के लिए एक कमी इसमें यह पाई गई कि जो विदेशी सेटेलाइट चैनल डिकोडर का प्रयोग नहीं करते हैं तथा जो एनक्रीप्टेड चैनल नहीं है, ऐसे चैनल कार्यक्रम और विज्ञापन संहिताओं के दायरे में नहीं आते हैं। इस कानून में यह कमी थी। हमने इस कमी को दूर करने का प्रयास किया है। श्री थावर चंद गहलोत और श्री रूपचंद पाल ने जो दूसरा सुझाव किया था, वह 1995 के कानून में वर्तमान प्रावधानों के लागू होने के संबंध में स्थिति के बारे में है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि इस देश के प्रत्येक जिले और उप-विभाग में नियुक्त प्राधिकृत अधिकारियों की अनुपस्थिति में, इन प्रावधानों को सख्ती से लागू नहीं किया जा सकता था। उदाहरणार्थ यदि कोई कार्यक्रम अथवा एक विज्ञापन संहिता के खिलाफ कोई रिले करता है तो, इसे रोकने के लिए

कोई प्रणाली नहीं थी। क्योंकि स्थानीय रूप से ऐसा हो रहा था तथा क्योंकि कई स्थानों तथा विकेन्द्रीकृत स्तर पर भी अधिकारियों की नियुक्ति नहीं की गई थी।

इसलिए, अब इस अधिनियम में संशोधन किए जाने के कारण हमने इस अधिनियम में यह अधिकार दे दिया है। एक सुझाव यह भी आया था कि हमने जिला मजिस्ट्रेट, उप-विभागीय मजिस्ट्रेट तथा पुलिस आयुक्त की निर्दिष्ट अधिकारियों के रूप में नियुक्ति कर दी है और ऐसे कई स्थान हैं, जहां कोई पुलिस आयुक्त नहीं है। अत: अधिनियम में यह कहा गया है कि जहां इन तीन अधिकारियों के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त महानिदेशक के रूप में या अन्य किसी पद नाम से कार्य कर रहे हैं वहां हम केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के राजपत्र में अधिसूचित किसी भी अन्य अधिकारी को शामिल कर सकते हैं। अत: जहां भी किसी अन्य पदनाम का अधिकारी भी है वहां यह सुनिश्चित करने के अधीनस्थ कानून, एक अधिसूचना की आवश्यकता होगी कि ऐसा अधिसूचित किया गया है कि ऐसे अधिकारी की नियुक्ति किस स्थान पर की गई है।

महोदय, इस संबंध में दो अति महत्वपूर्ण प्रश्न उठाये गये हैं। यद्यपि, इस समय ये इस विधेयक के दायरे से बाहर है। बहुत से सदस्यों ने इस बात पर चिंता जाहिर की है कि प्रत्येक क्षेत्र और इलाके में केबल टेलीविजन के मामले में एक आपरेटर का एकाधिकार हो जाता है। निश्चित रूप से यह एक चिंता का विषय है। इसके अतिरिक्त कई अन्य मुद्दे हैं जो इस एकाधिकार से जुड़े हैं। लेकिन, हम इन पर तब विचार करेंगे जब कनवरजेंस के क्षेत्र में अधिक व्यापक कानून पर विचार करेंगे। वर्तमान कानून के अंतर्गत, पंजीकरण हेतु केवल एक ही प्रावधान है। अत: जो कोई क्षेत्र के डाक घर में पंजीकरण करा सकता है, उसे उस विशेष क्षेत्र में केबल सर्विस चलाने का अधिकार होता है। ऐसे कई इलाके हैं जहां एक से ज्यादा केबल आपरेटर होते हैं लेकिन, बहुत से ऐसे भी इलाके भी हैं जहां केलल एक ही आपरेटर हैं। अत: प्रतिस्पर्धा के अभाव में सर्विस की गुणवत्ता अथवा दिखाए जाने वाले विभिन्न चैनल प्रभावित होते हैं। वास्तव में प्रतिस्पर्धा दर्शकों और उपभोक्ताओं के हितों की सबसे बड़ी संरक्षक है।

इसी प्रकार, बहुत से माननीय सदस्यों ने चोरी के बारे में अनेक सुझाव दिये हैं। यह वह कानून नहीं है जिसका संबंध चोरी से हो। जैसा कि मैंने बताया कि कोपीराइट एक्ट में चोरी की बात की गई है लेकिन, चूंकि कोपीराइट एक्ट केवल न्यायालयों के द्वारा ही लागू किया जा सकता है, क्या इस पर तब विचार किया जा सकता है, जब इस बड़े कानून पर विचार किया जाये? जैसा कि मैंने आज सुबह प्रश्न का उत्तर देते हुए संकेत दे दिया था कि निश्चित तौर पर यह एक ऐसा कारक है, जो हमारे दिमाग में मौजूद है तथा जब हम किसी बड़ी योजना पर कार्य करेंगे हमें इस बात पर विचार करना होगा कि हम इतना प्रयास कर सकते हैं कि शुल्क प्रणाली एक निश्चित प्रतिरोधक के रूप में कार्य करें, ताकि चोरी के मामले में कोपीराइट का उल्लंघन न हो सके।

महोदय, प्रसारण की गुणवत्ता तथा विज्ञापन और प्रसारण संहिता की निरन्तर समीक्षा के बारे में कई सुझाव आये हैं ताकि हम समाज की बदलती हुई चुनौतियों का सामना कर सके। मैं इन सुझावों को सही परिप्रेक्ष्य में ले रहा हूँ। निश्चित रूप से यह एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर हम कार्य करने वाले हैं।

आपने एक प्रश्न पूछा है कि अश्लीलता को कैसे परिभाषित किया जाये क्योंकि विभिन्न लोगों के लिए इसका अर्थ अलग-अलग हो सकता है। मैं एक बात का यहां जिक्र अवश्य करूंगा कि इस अधिनियम में हमने जो वाक्यांश प्रयोग किया है वह नैतिकता और शालीनता है। यह वह वाक्यांश है जिसे हमने संविधान के अनुचछेद 9(2) से लिया है। लेकिन अश्लीलता ऐसा वाक्यांश है, जिसका हमारे दंड संबंधी कानूनों में प्रयोग किया गया है। इसका संबंध मुकदमा और सजा से है। यदि कोई चीज अश्लील होती है, तो इसका निर्धारण इस बात से है कि आप पर मुकदमा चलाया जा सकता है तथा सजा दी जा सकती है। लेकिन जब आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में कानून् बनाते हैं और इन कानूनों में प्रतिबंधों का प्रावधान करते हैं, तो संविधान में भी 'अश्लील' शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है बल्कि इसमें 'शालीनता' शब्द का प्रयोग हुआ है। इसलिए हमने सोच-समझकर शालीनता शब्द का प्रयोग किया है जो, जैसा कि आपने बताया, उसी वाक्यांश के दायरे में हैं कि प्रसारण की गुणवत्ता ऐसी होनी चाहिए कि इसमें 'नैतिकता और शालीनता' पर कोई असर न पड़े। ऐसे अन्य वाक्यांश भी है जिन्हें हमने अनुच्छेद 19(2) से लिया है। इसलिए इस भाग में हमने ऐसे प्रतिबंध रखे हैं जो संवैधानिक रूप से ग्राह्य हैं तथा जो 1950 से अब तक कसौटी पर खरे उतरे हैं।

जब आप ऐसा कहते हैं तो सही कह रहे हैं कि अंतत: प्रसारण की गुणवत्ता और विश्वसनीयता ही सार्वजनिक प्रसारण अथवा दूरदर्शन के दर्शकों की संख्या का निर्धारण करेगी। मैं एक बात और कहूंगा कि यह सोचना गलत है कि आकाशवाणी और दूरदर्शन की कार्य प्रणाली (मेनडेट) का स्वरूप वाणिज्यिक नहीं है। इनका दायित्व केवल निजी चैनलों के साथ प्रतिस्पर्धा करना नहीं है। आपने सही कहा कि यह शिक्षा, सूचना तथा मनोरंजन है। मौजूदा आंकड़ों से यह संकेत मिला है कि नेशनल चैनल पर सूचना, समाचार तथा शैक्षिक कार्यक्रमों का अंश लगभग 58 प्रतिशत है। नेशनल चैनल पर 42 प्रतिशत मनोरंजन के कार्यक्रम आते हैं। डीडी-एक निश्चित रूप से मनोरंजक चैनल है। मनोरंजक चैनल

[श्री अरुण जेटली]

में इसकी मात्रा काफी अधिक है। अत: ये संगठन छोटे-मोटे रूप में अपने दायित्वों का ही निर्वहन कर रहे हैं।

उदाहरण के लिए देश में आकाशवाणी के विभिन्न भाषाओं के 192 प्रोडक्शन केन्द्र हैं जहां से कार्यक्रम प्रसारित किये जा रहे हैं। मैं आपकी बात में सुधार करना चाहता हूं कि पूरे देश में दूरदर्शन प्रसारण बहुत छोटे में, कम क्षेत्र में है। आज इसके 21 चैनल देशभर में चल रहे हैं। इसलिए डीडी नेशनल के दर्शकों की संख्या जनसख्या के आम चैनल के रूप में है। पहले से ही भारत की 89 प्रतिशत आबादी इसे देखती है। अत: उन क्षेत्रों में जहां व्यापारिक रूप से लाभप्रद नहीं है परन्तु चूंकि राष्ट्रीय हित में इन क्षेत्रों में इसका पहुंचना जरूरी है अत: वहां भी वे पहुंच रहे हैं। जबकि ऐसे क्षेत्रों में निजी क्षेत्र अभी तक पहुंच नहीं पाया है क्योंकि व्यापारिक दृष्टि से ऐसा संभव नहीं है। अपने इसी दायित्व को पूरा करने के लिए वे पहाड़ी इलाकों के दूरदराज के क्षेत्रों में पूर्वोत्तर राज्यों में तथा कश्मीर तक पहुँच रहे हैं। आपने कहा कि आज पी.टी.वी. कश्मीर में नेशनल चैनल, मेट्रो चैनल और कश्मीर के स्थानीय चैनल से भी अधिक लोकप्रिय है। सैटेलाइट चैनल होने के अतिरिक्त उन्होंने अन्य क्षेत्रों में प्रवेश करने का प्रयास किया है। निसन्देह वे निजी चैनलों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रत्येक क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकते क्योंकि निजी चैनल मनोरंजन पर अनिवार्यत: काफी अधिक जोर देते हैं। लेकिन यहां आपको समाज के विभिन्न वर्गों के लिए कार्यक्रमों को भी रखना पड़ता है। आपको महिलाओं, जनजाति के लोगों तथा किसानों से संबंधित कार्यक्रमों को रखना पड़ता है। जनसंख्या के विभिन्न वर्गों के लिए तरह तरह के कार्यक्रमों का प्रसारण करना जरूरी होता है। इसीलिए हम यह जरूरी समझते हैं कि आम जनता के लिए छोटे चैनलों अर्थात डीडी-एक और डीडी-मेट्रो के लिए एक खण्ड होना ही चाहिए। मेट्रो मुख्य रूप से एक सेटेलाइट चैनल है। लेकिन देश के अधिकांश भागों में इसे आम जनता द्वारा देखा जाता है। इसके अतिरिक्त एक क्षेत्रीय चैनल भी केबल पर दिखाया जाना चाहिए। ये चैनल वह चैनल होंगे, जिन्हें देश के विभिन्न क्षेत्रों से प्रसारण हेतु अधिसूचित किया जाएगा। इसलिए इस संशोधन का उद्देश्य केबल आपरेटरों पर प्रसारण अनुशासन को लागू तथा क्रियान्वित करना है ताकि जिस प्रकार के तथा जिस गुणवत्ता के कार्यक्रम जनता तक पहुंचते हैं तथा जो हमारे बच्चों को प्रभावित करते हैं उनसे उन पर नैतिक रूप से इनका कुप्रभाव न पड़े, उनकी नैतिकता प्रभावित न हो तथा जो शालीनता का हनन न करते हों, ऐसे कार्यक्रम दिखाए जाएं।

मैं सभी वक्ताओं का इन संशोधनों का समर्थन करने के लिए अत्यन्त आभारी हूं। निश्चित रूप से यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका अभी विकास किया जा रहा है।

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी): आपने "शालीनता" शब्द का प्रयोग क्यों किया, अश्लीलता जैसे साधारण शब्द का प्रयोग क्यों नहीं किया।

उपाध्यक्ष महोदय: उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है।

श्री जी.एम. बनातवाला: अधिनियम में ही।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री बनातवाला जी, आपके आने से पहले उन्होंने दोनों शब्दों की व्याख्या कर दी है।

श्री जी.एम. बनातवाला: मुझे भी अपनी उपस्थित दर्ज करनी थी। महोदय, मैं अभी आया हूं और मैंने अपना बोलने का अवसर गवां दिया।

श्री अरुण जेटली: महोदय, श्री रूपचन्द पाल ने यह प्रश्न उठाया है। मैंने उन्हें यह विस्तार में बता दिया है। मैं इन्हें शायद सभा के बाहर भी बताऊंगा। मैंने उन्हें इस अधिनियम में "अश्लीलता" के स्थान पर "शालीनता" शब्द का प्रयोग करने के तर्क को बता दिया है।

मैं उन सभी सदस्यों का अत्यन्त आभारी हूँ जिन्होंने इस विधेयक का समर्थन किया है। मैं इस सम्माननीय सभा से सिफारिश करता हूं कि इस विधेयक को स्वीकृत तथा पारित किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय: अब मैं श्री वरकला राधाकृष्णन द्वारा प्रस्तुत संशोधन को मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन को मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम 1955 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 2 से 4 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 से 4 विधेयक में जोड़ दिए गए।

उपाध्यक्ष महोदय: संशोधन सं. 3 और 4, श्री विलास मुत्तेमवार उपस्थित नहीं है।

प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 5 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय: संशोधन सं. 5 श्री विलास मुत्तेमवार उपस्थित नहीं हैं।

प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 6 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय: संशोधन संख्या 6, श्री विलास मुत्तेमवार-उपस्थित नहीं है।

प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 7 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय: संशोधन सं. 7, श्री विलास मुत्तेमवार उपस्थित नहीं है।

प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 8 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 8 विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय: संशोधन सं. 8, श्री विलास मुत्तेमवार उपस्थित नहीं है।

प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 9 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 9 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

श्री अरुण जेटली: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

[हिन्दी]

श्री जी.एम. बनातवाला: सर, यह तो फायनल रीडिंग है। मुझे एक क्लाज पर बोलने की इजाजत दी जाये।

[अनुवाद]

मैं एक घण्टा बोलना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: उसके लिए आपको नोटिस देना होगा। श्री बनातवाला, आप मुझे डरा रहे हैं।

प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सायं 6.50 बजे

बिहार पुनर्गठन विधेयक

राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन-*स्वीकृत*

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा दूसरी अनुपूरक कार्यसूची में सूचीबद्ध मद पर विचार करेगी।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): महोदय, अपने वरिष्ठ सहयोगी, श्री लाल कृष्ण आडवाणी की ओर से, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि विद्यमान बिहार राज्य के पुनर्गठन और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों पर विचार किया जाए।

खंड 5

पृष्ठ 3, पंक्ति 1,-

"25" के स्थान पर "27" प्रतिस्थापित किया जाए।

पृष्ठ 3, पंक्ति 3,-

"26" के स्थान पर "28" प्रतिस्थापित किया जाए।

खंड 7

पृष्ठ 3, पंक्ति 12,–

"27" और "28" **के स्थान पर** क्रमश: "29" और "30" **प्रतिस्थापित** किया जाए।

खंड 12

पृष्ठ 4, पंक्ति 8,–

"10", "25", "11" और "26" **के स्थान पर** क्रमश: "11", "27", "12" और "28" **प्रतिस्थापित** किया जाए।

पृष्ठ 4, पंक्ति 10,–

"9" **के स्थान पर** "10" **प्रतिस्थापित** किया जाए।

पृष्ठ 4, पंक्ति 11,–

"10" **के स्थान पर** "11" **प्रतिस्थापित** किया जाए।

पहली अनुसूची

पृष्ठ 25,–

पंक्ति 3 से 9 **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** किया जाए,–

"(1) सात आसीन सदस्यों, अर्थात् मौलाना औबेदुल्ला खां आजमी, श्रद्धेय धम्मा वीरियो, श्री नागेन्द्र नाथ ओझा, श्री प्रेम चन्द गुप्ता, श्री रंजन प्रसाद यादव, श्री शत्रुघ्न सिन्हा और श्री रामदेव भंडारी; जिनकी पदावधि 9 अप्रैल, 2002 को समाप्त होगी, में से मौलाना ओबैदुल्ला खां आज़मी और श्रद्धेय धम्मा वीरियो के बारे में यह समझा जाएगा कि वे झारखंड राज्य को आवंटित स्थानों में से दो स्थानों को भरने के लिए निर्वाचित हो गए हैं और पांच अन्य आसीन सदस्यों के बारे में यह समझा जाएगा कि वे बिहार राज्य को आवंटित पांच स्थानों को भरने के लिए निर्वाचित किए गए हैं।"

पृष्ठ 25, पंक्ति 18 से 20,–

"ऐसे दो सदस्य जिन्हें राज्य सभा का सभापति लॉट निकाल कर अवधारित करे, झारखंड राज्य को आवंटित स्थानों में से दो को भरने के लिए निर्वाचित किए गए समझे जाएंगे"

के स्थान पर

"श्री एस.एस. अहलूवालिया और श्री रामकुमार आनंद झारखंड राज्य को आवंटित स्थानों में से दो स्थानों को भरने के लिए निर्वाचित किए गए समझे जाएंगे" **प्रतिस्थापित** किया जाए।

छठी अनुसूची

पृष्ठ 37, पंक्ति 5,–

"19" और "20" **के स्थान पर** क्रमश:

"21" और "22" **प्रतिस्थापित** किया जाए।

पृष्ठ 37, पंक्ति 10,–

"19" **के स्थान पर** "21" **प्रतिस्थापित** किया जाए।

पृष्ठ 37, पंक्ति 11 **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** किया जाए–

भाग 22–झारखंड

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विद्यमान बिहार राज्य के पुनर्गठन और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जाये।"

खंड 5

पृष्ठ 3, पंक्ति 1,–

"25" **के स्थान पर** "27" **प्रतिस्थापित** किया जाए।

पृष्ठ 3, पंक्ति 3,–

"26" **के स्थान पर** "28" **प्रतिस्थापित** किया जाए।

खंड 7

पृष्ठ 3, पंक्ति 12,–

"27" और "28" **के स्थान पर** क्रमश: "29" और "30" **प्रतिस्थापित** किया जाए।

खंड 12

पृष्ठ 4, पंक्ति 8,–

"10", "25", "11" और "26" **के स्थान पर** क्रमश: "11", "27", "12" और "28" **प्रतिस्थापित** किया जाए।

पृष्ठ 4, पंक्ति 10,–

"9" **के स्थान पर** "10" **प्रतिस्थापित** किया जाए।

पृष्ठ 4, पंक्ति 11,–

"10" **के स्थान पर** "11" **प्रतिस्थापित** किया जाए।

पहली अनुसूची

पृष्ठ 25,–

पंक्ति 3 से 9 **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** किया जाए,–

"(1) सात आसीन सदस्यों, अर्थात् मौलाना ओबैदुल्ला खां आज़मी, श्रद्धेय धम्मा वीरियो, श्री नागेन्द्र नाथ ओझा, श्री प्रेम चन्द गुप्ता, श्री रंजन प्रसाद यादव, श्री शत्रुघ्न सिन्हा और श्री रामदेव भंडारी, जिनकी पदावधि 9 अप्रैल, 2002 को समाप्त होगी, में से मौलाना ओबैदुल्ला खां आज़मी और श्रद्धेय धम्मा वीरियो के बारे में यह समझा जाएगा कि वे झारखंड राज्य को आवंटित स्थानों में से दो स्थानों को भरने के लिए निर्वाचित हो गए हैं और पांच अन्य आसीन सदस्यों के बारे में यह समझा जाएगा कि वे बिहार राज्य को आवंटित पांच स्थानों को भरने के लिए निर्वाचित किए गए हैं।"

पृष्ठ 25, पंक्ति 18 से 20,–

"ऐसे दो सदस्य जिन्हें राज्य सभा का सभापति लाट निकाल कर अवधारित करे, झारखंड राज्य को आवंटित स्थानों में से दो को भरने के लिए निर्वाचित किए गए समझे जायेंगे'

के स्थान पर

"श्री एस.एस. अहलूवालिया और श्री रामकुमार आनंद झारखंड राज्य को आवंटित स्थानों में से दो स्थानों को भरने के लिए निर्वाचित किए गए समझे जाएंगे" **प्रतिस्थापित** किया जाए।

छठी अनुसूची

पृष्ठ 37, पंक्ति 5,–

"19" और "20" **के स्थान पर** क्रमशः

"21" और "22" **प्रतिस्थापित** किया जाए।

पृष्ठ 37, पंक्ति 10,–

"19" **के स्थान पर** "21" **प्रतिस्थापित** किया जाए।

पृष्ठ 37, पंक्ति 11 **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** किया जाए,–

भाग 22–झारखंड

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदयः सभा अब संशोधनों पर खण्डवार विचार करेगी।

खण्ड 5

श्री ईश्वर दयाल स्वामीः मैं प्रस्ताव करता हूँ:

कि पृष्ठ 3, पंक्ति 1,–

"25" **के स्थान पर** "27" **प्रतिस्थापित** किया जाए। (1)

कि पृष्ठ 3, पंक्ति 3,–

"26" **के स्थान पर** "28" **प्रतिस्थापित** किया जाए। (2)

उपाध्यक्ष महोदयः प्रश्न यह है:

कि पृष्ठ 3, पंक्ति 1,–

"25" **के स्थान पर** "27" **प्रतिस्थापित** किया जाए। (1)

कि पृष्ठ 3, पंक्ति 3,–

"26" **के स्थान पर** "28" **प्रतिस्थापित** किया जाए। (2)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 7

श्री ईश्वर दयाल स्वामीः मैं प्रस्ताव करता हूँ:

कि पृष्ठ 3, पंक्ति 12,–

"27" और "28" **के स्थान पर** क्रमशः "29" और "30" **प्रतिस्थापित** किया जाए। (3)

उपाध्यक्ष महोदयः प्रश्न यह है:

कि पृष्ठ 3, पंक्ति 12,–

"27" और "28" **के स्थान पर** क्रमशः "29" और "30" **प्रतिस्थापित** किया जाए। (3)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 12

श्री ईश्वर दयाल स्वामी: मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि पृष्ठ 4, पंक्ति 8,-

''10'', ''25'', ''11'' और ''26'' **के स्थान पर** क्रमश: ''11'', ''27'', ''12'' और ''28'' **प्रतिस्थापित** किया जाए। (4)

कि पृष्ठ 4, पंक्ति 10,-

''9'' **के स्थान पर** ''10'' **प्रतिस्थापित** किया जाए। (5)

पृष्ठ 4, पंक्ति 11,-

''10'' **के स्थान पर** ''11'' **प्रतिस्थापित** किया जाए। (6)

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है कि:

पृष्ठ 4, पंक्ति ,-

''10'', ''25'', ''11'' और ''26'' **के स्थान पर** क्रमश: ''11'', ''27'', ''12'' और ''28'' **प्रतिस्थापित** किया जाए। (4)

पृष्ठ 4, पंक्ति 10,-

''9'' **के स्थान पर** ''10'' **प्रतिस्थापित** किया जाए। (5)

पृष्ठ 4, पंक्ति 11,-

''10'' **के स्थान पर** ''11'' **प्रतिस्थापित** किया जाए। (6)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

पहली अनुसूची

श्री ईश्वर दयाल स्वामी: मैं प्रस्ताव करता हूं:

कि पृष्ठ 25,-

पंक्ति 3 से 9 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए,-

''(1) सात आसीन सदस्यों, अर्थात् मौलाना ओबैदुल्ला खां आजमी, श्रद्धेय धम्मा वीरियो, श्री नागेन्द्र नाथ ओझा, श्री प्रेम चन्द गुप्ता, श्री रंजन प्रसाद यादव, श्री शत्रुघ्न सिन्हा और श्री रामदेव भंडारी; जिनकी पदावधि 9 अप्रैल, 2002 को समाप्त होगी, में से मौलाना ओबैदुल्ला खां आजमी और श्रद्धेय धम्मा वीरियो के बारे में यह समझा जाएगा कि वे झारखंड राज्य को आवंटित स्थानों में से दो स्थानों को भरने के लिए निर्वाचित हो गए हैं और पांच अन्य आसीन सदस्यों के बारे में यह समझा जाएगा कि वे बिहार राज्य को आवंटित पांच स्थानों को भरने के लिए निर्वाचित किए गए हैं।'' (7)

कि पृष्ठ 25, पंक्ति 18 से 20,-

''ऐसे दो सदस्य जिन्हें राज्य सभा का सभापति लॉट निकाल कर अवधारित करे, झारखंड राज्य को आवंटित स्थानों में से दो को भरने के लिए निर्वाचित किए गए समझे जायेंगे''

के स्थान पर

''श्री एस. एस. अहलूवालिया और श्री रामकुमार आनंद झारखंड राज्य को आवंटित स्थानों में से दो स्थानों को भरने के लिए निर्वाचित किए गए समझे जाएंगे'' **प्रतिस्थापित** किया जाए। (8)

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

कि पृष्ठ 25,-

पंक्ति 3 से 9 **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** किया जाए,-

''(1) सात आसीन सदस्यों, अर्थात् मौलाना ओबैदुल्ला खां आजमी, श्रद्धेय धम्मा वीरियो, श्री नागेन्द्र नाथ ओझा, श्री प्रेम चन्द गुप्ता, श्री रंजन प्रसाद यादव, श्री शत्रुघ्न सिन्हा और श्री रामदेव भंडारी; जिनकी पदावधि 9 अप्रैल, 2002 को समाप्त होगी, में से मौलाना ओबैदुल्ला खां आजमी और श्रद्धेय धम्मा वीरियो के बारे में यह समझा जाएगा कि वे झारखंड राज्य को आवंटित स्थानों में से दो स्थानों को भरने के लिए निर्वाचित हो गए हैं और पांच अन्य आसीन सदस्यों के बारे में यह समझा जाएगा कि वे बिहार राज्य को आवंटित पांच स्थानों को भरने के लिए निर्वाचित किए गए हैं।'' (7)

कि पृष्ठ 25, पंक्ति 18 से 20,-

''ऐसे दो सदस्य जिन्हें राज्य सभा का सभापति लॉट निकाल कर अवधारित करे, झारखंड राज्य को आवंटित स्थानों में से दो को भरने के लिए निर्वाचित किए गए समझे जायेंगे।''

के स्थान पर

''श्री एस. एस. अहलूवालिया और श्री रामकुमार आनंद झारखंड राज्य को आवंटित स्थानों में से दो स्थानों को भरने के लिए निर्वाचित किए गए समझे जाएंगे।'' **प्रतिस्थापित** किया जाए। (8)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

छठी अनुसूची

श्री ईश्वर दयाल स्वामी: मैं प्रस्ताव करता हूँ:

कि पृष्ठ 37, पंक्ति 5,-

''19'' और ''20'' **के स्थान पर** क्रमश:

''21'' और ''22'' **प्रतिस्थापित** किया जाए। (9)

कि पृष्ठ 37, पंक्ति 10,-

''19'' **के स्थान पर** ''21'' **प्रतिस्थापित** किया जाए। (10)

कि पृष्ठ 37, पंक्ति 11 **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** 1 जाए,-

''भाग 22-झारखंड'' (11)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

कि पृष्ठ 37, पंक्ति 5,-

''19'' और ''20'' **के स्थान पर** क्रमश:

''21'' और ''22'' **प्रतिस्थापित किया जाए।** (9)

कि पृष्ठ 37, पंक्ति 10,-

''19'' के स्थान पर ''21'' **प्रतिस्थापित किया जाए।** (10)

कि पृष्ठ 37, पंक्ति 11 **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित किया जाए-**

''भाग 22-झारखंड'' (11)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री ईश्वर दयाल स्वामी: मैं प्रस्ताव करता हूँ:

''कि राज्य सभा द्वारा विधेयक में किए गए संशोधनों से सहमति व्यक्त की जाए।''

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

''राज्य सभा द्वारा विधेयक में किए गए संशोधनों से सहमति व्यक्त की जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री बनातवाला, हमने सभी मदों पर विचार कर लिया है।

अब सभा बुधवार पूर्वाह्न 11.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

सायं 6.52 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 16 अगस्त, 2000, 25 श्रावण 1922 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

पी.एल.एस.–48/9/15/2000 (एन०)
280

© 2000 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय
लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स जैनको आर्ट इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।